



CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,

इन्डियन कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,

मुंबई - 400 005.

टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355, 2218 9111

फैक्स : (+91 22) 2218 0411

वेबसाइट : www.idbi.com

IDBI Bank Limited

Regd. Office : IDBI Tower,

WTC Complex, Cuffe Parade,

Mumbai - 400 005.

TEL.: (+91 22) 6655 3355, 2218 9111

FAX : (+91 22) 2218 0411

Website : www.idbi.com

June 19, 2023

The Manager (Listing) BSE Ltd., 25 th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001	The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051
---	---

Dear Madam/Sir,

Annual Report for FY 2022-23

In terms of Regulations 34 and 53 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find attached the Annual Report including the Business Responsibility & Sustainability Report (BRSR) of IDBI Bank for the FY 2022-23 along with the Notice of the 19th AGM of the Bank.

Kindly acknowledge receipt and take the above on record.

Yours faithfully,
For IDBI Bank Ltd.

Company Secretary

Enclosed as above

हर कदम आरोहण की ओर

Marching Towards Growth



वार्षिक रिपोर्ट | Annual Report 2022-23



आईडीबीआई बैंक को दूसरी तिमाही में 828 करोड़ रुपये का हुआ मुनाफा

- वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा 70 फीसदी बढ़ा

वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा 70 फीसदी बढ़ा है। बैंक का मुनाफा 828 करोड़ रुपये का रहा, जो 2021 की तीसरी तिमाही में 46 फीसदी बढ़ा है। बैंक का मुनाफा 2021 की दूसरी तिमाही में 567.12 करोड़ रुपये का था।



CAUTIOUS APPROACH. IDBI Bank wants to be part of the lenders' consortium to corporates than a lead bank, says chief Rajesh Sharma

We are ready for take-off at a high speed, says IDBI Bank MD and CEO

Rajesh Sharma, MD & CEO, IDBI Bank, says the bank is ready for take-off at a high speed. He also mentioned that the bank is looking for a consortium to corporates rather than being a lead bank.



IDBI Bank hikes interest rate on Retail Amrit Mahotsav Deposit

New Delhi: IDBI Bank on Monday announced that it has enhanced rate of interest up to 7.60% for just 700 days, effective from December 26, 2022. The bank has also revised the Marginal Cost of Fund Based Lending rate (MCLR) w.e.f. 12-12-2022. The new rates are as below:

- Overnight MCLR: 7.45%
- One Month MCLR (1M): 7.50%
- Three Month MCLR (3M): 7.60%
- Six Month MCLR (6M): 7.90%
- One Year MCLR (1Y): 8.20%
- Two Year MCLR (2Y): 8.80%
- Three Year MCLR (3Y): 9.20%

On December 7, the Reserve Bank of India hiked the key repo rate by 351 points to 6.25 per cent, the fifth straight increase since May. In all, the RBI raised the benchmark rate by 2.25 per cent since May this year.

IDBI Bank's gold loan biz achieves milestone

The LIC-controlled bank said its loan processing system is fully automated and this is in the growth of the gold loan book.



ई-बैंक गारंटी सुविधा लांच

आईडीबीआई बैंक ने नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) के साथ गठबंधन में ई-बैंक गारंटी सुविधा लॉन्च की है, जिसके बाद बैंक गारंटी जारी करने की पेपर पर आधारित प्रक्रिया ई-स्टांप और ई-सिग्नेचर की मदद से होने लगेगी। इसके साथ ही बैंक ने अपने ग्राहकों को डिजिटल और यूजर-फ्रेंडली सेवाएं प्रदान करने के अपने प्रयास में एक कदम आगे बढ़ाया है। इन सेवाओं को शर्मा (ए आईडीबीआई बैंक) के अध्यक्ष ने लॉन्च किया।

IDBI Bank's net profit surges 25% as provisions slide

RE BUREAU Mumbai, July 21

IDBI BANK ON Thursday reported a 25% rise in net profit to ₹828 crore for the quarter ended on July 21, 2022, as provisions for non-performing assets (NPA) fell to ₹1,188 crore. The bank's gross profit for the quarter ended June 30, 2022, stood at ₹1,188 crore, an increase from ₹947 crore in the same quarter last year.



Going forward, we start growing our advances, not only will we grow the CASA (current accounts savings accounts) deposits, but we may get the bulk deposits also, depending on the requirement.

RAJESH SHARMA, MD & CEO, IDBI BANK

HAPPIER TIMES Strong loan growth and lower cost of funds help push up net interest margin; asset quality also improves

IDBI Bank Q2 Net Rises 46% to ₹828 crore on Loan Growth

	Q2 2022	Q2 2021	Change
Net Profit	₹828 cr	₹657 cr	46%
Net Interest Margin	4.22%	4.08%	1.14%



आईडीबीआई बैंक ने ग्वालियर-भोपाल अंचल, मध्य प्रदेश में एक नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया



ग्वालियर: आईडीबीआई बैंक ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर-भोपाल अंचल में एक नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। बैंक के अध्यक्ष शर्मा ने नए कार्यालय का उद्घाटन किया और कहा कि यह बैंक के मध्य प्रदेश में प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

IDBI Bank increases interest rates on NRE Deposits

Chandigarh: Pursuant to the RBI guidelines on Liberalised Forex flows, IDBI Bank has announced to offer special interest rate offers on Non Resident External (NRE) Deposits. Bank has today announced that its Non-Resident customers can now avail additional 50 bps rate of interest on their NRE deposits for tenor of 1 year to 3 years. These revised interest rates on deposits will be applicable with effect from July 14, 2022.

आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों का माघ चरट कार्यक्रम

भोपाल: आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों ने देश के अग्रणी का शुभकामनाएं देते हुए माघ चरट कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बैंक के कर्मचारियों ने माघ चरट की प्रथा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया।

विषय-सूची

कॉर्पोरेट विहंगावलोकन

हर कदम आरोहण की ओर	ii
मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक	iv
31 मार्च 2023 को निदेशक मंडल	vi
31 मार्च 2023 को मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशक	vii
अध्यक्ष का संदेश	viii
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश	xiv
कुछ प्रमुख गतिविधियां	xx
पुरस्कार एवं सम्मान	xxiv

सांविधिक रिपोर्टें

निदेशकों की रिपोर्ट	2
प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण	20
कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट	62
कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट	166

वित्तीय विवरण

एकल वित्तीय विवरण	244
समेकित वित्तीय विवरण	398
समेकित पिलर III प्रकटन	520

Contents

CORPORATE OVERVIEW

Marching Towards Growth	iii
Key Performance Indicators	iv
Board of Directors as on March 31, 2023	vi
Chief Vigilance Officer and Executive Directors as on March 31, 2023	vii
Message from the Chairman	viii
Message from the Managing Director & CEO	xiv
Some Major Events	xx
Awards and Accolades	xxiv

STATUTORY REPORTS

Directors' Report	11
Management Discussion and Analysis	42
Corporate Governance Report	114
Business Responsibility & Sustainability Report	206

FINANCIAL STATEMENTS

Standalone Financial Statements	244
Consolidated Financial Statements	398
Consolidated Pillar III Disclosures	520

हर कदम आरोहण की ओर

वित्तीय वर्ष 2022-23 बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा जो बैंक द्वारा सर्वकालिक उच्चतम निवल लाभ और सभी प्रमुख कारोबारी मानकों में संवृद्धि का साक्ष्य रहा. इस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट का मूल विषय (हर कदम आरोहण की ओर), बैंक की विकास यात्रा को बखूबी दर्शाता है. जिसमें घाटे वाली तेरह तिमाहियों के निचले स्तर को पीछे छोड़ते हुए बैंक ने वर्ष के दौरान अब तक का सर्वोच्च निवल लाभ अर्जित करने का मुकाम हासिल किया है. मुखपृष्ठ पर बना ऊर्ध्वगामी तीर बैंक के कर्मचारियों के अदम्य प्रयास से रचित विकास गाथा का दृश्य निरूपण करता है. मानवीय तत्वों से युक्त तीर बैंक की संवृद्धि में सभी हितधारकों विशेष रूप से मानव पूँजी के योगदान और सामंजस्य की एकजुटता को अभिस्वीकृत करता है. आरोही ग्राफ बैंक के समग्र कार्य-निष्पादन में ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं. नारंगी रंग के (कमल) फूल वाला बैंक

का प्रतीक चिह्न, जो बैंक के लोगो और ब्रांडिंग का सहजता से पहचाना जाने वाला घटक है तथा बैंक के गौरवशाली इतिहास और विरासत का प्रतीक है, को ग्राफ के गोलाकार आरेख में अंकित किया गया है. फूल का वृत्ताकार स्वरूप सिक्के का प्रतीक है, जो बैंक द्वारा अपने सभी हितधारकों के लिए सतत रूप से जनित अपार धन-संपदा के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र में इसकी उपस्थिति और विशेषज्ञता को इंगित करता है. मूल विषय के हिंदी संस्करण में प्रयुक्त शब्द "आरोहण" बैंक द्वारा अपनी विकास यात्रा में किए गए सभी प्रयासों का निरूपण करता है. बैंक लाभप्रदता की दिशा में अपनी अनवरत यात्रा को जारी रखने और अपने हितधारकों के लिए सशक्त डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन तरीके से निर्मित उत्पादों और सेवाओं की प्रस्तुति तथा ग्राहक सेवा में उत्कृष्टतम् को अपनी रणनीति के केंद्र में रखने का आकांक्षी है.

Marching Towards Growth

The financial year 2022-23 was a milestone year for the Bank which witnessed its all-time highest net profit figures and growth in all major business parameters. The theme for this year's Annual Report, viz. Marching towards growth (हर कदम आरोहण की ओर), encapsulates the growth journey of the Bank from the lows of thirteen loss making quarters to its highest ever net profit during the year. The upward facing arrow on the cover page is a visual representation of the growth story fuelled by the employees of the Bank. The arrow comprising human elements acknowledges the contribution and cohesiveness with which all stakeholders, especially the human capital, were united in driving the growth of the Bank. The rising graphs depict the upward trend in the overall performance of the Bank.


The Bank's orange flower (lotus) emblem, which is an easily identifiable component of the Bank's logo and branding, and symbolic of the Bank's rich history and legacy, has been engrained within the circular shape of the graph. The round shape of the flower symbolises a coin, which is an indication of the immense wealth the Bank continues to create for all its stakeholders, as well as its presence and expertise in the financial sector. The word "Aarohan" used in the Hindi version of the theme, is a representation of all efforts undertaken by the Bank in its ascent. The Bank intends on continuing its journey towards profitability and creating value for its stakeholders with well-designed offerings built on robust digital banking platforms and excellence in customer service at the crux of its strategy.

मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक Key Performance Indicators

31 मार्च 2023 की स्थिति Position as on March 31, 2023


कर पश्चात् लाभ
Profit After Tax

₹ करोड़
crore




परिचालनगत लाभ
Operating Profit

₹ करोड़
crore




निवल ब्याज आय
Net Interest Income

₹ करोड़
crore




तुलन-पत्र का आकार
Balance Sheet Size

₹ करोड़
crore




कुल जमा राशियां
Total Deposits

₹ करोड़
crore




कुल अग्रिम (निवल)
Total Advances (Net)

₹ करोड़
crore




आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)
Return on Assets (RoA)

%




इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई)
Return on Equity (RoE)


%




प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडबल्यूओ सहित)
Provision Coverage Ratio (with TWO)




निवल एनपीए
Net NPA



जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)
Capital-to-Risk weighted Assets Ratio (CRAR)



निवल ब्याज मार्जिन
Net Interest Margin



जमाराशि मिश्रण (%)
Deposit Mix (%)

12.64%

थोक
Bulk



33.85%

बचत
Savings

34.35%

रिटेल सावधि
Retail Term

19.16%

चालू
Current

अग्रिम मिश्रण (%)
Advances Mix (%)

31.06%

कॉरपोरेट
Corporate



68.94%

रिटेल
Retail

31 मार्च 2023 को निदेशक मंडल Board of Directors as on March 31, 2023



श्री टी. एन. मनोहरन
अध्यक्ष

Shri T. N. Manoharan
Chairman



श्री राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Shri Rakesh Sharma
Managing Director & CEO



श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज
उप प्रबंध निदेशक

Shri Samuel Joseph Jebaraj
Deputy Managing Director



श्री सुरेश खटनहार
उप प्रबंध निदेशक

Shri Suresh Khatanhar
Deputy Managing Director



श्री मनोज सहाय
Shri Manoj Sahay



श्री सुशील कुमार सिंह
Shri Sushil Kumar Singh



श्री मुकेश कुमार गुप्ता
Shri Mukesh Kumar Gupta



श्री राज कुमार
Shri Raj Kumar



श्री ज्ञान प्रकाश जोशी
Shri Gyan Prakash Joshi



श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी
Shri Bhuwanchandra B. Joshi



श्री समरेश परिदा
Shri Samarash Parida



श्री एन. जंबुनाथन
Shri N. Jambunathan



श्री दीपक सिंघल
Shri Deepak Singhal



श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर
Shri Sanjay Gokuldas Kallapur



सुश्री पी.वी. भारती
Ms. P. V. Bharathi

31 मार्च 2023 को मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशक Chief Vigilance Officer and Executive Directors as on March 31, 2023



श्रीमती आशा राजीव
मुख्य सतर्कता अधिकारी

Smt. Asha Rajiv
Chief Vigilance Officer



श्री पी. सीताराम
Shri P. Sitaram



श्री शैलेंद्र नाडकर्णी
Shri Shailendra Nadkarni



श्री जॉर्टी चाको
Shri Jorty Chacko



श्री नागराज गारला
Shri Nagaraj Garla



श्रीमती बलजिंदर कौर मंडल
Smt. Baljinder Kaur Mandal



श्री शलील आवले
Shri Shalil Awale



श्री सुनित सरकार
Shri Sunit Sarkar



श्री संजय देशपांडे
Shri Sanjay Deshpande



डॉ. सौरव कुमार दत्ता
Dr. Sourav Kumar Dutta



श्री मुरली सौरीराजन
Shri Murali Sourirajan



श्री ईश्वर पधान
Shri Iswar Padhan



श्री त्रिलोक शर्मा
Shri Trilok Sharma



श्री अरुण कुमार बंसल
Shri Arun Kumar Bansal

अध्यक्ष का संदेश
Message from the Chairman



विश्वास का निर्माण
सुसंगति के साथ
*Trust is built with
consistency*

वर्ष 2022-23 एक और महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ क्योंकि आपके बैंक ने संवृद्धि, लाभप्रदता, परिचालन दक्षता, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और संधारणीयता व्यवसाय एवं परिचालन प्रथाओं को अपनाने के अपने रणनीतिक प्रयासों में लगातार प्रगति की।

The year 2022-23 was another milestone year as your Bank made steady inroad in its strategic endeavours of growth, profitability, operational efficiency, technological upgradation, and adopting sustainable business and operational practices.

टी. एन. मनोहरन
अध्यक्ष

T. N. Manoharan
Chairman

प्रिय शेयरधारको,

निदेशक मंडल की तरफ से, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वित्तीय वर्ष के दौरान कारोबार और वित्तीय कार्य-निष्पादन के क्षेत्र के साथ-साथ अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य संवर्धन की दिशा में भी आपके बैंक ने जिस प्रकार से कार्य किया है उसका आपसे उल्लेख करते हुए मुझे अपार गौरव की अनुभूति हो रही है।

आर्थिक परिदृश्य

मंदी के बढ़ते जोखिमों के चलते आर्थिक विकास की रफ्तार में कमी, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में लगातार उच्च स्तरीय मुद्रास्फीति, जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और कठोर वित्तीय परिस्थितियों के कारण वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर समष्टि आर्थिक वातावरण सुस्त बना रहा। इस पृष्ठभूमि के विपरीत समावेशी विकास की सशक्त गति के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में प्रखरता के साथ उभरी, जिससे यह विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गई।

वैश्विक प्रभाव विस्तार के बावजूद वर्ष के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र लचीला बना रहा। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक और संरचनात्मक सुधारों की बदैलत समष्टि आर्थिक कार्यकलापों के मजबूत मूलतत्व और अनुकूल नीतिगत माहौल जैसे कारकों ने स्थिरता प्रदान की और बैंकों को अपने तुलन-पत्र को और अधिक मजबूत करने, लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने के साथ-साथ पूंजी के पर्याप्त स्तर और चलनिधि बफर को बनाए रखने की दिशा में उनका मार्गदर्शन किया। अंतर्निहित आधारभूत मूल कारकों की मजबूत स्थिति और समग्र आस्ति गुणवत्ता में सुधार के फलस्वरूप बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण की बढ़ती मांग को पूरा करने में पूर्णतः सक्षम हुए। पर्याप्त पूंजी बफर के चलते, बैंक विकास को प्रोत्साहित

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors, I am pleased to present the Bank's Annual Report for the Financial Year (FY) 2022-23. I write to you with an undeniable sense of pride in the way your Bank has performed during the financial year in terms of its business and financial performance and also its commitment towards enhancing value for all its stakeholders.

Economic Scenario

The global macroeconomic environment in the year 2022 was weighed down by deceleration in the pace of economic growth with growing risks of recession, persistently high levels of inflation across economies, continuing geo-political uncertainties and tightened financial conditions. Against this backdrop, the Indian economy emerged as a bright spot in the global economic landscape with robust pace of inclusive growth, making it one of the fastest growing major economies in the world.

India's banking sector, despite global spillovers, remained resilient during the year. Factors such as strengthening of macroeconomic fundamentals and conducive policy environment, coming on the back of comprehensive and structural reforms in the Indian banking sector, lent stability and led the banks to further strengthen their balance sheet, improve profitability and asset quality, as also maintain adequate levels of capital and liquidity buffers. The robustness of the underlying fundamental strengths and improvement in the overall asset quality enabled banks to respond in equal measure to meet the expansion in the credit demand in

करने के साथ-साथ विशेषकर बाह्य कारकों से उत्पन्न कुछेक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए अच्छी स्थिति में थे.

कारोबार रणनीति

अनुकूल कारोबारी परिदृश्य ने बैंक को अपने रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक अतिरिक्त लाभ प्रदान किया है. मजबूत तुलन-पत्र, पूंजी की अच्छी स्थिति और पर्याप्त प्रावधानीकरण के लिए बैंक ने अपनी रणनीतिक अनिवार्यता को बनाए रखा. बैंक ने जमाराशियों में वृद्धि से संचालित संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा और खुदरा एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करके कम जोखिम वाले ऋण समिश्र को भी बनाए रखा. साथ ही, बैंक ने गुणवत्तापूर्ण आस्ति बही को संवर्धित करने के लिए उधार देने के कार्य में भी तेजी लाई.

संवृद्धि और लाभप्रदता

आपके बैंक द्वारा प्रतिपादित व्यापक कारोबारी रणनीति और अनुकूल समष्टि आर्थिक स्थिति ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सतत स्थिर और लाभप्रद संवृद्धि को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान की. बैंक ने लगातार तीसरे वित्तीय वर्ष में निवल लाभ दर्ज किया और वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 49% की जोरदार वृद्धि दर्ज करते हुए बैंक ने ₹ 3,645 करोड़ का सर्वकालिक

the economy. With adequate capital buffers, the banks were well positioned to support growth as also absorb certain headwinds, especially caused by external factors.

Business Strategy

The conducive business environment provided the Bank with an added advantage in pursuing its strategic objectives. The Bank persevered on its strategic imperatives leading to strong balance sheet, healthy capital position and adequate provisioning. The Bank continued to maintain strong focus on resource mobilisation, driven by growth in deposits and also maintained low-risk loan mix through focus on lending to the retail & priority sector. At the same time, the Bank also stepped up lending to augment quality asset book.

Growth and Profitability

The comprehensive business strategy formulated by your Bank and conducive macroeconomic conditions helped in ensuring a continued stable and profitable growth during the Financial Year (FY) 2022-23. The Bank registered net profit for the third consecutive financial year and the net profit surged to an all-time-high of ₹ 3,645 crore in FY 2022-23,



एक सच्चा दोस्त,
जो हर दम साथ निभाए.

आपका भरोसा. आपका बैंक.

उच्चतम निवल लाभ अर्जित किया. बैंक आस्ति और देयता, दोनों क्षेत्रों में अपने कणिक कारोबार पोर्टफोलियो को संवर्धित करने की अपनी व्यापक रणनीति के प्रति प्रतिबद्ध रहा. वर्ष के दौरान अपने निवल अग्रिमों और कुल जमा आधार में दो अंकों की वृद्धि दर्ज करते हुए आपके बैंक का कारोबार बेहतर हुआ.

आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए ठोस प्रयास के फलस्वरूप बैंक की सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) और निवल अनर्जक आस्तियों (एनएनपीए) के अनुपात में पर्याप्त सुधार हुआ. बतौर सुरक्षा, बैंक ने मार्च 2023 के अंत में 97.94% के प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) के साथ पर्याप्त प्रावधान बनाए रखा. बैंक अपने पूंजी अनुपात अर्थात जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) और टियर 1 अनुपात के साथ पर्याप्त रूप से पूंजीकृत बना रहा जो विनियामक अपेक्षाओं से काफी ऊपर था.

व्यापक आधार वाली रणनीतियों, रणनीतिक कारोबारी अनिवार्यताओं, मजबूत संगठनात्मक संरचना, तकनीकी कौशल और बैंक कर्मचारियों के अविचल समर्पण के इष्टतम संयोजन ने आपके बैंक को सहज रूप से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक मजबूत बैंक के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया.

registering a robust growth of 49% on a year-on-year basis. The Bank remained committed towards its overall strategy of augmenting its granular business portfolio, both on the asset and liability side. Your Bank's business improved with its net advances and total deposits base registering double-digit growth during the year.

The concerted focus on improving the asset quality resulted in a substantial improvement in its Gross Non-Performing Assets (GNPA) and Net Non-Performing Assets (NNPA) ratios. As a safeguard, the Bank continued to maintain adequate provisioning with the Provision Coverage Ratio (PCR) at 97.94% as at end-March 2023. The Bank remained adequately capitalised with its capital ratios, viz. Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR) and the Tier 1 ratio, well above the regulatory requirement.

An optimum mix of broad-based strategies, strategic business imperatives, robust organisational structure, technological prowess and unwavering dedication of its workforce paved the way for positioning your Bank as an inherently strong bank in the Indian banking space.

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके बैंक के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के ₹ 10 के अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 1 (एक रुपया केवल) के लाभांश की अनुशंसा की है जो वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है.

I am happy to state that the Board of Directors of your Bank have recommended a dividend of ₹ 1 (Rupee One only) per Equity Share of face value of ₹ 10 each of the Bank for the financial year ended March 31, 2023, subject to approval of the shareholders at the Annual General Meeting.

आगे की राह

वर्ष 2022-23 एक और महत्वपूर्ण वर्ष रहा जब आपके बैंक ने संवृद्धि, लाभप्रदता, परिचालनगत दक्षता, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और कारोबारी निरन्तरता और परिचालनगत प्रथाओं को अपनाने के अपने रणनीतिक प्रयासों में लगातार प्रगति की. आपका बैंक, विकसित हो रहे कारोबारी माहौल और उभरती ग्राहक वरियताओं के अनुरूप अपने उत्पाद और सेवाओं की पेशकश को विस्तारित करने का प्रयास जारी रखेगा. इसके अलावा, आपका बैंक सभी वर्गों के अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भौतिक और डिजिटल, दोनों तरीके से अपनी पहुंच को बढ़ाने का प्रयास करेगा. आपके बैंक की पर्याप्त पूंजी की स्थिति प्रगति पथ पर नए मुकाम तय करने में सहायक होगी.

आपका बैंक अपनी लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए समष्टि आर्थिक मूल तत्वों में हो रहे सुधार के बल पर कारोबारी अवसरों को भुनाने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों और सामर्थ्य का फायदा उठाने का प्रयास करेगा.

अपने ग्राहकों को लक्षित बैंकिंग समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से दक्षता बढ़ाने और अपनी डेटा विश्लेषण की क्षमताओं को सशक्त बनाने के लिए बैंक अत्याधुनिक तकनीकी उन्नयन में निवेश कर उच्चतर स्तर के डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा. यद्यपि आपके बैंक का ध्यान, कारोबार संवर्धन पर केंद्रित है तथापि आस्ति गुणवत्ता में गिरावट से बचने के लिए सक्रिय निवारक उपायों को अपना कर स्वस्थ आस्ति गुणवत्ता सुनिश्चित करने और बेहतर करने की दिशा में जागरूकता को जारी रखेगा. इसके अलावा, बैंक अपने सभी हितधारकों के बीच बतौर विश्वसनीय बैंक के रूप में

Way Forward

The year 2022-23 was another milestone year as your Bank made steady inroad in its strategic endeavours of growth, profitability, operational efficiency, technological upgradation, and adopting sustainable business and operational practices. Your Bank will continue to expand its product and service offerings in line with the evolving business environment and emerging customer preferences. Furthermore, your Bank will strive to expand its reach, both physical and digital, to cater to the requirements of its customers from all walks of life. Your Bank's adequate capital position will facilitate its march towards higher growth trajectory.

Your Bank will seek to leverage its inherent strengths and capabilities to capitalise on the business opportunities emerging on the back of improving macroeconomic fundamentals to further enhance its profitability.

The Bank will continue to focus on greater degree of digitalisation by investing in latest technological upgradation to enhance efficiency and strengthening its data analytics capabilities to provide targeted banking solutions to its customers. Your Bank's focus, though centered on augmenting its business, will continue to be on remaining vigilant towards improving and ensuring healthy asset quality by taking proactive preventive measures to avoid slippages. Apart from this, the Bank will strive to ingrain robust

अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सभी कारोबारी और सहायक कार्य-कलापों में मजबूत अभिशासन, जोखिम और अनुपालनगत व्यवहार को शामिल करने का प्रयास जारी रखेगा।

आपका बैंक अपनी लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए समष्टि आर्थिक मूल तत्वों में हो रहे सुधार के बल पर कारोबारी अवसरों को भुनाने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों और सामर्थ्य का फायदा उठाने का प्रयास करेगा।

आभार प्रदर्शन

आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल की ओर से, मैं भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य सभी सांविधिक एवं विनियामक प्राधिकारियों को उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं शेयरधारकों और ग्राहकों को उनके सतत संरक्षण, निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपका बैंक आपके निरंतर भरोसे और विश्वास का आदर करता है और आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरे लगन से प्रयास करता रहेगा। मैं बैंक के निदेशक मंडल के अपने सहयोगियों को उनके दूरदर्शी नेतृत्व और बैंक के अभिशासन एवं कारोबार संवर्धन की दिशा में उनके अमूल्य योगदान के लिए हृदय से सराहना करता हूँ। अंत में, मैं बैंक के शीर्ष प्रबंधन और सभी कर्मचारियों के अटूट समर्पण और प्रतिबद्धता के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने चुनौतीपूर्ण कारोबारी और परिचालनगत माहौल के बावजूद बैंक को अपने समग्र कारोबारी लक्ष्यों को हासिल करने का मार्ग प्रशस्त किया और नई ऊँचाइयों को छुआ।

शुभकामनाओं सहित,

टी. एन. मनोहरन

अध्यक्ष

governance, risk and compliance practices across all business and support functions in order to uphold its reputation as a trusted bank among all its stakeholders.

Your Bank will seek to leverage its inherent strengths and capabilities to capitalise on the business opportunities emerging on the back of improving macroeconomic fundamentals to further enhance its profitability.

Expression of Gratitude

On behalf of the Board of Directors of IDBI Bank, I express my sincere thanks to the Government of India (GOI), the Reserve Bank of India (RBI) and all the other statutory & regulatory authorities for their support and guidance. I would also like to extend my gratitude to shareholders and customers for their unstinted patronage, sustained support and co-operation. Your Bank values your continued trust and confidence and shall continue to work assiduously to live up to your expectations. I would also like to convey my sincere appreciation to my colleagues on the Bank's Board for their visionary leadership and invaluable contribution towards driving the Bank's governance and business growth. Last but not the least, I would like to express my gratitude to the Top Management and all employees of the Bank for exhibiting their unwavering dedication and commitment that paved the way for the Bank to achieve its overall business objective and scale new heights in spite of challenging business and operational environment.

With best wishes,

T. N. Manoharan

Chairman

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश

Message from the Managing Director & CEO

समृद्धि की ओर आरोहण
ऊर्ध्वगामी यात्रा

*Ascending to Prosperity:
Onward Upward*



“बैंक द्वारा अपने रणनीतिक प्रयासों के जरिए विगत कुछ वर्षों में निर्मित मजबूत नींव ने विभिन्न वित्तीय और परिचालनगत मानदंडों में व्यापक सुधार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में बैंक की सहायता की है”

राकेश शर्मा

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

“The robust foundation created by the Bank over the years through its strategic endeavours has helped it to report a broad-based improvement across various financial and operational parameters.”

Rakesh Sharma

Managing Director & CEO

प्रिय शेयरधारको,

आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल और प्रबंधन टीम की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की मुख्य बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है. आपके बैंक के परिचालन और वित्तीय कार्य-निष्पादन को प्रस्तुत करने से पहले मैं भारत और वैश्विक स्तर पर समष्टि आर्थिक परिदृश्य की वर्तमान स्थिति का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा.

समष्टि आर्थिक विहंगावलोकन

वर्ष 2022 में, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था एक चुनौतीपूर्ण वातावरण से गुजर रही थी, भारत सबसे तेजी से विकसित होने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहा. भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गए नीतिगत उपायों, बेहतर घरेलू खपत और निवेश मांग, उच्चतर ऋण उठाव और पूंजी निर्माण पर अविरत सार्वजनिक व्यय की सहायता से भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रतिकूलताओं के समक्ष काफी हद तक सुरक्षित बनी रही.

कारोबार रणनीति

बैंक को अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयास में अनुकूल कारोबारी माहौल का अतिरिक्त लाभ मिला. बैंक अपनी रणनीतिक अनिवार्यताओं पर दृढ़ता से कायम रहा जिसके परिणामस्वरूप मजबूत तुलन पत्र, पूंजी की सशक्त स्थिति और पर्याप्त प्रावधानीकरण का फायदा मिला. बैंक ने कासा जमाराशियों में वृद्धि के माध्यम से जमा संग्रहण पर लगातार अपना ध्यान केंद्रित रखा और खुदरा एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने को केंद्र में रखकर कम जोखिम वाले ऋण समिश्रण को भी बनाए रखा. इसके साथ ही, बैंक ने अपनी ऋण बही में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अच्छी रेटिंग

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors and the Management Team of IDBI Bank, I am pleased to present before you the highlights of your Bank's performance for the Financial Year (FY) 2022-23. Before dwelling upon the operational and financial performance of your Bank, I would like to briefly outline the prevailing macroeconomic environment in India and globally.

Macroeconomic Overview

In the year 2022, while the global economy navigated through a challenging environment, India continued to remain one of the fastest growing major economies. The Indian economy largely remained safeguarded against the global headwinds, aided by policy measures taken by the Government of India (GoI) and the Reserve Bank of India (RBI), improved domestic consumption & investment demand, higher credit offtake and sustained public expenditure on capital formation.

Business Strategy

The conducive business environment provided the Bank with an added advantage in pursuing its strategic objectives. The Bank persevered on its strategic imperatives leading to strong balance sheet, healthy capital position and adequate provisioning. The Bank continued to maintain strong focus on deposit mobilisation, driven by growth in CASA deposits and also maintained low-risk loan mix through focus on lending to the retail & priority sector. At the same time, the Bank also stepped up lending

वाली कम्पनियों को अधिक ऋण प्रदान करना भी प्रारंभ किया. अपने कारोबार संवर्धन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ तालमेल बनाए रखा. बैंक ने अपना ध्यान दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर केंद्रित रखा और अपनी लाभप्रदता बनाए रखने के लिए अपने ऋण खातों पर कड़ी नजर बनाए रखी. बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए निर्बाध रूप से ओम्नी-चैनल अनुभव निर्मित करने के साथ ही आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर अपनी परिचालनगत क्षमता को बेहतर करने के लिए डिजिटल बुनियादी सुविधाओं में अपने निवेश को भी बढ़ाया. आपके बैंक द्वारा की गई रणनीतिक पहलों की जानकारी वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण खंड में दी गई है. मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बैंक द्वारा अपने रणनीतिक प्रयासों के जरिए विगत कुछ वर्षों में निर्मित मजबूत नींव ने विभिन्न वित्तीय और परिचालनगत मापदंडों में व्यापक स्तर पर बेहतरी की रिपोर्ट करने में बैंक की सहायता की है.

वित्तीय एवं परिचालनगत विशेषताएं

वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न मानकों पर बैंक का बेहतर कार्यनिष्पादन इसकी दीर्घकालिक रणनीति की चिरस्थायी ताकत को प्रदर्शित करता है. मार्च 2023 के अंत में आपके बैंक के निवल

to well-rated corporates to drive growth in its loan book. To boost its business growth, the Bank continued to tap the synergies with the Life Insurance Corporation of India (LIC). The Bank remained focussed on resolution of stressed assets and maintaining a close watch on its loan accounts to maintain its profitability. The Bank also stepped up its investments in digital infrastructure to create a seamless omni-channel experience for its customers as well as to improve its operational efficiency by streamlining internal processes. The details of the strategic initiatives taken by your Bank have been discussed in the Directors' Report and Management Discussion & Analysis sections of the Annual Report. I am glad to report that the robust foundation created by the Bank over the years through its strategic endeavours has helped it to report a broad-based improvement across various financial and operational parameters.

Financial and Operational Highlights

The improved performance of the Bank in FY 2022-23 across various parameters demonstrates the enduring strength of its long-term strategy.



एक सच्चे दोस्त का लक्ष्य होता है
आपकी कामयाबी.

आपका भरोसा. आपका बैंक.

अग्रिम मार्च 2022 के अंत के ₹ 1.37 लाख करोड़ की तुलना में 19% की वृद्धि के साथ ₹ 1.63 लाख करोड़ हो गये. बैंक की ऋण बही में कॉर्पोरेट अग्रिमों की तुलना में रिटेल अग्रिमों का अनुपात मार्च 2022 के अंत के 63:37 की तुलना में बढ़कर मार्च 2023 के अंत में 69:31 हो गया. बैंक की कुल जमाराशियाँ मार्च 2022 के अंत के ₹ 2.33 लाख करोड़ की तुलना में 10% की वृद्धि के साथ मार्च 2023 के अंत में ₹ 1.35 लाख करोड़ की कासा जमाराशियों के साथ (कुल जमाओं का 53.02%) ₹ 2.55 लाख करोड़ रहीं.

The Bank's net advances grew by 19% to ₹ 1.63 lakh crore as at end-March 2023 as compared to ₹ 1.37 lakh crore as at end-March 2022. The loan book composition of retail to corporate advances changed to 69:31 as at end-March 2023 from 63:37 as at end-March 2022. The total deposits were up by 10% at ₹ 2.55 lakh crore as at end-March 2023 from ₹ 2.33 lakh crore as at end-March 2022 with CASA deposits at ₹ 1.35 lakh crore (53.02% of total deposits).

एक खुदरा बैंक के रूप में रणनीतिक स्थिति और अपनी डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में बैंक द्वारा किए गए पर्याप्त निवेश ने यह सुनिश्चित किया है कि बैंक आगे आने वाले वर्षों में लगातार, दीर्घकालिक लाभदायक संवृद्धि के लिए बेहतर स्थिति में है.

The strategic position as a retail bank and the considerable investments made by the Bank in scaling up its digital capabilities has ensured that it is well-positioned to deliver consistent, long-term profitable growth for years to come.

बैंक ने यथा मार्च 2023 के अंत में अपनी पूंजी स्थिति को विनियामकीय अपेक्षा से पर्याप्त ऊपर बनाए रखा. जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) और टियर 1 पूंजी प्लस पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) अनुपात मार्च 2022 के अंत के क्रमशः 19.06% और 16.68% की तुलना में मार्च 2023 के अंत में क्रमशः 20.44% और 18.08% रहा.

The Bank continued to maintain its capital position comfortably above the regulatory requirement as at end-March 2023. The Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR) and Tier 1 capital plus Capital Conservation Buffer (CCB) Ratio was at 20.44% and 18.08%, respectively, as at end-March 2023 as compared to 19.06% and 16.68%, respectively, as at end-March 2022.

सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) और निवल अनर्जक आस्तियों (एनएनपीए) का अनुपात मार्च 2022 के अंत के क्रमशः 20.16% और 1.36% से घटकर मार्च 2023 के अंत में क्रमशः 6.38% और 0.92% होने के साथ बैंक की आस्ति गुणवत्ता में भी सुधार दिखाई दिया. बैंक ने पर्याप्त प्रावधान बनाए रखना जारी रखा

The Bank's asset quality also saw improvement with the Gross Non-Performing Assets (GNPA) and Net Non-Performing Assets (NNPA) ratios declining to 6.38% and 0.92%, respectively, as at end-March 2023 from 20.16% and 1.36%,

जो मार्च 2023 के अंत में 97.94% के तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों सहित प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2022 के अंत के 97.62% से थोड़ा ऊपर होने से प्रदर्शित होता है .

आपके बैंक ने परिचालन लाभ में 17% की वृद्धि दर्ज की जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के ₹ 7,495 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर ₹ 8,736 करोड़ रहा. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में दर्ज किए गए ₹ 2,439 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 49% की वृद्धि दर्ज करते हुए सर्वकालिक रूप से अधिकतम ₹ 3,645 करोड़ का निवल लाभ रिपोर्ट किया.

मेरा दृढ़ विश्वास है कि अपने सभी हितधारकों के साथ मिलकर आपका बैंक अपने प्रगति पथ पर नई ऊंचाइयों को हासिल करता रहेगा.

आगे की राह

बैंकिंग क्षेत्र में आज बैंक की मजबूत स्थिति हाल के वर्षों में लागू की गई कारोबारी रणनीति को प्रतिबिंबित करती है. एक खुदरा बैंक के रूप में रणनीतिक स्थिति और बैंक द्वारा अपनी डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में किए गए पर्याप्त निवेश ने यह सुनिश्चित किया है कि आगे आने वाले वर्षों में बैंक दीर्घकालिक लाभप्रद संवृद्धि बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है. अन्य पक्ष और पूंजी बाजार उत्पादों की बिक्री के माध्यम से शुल्क आधारित आय में वृद्धि करते हुए बैंक, खुदरा जमाओं और ऋण में संवृद्धि करने की अपनी वर्तमान कारोबारी रणनीति की व्यापक रूपरेखा के अनुरूप परिचालन करता रहेगा. तेजी से बदल रहे परिचालनगत परिवेश को समझते हुए बैंक

respectively, as at end-March 2022. The Bank continued to maintain adequate provisions as is evidenced by the Provision Coverage Ratio (PCR), including Technical Write-Offs, of 97.94% as at end-March 2023 – marginally up from 97.62% as at end-March 2022.

Your Bank's operating profit amounted to ₹ 8,736 crore in FY 2022-23 – up by 17% from ₹ 7,495 crore in FY 2021-22. The Bank also reported an all-time high net profit of ₹ 3,645 crore in FY 2022-23, marking a growth of 49% over ₹ 2,439 crore in FY 2021-22.

I firmly believe that together, with all our stakeholders, your Bank will continue to scale new heights on its growth path.

The Way Forward

Today, the Bank's strengthening position in the banking space is a reflection of the business strategy that has been implemented in the recent years. The strategic position as a retail bank and the considerable investments made by the Bank in scaling up its digital capabilities have ensured that it is well-positioned to deliver consistent, long-term profitable growth for years to come. The Bank will continue to operate along the broad contours of its existing business strategy entailing growth in retail deposits and loans, while augmenting fee-based income through sales of third party and capital market products. The Bank, cognisant of the rapidly changing

मुस्तैद बना रहेगा और उभरते कारोबारी अवसरों में अपने लाभ को अधिकतम करने की अपनी रणनीति को अपनाएगा.

आभार

मैं भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और सभी सांविधिक एवं विनियामकीय प्राधिकारियों को उनके अमूल्य समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा. मैं निदेशक मंडल के प्रति भी उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा. मैं सभी समर्पित कर्मचारियों की कड़ी मेहनत की हृदय से सराहना करता हूँ जिनकी सहायता से बैंक की क्षमता का इष्टतम उपयोग संभव हुआ. मैं सभी ग्राहकों और शेयरधारकों का भी आभारी हूँ कि उन्होंने वर्षों से बैंक के प्रति निर्मित अपने विश्वास को बनाए रखा है और बैंक के साथ अपने रिश्ते को वर्षों से कायम रखा है जिससे अत्यंत कठिन परिस्थितियों से उबरने में सहायता मिली है. मेरा दृढ़ विश्वास है कि सभी हितधारकों के सहयोग से आपका बैंक प्रगति के पथ पर नई ऊँचाइयों को हासिल करता रहेगा .

शुभकानाओं सहित,

राकेश शर्मा

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

operating environment, will continue to remain agile and adapt its strategy to maximise its gains out of emerging business opportunities.

Acknowledgement

I would like to thank the Government of India (GOI), the Reserve Bank of India (RBI), the Life Insurance Corporation of India (LIC) and all statutory & regulatory authorities for their valuable support and co-operation. I would also like to express my gratitude to the Board of Directors for their guidance and support. I express sincere appreciation for all the dedicated employees for their hard work which helped in unlocking the potential of the Bank. I am also thankful to all the customers and shareholders for building and maintaining a relationship with the Bank over the years which has helped us to tide over even the most testing times. I firmly believe that together, with all our stakeholders, your Bank will continue to scale new heights on its growth path.

With best wishes,

Rakesh Sharma

Managing Director & CEO



**A true friend bats for
you and your future.**

Bank on us. Bank with us.

कुछ प्रमुख गतिविधियां
Some Major Events

विगत वर्ष की झलकियां *Glimpses of the past year*



बैंक के विभिन्न अंचलों में टाउन हॉल कार्यक्रम "आरोहण - द एसेंट" में स्टाफ सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ एवं अन्य वरिष्ठ कार्यपालक गण.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, and other senior executives addressing the staff at the Bank's town hall event, "Aarohan - The Ascent", across various Zones.



एसोचैम की 17वीं वार्षिक बैंकिंग समिट एंड अवार्ड्स में मध्यम आकार के बैंक श्रेणी में उधार, गैर उधार और समग्र चैम्पीअन की श्रेणियों में रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री एम राजेश्वर राव से, विजेता पुरस्कार ग्रहण करते हुए बैंक के उप प्रबन्ध निदेशक द्वय श्री सैमुअल जोसेफ और श्री सुरेश खटनहार.

Shri Samuel Joseph and Shri Suresh Khatanhar, DMDs of the Bank, receiving the winner award at the Assocham 17th Annual Banking Summit & Awards in the categories of Lending, Non Lending and Overall Champion for mid segment bank class, from RBI Deputy Governor Shri M Rajeshwar Rao.

श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अम्बेडकर जयंती के अवसर पर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, paying homage to Dr. Babasaheb Ambedkar on the occasion of Ambedkar Jayanti.



श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, आईडीबीआई बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक गण के साथ वित्तीय वर्ष 2022 के लिए नंबर 1 बैंक पार्टनर होने पर श्री एम. आर. कुमार, अध्यक्ष, एलआईसी से ट्रॉफी ग्रहण करते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, IDBI Bank along with senior executives of the Bank receiving the trophy for being No.1 Banca partner for FY 2022, from Shri M. R. Kumar, Chairperson, LIC.



स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित 'आजादी का अमृत महोत्सव' रैली में विभिन्न अंचलों से आईडीबीआई बैंक के स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया।

Staff members of IDBI Bank, across Zones, participated in the 'Azadi Ka Amrit Mahotsav' rally to commemorate the 75th year of Independence.

श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में नई दिल्ली में बैंक के अंचल कार्यालय का उद्घाटन करते हुए।

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, inaugurating the Bank's Zonal Office at New Delhi, in the presence of senior executives of the Bank and other dignitaries.



श्री सुरेश खटनहार, उप प्रबंध निदेशक, बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ग्वालियर, मध्य प्रदेश में बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करते हुए।

Shri Suresh Khatanhar, DMD, inaugurating the Bank's Regional Office at Gwalior, Madhya Pradesh, in the presence of senior executives of the Bank and other dignitaries.



श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक गण के साथ, 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' के अवसर पर सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, along with the senior executives of the Bank, administering the Integrity pledge on the occasion of 'Vigilance Awareness Week'.

श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में पटना, बिहार में बैंक के अंचल कार्यालय का उद्घाटन करते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, inaugurating the Bank's Zonal Office at Patna, Bihar, in the presence of senior executives of the Bank and other dignitaries.



बैंक की हिंदी गृह पत्रिका 'विकास प्रभा' को सुप्रसिद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था 'आशीर्वाद' द्वारा 'सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका' का पुरस्कार प्राप्त हुआ. यह पुरस्कार महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा प्रदान किया गया.

The Bank's in-house Hindi Magazine "Vikas Prabha" was awarded the 'Best in-house Magazine' citation from 'Aashirwad' – a renowned literary and cultural organization. The award was conferred by the Hon'ble Governor of Maharashtra, Shri Bhagat Singh Koshyari.

पुरस्कार एवं सम्मान Awards and Accolades

एसोचैम की 17वीं वार्षिक बैंकिंग समिट एंड अवार्ड्स में मध्यम आकार के बैंक वर्ग में उधार, गैर-उधार और समग्र चैम्पीअन की श्रेणियों में आईडीबीआई बैंक विजेता घोषित किया गया।



IDBI Bank was declared winner at the ASSOCHAM 17th Annual Banking Summit & Awards in the categories of Lending, Non-Lending and Overall Champion for mid segment bank class.

आईडीबीआई बैंक को इकोनॉमिक टाइम्स बेस्ट बीएफएसआई ब्रांड्स 2023 कॉन्क्लेव के छठे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ बीएफएसआई ब्रांड - 2023 में से एक के रूप में सम्मानित किया गया।



IDBI Bank was conferred as one of the Best BFSI Brands - 2023, at the 6th edition of the Economic Times Best BFSI Brands 2023 Conclave.

बैंक की त्रैमासिक हिंदी गृह पत्रिका 'विकास प्रभा' को सुप्रसिद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था 'आशीर्वाद' द्वारा 'सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका' का पुरस्कार प्रदान किया गया।



The Bank's in-house quarterly Hindi Magazine 'Vikas Prabha' was conferred with Best In-House Magazine citation from 'Ashirvad' - a renowned literary and cultural organization.

आईडीबीआई बैंक को यूएस डॉलर भुगतान के संबंध में स्ट्रेट थ्रू ऑनलाइन भुगतान पर कार्रवाई करने में परिचालन दक्षता और भुगतान संदेशों की गुणवत्ता के लिए जे.पी. मॉर्गन द्वारा स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) श्रेणी के अंतर्गत 'एलीट क्वालिटी रिकग्निशन अवार्ड 2022' से सम्मानित किया गया।



IDBI Bank was bestowed with 'Elite Quality Recognition Award 2022' under the Straight Through Processing (STP) category for US Dollar Payments by J. P. Morgan in recognition of its operational efficiency in processing straight through online payments and quality of payment messages.

बिजनेस मीडिया कंपनी, सिनेक्स ग्रुप द्वारा आयोजित इंडिया फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट समिट एंड अवार्ड्स 2023 में आईडीबीआई बैंक को दो पुरस्कारों अर्थात लीडर इन ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन और ऑनलाइन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट टीम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया।



IDBI Bank was conferred with two awards viz. Leader in Online Fraud Detection and Online Fraud Risk Management Team of the Year at the India Fraud Risk Management Summit & Awards 2023 organised by the Business Media Company, Synnex Group.

आईडीबीआई बैंक को ग्राहक केंद्रित डिजिटल नवाचार की दिशा में बैंक के प्रयास के प्रमाणस्वरूप, बैंकिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी कई पुरस्कार प्राप्त हुए

- इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से सर्वश्रेष्ठ इनोवेटिव मोबाइल ऐप का पुरस्कार (आईएमएआई).
- सॉफ्ट टोकन और कार्डलेस एटीएम के कार्यान्वयन के लिए तीसरे बीएफएसआई और फिनटेक कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2022 में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड.
- मोबाइल ऐप और सॉफ्ट टोकन के कार्यान्वयन के लिए स्मार्ट सीएक्स टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ईयर अवार्ड.
- वर्चुअल (कार्डलेस) एटीएम के लिए फिनोविटी अवार्ड 2023.
- 5वें इंडिया बीएफएसआई अवार्ड्स 2022 में 'मोबाइल ऐप' श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार.
- इंडिया बैंकिंग समिट एंड अवार्ड्स 2022 में डिजिटल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड.
- सीएक्स टेक्नोलॉजी समिट एंड अवार्ड्स 2023 द्वारा बेस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन बैंकिंग अवार्ड.



IDBI Bank also received multiple awards in the field of Banking Technology, in testament to the Bank's endeavour towards customer-centric digital innovation

- Award for Best Innovative Mobile App from Internet and Mobile Association of India (IAMAI).
- Innovative Technology Project of the Year award at 3rd BFSI and Fintech Conclave & Awards 2022 for implementation of Soft Token and Cardless ATM.
- Smart CX Technology Implementation of the Year award for implementation of Mobile App and Soft Token.
- Finnoviti Award 2023 for Virtual (Cardless) ATM.
- Award for excellence under 'Mobile App' category at the 5th India BFSI Awards 2022.
- Digital Bank of the Year award at India Banking Summit & Awards 2022.
- Best Digital Transformation in Banking Award by CX Technology Summit & Awards 2023.

वर्ष के दौरान, बैंक के जी-एलएमएस योजना ने चार पुरस्कार अर्थात् ग्राहक अनुभव/ संबंध में नवोन्मेषण की श्रेणी के अंतर्गत बीएफएसआई टेक समिट एंड अवार्ड्स 2022, वर्ष के डिजिटल भुगतान समाधान श्रेणी के तहत बीएफएसआई एंड फिनटेक कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2022, सामाजिक क्षेत्र में नवोन्मेषी पहल कार्य क्षेत्री के अंतर्गत ईलेट्स बीएफएसआई टेक इनोवेशन अवार्ड्स 2023 और वर्ष के अभिनव भुगतान पहल श्रेणी के अंतर्गत ईटी बीएफएसआई एक्सिलेंस अवार्ड्स 2023 प्राप्त किए.



The G-LMS product of the Bank has won four awards, viz. BFSI Tech Summit & Awards 2022 under category Innovation in Customer Experience/ Engagement, BFSI & Fintech Conclave & Awards 2022 under category Digital Payment Solution of the Year, Elets BFSI Tech Innovation Awards 2023 under category Innovative Initiative in Social Sector and ET BFSI Excellence Awards 2023 under category Innovative Payment Initiative of the Year.



निर्देशकों की रिपोर्ट
Directors' Report

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके बैंक के निदेशक मंडल को 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के कारोबार तथा परिचालनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में आई कमी से मोटे तौर पर उभरी लेकिन भू-राजनीतिक तनावों में वृद्धि से उत्पन्न नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोतरी हुई और इस प्रकार मौजूदा मुद्रास्फीति पर दबाव और बढ़ गया। बढ़े हुए मूल्यों के दबाव का सामना करने के लिए दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं ने मौद्रिक स्थिति को कठोर बनाना शुरू किया जिससे विश्वभर में ब्याज दरें बढ़ गईं। आर्थिक मंदी के डर के बीच कोविड-19 के मामलों में छिटपुट वृद्धि ने भी वैश्विक मांग को प्रभावित किया, जिसके कारण सीमा-पार व्यापारिक प्रवाहों में कमी आई। इन चुनौतियों के एक साथ आने से वर्ष के दौरान वैश्विक विकास की गति पर दबाव बना।

शेष दुनिया की तरह भारत ने भी इन चुनौतियों का सामना किया लेकिन अंतर्निहित शक्तियों की सहायता से अनेक बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर ढंग से सामना किया, जिनको हाल के वर्षों में व्यापक पहल एवं नीतिगत सुधारों के द्वारा प्रबलित किया गया है। महामारी के बाद की अवधि में आर्थिक कार्यकलापों के पुनरुत्थान में प्रमुख भूमिका सर्वाधिक असुरक्षित और महामारी से प्रभावित खण्डों के लिए अनुकूल नीतिगत प्रोत्साहन, उच्चतर सरकारी पूंजीगत खर्च, दबी हुई उपभोक्ता मांग में उन्मुक्तता, उच्चतर निवेश एवं क्षमता के उपयोग के साथ ही लोगों एवं माल के आवागमन में तेजी से सामान्य स्थिति की रही है। इसके परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अच्छी विकास दर बनी रही। इसके साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक बना रहा। वर्ष 2022 में

भारत 3.4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की सांकेतिक जीडीपी के साथ विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी उभरा।

समष्टि आर्थिक स्थितियों में सुधार से प्रभावित हो कर बैंकिंग क्षेत्र ने अपनी वित्तीय स्थिति को और सुदृढ़ किया तथा अपने कार्यनिष्पादन में अनवरत सुधार देखा। सुदृढ़ तुलनपत्रों एवं पर्याप्त पूंजी स्थितियों के बल पर बैंक अर्थव्यवस्था में बढ़ती ऋण मांग को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में थे। बेहतर आर्थिक संभावनाओं ने सभी खण्डों से ऋण वृद्धि में व्यापक तेजी देखी गई। हालांकि दर चक्र ऊपर की ओर था, लेकिन उच्चतर क्षमता उपयोग और उच्चतर कॉरपोरेट लाभप्रदता के कारण ऋण मांग अच्छी रही। जमाराशियों पर ब्याज दरें भी मौद्रिक नीतिगत दर के अनुरूप बढ़ रही हैं, जिससे निवेश अवसर के रूप में बैंक जमाराशियों के पक्ष में नवीकृत परिवर्तन देखा गया। यह अर्थव्यवस्था में जमाराशियों में वृद्धि में सहायता कर रहा है। जमाराशियों एवं ऋण में सुदृढ़ वृद्धि से भारत में अधिकांश बैंकों ने वर्ष के दौरान वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार दर्ज किया है।

अनुकूल कारोबारी परिवेश का लाभ उठाकर आपके बैंक ने अनेक रणनीतिक उपाय अपनाये जिन्होंने इसको वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय एवं परिचालन संबंधी मापदण्डों में और सुधार दर्ज करने में सहायता की है।

वित्तीय विशेषताएं

31 मार्च 2023 को आपके बैंक की कुल जमाराशियां और अग्रिम क्रमशः ₹2,55,499 करोड़ तथा ₹1,62,568 करोड़ हो गये। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं नीचे तालिका में दी गई हैं:

प्रमुख वित्तीय विशेषताएं

(₹ करोड़ में)

	यथा 31 मार्च 2022	यथा 31 मार्च 2023
पूंजी	10,752	10,752
रिजर्व और अधिशेष	30,910	34,566
जमाराशियां	2,33,134	2,55,499
उधार राशियां	14,345	12,638
अन्य देयताएं और प्रावधान	12,462	17,047
कुल देयताएं	3,01,603	3,30,502
नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	27,796	16,639
बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	7,915	12,646
निवेश	82,988	99,690
अग्रिम	1,36,955	1,62,568
अचल और अन्य आस्तियां	45,949	38,959
कुल आस्तियां	3,01,603	3,30,502
इस अवधि में	2021-22	2022-23
कुल आय	22,982	24,942
कुल व्यय (प्रावधानों को छोड़कर)	15,487	16,206
प्रावधान (कर को छोड़कर)	3,887	3,498
कर पूर्व लाभ/ (हानि)	3,609	5,238
कर के लिए प्रावधान	1,169	1,593
कर पश्चात् लाभ/ (हानि)	2,439	3,645

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक की कुल आय ₹ 24,942 करोड़ रही जिसमें ₹ 20,570 करोड़ की ब्याज आय और ₹ 4,372 करोड़ की अन्य आय शामिल है. ₹ 16,206 करोड़ के कुल व्यय (प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं को छोड़कर) में ब्याज व्यय ₹ 9,139 करोड़ और परिचालनगत व्यय ₹ 7,067 करोड़ रहा.

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निवल ब्याज आय (एनआईआई) में वृद्धि और प्रावधानों में कमी (कर व्यय को छोड़कर) के कारण बैंक ने ₹ 3,645 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया.

जहां वर्ष के दौरान प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) ₹ 3.39 रहा, वहीं 31 मार्च 2023 को प्रति शेयर बही मूल्य (अमूर्त आस्तियों और आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) को छोड़कर) ₹ 23.67 रहा.

निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के प्रत्येक ₹ 10 के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों पर ₹ 1 (केवल एक रुपया) के लाभांश की सिफारिश की है जो वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है.

31 मार्च 2023 को समेकित वित्तीय विवरण में शामिल सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यम के कार्य-निष्पादन और वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट

संस्था का नाम	निवल आस्तियां अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर		लाभ या हानि में हिस्सा	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)
मूल: आईडीबीआई बैंक लि.	97.55%	45,318.48	98.35%	3,645.09
सहायक संस्थाएं:				
भारतीय:				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि.	0.71%	330.09	0.22%	8.26
2. आईडीबीआई इंटेक लि.	0.24%	110.95	0.36%	13.27
3. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि.	0.29%	134.49	0.34%	12.67
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.	0.00%	1.72	0.00%	0.04
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.	0.66%	305.70	1.31%	48.37
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हिस्सेदारों का हिस्सा	0.30%	138.48	0.59%	21.91
सहयोगी संस्थाएं (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश#)				
भारतीय:				
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-
2. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	1.11%	41.13
3. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-
4. पाण्डिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
संयुक्त उद्यम (आनुपातिक समेकन के अनुसार/ इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
भारतीय:				
1. एजीस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सितम्बर 20, 2022 तक समेकित)	लागू नहीं	लागू नहीं	0.12%	4.36
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	99.75%	46,339.92	101.22%	3,751.27
विलोपन	0.25%	117.81	(1.22%)	(45.21)
निवल कुल	100.00%	46,457.73	100.00%	3,706.06

टिप्पणी: उपर्युक्त किसी भी सहायक कंपनियों की कोई सहायक कंपनी नहीं है.

- चार सहयोगी कंपनियों में से एक सहयोगी कंपनी के वित्तीय परिणाम अर्थात् नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. (26.10%) के लेखे 31 दिसंबर 2022 तक के समेकित वित्तीय परिणामों में शामिल किए गए हैं; दो सहयोगी संस्थाओं अर्थात् पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (25%) तथा बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि. (27.93%) के लेखे 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए समेकित वित्तीय परिणामों में शामिल किए गए हैं; पाण्डिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि. (21.14%) के संबंध में निवेश को बट्टे खाते डाल कर ₹ 1 कर दिया गया है. समेकित वित्तीय परिणामों पर सहयोगी कंपनियों का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है.

निदेशकों की रिपोर्ट

आईडीबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो वित्तीय वर्ष के अंत और बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख के दौरान उत्पन्न हुई हों :

बैंक के वित्तीय वर्ष के अंत में अर्थात् 31 मार्च 2023 को और निदेशकों की रिपोर्ट की तारीख के बीच बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं थीं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता से संबंधित विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में यह दर्शाया जाना चाहिए कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में क्या बैंक के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) प्रणाली उपलब्ध है तथा ऐसे नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता कितनी है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) में संदर्भित आईएफसी से आशय वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसीओ-एफआर) से है। बैंक का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर बैंक में स्थापित उन मानदंडों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आईएफसीओ-एफआर के लेखापरीक्षण पर दिशानिर्देश नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए बनाए गए हैं। इन जिम्मेदारियों में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यान्वयन व रखरखाव शामिल है, जो बैंक की नीतियों के अनुपालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम व पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता और सक्षमता तथा कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना की सामयिक तैयारी करने सहित अपने कारोबार के नियमानुसार व प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे। आपके बैंक ने मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन के लिए आईएफसीओ-एफआर रूपरेखा तैयार की है और दस्तावेजीकरण, प्रमाणन, सभी कारोबार वर्टिकलों/ विभागों के नियंत्रण की रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुपालन के वैधीकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में सभी महत्वपूर्ण संदर्भों में बैंक में नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सलाहकार को नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक के आईएफसीओ-एफआर रूपरेखा के अनुसार सभी अंतर्निहित प्रक्रियाओं के परीक्षण और वैधीकरण के पश्चात् सलाहकार ने जून 2022, सितम्बर 2022, दिसंबर 2022 और मार्च 2023 को समाप्त तिमाहियों का आंतरिक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सलाहकार ने 591 जोखिम नियंत्रण मानकों के अनुपालन की समीक्षा की तथा आगे अनुपालन हेतु सात टिप्पणियाँ की हैं जिसमें से बैंक ने चार का निराकरण कर अनुपालन कर दिया है। शेष बची तीन टिप्पणियों का अनुपालन सुनिश्चित कर बंद करने के लिए बैंक आवश्यक

कार्रवाई कर रहा है।

प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों (अर्थात् गत वित्तीय वर्ष की तुलना में 25% या अधिक बदलाव) का विवरण तथा उन पर विस्तृत स्पष्टीकरण:

विवरण	2021-22	2022-23	टिप्पणियाँ
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.84%	1.20%	वित्तीय वर्ष 2021-22 में हुए ₹ 2,439 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 3,645 करोड़ का निवल लाभ हुआ है।
ऋण इक्विटी अनुपात (अमूर्त को छोड़कर)	0.73%	0.50%	भारत और भारत के बाहर उधार राशियों में ₹ 1,707 करोड़ की उल्लेखनीय कमी आई और नेट वर्थ में ₹ 5,726 करोड़ की वृद्धि हुई।
निवल एनपीए अनुपात	1.36%	0.92%	निवल एनपीए में ₹ 369 करोड़ की कमी आई और निवल अग्रिमों में ₹ 25,613 करोड़ की वृद्धि हुई।
सकल एनपीए अनुपात	20.16%	6.38%	बैंक के सकल एनपीए में ₹ 23,146 करोड़ की कमी आई।

पूंजी पर्याप्तता

31 मार्च 2023 को आपके बैंक का 'कुल पूंजी + सीसीबी अनुपात 11.50% की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा की तुलना में 20.44% था। इसी प्रकार आपके बैंक का 'सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) + सीसीबी' अनुपात 8.00% की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 18.08% रहा। 31 मार्च 2023 को आपके बैंक का 'टियर 1 + सीसीबी' अनुपात 9.50% की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 18.08% रहा। 31 मार्च 2023 को आपके बैंक का लीवरेज अनुपात 3.50% की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा की तुलना में 7.86% रहा।

कारोबार रणनीति

उभरते अवसरों और संभाव्य चुनौतियों के मद्देनजर बैंक ने अपने टर्नअराउंड के लिए परिकल्पित कारोबार रणनीति की व्यापक रूपरेखा का अनुसरण

करना जारी रखा. आपके बैंक की सुनियोजित टर्नअराउंड रणनीति ने अपनी वित्तीय और परिचालन स्थिति में त्वरित और व्यापक सुधार सुनिश्चित करने में सहायता की. बैंक की प्रमुख रणनीति लाभदायक कारोबार के विकास को प्रबल करना था, वहीं पर्याप्त प्रावधानों के साथ पूंजी की अच्छी स्थिति की बढ़ौलत सुदृढ़ तुलनपत्र सुनिश्चित करना था. बढ़ती ऋण मांग को पूरा करने के लिए बैंक ने कम लागत वाली जमाराशियों अर्थात् कासा एवं खुदरा मीयादी जमाराशियों को बढ़ाने के लिए टोस प्रयास किये और थोक जमाराशियों में वृद्धि ने इसमें सहयोग किया. खुदरा एवं भलीभांति विशाखीकृत आस्ति पोर्टफोलियो को लक्ष्य बना कर बैंक ने आरएएम (खुदरा, कृषि और एमएसएमई) को उधार बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया. साथ ही, बैंक ने अच्छी रेटिंग वाले कॉर्पोरेट को चुनिंदा आधार पर सहायता प्रदान कर कॉर्पोरेट को अपनी उधार को सावधानीपूर्वक बढ़ाया. बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कर्मचारियों, एजेंटों और एलआईसी की सहायक संस्थाओं की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतरीन, नवोन्मेषी, विशिष्ट आवश्यकतानुरूप योजनाएं एवं सेवाएं ऑफर कर अपने कारोबार को बढ़ाने और फीस आय में वृद्धि करने के लिए एलआईसी के साथ अपने संबंध से उत्पन्न कारोबार सहयोग का भी उपयोग किया. बैंक के रणनीतिक प्रयास इसे जमाराशियों की लागत और निधियों की लागत को प्रतिस्पर्धी स्तर पर बनाये रखने में सहायता की. अर्जक आस्तियों में वृद्धि ने वर्ष के दौरान निवल ब्याज मार्जिन में वृद्धि दर्ज करने में सहायता की. बैंक के कठोर ऋण मूल्यांकन और ऋण निगरानी मानकों ने भी गिरावट को प्रबंधनीय स्तर पर बनाये रखने में सहायता की. बैंक ने अपने चूकगत आस्ति पोर्टफोलियो में दबाव के समाधान के लिए विभिन्न विधिक और विनियामक माध्यमों के जरिये वसूली एवं उन्नयन प्रयासों को बढ़ाया है.

अपनी कारोबार रणनीति के पूरक के रूप में बैंक ने ग्राहक-केन्द्रित पहलकार्यों पर ध्यान देकर अपने सभी ग्राहकों के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित किया. ग्राहक सुविधा एवं सहजता पर बल देकर बैंक ने अपने भौतिक शाखा नेटवर्क को बढ़ाकर और डिजिटल चैनलों जैसे मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग में कार्यात्मकता जोड़कर अपने ग्राहकों की सुलभता को बढ़ाने पर ध्यान दिया. बैंक ने ग्राहक की खुशी सुनिश्चित करने के अपने प्रयोजन के हिस्से के रूप में अपने ग्राहकों के लिए सुलभ बहुचैनल लेनदेन अनुभव सृजित करने का भी प्रयास किया. अपने मौजूदा प्रस्तावों पर पुनःविचार कर और नई सेवाएं शुरू कर बैंक ने सुनिश्चित किया कि इसकी योजनाओं एवं सेवाओं की पहुंच अपने ग्राहकों की उभरती जरूरतों एवं पसन्दों के अनुरूप है.

सतत एवं स्थायी कारोबार विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बैंक अपने सभी कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यकलापों में बेहतरीन पद्धतियों को समाहित करने के लिए प्रोत्साहित कर सुदृढ़ जोखिम और अनुपालन संस्कृति को संचालित कर रहा है. इसके अलावा, बैंक कॉर्पोरेट अभिशासन में उच्चतम मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक अपने सभी हितधारकों के विश्वास को बनाये रखने के लिए अपने सभी कार्यों में निष्पक्षता, नैतिकता और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और सर्वाधिक विश्वसनीय एवं पसंदीदा बैंक के रूप में स्थापित कर रहा है.

बैंक द्वारा किये गये रणनीतिक उपाय, साथ ही प्रक्रिया और योजनाओं में सतत सुधारों ने इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपने परिचालन एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन में व्यापक सुधार रिपोर्ट करने में सहायता की.

मुख्य कारोबारी पहल-कार्य

एक संगठन के रूप में आपका बैंक अपनी कारोबारी रणनीति के मूल में ग्राहकों को रखता है और वर्ष के दौरान अनेक ग्राहक-केन्द्रित कारोबारी पहलकार्य किये हैं. बैंक ने देशभर में फैले अपने विविध ग्राहक आधार से जुड़ने के लिए 1,928 शाखाओं, 3,334 एटीएमों और 58 ई-लाउंजों के अपने भौतिक स्पर्श-बिंदुओं के साथ ही डिजिटल चैनलों को बढ़ाया है. परंपरागत योजनाएं एवं सेवाएं ऑफर करने के साथ आपका बैंक अपने ग्राहकों को नवोन्मेषी बैंकिंग और वित्तीय समाधान भी ऑफर कर रहा है. हमेशा परिवर्तनशील कारोबारी परिदृश्य को ध्यान में रख कर बैंक अपने मौजूदा योजनाओं एवं कारोबारी प्रक्रियाओं की समीक्षा कर रहा है और ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए इनमें सुधार कर रहा है. आपका बैंक अपने ग्राहकों की जोखिम रूपरेखा और वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की मूल्यवर्धित योजनाएं एवं सेवाएं भी ऑफर कर रहा है. इसके अलावा, बैंक अपने सभी ग्राहकों के लिए महामारी-प्रेरित डिजिटल स्वीकरण को तेज गति से पूरा करने और निर्बाध, संपर्कहीन, सुविधाजनक, सुरक्षित 'कभी भी कहीं भी' बैंकिंग अनुभव के लिए अपनी डिजिटल बुनियादी संरचना को बढ़ाने के लिए सक्रिय उपाय कर रहा है. आपका बैंक डिजिटल चैनलों जैसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल (भौतिक और डिजिटल, दोनों), इंटरनेट पेमेंट गेटवे, एटीएम, आदि की व्यापक श्रृंखला के जरिये चौबीस घंटे विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है. इसके अलावा, आपका बैंक इन डिजिटल ऑफरों के उपयोग को बढ़ाने के साथ ही डिजिटल रूप में बैंकिंग लेनदेन करते समय सुरक्षित बैंकिंग पद्धतियों के संबंध में अपने ग्राहकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए टोस प्रयास कर रहा है.

खुदरा केन्द्रित बैंक के रूप में अपनी अभीष्ट स्थिति के प्रति सही होने के लिए आपका बैंक अन्य योजनाओं के साथ आवास ऋण (एचएल), संपत्ति पर ऋण (एलएपी), वैयक्तिक ऋण (पीएल), शिक्षा ऋण (ईएल), ऑटो ऋण (एएल), प्रतिभूतियों पर ऋण (एलएस) जैसे खुदरा केन्द्रित योजनाओं की पूरी श्रृंखला ऑफर कर उत्तरोत्तर बड़े खुदरा ग्राहक आधार की जरूरतों को पूरा कर रहा है. आपके बैंक ने ऋण प्रोसेसिंग में त्वरित कार्रवाई समय सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित ऋण प्रोसेसिंग प्रणाली (एएलपीएस) शुरू की है. इसके अलावा, आपके बैंक ने डेटा विश्लेषण के व्यापक उपयोग और ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) साधनों के द्वारा ग्राहक जुड़ाव दृष्टिकोण को बढ़ाने में लगा रहा.

आपके बैंक ने कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उल्लेखनीय योगदान देना जारी रखा. आपका बैंक समाज के असुविधाप्राप्त और अल्प-सुविधाप्राप्त वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अपने कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार

निदेशकों की रिपोर्ट

सुलभकर्ता (बीएफ) नेटवर्क चैनल का भी लाभ उठा रहा है। आपका बैंक उचित एवं पारदर्शी ढंग से वहनीय लागत पर अपेक्षित वर्गों को वित्तीय योजनाओं एवं सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित कर वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सक्रिय रहा है। इसके लिए बैंक ने अन्य के साथ-साथ सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में ऋण प्रदान किये हैं और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और भारत सरकार के पहलकार्यों तक पहुंच सुनिश्चित किया है।

जहां खुदरा पोर्टफोलियो अर्थात् खुदरा, कृषि और एमएसएमई पर कारोबारी ध्यान केन्द्रित रहा, वहीं बैंक अपनी समग्र कारोबारी रणनीति के अनुरूप अपनी कॉरपोरेट ऋण बही में अंशकित वृद्धि को भी लक्ष्य बना रहा है। इसके लिए आपके बैंक का अपने कॉरपोरेट पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए अच्छी रेटिंग वाले कॉरपोरेट खातों के नये अधिग्रहण पर फोकस कर रहा है। इसके अलावा, आपके बैंक का मंजूर निधि-आधारित और गैर निधि-आधारित सीमाओं के उपयोग को बढ़ाकर ब्याज और फीस-आधारित आय बढ़ाने का भी लक्ष्य है तथा अपने मौजूदा संबंधों को गहरे कर योजनाओं की प्रति बिक्री भी करनी है।

विवेकपूर्ण उपाय के रूप में आपका बैंक जहां अपनी आस्ति बही को बढ़ा रहा है वहीं आस्तियों में नई गिरावटों को कम करने के लिए गिरावट पर गहन निगरानी के द्वारा अपनी आस्ति गुणवत्ता को बनाये रखने पर भी ध्यान केन्द्रित कर रहा है। इसके साथ ही, आपका बैंक अपने मानक अग्रिमों की ऋण बही को बढ़ाने के साथ अपनी दबावग्रस्त आस्तियों और एनपीए मामलों को अपग्रेड या समय पर समाधान लागू करने का भी प्रयास कर रहा है।

आपका बैंक अपने कॉरपोरेट और खुदरा ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर लेनदेन बैंकिंग की विभिन्न योजनाएं एवं सेवाएं ऑफर करता है। आपका बैंक अपने कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म का भी विकास और सुधार कर रहा है, साथ ही ग्राहक जुड़ाव को बढ़ाने और ट्रेड परिचालन प्रक्रिया के प्रत्येक कदम को निर्बाध और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल ट्रेड प्रोसेसिंग भी ऑफर कर रहा है। आपके बैंक ने धोखाधड़ी पर चौबीस घंटे निगरानी रखने के लिए समुचित परिचालन एवं अनुपालन अलर्ट की व्यवस्था शुरू की है।

आपका बैंक केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की प्राप्ति और भुगतान लेनदेनों को संभालने के लिए रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है। आपका बैंक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की देय राशियों का ऑनलाइन संग्रहण करने में सक्षम है। आपका बैंक केन्द्र सरकार के करों की वसूली करने, लघु बचत योजनाएं ऑफर करने और केन्द्रीय नागरिक, रक्षा और रेलवे पेंशन का वितरण करने के लिए भी अधिकृत है। आपके बैंक ने प्रत्यक्ष करों की वसूली के लिए अधिक उन्नत और सुरक्षित मॉडल अर्थात् कर सूचना नेटवर्क (टिन) 2.0 को भी लाइव किया है।

आपके बैंक ने विभिन्न बाजार खण्डों जैसे मुद्रा बाजार, नियत आय, विदेशी मुद्रा, डेरिवेटिव और इक्विटी में ट्रेजरी परिचालनों को समेकित किया है। आपके बैंक की ट्रेजरी की सहायता के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय, नियत आय और इसके कॉरपोरेट के साथ-साथ खुदरा ग्राहकों के लिए डेरिवेटिव योजनाओं के प्रभावी विपणन और मुद्राओं में एक्सपोजरों का प्रभावी तरीके से प्रबंध करने के लिए उन्हें समाधान उपलब्ध करने के लिए और ऋण लिखतों में निवेश समाधान के लिए उनको सलाह देने के लिए पूरे देश में बिक्री टीम है।

इन कारोबारी पहलकार्यों के अलावा आपके बैंक ने अपने समग्र कारोबारी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए परिचालन और प्रक्रिया सुधार करना भी जारी रखा। इसके अलावा, अपने कारोबारी परिचालनों में सहायता करने के लिए बैंक अपने आईटी की बुनियादी संरचना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दोनों में प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष, उन्नयन और सुधार में नियमित प्रगति कर रहा है।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए पहल कार्यों का विस्तृत ब्योरा वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिया गया है।

बैंक के कारोबार पर कोविड -19 महामारी का प्रभाव

वैश्विक महामारी कोविड-19 वाइरस ने विगत दो से तीन वर्षों में विश्वभर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 महामारी की नई लहर बैंक के परिचालनों और आस्ति गुणवत्ता को और कितनी प्रभावित करेगी यह वर्तमान और भावी घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा, जो इस समय अनिश्चित है। बैंक प्रबंधन ग्राहकों द्वारा चूक में वृद्धि की संभावना, प्रावधानीकरण अपेक्षाओं में तदनुसूची वृद्धि सहित इस संबंध में घटनाक्रमों की गहनता से निगरानी कर रहा है और उसे कम करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।

निदेशक मंडल

आपके बैंक के निदेशक मंडल का आधार व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013, बैंक के संस्था अंतर्नियम के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर विनियम) में उल्लिखित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं द्वारा अभिशासित है। बोर्ड, बैंक के महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में संकेंद्रित अभिशासन प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही बोर्ड की विभिन्न गठित समितियों के माध्यम से कार्य करता है। संस्था के अंतर्नियम के अनुसार निदेशक मंडल में तीन से कम और पंद्रह से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, जिनमें बोर्ड द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक पूर्णकालिक एमडी एवं सीईओ और दो डीएमडी, एलआईसी के दो नामिती निदेशक, भारत सरकार के दो नामिती निदेशक और आठ गैर-आवर्तनीय स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष तथा एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) शामिल हैं।

31 मार्च 2023 को बोर्ड में पंद्रह निदेशक यथा श्री टी.एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक और अंशकालिक अध्यक्ष; श्री राकेश शर्मा, एमडी और सीईओ; श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज और श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, पूर्ण कालिक निदेशक के रूप में; श्री मनोज सहाय और श्री सुशील कुमार सिंह, सरकार के नामिती निदेशक; श्री मुकेश कुमार गुप्ता और श्री राज कुमार, गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में एलआईसी के नामिती निदेशक; स्वतंत्र निदेशकों के रूप में श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन. जम्बुनाथन, श्री दीपक सिंघल, श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर और श्रीमती पी.वी. भारती शामिल थे। बोर्ड में शामिल 15 (पंद्रह) निदेशकों की वर्तमान संख्या संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 114 (ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है।

शीर्ष समितियां

आपके बैंक के कारोबार और परिचालनों के विभिन्न कार्य पहलुओं की देख-रेख करने के लिए बोर्ड की कुल तेरह समितियां हैं। बोर्ड की समितियों में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, कार्यपालक समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, मानव संसाधन संचालन समिति, धोखाधड़ी निगरानी समिति, वसूली समीक्षा समिति, जोखिम प्रबंध समिति, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति, ग्राहक सेवा समिति, इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति तथा सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति शामिल हैं।

कॉरपोरेट अभिशासन

आपका बैंक कॉरपोरेट अभिशासन की सर्वोत्तम पद्धतियां अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक की मान्यता है कि प्रभावी कॉरपोरेट अभिशासन सिर्फ विनियामक अनुपालन की आवश्यकता मात्र नहीं है बल्कि शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि सहित उत्कृष्ट अभिशासन के लिए एक सुसाध्यकारक भी है। आपके बैंक की कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों का विस्तृत विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अंतर्गत एक अलग खंड के रूप में दिया गया है।

कारोबार दायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने 5 मई 2021 के अपने परिपत्र द्वारा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम,

2015 को संशोधित किया है। संशोधन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 से बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष एक हजार सूचीबद्ध संस्थाओं को 10 मई 2021 के सेबी के परिपत्र में निर्दिष्ट प्रारूप में कारोबार दायित्व और संवहनीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है। बीआरएसआर सभी कंपनियों, क्षेत्रों और समय में तुलनीयता के लिए ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन) के बारे में गुणात्मक और मानकीकृत प्रकटन करने के लिए अभीष्ट है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की बैंक की बीआरएसआर बैंक की वेबसाइट (<https://www.idbibank.in/business-responsibility-and-sustainability-report.aspx>) पर प्रदर्शित की गई है।

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अंतर्गत विवरण

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान आपके बैंक में सेवारत एक कार्मिक को ₹ 1.02 करोड़ से अधिक का वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, बैंक की सेवा में वर्ष के किसी हिस्से में ऐसा कोई कार्मिक नहीं था जिसे प्रतिमाह ₹ 8.50 लाख से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष अथवा उसके किसी हिस्से के दौरान ऐसा कोई कार्मिक नियोजित नहीं किया गया जिसे बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशकों द्वारा आहरित कुल पारिश्रमिक की दर से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो और जिसके पास स्वयं अथवा जिसके पति/ पत्नी और आश्रित बच्चों के साथ मिलाकर बैंक के 2.0% इक्विटी शेयर से अधिक शेयर धारित हों।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत विवरण- शीर्ष दस कर्मचारियों का ब्योरा

क्र. सं.	नाम	पदनाम	प्राप्त वार्षिक पारिश्रमिक (₹)	नियोजन की प्रकृति, यह संविदागत है अथवा अन्य प्रकार का है	कर्मचारी की अर्हता और अनुभव	नियोजन शुरू करने की तारीख	ऐसे कर्मचारी की आयु	कंपनी में आने से पूर्व ऐसे कर्मचारी द्वारा धारित पिछला नियोजन
1.	श्री राकेश शर्मा	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	16256834.41	कर्मचारी	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और सीएआईआईबी आईडीबीआई बैंक में अनुभव: 4 वर्ष 5 माह	10-10-2018	64	केनरा बैंक
2.	श्री सुरेश खटनहार	उप प्रबंध निदेशक	9355140.22	कर्मचारी	एम. कॉम, सीएआईआईबी एवं आईसीडब्ल्यूए आईडीबीआई बैंक में अनुभव: 25 वर्ष 9 माह	23-06-1997 [#]	59	देना बैंक
3.	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	उप प्रबंध निदेशक	9245994.16	कर्मचारी	बीएससी, एमबीए और एफआरएम आईडीबीआई बैंक में अनुभव: 3 वर्ष 6 माह	20-09-2019	54	एग्जिम बैंक
4.	श्री सौरव कुमार दत्ता	प्रमुख-आईटी	8236770.89	संविदात्मक	बीई, एमई, एमबीए, पीएचडी आईडीबीआई बैंक में अनुभव: 1 वर्ष 6 माह	01-09-2021	55	पेबैक - अमेरिकन एक्सप्रेस

निदेशकों की रिपोर्ट

क्र. सं.	नाम	पदनाम	प्राप्त वार्षिक पारिश्रमिक (₹)	नियोजन की प्रकृति, यह संविदागत है अथवा अन्य प्रकार का है	कर्मचारी की अर्हता और अनुभव	नियोजन शुरू करने की तारीख	ऐसे कर्मचारी की आयु	कंपनी में आने से पूर्व ऐसे कर्मचारी द्वारा धारित पिछला नियोजन
5.	श्री अरुण कुमार बंसल	प्रमुख-ट्रेजरी	7416015.68	संविदात्मक	बी.कॉम, एम.कॉम आईडीबीआई बैंक में अनुभव: 10 महीने	15-06-2022	52	इंडियन बैंक
6.	श्री अजय शर्मा	सलाहकार, मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण	6773611.81*	संविदात्मक	एमबीए, एम.कॉम., आईसीडबल्यूए (इंटर) और सीएआईआईबी आईडीबीआई बैंक में अनुभव: 5 महीने	14-11-2022	60	आईडीबीआई बैंक लि.
7.	श्री धीरज सक्सेना	प्रमुख - डिजिटल बैंकिंग एवं उभरते भुगतान	6165205.28	संविदात्मक	बीएससी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमबीए, आईडीबीआई बैंक में अनुभव: 1 वर्ष 6 माह	02-09-2021	48	एल एंड टी फाइनेंशियल सर्विसेज
8.	श्री जॉर्जी एम चाको	कार्यपालक निदेशक	5995711.20	कर्मचारी	बी.कॉम, एम.कॉम., एनसीएफएम, एएमएफआई म्यूच्युअल फंड (सलाहकार) मॉड्युल, सीएआईआईबी, एनसीएफएम-एनएसडीएल डिपॉजिटरी परिचालन मॉड्युल आईडीबीआई बैंक में अनुभव: 22 वर्ष 10 माह	20-05-2000	59	फेडरल बैंक लि.
9.	श्री पद्मभूषण बहादुरे	मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी	5789338.71	संविदात्मक	बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, प्रबंध कार्यक्रम, स्नातकोत्तर डिप्लोमा आईडीबीआई बैंक में अनुभव: 3 वर्ष 7 माह	01-08-2019	46	भारतीय स्टेट बैंक
10.	श्री राजीव कुमार	कार्यपालक निदेशक	5718876.29	कर्मचारी	बी.टेक. एमबीए, सीएआईआईबी, डी-बेस एवं कोबोल में प्रमाणपत्र आईडीबीआई बैंक में अनुभव: 29 वर्ष 6 माह	17-09-1993	60	भारतीय स्टेट बैंक

नोट:

बैंक में श्री सुरेश खटनहार का उप प्रबंध निदेशक के रूप में वर्तमान पदनाम के प्रारंभ होने की तारीख 15 जनवरी 2020 है.

* वेतन में श्री अजय शर्मा को 31 अक्टूबर 2022 तक कार्यपालक निदेशक के रूप में और 14 नवंबर 2022 से सलाहकार - मानव संसाधन और प्रशिक्षण के रूप में किया गया भुगतान शामिल है.

- आयकर नियमों के अनुसार पारिश्रमिक में मूल वेतन, भत्ते, अनुलाभ शामिल हैं लेकिन कर्मचारी का पीएफ/पेंशन में अंशदान, गैर-मौद्रिक अनुलाभ कर और उपचित सेवानिवृत्ति लाभ शामिल नहीं हैं.

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा व्यय

क) ऊर्जा संरक्षण

बैंक ऊर्जा संरक्षण के लिए कई पहलकार्य कर रहा है. बैंक ने विभिन्न परिसरों में बिजली की बचत करने के लिए पारंपरिक लाइट फिक्सचर के स्थान पर ऊर्जा की बचत वाले लाइट फिक्सचर, लैम्प और ट्यूब लगाये हैं. बैंक कुछ नई शाखाओं/अंचल कार्यालयों (जेडओ) में इन्वर्टर टाइप/ वेरिएबल रेफ्रिजरेट फ्लो (वीआरएफ) ऊर्जा की खपत

कम करने के लिए एयर-कंडीशनरों (ए.सी.) का उपयोग कर रहा है. स्थानीय विद्युत बोर्डों की जरूरतों के आधार पर ऊर्जा की बचत करने के लिए बैंक ने अपनी कुछ अंचल कार्यालयों और कुछ महानगरीय शाखाओं में स्वचालित पावर फैक्टर कंट्रोल (एपीएफसी) स्थापित किये हैं.

ख) प्रौद्योगिकी समावेशन

आपका बैंक उन प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों का सक्रिय रूप से मूल्यांकन और समावेशन करता रहा है जिनमें उसके व्यावसायिक कार्यों को सशक्त बनाने, उसके ग्राहकों के अनुभव को समृद्ध करने और

भविष्य के अवसरों और चुनौतियों के प्रति उसकी तैयारी को इष्टतम बनाने की क्षमता हो।

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने उद्योग मानक प्रौद्योगिकियों के दूसरे चरण के पहलकार्य के साथ अपने आईटी की बुनियादी संरचना को और मजबूत किया है जिसमें डेटा सेंटर (डीसी) एवं डिजास्टर रिकवरी (डीआर) साइट दोनों स्थानों पर नेक्स्ट जेनरेशन सिक्वोरिटी ओपरेशंस सेंटर (एसओसी) स्थापित करने हेतु अतिरिक्त शाखाओं के लिए साफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क (एसडी-डब्ल्यूएएन), आधुनिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी ((सिक्वोरिटी ओर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन एंड रेस्पॉस (एसओएआर), नेटवर्क बिहेवियर एनामली डिटेक्शन (एनबीएडी), पैकेट कैप्चर (पीसीएपी), यूजर एंड एंटीडी बिहेवियर एनालिटिक्स (यूईबीए) एवं थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (टीआईपी)) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आपके बैंक ने आईटी परिचालन प्रबंध के लिए उद्यम समाधान लागू किया है और एकीकृत संग्रहण एवं वसूली मॉड्यूल (आईसीएनआरएम) के कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में है।

आपके बैंक ने कार्य निष्पादन और लचीलेपन में सुधार लाने के लिए कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) में रियल एप्लिकेशन क्लस्टर (आरएसी) लागू किया है। आपके बैंक ने आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर संसाधनों के समयबद्ध प्रावधान के लिए व्यवसाय की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने हेतु समूचे प्राइवेट क्लाउड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया है। आपके बैंक ने नवीनतम एनालिटिक्स समाधान तैनात कर दिया है जिसमें नवीनतम स्टोरेज और सर्वर हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है। विभिन्न रिपोर्टिंग के लिए और कारोबारी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए आधुनिक एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस स्थापित करने हेतु आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। आपका बैंक महत्वपूर्ण आईटी प्रणालियों के लिए आवधिक रूप से आपदा रिकवरी (डीआर) ड्रिल संचालित करता है जो महत्वपूर्ण प्रणालियों की निर्बाध उपलब्धता और लचीलेपन का आश्वासन प्रदान करती है। डिजिटल मोर्चे पर आपके बैंक ने अत्याधुनिक एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रबंध (एपीआईएम) समाधान को लागू किया है इस दृष्टिकोण से डिजिटल रूपांतरण को सुगम बनाने, न्यूनतम प्रयास के साथ जरूरत के आधार पर अन्य एप्लिकेशन के साथ निर्बाध समकेन का स्वीकरण और नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लि. (एनईएसएल) की साझेदारी में ई-बैंक गारंटी एप्लिकेशन (ई-बीजी) को लाइव करके आपके बैंक की बाजार क्षमताएं बढ़ी हैं।

डेटा की परिशुद्धता और संवर्धन के मोर्चे पर आपका बैंक मानवीय हस्तक्षेपों को हटा कर आरबीआई विवरणियां तैयार करने की प्रक्रिया में लगातार सुधार कर रहा है। आपके बैंक ने पहले चरण में आरबीआई द्वारा जारी की गई 32 विवरणियों में से अधिकांश के लिए स्वचालित डेटा प्रवाह (एडीएफ) आउटपुट को एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंगुएज (एक्सबीआरएल) में रूपांतरित कर दिया है और शेष विवरणियों को रूपांतरित करने की प्रक्रिया में है। इसके साथ ही, आपके बैंक ने उन्नत ग्राहक वैलेट हिस्सा प्राप्त करने के उद्देश्य

से डेटा एनालिटिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) भी स्थापित किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए अन्य पहल कार्यों का ब्योरा इस वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिया गया है।

ग) विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा ₹ 579.65 करोड़ (डेरिवेटिव और विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन में विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह को छोड़कर) थी और परिचालन एवं पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के लिए कुल विदेशी मुद्रा व्यय ₹ 57.58 करोड़ था।

निदेशकों की जिम्मेदारी के संबंध में कथन

निदेशक मंडल एतद्वारा घोषणा और पुष्टि करता है कि:

- क. वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है। साथ ही तात्त्विक रूप से अनुसरण न किये गये मामलों में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;
- ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका निरंतर प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं एवं अनुमान लगाए हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति और इसी अवधि में बैंक के लाभ और हानि की सही एवं उचित तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए यथोचित तथा विवेकपूर्ण हैं;
- ग. निदेशकों ने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रख-रखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;
- घ. निदेशकों ने कार्यशील संस्था आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं;
- ङ. निदेशकों ने बैंक द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं तथा ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; और
- च. निदेशकों ने लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं तथा ये प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

आभार

आपके बैंक का निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), अन्य सभी सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरणों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का उनके बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभारी है। निदेशक मंडल विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं

निदेशकों की रिपोर्ट

का भी उनके द्वारा दिये गये सहयोग और सहायता के लिए आभार मानता है. निदेशक मंडल विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों/संस्थाओं से मिले सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देता है. निदेशक मंडल अपने सभी निष्ठावान शेयरधारकों और ग्राहकों का वर्ष के दौरान उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए हृदय से आभार प्रकट करता है और

भविष्य में भी उनसे सतत् सहयोग की अपेक्षा करता है. निदेशक मंडल अपने समस्त स्टाफ की निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवाओं की सराहना करता है और बैंक के प्रति उनकी वचनबद्धता और योगदान का अत्यधिक सम्मान करता है.

[सुरेश खटनहार]
उप प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक: 29 अप्रैल 2023

[राकेश शर्मा]
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Directors' Report

Your Bank's Board of Directors is pleased to present the Report on the Bank's business and operations for the financial year ended March 31, 2023.

In the Financial Year (FY) 2022-23, the global economy staged a broad-based recovery from the COVID-19 pandemic induced output contraction but was confronted with new challenges stemming from the escalation in geo-political tensions. This resulted in higher commodity prices and thus, worsening the existing inflationary pressures. To combat the heightened price pressures, several economies across the world embarked on monetary tightening which led to increase in interest rates globally. Amidst the recessionary fears, sporadic surges in the COVID-19 cases also impacted the global demand, thereby leading to a slowdown in the cross-border trade flows. The simultaneous occurrence of these challenges weighed down the global growth momentum during the year.

Like the rest of the world, India also was confronted with these challenges but withstood them better than most large economies, aided by inherent strengths that have been reinforced by wide-ranging initiatives and policy reforms in the recent years. In the post-pandemic period, the revival in economic activities has been led by the concerted policy incentives for the most vulnerable and pandemic-affected segments, higher public capex, release of pent-up consumption demand, higher investment & capacity utilisation as well as rapid normalisation of movement of people and goods. Consequently, the Indian economy continued to witness healthy economic growth in FY 2022-23. With this, India continued to remain one of the

fastest growing major economies in the world. In the year 2022, India also emerged as the fifth largest economy globally with a nominal GDP of US\$ 3.4 trillion.

Gaining traction from the improvement in the macroeconomic conditions, the banking sector further consolidated its financial health and saw a sustained improvement in its performance. Backed by stronger balance sheets and comfortable capital positions, the banks were well-positioned to cater to the growing credit demand in the economy. The improved economic prospects saw a broad-based uptick in the credit growth from all the segments. Though the rate cycle was on upswing, the credit demand remained healthy on the back of higher capacity utilisation and higher corporate profitability. With the interest rates on deposits also increasing in tandem with the monetary policy rate, there has been a renewed shift in favour of bank deposits as an investment avenue, thereby supporting the deposit growth in the economy. Aided by the healthy growth in deposits and credit, most banks in India recorded an improvement in the financial performance during the year.

Taking advantage of the conducive business environment, your Bank adopted a series of strategic measures that helped it in recording further improvement in various financial and operational parameters during the year.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

As on March 31, 2023, your Bank's aggregate deposits and advances touched ₹ 2,55,499 crore and ₹ 1,62,568 crore, respectively. Your Bank's business highlights for the period under review are presented in the following table:

Key Financials

	As on March 31, 2022	As on March 31, 2023
Capital	10,752	10,752
Reserves & Surplus	30,910	34,566
Deposits	2,33,134	2,55,499
Borrowings	14,345	12,638
Other Liabilities & Provisions	12,462	17,047
Total Liabilities	3,01,603	3,30,502
Cash & Balances with RBI	27,796	16,639
Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	7,915	12,646
Investments	82,988	99,690
Advances	1,36,955	1,62,568
Fixed & Other Assets	45,949	38,959
Total Assets	3,01,603	3,30,502
For the period	2021-22	2022-23
Total Income	22,982	24,942
Total Expenses (other than provisions)	15,487	16,206
Provisions (other than tax)	3,887	3,498
Profit/ (Loss) Before Tax	3,609	5,238
Provision for Tax	1,169	1,593
Profit/ (Loss) After Tax	2,439	3,645

(₹ in crore)

Directors' Report

During the year under review, your Bank's total income amounted to ₹ 24,942 crore, comprising interest income of ₹ 20,570 crore and other income of ₹ 4,372 crore. Interest expenses stood at ₹ 9,139 crore and operational expenses at ₹ 7,067 crore, accounting for total expenditure (excluding provisions and contingencies) of ₹ 16,206 crore.

The increase in Net Interest Income (NII) and reduction in provisions (excluding tax expenses) enabled the Bank to earn a net profit of ₹ 3,645 crore during FY 2022-23.

While the Earnings per Share (EPS) during the year was ₹ 3.39, the Book Value per Share (excluding intangible assets and Deferred Tax Asset (DTA)) stood at ₹ 23.67 as on March 31, 2023.

The Board of Directors have recommended a dividend of ₹ 1 (Rupee One only) per Equity Share of face value of ₹ 10 each of the Bank for the financial year ended March 31, 2023, subject to approval of the shareholders at the Annual General Meeting.

REPORT ON THE PERFORMANCE AND FINANCIAL POSITION OF SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURE INCLUDED IN THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT AS ON MARCH 31, 2023

Name of the Entity	Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		Share on profit or loss	
	As % of consolidated net assets	Amount (₹ in crore)	As % of consolidated profit or loss	Amount (₹ in crore)
Parent : IDBI Bank Ltd.	97.55%	45,318.48	98.35%	3,645.09
Subsidiaries				
Indian :				
1. IDBI Capital Market & Securities Ltd.	0.71%	330.09	0.22%	8.26
2. IDBI Intech Ltd.	0.24%	110.95	0.36%	13.27
3. IDBI Asset Management Ltd.	0.29%	134.49	0.34%	12.67
4. IDBI MF Trustee Co. Ltd.	0.00%	1.72	0.00%	0.04
5. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.66%	305.70	1.31%	48.37
Foreign:	NA	NA	NA	NA
Minority Interest in all Subsidiaries	0.30%	138.48	0.59%	21.91
Associates (Investment as per the equity method)*				
Indian:				
1. Biotech Consortium India Ltd.	NA	NA	-	-
2. National Securities Depository Ltd.	NA	NA	1.11%	41.13
3. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	NA	NA	-	-
4. Pondicherry Industrial Promotion Development & Investment Corporation Ltd. (PIPDICL)	NA	NA	NA	NA
Foreign:	NA	NA	NA	NA
Joint Ventures (as per proportionate consolidation/ investment as per the equity method)				
Indian:				
Ageas Federal Life Insurance Company Ltd. (Consolidated up to September 20, 2022)	NA	NA	0.12%	4.36
Foreign:	NA	NA	NA	NA
Total	99.75%	46,339.92	101.22%	3,751.27
Elimination	0.25%	117.81	(1.22%)	(45.21)
Net Total	100.00%	46,457.73	100.00%	3,706.06

Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary.

* Out of the four Associates, the financials for one of the Associates, viz., National Securities Depository Ltd. (26.10%), have been included in the consolidated financial results for the period up to December 31, 2022 and in respect of two Associates, viz. North Eastern Development Finance Corporation Ltd. (25.00%) and Biotech Consortium India Ltd. (27.93%), the accounts have been included in the consolidated financial results for the period up to March 31, 2022. In case of Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd. (21.14%), the investment in the said company has been written down to ₹ 1. The impact of Associates on the consolidated financial results is not material.

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING FINANCIAL POSITION OF IDBI BANK WHICH HAVE OCCURRED DURING THE END OF FINANCIAL YEAR AND THE DATE OF BOARD REPORT

There were no material changes and commitments affecting the financial position of the Bank, which occurred between the end of the financial year, i.e. March 31, 2023 and the date of the Directors' Report.

THE DETAILS IN RESPECT OF ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS

According to Section 143(3)(i) of the Companies Act 2013, the report of the Statutory Auditors should state whether the Bank has adequate Internal Financial Controls (IFCs) system in place and what is the operating effectiveness of such controls, in the context of the financial statements. The IFCs, as referred to in Section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, relate to the Internal Financial Controls Over Financial Reporting (IFCO-FR). The Bank's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank, considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of IFCO-FR issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, safeguarding of its assets, prevention and detection of frauds and errors, accuracy and completeness of the accounting records, and timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 and the RBI guidelines. Your Bank has put in place an IFCO-FR Framework for evaluation of the existing internal financial controls system and appointed a Consultant for validating the compliances with respect to the documentation, certification, reporting process of the controls across all business verticals/ departments and ascertaining the adequacy and effectiveness of the controls in the Bank in all material respects with respect to financial reporting. During FY 2022-23, the Consultant has submitted the Internal Compliance Certificate for the quarters ended June 2022, September 2022, December 2022 and March 2023 after carrying out the testing and validation of all the underlying processes as per the Bank's IFCO-FR framework. During the year under review, the Consultant reviewed the compliance of 591 Risk Control Matrices (RCMs) and

reported seven observations for further compliance, of which four observations have been addressed by the Bank and is complied with. The Bank is taking necessary action to ensure compliance and closure of the remaining three open observations.

DETAILS OF SIGNIFICANT CHANGES (I.E. CHANGE OF 25% OR MORE AS COMPARED TO THE IMMEDIATE PREVIOUS FINANCIAL YEAR) IN KEY FINANCIAL RATIOS, ALONG WITH A DETAILED EXPLANATION THEREOF, INCLUDING

Particulars	2021-22	2022-23	Comments
Return on Assets	0.84%	1.20%	Net profit for FY 2022-23 was ₹ 3,645 crore as compared to net profit of ₹ 2,439 crore in FY 2021-22.
Debt Equity Ratio (excluding intangibles)	0.73%	0.50%	Borrowings made in India and outside India significantly decreased by ₹ 1,707 crore and Net Worth improved by ₹ 5,726 crore.
Net NPA Ratio	1.36%	0.92%	Net NPA decreased by ₹ 369 crore as also there was an increase in net advances by ₹ 25,613 crore.
Gross NPA Ratio	20.16%	6.38%	The Bank's Gross NPA decreased by ₹ 23,146 crore.

CAPITAL ADEQUACY

Your Bank's 'Total Capital + CCB' ratio was 20.44% as against the minimum regulatory requirement of 11.50% as on March 31, 2023. Similarly, your Bank's 'Common Equity Tier 1 (CET1) + CCB' ratio was 18.08% as against the regulatory requirement of 8.00%. Your Bank's 'Tier 1 + CCB' ratio stood at 18.08% as on March 31, 2023 as against the regulatory requirement of 9.50%. Your Bank's Leverage Ratio as on March 31, 2023 was 7.86% as against the minimum regulatory requirement of 3.50%.

BUSINESS STRATEGY

Considering the emerging opportunities and the potential challenges, your Bank continued to pursue the broad contours of the business strategy envisaged for its turnaround. The well-designed turnaround strategy of your Bank had helped in ensuring an expeditious and broad-based improvement in its financial and operational health. The Bank's core strategy was on driving profitable business growth while ensuring strong balance sheet, fortified by healthy capital position with adequate provisioning. To cater to the growing credit demand, the Bank also took concerted efforts to augment its low-cost deposits, viz. CASA and retail term deposits, and supplemented it with growth in bulk deposits. Targeting a granular and well-diversified asset portfolio, the Bank focussed on ramping up the lending to the RAM (Retail, Agri & MSME) segment. At the same time, the Bank cautiously stepped up its lending to the corporates by selectively assisting well-rated corporates. The Bank also tapped the business synergies arising from its association with the Life Insurance Corporation of India (LIC) to drive growth in its business and improve its fee income by offering best-in-class, innovative, specialised customised products & services to the employees, agents and subsidiaries of the LIC for meeting their banking requirements. The strategic endeavours of the Bank helped it to maintain its Cost of Deposits and Cost of Funds at competitive levels. Improvement in the earning assets helped the Bank to record an improvement in the Net Interest Margin (NIM) during the year. The Bank's stringent credit appraisal and credit monitoring standards also helped in maintaining slippages at a manageable level. The Bank also stepped up its recovery and upgradation efforts through various legal and regulatory routes to resolve the stress in its delinquent asset portfolio.

Complementing its business strategies, the Bank focussed on ensuring better experience for all its customers by concentrating on customer-centric initiatives. Emphasising on customer convenience and ease, the Bank focussed on enhancing accessibility for its customers by expanding its physical branch network and adding to the functionalities of its digital channels, viz. mobile and internet banking. The Bank also endeavoured to create a seamless multi-channel transactional experience for its customers as a part of its intent of ensuring customer delight. Revisiting its existing offerings and introducing new offerings, the Bank ensured that its gamut of products & services is attuned to the emerging needs and preferences of its customers.

Focussing on ensuring sustained and stable business growth, the Bank has been driving a robust risk and compliance culture by encouraging all its employees to integrate best practices in their day-to-day activities. Furthermore, the Bank is committed to upholding and adhering to the highest standards in corporate governance. The Bank promotes

fairness, ethics and transparency in all its dealings to maintain the trust of all its stakeholders and position itself as most trusted and preferred bank.

The strategic measures taken by the Bank, complemented by continued process and product improvements, helped it to report a broad-based improvement in its operational and financial performance in FY 2022-23.

KEY BUSINESS INITIATIVES

As an organisation, your Bank places customers at the core of its business strategy and undertook a number of customer-centric business initiatives during the year. The Bank leveraged its physical touchpoints of 1,928 branches and 3,334 ATMs and 58 e-lounges as well as its digital channels to connect with its diverse customer base spread across the country. Apart from offering traditional banking products and services, your Bank has also been offering innovative banking and financial solutions to its customers. Taking into cognisance the ever-changing business landscape, the Bank has been reviewing its existing product offerings and business processes and fine-tuning it to cater to the emerging customer requirements. Your Bank has also been offering various value-added products and services to its customers, keeping in view their risk profile and financial goals. Furthermore, the Bank has been taking proactive measures to ramp-up its digital infrastructure to cater to the pandemic-induced acceleration in the pace of digital adoption and ensure seamless, contactless, convenient, safe and secure '*Anytime and Anywhere*' banking experience for all its customers. Your Bank provides a wide range of services on a round-the-clock basis through a wide range of digital channels such as Mobile Banking, Internet Banking, WhatsApp Banking, UPI, Debit Cards, Credit Cards, Point of Sale (PoS) terminals (both physical and digital), Internet Payment Gateway, ATMs, etc. Additionally, your Bank has also been taking concerted efforts to promote usage of these digital offerings as also increasing awareness among its customers regarding safe banking practices while conducting banking transactions digitally.

Being true to its intended positioning as a retail-centric bank, your Bank has been catering to a progressively large retail customer base by offering an entire bouquet of retail-centric products such as Housing Loan (HL), Loan Against Property (LAP), Personal Loan (PL), Education Loan (EL), Auto Loan (AL), Loan Against Securities (LAS), among other products. Your Bank has put in place an Automated Loan Processing System (ALPS) to ensure faster turnaround time in loan processing. Additionally, your Bank continued to augment its customer engagement approach by extensive usage of data analytics and adoption of Customer Relationship Management (CRM) tools.

Your Bank continued to contribute significantly towards lending to the priority sectors by extending credit to Agriculture and Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) sectors. Your Bank has also been leveraging its Business Correspondent (BC)/ Business Facilitator (BF) network to expand its reach to unserved and underserved sections of the society. Your Bank has been proactive in furthering the objective of financial inclusion by ensuring access to financial products and services needed by vulnerable sections of the society at affordable cost in a fair and transparent manner. Towards this end, the Bank, *inter alia*, has been extending loans under various government sponsored schemes and ensuring access to various social security schemes and initiatives of the Government of India.

While the retail portfolio, viz., Retail, Agri & MSME, continued to be the business focus, the Bank has also been targeting a calibrated growth in its corporate loan book in alignment with its overall business strategy. Towards this end, your Bank has been focussing on fresh acquisition of well-rated corporate accounts to ramp up its corporate portfolio. Apart from this, your Bank also targeted growth in interest and fee-based income through focussed improvement in utilisation of sanctioned fund-based and non-fund based limits and also by cross-selling of products to deepen its existing relationship.

As a prudent measure, your Bank, while growing its asset book, has also been focussing on maintaining its asset quality by closely monitoring slippages to minimise fresh slippages. Simultaneously, your Bank has also been endeavouring to upgrade or implement timely resolution for its stressed assets and NPA cases, along with augmenting its standard advances loan book.

Your Bank offers a wide range of transaction banking products and services to its corporate and retail customers at competitive pricing. Your Bank has been constantly evolving and improving its core banking platform as also offering digitised trade processing to increase customer engagements and make every step of the trade operation process seamless and convenient. Your Bank has put in place appropriate operational and compliance alerts to enable round-the-clock fraud monitoring.

Your Bank acts as an agent of the RBI in handling receipt and payment transactions of the Central Government and the State Governments. Your Bank has enabled online collection of Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) and Employees' State Insurance Corporation (ESIC) dues. Your Bank is also authorised to collect the Central Government taxes, to offer Small Savings Schemes, and to disburse Central Civil, Defence and Railway Pensions. Your Bank has gone live with more advanced and secured module for collection of direct taxes, i.e. Tax Information Network (TIN) 2.0.

Your Bank has integrated treasury operations in various market segments like Money Market, Fixed Income, Foreign Exchange, Derivatives and Equities. Your Bank's Treasury is supported by a pan-India sales team for effective marketing of foreign exchange, fixed income and derivative products to its corporate as well as retail clients and provide them with solutions for effectively managing exposures in currencies and also advising them with investment solution in debt instruments.

In addition to these business initiatives, your Bank continued to bring about operational and process improvements to augment its overall business efficiency. Furthermore, the Bank has also been making steady progress towards technological innovation, upgradation and improvement in its IT infrastructure, both software and hardware, to support its business operations.

The detailed description of the Bank's initiatives undertaken during the year is outlined in the Management Discussion and Analysis section of the Annual Report.

IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE BANK'S BUSINESS

The COVID-19 virus, a global pandemic affected the world's economy over the last two to three years. The extent to which new wave of COVID-19 pandemic will impact the Bank's operations and asset quality will depend on on-going as well as future developments, which are uncertain at this stage. The management of the Bank is closely monitoring the developments in this regard, including the likelihood of rise in customer defaults, corresponding increase in provisioning requirements and taking necessary steps to mitigate the same.

BOARD OF DIRECTORS

Your Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, the Articles of Association of the Bank and the requirements of Corporate Governance, as envisaged in the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations). The Board functions directly as well as through various Board-level committees constituted to provide focussed governance in the important functional areas of the Bank. As per the Articles of Association, the Board of Directors shall not be less than three and more than fifteen members consisting of a Chairman appointed by the Board, one Whole-time MD & CEO and two DMDs to be appointed by the Board, two Nominee Directors of LIC, two Nominee Directors of Gol and eight Non-rotational Independent Directors (including the Chairman and one Woman Independent Director).

As on March 31, 2023, the Board comprised fifteen Directors, viz., Shri T. N. Manoharan, Independent Director

Directors' Report

and Part-Time Chairman, Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Samuel Joseph Jebaraj & Shri Suresh Khatanhar, DMDs, as Whole Time Directors; Shri Manoj Sahay & Shri Sushil Kumar Singh, Government Nominee Directors; Shri Mukesh Kumar Gupta & Shri Raj Kumar, LIC Nominee Directors, as Non-Executive Directors; Shri Gyan Prakash Joshi, Shri Bhuvanchandra B. Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal, Shri Sanjay Gokuldas Kallapur and Smt. P. V. Bharathi as Independent Directors. The strength of 15 (fifteen) Directors on the Board as on March 31, 2023 meets the requirement provided under Article 114(a) of the Articles of Association of the Bank.

APEX COMMITTEES

The Board has a total of thirteen committees to oversee various functional areas of your Bank's business and operations. The Board committees include Audit Committee of the Board, Executive Committee, Nomination & Remuneration Committee, Stakeholders' Relationship Committee, HR Steering Committee, Frauds Monitoring Committee, Recovery Review Committee, Risk Management Committee, Corporate Social Responsibility Committee, Non-Cooperative Borrowers' Review Committee, Customer Service Committee, Wilful Defaulters' Review Committee and Information Technology Strategy Committee.

CORPORATE GOVERNANCE

Your Bank is committed to adopt the best Corporate Governance practices. It believes that effective Corporate Governance is not just a requirement for regulatory compliance, but also a facilitator for excellence in governance including enhancement of stakeholders' value. The details of your Bank's Corporate Governance practices are given in this Annual Report as a separate section under the Corporate Governance Report.

STATEMENT UNDER RULE 5(2) OF THE COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014 FOR YEAR ENDED MARCH 31, 2023 – DETAILS OF TOP TEN EMPLOYEES

Sr. No.	Name	Designation	Annual Remuneration received (₹)	Nature of employment, whether contractual or otherwise	Qualifications and experience of the employee	Date of commencement of employment	Age of such employee	The last employment held by such employee before joining the company
1.	Shri Rakesh Sharma	Managing Director & Chief Executive Officer	16256834.41	Employee	Post Graduate in Economics and CAIIB Experience in IDBI Bank: 4 years & 5 months	10-10-2018	64	Canara Bank
2.	Shri Suresh Khatanar	Deputy Managing Director	9355140.22	Employee	M.Com, CAIIB and ICWA Experience in IDBI Bank: 25 years & 9 months	23-06-1997 [#]	59	Dena Bank
3.	Shri Samuel Joseph Jebaraj	Deputy Managing Director	9245994.16	Employee	B.Sc, MBA and FRM Experience in IDBI Bank: 3 years & 6 months	20-09-2019	54	Exim Bank

BUSINESS RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY REPORT

The Securities & Exchange Board of India (SEBI), vide its circular dated May 5, 2021, amended the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. As per the amendment, with effect from FY 2022-23, the top one thousand listed entities based on market capitalisation are mandated to submit a Business Responsibility & Sustainability Report (BRSR) in the format as specified in SEBI Circular dated May 10, 2021. The BRSR is intended towards having quantitative and standardised disclosures on ESG (Environment, Social and Governance) parameters to enable comparability across companies, sectors and time. The Bank's BRSR for FY 2022-23 has been hosted on its website (<https://www.idbibank.in/business-responsibility-and-sustainability-report.aspx>).

STATEMENT UNDER SECTION 134 OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH RULE 5 OF THE COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014

There was one personnel in your Bank's service, during the financial year under review, who received remuneration of over ₹ 1.02 crore annually. Further, there were no personnel in the service of the Bank for a part of the year who received remuneration in excess of ₹ 8.50 lakh per month. Also, there was no personnel employed throughout the financial year or part thereof who was in receipt of remuneration at a rate, which in the aggregate, was in excess of that drawn by Managing Director & CEO or Deputy Managing Directors of the Bank and who held by himself or along with his spouse and dependent children, not less than 2.0% of the equity shares of the Bank.

Sr. No.	Name	Designation	Annual Remuneration received (₹)	Nature of employment, whether contractual or otherwise	Qualifications and experience of the employee	Date of commencement of employment	Age of such employee	The last employment held by such employee before joining the company
4.	Shri Sourav Kumar Dutta	Head- IT	8236770.89	Contractual	BE, ME, MBA, Ph.D Experience in IDBI Bank: 1 year & 6 months	01-09-2021	55	Payback - American Express
5.	Shri Arun Kumar Bansal	Head-Treasury	7416015.68	Contractual	B.Com, M.Com Experience in IDBI Bank: 10 months	15-06-2022	52	Indian Bank
6.	Shri Ajay Sharma	Advisor-Human Resource & Training	6773611.81	Contractual	MBA, M.Com, I.C.W.A (Inter), CAIIB Experience in IDBI Bank: 5 months	14-11-2022	60	IDBI Bank Ltd.
7.	Shri Dhiraj Saxena	Head - Digital Banking & Emerging Payments	6165205.28	Contractual	B.Sc, Master of Computer Application, MBA Experience in IDBI Bank: 1 year & 6 months	02-09-2021	48	L & T Financial Services
8.	Shri Jorty M. Chacko	Executive Director	5995711.20	Employee	B.Com, M.Com, NCFM - AMFI Mutual Fund (Advisors) Module, CAIIB, NCFM - NSDL Depository Operations Module Experience in IDBI Bank: 22 years & 10 months	20-05-2000	59	Federal Bank Ltd.
9.	Shri Padmabhushan Bahadure	Chief Technology Officer	5789338.71	Contractual	Bachelor of Engineering, Management Programme , Post Graduate Diploma Experience in IDBI Bank: 3 years & 7 months	01-08-2019	46	State Bank of India
10.	Shri Rajeev Kumar	Executive Director	5718876.29	Employee	B.Tech, MBA, CAIIB, Certificate in D-BASE & COBOL Experience in IDBI Bank: 29 years & 6 months	17-09-1993	60	State Bank of India

Note:

Date of commencement of current designation for Shri Suresh Khatanhar as DMD in the Bank is w.e.f. January 15, 2020

* Salary includes payment made to Shri Ajay Sharma as Executive Director upto October 31, 2022 and as Advisor-HR & Training w.e.f. November 14, 2022

- Remuneration includes basic salary, allowances, perquisites as per the Income Tax rules but excludes employer's contribution to PF/ Pension, non-monetary perquisite tax and accrued retirement benefits.

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

a) Conservation of Energy

The Bank has been taking several initiatives towards conservation of energy. The Bank has replaced the conventional light fixtures with energy efficient light fixtures, lamps and tubes to conserve power in various premises. The Bank is using inverter type/ Variable

Refrigerant Flow (VRF) energy efficient air-conditioners (ACs) in some of the new branches/ Zonal Offices (ZOs). Depending on the requirement of the local electricity boards, your Bank has installed Automatic Power Factor Control (APFC) panel at some of its Zonal Offices and a few metro branches for energy conservation.

b) Technology Absorption

Your Bank has been proactively evaluating and absorbing the latest technology-based innovations

Directors' Report

which has the potential to empower its business functions, enrich its customer experience and optimise its readiness towards opportunities and challenges of the future.

During the year, your Bank further strengthened its IT infrastructure with the initiative of second phase of industry standard technologies that includes Software Defined Wide Area Network (SD-WAN) for additional branches, implemented new-age security technologies ((Security Orchestration, Automation & Response (SOAR), Network Behaviour Anomaly Detection (NBAD), Packet Capture (PCAP), User & Entity Behaviour Analytics (UEBA) & Threat Intelligence Platform (TIP)) for building a Next Generation Security Operations Centre (SOC) at both Data Centre (DC) & Disaster Recovery (DR) site. Further, your Bank has implemented enterprise solution for IT Operations Management and is also at an advanced stage of implementation of Integrated Collection & Recovery Module (ICnRM).

Your Bank has implemented Real Application Cluster (RAC) in the Core Banking System (CBS) to improve performance and resilience. Your Bank has upgraded the entire private cloud hardware and software to meet the increasing needs of the business for just-in-time provisioning of IT infrastructure resources. Your Bank has deployed the latest analytics solution which uses the latest storage and server hardware. Your Bank is building IT infrastructure to set up state-of-the-art Enterprise Data Warehouse for addressing various reporting requirements and for obtaining business insights. Your Bank conducts regular Disaster Recovery (DR) drills for critical IT systems that ensure seamless availability and provides the assurance of the resilience of the critical systems. On the digital front, your Bank has implemented state-of-the-art Application Programming Interface Management (APIM) solution in an approach to facilitate digital transformation, adoption with seamless integration with other applications on a need basis with minimal effort and increased go-to-market capabilities of your Bank by going live for e-Bank Guarantee application (e-BG) in partnership with National e-Governance Services Ltd (NeSL).

On the data refinement and enrichment fronts, your Bank is continuously refining the process of the RBI return generation by removing manual intervention. Your Bank has converted Automated Data Flow (ADF) output into eXtensible Business Reporting Language (XBRL) format for majority of the returns out of applicable returns from the list of 32 returns released

by the RBI in the first phase and is in the process of converting remaining returns. Further, the Centre of Excellence (CoE) for Data Analytics has been set up by your Bank with the objective of achieving improved customer wallet share.

Details of other initiatives undertaken in the Information Technology have been provided in the Management Discussion and Analysis section of this Annual Report.

c) Foreign Exchange Earnings and Outgo

During the year, the total foreign exchange earned by the Bank was ₹ 579.65 crore (excluding foreign currency cash flows in derivatives and foreign currency exchange transactions) and the total foreign exchange outgo was ₹ 57.58 crore towards the operating and capital expenditure requirements.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Board of Directors, hereby, declares and confirms that:

- a. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- b. The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;
- c. The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d. The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;
- e. The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the Bank and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and
- f. The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

ACKNOWLEDGEMENTS

Your Bank's Board of Directors is grateful to the Government of India, the Reserve Bank of India (RBI), the Securities & Exchange Board of India (SEBI), all the other statutory/regulatory authorities and the Life Insurance Corporation of India (LIC) for their valuable co-operation and guidance. The Board also acknowledges, with gratitude, the co-operation and support received from various State Governments and

other banks/ financial institutions. The Board thanks various multilateral institutions and international banks/ institutions for their support. The Board takes this opportunity to put on record its deep sense of gratitude to its loyal shareholders and customers for extending their support during the year and looks forward to their continued association in the years ahead. The Board appreciates the sincere and devoted services rendered by its entire staff and highly values their commitment and contributions towards the Bank.

[Suresh Khatanhar]
Deputy Managing Director

[Rakesh Sharma]
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: April 29, 2023

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

कारोबारी परिवेश

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोविड महामारी के झटकों से धीरे-धीरे उबर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा जैसे उच्च मुद्रास्फीति, भू-राजनीतिक तनावों में बढ़ोत्तरी के चलते बाधित आपूर्ति शृंखला और बढ़ती अनिश्चितता के दौर में घटते कारोबार एवं उपभोक्ता विश्वास. इन चुनौतियों के बावजूद भारत अपनी आघात-सह आर्थिक विस्तार के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था का 'प्रदीप्त केंद्र' बना रहा. विभिन्न घरेलू कारकों ने अर्थव्यवस्था को वैश्विक उथल-पुथल से बचाए रखा. पिछले कुछ वर्षों में निजी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार के परिणाम स्वरूप निवेश चक्र का माहौल बेहतर हुआ है. इसके अतिरिक्त, बैंकों का तुलन पत्र सशक्त हुई, जिसके चलते बैंकिंग प्रणाली आस्ति गुणवत्ता चक्र से बाहर निकल पाया और यह ऋण मांग की वृद्धि में भी सहायक हुआ. इसके अलावा विशेषकर बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में उच्चतर पूंजीगत व्यय द्वारा आंशिक तौर पर आर्थिक गतिविधि की रफ्तार में तेजी से अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ा है. बेहतर आर्थिक संभावनाओं के साथ उपभोक्ता मांग भी सुदृढ़ हुई है. वर्ष के दौरान इन कारकों ने घरेलू आर्थिक क्रियाकलाप की प्रवृत्ति को विस्तारक रखने में सहयोग दिया है. इसके अलावा, भारत ने विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखा और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना हिस्सा बढ़ाया है. वर्ष के दौरान ऋण उठाव भी जोरदार रहा जो आर्थिक गतिविधि की गति में निर्बाध तेजी को रेखांकित करता है.

आगे चलकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में और इसके बाद भी भारत की आर्थिक वृद्धि अच्छी बने रहने की संभावना है. यह संभावना है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिकारक दबाव शीर्ष पर हैं और आने वाले समय में नीति निर्माताओं द्वारा किए गए उपायों और आधारभूत प्रभाव की सहायता से कम होगा. इससे घरेलू उपभोग की मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में आगे निवेश प्रोत्साहित होगा. इसके अतिरिक्त उच्चतर सार्वजनिक व्यय विशेष रूप से संरचना वाले और अच्छे विदेशी निवेश अंतर्वाह से सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों को गति मिलेगी. गिरते बाह्य कारोबारी वातावरण के समक्ष भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा प्रदर्शित आघात सहनीयता उसे बेहतर बनाती है तथा निकट भविष्य में मजबूत समष्टि आर्थिक के मूल तत्व सतत अच्छी आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं.

कारोबार समीक्षा

आपका बैंक मजबूत तुलनपत्र, सुदृढ़ पूंजी पर्याप्तता और विवेकपूर्ण प्रावधानीकरण के बल पर कारोबार में लाभकारी संवृद्धि पर रणनीतिक रूप से केंद्रित रहा. बैंक की कारोबारी रणनीति की व्यापक परिरेखा खुदरा बैंक के तौर पर स्वयं को अपेक्षित रूप से स्थापित करने पर लगातार केंद्रित रही. बैंक ने अपने खुदरा कारोबार को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान अपने नेटवर्क में 42 शाखाओं को शामिल किया. मार्च 2023 के अंत में, आपके बैंक ने 1928 शाखाओं के अपने नेटवर्क के साथ अपनी व्यापक उपस्थिति दर्ज की, जिसमें भारत भर में 434 महानगरीय शाखाएं, 472 शहरी शाखाएं, 599 अर्ध-शहरी शाखाएं और 421 ग्रामीण

शाखाएं (264 वित्तीय समावेशन शाखाओं सहित), दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (डीआईएफसी), दुबई में एक विदेशी शाखा और गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी (गिफ्ट), गांधीनगर में एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र (आईएफएससी), बैंकिंग इकाई (आईबीयू) शामिल हैं. बैंक ने 31 मार्च 2023 को भारत भर में फैले अपने 3,334 एटीएम और 58 ई-लाउंज के जरिए भी अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की हैं. साथ ही, बैंक ने अपने ग्राहकों को निर्बाध ओमनी चैनल अनुभव प्रदान करने के प्रयास के अंतर्गत अपने डिजिटल टचपॉइंट में इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसे अनेक कार्यों को शामिल किया है.

अपनी विस्तृत पहुँच और डिजिटल क्षमताओं में सुधार का लाभ उठाते हुए बैंक कम लागत वाली और स्थिर जमा आधार जैसे कासा जमाराशियों और खुदरा मीयादी जमाओं को जुटाने के लक्ष्य की प्राप्ति पर जोर देता रहा है. घरेलू आर्थिक गतिविधियों के पुनरुत्थान और इसके कारण ऋण मांग में हो रही बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए बैंक ने अपने जमा आधार को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धी दर पर थोक जमाराशियां भी जुटाई. बैंक ने इस संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ सहक्रिया क्षेत्रों में व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाकर इस संबंध में अपनी पहलों पर जोर दिया. अपने कारोबार को संवर्धित करने के लिए, बैंक अपनी डेटा विश्लेषिकी क्षमताओं को बढ़ाया है और उत्पादों / सेवाओं को लक्षित करने के लिए एक ग्राहक संपर्क प्रबंधन (सीआरएम) प्रणाली का प्रयोग कर रहा है. अर्थव्यवस्था में मजबूत हो रही ऋण मांग का लाभ उठाते हुए बैंक ने खुदरा और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कारोबार में वृद्धि को लक्षित किया तथा उधार में वृद्धि के लिए अच्छी रेटिंग प्राप्त कॉर्पोरेटों को भी उधार देने के अवसरों की तलाश की. बैंक ने विवेकसम्मत मानक के रूप में पर्याप्त प्रावधानीकरण को बनाए रखा है जो आघातों के प्रभावों, यदि कोई हो, को सहने में महत्वपूर्ण होगा. स्थिर और लाभकारी संवृद्धि के लिए आस्ति बही की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के विशिष्ट महत्व को समझते हुए बैंक ने अनर्जक आस्तियों के समाधान और अस्ति गुणवत्ता में गिरावटों के जोखिम के न्यूनीकरण को समुचित रूप से केन्द्रित है. इस संबंध में बैंक ने कॉर्पोरेट और खुदरा मामलों के लिए समर्पित टीम तैयार की है ताकि संकेंद्रित वसूली के लिए प्रयास किया जा सके. बैंक ने अनर्जक आस्तियों के समाधान को गति देने के लिए कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) संबंधी मामलों के लिए केंद्रीय समर्पित डेस्क की स्थापना की है तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) में दर्ज मामलों के लिए नोडल अधिकारियों को चिह्नित किया है. इसकी नई गिरावट को रोकने के उद्देश्य से बैंक ने एक ऋण निगरानी समूह (सीएमजी) की स्थापना की है ताकि दबावग्रस्त ऋण खातों की कड़ी निगरानी कर उनको एनपीए होने से रोका जा सके. कारोबार संवर्धन के अपने रणनीतिक प्रयासों को मजबूत करने के लिए बैंक ने विवेकसम्मत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में सशक्त अनुपालन संस्कृति को अपनाने पर लगातार जोर देता रहा है जो न केवल इसके कारोबार में उधार देने में स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है बल्कि एक विश्वसनीय बैंक के रूप में अपनी ख्याति को सशक्त करने के लिए भी आवश्यक है. बैंक ने विनियामक एवं सांविधिक मानदंडों के अनुरूप कॉर्पोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों का अनुपालन करना जारी रखा.

बैंक ने विविधकृत एवं सूक्ष्मता युक्त तुलनपत्र और अच्छी पूंजी स्थिति के बल पर सुदृढ़ता की स्थिति से विस्तारपरक कारोबार चक्र में प्रवेश किया है तथा विकास की गति को और आगे ले जाने के लिए बेहतरीन स्थिति में है. उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए अपने उन्नत परिचालनों एवं तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करते हुए बैंक कासा जमाराशियों और खुदरा मीयादी जमाराशियों में वृद्धि के लक्ष्य को पाने के लिए सतत प्रयास करता रहेगा ताकि जमा लागत को सामान्य स्तर पर रख सके. इसके अतिरिक्त, अपने उन्नत डाटा विश्लेषण क्षमता के द्वारा वैयक्तिक उत्पाद प्रदान कर ग्राहक के साथ वाले शेयर को बढ़ाया जा रहा है. आस्ति मोर्चे पर बैंक एक विविधकृत और सूक्ष्मतायुक्त पोर्टफोलियो संमिश्र के अपने रणनीतिक दृष्टिकोण के अनुरूप प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार सहित खुदरा आस्ति पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लक्ष्य पर केंद्रित करना जारी रखेगा. बैंक अच्छी रेटिंग वाले कॉर्पोरेटों, विशेषकर मध्यम आकार वाले कॉर्पोरेटों, साथ ही संवर्धित क्षेत्रों में एक्सपोजर लेते हुए जोखिम उपाय दृष्टिकोण के माध्यम से अपनी कॉर्पोरेट ऋण बही में वृद्धि के लिए अवसर की भी खोज करेगा. बैंक अपनी आस्ति गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी जारी रखेगा ताकि गिरावट के जोखिम को कम कर आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके. आपका बैंक लाभप्रदता को मजबूत करने के लिए संव्यवहार बैंकिंग, अन्य पक्ष और पूंजी बाजार के उत्पादों के प्रति-विक्रय द्वारा अपनी शुल्क आधारित आय को बढ़ाने का प्रयास करेगा. अपने रणनीतिक कारोबारी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक अपनी परिचालनगत क्षमता को बढ़ाने तथा ग्राहक सुविधा और संतुष्टि को बेहतरीन करने के लिए तकनीकी प्रणाली के विकास और अपनी सभी प्रणाली एवं प्रक्रिया को डिजिटल बनाने पर निवेश को जारी रखेगा. बैंक ने अपने परिचालनों और क्रियाकलापों में मजबूत जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और कॉर्पोरेट अभिशासन को समन्वित किया है जो एक विश्वसनीय बैंकिंग पार्टनर के रूप में इसके ब्रांड की पहचान को सशक्त करने में सहायक होगा. आगे चलकर बैंक विकास का उच्चतम प्रक्षेपवक्र, ग्राहक की जरूरत के मुताबिक और संगत उत्पाद की प्रस्तुति, सुस्वस्थ-विविधकृत ऋण बही, मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा, तकनीकी आधारित रूपांतरण और सशक्त अनुपालन व कॉर्पोरेट अभिशासन संस्कृति के लिए अग्रसर है.

रिटेल बैंकिंग

रिटेल देयता उत्पाद

आपका बैंक विभिन्न प्रकार के जमा उत्पादों की पेशकश करता है, जिन्हें विशेष रूप से समाज के सभी वर्गों के ग्राहकों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है.

आपके बैंक ने बदलते बाजार की गतिशीलता के बीच बदलती उपभोक्ता वरीयताओं के साथ मिलकर उत्पादों / प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के अपने प्रयास को जारी रखा है. बैंक ने अपने विडियो से खाता खोलने (वीओए) प्लैटफॉर्म के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकी को लागू किया है. रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में होने वाले ऊर्ध्वमुखी

संशोधन को ध्यान में रखते हुए बैंक ने भी अपनी जमा ब्याज दर में ऊर्ध्वमुखी संशोधन किए हैं.

बैंक ने लक्षित उत्पाद बाजार में लाने तथा अपने कारोबारी पैठ को बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राहकों से जुड़ने के दृष्टिकोण से डेटा विश्लेषण और ग्राहक संपर्क प्रबंधन (सीआरएम) उपकरणों के उपयोग को बढ़ाया है.

एनआरआई सेवाएं

आपका बैंक विश्व भर में भारतीय डाएसपोरा की बैंकिंग और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनिवासी (बाह्य) (एनआरआई) जमाराशियों/ अनिवासी साधारण (एनआरओ) जमाराशियों/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाराशियों, पोर्टफोलियो निवेश, विप्रेषण योजना (पीआईएस) के माध्यम से इक्विटी बाजार निवेश सहित प्रेषण और ऋण के क्षेत्र में नाना प्रकार के उत्पादों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है.

आपके बैंक ने अपने एनआरआई ग्राहकों के लिए ग्राहक अनुभव, सेवा सुपुर्दगी और बैंकिंग की सुविधा को बढ़ाने के लिए उत्पाद/ प्रक्रियाओं में सुधार जारी रखा.

रिटेल आस्तियां

आपके बैंक ने खुद को सम्पूर्ण सेवाएं देने वाले नई पीढ़ी के वाणिज्यिक बैंक के रूप में स्थापित करने के ध्येय को ध्यान में रखते हुए उत्तरोत्तर बड़े रिटेल व्यवसाय पोर्टफोलियो पर लक्ष्य केंद्रित रखना जारी रखा है. बैंक द्वारा वर्तमान में उपलब्ध कराए जा रहे रिटेल आस्ति उत्पादों में अन्य उत्पादों के अलावा आवास ऋण, संपत्ति पर ऋण, वैयक्तिक ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण, प्रतिभूतियों पर ऋण शामिल हैं. इन उत्पादों की आवधिक समीक्षा की जाती है और ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए वर्तमान उत्पादों में संशोधन/ नवोन्मेष/ अनुकूलिकरण किया जाता है. आपका बैंक एक स्वचालित ऋण प्रसंस्करण प्रणाली के माध्यम से संरचित खुदरा ऋण प्रसंस्कृत करता है जो त्वरित कार्रवाई समय (टीएटी) सुनिश्चित करने में सहायक है.

अपने ग्राहकों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने आवास ऋण के एक नए प्रकार की शुरुआत की है अर्थात् अल्ट्रा सेवर होम लोन जिसमें ओवरड्राफ्ट खाते के रूप में ऋण प्रदान किया जाता है जिससे ग्राहकों को ब्याज के भुगतान में बचत होती है और इसके चलते उनको नकदी प्रवाह अधिशेष का लाभ मिलता है. बैंक ने तकनीकी प्रेमी ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजिटल वैयक्तिक ऋण की शुरुआत की है.

इसके अलावा, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों की सहायता करने के लिए, बैंक भारत सरकार की योजनाओं जैसे केन्द्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस), डॉ अम्बेडकर सेंट्रल सेक्टर

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

स्कीम ऑफ इंटररेस्ट सब्सिडी (सीएसआईएस) और 'पढ़ो परदेश स्कीम' के तहत शिक्षा ऋण उधारकर्ताओं को सब्सिडी का लाभ प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आपका बैंक संरचित रिटेल वित्त खंड के क्षेत्र में अपने सर्वोत्तम उत्पाद व सेवाएं प्रदान करने के कारण बाजार में अग्रणी भागीदार बना रहा. बैंक ने अपने संरचित रिटेल आस्ति बही में वार्षिक आधार पर 14% की वृद्धि दर हासिल किया. बैंक के संरचित रिटेल आस्ति बही के अंतर्गत आवास ऋण के क्षेत्र में वृद्धि दर लगभग 16% रही.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बैंकिंग

आपका बैंक आरबीआई के अधिदेश के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) को उधार देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के वित्तपोषण पर विशेष रूप से ध्यान दिया. बैंक ने कॉर्पोरेट कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ़) नेटवर्क के माध्यम से असेवित / कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों तक अपनी पहुँच को बढ़ाने का प्रयास जारी रखा है. बैंक ने 31 मार्च 2023 को 43 कॉर्पोरेट कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ़) के साथ गठजोड़ किया है.

भारत सरकार की योजनाओं/ निर्देशों के अनुसार, आपका बैंक केंद्र सरकार / राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड अप इंडिया, प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवीए निधि), प्रधान मंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम (पीएमईजीपी), कृषि बुनियादी संरचना निधि योजना (एआईएफ) आदि को ऋण प्रदान करता रहा है. आपका बैंक अनुसूचित जाति (अजा) अनुसूचित जनजाति (अजजा) सहित अल्पसंख्यक समुदायों एवं कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

वर्ष के दौरान बैंक ने जीएसटी पंजीकृत इकाइयों को उधार को प्रोत्साहित करने के लिए दो नए उत्पादों अर्थात जीएसटी प्लस और जीएसटी एक्सप्रेस को शुरू किया. आपके बैंक ने चयनित भागीदारों के साथ सह उधार देने के लिए भी गठजोड़ किया.

डिजिटल बैंकिंग

बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी प्रगति सुदृढ़ डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण रही है. आरामदायक, सुरक्षित और सुविधाजनक होने के अतिरिक्त डिजिटल बैंकिंग चैनलों के 24x7 उपलब्ध होने के कारण डिजिटल ग्राहकों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है. आपके बैंक ने समग्र स्तर पर डिजिटल लेनदेन में 51%, यूपीआई लेनदेनों में 65% और मोबाइल बैंकिंग ग्राहक आधार में 24% की वृद्धि दर्ज की है.

आपके बैंक का दृढ़ विश्वास है कि 'डिजिटल नया सामान्य है' और आगे आने वाले समय में बैंक की डिजिटल यात्रा से डिजिटल चैनलों पर वैयक्तिक सेवाएं उपलब्ध कराकर ग्राहक को बेहतर अनुभव प्रदान करना और डिजिटल चैनलों को अपना कर टोस विकास करना, ग्राहकों को डिजिटल चैनलों की ओर आकर्षित कर डिजिटल लेनदेनों में इजाफा और डिजिटल प्रसंस्करण द्वारा परिचालनगत लागत में कमी और उत्पादकता तथा प्रति कर्मचारी लाभप्रदता को बेहतर किया जा सके.

आपके बैंक ने मोबाइल बैंकिंग ऐप 'गो मोबाइल+' को नई पीढ़ी की दृष्टि के साथ अपग्रेड कर ग्राहकों के अनुभव को बेहतर और सुविधाजनक बनाया है और अपने ग्राहकों के अनुभव को समृद्ध करने के लिए अनेक नई सुविधाओं को शामिल किया है. ऐप में दी गई नई सुविधाओं में ऑनलाइन मीयादी जमा खाता खोलना / बंद करना, आवर्ती जमा, ई-नामांकन, म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन अभिदान, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, लोक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि खाता एवं सरकार की अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, सेवा शाखा में परिवर्तन, ऋण खाता विवरण और ब्याज प्रमाणपत्र का सृजन, राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसपीएच) अधिदेश, एएसबीए आईपीओ, नमन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए द्वारस्थ बैंकिंग सेवा आदि शामिल है.

आपके बैंक ने एटीएम की व्यवस्था और उपलब्धता की 24 x 7 निगरानी के लिए एक समर्पित एटीएम कमांड केंद्र स्थापित किया है. जिसके परिणामस्वरूप एटीएम की उपलब्धता अत्यधिक बेहतर हुई है. आपके बैंक ने वर्ष के दौरान 600 से अधिक पुराने एटीएम को भी बदल दिया है.

आपके बैंक ने डिजिटल रूपांतरण, नए ग्राहक खंडों की तलाश के लिए नवोन्मेष और विकास, अन्य नवोन्मेषी उत्पादों को विकसित करने, लागत कम करने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवाएं देने के अपने रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए फिनटेक के साथ जुड़ने हेतु आवश्यक अभिशासन संरचना स्थापित कर ली है. आपके बैंक ने फिनटेक के साथ भागीदारी कर कार्ड रहित एटीएम, खाता समूहन, खुदरा ऋणों की डिजिटल ऑन बोर्डिंग के लिए एपीआई सेवाएं, डीजी केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) और ईएससीएफ (आपूर्ति शृंखला वित्तपोषण) को लागू किया है.

अन्य पक्ष उत्पाद तथा पूंजी बाजार उत्पाद

आपका बैंक का अन्य पक्ष उत्पाद (टीपीडी) खंड ग्राहकों को उनकी जोखिम प्रोफाइल और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार विभिन्न मूल्य संवर्धित उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करता है.

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आपके बैंक ने शुल्क आधारित आय बढ़ाने और बेहतर बिक्री संस्कृति के संवर्धन पर विशेष जोर देने के लिए विभिन्न अभियान चलाए.

आपके बैंक द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एएफएलआई) जैसे अपने जीवन बीमा भागीदारों के माध्यम से जीवन बीमा उत्पाद; न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जैसे अपने चैनल पार्टनरों के माध्यम से सामान्य बीमा और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस उत्पाद; आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लि., एलआईसी म्यूचुअल फंड आदि विभिन्न आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के माध्यम से म्यूचुअल फंड उत्पाद; तथा डीमैट खाता, 2-इन-1 खाता (बचत और डीमैट खाते), 3-इन-1 खाता (ऑनलाइन ट्रेडिंग खाते से जुड़े बचत और डीमैट खाते) जैसे पूंजी बाजार उत्पाद तथा अवरुद्ध राशि समर्थित आवेदन (एएसबीए) और सिंडिकेट एएसबीए (एसएएसबीए), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के साथ-साथ भारत सरकार के बॉण्ड और पूंजीगत लाभ बॉण्ड जैसे उत्पाद वितरित किए जाते हैं।

आपके बैंक ने अन्य पक्ष उत्पाद के सवितरण को डिजिटल करने के लिए अनेक पहल किए हैं। इन पहलों में गो मोबाइल+ अप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन म्यूचुअल फंड निवेश मॉड्यूल की शुरुआत, डिजिटल माध्यम से एनपीएस खाते खोलना व ई-नामांकन और डीमैट खाते में केवाईसी का अधिदेशात्मक अद्यतन करना शामिल है।

आपके बैंक ने अपने मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग चैनलों के माध्यम से डीमैट खाता खोलने की सुविधा दी है। डिजिटल चैनलों के गैर-उपयोगकर्ताओं के लिए शाखा चैनल के माध्यम से न्यूनतम दस्तावेज के साथ तुरंत डीमैट खाते खोलने की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने एक संक्षिप्त दो-पृष्ठ का खाता खोलने का फॉर्म (एओएफ) अर्थात् दुरंत डीमैट खाता लॉन्च किया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ तालमेल

जनवरी 2019 में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा आपके बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी अर्जित किए जाने के बाद, दोनों ही संस्थाओं के बीच सहक्रियाओं के माध्यम से संभावित कारोबार को बढ़ाने के लिए कई पहल कार्य किए गए हैं।

आपके बैंक ने अपने सर्वोत्कृष्ट उत्पाद और सेवाओं के माध्यम से सहक्रिया वाले क्षेत्रों में कारोबार बढ़ाने के लिए विशिष्ट कार्रवाई योग्य बिंदुओं की पहचान की है। बैंक का उद्देश्य बैंक-बीमा चैनल के अंतर्गत एलआईसी के कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कारोबार जुटाने के लिए अपने वितरण चैनल/ संपर्क केंद्रों के दक्षतापूर्वक और अधिकतम उपयोग के साथ कम कीमत वाली जमा बही के निर्माण, अर्थात् चालू खाता बही पर जोर देना है।

आपका बैंक अपनी शाखाओं/ डिजिटल चैनलों के माध्यम से एलआईसी के विभिन्न कार्यालयों के संग्रहण/ भुगतान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेन-देन बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करता रहा है।

वित्तीय समावेशन

आपका बैंक समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को किफायती लागत पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में नीति-निर्माताओं के साथ भागीदारी करने में तत्पर रहा है। आपका बैंक प्रमुख तीन क्षेत्रों में अर्थात् उपयुक्त वित्तीय उत्पाद ऑफर करने, प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने तथा वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने में हस्तक्षेप करते हुए वित्तीय समावेशन के अजेंडे को सक्रियतापूर्वक बढ़ावा देता रहा है।

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

आपका बैंक भारत सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम अर्थात् प्रधानमंत्री जनधन योजना में तथा भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, अर्थात् दुर्घटना बीमा के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), जीवन बीमा सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) तथा वृद्धावस्था में पेंशन के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सक्रिय रूप से भागीदार रहा है।

कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ)

आपके बैंक ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पैठ बढ़ाने और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) को भी प्रोत्साहित करने के प्रयासों के अधीन कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) / कारोबार सुलभकर्ताओं (बीएफ) के अपने नेटवर्क को बढ़ाया है। आपके बैंक ने देशभर में विभिन्न स्थानों पर सभी बीसी / बीएफ के लिए गहन प्रशिक्षण सत्रों/ कार्यशालाओं का आयोजन किया है। इसके अलावा, आपके बैंक ने कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ताओं (बीएफ) को बैंकिंग लेनदेन करने हेतु प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों पर कार्य करने के लिए उनके तकनीकी कौशल को विकसित करने हेतु काम के दौरान प्रशिक्षण भी प्रदान किया।

आपके बैंक ने सीएससी ई-गॉवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लि. (सीएससी) के साथ भागीदारी कर बीसी नेटवर्क को संवर्धित कर रहा है। यथा 31 मार्च 2023, 2,255 ग्राम स्तर के उद्यमी (वीएलई) कारोबार प्रतिनिधि अभिकर्ता (बीसीए) के रूप में कार्य कर रहे हैं और 2,255 स्थानों पर मूलभूत बैंकिंग गतिविधियां कर रहे हैं।

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय साक्षरता की पहचान प्रभावी वित्तीय समावेशन के लिए पूर्व आवश्यकता और साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के अभिन्न अंग के रूप में की गई है ताकि लाभार्थी उनको उपलब्ध कराई गई वित्तीय सेवाओं का भरपूर उपयोग कर सकें। आपके बैंक ने लोगों के बीच विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई पहुंच कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित आपके बैंक का ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आईडीबीआई आरएसईटीआई) ग्रामीण कौशल प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप जिले के ग्रामीण युवाओं के लिए स्व-रोजगार प्रशिक्षण आयोजित करता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आईडीबीआई आरएसईटीआई ने 723 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 590 उम्मीदवारों (81.60%) को स्व-उद्यमों की स्थापना करके बसने के रूप में सूचित किया गया है।

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत अन्य पहल-कार्य

आपका बैंक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ आधार नामांकन के लिए पंजीयक के रूप में पंजीकृत है। बैंक ने केंद्रीय/राज्य सरकारों की प्रत्यक्ष लाभ योजना (डीबीटी) में सक्रियता से सहभागिता की है। इसके अलावा आपके बैंक ने अपने कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) चैनल के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण को जारी रखा है।

आपके बैंक ने एक बारगी पासवर्ड (ओटीपी) आधारित वेब मॉड्यूल को विकसित किया है जो ग्राहकों को एपीआई, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत अपना नामांकन डिजिटल रूप से करने की सुविधा प्रदान करता है।

आपके बैंक ने ग्राहकों के बीसी स्थलों पर बायो मेट्रिक अधिप्रमाणन के माध्यम से वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन की सुविधा देने के लिए अपने खुद का क्रियोस्क बैंकिंग समाधान (केबीएस) लांच किया है, जो कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के साथ एकीकृत है।

कॉरपोरेट बैंकिंग

आपके बैंक के कॉरपोरेट बैंकिंग खंड में दो वर्टिकल शामिल हैं अर्थात् मध्यम कॉर्पोरेट समूह (एमसीजी) और बृहत कॉर्पोरेट समूह (एलसीजी)।

आपका बैंक के कॉरपोरेट बैंकिंग पोर्टफोलियो में विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपोजर शामिल है जैसे औषधीय उत्पाद, अभियांत्रिकी, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, ईपीसी इंफ्रा, निर्माण-कार्य, दूर संचार, सीमेंट, रासायनिक द्रव्य, बेसिक धातु और इस्पात, खान एवं खदान, अभियांत्रिकी, विद्युत संबंधी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उपकरण, ऊर्जा, तेल और गैस, उर्वरक, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, कागज और कागज उत्पाद, रबर, तेजी से बढ़ रहे उपभोक्ता सामान (एफएमसीजी), खाद्य प्रोसेसिंग, चीनी, पर्यटन, आतिथ्य, शिक्षा, कृषि एवं उससे संबंधित कार्यकलाप, परिवहन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उससे संबंधित कार्यकलाप, आईटी सेवाएं एवं प्रौद्योगिकी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) आदि।

कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए आपके बैंक के उत्पाद श्रृंखला में परियोजनाओं और गैर-परियोजनाओं दोनों के लिए मीयादी ऋण, कार्यशील पूंजी (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों), निर्यातकों को पैकिंग तथा पोत-लदानोत्तर ऋण, प्राप्य राशि खरीद, बिल भुनाई, अंतः दिवस सीमा आदि शामिल हैं।

आपका बैंक अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य उत्पाद भी प्रस्तुत करता है, जिनमें अल्पकालिक ऋण-गैर-प्रतिबद्ध लाइन, प्राप्य राशि खरीद, आपसी साख पत्र के प्रति वित्तपोषण आदि शामिल हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग की सीमा के भीतर चैनल वित्तपोषण और कॉर्पोरेट के डीलर/ वेंडर के लिए वेंडर वित्तपोषण, साथ ही ग्राहकों को आगे उधार देने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) खंड से ऋण देना जैसे उत्पादों को ऑफर कर आपका बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र पर भी उचित बल देता है।

आस्ति गुणवत्ता

आपके बैंक ने नई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की रोकथाम पर और मौजूदा हासित आस्तियों से अधिकतम वसूली पर जोर देना जारी रखा। मार्च 2023 के अंत में आपके बैंक की सकल आस्तियों में 93.62% अर्जक आस्तियां और 6.38% अनर्जक आस्तियां थीं। बैंक द्वारा किए गए संकेंद्रित प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2022-2023 में नए एनपीए को कम करने में मदद मिली है और यह मानक अग्रिम का केवल 1.98% रही।

वर्ष के दौरान हासित आस्तियों से वसूली और अनर्जक आस्तियों के अर्जक आस्तियों के रूप में अपग्रेड ₹ 4,970 करोड़ की रही जिससे 31 मार्च 2023 को बैंक को अंतिम स्तर पर एनपीए को कम करने में सहायता हुई।

बैंक ने मौजूदा विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए। विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में आपके बैंक का यथा 31 मार्च 2023 प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 97.94% रहा है।

आपके बैंक के पास खाता विशेष आधारित रणनीतियों और कॉरपोरेट एनपीए की गहन निगरानी के लिए संकेंद्रित और समाधान के लिए आक्रामक दृष्टिकोण अपनाने एवं वसूली हेतु समर्पित वर्टिकल अर्थात् एनपीए प्रबंधन समूह (एनएमजी) है।

आपके बैंक ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अधीन आने वाले मामलों के लिए समर्पित केंद्रित डेस्क की स्थापना की है। यह समर्पित डेस्क विभिन्न टीमों के क्षेत्र से जुड़े तथा विभिन्न जटिलताओं का सामना करने में आप अनुभवों को अंगीकार करने और उन्हें साझा करने में सक्रिय भूमिका निभाती रही है जिससे बैंक इन सीआईआरपी मामलों को सफलतापूर्वक संभालने में सक्षम हुआ है।

यथा 31 मार्च 2023 को कुल मिला कर ₹ 45,765 करोड़ (अनर्जक आस्तियों/ तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाली गई आस्तियों सहित) मूलधन बकाया के कुल 306 मामले दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी), 2016 के अधीन सीआईआरपी के अंतर्गत थे। आपका बैंक इनमें से कुछ मामलों को निपटाने में सफल रहा और वर्ष 2022-23 के दौरान कुल ₹ 682 करोड़ की वसूली की गई।

आपके बैंक के पास एक 'एक बारगी निपटान (ओटीएस) प्रबंधन प्रणाली' उपलब्ध है जो बैंक की वेबसाइट के माध्यम से ओटीएस आवेदनों की प्रस्तुति को सुविधाजनक बनाती है साथ ही वसूली की निगरानी करने सहित ओटीएस प्रस्ताव की प्रोसेसिंग को शुरू से अंत तक सक्षम बनाती है।

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने 4,428 करोड़ रुपए की सकल मूल बकाया राशि (जीपीओ) वाले पाँच खातों (तीन एनपीए खाते और दो तकनीकी रूप से बट्टे खाते) को ₹ 2,054 करोड़ (जिसमें ₹ 627.29 करोड़ की नकद वसूली और ₹ 1,426.30 करोड़ की प्रतिभूति प्राप्तियाँ शामिल हैं) के प्रतिफल की वसूली के लिए आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को अंतरित किया।

आपका बैंक वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अधीन प्रवर्तन कार्रवाई सहित लागू कानूनों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करता रहा है। बैंक ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी)/ न्यायालयों के साथ भी निरंतर फॉलो-अप करता रहा है और डीआरटी संबंधी कार्य के लिए एनएमजी, विधि एवं रिटेल वसूली टीम से समर्पित नोडल अधिकारियों को चिन्हित किया है ताकि वसूली प्रमाणपत्र/ डिक्री प्राप्त करने और उन्हें निष्पादित करने में होने वाले विलंब को न्यूनतम किया जा सके।

आपके बैंक ने यथा 31 मार्च 2023 को कुल 343 मामलों का वर्गीकरण इरादतन चूककर्ता के रूप में किया है तथा ऐसे उधारकर्ताओं/ प्रवर्तकों/ निदेशकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है और बैंक ने आठ मामलों को असहयोगी उधारकर्ताओं के रूप में घोषित किया है।

खुदरा संग्रहण

बैंक ने शुरूआती दबाव और गिरावटों पर नियंत्रण रखने तथा रिटेल ऋण खातों से देयताओं और अतिदेयताओं के संग्रहण के लिए एक समर्पित रिटेल संग्रहण टीम स्थापित की है। रिटेल संग्रहण गतिविधियों में पूर्व-विशेष उल्लेख वाले खातों (एसएमए), उच्च जोखिम खातों, एसएमएस और संभावित/ चिन्हित पहली बार अनर्जक आस्तियों (एफ़टीएनपीए) को कम करना शामिल है।

रिटेल संग्रहण टीम बैंक के विभिन्न अंचलों/ क्षेत्रों में तैनात संग्रहण अधिकारियों की एक टीम की सहायता से संग्रहण गतिविधियाँ संचालित करती है और इन्हें कॉल सेंटर, संग्रहण एजेंसियों, कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी)/ कारोबारी सुलभकर्ताओं (बीएफ़) और शाखा केन्द्रित उत्पादों के लिए शाखाओं /रिटेल आस्ति केंद्रों (आरएसी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

संग्रहण के संबंध में उच्चतर समाधान दर प्राप्त करने के उद्देश्य से रिटेल संग्रहण टीम बैंक के कॉल सेंटर और वसूली एजेंसियों का व्यापक स्तर पर उपयोग करती है। प्रिडिक्टिव मॉडल से प्राप्त होने वाले अधिक जोखिम वाले खातों का उपयोग रिटेल आस्ति केंद्रों (आरएसी)/ शाखाओं द्वारा विशेष उल्लेख खातों के अंतर्वाहों को कम करने के और क्षेत्र पदाधिकारियों द्वारा उपचारात्मक उपायों को शुरू करने के लिए उपयोग में लाये जा रहे हैं।

एक एकीकृत संग्रहण एवं वसूली मॉड्यूल, (आईसीएनआरएम) जो दबाव की पहचान करने तथा संग्रहण हेतु संसाधनों (आंतरिक /बाह्य एजेंसियों) को प्रभावी रूप से नियोजित करने में बैंक की सहायता करेगा, विकसित किया गया

है और उसे चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है। डिजिटल प्रक्रियाओं का उद्देश्य सुविधाजनक ऑनलाइन संग्रहण और चूककर्ता उधारकर्ताओं से बकाया राशियों की सुविधाजनक वसूली के लिए प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करना और बैंक में एक पूर्ण और निर्बाध प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रदान करना भी है।

खुदरा वसूली

आपका बैंक भाररहित परिसंपत्तियों की पहचान कर कुर्क करने, प्रतिभूतियों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने, बातचीत के माध्यम से निपटान के विकल्प आदि के द्वारा अशोध्य ऋणों की वसूली के लिए आक्रामक तरीके से अनुवर्ती कार्रवाई करता रहा है। कोविड महामारी से संबंधित प्रतिबंधों को वापस लिए जाने के बाद और अधिकतर ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) में पीठासीन अधिकारियों (पीओ) की नियुक्ति के बाद, आपके बैंक ने सभी प्रकार के उपलब्ध विधिक उपचारों जैसे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई, बंधक आस्तियों के भौतिक अधिग्रहण के लिये मुख्य महानगर दंडाधिकारी (सीएमएम)/ जिलाधिकारी (डीएम) का आदेश प्राप्त करना, तेजी से वसूली हेतु वाद दाखिल करने आदि में तेजी से प्रयास किए। आगे आपके बैंक ने बड़ी संख्या में खुदरा एनपीए/ टीडब्ल्यूओ खातों से अधिकतम वसूली पर जोर के साथ एकबारगी निपटान (ओटीएस) का विशेष अभियान, भेदभाव रहित/ गैर विवेकाधीन विशेष निपटान योजनाएं प्रारंभ कीं।

आपके बैंक ने देश भर में सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत बड़े पैमाने पर ई-नीलामी और अखिल भारतीय आधार पर व्यापक प्रचार के साथ माननीय न्यायालयों/ कानूनी फोरम के माध्यम से कार्रवाई की। आपके बैंक ने छोटे मूल्य के ऋणों के समाधान हेतु अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्येक तिमाही में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालतों में भी सक्रियता से भाग लिया।

ऋण निगरानी समूह

वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य में मानक आस्ति पोर्टफोलियो का निरंतर, समयबद्ध और प्रभावी प्रबंधन ऋण पोर्टफोलियो की समग्र गुणवत्ता को बनाए रखने और उसके सुधार करने में सहायक है। इसीलिए, बैंक में ऋण निगरानी समूह (सीएमजी) द्वारा संरचित ऋण समीक्षा तंत्र, ऋण प्रशासन मानदंडों (सीएपी) की निगरानी और कॉर्पोरेट एवं रिटेल पोर्टफोलियो में दबाव के आरंभ होने पर निगरानी रखी जाती है।

पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) प्रणाली जो कि सीएमजी का एक अभिन्न हिस्सा है, दिसंबर 2019 से परिचालनगत है। इसमें बैंक की आंतरिक प्रणालियों और बाह्य स्रोतों से डेटा फ़ीड का उपयोग कर प्रारम्भिक दबाव का पता लगाने और तत्काल आधार पर चेतावनी देने की क्षमता है। सभी कॉर्पोरेट और रिटेल खातों के मामले में प्रारंभिक सीमा के साथ उच्च/ मध्यम/ कम जोखिम के अंतर्गत जोखिम समूह न किया जाता है जिससे उच्च जोखिम

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

वाले खातों और एसएमए पूर्व स्थिति में आरंभिक दबाव के लक्षण दर्शाने वाले खातों को पहचानने में बैंक की क्षमता में वृद्धि हुई है। यह बैंक को तत्काल पूर्वक्रीत कार्रवाई और समय पर उपचारात्मक उपाय लागू करने में मदद करता है। ईडब्ल्यूएस प्रणाली की आवधिक समीक्षा की जाती है और इसे लगातार विकसित हो रही विनियामक अपेक्षा और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार इसमें नई विशेषताएं जोड़ी जा रही हैं।

आपका बैंक आस्ति निगरानी टूल 'सजग' के माध्यम से ऋण प्रशासन के विभिन्न मानदंडों के अनुपालन की निगरानी करता है जिससे ऋण संस्कृति में सुधार, ऋण पोर्टफोलियो में आरंभिक दबावों की पहचान करने और ऋण की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने में सहायता मिलती है।

आपका बैंक ऋण मंजूरी की प्रभावकारिता के संबंध में समय पर फीडबैक देने तथा नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की नियमित अनुवर्ती कार्रवाई, 'समय-पूर्व चेतावनी और सीएपी के समय से अनुपालन के लिए संरचित ऋण समीक्षा विधि (एलआरएम) का प्रयोग करता है।

इन पहल कार्यों के कारण ऋण खातों में आरंभिक दबावों को पहचानने और उनका प्रबंधन करने, सीएपी मानदंडों का अनुपालन करने और इसके द्वारा आपके बैंक की ऋण गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिली है।

व्यापार वित्त

आपके बैंक के पास एक समर्पित व्यापार वित्त (टीएफ) विभाग है, जो अपने बृहत/ मध्यम कॉर्पोरेट तथा रिटेल ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उत्पादों और सेवाओं की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है। उत्पादों की श्रृंखला में सामान्य रूप से सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले उत्पाद जैसे आवक/ जावक विप्रेषण, साख-पत्र (एलसी), बैंक गारंटी (बीजी), आपाती साख पत्र (एसबीएलसी) आदि से लेकर जटिलतर घरेलू और सीमा पार व्यापार उत्पाद के जिनमें वस्तुओं और सेवाओं का आयात/निर्यात, लदान पूर्व और लदान पश्चात निर्यात वित्तपोषण, अल्पावधि आयात व्यापार ऋण (ऋता की साख पर उधार और आपूर्तिकर्ता की साख पर उधार), मर्चेण्टिंग व्यापार, पूंजी खाता लेनदेन, अर्थात् विदेश में प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई), बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), विलयन और अधिग्रहण, विदेश में कार्यालय खोलना आदि शामिल हैं।

इन व्यापार वित्त उत्पादों/ सेवाओं को केन्द्रीकृत व्यापार प्रोसेसिंग केंद्रों (सीटीपीसी) के जरिए उपलब्ध कराया जाता है जो तीन मुख्य मेट्रो केंद्रों, अर्थात् मुंबई, चेन्नई और दिल्ली में हब-एंड-स्पोक मॉडेल के रूप में कार्य करते हैं। सीटीपीसी बैंक की सभी शाखाओं की जरूरतों को पूरा करते हैं तथा इस प्रकार मानकीकृत प्रसंस्करण, सक्षम संचार और शीघ्र कार्रवाई समय (टीएटी) की सुविधा प्रदान करते हैं। आपके बैंक के पास, प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी I बैंक के रूप में 44 समर्पित टीएफ केंद्र हैं जो सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा लेनदेनों को संचालित करने के लिए प्राधिकृत हैं।

आपका बैंक हमेशा उच्च मानकों वाली ग्राहक सेवा प्रदान करने और समयबद्ध सुपुर्दगी का प्रयास करता है। आपका बैंक अपने कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म को निरंतर विकसित करने और इसमें सुधार करने के प्रयास करता रहा है तथा साथ ही ग्राहक संबंधों को बढ़ाने के लिए डिजिटल व्यापार प्रोसेसिंग भी प्रदान करता है ताकि व्यापार परिचालन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को बाधरहित और सुविधाजनक बनाया जा सके। आपके बैंक ने लेनदेन संबंधी कार्यानिष्पादन को तीव्रतर, त्रुटिहीन और सहज निर्बाध करने के लिए विभिन्न आईटी पहल कार्य शुरू किए हैं। उदाहरण के लिए, बैंक के पास एक इंटरनेट आधारित व्यापार वित्त प्लेटफॉर्म अर्थात् आईडीबीआईई-ट्रेड है जो ग्राहकों को 24X7 आधार पर लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करता है। बैंक ने स्विफ्ट जीपीआई क्षमता का निर्माण किया है जो तत्काल आधार पर सीमा-पार भुगतान को ट्रैक करने में सहायता करता है और इस तरह से ग्राहकों के अनुभव को समृद्ध करता है। आपके बैंक ने अपने रिटेल इंटरनेट बैंकिंग के पोर्टल के माध्यम से रिजर्व बैंक की उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत ऑनलाइन विदेशी जावक विप्रेषण शुरू करने की सुविधा प्रदान की है। व्यक्तियों के पक्ष में एक निश्चित सीमा के अंतर्गत विदेशी आवक विप्रेषण के निष्पादन के लिए बैंक की अपनी एक केन्द्रीकृत प्रसंस्करण व्यवस्था है जिससे बैंक के ग्राहकों को तीव्रतर/ तत्काल जमा की सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त, त्वरित सेवा सुपुर्दगी के उपाय के रूप में, आपके बैंक ने एक ऑनलाइन बैंक गारंटी पुष्टीकरण मॉड्यूल विकसित किया है जो इसके द्वारा जारी की गई बैंक गारंटियों के लाभार्थियों को गारंटी निर्गमन की ऑनलाइन पुष्टि प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

व्यापार वित्त के क्षेत्र में वितरित लेजर प्रौद्योगिकी (डीएलटी) के उभरते प्रयोग से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, आपका बैंक इंडियन बैंक्स ब्लॉकचेन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लि. (आईबीबीआईसी) के इक्विटी धारकों में से एक बन गया है। आईबीबीआईसी का उद्देश्य डीएलटी की क्षमताओं का उपयोग करते हुए व्यापार की इको-प्रणाली का निर्माण करना है। आपका बैंक व्यापार वित्त संचालन को डिजिटाइज और स्वचालित करने के लिए प्रक्रियाओं का निर्माण करने के लिए आईबीबीआईसी के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

आपके बैंक का स्विफ्ट परिचालन एक केन्द्रीकृत स्विफ्ट कक्ष (सीएससी) के माध्यम से किया जाता है, जो एक सुरक्षित आईटी प्लेटफॉर्म के तहत अत्यंत सावधानी और बहुस्तरीय सत्यापन प्रक्रियाओं सहित सुचारु और निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पद्धति संबंधी दिशानिर्देशों सहित विनियामकीय/ सांविधिक मानकों और विनियमों के अनुपालन में नीतियाँ, प्रक्रियाएँ, मानकीकृत परिचालनगत कार्यविधि (एसओपी), परिचालन-संहिताएँ तथा सुदृढ़ निगरानी तंत्र आदि निर्धारित किया है। आपके बैंक ने साइबर धोखाधड़ी जोखिम को कम करने और सीमा पार भुगतानों में धन-शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद वित्तपोषण का सामना (सीएफटी) करने संबंधी चिंताओं का समाधान निकालने के लिए भुगतान नियंत्रण प्रणाली और लेन-देन जांच प्रक्रियाओं के रूप में प्रभावी प्रणाली नियंत्रण तंत्र गठित किया है।

आपके बैंक की चौबीस घंटे धोखाधड़ी निगरानी सुविधा के साथ, उपयुक्त परिचालनगत/ अनुपालन अलर्ट जारी करने की व्यवस्था है। आपका बैंक धन-शोधन निवारक (एएमएल)/अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ आतंकवाद वित्तपोषण का सामना (सीएफटी) संबंधी दिशानिर्देश, सुदृढ़ व्यापार आधारित धन शोधन (टीबीएमएल) रेड फ्लैगिंग प्रक्रियाओं और अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए यूएस/ईयू द्वारा प्रतिबंधों की जांच का कड़ाई से अनुपालन करता है। आपका बैंक सिद्धांततः अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम ब्यूरो (आईएमबी) के जरिए मर्चेन्ट व्यापार में प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय कार्गो संचलन का सत्यापन करता है। बैंक सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यवसाय सूचना रिपोर्टों के माध्यम से विदेशी पार्टियों की साख, प्रमुख कार्यकलापों, कारोबार स्तर और भुगतान शीघ्रता का सत्यापन करता है।

आपके बैंक की बिल वित्त नीति भारतीय रुपये (आईएनआर) और विदेशी मुद्रा (एफसीवाई) में किए गए व्यापार से उत्पन्न होने वाले सभी वास्तविक बिलों की खरीद/ भुनाई/ परक्रामण को कवर करती है। आपके बैंक ने निर्यात ऋण की सुविधा प्राप्त करने वाले अपने सभी ग्राहकों को भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) द्वारा उपलब्ध कराई जा रही बैंकों के लिए समग्र टर्नओवर निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) पॉलिसियों के अंतर्गत कवर किया है।

बैंक ने द्विपक्षीय संपर्क प्रबंध एप्लीकेशन (आरएमए) के जरिए विश्व भर में लगभग 800 बैंकों के साथ संपर्की बैंकिंग व्यवस्थाओं का बहुव्यापी नेटवर्क विकसित किया है जिसके फलस्वरूप वह विश्व भर में व्यापारिक और गैर-व्यापारिक सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है। बैंक ने विश्व भर में लगभग 130 से अधिक मुद्राओं में धन प्रेषणों को संभालने के लिए प्रतिनिधि बैंकों के साथ व्यवस्था की है।

सरकारी कारोबार

आपका बैंक केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की प्राप्तियों और भुगतान संबंधी लेनदेन को संभालने के लिए रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है। आपका बैंक केंद्र सरकार के कर्जों जैसे कि प्रत्यक्ष कर्ज, सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर की वसूली के लिए प्राधिकृत है। आपका बैंक 16 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में प्राप्तियों की वसूली के लिए भी सक्रिय है। आपका बैंक कर भुगतानों के लिए 24x7 इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है।

आपके बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से संबंधित देय राशियों की ऑनलाइन वसूली की व्यवस्था की है। आपका बैंक भारत सरकार द्वारा अपनी शाखाओं के माध्यम से छोटी बचत योजनाओं अर्थात् लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और सुकन्या समृद्धि खाता योजना (एसएसए) ऑफर करने के लिए भी प्राधिकृत है। आपका बैंक केंद्रीय सिविल, डिफेंस और रेलवे पेंशन के संवितरण के लिए भी प्राधिकृत है।

भारत सरकार की पहल के अनुसरण में आपके बैंक ने प्रत्यक्ष कर्जों की वसूली के लिए पहले से अधिक उन्नत व सुरक्षित मॉड्यूल अर्थात् कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन) 2.0 को लाइव कर दिया है।

नकदी प्रबंध सेवाएं

आपका बैंक कॉर्पोरेट्स को उनके संग्रहण एवं थोक भुगतानों के प्रभावी प्रबंधन और उनके निधि-प्रवाहों की दक्षतापूर्वक निगरानी करने हेतु अत्याधुनिक नकदी प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस) प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपका बैंक कॉर्पोरेट्स की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप सीएमएस संग्रहण, भुगतान एवं संव्यवहार बैंकिंग समाधानों की व्यापक श्रृंखला उपलब्ध कराता है और उन्हें अपनी नकदी स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। आपके बैंक के सीएमएस उत्पाद अद्वितीय और विशिष्ट हैं जो वृहत संस्थानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जिससे कॉर्पोरेट्स के साथ लंबा रिश्ता बनाने में सहायता हुई है और बैंक के लिए नया राजस्व स्रोत पैदा हुआ है। बैंक बाजार में उपलब्ध नए जमाने के अद्यतन संस्करण से अपनी परंपरागत सीएमएस प्रणाली के उन्नयन की प्रक्रिया में भी है।

आपका बैंक चलनिधि प्रबंधन समाधान जैसे विभिन्न अद्यतन तकनीकी समाधान ऑफर करता है। जैसे कॉर्पोरेट चलनिधि प्रबंधन समाधान (सी-एलएमएस) और सरकारी चलनिधि प्रबंधन समाधान (जी-एलएमएस), नए जमाने के सीएमएस उत्पाद जैसे राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच), वर्चुअल खाता सुविधा, भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के जरिए उपयोगिता भुगतान का सीधी नामे सुविधाएं, फास्टैग आदि। इसके अलावा, बैंक अन्य बहुत से ग्राहकोनुकूल ई-समाधान उपलब्ध कराता है जिन्हें ग्राहक प्रणालियों के साथ तकनीकी रूप से एकीकृत (होस्ट-टू-होस्ट माध्यम) किया गया है।

आपका बैंक भारतीय रेलवे के ई-भाड़ा भुगतान प्रणाली में भाग लेने के लिए भी अधिकृत है और रेलवे के 12 अंचलों में ई-भाड़े की वसूली कर रहा है। आपके बैंक ने क्विक आईपे भी शुरू किया है जो एक संस्थागत संग्रहण उत्पाद है जिससे व्यवसायी-से-उपभोक्ता (बीटूसी) खंड के संस्थान एकल प्रणाली का प्रयोग कर अपने ग्राहकों से सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से देयताओं की वसूली करते हैं।

ट्रेजरी परिचालन

आपके बैंक का विभिन्न बाजार खंडों जैसे मुद्रा बाजार, नियत आय, विदेशी मुद्रा-विनिमय, डेरिवेटिव और इक्विटी में एकीकृत ट्रेजरी परिचालन है। आपके बैंक के ट्रेजरी परिचालनों में तुलन पत्र प्रबंधन, चलनिधि प्रबंधन, आरक्षित नकद अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चल निधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखना, चल निधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), बाजार लिखत में ट्रेडिंग एवं निवेश, फोरेक्स व डेरिवेटिव लेनदेन में सक्रिय भूमिका निभाना और ग्राहकों को हेजिंग समाधान प्रदान करना शामिल है।

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

आपके बैंक का ट्रेजरी ने अपने ट्रेडिंग और निवेश पोर्टफोलियो के लिए सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक)/ राज्य विकास ऋणएस (एसडी एल) / ट्रेजरी बिल (टी-बिल) की नीलामी में और सरकारी बॉण्ड के लिए बाजार निर्माण में सक्रियता से भाग लेता रहा है।

बैंक की ट्रेजरी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में सीआरआर, एसएलआर और एलसीआर के विनियामकीय अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया।

चलनिधि के सक्रियता से प्रबन्ध करने के लिए ट्रेजरी ने अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग किया है जैसे चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ), रिजर्व बैंक का मीयादी रेपो और खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ) के साथ बाजार के अन्य साधन / प्लेटफॉर्म जैसे त्रिपक्षीय रेपो (टीआरईपीएस), क्लीयरक्रॉप रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (सीआरओएमएस) तथा मांग एवं सूचना पर देय धन. बैंक की अधिशेष चलनिधि को जमा प्रमाणपत्र, चलनिधि म्यूचुअल फंड, मांग/ सूचना पर देय/ मीयादी राशि और अन्य नियोजन/ निवेश आदि विभिन्न अल्पावधि लिखतों में नियोजन किया जाता है।

आपका बैंक एक प्राथमिक डीलर (पीडी) है और जी-सेक के लिए बाजार तैयार करने संबंधी गतिविधियों में शामिल रहा है। पीडी डेस्क ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सभी विनियामकीय अपेक्षाओं जैसे जी-सेक के लिए बोलौ लगाने की प्रतिबद्धता और टर्नओवर अनुपात तथा ट्रेजरी बिल नीलामी के लिए सफलता अनुपात आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया।

आपका बैंक गिल्ट खाताधारकों (जीएच) को ग्राहकों की सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) सेवा भी उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक की रिटेल प्रत्यक्ष सुविधा के अंतर्गत रिटेल निवेशकों हेतु द्वितीयक बाजार में चलनिधि प्रदान करने के लिए आपका बैंक तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान सेगमेंट (एनडीएस-ओएमएस) प्लेटफॉर्म पर (विषम लॉट व भाव के लिए अनुरोध संवर्ग में) रिटेल निवेशकों को खरीद / बिक्री का भाव प्रदान कर बाजार निर्माण में भी शामिल रहा। आपके बैंक का 'आईडीबीआई समृद्धि जी-सेक' पोर्टल रिटेल निवेशकों को जी-सेक में ऑनलाइन और एटीएम के माध्यम से निवेश करने की सुविधा प्रदान करता है।

आपके बैंक की ट्रेजरी के पास एक सक्रिय फॉरेक्स इंटरबैंक और डेरिवेटिव डेस्क है। फॉरेक्स इंटरबैंक डेस्क ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी फॉरेक्स दरें उपलब्ध कराता है। डेरिवेटिव डेस्क ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न ब्याज दर और विनिमय दर हेजिंग समाधान उपलब्ध कराता है।

देशभर में स्थित 15 केंद्रों पर ट्रेजरी विपणन अधिकारियों (टीएमओ) द्वारा ग्राहकों का सहयोग किया जाता है। बैंक के कॉरपोरेट और खुदरा ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए टीएमओ बैंक के सभी संपर्क प्रबंधकों के साथ घनिष्टता से काम करते हैं। टीएमओ सक्रियता से ग्राहकों के साथ संपर्क करके विभिन्न मुद्राओं, ब्याज दरों आदि में उनके एक्सपोजर का प्रभावी ढंग से प्रबंध करने हेतु तथा ऋण लिखतों (जी-सेक गैर एसएलआर बॉण्ड आदि) में उनके निवेश समाधानों के बारे में परामर्श देते रहते हैं।

ट्रेजरी परिचालन में सक्रिय प्रतिभागी होने के नाते, आपका बैंक एफबीआईएल पोल्ड टर्म मिबोर एवं एफबीआईएल पोल्ड एफसी-रूपी ऑप्शन वोलैटिलिटी के लिए फाइनैशियल बेचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) के प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना रहा।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में दीर्घावधि में कोई रूपया उधार नहीं लिया / ऋण पूंजी निर्गम नहीं किया। वर्ष के दौरान आपके बैंक ने दीर्घकालिक रूपया उधारों को निर्गम की शर्तों के अनुसार देय तिथियों को चुकाया।

आपका बैंक कारोबारी जरूरतों के अनुसार विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा निधियाँ उधार लेता है। वर्ष के दौरान आपके बैंक ने संविदा शर्तों के अनुसार परिपक्वता की तारीख को विदेशी मुद्रा उधारों को चुकाया।

मार्च 2021 में, यूके फाइनैशियल कन्डक्ट अथॉरिटी (एफसीए) ने पाँच मुद्राओं में, जिनमें लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर (एलआईबीओआर) प्रकाशित की जाती है, के लिए सभी 35 लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर (एलआईबीओआर) सेटिंग के लिए भावी समापन तारीखों की घोषणा की। आपके बैंक ने दिनांक 1 जनवरी 2022 से सभी नए उत्पादों / सुविधाओं को लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर (एलआईबीओआर) के बदले वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) पर प्रदान करना प्रारंभ किया है।

सीमा-पार शाखाएं

आपके बैंक की गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी), गांधीनगर, गुजरात स्थित अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (आईबीयू) ने 6 मई 2016 से अपना परिचालन शुरू किया। आईबीयू, गिफ्ट सिटी के विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के अंतर्गत आता है और इसका कामकाज अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अभिशासित होता है। अन्य उत्पादों के अलावा, बैंक का आईबीयू क्रेता ऋण (बीसी) के प्रति निधीयन और पात्र भारतीय कॉरपोरेट्स के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) प्रदान करने पर भी जोर देता है।

आपके बैंक की दुबई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (डीआईएफसी), दुबई में स्थित समुद्रपारीय शाखा ने परिचालन के तेरह वर्ष पूरे कर लिए हैं। डीआईएफसी शाखा के परिचालन को युक्तिसंगत बनाया गया है और चुनी हुई सेवाएं अर्थात् निवेश में सौदों (डिबेंचर) की व्यवस्था, वित्तीय उत्पादों के लिए सलाहकार सेवाएं (डिबेंचर) और ऋण के लिए सलाह तथा व्यवस्था तक सीमित कर दिया गया है।

ऋण रेटिंग

आपका बैंक अपनी देशी और विदेशी मुद्रा उधार राशियों दोनों के लिए ऋण की रेटिंग प्राप्त करता है। वित्तीय वर्ष 2022 -23 के दौरान रेटिंग कार्रवाई यथा 31 मार्च 2023 को रूपया संसाधनों के लिए वर्तमान रेटिंग के साथ निम्नानुसार रहीं:

रुपया उधार राशियों के लिए रेटिंग

श्रेणी निर्धारित लिखत	क्रिसिल	इक्रा	इंडिया रेटिंग	केयर
रेटिंग संबंधी कार्रवाई	फरवरी 2023	सितंबर 2022 [@]	जुलाई 2022	दिसम्बर 2022
सावधि जमाराशियाँ	क्रिसिल एए- /स्टेबल ^	[इक्रा] ए+ / पाजिटिव^^	इंड ए+ / स्टेबल ^^	-
अल्पावधि उधार राशियाँ (जमा प्रमाणपत्र)	क्रिसिल ए1+	[इक्रा] ए1+	इंड ए1+ ^{&}	केयर ए1+
दीर्घावधि रुपया बांड (सीनियर एवं लोअर टियर II बांड)	क्रिसिल ए+ /स्टेबल	[इक्रा] ए+ / पाजिटिव	इंड ए+ /स्टेबल% [#]	-
हाईब्रिड अपर टियर II बांड	क्रिसिल ए- / स्टेबल	-	-	-
हाईब्रिड - आईपीडीआई (बासेल III)	क्रिसिल ए- / स्टेबल	-	-	-
टियर II बांड (बासेल III)	क्रिसिल ए+ / स्टेबल	[इक्रा] ए+ / पाजिटिव	इंड ए+ / स्टेबल [*]	केयर ए+ / पाजिटिव [@]

टिप्पणी :

- @ - संभावना को स्टेबल से संशोधित कर पाजिटिव किया गया
- ^ - रेटिंग को एफएए/स्टेबल से माइग्रेट कर क्रिसिल एए - /स्टेबल किया गया
- ^^ - रेटिंग को एमएए - (स्टेबल) से माइग्रेट कर [इक्रा] ए+ / पाजिटिव किया गया
- ^^^ - रेटिंग को इंड टीए /स्टेबल से माइग्रेट कर इंड ए+ /स्टेबल किया गया
- & - रेटिंग को इंड ए 1 से माइग्रेट कर इंड ए1+ किया गया
- % - रेटिंग को इंड ए से माइग्रेट कर इंड ए+ किया गया
- # - केवल सीनियर टियर II बांड की रेटिंग की गई है

विदेशी रेटिंग एजेंसियों अर्थात् एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग (एस एण्ड पी) और फिच रेटिंग (फिच) द्वारा रेटिंग किए हुए मध्यावधि नोट (एमटीएन) बॉन्डों की 30 नवंबर 2020 को पूर्णतः चुकौती कर दी गई थी. अतएव बैंक ने 21मई 2021 को मध्यावधि बॉन्ड कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न निर्गमों के लिए उनके साथ किए गए रेटिंग अनुबंध/करार समाप्त कर दिए थे. तदनुसार विदेशी मुद्रा उधारियों की रेटिंग वापस ले ली गई है.

जोखिम प्रबंधन

आपके बैंक की जोखिम प्रबंध रणनीति तीन बुनियादी बातों अर्थात् पहचान, मापन और निगरानी पर अनिवार्य रूप से ध्यान केंद्रित करती है. पहचान प्रक्रिया जहाँ आगे के विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए समर्थ बनाती है वहीं मापन बैंक को प्रभावी रूप से जोखिम का प्रबंध करने में सक्षम बनाता है. इस रणनीतिक दृष्टिकोण ने जोखिम प्रबंधन साधनों के माध्यम से आपके बैंक को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाया है तथा उसमें विश्वास पैदा किया है. उचित सीमाओं और प्रक्रियागत पहलुओं को दशनिवाली एक सुपरिभाषित नीति की रूपरेखा बैंक की समग्र रूप से जोखिम वहन करने की क्षमता के अंतर्गत बैंक

को जोखिम कम करने और इसका प्रबंधन करने में मदद करती है. कारोबार सक्रियता के मूल तत्वों, बैंकिंग नवोन्मेष, उभारता जोखिम परिदृश्य और विनियामकीय परिवर्तनों को समझते हुए जोखिम प्रबंधन प्रणालियों में और अधिक सुधार को सुनिश्चित करने के लिए नीति को आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है. आपका बैंक सभी वर्टिकलों में जोखिम के प्रति जागरूकता पैदा कर और निर्णय लेने में इसे एक अत्यावश्यक मानदंड बना कर अपनी जोखिम प्रबंध संस्कृति में लगातार सुधार का प्रयास करता है. जहां निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) पर समग्र जोखिम प्रबंधन की जिम्मेदारी है, वहीं दिन-प्रति-दिन की गतिविधियों का संचालन जोखिम अभिशासन संरचना के आधार पर विभिन्न स्तरों पर किया जाता है. जोखिम प्रबंधन प्रणाली और इसकी प्रक्रियाओं को विनियामकीय आवश्यकताओं के अनुसार लगातार अद्यतन किया जाता है. एक सुदृढ़ और तकनीकी रूप से उन्नत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के लिए, आपके बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन आर्किटेक्चर (आईआरएमए) लागू किया है जिसमें सॉफ्टवेयर समाधान, अर्थात् जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल (आरएमएम), पूंजी मूल्यांकन मॉडल (सीएमएम) और व्यापक परिचालनगत जोखिम मूल्यांकक (सीओआरई) शामिल हैं. आईआरएमए ऋण और परिचालनगत जोखिमों की पहचान और मापन में मदद करता है जिससे उपयुक्त जोखिम प्रबंधन रणनीति तैयार करने में मदद मिलती है. इसके अलावा आपके बैंक में उसके आस्ति एवं देयता प्रबंध (एएलएम), निधि अंतरण मूल्य-निर्धारण (एफटीपी), लाभप्रदता प्रबंध और तरलता जोखिम प्रबंध आवश्यकताओं के लिए सुस्थापित वित्तीय विश्लेषण एप्लीकेशन भी कार्यान्वित है.

बासेल मानकों का कार्यान्वयन

आपका बैंक बासेल-III ढांचे के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पिलर-I दिशानिर्देशों के अनुपालन में ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए विनियामक पूंजी आवश्यकता की तिमाही आधार पर गणना करता है. इसके अलावा, भारत में बैंकों को 2.50% का पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) बनाए रखने के लिए अधिदेशित किया गया है. आपका बैंक मासिक आवधिकता पर सीआरएआर के घट-बढ़ की निगरानी भी करता है. यथा 31 मार्च 2023 को आपके बैंक का 'कुल पूंजी + सीसीबी' अनुपात 11.50 % की विनियामक अपेक्षा के बदले 20.44 % रहा. इसी प्रकार, आपके बैंक का 'सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) + सीसीबी' अनुपात 8.00 % की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 18.08 % रहा. 31 मार्च 2023 को आपके बैंक का 'टियर 1 + सीसीबी' अनुपात 9.50% की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 18.08 % रहा. यथा 31 मार्च 2023 को आपके बैंक का लीवरेज अनुपात 3.50% की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा की तुलना में 7.86 % रहा. आपके बैंक के पास बासेल III ढांचे के पिलर 2 मानदंडों के अनुरूप आंतरिक पूंजी पर्याप्तता अभिनिर्धारण प्रक्रिया (आईसीएपी) के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है. यह नीति बैंक को पिलर-I में शामिल नहीं किए गए जोखिमों का आंतरिक रूप से आकलन करने और उनका परिमाण निर्धारित करने और साथ ही सामान्य तथा दबावग्रस्त स्थितियों में जोखिमों का प्रबंध करने और उन्हें कम करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां तैयार करने में समर्थ बनाती है. आपके बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक व्यापक

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

दबाव परीक्षण की रूपरेखा कार्यान्वित की है। यह दबाव परीक्षण रूपरेखा आपके बैंक को असाधारण लेकिन संभाव्य घटनाक्रमों में अपने कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने और अप्रत्याशित आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए उपयुक्त अग्रसक्रिय रणनीति बनाने में सक्षम बनाती है। दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क में परिस्थिति विश्लेषण, बहुघटकीय (मल्टीफैक्टर) संवेदनशीलता विश्लेषण और प्रतिवर्ती दबाव परीक्षण को भी शामिल किया गया है। परिदृश्य विश्लेषण में बैंक की पूंजी और लाभप्रदता के संदर्भ में सकल एनपीए के और अधिक बढ़ने, अनर्जक आस्ति (एनपीए) की गैर निधि आधारित सुविधाओं एवं तकनीकी रूप से बट्टे खाते (टीडबल्यूओ) में डाले गए खातों के क्रिस्टलीकरण और गैर तरल प्रतिभूतियों के प्रभाव का अध्ययन शामिल है। प्रतिवर्ती दबाव परीक्षण की व्यवस्था का उपयोग पूंजी और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले दबाव के स्तर का पता लगाने के लिए किया जाता है ताकि इसे पूर्व-निर्धारित स्तर पर लाया जा सके। आपके बैंक ने बासेल मानदंडों के अंतर्गत पिलर 3 अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटन नीति अपनाई है। तदनुसार प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर प्रकटनों को आपके बैंक की वेबसाइट पर रखा जाता है, जो उच्च स्तरीय पारदर्शिता प्रदर्शित करता है। आपके बैंक ने अपनी प्रतिष्ठा और संबंधित परिणामों के साथ-साथ उन्हें नियंत्रित करने के उपायों के लिए उत्पन्न जोखिमों का सक्रिय रूप से आकलन करने के लिए एक प्रतिष्ठात्मक जोखिम नीति भी बनाई है। आपके बैंक ने समूह स्तर पर समग्र जोखिम प्रोफाइल की निगरानी करने और उसे कम करने के लिए समूह जोखिम मूल्यांकन नीति भी लागू की है। आपका बैंक पूंजी प्रभार की गणना के लिए ऋण जोखिम के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है। आपका बैंक परिचालनगत जोखिम के लिए विनियामक पूंजी प्रभार की गणना हेतु मूलभूत सांकेतिक दृष्टिकोण (बीआईए) अपनाता है। आपका बैंक आरबीआई द्वारा प्रस्तावित परिचालन जोखिम पूंजी आवश्यकता के आकलन के लिए नए मानकीकृत दृष्टिकोण को लागू करने के लिए तैयार है। जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और प्रभावी नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कारोबार खंडों में प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) और जोखिम व नियंत्रण स्व-आकलन (आरसीएसए) की व्यापक रूपरेखा लागू की गई है। आपका बैंक बाजार जोखिम के लिए विनियामक पूंजी अपेक्षाओं की गणना हेतु मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) अपनाता है।

ऋण जोखिम

आपके बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली में ऋण प्रस्तावों की क्रेडिट रेटिंग के लिए आरएएम और पूंजी पर्याप्तता निर्धारण के स्वचालन के लिए सीएएम शामिल है। बैंक की ऋण नीति की बदलते कारोबारी उद्देश्यों तथा आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप आवधिक समीक्षा की जाती है और कारोबारी वर्टिकलों के लिए मार्गदर्शी साधन तैयार किए जाते हैं। बोर्ड द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार, क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) अन्य बातों के साथ-साथ क्रेडिट नीति रणनीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है और बैंक-व्यापी आधार पर क्रेडिट जोखिम की निगरानी करती है। आरएएम/स्कोर आधारित आंतरिक रेटिंग के अतिरिक्त, बैंक ने उच्च मूल्य वाले कॉरपोरेट और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋणों के जोखिम वर्गीकरण के लिए मात्रात्मक जोखिम स्कोरिंग मैट्रिक्स भी विकसित किया है।

बाजार जोखिम

कार्य तथा कारोबार स्थितियों के संदर्भ में आपके बैंक में बाजार जोखिम प्रबंधन, बाजार जोखिम एवं डेरिवेटिव नीति तथा निवेश नीति में परिभाषित नीतिगत ढांचे के अनुरूप परिचालित होता है। सामान्यतः ये नीतियां जोखिमों व अपवादों के मापन, रिपोर्टिंग तथा वृद्धि के आकलन के लिए जोखिम वहन क्षमता के उपयुक्त स्तरों तथा कार्यान्वयन प्रणालियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं। एकीकृत ट्रेजरी प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) के कार्यान्वयन के साथ, आपके बैंक की निगरानी और रिपोर्टिंग को कवर करने वाले बाजार जोखिम प्रबंधन प्रभावकारिता को और मजबूत किया गया है। ट्रेजरी के मिड ऑफिस द्वारा सभी निर्धारित सीमाओं तथा सभी प्रक्रियाओं की गहन निगरानी की जाती है जो ट्रेजरी के फ्रंट ऑफिस और बैंक ऑफिस से स्वतंत्र है। ट्रेजरी मिड-ऑफिस ने एक मजबूत गैर-सांविधिक चल निधि अनुपात (एनएसएलआर) बॉण्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए आंतरिक स्तर पर आंतरिक रेटिंग आधारित मॉडल के विकास के माध्यम से गैर-सांविधिक चल निधि अनुपात (एनएसएलआर) बांडों के मूल्यांकन को क्रियान्वित किया है।

चलनिधि प्रबंधन

बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति में किए गए उल्लेख के अनुसार सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंध ढांचा है। बैंक की आस्ति-देयता प्रबंध समिति (एल्को) व्यवसाय रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिम की निगरानी और प्रबंध करती है। चलनिधि विश्लेषण और प्रबंध सहित आस्ति-देयता प्रबंध (एएलएम) कार्यकलाप कार्यात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न एल्को सहयोग समूहों जैसे तुलन-पत्र प्रबंध, ट्रेजरी फ्रंट कार्यालय, बजट एवं आयोजना आदि के बीच समन्वय के जरिए संपन्न किए जाते हैं। आल्को निर्देश तथा एएलएम कार्रवाइयाँ संबंधित व्यवसाय समूहों और वर्टिकलों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार 1 जनवरी 2017 से बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना दैनिक आधार पर की जाती है। 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंक का औसत एलसीआर 135.66% था। आपके बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों के अनुरूप 1 अक्टूबर 2021 से निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) दिशानिर्देशों को लागू किया है। यथा 31 मार्च 2023 को बैंक का निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) 120.01% था।

परिचालनगत जोखिम

आपके बैंक के पास एक सुदृढ़ परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचा (ओआरएमएफ) है जिसकी संगठनात्मक व्यवस्था के तहत निदेशक मंडल, बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी), परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), जोखिम प्रबंधन विभाग में परिचालन जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) अनुभाग तथा विभिन्न कार्यो/विभागों के नोडल अधिकारी शामिल हैं। परिचालनगत जोखिम की परिचालन प्रक्रिया बोर्ड अनुमोदित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा निर्देशित है जिसका लक्ष्य बैंकिंग

कार्यकलापों से जुड़े परिचालनगत जोखिमों की पहचान, निगरानी, आकलन तथा प्रबंधन करना है। आपके बैंक में विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलापों/परिचालनों में अंतर्निहित जोखिमों को कम करने के लिए सशक्त आंतरिक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं। यह मुख्य जोखिम संकेतकों (केआरआई) तथा जोखिम नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) अभ्यासों के जरिए परिचालनगत जोखिमों का प्रबंधन करता है और इस संबंध में हुई प्रगति से निदेशक मंडल की परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) को आवधिक रूप से अवगत कराता है। पूरे बैंक से परिचालनगत जोखिम हानि की घटनाओं को समेकित किया जाता है और मूल कारणों के विश्लेषण के साथ परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) को प्रस्तुत किया जाता है।

आपका बैंक उपार्जन और पूंजी पर दबावग्रस्त परिचालनगत जोखिम संबंधी हानियों के अध्ययन के लिए तिमाही आधार पर दबावग्रस्त परीक्षण कार्रवाई भी करता है। इसके साथ ही परिचालनगत जोखिम के लिए बोर्ड अनुमोदित जोखिम वहन सीमा में किसी उल्लंघन का मापन और रिपोर्टिंग भी की जाती है। वर्तमान में, परिचालनगत जोखिम विनियामकीय पूंजी और जोखिम भारित आस्तियों की गणना के लिए बैंक ने मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है। आपके बैंक ने सभी आंतरिक नीतियों, उत्पादों, मैनुअल और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को एक ही स्थान पर डिजिटल रूप से होस्ट करने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि कर्मचारियों के लिए समयबद्ध अद्यतित और सहज पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

कारोबार निरंतरता प्रबंधन

आपके बैंक के पास कारोबारी व्यवधानों तथा जीवन के लिए जोखिम भरी घटनाओं की स्थिति में संवेदनशील कामकाजी क्षेत्रों में निर्बाध कारोबारी प्रसंस्करण को जारी रखने के लिए सुदृढ़ कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रक्रियाएँ हैं। आपके बैंक को कारोबार निरंतरता प्रबंधन के बैंक व्यापी कवरेज के लिए आईएसओ 22301:2012 प्रमाणन प्राप्त है। कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) के एक भाग के रूप में मूल तथा सहायता कार्यों के लिए सुपरिभाषित कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) कार्यान्वित की गई है। इस योजना का उद्देश्य कारोबार व्यवधान/ आपदा के बावजूद ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करना है। इसके अलावा आपदा के दौरान मानव जीवन की रक्षा करने और मूल्यवान आस्तियों के नुकसान को कम करने के लिए अपनी प्रमुख स्थापनाओं के लिए एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) भी लागू की गई है। इन कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) तथा आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) की आघात सहनशीलता का बीसीपी परीक्षण अभ्यास, संपूर्ण ड्रिल और मॉक ड्रैक्वैएशन ड्रिलों सहित आपदा बहाली के माध्यम से आवधिक परीक्षण किया जाता है। बैंक की कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली एक स्वचालित घटना रिपोर्टिंग टूल अर्थात् एकीकृत आपदा और कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (आई-डीएबी) से सुसज्जित है। ग्राहकों को महत्वपूर्ण सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने 'अयान बीसीपी' नामक एक मोबाइल आधारित एप्लिकेशन विकसित किया है,

ताकि बाधित शाखाओं में तत्काल कार्य बहाल कर व्यवसाय निरंतरता योजना बीसीपी लागू की जा सके।

सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम

आपके बैंक ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) जोखिम प्रबंधन तथा नियंत्रण को सशक्त करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आपके बैंक ने उच्च उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नवी मुंबई स्थित अपने डेटा केंद्र (डीसी) और चेन्नई स्थित आपदा रिकवरी (डीआर) साइट पर एक अत्याधुनिक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की है। यह 24X7 कार्यरत रहने वाला सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी), बैंक के ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के बैंक के उद्देश्य को पूरा करने के अलावा साइबर अपराधों से निपटने के लिए और बैंक की सूचना सुरक्षा नीति और साइबर सुरक्षा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक कमांड केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, एसओसी के माध्यम से आपका बैंक केंद्रीकृत रूप से सुरक्षा साधनों जैसे फायरवॉल, राऊटर्स, इंटरनेट डिटेक्शन सिस्टम (आईडीएस) डिवाइस/ इंटरनेट प्रिवेंशन सिस्टम (आईपीएस) डिवाइस, विशेषाधिकारकृत पहचान प्रबंध (पीआईएम), एंटीवायरस, फिशिंग/ मालवेयर प्रयासों आदि की निगरानी करता है और सुधारात्मक उपाय करता है। आपका बैंक बाह्योन्मुख एप्लीकेशनों अर्थात् फिनेकल ई-बैंकिंग एप्लीकेशन (एफईबीए), मोबाइल बैंकिंग, मेल मैसेजिंग आदि के लिए नियमित रूप से भेद्यता मूल्यांकन एवं प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) करता है।

आपके बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों के संबंध में रिजर्व बैंक की सिफारिशों और बैंकों के लिए रिजर्व बैंक के साइबर सुरक्षा ढांचे को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। आपके बैंक ने दिशानिर्देशों में अनुशंसित रूप में उपयुक्त संगठनात्मक ढांचा स्थापित किया है जिसमें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ), जो बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) को रिपोर्ट करते हैं, के नेतृत्व में एक अनन्य सूचना सुरक्षा समूह का गठन शामिल है।

आपके बैंक ने साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना लागू की है जो साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का समाधान करने के लिए प्रबंधन के इरादे तथा दिशा को स्पष्ट करती है। आपका बैंक विभिन्न प्रकार के साइबर ड्रिल, टेबल टॉप अभ्यासों, फिशिंग सिमुलेशन अभ्यासों और अपने सूचना सुरक्षा व्यवस्था के स्वास्थ्य की जांच करने और बनाए रखने के लिए ब्रीच रेडिनेस अभ्यास को संचालित करता है और सहभागिता करता है।

कर्मचारियों के लिए नियमित सूचना सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा, सुरक्षा भंग करने के प्रयासों को कम करने/ विफल करने के लिए मेल, एसएमएस, एटीएम और पोस्टर्स के जरिए विभिन्न सूचना सुरक्षा सावधानियों के बारे में ग्राहकों को भी सूचित किया जाता है। बैंक भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को 'साइबर (जागरूकता) दिवस' मनाता रहा है।

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

बैंक की आईटी संरचना और प्रणाली को पेरीमीटर और एंड-पॉइंट दोनों समाधानों सहित एक सशक्त सूचना सुरक्षा फ्रेमवर्क के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया है। आपके बैंक का डेटा सेंटर (डीसी), आपदा रिकवरी केंद्र (डीआर) तथा नजदीकी डीआर केंद्र (एनडीआर) नवीनतम आईएसओ 27001: 2013 सूचना सुरक्षा मानकों के साथ प्रमाणित हैं। आपके बैंक का नजदीकी डीआर महत्वपूर्ण लेनदेन प्रणालियों के लिए शून्य डेटा हानि सुनिश्चित करता है। बैंक की सूचना सुरक्षा संचालन समिति (आईएसएससी) सूचना प्रणालियों में आईटी जोखिम को कम करने के लिए निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करती है तथा वलनरेबिलिटी अससेस्मेंट एण्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग (वीएपीटी) / ऐप्लिकेशन सिम्युलेशन टेस्टिंग (एएसए) प्रक्रिया के माध्यम से पहचानी गई टिप्पणियों की स्थिति पर किसी भी सुभेद्यता को जारी रखने के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करती है। साइबर सुरक्षा की दशा, विभिन्न सुरक्षा घटनाएं और नीतियां आवश्यक निर्देशों के लिए बोर्ड की आईटी रणनीति समिति (आईटीएससीबी) के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। नीतियों को आईटीएससीबी द्वारा अनुमोदन के लिए बोर्ड को अनुशंसित किया जाता है।

ग्राहक डेटा की सुरक्षा करने, बाह्य आक्रमणों को रोकने तथा आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाने के लिए अनेक सूचना सुरक्षा समाधानों जैसे विशेषाधिकार प्राप्त पहचान एक्सेस प्रबंधन, नेक्स्ट-जनरेशन - फायरवाल समाधान, मोबाइल युक्ति प्रबंधन, हनीपॉट समाधान, पैच प्रबंधन समाधान, सक्रिय डायरेक्टरी, वेब/मेल गेटवे, एंड पॉइंट एवं यूएसबी एनक्रिप्शन, डेटा लीकेज प्रिवेंशन (डीएलपी) सॉल्यूशन, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट (एपीटी), नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएस), वेब-एप्लिकेशन फायरवाल (डब्ल्यूएएफ) आदि कार्यान्वित किए गए हैं।

प्रबंधन, नियंत्रण और प्रणालियां

मानव संसाधन

ज्ञानार्जन एवं विकास

वित्तीय वर्ष 2022 -23 के दौरान आपके बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् आईडीबीआई प्रशिक्षण कॉलेज, हैदराबाद और इसके 10 अंचल प्रशिक्षण केन्द्रों ने ऑनलाइन ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली अर्थात् ओजस (ओजेएस) के अलावा 1,122 आंतरिक और आवश्यकतानुसार बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 17,050 कर्मचारियों को (ऑनलाइन व ऑफलाइन तरीके से) प्रशिक्षित किए। विभिन्न वर्टिकलों के कर्मचारियों को अनेक विषयों यथा, कतिपय अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ खुदरा बैंकिंग, एमएसएमई, कृषि ऋण, ग्रामीण ऋण वितरण एवं निगरानी, अनर्जक आस्ति प्रबंधन, संरचित खुदरा आस्ति (ऋण/बिक्री/परिचालन), खुदरा संग्रह, लेखा-परीक्षा, साइबर सुरक्षा, प्रलेखीकरण, भूमिका आधारित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, व्यापार वित्त, मानव संसाधन, ट्रेजरी, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण, जोखिम, वित्त एवं लेखे, नेतृत्व/ व्यवहार प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि., विषयों पर प्रशिक्षण दिया। आपके बैंक ने यौन उत्पीड़न (पीओएसएच) रोकथाम, सतर्कता जागरूकता, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धन-शोधन निवारण (एमएएल),

डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा, फिनेकल आदि के मॉड्यूलों में मिश्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन / क्लासरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं ई-लर्निंग मॉड्यूल) भी आयोजित किए। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने ग्राहक सेवा, महिला अधिकारियों के लिए करियर विकास, राजभाषा, केवाईसी/ एमएएल एवं साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

आपके बैंक ने 701 अधिकारियों को उनसे संबंधित कार्यक्षेत्रों में अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए सुप्रसिद्ध संस्थानों द्वारा आयोजित 128 बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया। वर्ष के दौरान आपके बैंक ने 16 अधिकारियों को उनसे संबंधित कार्यक्षेत्रों में अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों / सम्मेलनों में नामित किया।

सतत ज्ञानार्जन संस्कृति के भाग के तौर पर आपका बैंक अपनी अध्ययन प्रबंधन प्रणाली यथा ओजस के माध्यम से ई-लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है ताकि कर्मचारियों को अध्ययन के लिए लागत प्रभावी ढंग से अतिरिक्त चैनल उपलब्ध कराए जा सकें। ओजस में विभिन्न प्रकार के बैंकिंग संबंधी विषयों को शामिल करते हुए 300 से अधिक अद्यतित ई-लर्निंग मॉड्यूल रखे गए हैं जिसमें बैंकिंग, व्यवहार-कौशल के साथ प्रयोजनमूलक मॉड्यूल शामिल हैं। बैंक ने सभी अनिवार्य ई-लर्निंग प्रमाणन को अधिकारियों के लिए आई-पेस प्रणाली में प्रावधान रखते हुए वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया से जोड़ा है जिसमें अंतिम कार्य-निष्पादन ग्रेड का निर्णय करते समय समग्र रूप से पूर्ण किए गए ई-लर्निंग की स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। बैंक में जागरूकता पैदा करने और सशक्त अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने ग्रेड ए से ई तक के अधिकारियों के लिए अनिवार्य अनुपालन मॉड्यूल भी शामिल किया है।

कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा आईडीबीआई प्रशिक्षण कॉलेज ने देश और दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आईडीबीआई प्रशिक्षण कॉलेज और अंचल प्रशिक्षण केंद्रों (जेडटीसी) द्वारा 2,139 सहभागियों के साथ 54 बाह्य कार्यक्रम आयोजित किए गए।

आपके बैंक ने ग्रेड 'ए' अधिकारियों के तौर पर पद ग्रहण करने वाले नए नवागंतुकों के लिए विश्वसनीय सलाहकार (मेंटोरशिप) कार्यक्रम स्थापित किया है जिसमें वरिष्ठ स्तर के अधिकारी उनको अपने काम की प्राथमिकता तय करने, नेटवर्किंग करने और जीवन में आजीविका नियोजन करने के अलावा व्यावसायिक और वैयक्तिक कौशल विकसित करने के लिए गाइड करते हैं। यह व्यवस्था बेहतर कर्मचारी वचनबद्धता पैदा करने, अपनेपन की भाव जगाने, पलायन दर में कमी लाने में सहायक हुई है जिसने उद्योग जगत में आपके बैंक को सर्वाधिक पसन्दीदा रोजगारदाता बनाया है।

आपके बैंक ने प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करते हुए सहयोगात्मक पद्धति से सीखने की पहल की है। आईडीबीआई प्रशिक्षण कॉलेज ने विभिन्न संयुक्त प्रशिक्षण और संकाय विनिमय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्टेट बैंक इंस्टिट्यूट ऑफ रुरल बैंकिंग (एसबीआईआरबी)

और बैंकिंग ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (बीटीआई), नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुसूचित जाति (अजा)/ अनुसूचित जनजाति (अजजा) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले श्रेणी III और IV के कर्मचारियों के बच्चों के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर छात्रवृत्ति प्रदान की है।

मानव संसाधन की तैनाती

कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक के पास संगठनात्मक और विनियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सुदृढ़ तैनाती व्यवस्था है। कर्मचारियों की तैनाती का उद्देश्य व्यापक और विशाखीकृत परिचालन क्षेत्रों के एकसपोजर के माध्यम से अधिकारियों की दक्षता और कौशल को विकसित करना है। यह कार्य क्षमता निर्माण ढांचे के माध्यम से भी किया जाता है जिसमें ज्ञान उन्नयन और मौजूदा कौशल सेटों में वृद्धि के जरिए विशेष हस्तक्षेप के द्वारा व्यक्तिगत कौशलों में इष्टतम वृद्धि की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारियों सहित अधिकारियों का स्थानांतरण सामान्यतः अधिकारियों की तैनाती और स्थानांतरण नीति (ओपीटीपी) के अनुसार किया जाता है।

कर्मचारी हितलाभ एवं कल्याण

आपका बैंक समग्र कामकाजी माहौल प्रदान करने में विश्वास रखता है जो कर्मचारियों को प्रतिबद्ध बने रहने में सहायक होगा। इस स्थिति में आपका बैंक तमाम तरह के कर्मचारी लाभ प्रदान करता रहा है जैसे :

- बैंक कर्मचारियों को स्वयं और उनके आश्रितों को चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान करता है जिसमें अस्पताल में भर्ती की सुविधा, घरेलू उपचार पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति, व्यापक स्वास्थ्य जांच, प्रमुख केंद्रों पर बैंक चिकित्सा अधिकारी की सेवाएं आदि।
- बैंक कम ब्याज दर पर ऋण और अग्रिम तथा रियायती शर्तों पर चुकौती की सुविधा देता है।
- बैंक सेवा के दौरान बैंक के मृत कर्मचारियों के शोकाकुल परिवार के सदस्यों को अनुकंपा सुविधाएं प्रदान करता है जिनमें सामूहिक जीवन बीमा योजना (जीएलआईएस), अनुकंपा पर नियुक्ति/ अनुग्रह भुगतान, आई-दोस्त योजना जो सभी कर्मचारियों के सामूहिक योगदान से वित्तीय सहायता प्रदान करती है और स्टाफ ऋणों के लिए बीमा कवर शामिल हैं।
- अध्ययन और विकास के अनेक पहलों के अलावा, आपके बैंक ने कर्मचारियों के कौशल में उन्नयन और विकास के लिए एक क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क बनाया है जो विशिष्ट रूप से अनिवार्य प्रमाणन को पूरा करने और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में दूरस्थ अध्ययन पाठ्यक्रम अपनाने की सुविधा प्रदान करता है।

- अपने निदेशकों / अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए वित्तीय और विधिक सहायता देने के लिए आपके बैंक की एक योजना है और निदेशकों तथा अधिकारियों के लिए एक दायित्व बीमा पॉलिसी भी है।

औद्योगिक संबंध

आपके बैंक में वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध का वातावरण सामान्यतः मैत्रीपूर्ण रहा है तथा अधिकांश समस्याओं का समाधान सौहार्दपूर्ण रूप से कर लिया गया है। अधिकारियों/ कर्मचारियों की शिकायतों को समझने और उनका समाधान निकालने हेतु प्रलक्षित संवाद स्थापित करने के अपने प्रयासों के तौर पर बैंक ने संघों और यूनियनों के साथ बैठकें की हैं। यूनियन और संघ भी विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए सक्रिय और तत्पर रहे हैं।

आरक्षण नीति

आपका बैंक इस विषय में लागू दिशा-निर्देशों का पालन करता है। यथा 31 मार्च 2023 को बैंक की कुल श्रमशक्ति संख्या में अनुसूचित जाति (अजा)/ अनुसूचित जनजाति (अजजा)/ अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आरुक्व) का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

श्रेणी	अनुसूचित जाति (अजा)	अनुसूचित जनजाति (अजजा)	अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आरुक्व)
अधिकारी	2,193	954	4,082	113
एक्जीक्यूटिव	244	135	555	186
लिपिक	56	21	39	0
अधीनस्थ स्टाफ	116	34	94	0
कुल	2,609	1,144	4,770	299

कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली

आपके बैंक की एक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली है अर्थात बैंक में कार्यनिष्पादन उन्मुख संस्कृति को बढ़ावा देने और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए संगठनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप कर्मचारी द्वारा कार्यनिष्पादन के लिए आईडीबीआई कार्यनिष्पादन मूल्यांकन व सतत मूल्यांकन प्रणाली (आई-पीएसीई) है। आईडीबीआई कार्यनिष्पादन मूल्यांकन व सतत मूल्यांकन प्रणाली (आई-पीएसीई) में एक समान भूमिका के लिए मानकीकृत मुख्य परिणाम क्षेत्रों (केआरए) के साथ समान भारांक और अधिकांश मापनीय केआरए के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली/ डैश बोर्ड लिंकेज शामिल है।

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

भर्ती और स्टाफिंग

यथा 31 मार्च 2023 को आपके बैंक के पास कुल स्टाफ संख्या 17,850 रही. कर्मचारियों का श्रेणीवार अलग-अलग विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	कुल
अधिकारी	15,438
एक्जीक्यूटिव	1,578
लिपिकीय स्टाफ	395
अधीनस्थ स्टाफ	439
कुल	17,850

गणना में संविदागत कर्मचारी शामिल हैं

आपके बैंक ने संगठनात्मक विकास के लिए वांछित गुणवत्ता और कौशल कर्मिकों की भर्ती को केंद्र में रखते हुए प्रतिष्ठित संस्थानों से कैम्पस भर्ती चैनल के माध्यम से ग्रेड 'ए' अधिकारियों को नियुक्त किया. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विभिन्न ग्रेड में 1,924 व्यक्तियों की भर्ती की जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

ग्रेड	कुल
ग्रेड ए (सहायक प्रबंधक)	631
ग्रेड बी (प्रबंधक)	39
ग्रेड सी (सहायक महा प्रबंधक)	25
ग्रेड डी (उप महा प्रबंधक)	14
ग्रेड एफ (मुख्य महा प्रबंधक)	2
ग्रेड जी (कार्यपालक निदेशक)	1
संविदागत एक्जीक्यूटिव	1208
# लिपिक	4
कुल	1,924

*उपर्युक्त डेटा में परामर्शदाता (संविदा पर) और मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी शामिल नहीं हैं.

अनुकंपा नियुक्तियाँ

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच)

आपके बैंक ने अवांछनीय घटना के घटित होने पर पीड़ित महिला को तुरंत सहायता देने और तत्काल अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न झेलनेवाली महिला की शिकायत सीधे

आन्तरिक समिति के सदस्यों के पास दर्ज कराने के लिए ई-मेल आधारित शिकायत प्रणाली कार्यान्वित की है.

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

आपके बैंक ने सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण कार्य वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने को सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के निपटान के लिए दो आंतरिक शिकायत समितियां बनाई हैं. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आपके बैंक को इस संबंध में 7 (सात) शिकायतें प्राप्त हुईं जिसे संबंधित आंतरिक समितियों ने सुना. 31 मार्च 2023 को 5 (पाँच) शिकायतों पर निष्कर्ष लंबित था.

उत्तराधिकार योजना

आपके बैंक ने महत्वपूर्ण वरिष्ठ पदों पर उत्तराधिकार योजना लागू की है. यह नीति वरिष्ठ पदों के लिए लीडरशिप प्रक्रिया के सृजन के लिए समग्र ढांचा उपलब्ध कराती है ताकि जब चिन्हित महत्वपूर्ण पद खाली हो तो कारोबार निरंतरता सुनिश्चित की जा सके.

नए पहल-कार्य

- परिवर्ती वेतन की शुरुआत
उच्च कार्यनिष्पादन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आपके बैंक ने सभी कर्मचारियों के लिए परिवर्ती वेतन घटक की शुरुआत की जिसे बैंक-व्यापी लक्ष्यों की प्राप्ति और वैयक्तिक कर्मचारी के कार्यनिष्पादन के साथ जोड़ा गया है.
- आईडीबीआई बैंक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एण्ड फाइनेंस (पीजीबीडीएफ) पाठ्यक्रम के माध्यम से नियुक्त होने वाले अधिकारियों को पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति

प्रतिभा प्रतिधारण उपाय के तौर पर आपके बैंक ने बैंक में तीन वर्ष की सेवा पूरा करने और संतोषजनक कार्यनिष्पादन रेटिंग की शर्त पर अधिकारियों के लिए आईडीबीआई बैंक पीजीबीडीएफ पाठ्यक्रम के माध्यम से नियुक्त होने वाले अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क प्रतिपूर्ति की नीति शुरू की है. यह प्रतिपूर्ति उन सभी अधिकारियों के लिए लागू है जो इस चैनल के माध्यम से भर्ती हुए हैं और बैंक की सेवा में हैं.

बुनियादी संरचना प्रबंधन

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने पटना अंचल कार्यालय परिसर से परिचालन शुरू किया। दिल्ली अंचल कार्यालय एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में स्थित नवीनीकृत परिसर में स्थानांतरित हुआ। वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न अंचलों की अनेक शाखाओं के स्थानांतरण और नवीकरण के कार्य को पूरा किया।

एक पर्यावरण हितैषी उपाय के रूप में और ऊर्जा संरक्षण के लिए बैंक ने अपने परिसरों में परंपरागत लाइट फिक्सचर की जगह ऊर्जा दक्ष लाइट फिक्सचर, लैम्प और ट्यूब लगाने का कार्य जारी रखा। बैंक के अपने परिसरों के हक विलेख को पूर्णता के उपरांत डिजिटल करने के अभियान को जारी रखा गया है।

आंतरिक लेखापरीक्षा

आपके बैंक का एक समर्पित आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जो आंतरिक नीतियों, प्रक्रियाओं और विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन का मूल्यांकन करता है और साथ ही यह बैंक के भीतर आंतरिक नियंत्रणों, जोखिम प्रबंधन और अभिशासन की प्रभाविकता सुनिश्चित करता है और उक्त में सुधार हेतु सुझाव देता है। लेखापरीक्षा कार्यकलाप के अंतर्गत विभिन्न कारोबार एवं सपोर्ट वर्टिकलों, अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखाओं और गैर-शाखा खंडों द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों की लेखापरीक्षा और जोखिम आधारित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को अपनाया गया। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) के मार्गनिर्देश तथा देख-रेख में कार्य करता है।

बैंक का लेखा परीक्षा के कार्य (i) जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति; (ii) समवर्ती लेखापरीक्षा नीति; और (iii) सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा नीति द्वारा अभिशासित हैं। जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के हिस्से के रूप में लेखापरीक्षा विभाग विभिन्न लेखापरीक्षा अर्थात् शाखा लेखापरीक्षा, ऋण लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा आदि का आयोजन करता है। शाखाओं की लेखापरीक्षा पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने और अनुवर्तन कार्यों को पर्याप्त और प्रभावी रूप से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए आपके बैंक में अपने सभी अंचलों में अंचल लेखापरीक्षा कार्यालय (जेडएओ) बनाए गए हैं। लेखापरीक्षा गतिविधियों को एक वेब आधारित एप्लिकेशन-लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली के जरिये संपन्न किया जाता है, जिसे लेखापरीक्षित इकाइयों के संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालनों की निगरानी हेतु तत्काल आधार पर उपयोग किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (i) धोखाधड़ी निगरानी समूह (ii) स्टाफ जवाबदेही (iii) लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट, और

(iv) वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी कार्य का भी प्रबंध करता है।

लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर)

लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) को अंतिम रूप देने के लिए लेखापरीक्षा विभाग बैंक की शाखाओं द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को संकलित कर सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) के साथ साझा करता रहा है। बैंक की शाखाओं द्वारा जानकारी/ डेटा इनपुट करने और एससीए द्वारा उपयोग के लिए समेकित रिपोर्ट जेनरेट करने हेतु एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (इफको-एफआर)

लेखा परीक्षा विभाग, (i) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता; और (ii) ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावशीलता ठीक होने के साथ ही सभी सक्रिय मुद्दों को समय पर और प्रभावी रूप से बंद करना सुनिश्चित करने के संबंध में नियुक्त किए गए बाहरी परामर्शदाता द्वारा जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स की पहचान करने और उसका परीक्षण करने के लिए, समन्वय व पर्यवेक्षण करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सक्रिय मुद्दों को बंद करने के प्रयास के नियंत्रण हेतु पर्याप्त उपाय किए गए हैं, संबंधित कारोबारी कार्यों को नियमित आधार पर सचेत करते रहने का कार्य भी किया जाता है।

सूचना प्रणाली (आईएस) की लेखा परीक्षा

बैंक की आईएस लेखा परीक्षा कार्यकलाप में ऐप्लिकेशन सिस्टम, आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, बाहरी विक्रेताओं की लेखापरीक्षा, नीति एवं प्रक्रिया समीक्षा, डेटा सेंटर के समवर्ती लेखा परीक्षा और शाखा लेखा परीक्षा शामिल हैं।

‘लेखा परीक्षा कार्य की स्वतंत्रता का आश्वासन’ पर रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर और प्रबंधन एवं नियामकों को आश्वासन प्रदान करने के लिए, आईएस लेखा परीक्षा कार्यकलाप सहित आंतरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता आश्वासन समीक्षा बैंक द्वारा की जा रही है। समीक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की प्रभावशीलता और दक्षता का आकलन करने के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण और प्रथाओं को प्रमाणित करना है। साइबर घटनाओं के बढ़ते दृष्टांतों को देखते हुए आईएस लेखापरीक्षा के दायरे में साइबर सुरक्षा पहलुओं को शामिल करने पर जोर दिया गया है।

ऑफसाइट निगरानी प्रणाली

ऑफ साइट निगरानी प्रणाली (ओएमएस) एक साधन है जो दैनंदिन के रूटीन फिनेकल परिचालनों में त्रुटियों/ भूल और नियंत्रण से समझौता (यदि कोई हो)

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

का पता लगाने और होने वाले अपवादों की बेहतर निगरानी के लिए अलर्ट जारी करने में सहायता करता है. ओएमएस नियम अपवादों की पहचान करते हैं जो बैंक के विनियामक, वित्तीय और परिचालनगत जोखिमों को प्रकट करते हैं. वर्ष के दौरान उत्कर्ष परियोजना के तहत ओएमएस को समग्र रूप से बेहतर किया गया और उसे लांच किया गया.

समवर्ती लेखापरीक्षा

समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए) प्रणाली अनियमितताओं/ चूकों का पता लगाने के लिए बैंक की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) का भाग है जो जोखिमों को नियंत्रित रखने में आंतरिक और विनियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघनों की रोकथाम करने और धोखाधड़ी वाले लेनदेनों को रोकने में सहायता करती है. सीए प्रणाली मूलतः एक नियंत्रण प्रक्रिया है जो मजबूत आंतरिक लेखांकन प्रणालियों की स्थापना और प्रभावी नियंत्रणों हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है. रिजर्व बैंक के सम्बद्ध दिशानिर्देशों के अनुसार समवर्ती लेखापरीक्षा शाखाओं/ अन्य गैर शाखा इकाइयों जैसे ट्रेजरी, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई (सीपीयू) और खुदरा आस्ति केन्द्रों (आरएसी) में की जाती है, जिनकी पहचान जोखिम बोध और किए जाने वाले कारोबार की मात्रा के आधार पर होती है. इसके अलावा, प्रधान कार्यालय के अभिनिर्धारित कार्यपरक प्रभागों की भी समवर्ती लेखापरीक्षा होती है तथा सभी व्यापार वित्त केंद्रों को समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है. बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित समवर्ती लेखापरीक्षा नीति के अनुसार समवर्ती लेखापरीक्षा को जमाओं के 70% और अग्रिमों के 70% भाग को कवर करना आवश्यक है. तदनुसार वित्तीय वर्ष 2022 -23 के लिए समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत लगभग 919 लेखापरीक्षित इकाइयां कवर की गईं और इसके लिए बाहरी सनदी लेखाकार फर्मों की सेवाएं ली गईं. रिपोर्ट की गुणवत्ता तथा समय पर प्रस्तुति हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों के कार्यनिष्पादन पर अंचल लेखापरीक्षा कार्यालय (जेडएओ) और बैंक का प्रधान कार्यालय लगातार गहन निगरानी रखते हैं.

ऋण लेखापरीक्षा

आपके बैंक ने वार्षिक आधार पर चुनिंदा खातों की विस्तृत समीक्षा के लिए ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली कार्यान्वित की है. परिभाषित मानदंडों के आधार पर समीक्षाधीन अवधि के दौरान मंजूर किए गए प्रस्तावों में से उधारकर्ता खातों को ऋण लेखापरीक्षा के लिए अभिनिर्धारित किए जाते हैं अर्थात् (i) कार्यकलाप के आकार के आधार पर निर्दिष्ट सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक की मंजूरी सीमा वाले सभी नए, अधिग्रहित एवं ऋण वर्धन प्रस्ताव और सीमाओं के नवीकरण/ नवीकरण-सह-वृद्धि के प्रस्ताव; (ii) शेष पोर्टफोलियो में से बिना किसी क्रम से चुने गए (10%) प्रस्ताव; और (iii) निवेश ग्रेड से नीचे (यदि समीक्षा अवधि के दौरान निवेश ग्रेड से परिवर्तित हुए हों).

छानबीनपरक लेखापरीक्षा अथवा विशेष छानबीनपरक लेखापरीक्षा (आईए/एसआईए)

आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा विभिन्न ट्रिगर्स के आधार पर कुछ निश्चित शाखाओं/ कार्यालयों की छानबीनपरक लेखापरीक्षाएं/ विशेष छानबीनपरक लेखापरीक्षाएं (आईए/ एसआईए) की गईं. इन विशेष छानबीनपरक लेखापरीक्षाओं से प्राप्त महत्वपूर्ण अवलोकनों को आईए/एसआईए के लिए गठित कार्यपालक निदेशक स्तर की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और परामर्श/निर्देशों जारी किए जाते हैं उन पर किए गए सुधारात्मक उपायों को आवधिक रूप से बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) को रिपोर्ट किया जाता है. लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की गई छानबीन प्रणालीगत सुधारों, नीतिगत सुधारों, योजना संबंधी दिशानिर्देशों, कार्य-प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही नियंत्रणों को मजबूत करने तथा शाखाओं की बेहतर ढंग से समग्र निगरानी सुनिश्चित करने में सहायता करती है. आईए / एसआईए द्वारा प्रदत्त अग्रिम ट्रिगर समय पर वसूली/ विधिक कार्यवाही शुरू करने और खातों को एनपीए होने से बचाने में अंचलों की सहायता की है.

छानबीनपरक लेखापरीक्षाओं/ विशेष छानबीनपरक लेखापरीक्षाओं से प्राप्त चूक/ कमियों को शाखाओं और साथ ही नियंत्रक इकाइयों के साथ सांझा किया जाता है ताकि ऐसी चूक की पुनरावृत्ति से बचा जा सके और न केवल शाखा स्तर पर, बल्कि पर्यवेक्षीय स्तर पर अनुपालन प्रक्रिया को मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके.

धोखाधड़ी निगरानी

बैंक ने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के अंतर्गत एक समर्पित धोखाधड़ी निगरानी समूह (एफएमजी) के माध्यम से धोखाधड़ी निगरानी व्यवस्था कार्यान्वित की है. एफएमजी धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपराचारात्मक कार्रवाईयों की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करता है तथा आंतरिक नियंत्रणों को सशक्त बनाने और आवश्यकता आधारित उपचारात्मक उपाय लागू करने के उद्देश्य से समय-समय पर आवश्यक एडवाइजरी/ परिपत्र भी जारी करता है. धोखाधड़ियों का समयपूर्व पता लगाने, उनकी रोकथाम करने, रिपोर्टिंग, निगरानी और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक विस्तृत धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन (एफआरएम) नीति कार्यान्वित की गई है. धोखाधड़ी की समय पर रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए एफएमजी नियमित आधार पर एफआरएम नीति की समीक्षा करता है.

बैंक ने धोखाधड़ी की त्वरित रिपोर्टिंग और धोखाधड़ी के मामलों की समय सीमा के अंतर्गत रिपोर्टिंग हेतु विभिन्न आंतरिक परिपत्र जारी किए हैं, जिनमें रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी की समय पर रिपोर्टिंग करने के महत्व को दोहराया गया है.

आपके बैंक में एक समर्पित धोखाधड़ी प्रबंधन समूह (एफआरएमजी) है जो अपने उद्यम-वार जोखिम प्रबंधन समाधान (ईएफआरएमएस) के जरिये धोखाधड़ी नियंत्रण करने / पता लगाने के नियमों को नियोजित कर विभिन्न प्रणालियों और अनुप्रयोगों द्वारा किए गए संदिग्ध लेन-देनों की जोखिम आधारित निगरानी करता है। वर्ष के दौरान एटीएम और इंटरनेट पेमेंट गेटवे (आईपीजी) पर होने वाले अधिगृहीत लेनदेन को भी कवर करने के लिए ईएफआरएमएस प्रणाली का विस्तार किया गया। 24x7 आधार पर जोखिम आधारित संदिग्ध लेनदेन निगरानी गतिविधि को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (ईपीएस) को कवर करने वाले सभी डिजिटल चैनल लेनदेनों तक बढ़ा दिया गया है। सभी डिजिटल चैनलों में ईएफआरएमएस के क्रियान्वयन से बैंक के ग्राहकों के लिए सुरक्षित और संरक्षित लेनदेन सुनिश्चित करने और सभी संबंधित हितधारकों के हितों की रक्षा करने में सहायता मिली है।

स्टाफ जवाबदेही

बैंक की एक विस्तृत स्टाफ जवाबदेही नीति है जिसका उद्देश्य बैंक के हित की सुरक्षा हेतु ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना है जहां बैंक द्वारा बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं हो रहा है और जिसके परिणामस्वरूप बैंक को हानि हुई है। यह प्रक्रिया, बैंक को अपनी कार्य-प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करने, प्रशिक्षण और परामर्श के माध्यम से किसी प्रकार के ज्ञान की कमी को दूर करने अथवा अन्य कार्यवाहियों द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार करने में जो दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं के बेहतर अनुपालन के अनुकूल हो, के द्वारा बैंक को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने में सहायता करती है।

सतर्कता तंत्र

आपके बैंक के प्रधान कार्यालय, मुंबई में एक सतर्कता विभाग (वीजीडी) परिचालनरत है जिसके विभागाध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं। आपके बैंक ने अपने सभी अंचल कार्यालयों (जेडओ) में बेहतर नियंत्रण रखने और सतर्कता गतिविधियों की निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सतर्कता टीमों का भी गठन किया है।

आपके बैंक के सीवीओ अन्य कार्यकलापों की साथ-साथ बैंक के सतर्कता मामलों से संबंधित सभी कार्यों को करते/ देखते हैं जिनमें (i) सतर्कता मामलों पर कार्यवाही करना, सतर्कता इंगित करने वाली और सत्यापन किए जाने लायक आरोपों से संबद्ध शिकायतों की जांच करना (ii) छानबीन रिपोर्टों पर कार्यवाही करना जिसे आगे अनुशासनात्मक प्राधिकारी (डीए) के विचारार्थ भेजना (iii) जहां कहीं भी आवश्यकता हो मामलों को केंद्रीय सतर्कता आयोग

(सीवीसी) को उनके विचारार्थ/ सूचनार्थ भेजना (iv) भ्रष्टाचार/ कदाचार रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना (v) विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय और संपर्क करना, शामिल है।

सतर्कता कार्य में 'निवारक सतर्कता' और 'दंडात्मक सतर्कता' दोनों शामिल हैं। निवारक सतर्कता एक सतत प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा का प्रयास करता है कि निर्धारित प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, विवेक का कम उपयोग किया जाता है और सतर्कता मामलों पर कर्मचारियों के साथ-साथ बैंक के अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना सुनिश्चित करता है।

आपके बैंक द्वारा अपनाए गए कुछ सतर्कता निवारक उपायों में विभिन्न शाखाओं में अनाचार, यदि कोई हो, का पता लगाने और स्थापित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अस्पष्ट अनुपालन की जांच हेतु ऑफसाइट/ औचक सतर्कता दौरे (एसवीवी) तथा स्वतः संज्ञान आधार (स्टाफ/ बाह्य तत्वों द्वारा किसी भी संदिग्ध अनुचित कार्यों की जानकारी प्राप्त होने पर) पर निरीक्षण करना शामिल है। इसके अलावा, एक बारीय निपटान (ओटीएस)/ पहली बार अनर्जक आस्ति (एनपीए) मामलों की जांच, बैंक अधिकारियों के आस्ति व देयताओं की विवरणियों (एआरएएल) की जांच, बैंक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों आदि की जांच, जहां भी आवश्यक हो, व्यवस्थित सुधार के लिए पाई गई अनियमितताओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करना और सतर्कता मामलों आदि पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना आदि सतर्कता विभाग द्वारा किए जाते हैं।

भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयासों के तहत साथ ही साथ सीवीसी के निदेशों के अनुरूप सतर्कता मामलों पर जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, आपके बैंक ने 31 अक्टूबर 2022 से 06 नवंबर 2022 के दौरान 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2022 को 'भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत' विषय के साथ मनाया। इस अवसर पर, आपके बैंक ने प्रख्यात वक्ता के द्वारा व्याख्यान आयोजित किया और स्टाफ सदस्यों के लाभ के लिए एक विशेष ई-पत्रिका जारी की। अखिल भारतीय स्तर पर अपने स्टाफ सदस्यों तथा उनके बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे ऑनलाइन और ऑफ लाइन क्विज, निबंध-लेखन, कॉइन-ए-कैप्शन, मेमोरी गेम, क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता आदि का आयोजन भी किया गया।

आपके बैंक के कर्मचारियों ने ऑनलाइन सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा ली। बैंक ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई का समर्थन करने के लिए अपने ग्राहकों को सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेने के लिए एक लिंक के साथ एसएमएस भेजे। आपके बैंक के फील्ड अधिकारियों के लाभ के लिए विभिन्न स्थानों पर संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। आम जनता/नागरिकों के बीच जागरूकता के लिए, वीएडब्ल्यू 2022 के बैनर/पोस्टर आपके बैंक के अंचल कार्यालयों (जेडओ),

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ), शाखाओं और सार्वजनिक इंटरफेस वाले अन्य स्थानों पर प्रदर्शित किए गए. आपके बैंक ने विभिन्न स्थानों पर ग्राम सभाओं का भी आयोजन किया.

सीवीसी के निर्देशों के अनुसार, वीडियो 2022 के बारे में जानकारी आपके बैंक की वेबसाइट के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके प्रोफाइल/हैंडल के माध्यम से प्रसारित की गई.

विनियामक अनुपालन

आपका बैंक आंतरिक नियंत्रणों की संरचित प्रणाली और विभिन्न स्तरीय समीक्षा के जरिए भारत सरकार (जीओआई), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) तथा अन्य विनियामक/सांविधिक निकायों द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न सांविधिक एवं विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. बैंक का अनुपालन विभाग, प्रधान कार्यालय मुंबई से संचालित है और कार्यपालक निदेशक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी इसके प्रमुख हैं जिन्हें मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के रूप में नामित किया गया है. यह विभाग सभी वैधानिक और विनियामक दिशानिर्देशों के प्रसार और समावेशन का समन्वय करता है. आपके बैंक ने रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक अनुपालन नीति लागू की है जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. बैंक में प्रत्येक स्तर के लिए अनुपालन कार्य के संबंध में भूमिका और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है. बोर्ड को रिजर्व बैंक और अन्य विनियामकों/एजेंसियों से प्राप्त महत्वपूर्ण सूचनाओं/दिशानिर्देशों के संबंध में मासिक अंतराल पर अवगत कराया जाता है. आपके बैंक ने Cerma+ नामक उन्नत तकनीकी एप्लिकेशन के कार्यान्वयन द्वारा निचले स्तर तक आंतरिक अनुपालन संस्कृति को सशक्त बनाया है, इस तकनीक में अनुपालन संबंधी जानकारी रिजर्व बैंक को समय पर प्रस्तुति के लिए ट्रैकर और उपयुक्त डेटा प्रबंधन करने की सुविधा है

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम

आपके बैंक ने विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त होने वाले अनुरोधों का त्वरित उत्तर देने के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किए हैं. इसके अलावा, सभी शाखा प्रमुखों को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों को प्राप्त करने और उन्हें नामित सीपीआईओ के पास भेजने के लिए केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है. आपके बैंक ने असंतुष्ट आवेदकों की अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य महा प्रबंधक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रथम अपील प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित किया है. आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यपालक निदेशक स्तर के अधिकारी को एक पारदर्शिता अधिकारी को नियुक्त किया गया है. बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के लिए एक अलग लिंक उपलब्ध कराया गया है. आपके बैंक ने भारत सरकार के आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के साथ भी संबद्धता स्थापित की है जिसके अंतर्गत नागरिक पोर्टल (<https://rtionline.gov.in>) के जरिये आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांग सकते हैं और अपील दायर कर सकते हैं.

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम व नियमों के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए ठोस प्रयास किये हैं. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और अन्य निर्देशों के अनुपालन के लिए आपके बैंक के सभी वर्टिकलों, विभागों, अंचल कार्यालयों और शाखाओं द्वारा नियमित रूप से विशेष प्रयास किए गए. बैंक ने ग्राहक संवादों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए कई पहलकार्य किये हैं.

वर्ष के दौरान, बैंक की वेबसाइट पर बैंक के उत्पादों एवं योजनाओं के बारे में हिन्दी में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रयास किये गये. बैंक के अभय, पेपेट और गो मोबाइल+, जैसे विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशनों में हिंदी की सुविधा उपलब्ध कराई गई. ग्राहकों के लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के पोस्टर, बैनर तथा अन्य प्रचार सामग्री को हिंदी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रदर्शित किया गया. सरकार की सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं के प्रचार अभियानों में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया गया.

आपके बैंक ने हिंदी में कार्य को सुगम बनाने के लिए अपने इंटरनेट पर द्विभाषी रूप में टेम्पलेट पत्र, फॉर्म, शब्दकोश, नोटिंग और अन्य प्रासंगिक संदर्भ सामग्री अपलोड की है. स्टाफ सदस्यों द्वारा अपने दैनंदिन कार्यालयीन कार्य में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गईं और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों/वर्टिकलों और अन्य कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को प्रगामी रूप से बढ़ावा देने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन की विभिन्न अपेक्षाओं और हिंदी यूनिकोड के प्रयोग से कर्मचारियों को परिचित करने के लिए आपके बैंक के सभी क्षेत्रों में राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की गईं. सितम्बर 2022 में बैंक में राजभाषा पखवाड़ा भी मनाया गया.

ग्राहक सेवा और शिकायत प्रबंधन

अपने सभी हितधारकों के लिए सर्वाधिक पसंदीदा और विश्वसनीय बैंक बनने के अपने ध्येय को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण

अपनाया है जो उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के साथ ग्राहकों को खुश करने पर केन्द्रित है।

ग्राहकों की बदलती जरूरतों और पसंदों के प्रति उत्तरदायी होने के लिए, आपका बैंक समय-समय पर अपनी नीतियों की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये नीतियां नवीनतम घटनाक्रमों के अनुरूप हैं और ग्राहकों को एक परिभाषित प्रणाली के अनुसार अपनी शिकायतों को हल करने के लिए सशक्त बनाती हैं। सभी चैनलों से प्राप्त शिकायतों पर इस नीति के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है जिसमें एक समय-आधारित एस्केलेशन मैट्रिक्स भी शामिल है जिसके तहत यदि शिकायत का समाधान एक तय समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो उसे बेहतर शिकायत समाधान प्रबंधन के लिए अगले उच्च अधिकारी के पास प्रेषित कर दिया जाता है। आपके बैंक ने अपने सभी 14 अंचल कार्यालयों में से प्रत्येक में शिकायत निवारण अधिकारियों (जीआरओ) और प्रधान कार्यालय, मुंबई में एक प्रधान नोडल अधिकारी (पीएनओ) को पदनामित किया है। इसके अलावा, आंतरिक लोकपाल योजना 2018 के अनुसार आपके बैंक ने आंतरिक लोकपाल (आईओ) नियुक्त किया है। आपके बैंक की एक मानकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) ग्राहक मूल्य प्रबंधन (सीवीएम) मॉड्यूल है, जो प्राप्त शिकायतों को दर्ज करने, निगरानी और उनका समय पर समाधान करने में सहायता करती है। विभिन्न ग्राहक संपर्क बिन्दुओं और नियामकों से प्राप्त शिकायतों की प्रविष्टि इस प्रणाली में की जाती है और इसे ट्रैक करने के लिए एक लिंक के साथ एसएमएस पावती के माध्यम से ग्राहक को इसकी सूचना भेजी जाती है। ग्राहक बैंक की वेबसाइट/ नजदीकी शाखा/ संपर्क केंद्र के माध्यम से अपनी दर्ज शिकायत की स्थिति को आसानी से ट्रैक कर सकता है। आपके बैंक ने ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति (एससीसीएस) एवं बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) जैसी वरिष्ठ स्तर की समितियां स्थापित की हैं, जो हर तिमाही आधार पर बैठकें आयोजित करती हैं। इन समितियों को बैंक के विभिन्न संपर्क बिन्दुओं द्वारा ग्राहकों को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है। ये समितियां ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों और फीडबैक की भी समीक्षा करती हैं और इनके समाधान में तत्परता के लिए आवश्यक निर्देश भी प्रदान करती हैं और सेवा सुधार की प्रक्रिया में बदलाव भी करती हैं।

आपके बैंक में 24x7 आधार पर ग्राहकों के प्रश्नों का समाधान करने और ग्राहकों की शिकायतों/प्रश्नों का त्वरित समाधान करने के लिए सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई और हैदराबाद में स्थित दो समर्पित ग्राहक संपर्क केंद्र हैं।

अपने ग्राहकों को दी गयी ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आपका बैंक सभी शाखाओं में गुप्त खरीददारी कार्यकलाप भी आयोजित करता है। ग्राहकों और शाखा के बीच एक संरचित संचार को प्रोत्साहित करने

के लिए शाखा स्तर पर ग्राहक सेवा समिति (बीएलसीएससी) की बैठकें हर महीने की 15 तारीख को आयोजित की जाती हैं, ताकि शाखा में सेवा स्तर में वृद्धि की जा सके।

आपके बैंक ने वर्ष के दौरान ग्राहक सेवा के क्षेत्र में विभिन्न पहलकार्य किये हैं। ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए आपके बैंक के कस्टमर केयर विभाग ने कॉल सेंटर में प्रौद्योगिकी को अपग्रेड किया है और बैंक के फोन बैंकिंग इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स (आईवीआर) सिस्टम में कई नई सेवाओं को जोड़ा है जिसमें ग्राहक खाते और डेबिट कार्ड से संबद्ध कार्यकलाप जैसे नेट बैंकिंग को ब्लॉक करना, डेबिट कार्ड की पुनर्स्थापना के लिए अनुरोध एवं पंजीकृत ईमेल आईडी पर टीडीएस प्रमाणपत्र, आदि कार्य कर पाते हैं।

कॉरपोरेट संवाद

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपके बैंक के विज्ञापन का उद्देश्य बैंक के ब्रांड और इसकी प्रमुख योजनाओं एवं सेवाओं की खासियत सृजित करना तथा सकारात्मक छवि को बढ़ाना था। वर्ष के दौरान आपके बैंक द्वारा विज्ञापन और प्रचार के पहलकार्यों का फोकस ब्रांड और प्रमुख खुदरा योजनाओं जैसे आवास ऋण, ऑटो ऋण, स्वर्ण ऋण, वैयक्तिक ऋण और मीयादी जमाराशियों, साथ ही बैंक का नया मोबाइल बैंकिंग एप गो मोबाइल+ और वीडियो खाता खोलने (वीएओ) की सुविधा पर केन्द्रित अभियान थे। ब्रांड और योजनाओं की विशिष्ट विशेषताओं पर केन्द्रित अभियान मुख्यतः डिजिटल प्लेटफॉर्म और ट्रांजिपेंट ओओएच (आउट ऑफ होम) डिस्ट्रे, आदि जैसे माध्यमों से चलाये गये, इसके पूरक के रूप में टेलिविजन जैसे उच्च प्रभाव वाले प्लेटफॉर्म अपनाये गये।

विज्ञापन क्षेत्र की तरह ही आपके बैंक ने जनसंपर्क (पीआर) के क्षेत्र में भी कई पहल कार्य किए। लोक संपर्क पहलकार्यों का उद्देश्य समाचारों के सकारात्मक पहलू को बनाए रखना और मीडिया में आपके बैंक की छवि को बढ़ाने के साथ ही साथ हितधारकों की अनुभूति को सुदृढ़ करना भी था। आपके बैंक को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में अपने पहल कार्यों के लिए कई सकारात्मक प्रतिसाद मिले। बैंक ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंकडइन, ट्विटर और यूट्यूब पर अपने आधिकारिक ब्रांड पेज / हैंडल के माध्यम से संप्रेषण किया और बैंक के ब्रांड तथा योजनाओं के प्रचार के लिए अभिनव तरीकों से जुड़ाव गतिविधियों को जारी रखा।

आपके बैंक के आंतरिक संवाद कार्यसूची का फोकस महत्वपूर्ण विचारों के प्रभावी आदान-प्रदान करने पर रहा, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र के घटनाक्रम सहित, लेकिन इन तक ही सीमित नहीं रहे। इसने कर्मचारियों में स्वीयत्व की भावना को प्रोत्साहित करने और सामूहिक लक्ष्य की ओर कार्य करने के लिए विश्वास का सुदृढ़ संबंध विकसित करने के लिए विभिन्न विभागों और शाखाओं में पारगमन सुनिश्चित किया। कर्मचारियों को प्रेरित और व्यस्त रखने के लिए

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

अनेक पहलकार्य किये गये। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें बैंक के इंटरनेट के होम पेज पर शीर्ष प्रबंधन के संदेशों को रखने जैसे कार्यकलाप और विशेष अवसरों जैसे स्थापना दिवस/नव वर्ष/दीपावली, आदि पर कर्मचारियों को ई-मेल भेजना शामिल है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान आपके बैंक के शीर्ष प्रबंधन ने 'आरोहण - दि असेन्ट' कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में टाउन हाल फॉरमेट वाली बैठकों के जरिये बैंक के कर्मचारियों को संबोधित किया और उनसे बातचीत की जिसमें बैंक के रूपांतरण की यात्रा को संपुटित किया गया तथा बैंक के विभिन्न अंचलों एवं कार्यालयों के स्टाफ की पुरानी यादें ताजा हो गईं।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

आपके बैंक के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के जीवन में कमियों की पहचान करके उनमें वास्तविक, दृश्यमान और स्थायी बदलाव लाना और उनके बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता-आधारित योगदान देना है। आपका बैंक प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के साथ-साथ लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर बहुआयामी प्रभाव हासिल करना चाहता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार आपके बैंक का पूर्ववर्ती तीन वर्षों का औसत निवल लाभ 'हानि' (सीएसआर के उद्देश्य से) दर्शाता है। अतः समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक को सीएसआर के अंतर्गत कोई व्यय करना अपेक्षित नहीं था। तथापि, एक सक्रिय और सामाजिक रूप से जिम्मेदार संस्था के रूप में, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान आपके बैंक ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आदि जैसे चुनिंदा सीएसआर कार्यों के लिए ₹ 1.44 करोड़ व्यय किए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष में अपनी नियमित प्रगति, अपने सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में उन्नयन और सतत सुधार को जारी रखा। इसने नवीनतम नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी, लैपटॉप एवं डेस्कटॉप से सुसज्जित कई शाखाओं का उद्घाटन किया और ई-टेंडर बोली प्रक्रियाओं के जरिये आईटी-संबद्ध खरीद में निरंतरता सुनिश्चित की।

आपके बैंक ने सॉफ्टवेयर परिभाषित वाइड एरिया नेटवर्क (एसडी-डब्ल्यूएन) कार्यान्वयन के दूसरे चरण, डीआर सेवाओं के सह-विन्यास की पूर्ण योजना और आधुनिक सुरक्षा प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन कर अपनी आईटी के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाया है।

आपके बैंक ने आईटी परिचालनों के प्रबंध के लिए उद्यम समाधान को कार्यान्वित किया है और एकीकृत संग्रहण एवं वसूली मॉड्यूल का कार्यान्वयन

अग्रिम चरण में है, ओरेकल आरएसी सहित सीबीएस के हार्डवेयर एवं संग्रहण क्षमताओं को अपग्रेड, ई-लेखापरीक्षा प्रणाली का कार्यान्वयन, डेटा सेन्टर (डीसी) और आपदा प्रबंधन (डीआर) स्थलों के लिए एप्लिकेशन डिलिवरी कंट्रोलर्स (एडीसी) का कार्यान्वयन कर रहा है।

आपके बैंक ने संपूर्ण यूपीआई लोड को निजी क्लाउड पर स्थानांतरित कर दिया, डिजिटल रूपांतरण को सुगम बनाने और बाजार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आधुनिक एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मैनेजमेंट (एपीआईएम) को कार्यान्वित किया है।

डेटा परिशोधन और संवर्धन के मोर्चे पर आपके बैंक ने स्वचालित डेटा प्रवाह (एडीएफ) एप्लिकेशन को सफलतापूर्वक लागू किया है, संयुक्त एमआईएस डैशबोर्ड का इष्टतम उपयोग किया और सुदृढ़ एवं आधुनिक एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस (ईडीडब्ल्यू) के गठन से डेटा-संचालित निर्णयन संगठन की ओर अपना कदम बढ़ाया है। ईडीडब्ल्यू के हिस्से के रूप में, आपके बैंक ने पूरे बैंक के विभिन्न विभागों के लिए लगभग 800 रिपोर्ट और डैशबोर्ड उपलब्ध कराए हैं। बैंक ने फील्ड अधिकारियों के लिए ग्राहक के 360 डिग्री व्यू के साथ ग्राहक संबंध प्रबंध (सीआरएम) मॉड्यूल की पहुंच को भी बढ़ाया है जिसे डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर एक्सेस किया जा सकता है। डेटा अभिशासन के अंतर्गत आपके बैंक ने सिबिल ट्रांसयूनियन द्वारा प्रकाशित डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) में उल्लेखनीय सुधार किया है।

केंद्रीकृत परिचालन

आपके बैंक का एक अलग केंद्रीकृत परिचालन वर्टिकल है जिसमें विभिन्न विभाग जैसे केन्द्रीय प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू), क्षेत्रीय प्रोसेसिंग यूनिट (आरपीयू), खुदरा आस्ति परिचालन (आरएओ), धनशोधन निवारण (एएमएल) कक्ष, डिपॉजिटरी खाते परिचालन, घरेलू भुगतान एवं विप्रेषण सेवाएं (डीपीआरएस), नकदी प्रबंध सेवाएं (सीएमएस) और सरकारी कारोबार समूह (जीबीजी) परिचालन, पूंजी बाजार परिचालन, इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग परिचालन, कार्ड निर्गम एवं प्रबंध अनुभाग, डेटा क्लीन-अप एवं अनुपालन टीम तथा जीएसटी परिचालन शामिल हैं।

विभिन्न कार्यकलापों का केन्द्रीकरण ग्राहकों के सेवा अनुरोधों को प्रोसेस करने के लिए कार्रवाई समय (टीएटी) को कम करने, बैंक की विभिन्न कारोबारी इकाइयों को निरंतर सहायता सेवाएं सुनिश्चित करने और परिचालन लागतों को तर्कसंगत कर कार्यकुशलता में सुधार करने में बैंक की सहायता करता है। यह सभी लेनदेनों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने में भी सहायता करता है जो उत्तरदायित्व और जवाबदेही की

उचित ट्रेकिंग करने तथा त्रुटियों एवं धोखाधड़ियों में कमी करने में मदद करता है।

शाखा परिचालन सहायता एवं नीति

आपका बैंक कर्मचारियों को बैंकिंग परिचालनों, सेवाओं आदि की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनके दैनंदिन परिचालनों के संबंध में जानकारी प्रदान करने में सबसे आगे है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका बैंक अपने सभी हितधारकों को योजनाओं, परिचालनों और सेवाओं पर अद्यतन जानकारी के साथ सेवा प्रदान करने में समर्थ है।

आपका बैंक रिज़र्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति का अनुपालन करता है और अपनी शाखाओं में नोट छँटाई/ नोट अधिप्रमाणन करने वाली मशीनें लगाई हैं। बैंक के देश भर में 25 करेंसी चेस्ट (सीसी) हैं। ये सीसी सभी संबद्ध शाखाओं से प्राप्त नकदी संसाधित करते हैं और एटीएम तथा शाखाओं के माध्यम से वितरण के लिए स्वच्छ नोट उपलब्ध कराते हैं।

आपके बैंक ने डिजिटल माध्यमों के जरिये ग्राहक सुविधा में सुधार करने के लिए विभिन्न पहल-कार्यों को और सुदृढ़ किया है।

Management Discussion & Analysis

BUSINESS ENVIRONMENT

During the Financial Year (FY) 2022-23, the global economy, which was gradually recovering from the COVID-19 related shocks, was challenged by various factors such as high inflation, supply chain disruptions due to escalation in geo-political tensions and reduced business and consumer confidence amidst heightened uncertainty. In the midst of the challenges, India continued to be a 'bright spot' in the global economy with resilient economic expansion. Several domestic factors helped to insulate the economy from the global turmoil. The private sector balance sheet has improved over the past couple of years, which has led to pick up in the investment cycle. Furthermore, the balance sheets of banks have been strengthened, aiding the banking system to come out of the asset quality cycle and support the uptick in the credit demand. Additionally, pick up in the pace of economic activity, aided partially by higher capex, especially on infrastructure, created a multiplier effect on the economy. Consumer demand has also strengthened with better economic prospects. These factors helped the domestic economic activity to remain in an expansionary mode during the year. Furthermore, India continued to maintain its position as one of the fastest growing major economies globally and has upped its share in the global economy. The credit offtake also remained healthy during the year underscoring the unabated pick-up in the pace of economic activity.

Going forward, India's economic growth is likely to remain healthy in FY 2023-24 and beyond. It is likely that the inflationary pressures in the economy have peaked and would ease going ahead, aided by the measures taken by the policymakers as well as the base effect. This would help in supporting the domestic consumption demand, spurring further investment in the economy. Additionally, higher public spending, especially on infrastructure and healthy foreign investment inflows are expected to support the overall pace of economic activities. The resilience demonstrated by India's economy in the face of the deteriorating external environment is expected to stand it in good stead and strong macroeconomic fundamentals are likely to ensure continued healthy economic growth in the near term.

BUSINESS REVIEW

Your Bank continued to maintain a strategic focus on profitable growth in business, bolstered by a strong balance sheet, healthy capital adequacy and prudent provisioning. The broad contours of the Bank's business strategy continued to be centred on its intended positioning as a retail bank. To further strengthen its retail franchise, the Bank added 42 branches to its network during the year. As at end-March 2023, the Bank had a wide presence with a network of 1,928 branches, comprising 434 metro branches,

472 urban branches, 599 semi-urban branches and 421 rural branches (including 264 Financial Inclusion branches) across India, one overseas branch at Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai and one International Financial Services Centre (IFSC) Banking Unit (IBU) at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT), Gandhinagar. The Bank also served its customers through its network of 3,334 ATMs and 58 e-lounges on a pan-India basis as on March 31, 2023. At the same time, the Bank added several functionalities in its digital touchpoints, viz. internet banking and mobile banking, with an endeavour to create a seamless omni-channel experience to its customers.

Leveraging its expanding reach and improvement in digital capabilities, the Bank continued to target garnering low-cost and stable deposit base, i.e. CASA deposits and retail term deposits. Considering the revival in the domestic economic activity and consequential uptick in the credit demand, the Bank also tapped bulk deposits at competitive rates to augment its deposit base. The Bank supplemented its initiatives in this regard by tapping into business opportunities arising from its areas of synergy with Life Insurance Corporation of India (LIC). To drive growth in its business, the Bank has scaled up its data analytics capabilities and put in place Customer Relationship Management (CRM) system for insight-backed targeting of products/ services. Taking advantage of the strengthening credit demand in the economy, the Bank targeted growth in its retail & priority sector business as also explored lending opportunities to well-rated corporates to drive loan growth. Further, as a prudential measure, the Bank has been maintaining adequate provisioning which would be crucial in cushioning the impact of shocks, if any. Recognising the critical importance of ensuring quality asset book for stable and profitable growth, the Bank accorded due focus to resolution of non-performing assets and mitigating risk of slippages in the asset quality. Towards this end, the Bank has set up dedicated teams for corporate and retail cases to drive a focussed recovery effort. The Bank has set up a centralised dedicated desk for the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) cases and also identified a cross-section of nodal officers for cases filed in the Debt Recovery Tribunals (DRTs) in order to expedite the resolution of NPAs. To contain its fresh slippages, the Bank has set up a dedicated Credit Monitoring Group (CMG) for close monitoring of stressed loan accounts to prevent them from turning NPAs. Underpinning its strategic endeavours for business growth, the Bank continued to emphasise on imbuing prudent risk management practices and robust compliance culture in its day-to-day activities which is critically important for not just lending stability to its business but also for reinforcing its reputation as a trusted bank. The Bank continued to adhere to the highest standards in corporate governance in alignment with the regulatory and statutory norms.

The Bank has entered the expansionary business cycle from a position of strength, backed by diversified and granular balance sheet and healthy capital position and is well-positioned to further accelerate its growth momentum. Leveraging its improved operational & technological capabilities to ensure superior customer experience, the Bank will continue to target growth in its CASA deposits and retail term deposits to keep its cost of deposits at moderate levels. Further, the Bank will seek to tap its enhanced data analytics capability to drive personalised product offerings, thus enhancing customer wallet share. On the asset front, the Bank will continue to place emphasis on growing the retail asset portfolio, including Priority Sector Lending portfolio, in alignment with its strategic objective of having a diversified and granular portfolio mix. The Bank will also explore opportunities for growth in its corporate loan book through a risk-calibrated approach of targeting well-rated corporates, especially mid-sized ones, as well as taking exposure in the growth sectors. The Bank will continue to keep a close watch on its asset quality to minimise the risk of slippages and thus, maintain asset quality. Your Bank will strive to boost its fee income from cross-sell of transaction banking, third party and capital market products and thus, add to its bottom-line. To support its strategic business objectives, the Bank will continue to invest in technological advances and embed digitalisation across its systems & processes to enhance operational efficiency as well as to maximise customer ease and satisfaction. The Bank has integrated robust risk management, compliance and corporate governance practices in its operations and functions which would help it in reinforcing its brand identify as a trusted banking partner. Looking ahead, the Bank is poised for higher trajectory of growth, fuelled by relevant and customised product offerings, well-diversified loan book, robust risk management framework, technology-led transformation and strong compliance & corporate governance culture.

RETAIL BANKING

Retail Liability Products

Your Bank offers a gamut of deposit products, specifically designed to cater to the banking requirements of customers from all segments of the society.

Your Bank pursued its endeavour of fine-tuning products/processes, in tandem with the changing consumer preferences in the midst of evolving market dynamics. The Bank implemented state-of-the-art technology in digitising the customer on-boarding journeys through its Video Account Opening (VAO) platform. Mirroring the upward revision in the Repo Rate by the RBI, the Bank also revised its deposit interest rate.

In line with its customer engagement approach, the Bank extensively used data analytics and adopted Customer Relationship Management (CRM) tools for driving targeted product offerings and for enhancing its business penetration.

NRI Services

Your Bank offers a wide array of products across the spectrum of Non-Resident (External) (NRE) Deposits/ Non-Resident Ordinary (NRO) Deposits/ Foreign Currency Non-Resident (FCNR) Deposits, investments including equity market investments through Portfolio Investment Scheme (PIS), remittances and loans to meet the banking and financial needs of the Indian diaspora across the globe.

Your Bank continued to undertake product/ process improvements for augmenting customer experience, service delivery and convenience of banking for its NRI customers.

Retail Assets

Your Bank continues to target a progressively larger retail business portfolio in keeping with its intended positioning as a full-service new generation commercial bank. The Bank currently offers a bouquet of retail asset products including Housing Loan (HL), Loan Against Property (LAP), Personal Loan (PL), Education Loan (EL), Auto Loan (AL), Loan against Securities (LAS), among other products. The products are periodically reviewed and modifications/ innovations/ customisations are carried out on a regular basis in tandem with the changing customer preferences. Your Bank processes the structured retail loans on an Automated Loan Processing System which helps in ensuring a faster Turn-Around Time (TAT).

To cater to the emerging needs of its customers, your Bank has launched new variant of Home Loan, viz. Ultra Saver Home Loan, wherein the loan is offered as an overdraft account which is intended at resulting in interest saving for customers with surplus cash flows. The Bank has also launched digital Personal Loan to cater to the financing requirements of tech-savvy customers.

Additionally, in order to support students from the Economically Weaker Sections (EWSs) of the society, the Bank continues to extend subsidy benefit to education loan borrowers under the Government of India (GoI) schemes such as Central Sector Interest Subsidy Scheme (CSIS), Dr. Ambedkar Central Sector Scheme of Interest Subsidy (CSIS) and Padho Pardesh Scheme.

During FY 2022-23, your Bank continued to remain a dominant player in the structured retail finance segment with best-in-class product offerings and services. The Bank

Management Discussion & Analysis

registered a growth of over 14% on an annualised basis in its structured retail asset book. Within the structured retail loan book, the housing loan segment registered a growth of around 16%.

PRIORITY SECTOR BANKING

Your Bank has been contributing significantly to the Priority Sector Lending (PSL) as mandated by the RBI. As per the regulatory requirement, the Bank primarily focussed on financing to the agriculture sector and Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) during the year. To extend its reach, the Bank provided its services in the unserved/under-served areas through its Corporate BC/ BF network. The Bank had tie-ups with 43 Corporate BC/ BF service providers as on March 31, 2023.

In terms of the GoI schemes/ directions, your Bank has been extending loans under various Central Government/ State Government sponsored schemes like Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), Stand-up India, Prime Minister Street Vendor Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi), Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP), Agri Infrastructure Fund (AIF), etc. Your Bank is also committed towards lending to the minority communities and the weaker sections, including Scheduled Castes/ Scheduled Tribes (SCs/STs).

During the year, the Bank launched two new products, viz. GST Plus and GST Express, in order to boost lending to the GST-registered entities. Your Bank also entered into co-lending tie-ups with select partners.

DIGITAL BANKING

The technological advancements in banking space have been pivotal for robust digital banking services. There is a significant growth in digital customers owing to comfort, safety, convenience and 24x7 availability of digital banking channels. Your Bank has seen a growth of 51% in overall digital transactions, 65% growth in the UPI transactions and 24% growth in active mobile banking customer base.

Your Bank firmly believes that '*Digital is the new Normal*' and foresees its digital journey to enrich customer experience, to provide personalised services on digital channels, to achieve sustainable growth in adoption of digital channels, to augment digital transactions by migrating customers on digital channels, thereby, lowering the operational cost by digitising processes, improving productivity and profit per employee.

Your Bank has upgraded the Mobile Banking App '*GO Mobile+*' with NextGen look, improved and simplified customer journeys and incorporated various new features to enrich its customer experience. New features in the app includes online creation/ closure of fixed deposits, recurring deposits, e-nomination, online subscription to Mutual Fund,

National Pension System, Public Provident Fund, Sukanya Samridhi Account and other social security schemes of the Government, change of service branch, generation of loan statement & interest certificates, NACH mandate, ASBA IPO, NAMAN and doorstep banking services for senior citizens, etc.

Your Bank has set up a dedicated ATM Command Centre for 24x7 monitoring of ATM infrastructure and availability. As a result, ATM availability has improved substantially. Your Bank has also replaced more than 600 old ATMs during the year.

Your Bank has put in place the necessary governance structure for engaging with FinTechs to achieve its strategic objectives of digital transformation, innovation and growth to explore new customer segments, develop more innovative products, streamline internal processes for cost efficiencies and provide value added services to customers. Your Bank has implemented Cardless ATM, Account Aggregator, API Services for digital on-boarding of retail loans, DigiKCC (Kisan Credit Card) and eSCF (Supply Chain Finance) in partnership with FinTechs.

THIRD PARTY PRODUCTS AND CAPITAL MARKET PRODUCTS

The Third Party Product (TPD) segment of your Bank offers various value-added products and services to customers, keeping in view their risk profile and financial goals.

During FY 2022-23, your Bank launched various campaigns for imparting necessary thrust in enhancing fee income and fostering healthy sales culture.

Your Bank distributes various products that include life insurance products through its life insurance partners, viz. Life Insurance Corporation of India (LIC) and Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd. (AFLI), general & standalone health insurance products through its channel partners, viz. New India Assurance Co. Ltd., TATA AIG General Insurance Co. Ltd. and Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd., mutual fund through various Asset Management Companies (AMCs), viz. IDBI Asset Management Ltd., LIC Mutual Fund etc., capital market products such as Demat Account, 2-in-1 Account (Savings and Demat accounts), 3-in-1 Account (Savings and Demat accounts linked to Online Trading account), Application Supported by Blocked Amount (ASBA) and Syndicate ASBA (SASBA), National Pension System (NPS) as well as bonds such as Government of India (GoI) bonds & capital gains bonds.

Your Bank undertook various initiatives for digitalising the third party product distribution. These initiatives include introduction of online mutual fund investment module, digital on-boarding in NPS account opening & e-nomination and mandatory KYC updation in Demat accounts through GO Mobile+ application.

Your Bank enabled Demat account opening through its mobile and internet banking channels. Your Bank also launched an abridged two-page Account Opening Form (AOF), viz. Duranto Demat Account, to extend the reach of Demat accounts to non-users of digital channels, by enabling instant Demat account opening with minimum documentation through the branch channel.

SYNERGIES WITH LIC

Since LIC acquired majority stake in your Bank in January 2019, numerous initiatives have been taken to leverage the potential business synergies between the two entities.

Your Bank has identified specific action points in order to garner business in synergy areas through its best-in-class products and services especially in order to build low-cost deposit book, viz. current account book, along with efficient and optimal utilisation of its distribution channels/ touchpoints to source business as Corporate Agent of the LIC under the bancassurance channel.

Your Bank has also been extending transaction banking services to meet collection/ payments related requirements of various offices of the LIC through its branch/ digital channels.

FINANCIAL INCLUSION

Your Bank has been proactive in partnering with the policymakers to further the objective of financial inclusion by ensuring access to financial products and services needed by vulnerable sections of the society at affordable cost in a fair and transparent manner. Your Bank has been actively promoting the agenda of financial inclusion with interventions in three key areas, viz. offering appropriate financial products, making intensive use of technology and enhancing financial literacy.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and Social Security Schemes

Your Bank has been proactively participating in the Gol's financial inclusion programme, viz. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and in the Gol's social security schemes, viz. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) for accident insurance cover, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) for life insurance cover and Atal Pension Yojana (APY) for old-age pension.

Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs)

Your Bank has leveraged its network of Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs) in an effort to increase penetration of banking services in rural and

semi-urban locations and also to boost its Priority Sector Lending (PSL). Your Bank has conducted extensive training sessions/ workshops for all the BCs/ BFs at various locations across the country. Besides, your Bank has also provided on-the-job training to the BCs/ BFs to develop their technical skills for operating on technology platform while conducting banking transactions.

Your Bank, in partnership with the CSC e-Governance Services India Ltd. (CSC), has been promoting the BC network. As on March 31, 2023, 2,255 Village Level Entrepreneurs (VLE) are acting as Business Correspondent Agents (BCAs) and providing basic banking activities at 2,255 locations.

Financial Literacy

Financial literacy has been identified as a pre-requisite for effective financial inclusion and an integral part of the PMJDY in order to let the beneficiaries make best use of the financial services being made available to them. Your Bank has been conducting various outreach programmes to spread awareness among people about various banking products.

Your Bank's Rural Self Employment Training Institute (IDBI RSETI) located at Satara district of Maharashtra conducts self-employment training aligned to National Skill Qualification Framework (NSQF) for the rural youth of the district as instructed by Ministry of Rural Development, Rural Skill Division, Gol. During the year under review, IDBI RSETI trained 723 candidates, of which 590 candidates (81.60%) have been reported as settled by establishing self-enterprises.

Other Initiatives under Financial Inclusion

Your Bank is registered with the Unique Identification Authority of India (UIDAI) as Registrar for Aadhaar enrolments. The Bank has actively participated in the Direct Benefit Scheme of the Central/ State Governments. Further, the Bank has continued with the distribution of social security pension through its BC channel.

Your Bank has developed One-Time Password (OTP) based web modules that facilitate customers to enrol themselves under the APY, the PMJJBY and the PMSBY digitally.

Your Bank has launched its own Kiosk Banking Solution (KBS), which is integrated with the Core Banking Solution (CBS), for facilitating financial and non-financial transactions using biometric authentication of customers at BC points.

CORPORATE BANKING

The corporate banking segment of your Bank comprises two verticals, viz. the Mid Corporate Group (MCG) and the Large Corporate Group (LCG).

Management Discussion & Analysis

Your Bank's corporate banking portfolio includes exposure spread over varied sectors such as pharmaceuticals, engineering, power generation & distribution, EPC-infra, construction, telecom, cement, chemicals, basic metals and steel, mining & quarrying, engineering, electrical machinery, electronics & electrical equipment, power, oil & gas, fertilisers, automobiles, textiles, plastics, paper & paper products, rubber, Fast Moving Consumer Goods (FMCG), food processing, sugar, tourism, hospitality, education, agriculture & allied activities, transport, computer software & related activities, IT services & technology, Non-Banking Financial Companies (NBFCs), etc.

Your Bank's product basket for corporate clients includes term loans for both projects and non-projects, working capital (both fund-based and non-fund based), packing credit and post-shipment credit to exporters, bill discounting, intraday limits, etc. Your Bank also offers various products such as Short-Term Loan – Non-Committed Line, Receivable Buyout, Funding against Stand by Letter of Credit, etc. to cater to the financing needs of its corporate clients. Within the ambit of corporate banking, your Bank also places due emphasis on Priority Sector Lending (PSL) by offering products such as channel financing and vendor financing for dealers/ vendors of corporates as also lending to NBFCs for on-lending to customers from the PSL segment.

ASSET QUALITY

Your Bank continued to focus its efforts towards containment of fresh Non-Performing Assets (NPAs) and maximising recovery from the existing impaired assets. As at end-March 2023, 93.62% of your Bank's Total Assets were Performing Assets, whereas 6.38% were NPAs. The focussed efforts by the Bank have aided in containing fresh slippages to 1.98% of Standard Advances in FY 2022-23.

During the year, the Bank's recovery from impaired assets and upgrade of NPAs to Performing Assets amounted to ₹ 4,970 crore, which helped in reducing the end-level NPAs as on March 31, 2023.

The Bank made adequate provisions in conformity with extant regulatory guidelines. As a prudent approach, your Bank has Provision Coverage Ratio (PCR) of 97.94% as on March 31, 2023.

Your Bank has a dedicated vertical, viz. NPA Management Group (NMG), for driving focussed and aggressive approach towards resolution and recovery with account-specific strategies and close monitoring of corporate NPAs.

Your Bank has set up a centralised desk for cases under the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP). This dedicated desk has been playing a proactive role in providing

an overall view by aiding internalisation of learning from the field and dissemination across teams for navigating through the complexities, thereby enabling the Bank to successfully handle the CIRP cases.

As of March 31, 2023, a total of 306 cases with an aggregate gross principal outstanding of ₹ 45,765 crore (including NPAs/ Technically Written-Off (TWO) Assets) were undergoing CIRP within the ambit of Insolvency & Bankruptcy Code (IBC), 2016. Your Bank was able to resolve some of these cases and recover a sum of ₹ 682 crore during FY 2022-23.

Your Bank has a 'One Time Settlement (OTS) Management System' which facilitates submission of an OTS application through its website and also enables end-to-end processing of an OTS proposal, including tracking of recovery.

During the year, your Bank has also transferred five accounts (three NPA accounts and two Technically Written-Off accounts) with the Gross Principal Outstanding (GPO) amounting to ₹ 4,428 crore for consideration of ₹ 2,054 crore (which consists of cash recovery of ₹ 627.29 crore and Security Receipts of ₹ 1,426.30 crore) to the Asset Reconstruction Companies (ARCs).

Your Bank has been pursuing legal action under the applicable laws including enforcement actions under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002. The Bank has also been following up with Debt Recovery Tribunals (DRTs)/ courts on a continual basis and has identified nodal cross-functional team of officers from the Bank's NMG, Legal and Retail Recovery departments for the DRT work so as to minimise the delays in obtaining recovery certificates/ decrees and execution thereof.

As on March 31, 2023, your Bank classified 343 cases as wilful defaulters with punitive actions initiated against such borrowers/ promoters/ directors and declared eight cases as Non-Cooperative Borrowers.

Retail Collections

The Bank has set up a dedicated retail collection team to control incipient stress & slippages and collect dues and overdues from retail loan accounts. The retail collection activity entails reduction of Pre-Special Mention Accounts (SMAs), High Risk Accounts, SMAs and probable/ Marked First Time Non-Performing Assets (FTNPA).

The retail collection team drives the collection activities with the help of a team of Collection Officers posted at different Zones/ Regions of the Bank and is also supported by the Call Centre, the Collection Agencies, Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs) and the branches/ the Retail Asset Centres (RACs) for branch-centric products.

The retail collection team makes extensive use of the Bank's Call Centre and the Collection Agencies to achieve higher resolution rate on collections. The high risk accounts emanating from predictive model are being used to contain inflow of SMA by the Retail Asset Centres (RACs)/ branches, for focussed collection and for initiating remedial measures by the field functionaries.

An Integrated Collection & Recovery Module (ICnRM), which is aimed at assisting the Bank to identify the stress and deploy resources (in-house/ external agencies) effectively, has been developed and is being implemented in stages. The digitised processes are aimed at facilitating a platform for convenient online collection & recovery of dues from delinquent borrowers and also providing a complete & seamless Management Information System (MIS) in the Bank.

Retail Recovery

Your Bank continued to aggressively follow up for recovery of bad loans by identifying and attaching unencumbered properties, ensuring enforcement of securities, opting for negotiated settlements, etc. With the rollback of COVID-related restrictions and appointment of Presiding Officers (POs) in most of the Debt Recovery Tribunals (DRTs), your Bank intensified its efforts in resorting to all available legal remedies, viz. Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) actions, obtain permission from Chief Metropolitan Magistrate (CMM)/ District Magistrate (DM) for taking physical possession of mortgaged assets, filing of suit for fast recovery, etc. With a thrust on maximising the recovery further in large number of retail Non-Performing Assets (NPA)/ Technically Written Off (TWO) accounts, your Bank has launched special One-Time Settlement (OTS) campaigns, non-discriminatory and non-discretionary special settlement schemes.

Your Bank also conducted mega e-auctions under SARFAESI Act and auctions through Hon'ble Courts/ legal forums on a pan-India basis with wide publicity. Your Bank also actively participated in National Lok Adalats held every quarter on a pan-India basis for resolving small value loans.

Credit Monitoring Group

In the present banking scenario, persistent, timely and effective management of standard assets portfolio aids in preserving and improving the overall quality of loan portfolio. Therefore, Structured Loan Review Mechanism, Monitoring Credit Administration Parameters (CAP) & Monitoring of Onset of Stress in corporate & retail portfolio is undertaken by the Credit Monitoring Group (CMG) in the Bank.

The Early Warning Signal (EWS) system, which is an integral part of the CMG, has been operational since December 2019. It has the ability to detect the incipient

stress by using data feeds from internal/ external sources and throwing alerts on real time basis. Risk bucketing under High/ Medium/ Low risk is carried out in respect of all corporate and retail accounts within the threshold limit, which augments the capability of your Bank to identify high-risk accounts and accounts showing early signs of stress in pre-SMA stage. This enables your Bank to undertake prompt, pre-emptive actions and timely measures. A periodic review of the EWS system is undertaken and new features are being added in line with continuously evolving regulatory requirement and best practices.

Through the asset monitoring tool 'SAJAG', your Bank monitors the compliances of various credit administration parameters which helps to improve credit culture, identification of incipient weaknesses in the loan portfolio and prevent slippages.

Your Bank uses Structured Loan Review Mechanism (LRM) to provide timely feedback on the effectiveness of credit sanction and regular follow-up is undertaken to ensure compliance of policy guidelines, tracking of early warning signals and timely compliance of the CAP.

All these initiatives have helped in identifying and managing the incipient stress of the accounts, compliance of the CAP and thereby, improving the credit quality of your Bank.

TRADE FINANCE

Your Bank has a dedicated Trade Finance (TF) Department, which offers a wide range of products and services to its large/ mid corporate and retail customers at competitive pricing. The offerings range from the most commonly used products such as inward/ outward remittances, Letters of Credit (LCs), Bank Guarantees (BGs), Standby Letters of Credit (SBLCs), etc. to more complex domestic and cross-border trade products involving import/ export of goods & services, pre-shipment & post-shipment export finance, short-term import trade credits (buyer's credit and supplier's credit), merchanting trade, capital account transactions, viz. Overseas Direct Investments (ODIs), External Commercial Borrowings (ECBs), Foreign Direct Investments (FDIs), mergers and acquisitions, opening of overseas offices, etc.

These trade finance products/ services are offered through the Centralised Trade Processing Centres (CTPCs), which operate on a hub-and-spoke model at three major metro centres, viz. Mumbai, Chennai and Delhi. The CTPCs cater to the needs of all branches of the Bank and thus, facilitate standardised processing, efficient communication and faster Turn-Around-Time (TAT). Your Bank, as an Authorised Dealers (AD) Category I bank, has 44 dedicated TF centres, which are authorised to handle all types of foreign exchange transactions.

Management Discussion & Analysis

Your Bank always endeavours to ensure high standard of customer service and time-bound delivery. Your Bank has been constantly evolving and improving its core banking platform as also offering digitised trade processing to increase customer engagements to make every step of the trade operation process seamless and convenient. Your Bank has taken up various IT initiatives to make the transaction executions faster, error-free and seamless. For instance, the Bank has an internet-based Trade Finance platform, viz. IDBI eTRADE that allows customers the flexibility to transact on a 24x7 basis. The Bank has built SWIFT gpi capabilities which helps in real-time tracking of cross-border payments, thereby enhancing customer experience. Your Bank, through its retail internet banking portal, has enabled online initiation of foreign outward remittances under Liberalised Remittances Scheme (LRS) of the RBI. The Bank has a centralised processing set-up for execution of foreign inward remittances up to a certain threshold limit favouring individuals that would enable faster/ immediate credit to its customers. Further, as a measure of efficient service delivery, your Bank has developed an online Bank Guarantee Confirmation Module, which enables beneficiaries of the BGs issued by it to obtain online confirmation of issuance of guarantees.

With a view to benefiting from the emerging usage of Distributed Ledger Technology (DLT) in the sphere of Trade Finance, your Bank has become one of the equity holders in Indian Banks Blockchain Infrastructure Co. Pvt. Ltd. (IBBIC). The IBBIC aims to build trade ecosystem by harnessing potentialities of DLT. Your Bank has been actively engaging with the IBBIC for building processes to digitise and automate trade finance operations.

The SWIFT operations of your Bank are carried out through a Centralised SWIFT Cell (CSC) with utmost due diligence and multiple validation processes under a secured IT platform to ensure smooth and flawless operations. Further, your Bank has laid down policies, processes, Standard Operating Procedures (SoPs), operating manuals, robust monitoring mechanisms, etc. in compliance with regulatory/ statutory norms and regulations as well as international trade practice guidelines. Your Bank, in its endeavour to mitigate cyber fraud risks and also to build effective control mechanism to address Anti-Money Laundering (AML)/ Combating of Financing of Terrorism (CFT) concerns in cross-border payments, has instituted effective system control mechanisms in the form of Payment Controls System & Transaction Screening processes.

Your Bank has put in place appropriate operational/ compliance alerts enabled with round-the-clock fraud monitoring. Your Bank diligently follows Anti-Money Laundering (AML)/ Know Your Customer (KYC)/ Combating of Financing of Terrorism (CFT) guidelines, robust Trade-Based Money Laundering (TBML) red flagging procedures and the US/ EU sanctions

screening for international payments. Your Bank, as a matter of principle, verifies international cargo movement in merchanting trade through the International Maritime Bureau (IMB). The Bank verifies credentials, core activities, scale of business and payment velocity of overseas parties through Business Information Reports offered by reputed agencies in order to safeguard the interests of all stakeholders.

Your Bank's bill finance policy covers purchase/ discount/ negotiation of all genuine bills arising out of trade in Indian Rupee (INR) and Foreign Currency (FCY). Your Bank has covered all its clients availing export credit under Whole Turnover Export Credit Insurance for Banks (ECIB) policies offered by the Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC).

The Bank has developed a widespread network of correspondent banking arrangements with around 800 banks across the globe through bilateral Relationship Management Application (RMA) and consequently is able to render trade and non-trade services across the world. The Bank has put in place arrangement with correspondent banks to handle remittances in about 130 currencies across the globe.

GOVERNMENT BUSINESS

Your Bank acts as an agent of the RBI in handling receipt and payment transactions of the Central Government and the State Governments. Your Bank is authorised to collect Central Government Taxes, viz. Direct Taxes, Customs Duty and Goods & Services Tax. Your Bank is actively collecting receipts in 16 states/ Union Territories (UTs). Your Bank provides 24x7 internet banking facilities for tax payments.

Your Bank has enabled online collection of Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) and Employees' State Insurance Corporation (ESIC) dues. Your Bank is also authorised by the Government to offer Small Savings Schemes, viz. Public Provident Fund (PPF), Senior Citizens' Savings Scheme (SCSS) and Sukanya Samriddhi Account Scheme (SSA) through its branches. Your Bank is also authorised to disburse Central Civil, Defence and Railway Pensions.

In line with the Govt's initiative, your Bank has gone live with more advanced and secured module for collection of direct taxes, i.e. Tax Information Network (TIN) 2.0.

CASH MANAGEMENT SERVICES

Your Bank is committed towards providing state-of-the-art Cash Management Services (CMS) to help corporates accelerate their collections, handle their bulk payments efficiently and smoothen their flow of funds. Your Bank offers comprehensive range of CMS collections, payment and transaction banking solutions to suit the needs

of corporates and put them in complete control of their cash position. The Bank's CMS products are unique and differentiated, catering to specific needs of large institutions, which help in creating long-lasting relationships with corporates and also add to new revenue stream. The Bank is also in the process of upgrading its legacy CMS system to a new-age latest version available in the market.

Your Bank offers various new age technology solutions like Liquidity Management Solutions such as Corporate Liquidity Management Solutions (C-LMS) and Government Liquidity Management Solution (G-LMS), new-age CMS products such as National Automated Clearing House (NACH), Virtual Accounts, Utility Payments through Bharat Bill Payment System (BBPS), Direct Debit, FASTag etc. In addition to this, the Bank offers various other customised e-solutions that have been technologically integrated (through Host-to-Host technology) with client systems.

Your Bank is also authorised to participate in e-freight payment system of Indian Railways and has been collecting e-freight in 12 Zones of the Railways. Your Bank has also launched Quick iPay, which is an institutional collection product that enables institutions in Business-to-Consumer (B2C) segment to collect dues from their customers through all possible online and offline modes using one single system.

TREASURY OPERATIONS

Your Bank has integrated Treasury operations in various market segments like Money Market, Fixed Income, Foreign Exchange, Derivatives and Equities. Your Bank's Treasury operations involve active role in balance sheet management, liquidity management, maintenance of Cash Reserve Ratio (CRR) & Statutory Liquidity Ratio (SLR), Liquidity Coverage Ratio (LCR), trading & investments in market instruments and forex & derivatives transactions and also providing hedging solutions to customers.

Your Bank's Treasury has been actively participating in auction of Government Securities (G-Sec)/ State Development Loans (SDL)/ Treasury Bills (T-Bills) for its trading/ investment portfolio and market making in Government Bonds.

The Bank's Treasury ensured regulatory compliances with respect to the CRR, SLR and LCR requirements in FY 2022-23.

To actively manage liquidity, the Treasury used various instruments such as the Liquidity Adjustment Facility (LAF), the Standing Deposit Facility (SDF), the Marginal Standing Facility (MSF), the Term Repo and the Open Market Operation (OMO) of the RBI as well as other market instruments/ platforms such as Triparty Repo (TREPS), Clearcorp Repo Order Matching System (CROMS) and Call & Notice money. Surplus liquidity is deployed in various short term instruments like Certificates

of Deposits, Liquid Mutual Funds, Call/ Notice/ Term Money and other placements/ investments etc.

Your Bank is a Primary Dealer (PD) and is involved in market making activities for G-Sec. The PD desk ensured that all regulatory requirements like bidding commitment and turnover ratio for G-sec and success ratio for T-bill auctions etc. were met for FY 2022-23.

Your Bank also provides Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) service to the Gilt Account Holders (GAHs). Further, in order to provide liquidity in the secondary market for retail investors under the RBI Retail Direct facility, your Bank also involves in market making by offering buy/ sell quotes to retail investors on the Negotiated Dealing System - Order Matching (NDS-OM) platform (odd-lot and Request for Quotes segment). Your Bank's IDBI Samridhi G-Sec portal provides facility to the retail investors to invest in G-Sec through online mode and ATMs.

Your Bank's Treasury has active forex interbank and derivatives desk. The forex interbank desk provides competitive forex rates to clients. The derivatives desk provides various interest rates and exchange rate hedging solutions to client to meet their hedging requirements.

Customers are supported by the Treasury Marketing Officers (TMOs) located at 15 centres across the country. The TMOs work closely with all the relationship managers of the Bank covering its corporate & retail clients. The TMOs proactively interact with clients to provide solutions for effectively managing their exposures in currencies, rates and also advising them with investment solutions in debt instruments (G-Sec, Non-SLR Bonds, etc.).

Being an active participant in treasury operations, your Bank continues to be one of the submitters to Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL) for FBIL Polled Term MIBOR and FBIL Polled FC-Rupee Options Volatility.

The Bank did not undertake any long-term Rupee borrowings/ issue of debt capital in FY 2022-23. During the year, your Bank repaid long-term Rupee borrowings on due dates as per the issue terms.

Your Bank borrows foreign currency funds from overseas markets as per business requirements. During the year, your Bank has repaid foreign currency borrowings on maturity dates as per the contracted terms.

In March 2021, the UK Financial Conduct Authority (FCA) announced future cessation dates for all 35 London Interbank Offered Rate (LIBOR) settings across five currencies in which London Interbank Offered Rate (LIBOR) is published. Your Bank has started offering all new products/ facilities linked to Alternate Reference Rate (ARR) instead of London Interbank Offered Rate (LIBOR) with effect from January 1, 2022.

Management Discussion & Analysis

CROSS-BORDER BRANCHES

Your Bank's International Banking Unit (IBU) at the Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City), Gandhinagar, Gujarat commenced its operations on May 6, 2016. The IBU comes under the Special Economic Zone (SEZ) of GIFT City and its functioning is regulated by the provisions/ guidelines issued by International Financial Services Centres Authority (IFSCA). Beside other products, the Bank's IBU is also focussed on funding against Buyers' Credit (BC) and External Commercial Borrowings (ECBs) for eligible Indian corporates.

Your Bank's overseas branch at the Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai has completed thirteen years of operations. The operations of the DIFC branch have been rationalised and are restricted to selected services, viz. arrangement of deals in investments (debentures), advisory services for financial products (debentures) and arrangement & advisory services for credit.

CREDIT RATING

Your Bank obtains credit ratings for both its domestic and foreign currency borrowings. The rating action during FY 2022-23, along with current ratings for the Rupee resources as on March 31, 2023, are as follows:

Rated Instruments	Ratings for Rupee Borrowings			
	CRISIL	ICRA	India Rating	CARE
Rating action in	Feb 2023	Sept 2022 [@]	July 2022	Dec 2022
Fixed Deposit	CRISIL AA-/ Stable [^]	[ICRA] A+ / Positive ^{^^}	IND A+ / Stable ^{^^^}	-
Short Term Borrowings (Certificate of Deposit)	CRISIL A1+	[ICRA] A1+	IND A1+&	CARE A1+
Long Term Rupee Bond (Senior and Lower Tier II Bonds)	CRISIL A+ / Stable	[ICRA] A+ / Positive	IND A+ / Stable % [#]	-
Hybrid Upper Tier II Bonds	CRISIL A- / Stable	-	-	-
Hybrid – IPDI (Basel II)	CRISIL A- / Stable	-	-	-
Tier II Bonds (Basel III)	CRISIL A+ / Stable	[ICRA] A+ / Positive	IND A+ / Stable [®]	CARE A+ / Positive [®]

Note:

- @ - Outlook revised to positive from Stable
- ^ - Rating migrated to CRISIL AA-/Stable from FAA/Stable
- ^^ - Rating migrated to [ICRA] A+/Positive from MAA- (Stable)
- ^^^ - Rating migrated and upgraded to IND A+/Stable from IND tA/Stable
- & - Rating upgraded to IND A1+ from IND A1
- % - Rating upgraded to IND A+ from IND A
- # - Only Senior Tier II bonds has been rated

The Medium Term Note (MTN) Bonds rated by foreign rating agencies, viz. S&P Global Ratings (S&P) and Fitch Ratings (Fitch), were fully repaid on November 30, 2020. Hence, the Bank had terminated the rating engagements/ agreement with them on May 21, 2021, for various issues made under the MTN Bond Programme. Accordingly, the rating for Foreign Currency Borrowings stands withdrawn.

RISK MANAGEMENT

The risk management strategy of your Bank essentially focusses on the fundamental tripod, viz. identification, measurement and monitoring. While identification enables the Bank for further analysis and assessment, measurement empowers the Bank to manage risk effectively. This strategic approach allows the Bank to attain improved decision-making and confidence therein through available risk management tools. A well-defined policy framework outlining appropriate limits and procedural aspects enable the Bank to mitigate and manage risk within its overall risk appetite. Periodic policy updates attempt to ensure further refinement in the risk management practices by capturing the essence of business dynamics, banking innovations, emerging risk scenarios and regulatory changes. Your Bank constantly endeavours to improve its risk management culture by spreading risk awareness across all its verticals and making it an integral decision-making criterion. While the Risk Management Committee (RMC) of the Board is responsible for overall risk management, the day-to-day activities are conducted at various levels based on the risk governance structure. The risk management systems and processes are continuously upgraded in alignment with the regulatory requirements. For a more robust and technologically advanced risk management system, your Bank has implemented Integrated Risk Management Architecture (IRMA) comprising software solutions, viz. Risk Assessment Module (RAM), Capital Assessment Model (CAM) and Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE). The IRMA helps in identifying and measuring credit & operational risks, which, in turn, facilitate formulation of suitable risk management strategies. Further, the Bank has well-established Financial Analytical Application for its Asset Liability Management (ALM), Fund Transfer Pricing (FTP), Profitability Management and Liquidity Risk Management.

Implementation of Basel Norms

In adherence to the Pillar 1 guidelines of the RBI under Basel III framework, your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market and operational risks on a quarterly basis. In addition, banks in India are mandated to maintain the Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50%. Your Bank also monitors the movement of the CRAR at a monthly periodicity. Your Bank's 'Total Capital + CCB' ratio was 20.44% as on March 31, 2023 against the regulatory requirement of 11.50%. Similarly, your Bank's 'Common Equity Tier 1 (CET1) + CCB' ratio was 18.08% as against the regulatory requirement of 8.00%. Your Bank's 'Tier 1 + CCB' ratio stood at 18.08% as on March 31, 2023 as against the regulatory requirement of 9.50%. Your Bank's Leverage Ratio as on March 31, 2023 was 7.86% against the minimum regulatory requirement of 3.50%. Your Bank has a Board-approved policy on Internal Capital Adequacy

Assessment Process (ICAAP) in line with the Pillar 2 norms of the Basel III framework. This policy enables your Bank to internally assess and quantify those risks which are not covered or not adequately covered under Pillar 1 as well as to develop appropriate strategies to manage and mitigate risks under normal and stressed conditions. Your Bank has also put in place a comprehensive stress testing framework in line with the RBI guidelines. The stress testing framework enables your Bank to assess its performance under exceptional but plausible events and facilitates in framing appropriate proactive strategies to meet unforeseen contingencies. The stress testing framework also includes scenario analysis, multifactor sensitivity analysis and reverse stress testing. Scenario analysis covers a study on impact of further increase in gross NPAs, crystallisation on Non-Fund facilities in Non-Performing Assets (NPAs) & Technically Written-Off (TWO) accounts and impact of illiquid securities on capital and profitability of the Bank. The mechanism of reverse stress testing is applied to find the level of stress which may adversely impact the capital and profitability of the Bank to take it to a pre-determined floor level. Your Bank has adopted a Disclosure Policy in accordance with the Pillar 3 requirements under the Basel norms. Accordingly, disclosures as at the end of each quarter are hosted on your Bank's website, thereby exhibiting high degree of transparency. Your Bank has laid down a Reputational Risk Assessment & Management Policy to proactively assess the risks posed to its reputation and the related consequences, along with the measures to contain them. Your Bank has also put in place Group Risk Assessment Policy to monitor and minimise the overall risk profile at the group level. Your Bank follows the Standardised Approach under Credit Risk for computation of capital charge. Your Bank follows Basic Indicator Approach (BIA) to compute regulatory capital charge for Operational Risk. Your Bank is in readiness to implement new standardised approach for assessment of operational risk capital requirement as proposed by the RBI. A comprehensive set of Key Risk Indicators (KRIs) and Risk & Control Self-Assessment (RCSA) framework was rolled out across different business segments for augmenting risk culture and ensuring effective control mechanism. For market risk, your Bank follows the Standardised Measurement Method (SMM) to compute regulatory capital requirements.

Credit Risk

The credit risk management system in your Bank includes the RAM for credit rating of proposals and the CAM for automation of capital adequacy assessment. The Bank's Credit Policy is reviewed periodically in line with changing business objectives and economic environment and forms the guiding tool for the business verticals. As per the Board-approved structure, the Credit Risk Management Committee (CRMC), *inter alia*, ensures implementation

of credit policy strategies and monitors credit risk on a bank-wide basis. In addition to the RAM/ score-based internal rating, the Bank has developed a Quantified Risk Scoring Matrix for risk-categorisation of high-value corporate and Micro, Small & Medium Enterprise (MSME) loans.

Market Risk

The market risk management in your Bank, in terms of functions and business positions, operates in line with the policy framework defined in the Market Risk & Derivative Policy and the Investment Policy. These policies, in general, outline the appropriate levels of risk appetite and implementation mechanisms for measurement, reporting and escalation of risks and exceptions. With the implementation of Integrated Treasury Management System (ITMS), the market risk management efficacy of your Bank, covering monitoring and reporting, has been further strengthened. All the prescribed limits and procedures are monitored closely by the Treasury Mid-office, which is independent of the Front-office and the Back-office of Treasury. The Treasury Mid-office has implemented assessment of Non-Statutory Liquidity Ratio (NSLR) Bonds through in-house developed internal rating based model in order to create a robust Non-Statutory Liquidity Ratio (NSLR) bond portfolio.

Liquidity Management

The Bank has a well-organised liquidity risk management structure as enumerated in the Board-approved Asset Liability Management (ALM) Policy. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors and manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. The ALM activities including liquidity analysis and management are conducted through co-ordination amongst various ALCO support groups in the functional areas such as Balance Sheet Management, Treasury Front-office, Budget & Planning, etc. The ALCO directives and ALM directions are implemented by the concerned business groups and verticals. As per the regulatory guidelines, the Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Bank is computed on a daily basis with effect from January 1, 2017. The average LCR of the Bank remained at 135.66% for the quarter ended March 31, 2023. Your Bank implemented the Net Stable Funding Ratio (NSFR) from October 1, 2021 in line with the RBI directives. The Bank's Net Stable Funding Ratio (NSFR) as on March 31, 2023 was 120.01%.

Operational Risk

Your Bank has a robust Operational Risk Management Framework (ORMF) which includes an organisational set-up comprising the Board of Directors, the Risk Management Committee (RMC) of the Board, the Operational Risk Management Committee (ORMC), the Operational Risk

Management Discussion & Analysis

Management (ORM) section in the Risk Management Department and nodal officers from various functions/ departments. The operating procedures for operational risk are guided by the Board-approved Operational Risk Management Policy which aims at identifying, monitoring, measuring and managing operational risks associated with banking activities. Your Bank has robust internal systems and procedures for mitigation of inherent risks spread across various business activities/ operations. It manages the operational risks through Key Risk Indicators (KRIs) and Risk Control Self-Assessment (RCSA) exercises and periodically updates these outcomes to the Operational Risk Management Committee (ORMC) and the Risk Management Committee (RMC) of the Board. Operational risk loss events from across the Bank are collated and presented to the Operational Risk Management Committee (ORMC) along with the root cause analysis.

Your Bank also conducts stress testing exercises on a quarterly basis in order to study the impact of stressed operational risk losses on its earnings and capital. This is aided by measurement and reporting of any breach in the Board-approved Risk Appetite limits for operational risk. At present, the Bank has adopted the Basic Indicator Approach (BIA) for computation of Operational Risk Regulatory Capital and Risk Weighted Assets. Your Bank has created a centralised platform for digital hosting of all internal policies, products, manuals and Standard Operating Procedures (SOPs) at one place in order to ensure timely updation and easy access to the employees.

Business Continuity Management

Your Bank has put in place robust Business Continuity Management (BCM) processes to ensure uninterrupted business processes in critical functional areas in the event of business disruptions and life-threatening events. Your Bank has been awarded ISO 22301:2012 certification for its bank-wide coverage of Business Continuity Management. As a part of the BCM, a well-defined Business Continuity Plan (BCP) has been put in place for core and support functions. This is intended to provide continuity in services to customers even in case of business disruption/ disaster. Besides, a comprehensive Disaster Management Plan (DMP) is deployed for its major establishments to safeguard human lives and minimise damage to valuable assets during disaster. Resilience of the BCP and DMP is tested periodically through BCP testing exercises, disaster recovery including holistic drill and mock evacuation drills. The Bank's Business Continuity Management System is well-equipped with an automated incident reporting tool, viz. Integrated Disaster and Business Continuity Management System (i-DaB). In order to ensure uninterrupted delivery of critical services to customers, the Bank has developed a mobile-based application,

viz. *ion* BCP, to enable hassle-free instant invocation and execution of the BCP by the disrupted branches.

Information Technology Risk

Your Bank has taken a series of steps to strengthen its Information Technology (IT) risk management and control. Your Bank has set up a state-of-the-art Security Operation Centre (SOC) at its Data Centre (DC) at Navi Mumbai and at Disaster Recovery (DR) site at Chennai to ensure high availability. The 24x7 SOC is a Command Centre for countering cyber threats and ensuring compliance with the Bank's Information Security Policy and Cyber Security Policy, besides fulfilling its objective of providing safe and secure banking to its customers. Further, through the SOC, your Bank centrally monitors security devices like firewalls, routers, Intrusion Detection System (IDS) devices/ Intrusion Prevention System (IPS) devices, Privileged Identity Management (PIM), antivirus, phishing/ malware attempts and takes corrective actions. Your Bank regularly conducts Vulnerability Assessment & Penetration Testing (VAPT) of external applications, viz. Finacle E-Banking Application (FEBA), mobile banking, mail messaging, etc.

Your Bank has successfully implemented the RBI's recommendations pertaining to Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds and the RBI's Cyber Security Framework for banks. Your Bank has put in place an appropriate organisational framework, as recommended in the guidelines, which includes an exclusive Information Security Group headed by the Chief Information Security Officer (CISO) who reports to the Chief Risk Officer (CRO) of the Bank.

Your Bank has put in place Cyber Security Policy and Cyber Crisis Management Plan, which articulate the management intent and direction for addressing cyber security risks. Your Bank conducts and participates in various types of cyber drills, table-top exercises, phishing simulation exercises and breach readiness exercises to check and maintain the health of its information security set-up.

Apart from conducting regular information security awareness programmes for the employees, various information security precautions are also communicated to customers through mailers, SMSes, posters as well as through its ATMs to minimise/ thwart the attempts of security breach. The Bank has been observing the '*Cyber Jagrookta (Awareness) Diwas*' on the first Wednesday of every month in line with the GoI guidelines.

The Bank's IT infrastructure and systems have been implemented within a robust information security framework including solutions on both perimeter and end-points. Your Bank's Data Centre (DC), Disaster Recovery Centre (DR) as well as Near DR Centre (NDR) are certified with the latest

ISO 27001:2013 information security standards. Your Bank's Near DR ensures zero data loss for critical transaction systems. The Information Security Steering Committee (ISSC) of the Bank provides directions and guidance for mitigating IT risk in the information systems and provides direction on the status of observations identified through Vulnerability Assessment & Penetration Testing (VAPT)/ Application Security Testing (AppSec) process. The cyber security posture, various security incidents and the policies are placed before the IT Strategy Committee of the Board (ITSCB) for necessary directions. The policies are recommended by the ITSCB to the Board for approval.

Several information security solutions have been implemented like Privileged Identity Access Management, Next-Generation - Firewall Solution, Mobile Device Management, HoneyPot Solution, Patch Management Solution, Active Directory, Web/ Mail Gateways, Endpoint and Universal Serial Bus (USB) encryption, Data Leakage Prevention (DLP) solution, Advanced Persistent Threat (APT), Network Access Control (NAC), Web Application Firewall (WAF), etc. to protect customer data, prevent external attacks as well as strengthen internal controls.

MANAGEMENT, CONTROLS AND SYSTEMS

HUMAN RESOURCES

Learning and Development

During FY 2022-23, your Bank's apex training institute, viz. IDBI Training College, Hyderabad and 10 Zonal Training Centres, conducted training for 17,050 employees through 1,122 in-house and external customised programmes (in online and offline mode) in addition to online Learning Management System, viz. OJAS. Employees from various verticals were trained in multiple subjects, viz. Retail Banking, MSME, Agricultural Credit, Rural Credit delivery & monitoring, NPA Management, Structured Retail Assets (Credit/ Sales/ Operations), Retail Collections, Audit, Cyber Security, Documentation, Role-based Refresher courses, Trade Finance, Human Resources, Treasury, Train the Trainer, Risk, Finance and Accounts, Leadership/ Behavioural Training programmes, etc., including certain mandatory trainings. Your Bank also conducted blended training programmes (mix of online/ classroom training programme and e-learning modules) in the modules pertaining to Prevention of Sexual Harassment (POSH), Vigilance Awareness, Know Your Customer (KYC)/ Anti-Money Laundering (AML), Digital Banking, Cyber Security, Finacle, etc. As per the GoI directives, the Bank also conducted training programmes on Customer Service, career progression for women officers, Rajbhasha, KYC/ AML and Cyber Security.

Your Bank nominated 701 officers for 128 external training programmes conducted by reputed institutes in order to provide requisite exposure in their respective areas of work. Your Bank nominated 16 officers during the year for foreign training programmes/ conferences in order to provide requisite exposure in their respective areas of work.

As part of the continuous learning culture, your Bank has been promoting e-learning through its Learning Management System, viz. OJAS, to provide additional channels of learning to its employees in a cost-effective manner. OJAS has more than 300 e-learning modules encompassing topics on banking, behavioural skills as well as functional modules. The Bank has linked the completion of all mandatory e-learning certification with the annual performance appraisal process wherein the overall completion status of e-learning shall be considered while deciding the final Performance Grade (PG) rating of officers. The Bank has also incorporated mandatory compliance modules for its Officers from Grade A to E to create awareness and ensure strong compliance culture in the Bank.

In addition to conducting training programmes for the employees, IDBI Training College has also conducted domestic and international training programmes for financial institutions from across the world. IDBI Training College and Zonal Training Centres (ZTCs) conducted 54 external programs with 2,139 participants from reputed organisations.

Your Bank has established a mentorship programme for the new entrants who join as Grade 'A' Officers where senior level officers guide them to develop their professional and personal skills apart from making them work on priority setting, networking and career planning in life. This exercise has helped in creating better employee engagement, sense of belonging, reduction in attrition rate, thereby making the Bank as the most preferred employer in the industry.

Your Bank has undertaken collaborative learning initiatives by entering into Memorandum of Understanding (MoU) with reputed institutes. IDBI Training College has signed MoU with State Bank Institute of Rural Banking (SBIRB)-Hyderabad and Banking Training Institute (BTI)-Nepal to conduct various joint training and faculty exchange programmes.

Scholarship for wards of employees

During FY 2022-23, your Bank disbursed Dr. B. R. Ambedkar Scholarship to the children of Class III & IV employees from the Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs) categories.

Manpower deployment

Your Bank has a robust manpower deployment mechanism for facilitating the organisational and statutory requirements while keeping in view employees' interests as well. The placements are being done to develop competencies and

Management Discussion & Analysis

skills of officers through exposure to wider and diverse operational areas. This is also facilitated through the capacity building framework which envisages optimising skills of individuals through specific intervention by way of knowledge upgradation and enhancing existing skill sets. Further, movement of the officers, including the officers holding sensitive positions, is guided by the framework provided in Officers' Placement and Transfer Policy.

Employee Benefits & Well-being

Your Bank believes in providing a holistic work environment that would help employees stay committed. Towards this end, your Bank has been providing a host of employee benefits such as:

- The Bank provides medical facilities for self and dependents which include hospitalisation cover, reimbursement of domiciliary treatment, comprehensive health check-up, services of Bank Medical Officers at major centres etc.
- The Bank extends loans and advances at soft rate of interest and concessional terms of repayment.
- The Bank offers compassionate facilities to the bereaved family members of the employees of the Bank who die in harness. These include, Group Life Insurance Scheme (GLIS), compassionate appointment/ payment of ex-gratia, i-Dost Scheme which provides financial assistance through the collective contributions from all the employees and insurance cover for staff loans.
- In addition to various learning & development initiatives, your Bank has put in place a capacity building framework to upgrade and enhance the skills of the employees to fulfil specific mandatory certifications and pursue part-time and distance learning courses in the area of Banking and Finance.
- Your Bank has put in place a Scheme for Extending Financial & Legal Assistance to its Directors/ Officers/ Employees and also a Directors' and Officers' Liability Insurance Policy.

Industrial Relations

During the year, the industrial relations climate in your Bank has generally been cordial, with most of the issues having been resolved amicably. The Bank has been holding meetings with the Associations and Unions in its endeavour to have constructive dialogue for understanding and addressing grievances of officers/ employees. The Associations and Unions have also been responsive and proactive while addressing various issues.

Reservation Policy

Your Bank follows applicable guidelines on the matter. As on March 31, 2023, the representation of Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs)/ Other Backward Classes (OBCs)/ Economically Weaker Sections (EWSs) in the Bank's total manpower was as follows:

CLASS	SC	ST	OBC	EWS
Officers	2,193	954	4,082	113
Executives	244	135	555	186
Clerical	56	21	39	0
Subordinate	116	34	94	0
Total	2,609	1,144	4,770	299

Performance Management System

Your Bank has put in place a performance appraisal system, i.e. IDBI Performance Assessment & Continuous Evaluation System (iPACE), with an objective to align the employee performance with the organisational targets, to ensure objectivity and to foster performance-oriented culture in the Bank. i-PACE includes standardised Key Result Areas (KRAs) for similar roles with uniform weightage and direct system/ dashboard linkages for most of the measurable KRAs.

Recruitment and Staffing

As on March 31, 2023, your Bank had total staff strength of 17,850. The break-up of employees is as follows:

Class	Total
Officers	15,438
Executives	1,578
Clerical	395
Subordinate	439
Total	17,850

The count includes employees on contract

Your Bank has hired officers in the Grade 'A' through campus recruitment channel from prestigious institutes with a focus on recruiting personnel with the desired quality and skill sets for organisational growth. During the year, your Bank recruited 1,924 individuals in various grades as given below:

Grade	Total
Grade A (Assistant Manager)	631
Grade B (Manager)	39
Grade C (Assistant General Manager)	25
Grade D (Deputy General Manager)	14
Grade F (Chief General Manager)	2
Grade G (Executive Director)	1
Executive on Contract	1,208
# Clerical	4
Total	1,924

** The above data excludes Advisors (on contract) and Chief Customer Service Officer.*

Compassionate Appointments

Prevention of Sexual Harassment at Workplace (POSH)

With the aim of providing quick assistance and the much desired immediate support to the aggrieved women on account of occurrence of an untoward incident, an e-mail based grievance mechanism has been put in place by the Bank to enable them to lodge complaints of sexual harassment faced by them at the Bank's workplace, directly to the members of internal committees.

Disclosures under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

With the objective of creating a safe and friendly work environment and ensuring prevention of sexual harassment at workplace, the Bank, in line with the requirements of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, has set up two Internal Committees to redress the complaints received regarding sexual harassment of women at workplace. During FY 2022-23, the Bank received 7 (seven) complaints which were attended by the respective Internal Committees. As on March 31, 2023, 5 (five) complaints were pending for conclusion.

Succession Planning

Your Bank has put in place a policy for succession planning at critical senior positions. The policy provides a holistic framework for creating leadership pipeline for senior positions to ensure business continuity when identified critical positions are vacated.

New Initiatives

- *Introduction of Variable Pay*
To develop a culture of high performance, your Bank implemented variable pay component, which is linked to achievement of Bank-wide targets and performance of individual employees, for all employees.
- *Reimbursement of Course Fee for Officers joining through IDBI Bank Post Graduate Diploma in Banking & Finance (PGDBF) course*

As a talent retention measure, your Bank has introduced a policy for reimbursement of course fee for officers joining through IDBI PGDBF Course on completion of three years of service in the Bank and subject to securing satisfactory performance ratings. The reimbursement is applicable to all those officers who have been recruited through the channel and are in the service of the Bank.

INFRASTRUCTURE MANAGEMENT

During the year, the Bank commenced operations at its Patna Zonal office premises. The Delhi Zonal office was shifted to a new refurbished premises at NBCC Office Complex. The Bank completed relocation and renovation of several branches across the Zones during the year.

As an environment-friendly measure and to conserve power, the Bank continued to replace conventional light fixtures with energy efficient light fixtures, lamps and tubes at its premises. The digitisation drive of title deed of the Bank's own properties is being undertaken after perfection.

INTERNAL AUDIT

Your Bank has a dedicated Internal Audit Department, which evaluates the adherence to internal policies, procedures and regulatory guidelines as also provides objective assurance on the effectiveness of internal controls, risk management and governance processes within the Bank and suggest improvements. The audit function has adopted the Risk Based Audit approach and audit activities undertaken by various business and support verticals, the Zonal Offices, the Regional Offices, branches and non-branch segments. The Audit Department functions under the guidance and supervision of the Audit Committee of the Board (ACB).

The Bank's audit function is governed by (i) Risk Based Internal Audit Policy (ii) Concurrent Audit Policy and (iii) Information Systems Audit Policy. As part of the Risk Based Internal Audit Programme, the Audit Department conducts various audits, viz. branch audit, credit audit, Information Systems Audit, Concurrent Audit, etc. A Zonal Audit Office (ZAO) structure has been created in order to ensure focussed attention on branch audit and for effective follow-up. The audit process is undertaken through a web-based application, viz. the Audit Management System, which can be accessed by respective officers of auditee units on real-time basis for monitoring of compliances. The Audit Department also manages the functions of: (i) Fraud Monitoring Group, (ii) Staff Accountability, (iii) Long Form Audit Report, and (iv) Internal Financial Controls over Financial Report.

Long Form Audit Report (LFAR)

The Audit Department has been compiling and sharing information submitted by the Bank's branches with the Statutory Central Auditors (SCAs) for finalisation of the Long Form Audit Report (LFAR). An online system has been developed for input of information/ data by the Bank's branches and generation of consolidated reports for use by the SCAs.

Management Discussion & Analysis

Internal Financial Control over Financial Reporting (IFCO-FR)

The Audit Department also co-ordinates and supervises the identification and testing of the Risk Control Matrix by an external consultant appointed for the purpose to verify that (i) adequate internal financial control systems are in place; and (ii) the operating effectiveness of such controls is good as well as to ensure timely and effective closure of all open issues. An on-going exercise is undertaken to sensitise the concerned business functions to ensure that adequate measures are taken for the controls in an effort to close all the open issues.

Information Systems (IS) Audit

The Bank's IS Audit function encompasses audit of Application Systems, IT Infrastructure, External Vendors, Policy & Process Reviews, Concurrent Audit of Data Centre and Branch Audits.

Based on the RBI's guidelines on '*Independent Assurance of the Audit Function*' and with a view to providing assurance to the management and regulators, quality assurance review of the Internal Audit, including IS Audit function, has been carried out by the Bank. The review process is aimed at validating the approach and practices adopted by the Bank to assess effectiveness and efficiency of the Internal Audit function. Emphasis has been laid on covering cyber security aspects in the scope of IS audit in view of the increasing cyber incidents.

Offsite Monitoring System

The Offsite Monitoring System (OMS) is a tool, which helps to detect errors/ omissions and compromised controls (if any) and to generate alerts for better monitoring of exceptions arising out of routine day-to-day operations in Finacle. The OMS rules identify exceptions that may expose the Bank to regulatory, financial and operational risks. Under Project UTKARSH, a comprehensive revamping of the OMS was carried out and was launched during the year.

Concurrent Audit

The Concurrent Audit (CA) system is a part of the Bank's Early-Warning System to detect irregularities/ lapses, which helps in checking violations of the internal and regulatory guidelines in controlling risks and in preventing fraudulent transactions. The CA system is essentially a control process which is integral to the establishment of sound internal accounting systems and effective controls. As per the relevant RBI guidelines, the CA is carried out in the branches/ other

non-branch units like the Treasury, the Central Processing Unit (CPU) and the Retail Asset Centers (RACs) identified based on risk perception and volume of business handled. Further, identified functional divisions at the Bank's Head Office in Mumbai and all Trade Finance Centers are also subjected to the CA. As per the Board-approved CA Policy of the Bank, the CA is required to cover 70% of deposits and 70% of advances of the Bank. Accordingly, for FY 2022-23, the Bank has covered 919 auditee units under Concurrent Audit by engaging the services of empaneled external firms of Chartered Accountants. The Concurrent Auditors' performance is closely monitored by the Zonal Audit Offices and the Head Office of the Bank on a continuous basis for qualitative reports and timely submission.

Credit Audit

Your Bank has a system of credit audit for detailed review of selected accounts on an annual basis. Borrower accounts for credit audit are identified from the new proposals sanctioned during the review period on the basis of defined criteria, viz. (i) all new, takeover & enhancement proposals and proposals for renewal/ renewal-cum enhancement of limits, with sanction limits equal to or above a cut-off depending upon the size of activity (ii) randomly selected (10%) proposals from the rest of the portfolio and (iii) Below Investment Grade (if migrated from Investment Grade during the review period).

Investigative Audits or Special Investigative Audits (IAs/ SIAs)

Investigative Audits or Special Investigative Audits (IAs/ SIAs) were carried out by the Audit Department at certain branches/ offices based on various triggers. Significant observations emerging out of these SIAs are being presented to an Executive Director-level Committee for IA/ SIA and advisories/ directions issued and corrective steps taken thereon are being reported to the Audit Committee of Board (ACB) periodically. Investigations carried out by the Audit Department play a vital role in bringing about systemic improvements, improvements in policies, product guidelines, processes and procedures, helping in strengthening the controls and drawing attention to better overall monitoring of the branches. An early trigger provided by IAs/ SIAs have helped the Zones to initiate timely recovery/ legal actions and to arrest slippage of accounts into NPAs.

Lapses/ gaps emerging out of the IAs/ SIAs are shared with branches as well as with the controlling units in order to avoid reoccurrence of such lapses with a focus on strengthening

the compliance culture not only at branch level but also at supervisory level.

Fraud Monitoring

The Bank has put in place a fraud monitoring mechanism through a dedicated Fraud Monitoring Group (FMG) within the Internal Audit Department. The FMG reviews efficacy of the remedial actions taken to prevent occurrence of frauds and also issues necessary advisories/ circulars from time-to-time aimed towards strengthening of internal control and putting in place need-based remedial measures. A detailed Fraud Risk Management (FRM) Policy is in place for early detection, prevention, reporting, monitoring and follow-up of frauds. The FMG reviews the FRM policy on regular basis for facilitating timely reporting of frauds.

The Bank has issued various internal circulars on prompt reporting of frauds and timelines for reporting of fraud incidents, reiterating the importance of timely reporting of frauds to the RBI.

Your Bank also has a dedicated Fraud Risk Management Group (FRMG) which focusses on risk-based monitoring of suspicious transactions across various systems & applications through deployment of fraud prevention/ detection rules in its Enterprise-wide Fraud Risk Management Solution (EFRMS). During the year, the EFRMS system was extended to also cover acquiring transactions at ATMs and Internet Payment Gateway (IPG). The 24x7 basis risk-based suspicious transaction monitoring activity has been extended to all digital channels transactions covering Debit Cards, Credit Cards, Mobile Banking, Internet Banking, Unified Payments Interface (UPI) and Aadhaar Enabled Payment System (AEPS). The implementation of EFRMS across the digital channels helps in ensuring safe and secured transactions for the Bank's customers and safeguards the interests of all involved stakeholders.

Staff Accountability

The Bank has put in place a detailed Staff Accountability Policy which aims at safeguarding the larger interests of the Bank by identifying the areas where the rules and procedures laid out by the Bank are not being followed, resulting in a loss to the Bank. This exercise helps the Bank to take necessary corrective steps by way of improvement in systems & procedures, strengthening any knowledge gaps by way of training and mentoring, or by any other action to create an environment which could be conducive for better compliance of the guidelines and processes.

VIGILANCE MECHANISM

Your Bank has a Vigilance Department (VgD), headed by a Chief Vigilance Officer (CVO), at its Head Office in Mumbai. Your Bank has also set up vigilance teams at all its Zonal Offices (ZOs) in order to achieve better control and ensure monitoring of vigilance activities at the Zonal level.

The CVO performs/ oversees all functions relating to the vigilance matters in the Bank, including (i) processing of vigilance cases, investigating or initiating investigations into complaints with vigilance overtones & verifiable allegations (ii) processing of investigation reports for further consideration of the Disciplinary Authority (DA) (iii) referring the matters, wherever necessary, to the Central Vigilance Commission (CVC) for its consideration/ advice (iv) taking steps to prevent commission of malpractices/ misconducts (v) co-ordinating & liaising with various law enforcement agencies, among other activities.

The vigilance function comprises both '*Preventive Vigilance*' and '*Punitive Vigilance*' elements. Preventive vigilance is a continuous process which strives to review the existing guidelines to ensure that set systems and procedures are being followed, to reduce use of discretion, and ensures sensitisation of/ creating awareness amongst the employees as well as other stakeholders of the Bank on vigilance matters.

Some of the preventive vigilance measures adopted by your Bank include undertaking of Onsite Monitoring/ Surprise Vigilance Visits (SVVs) and inspections on suo moto basis (on receiving source information of any suspected wrong-doing by staff/ outside elements) of various branches to detect malpractices, if any, and gauge adherence of established systems and procedures. Apart from this, the Vigilance Department also undertakes scrutiny of One Time Settlement (OTS)/ First Time Non-Performing Assets (FTNPAs) cases, scrutiny of Annual Return of Assets & Liabilities (ARAL) of the officers of the Bank, Audit Reports of the Bank, issuing advisories to curb irregularities found for systemic improvements wherever necessary and imparting training to employees on vigilance matters, etc.

As a part of efforts to combat corruption and also to enhance and spread public awareness on vigilance matters in line with the directives of the CVC, your Bank observed Vigilance Awareness Week (VAW) 2022 from October 31, 2022, to November 6, 2022, with the theme as *भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत (Corruption Free India for a Developed Nation)*'. On the occasion, your Bank organised a talk by an eminent speaker and released a special e-journal for the benefit of all

Management Discussion & Analysis

its employees. The Bank also conducted various competitions like online as well as offline quiz, essay writing, coin-a-captation contest, memory games, crossword competition, etc. for its employees and their children on a pan-India basis.

Your Bank's employees took the Integrity Pledge through online mode. The Bank also sent SMSes with a link for taking integrity pledge to its customers to support the fight against corruption. Seminars and workshops were organised at various locations for the benefit of your Bank's field functionaries. For the awareness among general public/citizens, the VAW 2022 banners, posters were displayed at prominent locations at your Bank's Zonal Offices (ZOs), Regional Offices (ROs), branches and also at other places with public interface. Your Bank also organised Gram Sabhas at various locations.

In accordance with the CVC directives, information regarding VAW-2022 was disseminated through your Bank's website as well as its page/handle on social media platforms.

REGULATORY COMPLIANCE

Your Bank ensures compliance of various statutory and regulatory guidelines laid down by the Government of India (GoI), the Reserve Bank of India (RBI), the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and other regulatory/statutory bodies through a structured system of internal controls and tiered reviews. The Compliance Department of the Bank operates out of its Head Office in Mumbai and is headed by a senior official in the rank of an Executive Director who has been designated as Chief Compliance Officer (CCO). The Department co-ordinates dissemination and internalisation of all the statutory and regulatory guidelines. Your Bank has put in place an extensive Board-approved Compliance Policy as per the RBI guidelines and reviews it annually. The role and responsibility with regard to the compliance function is clearly defined for every tier in the Bank. The Board is apprised at monthly intervals about important communications/guidelines received from the RBI and other regulators/agencies. Your Bank has strengthened the internal compliance culture at granular level by implementing advanced technology application, viz. Cerma+, which has trackers in place for enabling timely submission of compliance related information to the RBI and proper data management.

RIGHT TO INFORMATION (RTI) ACT

Your Bank has designated Central Public Information Officers (CPIOs) for responding promptly to requests for information

pertaining to various functional areas. In addition, all the branch heads have been designated as Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) to receive and forward applications under the Right to Information (RTI) Act to the CPIOs. Your Bank has designated a senior officer in the rank of Chief General Manager as First Appellate Authority (FAA) for dealing with appeals of aggrieved applicants. A Transparency Officer, in the rank of Executive Director, has been designated for effective implementation of provisions of Section 4 of the RTI Act. A separate link for the RTI Act has been provided on the Bank's website (www.idbibank.in). Your Bank has also aligned with the Government of India's RTI online portal, whereby citizens can seek the information and raise appeals under the RTI Act through the portal (<https://rtionline.gov.in>).

PROGRESSIVE USE OF HINDI

During the period under review, your Bank made concerted efforts to increase usage of Official Language - Hindi and implementing the various provisions of Official Language Act and Rules of the GoI. All the Verticals, Departments, Zonal Offices and branches of your Bank made special efforts on regular basis to achieve the targets prescribed in the Annual Programme and other directives issued by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, GoI. The Bank has taken several initiatives for the progressive use of Hindi in customer communications.

During the year, necessary efforts were taken to provide in-depth information about the Bank's products and schemes in Hindi on the Bank's website. The Bank's various mobile applications, viz. Abhay, PayApt, and GO Mobile+, are enabled with the facility of Hindi. Various types of posters, banners and other publicity material were displayed in Hindi as well as in regional languages for the benefit of customers. Hindi and regional languages were used in advertising campaigns for various Government social security schemes.

Your Bank uploaded template letters, forms, dictionaries, notings and other relevant reference materials in bilingual form on its Intranet to facilitate working in Hindi. Various incentive schemes were implemented and many competitions were organised to encourage staff members to use Hindi in their day-to-day official work. In order to progressively increase the usage of Hindi in different departments/verticals of Head Office as well as other offices, Rajbhasha workshops were organised in all the regions of your Bank to familiarise the employees with the various requirements of Official Language implementation and use of Hindi Unicode. The Bank also organised Rajbhasha fortnight in September 2022.

CUSTOMER SERVICE AND COMPLAINTS MANAGEMENT

Your Bank, adhering to the spirit of its vision of being the most preferred and trusted bank for all its stakeholders, has adopted a customer-centric approach focussing on delighting customers with excellent service.

In order to be responsive to changing customer needs and preferences, your Bank periodically reviews its policies to ensure that the policies are in sync with the latest developments as also empower the customers to resolve their grievances as per a defined system. Complaints received from all channels are handled in consonance with these policies which also include a time-based in-built escalation matrix with an internal alert mechanism wherein if the complaint is not resolved within the pre-defined Turn-Around Time (TAT), the same is escalated to the next level of authority in order to ensure a better complaint resolution management. Your Bank has designated Grievance Redressal Officers (GROs) at each of its 14 Zonal Offices and a Principal Nodal Officer (PNO) at the Head Office in Mumbai. Further, in line with the Internal Ombudsman Scheme 2018, the Bank has appointed an Internal Ombudsman (IO). Your Bank has in place a Standardised Public Grievance Redressal System (SPGRS) module of the Customer Value Management (CVM) which facilitates recording, monitoring and timely resolution of complaints received. The complaints received from various customer touch-points and regulators are recorded in the system and a communication is sent to the customer through an SMS acknowledging the complaint along with a link to track the same. The customer also has the flexibility of tracking the status of the registered complaint through the Bank's website/ nearest branch/ Contact Centre. Your Bank has established two senior level customer service committees, i.e. Standing Committee on Customer Service (SCCS) and Customer Service Committee of the Board (CSCB), which are convened on a quarterly basis. These Committees are entrusted with the task of assessment of quality of customer service rendered by the various touch-points of the Bank. The Committees also evaluate complaints & feedback received from customers as well as provide necessary directions to increase efficiency of resolution and also changes in process for service improvement.

Your Bank has two dedicated Customer Contact Centres, located at CBD Belapur, Navi Mumbai and Hyderabad, to address customer queries on a 24x7 basis and swiftly redress customer grievances/ queries.

Your Bank also conducts mystery shopping activities across branches in order to evaluate quality of customer service rendered to its customers. Meetings of the Branch Level Customer Service Committee (BLSCC) are conducted on 15th of every month in order to encourage structured communication between the customers and the branch, thereby enhancing the service levels at branch.

Your Bank took various initiatives in the area of customer service during the year. To enhance customer experience, the Customer Care Department of your Bank has upgraded the technology at Call Centre and added several new services on the Bank's phone banking Interactive Voice Response (IVR) system wherein customers are able to perform account & debit card related activities like blocking of net banking, request for replacement of debit card & TDS certificate on registered email id, etc.

CORPORATE COMMUNICATIONS

During FY 2022-23, the objective of your Bank's advertising was to create salience for the brand as well as its flagship products and services and to enhance the positive image of the Bank. The advertising and publicity initiatives undertaken by your Bank during the year focussed on campaigns highlighting the brand and the flagship retail products like Home Loan, Auto Loan, Gold Loan, Personal Loan and Fixed Deposits as well as its robust digital banking offerings such as the Bank's revamped mobile banking app GO Mobile+ and Video Account Opening (VAO) facility. The campaigns focussed on highlighting the distinguishing features of the brand and products were carried out primarily vide digital platforms and mediums like Transient OOH (Out of Home) display, etc. complemented with measured bursts on high impact platforms like television.

As in the advertising arena, several initiatives were undertaken by your Bank in the Public Relations (PR) domain also. The overlying accent of the PR initiatives was aimed at maintaining positive tonality of news and enhancing your Bank's profile in the media, while simultaneously striving to reinforce stakeholder perception. Your Bank found numerous positive mentions of its initiatives in print, electronic and digital media. The Bank communicated through its official brand pages/handles on Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter and YouTube and continued to undertake engagement activities in innovative ways for propagating the brand and products of the Bank on various social media platforms.

Your Bank's internal communication agenda was focussed on enabling effective exchange of important ideas, including, but

Management Discussion & Analysis

not limited to, developments in the field of banking. It ensured permeation across various departments and branches of the Bank to foster a sense of belonging amongst the employees and cultivate a healthy relationship of trust, to work towards a collective goal. Various initiatives were undertaken to motivate and engage with the employees. These, inter alia, included engagement activities like hosting of messages from the Top Management on the home page of the Bank's Intranet and e-mailers to employees on special occasions, viz. Foundation Day/ New Year/ Diwali, etc. Further, during the year, your Bank's top management addressed and interacted with employees of the Bank through pan-India town hall format meetings under the 'Aarohan – The Ascent' programme which encapsulated the Bank's transformation journey and served to rejuvenate staff across the Bank's various Zones and offices.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Your Bank's CSR objective is to make material, visible and lasting difference to the lives of under-privileged sections of the society by identifying gaps and extending need-based contribution for their betterment. Your Bank seeks to achieve multidimensional impact through direct interventions as well as acting as a catalyst for socio-economic progress of the beneficiaries.

In terms of the guidelines outlined in the Companies Act, 2013, the average net profit of your Bank for the preceding three years works out to a loss (for CSR purpose). Hence, there was no requirement for your Bank to incur any spends under CSR during the year under review. However, as a pro-active and socially responsible entity, during the year ended March 31, 2023, your Bank spent ₹ 1.44 crore towards select CSR interventions in areas such as education, healthcare, etc.

INFORMATION TECHNOLOGY

During the year under review, your Bank continued its steady progress towards technological innovation, upgrading and continuously improving its software and hardware. It inaugurated numerous branches equipped with the latest networking technology, laptops and desktops, and ensured continuity in IT-related procurement through e-tendering based bidding procedures.

Your Bank has strengthened its IT infrastructure with the second phase of Software Defined Wide Area Network

(SD-WAN) implementation, complete planning of co-location of DR services, and the implementation of new age security technologies.

Your Bank has also implemented an enterprise solution for IT Operations Management and is in the advanced stage of implementation of Integrated Collection and Recovery Module, upgrading of hardware and storage capacities in CBS including Oracle RAC, E-audit system implementation, and the implementation of Application Delivery Controllers (ADCs) for Data Centre (DC) & Disaster Recovery (DR) sites.

Your Bank has moved the entire UPI workload to private cloud, implemented a state-of-the-art Application Programming Interface Management (APIM) solution to facilitate digital transformation, and increased its market capabilities.

On the data refinement and enrichment fronts, your Bank has successfully implemented Automated Data Flow (ADF) application, optimised the combined MIS dashboard, and enhanced its journey towards being a data-driven decision-making organisation, backed by a strong and state-of-the-art Enterprise Data Warehouse (EDW) set-up. As part of the EDW, your Bank has made around 800 reports and dashboards available to various departments across the Bank. The Bank has also increased its reach towards Customer Relationship (CRM) module along with Customer 360° view for field functionaries, which can be accessed both on desktop and mobile. Under data governance, your Bank has significantly improved the Data Quality Index (DQI) score published by CIBIL Transunion.

CENTRALISED OPERATIONS

Your Bank has a dedicated Centralised Operations vertical which comprises various departments, viz. Central Processing Unit (CPU), Regional Processing Units (RPU), Retail Asset Operations (RAO), Anti-Money Laundering (AML) Cell, Depository Account Operations, Domestic Payment & Remittance Services (DPRS), Cash Management Services (CMS) & Government Business Group (GBG) Operations, Capital Market Operations, Internet & Mobile Banking Operations, Card Issuance & Management section, Data Clean-up & Compliance Team and GST Operations.

The centralisation of various activities helps the Bank in improving efficiency by reducing the turnaround time (TAT) for processing of service requests from customers, ensuring uninterrupted support services to various business units of the Bank and rationalising the operating costs. It also helps

in electronic record-keeping of all transactions, thereby facilitating proper tracking of responsibility and accountability and mitigating the risk of errors and frauds.

Branch Operations Support and Policy

Your Bank is at the forefront in disseminating knowledge to the staff on their day-to-day operations by equipping them with latest information on banking operations, services, etc. This ensures that your Bank is able to provide service to all its stakeholders with updated knowledge on products, operations and services.

Your Bank is in compliance with Clean Note Policy of the RBI and has deployed Note Sorting/ Note Authentication Machines in its branches. The Bank has 25 Currency Chests (CCs) across the country. These CCs process cash from all linked branches and provide clean notes for dispensing through ATMs and branches.

Your Bank has further strengthened various initiatives undertaken for improving customer convenience through digital mediums.

जी डी आर एंड कंपनी,

सनदी लेखाकार,
डी-509, नीलकंठ बिजनेस पार्क,
नथानी रोड, विद्याविहार पश्चिम,
मुंबई-400 086
महाराष्ट्र

वर्मा एंड वर्मा,

सनदी लेखाकार,
यूनिट नं 101, ऑफिस प्राइमो,
प्लॉट नं X-21, एमआईडीसी रोड नं. 21,
अंधेरी पूर्व, मुंबई-400 093
महाराष्ट्र

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ), विनियमन, 2015 के अध्याय IV के कुछ प्रावधान के अनुसार कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र

प्रति,

सदस्यगण,

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

- हम आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (जिसे इसमें आगे "बैंक" कहा गया है), जिसका पंजीकृत कार्यालय आईडीबीआई टॉवर, डबल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400 005 में स्थित है, के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक हैं। हमने समय-समय पर संशोधित (सूचीबद्धता विनियम) शेयर बाजार के साथ बैंक के सूचीबद्धता करार के अनुसरण में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 17 से 27 में और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी में निर्दिष्टानुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

- जैसा कि सूचीबद्धता विनियम में निर्धारित किया गया है, कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी में सूचीबद्धता विनियम में निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की रूपरेखा, कार्यान्वयन और अनुरक्षण भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

- हमारी जिम्मेदारी कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है। यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति है।
- हमने बैंक द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं के अनुपालन पर समुचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक के बहीखातों तथा अन्य संबंधित अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है।
- हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन के प्रमाण पर मार्गदर्शी नोट, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानक जो कि इस प्रमाणपत्र के उद्देश्य के लिए लागू हैं तथा रिपोर्टों पर मार्गदर्शी नोट अथवा आईसीएआई द्वारा जारी विशेष उद्देश्यों हेतु प्रमाणपत्र जो जिसके द्वारा यह अपेक्षित है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता आचार संहिता की नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें, के अनुसार बैंक के संबंधित अभिलेखों की जांच की है।
- हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, लेखा परीक्षा करने वाली फार्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तथा ऐतिहासिक वित्तीय सूचना की समीक्षा और अन्य आश्वासन व सम्बद्ध सेवा वचनबद्धताओं के लिए लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

निष्कर्ष

- संबंधित अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अभ्यावेदन के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सूचीबद्धता विनियम के विनियम 17 से 27 में और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी में निर्दिष्टानुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

अन्य मामले तथा प्रयोग पर प्रतिबंध

- यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही बैंक के कार्यों को संचालित करने की प्रबंधन की कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है।
- यह प्रमाणपत्र बैंक के सदस्यों को कॉर्पोरेट अभिशासन के संबंधित विनियमों के अनुपालन के संदर्भ में सूचीबद्धता विनियमन के तहत अपने दायित्वों के अनुपालन करने के एकमात्र उद्देश्य से बैंक के सदस्यों को संबोधित और उपलब्ध कराया गया है तथा इसका प्रयोग किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार हम बिना किसी लिखित पूर्वसहमति के किसी अन्य उद्देश्य के लिए अथवा किसी अन्य पक्ष को यह दिखायी जाने पर अथवा किसी अन्य को उपलब्ध हो जाने पर कोई देयता अथवा सावधानी संबंधी कर्तव्य का दायित्व स्वीकार अथवा मान्य नहीं करते हैं। इस प्रमाणपत्र की तारीख के बाद होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों के लिए इस प्रमाणपत्र को अद्यतन करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

कृते जी डी आर एंड कंपनी.

सनदी लेखाकार
फर्म पं. सं. 100515W
सीए सीरभ पेशवे
साझेदार
सदस्यता सं. 121546
यूडीआईएन: 23121546BGWJZV3469
स्थान : पुणे
दिनांक : 15 जून 2023

कृते वर्मा एंड वर्मा

सनदी लेखाकार
फर्म पं. सं. 004532S
पी आर प्रसन वर्मा
साझेदार
सदस्यता सं. 25854
यूडीआईएन: 23025854BGRHXU4505
स्थान : चेन्नई
दिनांक : 15 जून 2023

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

अभिशासन संहिता पर बैंक के दर्शन का संक्षिप्त विवरण

बैंक अपने परिचालनों में कॉरपोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी नीतियां व पद्धतियां न सिर्फ सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, बल्कि अपने स्टेकधारकों के सर्वोत्तम हित में काम करने की इसकी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती हैं। अभिशासन के उच्च मानकों को बनाये रखने का दायित्व बैंक के निदेशक मंडल तथा बोर्ड की विभिन्न समितियों का है जिन्हें विधिक एवं विनियामक प्रावधानों तथा बैंकिंग परंपराओं के ढांचे के भीतर आवश्यक प्रकटीकरण करने सहित उत्कृष्ट कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के अधिकार प्राप्त हैं।

इस दिशा में बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके निदेशक मंडल का गठन निर्धारित मानदंडों के अनुसार होता रहे, निर्धारित अंतराल पर इसकी नियमित बैठकें हों, यह प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे, प्रबंधन पर नियंत्रण रखे, कार्यपालकों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखे तथा समुचित प्रकटीकरण करे। इसके अतिरिक्त, रणनीतिक नियंत्रण ढांचे की स्थापना और इसकी प्रभावशीलता की निरंतर समीक्षा तथा नीति निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए स्पष्ट दस्तावेजीकृत तथा पारदर्शी प्रबंध प्रक्रियाओं की स्थापना और निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग बैंक के अन्य नीतिगत दिशा-निर्देश हैं। बैंक बोर्ड को निर्बाध रूप से सभी संबद्ध सूचनाएं तथा संसाधन उपलब्ध कराता है जिससे वे अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभा सकें।

निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का आधार व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और बैंक के संस्था अन्तर्नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 (एलओडीआर विनियम) में यथावर्णित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं से शासित होता है। बैंक का बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से और महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए गठित बोर्ड की विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है।

i. विचारार्थ विषय

- शेयरधारकों से उनके शेयरों पर अप्रदत्त धनराशि के संबंध में मांग करना;
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 के तहत प्रतिभूतियों की वापसी खरीद को प्राधिकृत करना;
- भारत में या भारत से बाहर डिबेंचरों सहित प्रतिभूतियों को जारी करना;
- धन उधार लेना;
- बैंक की निधियों का निवेश करना;
- बैंक के वित्तीय विवरणों और बोर्ड की रिपोर्ट अनुमोदित करना।
- बैंक के कारोबार में विविधता लाना;
- सम्मेलन, विलयन या पुनर्निर्माण को अनुमोदित करना;
- किसी कंपनी का अधिग्रहण करना या किसी अन्य कंपनी में नियंत्रक या पर्याप्त हिस्सेदारी हासिल करना;
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) को नियुक्त करना या हटाना;
- आंतरिक लेखा-परीक्षकों और सचिवीय लेखा-परीक्षकों को नियुक्त करना;
- राजनीतिक योगदान करना;
- निदेशकों के हित और शेयरधारिता के प्रकटन को नोट करना;
- बैंक द्वारा धारित निवेशों (ट्रेड किए जाने वाले निवेशों के अलावा) का क्रय-विक्रय जिसमें निवेशक कंपनी की चुकता शेयर पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियां का पांच प्रतिशत या उससे अधिक चुकता शेयर पूंजी शामिल हैं;
- तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों या वित्तीय परिणामों, जैसा भी मामला हो, अनुमोदित करना;
- गैर अनुपालन के मामलों में सुधार करने के लिए बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के साथ बैंक पर लागू सभी कानूनों से संबंधित अनुपालन रिपोर्टों की आवधिक समीक्षा करना;

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

- निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तैयार करना;
- बैंक के लिए जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करना, कार्यान्वयन करना और निगरानी सुनिश्चित करना;
- स्वतंत्र निदेशकों, सभी अन्य निदेशकों, बोर्ड की समितियों और संपूर्ण निदेशक मंडल के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करना;
- कॉरपोरेट रणनीति, कार्रवाई की प्रमुख योजनाओं, जोखिम नीति, वार्षिक बजट और कारोबार योजना की समीक्षा और मार्गदर्शन, कार्य-निष्पादन के उद्देश्यों की स्थापना, कार्यान्वयन और कॉरपोरेट कार्य-निष्पादन की निगरानी, और प्रमुख पूंजी व्यय, अधिग्रहण और विनिवेशों का निरीक्षण करना;
- बैंक के अभिशासन वाले कार्यों की प्रभावशीलता की निगरानी और उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना;
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) का चयन, मुआवजा, निगरानी, और जब आवश्यक हो, उनका प्रतिस्थापन और उत्तराधिकार योजना की निगरानी करना;
- बैंक और उसके शेयरधारकों के दीर्घकालिक हितों के साथ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) और निदेशकों के पारिश्रमिक को सुमेलित करना;
- निदेशक मंडल में विचार, अनुभव, ज्ञान, परिप्रेक्ष्य और लिंग की विविधता के साथ निदेशक मंडल के लिए पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करना;
- कॉरपोरेट आस्तियों के दुरुपयोग और संबंधित पक्ष लेनदेनों के गलत उपयोग के साथ-साथ प्रबंधन, निदेशक मंडल के सदस्य और शेयरधारकों के हितों के संभावित टकरावों की निगरानी और प्रबंधन करना;
- स्वतंत्र लेखा-परीक्षा सहित बैंक की लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना और यह देखना कि नियंत्रण की उचित प्रणाली, मुख्य रूप से जोखिम प्रबंधन, वित्तीय और परिचालनगत नियंत्रण प्रणाली सुव्यवस्थित है तथा यह देखना कि कानून और प्रासंगिक मानकों के अनुपालन की उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है;
- प्रकटन और संचार प्रक्रिया की देखरेख करना;
- निदेशक मंडल के मूल्यांकन ढांचे की निगरानी और समीक्षा करना;
- बैंक को रणनीतिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, प्रबंधन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना और बैंक एवं शेयरधारकों के लिए जवाबदेह होना;
- कॉरपोरेट संस्कृति और मूल्य निर्धारित करना जिसके अनुसार समूह के सभी कार्यपालकों को आचरण करना होगा;
- पूर्ण जानकारी के आधार पर, सद्भावना में, समुचित सावधानी और देखभाल के साथ बैंक और शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना;
- निदेशक मंडल के सदस्यों को अद्यतन जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निदेशकों के नियमित प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना;
- सभी शेयरधारकों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना;
- उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखना और बैंक के हितधारकों के हितों का ध्यान रखना;
- बैंक के कॉरपोरेट मामलों के बारे में वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय का निष्पादन करना;
- जहां हितों के टकराव की संभावना हो, वहां निदेशक मंडल को कार्य करने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाने हेतु पर्याप्त गैर-कार्यपालक सदस्यों को नामित करने पर विचार करना;
- रणनीति, रणनीतिक पहल (जैसे कि अधिग्रहण), जोखिम क्षमता, एक्सपोजर और संस्था के ध्यान देने योग्य मुख्य क्षेत्रों जैसी अंतर्निहित धारणाओं की चुनौती से कार्यपालक प्रबंधन की सहायता करने के लिए पीछे हटने की क्षमता।
- निदेशक मंडल की समितियों के अधिदेश, संरचना और कार्य प्रणाली को परिभाषित और प्रकट करना;
- निदेशक मंडल के एक सदस्य के रूप में और निदेशक मंडल की समिति के एक सदस्य के रूप में स्वतंत्र निदेशकों को अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करने के लिए सुविधा प्रदान करना; और
- विनियामक/सांविधिक अपेक्षाओं द्वारा समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना।

ii. 31 मार्च 2023 को निदेशक मंडल की संरचना (शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल/ विशेषज्ञता सहित)

निदेशक का नाम	कार्यपालक/ गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र/ गैर-स्वतंत्र निदेशक	शैक्षणिक योग्यता	विशेषज्ञता
स्वतंत्र निदेशक व अंशकालिक अध्यक्ष				
श्री टी. एन. मनोहरन	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बी. कॉम, एम. कॉम, विधि स्नातक, आईसीएआई के फैलो सदस्य और इंग्लैंड और वेल्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान का आईएफआरएस सर्टिफिकेट लेवल ऑनलाइन प्रशिक्षण और मूल्यांकन कार्यक्रम.	लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, बैंकिंग, विधि, जोखिम, लघु उद्योग, वित्त, मानव संसाधन, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन और कॉरपोरेट अभिशासन.
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी				
श्री राकेश शर्मा	कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बी.कॉम, अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, लघु उद्योग, जोखिम, मानव संसाधन, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन और कॉरपोरेट अभिशासन
उप प्रबंध निदेशक				
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बीई (ऑनर्स), एमबीए	लेखाशास्त्र, बैंकिंग, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, जोखिम, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, बिक्री एवं मार्केटिंग, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री सुरेश खटनहार	कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	एम.कॉम, सीएआईआईबी, आईसीडब्ल्यूए	लेखाशास्त्र, बैंकिंग, वित्त, जोखिम, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी, लघु उद्योग, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
नामिती निदेशक				
श्री मुकेश कुमार गुप्ता (एलआईसी)	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बी.एससी. और एमबीए (एचआरएम)	मानव संसाधन, बैंकिंग, बिक्री एवं मार्केटिंग, व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री राज कुमार (एलआईसी)	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बी.एससी.	मानव संसाधन, मार्केटिंग, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री मनोज सहाय (भारत सरकार)	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बीई (सिविल इंजीनियरिंग)	लेखाशास्त्र एवं वित्त, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री सुशील कुमार सिंह	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बीए, एमए (दर्शनशास्त्र)	लेखाशास्त्र एवं वित्त, मानव संसाधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

निदेशक का नाम	कार्यपालक/ गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र/ गैर-स्वतंत्र निदेशक	शैक्षणिक योग्यता	विशेषज्ञता
स्वतंत्र निदेशक				
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बी. एससी. (ऑनर्स), एम. एससी. (भौतिक शास्त्र), विकास परियोजनाओं के प्रबंध एवं कार्यान्वयन (एमआईडीपी) में मास्टर्स प्रोग्राम एवं वित्तीय प्रबंध में पीजी डिप्लोमा	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्त, लघु उद्योग, जोखिम, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बी. कॉम, सीएआईआईबी	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री समरेश परिवदा	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	सनदी लेखाकार, लागत लेखाकार एमबीए	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, व्यवसाय प्रबंधन, रणनीतिक आयोजना, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री एन. जंबुनाथन	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	सांख्यिकी में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी, प्रबंधन में डिप्लोमा	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान एवं निपटान, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री दीपक सिंघल	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बीए, एमबीए, सीएआईआईबी, पीजीडीआरएम	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, मानव संसाधन, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री संजय जी. कल्लापुर	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बी.कॉम, एम.एम.एस., व्यवसाय अर्थशास्त्र में पी एचडी, एसीएमए	लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, वित्त, जोखिम, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्रीमती पी. वी. भारती	गैर-कार्यपालक	महिला स्वतंत्र	बी. एससी., एमए (अर्थशास्त्र), बीएड, सीएआईआईबी, बैंकिंग एवं वित्त में एकीकृत पाठ्यक्रम (एनआईबीएम)	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, जोखिम, अर्थशास्त्र, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन

31 मार्च 2023 को बोर्ड में 15 (पंद्रह) निदेशकों की संख्या बैंक के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 114(ए) के अंतर्गत प्रदान की गई अपेक्षाओं को पूरा करती है।

बोर्ड की राय में स्वतंत्र निदेशक एलओडीआर विनियमनों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

iii. निदेशकों के बीच परस्पर संबंध

- (i) बैंक के बोर्ड में किसी भी निदेशक का किसी अन्य निदेशक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध नहीं है।
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल के लिए विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा के अनुसार बैंक के किसी भी पूर्णकालिक निदेशक और गैर-कार्यपालक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) की आयु क्रमशः सत्तर वर्ष और पचहत्तर वर्ष नहीं हुई है।
- (iii) बैंक के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक हैं और वह अनुच्छेद 116(1)(i) के निबंधनों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित 'संबंधी' शब्द की परिभाषा के अनुसार बैंक के एमडी एवं सीईओ से संबंधित नहीं हैं।

iv. बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम कुल संख्या का एक तिहाई अथवा तीन (3) निदेशक, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा बशर्ते कि इनमें कम से कम एक निदेशक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का नामिती हो और बैठक में उपस्थित निदेशकों में कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक हों।

v. बोर्ड की बैठकों की आवृत्ति

बोर्ड की बैठक आम तौर पर एक वर्ष में कम से कम छह बार और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी तथा बोर्ड की लगातार दो बोर्ड बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए।

vi. बोर्ड की संपन्न बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) के दौरान निदेशक मंडल की कुल 12 बैठकें 02 मई 2022, 26 मई 2022, 29 जून 2022, 21 जुलाई 2022, 26 अगस्त 2022, 28 सितंबर 2022, 21 अक्टूबर 2022, 30 नवंबर 2022, 28 दिसंबर 2022, 23 जनवरी 2023, 03 मार्च 2023 और 28 मार्च 2023 को संपन्न हुईं। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर सूचित किए अनुसार व्यक्तिगत रूप से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित की गईं और बैंक के प्रत्येक निदेशक की बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति, गत वार्षिक महासभा (एजीएम) में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में उनकी निदेशकता और समितियों में सदस्यता का ब्योरा नीचे **तालिका 1** में दिया गया है।

तालिका 1 : निदेशकों की बोर्ड की बैठकों और गत वार्षिक महा सभा में उपस्थिति, उनकी निदेशकता और समितियों में सदस्यता

निदेशक का नाम	संबंधित कार्यकाल में आयोजित बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित/ उपस्थित)	22 जुलाई 2022 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियों) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में सदस्यता/ अध्यक्षता (केवल एसीबी एवं एसआरसी)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां व्यक्ति निदेशक हैं और निदेशकता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
स्वतंत्र निदेशक एवं अंशकालिक अध्यक्ष					
श्री टी.एन. मनोहरन (डीआईएन: 01186248)	12/12	उपस्थित	02	02	स्वतंत्र निदेशक: 1. टेक महिन्द्रा लि. 2. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि.
पूर्णकालिक निदेशक					
श्री राकेश शर्मा (डीआईएन : 06846594)	12/12	उपस्थित	02	शून्य	शून्य
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीआईएन: 02262530)	12/12	उपस्थित	03	01	शून्य

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

निदेशक का नाम	संबंधित कार्यकाल में आयोजित बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित/ उपस्थित)	22 जुलाई 2022 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियों) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में सदस्यता/ अध्यक्षता (केवल एसीबी एवं एसआरसी)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां व्यक्ति निदेशक हैं और निदेशकता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
श्री सुरेश खटनहार (डीआईएन: 03022106)	12/12	उपस्थित	01	शून्य	शून्य
गैर कार्यपालक निदेशक					
श्री मुकेश कुमार गुप्ता (डीआईएन: 06638754)	12/12	उपस्थित	02	शून्य	1. आईटीसी लि. - नामित निदेशक; 2. जिंदल वर्ल्डवाइड लि. - स्वतंत्र निदेशक
श्री राज कुमार (डीआईएन-06627311) [19.05.2022 से]	11/08	उपस्थित	01	शून्य	1. ग्रामिण इंडस्ट्रीज लि.- नामित निदेशक
श्री मनोज सहाय (डीआईएन-08711612) [28.04.2022 से]	12/06	उपस्थित नहीं	02	शून्य	शून्य
श्री सुशील कुमार सिंह (डीआईएन-09584577) [28.04.2022 से]	12/03	उपस्थित नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
स्वतंत्र निदेशक					
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन-00603925)	12/12	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी (डीआईएन - 06713850)	12/12	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री समरेश परिदा (डीआईएन-01853823)	12/12	उपस्थित	01	01	1. शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड - स्वतंत्र निदेशक
श्री एन. जंबुनाथन (डीआईएन - 05126421)	12/12	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री दीपक सिंघल (डीआईएन - 08375146)	12/12	उपस्थित	02	शून्य	शून्य
श्री संजय जी कल्लापुर (डीआईएन-08377808)	12/12	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य

निदेशक का नाम	संबंधित कार्यकाल में आयोजित बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित/ उपस्थित)	22 जुलाई 2022 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियों) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में सदस्यता/ अध्यक्षता (केवल एसीबी एवं एसआरसी)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां व्यक्ति निदेशक हैं और निदेशकता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
श्रीमती पी.वी. भारती (डीआईएन - 06519925)	12/12	उपस्थित	03	02	1. पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लि. - स्वतंत्र निदेशक

बैंक के किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक के पास बैंक द्वारा जारी शेयर या संपरिवर्तनीय लिखत नहीं है।

बोर्ड की समितियां

बोर्ड की कुल 13 समितियां हैं, यथा :

- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
- हितधारक संबंध समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
- वसूली समीक्षा समिति
- इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति
- कार्यपालक समिति
- धोखाधड़ी निगरानी समिति
- कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति
- मानव संसाधन संचालन समिति
- असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति

क. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

i. विचारार्थ विषय

- संवेदनशील क्षेत्रों, अर्थात् (क) पूंजी बाजार, और (ख) रियल इस्टेट को एक्सपोजर की समीक्षा करना;
- अपने ग्राहक को जानिए/ धन शोधन निवारक (केवाईसी / एएमएल) दिशानिर्देश-
 - कार्यान्वयन की समीक्षा;
 - शाखाओं में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धनशोधन निवारण (एएमएल) दिशा-निर्देशों के पालन के संबंध में संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुपालन की समीक्षा;
- हाउसकीपिंग की समीक्षा - विशेषकर लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों उचंचत/ विविध/ देय अथवा प्रदत्त ड्राफ्ट/ मार्गस्थ निधियाँ/ समाशोधन/ सहायक सामान्य खाताबही (एसजीएल)/ संघटक सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) खातों का संतुलन और समाधान तथा नोस्ट्रो खातों की समीक्षा;
- रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के संबंध में अनुपालन की समीक्षा-जोखिम तथा पूंजी के मूल्यांकन हेतु पर्यवेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट (आरएआर) और जोखिम न्यूनीकरण योजना (आरएमपी);
- लेखा-परीक्षा योजना और इसकी उपलब्धियों की स्थिति की समीक्षा;
- महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्षों/ निम्नलिखित लेखा-परीक्षाओं में पायी गयी आंतरिक नियंत्रण कमियों की उसके अनुपालन सहित समीक्षा करना- (i) लांग फॉर्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) (ii) संगामी लेखा-परीक्षा (iii) आंतरिक निरीक्षण (iv) डाटा सेंटर और अन्य विभागों की सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा (v) ट्रेजरी एवं डेरिवेटिव (vi) नियंत्रक कार्यालयों/ प्रधान कार्यालय में प्रबंधन लेखा-

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

परीक्षा (vii) सेवा शाखाओं की लेखा-परीक्षा (viii) करेंसी चेस्ट (ix) विदेशी मुद्रा विनियम में संव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत शाखाओं की विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) लेखा-परीक्षा आदि;

- एसीबी/ बोर्ड/ रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों पर अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा;
- समुद्रपारीय शाखाओं के संबंध में मेजबान देशों में विनियामकों की विनियामकीय अपेक्षाओं पर अनुपालन रिपोर्ट;
- प्रबंधन चर्चा, वित्तीय स्थिति का विश्लेषण, सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण की कमियों के बारे में जारी पत्रों/प्रबंधन पत्रों सहित तिमाही के वित्तीय परिणामों की समीक्षा;
- विवेकाधिकार शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किए गए उल्लंघन संबंधी जानकारी की समीक्षा;
- उधारकर्ता कंपनियों में उनकी प्रदत्त पूंजी के 30% से अधिक की इक्विटी शेयर धारिता के संबंध में जानकारी रिपोर्ट करना;
- मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर को समाप्त तिमाहियों के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा;
- संबद्ध पक्षों के साथ लेन-देनों और संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए पूर्वानुमोदन और संबद्ध पक्ष लेन-देनों में उत्तरवर्ती संशोधन, यदि कोई हो, की समीक्षा,
- (क) जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा नीति, (ख) संगामी लेखा-परीक्षा नीति और (ग) आईएस लेखा-परीक्षा नीति की समीक्षा;
- बैंक के लेखों में अधिक पारदर्शिता लाने और लेखांकन मानकों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक की लेखांकन नीतियों/ प्रणालियों की समीक्षा करना और वर्ष के दौरान किसी भी परिवर्तन और उसके परिणाम की समीक्षा करना तथा इस आशय की पुष्टि कि लेखांकन नीतियां, लेखांकन मानकों और रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में हैं;
- आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की संख्या तथा विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आंतरिक लेखा-परीक्षा की बारंबारता सहित आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा;
- बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा;
- बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की समीक्षा;
- सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति, लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता, कार्य निष्पादन, देशी और समुद्रपारीय परिचालनों दोनों के लिए लेखा-परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की निगरानी करना और समीक्षा;
- निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुति से पूर्व एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग सी के बिन्दु ए (4) में दर्शाई गयी (क) से (छ) की मदों के विशेष संदर्भ में वार्षिक लेखों/ वित्तीय विवरणों और इन पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा;
- सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा दी गई अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए लेखा-परीक्षकों को किए जाने वाले भुगतान का अनुमोदन;
- लेखा-परीक्षा शुरू होने से पूर्व उसके स्वरूप और कार्य-क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों के साथ तथा साथ ही चिंताजनक विषयों का पता लगाने के लिए लेखा-परीक्षा के उपरांत विचार-विमर्श;
- विभिन्न कानूनों और संविधियों के तहत बैंक पर लगाए गए दंडों/ दंडात्मक कार्रवाई और सुधारात्मक उपायों के लिए की गयी कार्रवाइयों की समीक्षा;
- आंतरिक/ बाह्य लेखा-परीक्षकों द्वारा पता लगाए गए राजस्व रिसाव की रिपोर्ट और उसकी वसूली की स्थिति की समीक्षा- कमतर राजस्व के कारण और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए उठाये गये कदम;
- ऑफर दस्तावेजों और निधियों के सार्वजनिक निर्गम (सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित) के जरिये जुटाई गई निधियों के अंतिम उपयोग पर रिपोर्ट और साथ ही साथ, (i) विनियम 32(1) के अनुसार निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन(नों) के तिमाही विवरण और (ii) एलओडीआर विनियमावली के विनियम 32(7) के अनुसार ऑफर दस्तावेज में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य के लिये उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण;
- जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न होने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में बड़ी चूकों के कारणों की समीक्षा;

- असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए विशेष निवेशों सहित वित्तीय विवरणियों की समीक्षा;
- पहली बार हुई अनर्जक आस्तियों (एफटीएनपीए) की समीक्षा;
- ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक के नकारे गए चेकों की समीक्षा;
- संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली की वार्षिक समीक्षा करना;
- वार्षिक लेखा-परीक्षा योजना का अनुमोदन;
- आउटसोर्स वेंडरों की लेखा-परीक्षा की वार्षिक समीक्षा करना;
- सतर्कता तंत्र की कार्य प्रणाली (पूर्व में विसिल ब्लोअर तंत्र) की समीक्षा;
- (i) मुख्य वित्तीय अधिकारी (ii) मुख्य आंतरिक लेखा-परीक्षक और (iii) मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन;
- सूचीबद्ध संस्था के उपक्रमों या आस्तियों का मूल्यांकन देखना, जहां कहीं भी आवश्यक हो;
- बैंक के लेखों को प्रभावित करने वाले रिजर्व बैंक के परिपत्रों की समीक्षा;
- सेबी (भेदिया ट्रेडिंग का निषेध) विनियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा;
- बैंक द्वारा सहायक संस्था में ₹ 100 करोड़ से अधिक या सहायक संस्था के आस्ति भाग के 10% मौजूदा ऋण/ अग्रिम/ निवेश सहित जो भी कम हो, के निवेश की ऋण और/ या अग्रिमों के उपयोग की समीक्षा,
- बैंक और इसके शेयरधारकों को विलय, विलगाव, सामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार और टिप्पणी करना.
- स्टाफ जवाबदेही जांच की समीक्षा.
- स्वत्व विलेखों और ऋण/ सुरक्षा दस्तावेजों की समुचित सावधानी कार्रवाई की वास्तविकता को सत्यापित करना.
- परोक्ष निगरानी (ओएमएस) के कार्यनिष्पादन की रिपोर्ट;
- कंपनी अधिनियम, 2013, एलओडीआर विनियमावली, आदि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए अनुपालन पर सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा;
- सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लि. (सीडीएसएल), नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) और समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्टों की निरीक्षण रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों का अनुपालन;
- खोजी लेखा परीक्षा (आईए)/ विशेष जांच लेखा परीक्षा (एसआईए) के निष्कर्षों की समीक्षा ;
- रेटिंग एजेंसियों के साथ चर्चा;
- प्रबंधन की उपस्थिति के बिना प्रमुख-आंतरिक लेखा परीक्षा और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के साथ चर्चा;
- जोखिम रेटिंग माइग्रेसन और लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता की समीक्षा; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली किसी अन्य भूमिका का निर्वहन.

ii. एसीबी की संरचना

31 मार्च 2023 को एसीबी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से चार सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे अर्थात् अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक श्री समरेश परिदा, सदस्यों के रूप में श्री मनोज सहाय, भारत सरकार के नामिती निदेशक, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी.वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक.

iii. एसीबी बैठकों के लिए कोरम:

एसीबी बैठकों के लिए कोरम में एसीबी के तीन सदस्य होंगे, इनमें से कम से कम दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे. एसीबी बैठक की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो बोर्ड की किसी अन्य समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे.

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

iv. एसीबी बैठकों की आवृत्ति

एसीबी की वर्ष में कम से कम चार बैठकें होंगी और एसीबी की लगातार दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिन से अधिक का अंतराल नहीं होगा.

v. एसीबी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) के दौरान एसीबी की 12 बैठकें 02 मई 2022, 25 मई 2022, 28 जून 2022, 21 जुलाई 2022, 25 अगस्त 2022, 27 सितंबर 2022, 21 अक्टूबर 2022, 29 नवंबर 2022, 27 दिसंबर 2022, 23 जनवरी 2023, 2 मार्च 2023 और 27 मार्च 2023 को संपन्न हुईं.

ख. कार्यपालक समिति (ईसी)

i. विचारार्थ विषय

- ₹ 250 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर वाले उच्च मूल्य ऋण प्रस्तावों की मंजूरी;
- कार्यपालक समिति (ईसी) द्वारा की गई मंजूरीयों के निबंधनों और शर्तों में संशोधन;
- ऋण समितियों के कार्यवृत्त को रेकॉर्ड पर लेना;
- बातचीत से तय/ एकबारीय निपटान (ओटीएस) के प्रस्तावों की मंजूरी;
- निम्नलिखित को ₹ 5 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर वाले प्रस्तावों के संबंध में मंजूरी:
 - अन्य बैंकों के निदेशक (अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सहित);
 - अन्य कोई फर्म जिसमें अन्य बैंकों के कोई निदेशक साझेदार या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों; और
 - कोई कंपनी जिसमें अन्य बैंकों के कोई निदेशक पर्याप्त हित रखते हों या निदेशक या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों;
- निम्नलिखित को ₹ 5 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर वाले प्रस्तावों के संबंध में मंजूरी:
 - बैंक के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक या अन्य बैंकों के निदेशकों के किसी संबंधी,
 - अन्य बैंकों के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशकों के किसी संबंधी,
 - कोई फर्म जिसमें ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार उनके कोई संबंधी साझेदार या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों, और
 - कोई कंपनी जिसमें ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार उनके कोई संबंधी पर्याप्त हित रखते हों या निदेशक या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों,
- प्रतिभूतिकरण पोर्टफोलियो की मंजूरीयों की रिपोर्टिंग;
- कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित मामलों के संबंध में प्रतिभूति सृजन की स्थिति की समीक्षा और रिपोर्टिंग;
- देय और प्राप्य राशियों के निवेश लिखत(तों) में परिवर्तन के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. ईसी की संरचना:

31 मार्च 2023 को ईसी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, सदस्यों के रूप में श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक और श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक.

iii. ईसी बैठकों के लिए कोरम

ईसी की बैठकों के लिए कोरम कुल संख्या का एक-तिहाई या ईसी के दो सदस्य, जो भी अधिक हो, होगी.

iv. ईसी बैठकों की आवृत्ति

ईसी की बैठक वर्ष में कम से कम चार बैठकों के साथ आवश्यकताओं के अनुसार होगी।

v. ईसी की बैठकें:

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) के दौरान कार्यपालक समिति की कुल 23 बैठकें हुईं जो 13 अप्रैल 2022; 28 अप्रैल 2022; 13 मई 2022; 25 मई 2022; 14 जून 2022; 28 जून 2022; 13 जुलाई 2022; 29 जुलाई 2022; 12 अगस्त 2022; 26 अगस्त 2022; 14 सितंबर 2022; 27 सितंबर 2022; 14 अक्टूबर 2022; 29 अक्टूबर 2022; 15 नवम्बर 2022; 29 नवंबर 2022; 13 दिसंबर 2022; 27 दिसंबर 2022; 16 जनवरी 2023; 31 जनवरी 2023; 15 फरवरी 2023; 02 मार्च 2023 और 24 मार्च 2023 को संपन्न हुईं।

ग. हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)

i. विचारार्थ विषय

हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 तथा एलओडीआर विनियमावली के अनुसूची II के भाग डी के साथ पठित विनियम 20 के अंतर्गत उपबंधित विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य करती है।

एसआरसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- शेयरों के अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए / डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, महा सभा आदि से संबंधित शिकायतों सहित शेयरधारकों, बांडधारकों और अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का समाधान;
- उपर्युक्त अधिदेश को पूरा करने के लिए एसआरसी द्वारा अपनी प्रत्येक बैठक में बैंक की इक्विटी सर्विसिंग और बांड सर्विसिंग रिपोर्टों पर विचार तथा समीक्षा करना और उपर्युक्त अधिदेश को प्राप्त करने के लिए जरूरी होने पर इस संबंध में निम्नानुसार निदेश जारी करना;
 - इक्विटी सर्विसिंग संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा;
 - फ्लेक्सि बॉण्डों की सर्विसिंग संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा;
 - शेयर पूँजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के समाधान की रिपोर्टिंग की समीक्षा;
 - स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत निवेशकों की शिकायतों के विवरणों की रिपोर्टिंग की समीक्षा;
 - शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा;
 - रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा दी गई विभिन्न सेवाओं के संदर्भ में बैंक द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा;
 - अदावी लाभांश की मात्रा को कम करने और बैंक के शेयरधारकों को लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्ट/ सांविधिक नोटिस की समयबद्ध प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहल कार्यों की समीक्षा; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. एसआरसी की संरचना

31 मार्च 2023 को एसआरसी में चार सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, समिति के अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक श्री संजय जी. कल्लापुर, सदस्यों के रूप में श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी और श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक.

श्रीमती ज्योति बीजू नायर, बैंक की कंपनी सचिव एलओडीआर विनियमावली के अंतर्गत अनुपालन अधिकारी के रूप में भी कार्य करती हैं।

iii. एसआरसी बैठक के लिए कोरम

एसआरसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा एसआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा।

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

iv. एसआरसी बैठकों की आवृत्ति

एसआरसी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी।

v. एसआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) के दौरान एसआरसी की चार बैठकें दिनांक 13 मई 2022, 12 अगस्त 2022, 15 नवंबर 2022 और 15 फरवरी 2023 को संपन्न हुईं।

vi. अनुरोध/ शिकायतों की संख्या (इक्विटी एवं बांड)

वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त शेयरधारकों/ बांडधारकों की शिकायतों की संख्या	14,398
जिन शिकायतों का समाधान शेयरधारकों/ बांडधारकों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया गया उनकी संख्या	शून्य
लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

घ. धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी)

i. विचारार्थ विषय

₹ 1 करोड़ तथा इससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी तथा उनका अनुवर्तन करने के लिए विशेष समिति के रूप में धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी) का गठन किया गया है। इसका गठन धोखाधड़ी का पता लगाने, उन पर निगरानी रखने और उनसे निपटने के लिए किया गया है।

एफएमसी की व्यापक भूमिका एवं उसके उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- प्रणालीगत कमी, यदि कोई है, जिससे धोखाधड़ी संभव हुई हो, की पहचान करना तथा उसे रोकने के लिए उपाय सुझाना;
- धोखाधड़ी, यदि कोई है, का पता लगाने में विलंब के कारणों की पहचान करना तथा बैंक के शीर्ष प्रबंधन और रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करना;
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)/ पुलिस द्वारा जांच पड़ताल में प्रगति और वसूली स्थिति की निगरानी करना;
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ जवाबदेही की जांच हो तथा बिना समय गँवाए तत्काल कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, पूरी हो;
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता, जैसे आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना, की समीक्षा करना;
- रेड फ्लैग खातों तथा बकाया रेड फ्लैग खातों के बारे में की गई उपचारात्मक कार्रवाई/ दिए गए जांच आदेश की स्थिति की समीक्षा करना;
- धोखाधड़ी के मामलों में स्टाफ जवाबदेही प्रक्रिया के पूरा होने और उस पर की गई कार्रवाई को नोट करना;
- सीबीआई, पुलिस आदि द्वारा जांच किए जा रहे मामलों से वसूली सहित धोखाधड़ी मामलों में वसूली की स्थिति;
- इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के मामले में बैंक द्वारा उठाए गए न्यूनीकरण संबंधी कदमों की प्रगति संदेहास्पद लेनदेनों की निगरानी और धोखाधड़ी की संख्या एवं मूल्यों को नियंत्रित करने में इसकी प्रभावशीलता की निगरानी करना।
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन।

ii. एफएमसी की संरचना

31 मार्च 2023 को एफएमसी में सात सदस्य शामिल थे, जिनमें से चार सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, सदस्यों के रूप में श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक और श्री टी.एन. मनोहरन स्वतंत्र निदेशक और श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक।

iii. एफएमसी बैठकों के लिए कोरम

एफएमसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई अथवा एफएमसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा।

iv. एफएमसी बैठकों की आवृत्ति

₹ 1 करोड़ और उससे अधिक राशि की धोखाधड़ी के मामले के प्रकाश में आने पर धोखाधड़ी निगरानी समिति की बैठक आयोजित करना और उसमें मामले की समीक्षा करना अपेक्षित होता है।

v. एफएमसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) के दौरान एफएमसी की छह बैठकें दिनांक 13 मई 2022, 25 अगस्त 2022; 15 नवंबर 2022; 16 जनवरी 2023; 2 मार्च 2023 और 27 मार्च 2023 को संपन्न हुईं।

ड. जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी)

i. विचारार्थ विषय

बैंक के कारोबार से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन करने, उनमें कमी लाने का प्रयास करने, आस्ति देयता असंतुलन से जुड़े मुद्दों का समाधान करने और साथ ही जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) का गठन किया गया है।

आरएमसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- चलनिधि जोखिम और अन्य जोखिमों के साथ चलनिधि जोखिम की संभावित पारस्परिक क्रिया सहित बैंक के समक्ष आने वाले सभी जोखिमों का मूल्यांकन करना;
- नकदी प्रवाह के अनुमानों की रिपोर्टिंग और चलनिधि जोखिम, प्रयुक्त धारणाओं का मापन;
- बोर्ड को नीतियों यथा ऋण नीति, वसूली नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता नीति, परिचालनगत जोखिम तथा कारोबार निरंतरता प्रबंधन (ओआर एवं बीसीएम) नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, बाजार जोखिम तथा डेरिवेटिव नीति, देशी जोखिम प्रबंधन नीति एवं देशी जोखिम सीमाएं, निवेश नीति, प्रकटन नीति, प्रतिष्ठा जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन नीति, समूह जोखिम एवं प्रबंधन नीति आदि की सिफारिश करना;
- परिचालनगत जोखिम एवं कारोबार निरंतरता प्रबंधन पर प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा;
- ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की बाजार जोखिम रिपोर्ट की समीक्षा;
- दबाव परीक्षण के परिणामों की समीक्षा;
- जोखिम प्रबंधन विभाग, मॉडेल सत्यापन - आंतरिक रेटिंग के माइग्रेसन और चूक विश्लेषण के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा;
- आस्ति देयता प्रबंधन समीक्षा;
- प्रणाली, उत्पाद अनुमोदन एवं समीक्षा समिति (स्पार्क) I एवं II के कार्यवृत्त को रिपोर्ट करना;
- प्रतिपक्षकार बैंक सीमाओं एवं घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के लिए सीमाओं के आबंटन पर नीति की समीक्षा;
- ऋण एक्सपोजर मानदंडों के अनुपालन की समीक्षा;
- पारिश्रमिक और जोखिम के बीच प्रभावी सुयोजन को प्राप्त करने के उद्देश्य से नामांकन और पारिश्रमिक समिति के साथ समन्वय में कार्य करना;
- विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - सूचीबद्धता संस्था द्वारा वित्तीय, परिचालनगत, क्षेत्र संबंधी, धारणीयता (विशेष रूप से ईएसजी संबंधी जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिमों अथवा समिति द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य जोखिम सहित सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाह्य जोखिमों की पहचान के लिए रूपरेखा.
 - पहचान किए गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय; और
 - व्यवसाय निरंतरता योजना.

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियाँ मौजूद हैं.
- जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता के मूल्यांकन सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और निरीक्षण करना.
- जोखिम प्रबंधन नीति की आवधिक आधार पर दो वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा करना, जिसमें बदलते उद्योग की गतिशीलता और विकसित जटिलता पर विचार करना शामिल है;
- निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और विषयवस्तु के बारे में सूचित करना;
- मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति, हटाने और पारिश्रमिक की शर्तों यदि कोई हो, की समीक्षा करना;
- समकक्षी बैंक समीक्षा करना;
- आईसीएएपी की मध्यावधि समीक्षा करना;
- प्रतिपक्ष बैंक एक्सपोजर सीमाओं और देशी जोखिम एक्सपोजर सीमाओं की तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा करना;
- आंतरिक और बाह्य रेटिंग के बीच विचलन का विश्लेषण करना;
- आईटी संबद्ध उद्यम जोखिम प्रबंध की विशेषज्ञता विकसित करने में सहायता करने सहित उद्यम जोखिम प्रबंध को बढ़ावा देना.
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति और ऋण जोखिम प्रबंधन समिति के कार्यवृत्त की समीक्षा; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. आरएमसी की संरचना

31 मार्च 2023 को आरएमसी में सात सदस्य शामिल थे, जिनमें से चार सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक श्रीमती पी.वी.भारती, सदस्यों के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक, श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक और श्री टी.एन. मनोहरन स्वतंत्र निदेशक.

iii. आरएमसी बैठकों के लिए कोरम

आरएमसी बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों में से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक सदस्य के पास जोखिम प्रबंधन में पेशेवर विशेषज्ञता/ योग्यता होनी चाहिए. आरएमसी की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो बोर्ड या किसी अन्य समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे.

iv. आरएमसी बैठकों की आवृत्ति

आरएमसी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. आरएमसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) के दौरान आरएमसी की पांच बैठकें दिनांक 25 मई 2022; 14 जून 2022; 14 सितंबर 2022; 13 दिसंबर 2022 और 14 मार्च 2023 को संपन्न हुईं.

च. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी)

i. विचारार्थ विषय

- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति तैयार करना और बोर्ड को उसकी सिफारिश करना जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में दिये गए क्षेत्रों या विषयों के अनुसार बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की जानकारी दी गई हो;
- उपर्युक्त खंड में दिए गए कार्यकलापों पर होने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना;
- बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति की समय-समय पर की निगरानी करना;
- ईएसजी से संबंधित बैंक की सभी गतिविधियों का निरीक्षण और ईएसजी नीति की समीक्षा ; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. सीएसआरसी की संरचना

31 मार्च 2023 को सीएसआरसी में पांच सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, सदस्यों के रूप में श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी. वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक.

iii. सीएसआरसी बैठकों के लिए कोरम

सीएसआरसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई अथवा सीएसआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

iv. सीएसआरसी बैठकों की आवृत्ति

सीएसआरसी की बैठकें छमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. सीएसआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) के दौरान सीएसआरसी की तीन बैठकें दिनांक 26 मई 2022; 30 नवंबर 2022 और 15 फरवरी 2023 को संपन्न हुईं.

छ. ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)

i. विचारार्थ विषय

बैंक में ग्राहक संरक्षण तथा सेवा की अभिशासन संरचना को मजबूत बनाने और साथ ही बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियां बनाने और उनके आंतरिक अनुपालन का आकलन करने के लिए ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) का गठन किया गया है.

सीएससी की व्यापक भूमिका तथा उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- रिटेल बैंकिंग खंड में ग्राहक की शिकायतों को देखना तथा ग्राहकों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करना;
- व्यापक जमा नीति तैयार करना;
- जमाकर्ता की मृत्यु होने पर उनके खाते के परिचालन जैसे मुद्दों का समाधान करना;
- जमाकर्ता संतुष्टि के वार्षिक सर्वेक्षण के संचालन की जांच करना;
- ग्राहक सेवाओं की त्रैवार्षिक लेखा परीक्षा करना;
- भारत के विभिन्न राज्यों के बैंकिंग लोकपाल द्वारा समाधान की जा चुकी शिकायतों के संबंध में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाना;
- बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए सभी निर्णयों पर ध्यान देना;
- तीन माह से अधिक समय तक कार्यान्वित नहीं किए गए सभी निर्णयों की कारणों सहित समीक्षा करना;
- बैंक में ग्राहक सुरक्षा एवं सेवा के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना;
- शिकायत निवारण नीति को संशोधित करना;
- प्रदान की गई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले किन्हीं अन्य मुद्दों की जांच करना.
- आंतरिक लोकपाल के कार्यकलापों की समीक्षा करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. सीएससी की संरचना

31 मार्च 2023 को सीएससी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, सदस्यों के रूप में श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री सुशील कुमार सिंह, सरकार के नामिती निदेशक, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक और श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक.

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

iii. सीएससी बैठकों के लिए कोरम

सीएससी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा सीएससी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा।

iv. सीएससी बैठकों की आवृत्ति

सीएससी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी।

v. सीएससी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) के दौरान सीएससी की चार बैठकें दिनांक 28 जून 2022; 14 सितंबर 2022; 13 दिसंबर 2022 और 03 मार्च 2023 को संपन्न हुईं।

ज. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी)

i. विचारार्थ विषय

बैंक में प्रभावी प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी) का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को विभिन्न आईटी समर्थकारी सेवाएं प्रदान करना, दृष्टिकोण को सुसंगत बनाने में मदद करना तथा नए आईटी उत्पाद लांच करने में सहायता देना और तत्संबंधी सेवाएं प्रदान करना तथा साइबर सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं और साइबर सुरक्षा नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करना है। समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ी पर रिजर्व के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों की समीक्षा करना,
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया लागू की है;
- यह पुष्टि करना कि व्यवसाय रणनीति वास्तव में आईटी रणनीति के साथ सुसंगत है;
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी संगठनात्मक ढांचा व्यवसाय मॉडल और उसकी दिशा का पूरक है;
- यह पता लगाना कि प्रबंधन ने ऐसी प्रक्रियाएं और प्रथाएं स्थापित की हैं जो सुनिश्चित करेंगी कि आईटी प्रणाली व्यवसाय को सुदृढ़ता प्रदान करती है;
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी निवेश जोखिम और लाभों के मध्य संतुलन स्थापित किए हुए हैं और बजट स्वीकार्य है;
- रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि की निगरानी करना और आईटी संसाधनों के सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च-स्तरीय दिशा प्रदान करना;
- यह सुनिश्चित करना कि बैंक के सतत उन्नति के लिए आईटी निवेश का उचित संतुलन है;
- आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के प्रति एक्सपोजर के बारे में जागरूक होना और आईटी जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना;
- आईटी रणनीतियों को लागू करने में वरिष्ठ प्रबंधन के कार्य-निष्पादन का आकलन करना;
- उच्च स्तरीय नीतिगत मार्गदर्शन जारी करना (उदाहरण के लिए जोखिम, वित्त पोषण, या सोर्सिंग कार्यों से संबंधित);
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी या व्यावसायिक ढांचे को किस तरह से व्यवस्थित किया जाए ताकि आईटी से अधिकतम व्यावसायिक लाभ प्राप्त किया जा सके;
- बैंक-स्तर पर आईटी के कुल वित्त पोषण की निगरानी करना, और यह सुनिश्चित करना कि क्या प्रबंधन के पास आईटी जोखिमों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन हैं; तथा
- आईटी निष्पादन मूल्यांकन और कारोबार में आईटी के योगदान की समीक्षा करना (अर्थात् वचनानुसार मूल्य की उपलब्धता)

आईटीएससी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- बोर्ड को प्रस्तावित आईटी बजट की संस्तुति करना;

- आईटी बजट के उपयोग की समीक्षा करना;
- बैंक के ग्राहकों के लिए विभिन्न उत्पादों तथा आईटी आधारित सेवाओं के प्रारंभ की समीक्षा करना
- आंतरिक अथवा बाहर से खरीदे गए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर/ हार्डवेयर के विकास, अधिप्राप्ति और परिचालनों की समीक्षा करना और प्रौद्योगिकी के चयन के लिए निविदाएँ आमंत्रित करने अथवा अन्य क्रियाविधिओं के लिए प्रक्रियाएँ तैयार करना;
- प्रणाली और प्रक्रियाओं के निष्पादन, कार्यान्वयन और परिचालन की देखरेख करना.
- प्रौद्योगिकी के जरिए शाखाओं के एकीकरण और बैंक के लिए एमआईएस के विकास का निरीक्षण करना;
- प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर की अद्यतन स्थिति और की गई प्रमुख आईटी पहलों की समीक्षा करना;
- सूचना सुरक्षा संबंधी घटनाओं की समीक्षा करना;
- सूचना सुरक्षा नीति की समीक्षा करना;
- आईटी नीति की समीक्षा करना;
- साइबर सुरक्षा संबंधी तैयारी का मूल्यांकन करना;
- साइबर सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- साइबर सुरक्षा नीतियों की निगरानी करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. आईटीएससी की संरचना

31 मार्च 2023 को आईटीएससी में सात सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक, सदस्यों के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री मनोज सहाय, सरकार के नामिती निदेशक, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक और श्री टी.एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक.

iii. आईटीएससी बैठकों के लिए कोरम

आईटीएससी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा आईटीएससी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हों, होगा.

iv. आईटीएससी बैठकों की आवृत्ति

आईटीएससी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाती हैं और दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का अंतराल नहीं होता है.

v. आईटीएससी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) के दौरान, आईटीएससी की चार बैठकें 13 मई 2022; 25 अगस्त 2022; 15 नवंबर 2022 और 27 मार्च 2023 को आयोजित की गईं.

झ. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

i. विचारार्थ विषय

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- निदेशक के लिए अर्हताओं, सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों को पारिश्रमिक से संबंधित नीति की निदेशक मंडल को अनुशंसा करना ;
- बोर्ड, उसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के प्रभावी मूल्यांकन के लिए, या तो बोर्ड द्वारा, एनआरसी द्वारा अथवा स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा निष्पादन की रीति को निर्दिष्ट करना और उनके कार्यान्वयन एवं अनुपालन की समीक्षा करना.

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

- स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करना और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करना। स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति के पास इस तरह के विवरण में पहचानी गई क्षमताएं होंगी। उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, एनआरसी निम्नलिखित तरीके अपना सकता है:
 - यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करें;
 - विविधता को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न कार्यक्षेत्रों में भूमिका निभाने वाले उम्मीदवारों पर विचार करें; तथा
 - उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार करें।
- स्वतंत्र निदेशकों तथा निदेशक मंडल के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
- निदेशक मंडल की विविधता के बारे में नीति तैयार करना;
- ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, और निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना;
- अर्हता, विशेषज्ञता, पिछला कार्य-निष्पादन रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा, 'उपयुक्त और उचित' मानदंड, सकारात्मक गुणों और स्वतंत्र (यदि लागू हो) तथा स्वतंत्र निदेशक सहित निदेशकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड में निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति/ नियुक्ति को जारी रखने की योग्यता को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया पर कार्य करना तथा उससे संबंधित मानदंड को तैयार करना;
- निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, आदि के लिए पारिश्रमिक/ क्षतिपूर्ति नीति बनाना;
- बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन को भुगतान किए जाने वाले सभी पारिश्रमिकों, चाहे वे किसी भी रूप में हों, की सिफारिश करना, आदि;
- पारिश्रमिक और जोखिम के बीच प्रभावी सुयोजन प्राप्त करने के संबंध में जोखिम प्रबंधन समिति के साथ समन्वय कार्य; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन।

ii. एनआरसी की संरचना

31 मार्च 2023 को एनआरसी में सात सदस्य शामिल थे, सभी सदस्य गैर-कार्यपालक निदेशक हैं, जिसमें पांच स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक, सदस्यों के रूप में श्री सुशील कुमार सिंह, सरकार के नामिती निदेशक, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक, श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक तथा श्री टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक।

iii. एनआरसी बैठकों के लिए कोरम

एनआरसी बैठकों के लिए कोरम तीन सदस्यों का होगा जिनमें से एनआरसी की बैठकों में भाग लेने वाले कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे और एक आरएमसी का सदस्य होगा। एनआरसी के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे जो बोर्ड की अध्यक्षता नहीं करेंगे।

iv. एनआरसी बैठकों की आवृत्ति

वर्ष में कम से कम एक बार एनआरसी की बैठक आयोजित की जाएगी।

v. एनआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) के दौरान एनआरसी की सात बैठकें 02 मई 2022; 12 अगस्त 2022; 21 अक्टूबर 2022; 30 नवम्बर 2022; 23 जनवरी 2023; 03 मार्च 2023; और 28 मार्च 2023 को संपन्न हुईं।

vi. स्वतंत्र निदेशकों के लिए कार्य-निष्पादन मूल्यांकन मानदंड

स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन एक तैयार की गई प्रश्नावली के आधार पर किया जाता है जिसमें बोर्ड में उपस्थिति, बैठक के दौरान भागीदारी, निदेशकों के योगदान का स्तर, ज्ञान की गुणवत्ता और विषय की समझ, पारदर्शिता का स्तर आदि कॉर्पोरेट अभिशासन के मानदंड शामिल हैं। इसकी प्रश्नावली पहले ही निदेशकों को विचार करने और मूल्यांकन के बारे में अपनी राय बनाने के लिए परिचालित कर दी जाती है। स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन जिस निदेशक का मूल्यांकन किया जा रहा है, उन्हें छोड़कर पूरे निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है। मूल्यांकन में उपर्युक्त मानदंडों पर निदेशकों का कार्य-निष्पादन और स्वतंत्र मानदंडों को पूरा करना शामिल है। इसके अलावा मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है।

ज. मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी)

i. विचारार्थ विषय

मानव संसाधन संबंधी मामलों को देखने और मानव संसाधन संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु एचआरएससी का गठन किया गया है।

एचआरएससी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- भर्ती और प्रशिक्षण से संबंधित नीतियां बनाना;
- कार्य-निष्पादन प्रबंधन, क्षतिपूर्ति और कैरियर विकास पहलों की समीक्षा करना;
- प्रबंधन योजना, विकास और उत्तराधिकार योजना पर विचार करना;
- एचआर रणनीति को कारोबार रणनीति व योजना के अनुकूल बनाना;
- कार्मिक की नियुक्ति, मानवशक्ति मूल्यांकन, पदोन्नति आदि सहित विभिन्न एचआर मामलों पर विचार और अनुमोदन प्रदान करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन।

ii. एचआरएससी की संरचना

31 मार्च 2023 को एचआरएससी में सात सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, सदस्यों के रूप में श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री सुशील कुमार सिंह, सरकार के नामिती निदेशक, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक और श्री टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक।

iii. एचआरएससी की बैठकों के लिए कोरम

एचआरएससी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा एचआरएससी के दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा।

iv. एचआरएससी बैठकों की आवृत्ति

एचआरएससी की बैठक आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जाएगी।

v. एचआरएससी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) के दौरान एचआरएससी की पाँच बैठकें 28 जून 2022; 12 अगस्त 2022; 29 नवम्बर 2022; 02 मार्च 2023 और 27 मार्च 2023 को आयोजित की गईं।

ट. वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी)

i. विचारार्थ विषय

भारत सरकार के दिशानिर्देशों/ बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए), दबावग्रस्त खातों, बट्टे खाते डाले गए मामलों, सरकारी परिसमापक (ओएल) मामलों, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) मामलों आदि से वसूली की समीक्षा करने के लिए और वसूली की प्रगति पर निगरानी रखने तथा अन्य संबंधित प्रयोजनों के लिए वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी) का गठन किया गया है।

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

आरआरसी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- एफटीएनपीए और एनपीए की समीक्षा;
- शीर्ष 100 एनपीए एवं तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गये (टीडब्ल्यूओ) खातों की समीक्षा;
- वाद दायर किए गए मामलों की समीक्षा;
- सरफाएसी अधिनियम के तहत कार्रवाई - स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा.
- दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत मामलों की समीक्षा;
- सरकारी परिसमापक (ओएल) के पास पड़ी राशि की समीक्षा;
- विशेष उल्लेखवाले खातों (एसएमए) की समीक्षा;
- इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं की प्रगति की समीक्षा;
- सुलह के माध्यम से किए गए निपटान पर रिपोर्ट करने के लिए; तथा
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. आरआरसी की संरचना

31 मार्च 2023 को आरआरसी में छह सदस्य शामिल थे, जिसमें से दो स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, सदस्यों के रूप में श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री मनोज सहाय, सरकार के नामिती निदेशक, श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी. वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक.

iii. आरआरसी बैठकों के लिए कोरम

आरआरसी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा आरआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

iv. आरआरसी बैठकों की आवृत्ति

आरआरसी की बैठक वर्ष में कम से कम चार बैठकों के साथ आवश्यकताओं के अनुसार होगी.

v. आरआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) के दौरान आरआरसी की चार बैठकें 29 जून 2022; 28 सितंबर 2022; 28 दिसंबर 2022 और 27 मार्च 2023 को आयोजित की गईं.

ठ. असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीआरसी)

i. विचारार्थ विषय

असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीआरसी) की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- उधारकर्ता को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित आंतरिक असहयोगी उधारकर्ता समिति के आदेशों/ निर्णयों की समीक्षा करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. एनसीबीआरसी की संरचना

असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीआरसी) का गठन एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशकों के साथ किया गया था. 31 मार्च 2023 को एनसीबीआरसी में अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ तथा सदस्यों के रूप में श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक और श्री संजय जी. कल्लापुर स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

iii. एनसीबीआरसी की बैठकों के लिए कोरम

एनसीबीआरसी बैठकों के लिए सभी सदस्यों की उपस्थिति कोरम को पूरा करेगी.

iv. एनसीबीआरसी बैठकों की आवृत्ति

एनसीबीआरसी को छमाही आधार पर बैठक आयोजित कर असहयोगी उधारकर्ताओं के स्थिति की समीक्षा करना आवश्यक है।

v. एनसीबीआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) के दौरान एनसीबीआरसी की दो बैठकें 29 जुलाई 2022 और 28 दिसंबर 2022 को आयोजित की गईं।

ड. इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीआरसी)

i. विचारार्थ विषय

इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीआरसी) की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में आंतरिक इरादतन चूककर्ता समिति के आदेशों/ निर्णयों की समीक्षा करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना।

ii. डब्ल्यूडीआरसी की संरचना

डब्ल्यूडीआरसी का गठन एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशकों के साथ किया गया था। 31 मार्च 2023 को इस समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, और सदस्यों के रूप में श्री समरेश परिदा और श्रीमती पी.वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे।

iii. डब्ल्यूडीआरसी की बैठकों के लिए कोरम

डब्ल्यूडीआरसी बैठकों के लिए सभी सदस्यों की उपस्थिति कोरम को पूरा करेगी।

iv. डब्ल्यूडीआरसी की बैठकों आवृत्ति

बैंक की इरादतन चूककर्ता संबंधी आंतरिक समिति द्वारा जब भी किसी उधारकर्ता को 'इरादतन चूककर्ता' के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया जाता है तो डब्ल्यूडीआरसी के लिए बैठक आयोजित करना और समीक्षा करना आवश्यक होता है।

v. डब्ल्यूडीआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) के दौरान डब्ल्यूडीआरसी की छह बैठकें 26 मई 2022; 29 जुलाई 2022; 27 सितम्बर 2022; 29 नवंबर 2022; 28 दिसंबर 2022 और 28 मार्च 2023 को आयोजित की गईं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंक की समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण तालिका 2 में दिया गया है।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक (आईडीएम)

i. विचारार्थ विषय

स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, एलओडीआर विनियमावली के विनियम 25 के निबंधनों के अनुसार और भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों पर सचिवीय मानक-1 का अनुपालन करेंगे।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक की व्यापक भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- गैर-स्वतंत्र निदेशकों और समग्र रूप से बोर्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा करना;
- कार्यपालक निदेशकों तथा गैर-कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए बैंक के अध्यक्ष के कार्य निष्पादन की समीक्षा करना;
- बैंक के प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन करना जो बोर्ड के कर्तव्यों के प्रभावी और तर्कसंगत कार्य-निष्पादन के लिए आवश्यक है; और
- जहां कहीं भी लागू हों सेबी विनियमों के तहत अनुपालन करना।

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

ii. आईडीएम की संरचना

31 मार्च 2023 को बैंक के बोर्ड में आठ स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात्, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, श्री भुवनचंद्र बी जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन. जंबुनाथन, श्री दीपक सिंघल, श्री संजय जी. कल्लापुर, श्रीमती पी. वी. भारती और श्री टी. एन. मनोहरन. स्वतंत्र निदेशक प्रत्येक बैठक में अपने में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं।

iii. आईडीएम के लिए कोरम

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार सभी स्वतंत्र निदेशक, स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे।

iv. आईडीएम की बैठकों की आवृत्ति

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिए।

v. स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की चार बैठकें 26 मई 2022; 26 अगस्त 2022; 30 नवंबर 2022; और 28 मार्च 2023 को आयोजित की गईं।

तालिका 2: वित्तीय वर्ष 2022-23 में समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	एसीबी		ईसी		एसआरसी		एफएमसी		आरएमसी		सीएसआरसी		सीएससी		आईटीसी		एनआरसी		एचआरएससी		आरआरसी		एनसीबीआरसी		डबल्यूडीआरसी		
		आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	
1.	श्री टी. एन. मनोहरन (डीआईएन:01186248)							06	05	05	04					04	04	07	07	05	05							
2.	श्री राकेश शर्मा (डीआईएन: 06846594)			23	23			06	06	05	05	03	03	04	04	04	04			05	05	04	04	02	02	06	06	
3.	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीआईएन:02262530)			23	23	04	04	06	06	05	05	03	03	04	04	04	04			05	05	04	04					
4.	श्री सुरेश खटनहार (डीआईएन:03022106)			23	22	04	04	06	06	05	05	03	03	04	04	04	04			05	05	04	04					
5.	श्री मुकेश कुमार गुप्ता (डीआईएन:06638754)	12	12															07	07	05	05							
6.	श्री मनोज सहाय (डीआईएन: 08711612) [28.04.2022 से प्रभावी]	11	06													04	01					04	02					
7.	श्री सुशील कुमार सिंह (डीआईएन: 09584577) [28.04.2022 से प्रभावी]													04	02			06	03	05	01							
8.	श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन:00603925)	12	12					06	06					04	04	04	04	07	07									
9.	श्री भुवनचंद्र बी. जोशी (डीआईएन:06713850)			23	23			06	06					04	04			07	07									
10.	श्री समरेश परिदा (डीआईएन:0185382 3)	12	12							05	05	03	03									04	04			06	06	
11.	श्री एन. जंबुनाथन (डीआईएन:05126421)			23	23	04	04									04	04	07	07									
12.	श्री दीपक सिंघल (डीआईएन:08375146)			23	23													07	07	05	05			02	02			
13.	श्री संजय जी. कल्लापुर (डीआईएन:08377808)	12	12			04	04	04	03	05	05												02	02				
14.	श्रीमती पी. वी. भारती (डीआईएन:06519925)	12	12							05	05	03	03									04	04			06	06	

(आ = आयोजित / उ = उपस्थित)

31 मार्च 2023 को निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता के निर्धारण की मैट्रिक्स और ऐसे कौशल रखने वाले निदेशकों के नाम नीचे तालिका में दिए गए हैं;

	लेखा शास्त्र	कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था	बैंकिंग	सहयोग	अर्थ शास्त्र	वित्त	विधि	लघु उद्योग	मानव संसाधन	जोखिम	सूचना प्रौद्योगिकी	भुगतान और निपटान	व्यापार प्रबंधन	प्रशासन	कॉरपोरेट अभिशासन
श्री टी. एन. मनोहरन	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
श्री राकेश शर्मा	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	✓		✓			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓
श्री सुरेश खटनहार	✓	✓	✓			✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
श्री मुकेश कुमार गुप्ता			✓			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓
श्री राजकुमार									✓				✓	✓	✓
श्री मनोज सहाय	✓					✓								✓	✓
श्री सुशील कुमार सिंह	✓					✓			✓					✓	✓
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी		✓				✓		✓		✓				✓	✓
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी		✓	✓					✓						✓	✓
श्री समरेश परिदा	✓	✓				✓					✓		✓	✓	✓
श्री एन. जंबुनाथन		✓	✓					✓			✓	✓		✓	✓
श्री दीपक सिंघल		✓	✓						✓				✓	✓	✓
श्री संजय जी. कल्लापुर	✓				✓	✓				✓				✓	✓
श्रीमती पी. वी. भारती		✓	✓		✓			✓		✓				✓	✓

वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(ए) और धारा 92(3) के अनुसरण में बैंक की वार्षिक विवरणी इसकी वेबसाइट <https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx> पर रखी जाती है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा पर प्रकथन

बैंक के स्वतंत्र निदेशक श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, श्री भुवनचन्द्र बी जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन. जंबुनाथन, श्री दीपक सिंघल, श्री संजय कल्लापुर, श्रीमती पी. वी. भारती और श्री टी. एन. मनोहरन ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार 1 अप्रैल 2023 को यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में और एलओडीआर के विनियम 16 के उप-विनियम (1) के खंड (बी), विनियम के उप-विनियम 17(10) तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 10ए में उल्लिखित स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और वे किसी भी ऐसी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं हैं जो मौजूद है या यथोचित रूप से प्रत्याशित है, जो वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय के साथ और किसी भी बाहरी प्रभाव के बिना उनके कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता को हासिल करते हैं या प्रभावित कर सकते हैं। वार्षिक प्रकटीकरण के साथ निदेशकों ने यह भी पुष्टि की कि स्वतंत्र निदेशकों के डाटाबैंक में पंजीकरण एवं उसके नवीकरण और ऑनलाइन प्रवीणता परीक्षा में उत्तीर्ण/ छूट दिये जाने के संबंध में उन्होंने कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2019 के पांचवें संशोधन के नियम 6 के उप नियम 1 और 2 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। उक्त को निदेशक मंडल द्वारा 29 अप्रैल 2023 को नोट किया गया था और इसकी सत्यता का सही आकलन करने के बाद इसी पर बोर्ड की राय थी कि स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। इसके अलावा, बोर्ड की राय में स्वतंत्र निदेशक सभी प्रयोज्य विधियों तथा बैंक की नीतियों के अधीन अपेक्षित आवश्यक निष्ठा, अनुभव, विशेषज्ञता और प्रवीणता रखते हैं।

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी की नीति

निदेशकों की नियुक्ति एवं मूल्यांकन के संबंध में बैंक की नीति <https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx> लिंक के अंतर्गत इसकी वेबसाइट (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है।

कंपनी की लाभांश वितरण नीति

लाभांश वितरण पर बैंक की नीति <https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx> लिंक के अंतर्गत इसकी वेबसाइट (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है।

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

सचिवीय मानकों का अनुपालन

बैंक ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित सचिवीय मानकों यथा एसएस-1 (बोर्ड बैठकों पर सचिवीय मानक) और एसएस-2 (सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक) को अपनाया है। बैंक ने अपनी बोर्ड, समिति और सामान्य बैठकों का आयोजन इन मानकों के अनुसार तथा इनका अनुपालन करते हुए किया है।

आंतरिक लेखापरीक्षक

बैंक का अपना एक आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग है जो आंतरिक लेखा-परीक्षा का कार्य करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुसार श्री सुनित सरकार, कार्यपालक निदेशक, आईडीबीआई बैंक को मुख्य आंतरिक लेखा-परीक्षा अधिकारी नामित किया गया है। 8 मई 2023 से श्री सुनित सरकार की जगह श्रीनिवास राव, कार्यपालक निदेशक को मुख्य-आंतरिक लेखापरीक्षक नामित किया गया है। जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने एक प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा नीति भी अपनाई है।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत शुरू की गई कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया पर प्रकटीकरण

बैंकिंग कंपनियों के लिए ये प्रावधान लागू नहीं है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 33(3)(डी) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार लेखापरीक्षकों अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में किए गए प्रत्येक विशिष्टता, दुराव (रिजर्वेशन) अथवा प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा दावात्याग पर बोर्ड की टिप्पणियां और लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों के प्रभाव का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एफ) के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में से किसी में भी कोई ऐसे विशिष्टता, दुराव (रिजर्वेशन) अथवा प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा दावात्याग नहीं है जिस पर बोर्ड की टिप्पणियों की आवश्यकता हो। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अनुसार, बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा बैंक में की गई धोखाधड़ी की किसी घटना की रिपोर्ट नहीं की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का विवरण

उप-धारा (1) को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधान, सामान्य कारोबार के दौरान बैंकिंग कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋण, गारंटी अथवा प्रतिभूति पर लागू नहीं होते हैं। बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंक द्वारा किए गए निवेश के ब्योरे वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 में प्रकट किए गए हैं।

निर्धारित फॉर्म पर संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार के विवरण

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार, यदि कोई हो, के विवरण निर्धारित फॉर्म एओसी-2 में रिपोर्ट के साथ अनुबंध-ए के रूप में संलग्न किए गए हैं।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर रिपोर्ट

बैंक की सीएसआर नीति की रूपरेखा <https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.aspx> लिंक के अंतर्गत इसकी वेबसाइट (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है। बैंक द्वारा किए गए सीएसआर कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध-बी के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक एक विस्तृत एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली का पालन करता है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के समय-समय पर इस संबंध में जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अद्यतन किया जाता है। बोर्ड की एक समर्पित जोखिम प्रबंधन समिति बैंक के जोखिम मामले एवं जोखिम-संबद्ध पहलुओं की नियमित रूप से व्यापक समीक्षा करती है। बैंक का निदेशक मंडल भी आवधिक रूप से जोखिम मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा अनुसरण की जा रही न्यूनीकरण प्रक्रियाओं के साथ-साथ बैंक

की पूंजी अपेक्षाओं की समीक्षा करता है।

बोर्ड, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके की सूचना का विवरण

कंपनी (लेखा) विनियमावली, 2014 के नियम 8(4) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (पी) के अनुसार उपर्युक्त विषय पर ब्योरे नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

- स्वतंत्र निदेशकों ने 28 मार्च 2023 को संपन्न अपनी बैठक में सभी गैर-स्वतंत्र निदेशकों, बोर्ड के अध्यक्ष साथ ही संपूर्ण बोर्ड के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया।
- बोर्ड ने 28 मार्च 2023 को संपन्न अपनी बैठक में बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, स्वयं के कार्य-निष्पादन का तथा साथ ही बोर्ड की समितियों के कार्यनिष्पादन का भी मूल्यांकन किया। सभी वैयक्तिक निदेशकों का मूल्यांकन संपूर्ण बोर्ड द्वारा किया गया, जिसमें कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन के संबंध में (क) बैठकों में उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा और (ख) कंपनी अधिनियम 2013 और एलओडीआर विनियम में विनिर्दिष्ट स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करना तथा उनकी प्रबंधन से स्वतंत्रता के आधार पर मूल्यांकन भी शामिल है। बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किए जा रहे ऐसे संबंधित निदेशकों ने अपने मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान बैठक में भाग नहीं लिया।

स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड द्वारा वार्षिक मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ वैयक्तिक निदेशकों, बोर्ड की समितियों और बोर्ड के संबंध में खाली मूल्यांकन शीटें ईमेल के माध्यम से वैयक्तिक निदेशकों को अग्रिम रूप में प्रेषित की गईं ताकि वे पहले से ही अपना अभिमत बना सकें और संबंधित बैठकों में मूल्यांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में सहायता मिल सके। स्वतंत्र निदेशक की बैठक के अध्यक्ष और बोर्ड द्वारा प्राधिकृत बोर्ड के अध्यक्ष ने मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के पश्चात् क्रमशः स्वतंत्र निदेशकगण और बोर्ड की ओर से मूल्यांकन शीटों पर हस्ताक्षर किए। एमडी और सीईओ को बोर्ड के अध्यक्ष के मूल्यांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया था।

कारोबार के स्वरूप में परिवर्तन, यदि कोई हो

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने बैंकिंग के कारोबार को जारी रखा और इसके कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन

निदेशक का नाम	पदनाम	परिवर्तन का स्वरूप	दिनांक
श्री अंशुमन शर्मा	नामिती निदेशक, भारत सरकार	सेवा समाप्ति	11.04.2022
श्री मनोज सहाय	नामिती निदेशक, भारत सरकार	नियुक्ति	28.04.2022
श्री सुशील कुमार सिंह	नामिती निदेशक, भारत सरकार	नियुक्ति	28.04.2022
श्री एम. आर. कुमार	गैर कार्यपालक गैर पूर्णकालिक अध्यक्ष	सेवा समाप्ति	08.05.2022
श्री टी. एन. मनोहरन	स्वतंत्र निदेशक एवं अंशकालिक अध्यक्ष	पदनाम में परिवर्तन	09.05.2022
श्री राजकुमार	एलआईसी नामिती निदेशक	नियुक्ति	19.05.2022
श्री पोथुकूची सीताराम	सीएफओ	सेवा समाप्ति	31.03.2023
श्रीमती स्मिता हरीश कुबेर	सीएफओ	नियुक्ति	01.04.2023
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	उप प्रबंध निदेशक	सेवा समाप्ति	05.04.2023

निदेशकों को पारिश्रमिक

आईडीबीआई बैंक के 21 जनवरी 2019 से निजी क्षेत्र का बैंक बन जाने से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों के पारिश्रमिक एवं परिलब्धियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों के बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध/ लेनदेन

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

नहीं रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों के पारिश्रमिक के घटक (वार्षिक)

विवरण	श्री राकेश शर्मा (एमडी एवं सीईओ)	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीएमडी)	श्री सुरेश खटनहार (डीएमडी)
			[राशि ₹ में]
वेतन	93,00,000	55,00,000	55,00,000
भविष्य निधि	9,30,000	5,50,000	5,50,000
ग्रेच्युटी	3,87,500	2,29,167	2,29,167
छुट्टी किराया रियायत/ भत्ता	2,84,425	1,96,298	1,96,298
मनोरंजन व्यय	2,40,000	1,20,000	1,20,000
परिलब्धियां *	25,73,174	13,43,174	13,43,174
परिवर्ती वेतन [^]	2,05,72,648	95,26,366	95,26,366
ईसॉप/ईसॉस [§]	-	-	-

* परिलब्धियों में मुफ्त सुसज्जित घर और उसके रखरखाव, क्लब सदस्यता तथा अन्य परिलब्धियों का प्रावधान शामिल है;

[^] परिवर्ती वेतन में दो घटक हैं अर्थात; नकद घटक और ईसॉप के बदले नकद घटक. नकद घटक, जो कुल परिवर्ती वेतन का 1/3 है, में 50% का अपफ्रंट भाग है और शेष राशि को 3 वर्षों की अवधि के लिए आस्थगित कर दिया गया है (12.5%, 12.5% और 25% क्रमशः मंजूरी की तारीख से 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष के बाद देय है). ईसॉप के बदले नकद घटक, जो कुल परिवर्ती वेतन का 2/3 है, का कोई अपफ्रंट घटक नहीं है और इसे 4 वर्षों की अवधि के लिए आस्थगित किया गया है (15%, 20%, 30% और 35% क्रमशः मंजूरी की तारीख से 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष एवं 4 वर्ष के बाद देय है).

[§] वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोई ईसॉप नहीं दिया गया.

नोट: वित्तीय वर्ष 2022-23 में देय पारिश्रमिक के लिए आरबीआई की मंजूरी 30 जनवरी 2023 को प्राप्त हुई थी. कुल भुगतान में अंतर, यदि कोई हो, का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किया जाएगा.

कार्यकाल

श्री राकेश शर्मा - 07 मार्च 2019 को आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त के बाद श्री राकेश शर्मा को 19 मार्च 2019 से 3 वर्ष के लिए बैंक का एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया. वर्तमान कार्यकाल के समापन पर, श्री राकेश शर्मा को बाद में तीन वर्ष की अवधि के लिए 19 मार्च, 2022 से एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है जिसे आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 15 फरवरी, 2022 द्वारा अनुमोदित किया है. 5 मई, 2022 को पोस्टल बैलेट द्वारा शेरधारक की मंजूरी प्राप्त की गई थी.

श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज- श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज को बोर्ड द्वारा 19 सितंबर 2019 को आयोजित अपनी बैठक में आरबीआई के दिनांक 04 सितंबर 2019 के पत्र के अनुसार पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए डीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया. श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज ने 20 सितंबर 2019 को कार्यभार ग्रहण किया. वर्तमान कार्यकाल के समापन पर, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज को बाद में तीन वर्ष की अवधि के लिए 20 सितंबर, 2022 से डीएमडी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है जिसे आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 01 सितंबर, 2022 द्वारा अनुमोदित किया है. 2 दिसंबर 2022 को पोस्टल बैलेट द्वारा शेरधारक की मंजूरी प्राप्त की गई थी. श्री सैम्युअल जोसेफ 5 अप्रैल 2023 को कारोबार समय की समाप्ति से डीएमडी नहीं रहे.

श्री सुरेश खटनहार - श्री सुरेश खटनहार को बोर्ड द्वारा 15 जनवरी 2020 को आयोजित अपनी बैठक में आरबीआई के दिनांक 9 जनवरी 2020 के पत्र के अनुसार पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए डीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया. श्री सुरेश खटनहार ने 15 जनवरी 2020 को कार्यभार ग्रहण किया. वर्तमान कार्यकाल के समापन पर, श्री सुरेश खटनहार को बाद में एक वर्ष की अवधि के लिए 15 जनवरी 2023 से डीएमडी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है जिसे आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 22 दिसंबर 2022 द्वारा अनुमोदित किया है. 31 जनवरी 2023 को पोस्टल बैलेट द्वारा शेरधारक की मंजूरी प्राप्त की गई थी.

गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान करने के लिए मानदंड:

सरकार के नामित निदेशकों को छोड़कर सभी गैर-कार्यपालक निदेशकों को केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है. बोर्ड की बैठकों के लिए प्रति बैठक ₹ 80,000/- और बोर्ड की सभी समितियों की बैठकों के लिए ₹ 50,000/- प्रति बैठक की दर से बैठक शुल्क अदा किया जाता है. एमडी एवं सीईओ तथा उप

प्रबंध निदेशकों को उपर्युक्त पारिश्रमिक और गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक फीस के अलावा बैंक द्वारा निदेशकों को उनकी यात्रा, रहने तथा परिवहन पर हुए खर्च को छोड़कर और कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वतंत्र निदेशकों सहित गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क की कुल राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदत्त बैठक शुल्क (₹)
श्री टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक एवं अंशकालिक अध्यक्ष	24,10,000
श्री मुकेश कुमार गुप्ता, एलआईसी नामिती निदेशक	21,60,000
श्री राज कुमार, एलआईसी नामिती निदेशक	6,40,000
[एलआईसी को 31.01.2023 तक प्रदत्त एवं निदेशक को 01.02.2023 से प्रदत्त]	
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक	27,10,000
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक	31,60,000
श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक	26,60,000
श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक	30,60,000
श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक	30,10,000
श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक	24,60,000
श्रीमती पी. वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक	26,60,000

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अधीन प्रकटन

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और बोर्ड द्वारा अनुशंसा के बाद बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के तहत प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक को आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बोर्ड के अन्य निदेशकों को गैर कार्यपालक निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड वाले अनुच्छेद में वर्णित बैठकों में उपस्थिति के लिए बैठक शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं मिलता है। मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) अर्थात् मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव सहित बैंक के अन्य कर्मचारियों को बैंक के समान ग्रेड के अधिकारियों के लिए लागू पारिश्रमिक मिलता है। मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों सहित कर्मचारियों के वेतनमान में आवधिक संशोधन बैंक के कार्यनिष्पादन सहित कई कारकों पर निर्भर है। बैंक ने कोई अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) जारी नहीं किया है, अतः बैंक के शेयरों के बाजार कोटेशन की कोई तुलना संभव नहीं है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैंक के शेयरों के बाजार मूल्य, वित्तीय अनुपात आदि का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है।

आरबीआई के 4 नवंबर 2019 के परिपत्र के अनुसार, परिवर्ती वेतन बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी), मुख्य जोखिम गृहीता और नियंत्रणकर्ता कर्मचारियों पर लागू होगा। डब्ल्यूटीडी को देय पारिश्रमिक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एमडी एवं सीईओ और डीएमडी हेतु पारिश्रमिक के घटक वाले पैराग्राफ में उल्लिखित है। क्षतिपूर्ति के सभी पहलुओं को कवर करने वाली एक प्रतिकर नीति अर्थात् नियत वेतन एवं परिलब्धियां, परिवर्ती वेतन (नकद और शेयरों से जुड़े), सेवानिवृत्ति/ सेवानिवृत्ति लाभ (पीएफ, पेंशन/ एनपीएस और ग्रेच्युटी) आदि को बैंक के मुख्य जोखिम गृहीता, नियंत्रणकर्ता कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आरबीआई के दिशा-निर्देशों में परिवर्ती वेतन को आस्थगित करने का अधिदेश है, जिसे बैंक की मुआवजा नीति में शामिल किया गया है। सभी पात्र कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए परिवर्ती वेतन का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के पूरा होने के बाद प्रतिकर नीति के अनुसार किया गया था।

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) की शर्तों के अनुसार अन्य विवरण नीचे दिये गए हैं:

बैंक के रोल पर नियमित कर्मचारियों की संख्या;	17,850								
कंपनी के कर्मचारियों के माध्यिका पारिश्रमिक की तुलना में प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात;	(इनमें से 1,596 कर्मचारी अनुबंध के आधार पर थे)								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>कार्यपालक निदेशक का नाम</th> <th>सभी कर्मचारियों की माध्यिका में पारिश्रमिक का अनुपात</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ</td> <td>10.56</td> </tr> <tr> <td>श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी</td> <td>6.01</td> </tr> <tr> <td>श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी</td> <td>6.08</td> </tr> </tbody> </table>	कार्यपालक निदेशक का नाम	सभी कर्मचारियों की माध्यिका में पारिश्रमिक का अनुपात	श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	10.56	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी	6.01	श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी	6.08
कार्यपालक निदेशक का नाम	सभी कर्मचारियों की माध्यिका में पारिश्रमिक का अनुपात								
श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	10.56								
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी	6.01								
श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी	6.08								

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष में प्रत्येक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कंपनी सचिव या प्रबंधक के पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि, यदि कोई हो;

पदनाम	प्रतिशत वृद्धि
एमडी एवं सीईओ	86.40
डीएमडी	41.19
सीएफओ	37.62
सीएस	-3.53*

*वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए पारिश्रमिक के भुगतान में 1 नवंबर 2017 से संशोधित वेतन के कार्यान्वयन की तारीख तक वेतन एवं भत्तों में संशोधन के कारण भुगतान किया गया बकाया शामिल है।

वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के माध्यिका पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि;

7.36%

पिछले वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों के वेतन में पहले से हुई औसत वृद्धि तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि के साथ इसकी तुलना एवं इसका औचित्य तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए हुई असाधारण परिस्थितियां यदि कोई हों का उल्लेख;

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक के गैर-प्रबंधकीय कार्मिकों के औसत पारिश्रमिक में (- 4.60%) की वृद्धि हुई और बैंक के प्रबंधकीय कार्मिकों के औसत पारिश्रमिक में 49.69% की वृद्धि हुई।

*वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 1 नवंबर 2017 से संशोधित वेतन के कार्यान्वयन की तारीख तक वेतन एवं भत्तों में संशोधन के कारण भुगतान किया गया बकाया शामिल है।

अभिवचन कि पारिश्रमिक बैंक की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है।

हाँ

महासभा की बैठकें

ए. बैंक की पिछली तीन वार्षिक महासभाओं का आयोजन निम्नानुसार हुआ है :-

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वार्षिक महासभाओं का विवरण

पिछली तीन वार्षिक महासभाओं के आयोजन का स्थान और समय	1) 17 अगस्त 2020 को अपराह्न 3:30 बजे केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की गई (बैंक की 16वीं वार्षिक महासभा)
	2) 10 अगस्त 2021 को अपराह्न 2:00 बजे केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की गई (बैंक की 17वीं वार्षिक महासभा)
	3) 22 जुलाई 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की गई (बैंक की 18वीं वार्षिक महासभा)।

क्या पिछली तीन वार्षिक महासभाओं में विशेष संकल्प पारित किए गए थे।

➤ 16वीं वार्षिक महासभा

बैंक की 17 अगस्त 2020 को संपन्न 16वीं वार्षिक महासभा में (i) बैंक को ₹ 11,000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक पूंजी जुटाने और इस संबंध में विशिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62(1)(सी) और अन्य लागू प्रावधानों के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) बैंक के संस्था अंतर्नियम में परिवर्तन करने के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए।

➤ **17वीं वार्षिक महासभा**

बैंक की 10 अगस्त 2021 को संपन्न 17वीं वार्षिक महासभा में (i) बैंक को ₹ 7,500 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक पूंजी जुटाने और इस संबंध में विशिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62(1)(सी) और अन्य लागू प्रावधानों के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने; (ii) ₹ 45,396.18 करोड़ की संचित हानियों को समर्जित करने के लिए 01 अप्रैल 2021 को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा ₹ 50,719.75 करोड़ की शेष राशि का उपयोग करने के लिए शेयर पूंजी में कमी की योजना का अनुमोदन; (iii) बैंक के संस्था अंतर्नियम में परिवर्तन करने; (iv) श्री भुवनचंद्र बी. जोशी (डीआईएन: 06713850) को 09 अक्टूबर 2021 से प्रभावी चार वर्षों की दूसरी अवधि के लिए बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए.

➤ **18वीं वार्षिक महासभा**

बैंक की 22 जुलाई 2022 को संपन्न 18वीं वार्षिक महासभा में बैंक को ₹ 5,000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक पूंजी जुटाने और इस संबंध में विशिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62(1)(सी) और अन्य लागू प्रावधानों के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प पारित किया गया.

क्या गत वर्ष डाक मतपत्र के जरिए कोई विशेष संकल्प पारित किया गया था - मतदान पैटर्न का ब्योरा

हां. मतदान का ब्योरा स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया गया है और बैंक की वेबसाइट <https://www.idbibank.in/agm-egm-postal-ballot-voting-results-fy-2022-23.aspx> पर भी उपलब्ध है.

मतदान पैटर्न के ब्योरे निम्नलिखित तालिकाओं में दिए गए हैं:

दिनांक 30 मार्च 2022 की डाक मतपत्र सूचना

संकल्प सं.	संकल्प के विवरण	पक्ष में मत	विपक्ष में मत
1	आरबीआई के अनुमोदन के अनुसार श्री राकेश शर्मा (डीआईएन: 06846594) को 19 मार्च 2022 से 3 वर्षों की अवधि के लिए गैर-आवर्ती निदेशक और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पुनर्नियुक्ति (सामान्य संकल्प).	5,60,87,11,337 (99.9955%)	2,51,911 (0.0045%)
2	श्री मुकेश कुमार गुप्ता (डीआईएन: 06638754) को 10 फ़रवरी 2022 से एलआईसी नामिती निदेशक के रूप में बैंक के बोर्ड में नियुक्ति जो आवर्ती आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए दायी होंगे (सामान्य संकल्प).	5,60,87,18,447 (99.9956%)	2,45,592 (0.0044%)
3	श्री टी. एन. मनोहरन (डीआईएन: 01186248) को 24 फ़रवरी 2022 से लगातार 4 वर्षों के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में बैंक के बोर्ड में नियुक्ति जो आवर्ती आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए दायी नहीं होंगे (विशेष संकल्प).	5,60,88,49,327 (99.9979%)	1,15,023 (0.0021%)
4	श्री समरेश परीदा (डीआईएन: 01853823) को 19 मई 2022 से दूसरे कार्यकाल के लिए लगातार 4 वर्षों के लिए बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति जो आवर्ती आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए दायी नहीं होंगे (विशेष संकल्प).	5,60,88,35,317 (99.9977%)	1,27,591 (0.0023%)
5	श्री जंबुनाथ नारायण (डीआईएन: 05126421) को 19 मई 2022 से लगातार 4 वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति जो आवर्ती आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए दायी नहीं होंगे (विशेष संकल्प).	5,60,87,80,995 (99.9968%)	1,82,135 (0.0032%)
6	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ प्रमुख संबंधित पक्षकार लेनदेन का अनुमोदन. (सामान्य संकल्प).	1,75,31,858 (99.0981%)	1,59,563 (0.9019%)

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

दिनांक 27 अक्टूबर 2022 की डाक मतपत्र सूचना:

संकल्प सं.	संकल्प के विवरण	पक्ष में मत	विपक्ष में मत
1	आरबीआई के अनुमोदन के अनुसार श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीआईएन: 02262530) को 20 सितंबर 2022 से तीन वर्षों की अवधि के लिए बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त (सामान्य संकल्प).	5,60,48,29,684 (99.9923%)	4,29,914 (0.0077%)
2	श्री दीपक सिंघल (डीआईएन: 08375146) को 28 फरवरी 2023 से लगातार 4 वर्षों की दूसरी अवधि के लिए बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त जो आवर्ती आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए दायी नहीं होंगे (विशेष संकल्प).	5,60,45,56,379 (99.9875%)	7,01,916 (0.0125%)
3	श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर (डीआईएन: 08377808) को 5 मार्च 2023 से लगातार 4 वर्षों की दूसरे कार्यकाल के लिए बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त जो आवर्ती आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए दायी नहीं होंगे (विशेष संकल्प).	5,60,48,24,009 (99.9923%)	4,34,162 (0.0077%)

दिनांक 30 दिसंबर 2022 की डाक मतपत्र सूचना:

संकल्प सं.	संकल्प के विवरण	पक्ष में मत	विपक्ष में मत
1	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (विशेष संकल्प) की धारा 12(1)(i) के अनुपालन में बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी में परिवर्तन.	5,64,46,27,425 (99.9973%)	1,53,003 (0.0027%)
2	आरबीआई के अनुमोदन के अनुसार श्री सुरेश किशनचंद खटनहार (डीआईएन: 03022106) को 15 जनवरी 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त (सामान्य संकल्प).	5,64,45,56,818 (99.9963%)	2,11,619 (0.0037%)

व्यक्ति जिसने डाक मतदान का कार्य संचालित किया

बैंक के निदेशक मंडल ने एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज की सुश्री अपर्णा गाडगिल और उनकी अनुपस्थिति में श्री विश्वनाथन एन. एस. को डाकपत्र ई-मतदान प्रक्रिया को एक उचित और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया.

क्या डाक मतदान के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है

डाक मतदान के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव नहीं है

डाक मतदान की प्रक्रिया

इस संबंध में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी 28 दिसंबर 2022 के सामान्य परिपत्र सं. 11/2022 और कोविड-19 से संबंधित छूटों पर पिछले परिपत्रों ('एमसीए परिपत्र'), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं 110 और सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के लागू नियमों, प्रावधानों और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए महा बैठकों पर सचिवीय मानकों ('एसएस-2') और लागू अन्य विधियों, नियमों एवं विनियमों के अनुसरण में नोटिस में दिए गए विशेष कारोबारों को केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से आईडीबीआई बैंक लि. के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था.

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने दिनांक 30 मार्च 2022, 27 अक्टूबर 2022 और 30 दिसंबर 2022 को तीन डाक मतपत्र सूचनाएं जारी की थीं. तदनुसार, 30 मार्च 2022, 27 अक्टूबर 2022 और 30 दिसंबर 2022 की डाक मतपत्र सूचनाओं में निर्दिष्ट संकल्प क्रमशः 05 मई 2022, 02 दिसंबर 2022 और 02 फरवरी 2023 को आवश्यक बहुमत से पारित हुए.

सूचना के साधन

बैंक के कामकाज पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन अपेक्षित बोर्ड की रिपोर्ट और वार्षिक लेखे शामिल हैं, उपलब्ध कराने के अलावा बैंक अपने शेयरधारकों की जानकारी के लिए नियमित रूप से तिमाही परिणाम प्रकाशित करता है। इन्हें राष्ट्रव्यापी प्रसार वाले एक अंग्रेजी समाचार पत्र अर्थात् फाइनेंशियल एक्सप्रेस में और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र अर्थात् लोकसत्ता में प्रकाशित किया जाता है और यह विज्ञापन शेयर बाजार को सूचित किए जाते हैं। उपर्युक्त जानकारी अधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति तथा संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के समक्ष की गई प्रस्तुतियों के साथ बैंक की वेबसाइट <https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx> पर भी उपलब्ध कराई जाती है।

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

i.	महासभा की तारीख, समय और स्थान	गुरुवार, 13 जुलाई 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से
ii.	वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023
iii.	रिकॉर्ड तारीख	6 जुलाई 2023
iv.	लाभांश भुगतान की तारीख	14 जुलाई 2023 को या उसके बाद अदा/प्रेषित किया जाएगा
v.	कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित एलओडीआर विनियमावली के विनियम 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार ई-वोटिंग की अवधि.	ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 08 जुलाई 2023 को पूर्वाह्न 9.00 बजे (भारतीय मानक समय के अनुसार) से प्रारंभ होगी और बुधवार, 12 जुलाई 2023 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय के अनुसार) समाप्त होगी.
vi.	लेखाबहियों के बंद रहने की तारीख	07 जुलाई 2023 से 13 जुलाई 2023 तक (दोनों दिनों सहित)
vii.	स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता और वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क के भुगतान की पुष्टि	<ol style="list-style-type: none"> बीएसई लि. (बीएसई) पता: 25वीं मंजिल, फिरोज जीजीभाय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400001. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) पता: एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई-400051. <p>घरेलू बाजार में जारी किए गए बाँडों में निजी तौर पर नियोजित बांड शामिल है और ये बांड बीएसई/ एनएसई पर सूचीबद्ध है। लागू सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।</p>
viii.	स्टॉक कोड/ प्रतीक	बीएसई - 500116, एनएसई - आईडीबीआई
ix.	रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट	केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड यूनिट : आईडीबीआई इक्विटी, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500 032
x.	शेयर अंतरण प्रणाली	सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40(1) के अनुसार, भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का अंतरण 01 अप्रैल 2019 से बंद कर दिया गया था। तदनुसार, बैंक के शेयर जो डीमैट (अमूर्त) रूप में रखे गए हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम के माध्यम से स्वतंत्र रूप से अंतरणीय हैं। 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा प्राप्त डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के/ डिलीशन/ ट्रांसमिशन/ ट्रांसपोजिशन अनुरोधों को शेयर अंतरण समिति (जिसमें कार्यपालक निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक शामिल हैं) नामक एक आंतरिक समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया और सेबी के मौजूदा परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार संसाधित किया गया।

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

xi. वित्तीय कैलेंडर	<p>1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तिमाही परिणाम निम्नलिखित तारीखों को अनुमोदित किए गए थे:</p>															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>निम्न को परिणाम</th> <th>बोर्ड की बैठक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जून 2022</td> <td>21 जुलाई 2022</td> </tr> <tr> <td>सितंबर 2022</td> <td>21 अक्टूबर 2022</td> </tr> <tr> <td>दिसंबर 2022</td> <td>23 जनवरी 2023</td> </tr> <tr> <td>मार्च 2023</td> <td>29 अप्रैल 2023</td> </tr> </tbody> </table>	निम्न को परिणाम	बोर्ड की बैठक	जून 2022	21 जुलाई 2022	सितंबर 2022	21 अक्टूबर 2022	दिसंबर 2022	23 जनवरी 2023	मार्च 2023	29 अप्रैल 2023					
निम्न को परिणाम	बोर्ड की बैठक															
जून 2022	21 जुलाई 2022															
सितंबर 2022	21 अक्टूबर 2022															
दिसंबर 2022	23 जनवरी 2023															
मार्च 2023	29 अप्रैल 2023															
xii. शेयरों का अमूर्तीकरण एवं चलनिधि	<p>बैंक के शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों में अनिवार्य रूप से अमूर्त रूप में ट्रेड किया जा सकता है। 31 मार्च 2023 को अमूर्त और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों की संख्या निम्नानुसार है:</p>															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>शेयरों की संख्या</th> <th>जारी की गई कुल पूंजी का %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>एनएसडीएल में अमूर्त रूप से रखे गए</td> <td>5667501273</td> <td>52.71</td> </tr> <tr> <td>सीडीएसएल में अमूर्त रूप से रखे गए</td> <td>5078599527</td> <td>47.23</td> </tr> <tr> <td>भौतिक</td> <td>6301375</td> <td>0.06</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>10752402175</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table>		शेयरों की संख्या	जारी की गई कुल पूंजी का %	एनएसडीएल में अमूर्त रूप से रखे गए	5667501273	52.71	सीडीएसएल में अमूर्त रूप से रखे गए	5078599527	47.23	भौतिक	6301375	0.06	कुल	10752402175	100.00
	शेयरों की संख्या	जारी की गई कुल पूंजी का %														
एनएसडीएल में अमूर्त रूप से रखे गए	5667501273	52.71														
सीडीएसएल में अमूर्त रूप से रखे गए	5078599527	47.23														
भौतिक	6301375	0.06														
कुल	10752402175	100.00														
xiii. ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता	<p>बैंक द्वारा जारी और 31 मार्च 2023 को बैंक की बही में बकाया अप्रतिभूत दीर्घकालिक रुपया बांड/ डिबेंचर बीएसई और एनएसई के ऋण खंड में सूचीबद्ध हैं।</p>															
xiv. डिबेंचर न्यासी	<p>एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, पता: मिस्त्री भवन , चौथी मंजिल, 122 दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट मुंबई- 400 020. टेलीफोन नंबर: 022-4302 5555/ 5566 ट्रस्टी के प्रमुख अधिकारी का ईमेल आईडी corporate@sbicaptrustee.com</p>															
xv. बकाया ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें (जीडीआर)/ अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें (एडीआर)/ वारंट अथवा परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव	<p>आईडीबीआई बैंक ने जीडीआर/ एडीआर/ वारंट आदि जारी नहीं किए हैं।</p>															
xvi. संयंत्र का स्थान	<p>लागू नहीं। तथापि, बैंक की शाखाओं के स्थानों के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट, (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है।</p>															

xvii.	पत्राचार हेतु पता	<p>आईडीबीआई बैंक लि. सीआईएन - L65190MH2004GOI148838 पता: इक्विटी कक्ष - बोर्ड विभाग, आईडीबीआई बैंक लि., 22वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 फोन- 022 - 66552711/3147/3062/3336 ई-मेल - idbiequity@idbi.co.in वेबसाइट - www.idbibank.in रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड (यूनिट आईडीबीआई इक्विटी) पता: सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 टोल फ्री नंबर: 1-800-3454001 वेबसाइट: www.kfintech.com ईमेल: einward.ris@kfintech.com</p>
xviii.	बैंक द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग की सूची	क्रेडिट रेटिंग के विवरण वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंधन विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिये गए हैं
xix.	बाजार मूल्य डेटा	तालिका i देखें
xx.	बीएसई सेंसेक्स आदि जैसे व्यापक सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन.	तालिका ii देखें
xxi.	शेयरधारिता का वितरण	तालिका iii देखें

तालिका i

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) और बीएसई लि. (बीएसई) में आईडीबीआई बैंक लि. के शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव: अप्रैल 2022 - मार्च 2023


(₹)

माह	एनएसई		बीएसई		माह	एनएसई		बीएसई	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न		उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल 2022	48.75	44.15	48.80	44.15	अक्तूबर 2022	46.55	41.20	46.55	41.20
मई 2022	45.50	33.15	45.50	33.15	नवंबर 2022	54.30	43.45	54.25	43.45
जून 2022	37.45	30.80	37.45	30.80	दिसंबर 2022	58.85	48.80	58.85	48.80
जुलाई 2022	36.80	30.75	36.75	30.75	जनवरी 2023	59.00	50.45	59.05	50.45
अगस्त 2022	45.75	36.40	45.75	36.35	फरवरी 2023	50.95	48.15	50.90	48.15
सितंबर 2022	46.25	40.10	46.30	40.05	मार्च 2023	49.55	43.30	49.60	43.29

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

तालिका ii:

1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान बीएसई संवेदी सूचकांक (सेसेक्स) की तुलना में आईडीबीआई बैंक के इक्विटी शेयर का प्रदर्शन निम्नलिखित चार्ट में दिया गया है -



तालिका iii:

मार्च 2023 के अंत में बैंक के शेयरधारकों की प्रमुख श्रेणियों द्वारा शेयरधारिता का ब्योरा और वितरण अनुसूची नीचे दी गई है :

31 मार्च 2023 को शेयरधारिता का स्वरूप

शेयर धारकों की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
भारतीय जीवन बीमा निगम (प्रबंधन नियंत्रण के साथ प्रवर्तक)	5294102939	49.24
भारत सरकार (बिना प्रबंधन नियंत्रण के साथ सह- प्रवर्तक)	4889871903	45.48
कर्मचारी	694865	0.01
जनता	438049125	4.07
हिन्दू अविभाजित परिवार	16053367	0.15
कॉरपोरेट निकाय	48350718	0.45

शेयर धारकों की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
संस्थाएं		
अ) बैंक	1176168	0.01
आ) विदेशी संस्थागत निवेशक	100	0.00
इ) राज्य वित्त निगम	0	0.00
ई) वित्तीय संस्थाएं	0	0.00
उ) म्यूचुअल फंड	915259	0.01
सोसायटी	24800	0.00
न्यास	557216	0.01
बीमा कंपनियां	14873622	0.14
एनबीएफसी	2650096	0.02
वैकल्पिक निवेश निधि	42500	0.00
निदेशक, केएमपी एवं उनके रिश्तेदार		
(i) श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	4400	0.00
(ii) श्री जे सैम्युअल जोसेफ, डीएमडी	0	0.00
(iii) श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी	24200	0.00
(iv) श्रीमती मुत्तू लक्ष्मी रामास्वामी (श्री जे सैम्युअल जोसेफ, डीएमडी की धर्मपत्नी)	15000	0.00
अनिवासी भारतीय	12751568	0.12
विदेशी नगारिक	1000	0.00
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	23266744	0.22
आईईपीएफ	8548062	0.07
एनएसडीएल (अंतरणाधीन)	428523	0.00
कुल योग	10752402175	100.00

31 मार्च 2023 को वितरण अनुसूची

क्र. सं	श्रेणी	तक	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों में प्रतिशत	राशि (₹)	कुल राशि में प्रतिशत
1	1	5000	600327	98.42	170425397	1.57
2	5001	10000	4874	0.80	37240049	0.35
3	10001	20000	2505	0.41	36483707	0.34
4	20001	30000	742	0.12	18694189	0.17
5	30001	40000	372	0.06	13216419	0.12
6	40001	50000	285	0.05	13277466	0.12
7	50001	100000	467	0.08	33551654	0.31
8	100001 और इससे अधिक		382	0.06	10429513294	97.02
	कुल		609954	100.00	10752402175	100.00

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

अन्य प्रकटन

i. कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अंतर्गत शामिल जमाराशियों से संबंधित विवरण और जमाराशियों का विवरण जो अधिनियम के अध्याय V की अपेक्षाओं के अनुपालन में नहीं हैं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73(1) के परंतुक के अनुसार, इस उप-धारा का कुछ भी बैंकिंग कंपनी पर लागू नहीं होगा और इसलिए, ऊपर दिए गए विवरण के प्रकटीकरण की आवश्यकता आईडीबीआई बैंक पर लागू नहीं होती है।

ii. नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित किए गए उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण जो कार्यशील संस्था की स्थिति और कंपनी के भविष्य में संचालन को प्रभावित करते हैं

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया जो कार्यशील संस्था की स्थिति और आईडीबीआई बैंक के भविष्य में संचालन को प्रभावित करते हैं।

इसके अलावा, 01 अप्रैल, 2021 को बैंक के संचित घाटे को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में उस दिन जमा शेष से समायोजित कर शेयर पूंजी कमी करने के लिए बैंक ने सितंबर 2021 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के पास एक आवेदन दायर किया था। एनसीएलटी ने 29 मार्च, 2023 के अपने आदेश द्वारा बैंक की शेयर पूंजी में उक्त कटौती को मंजूरी दे दी है।

iii. उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान इसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां बनी या नहीं रहीं

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां नहीं बनाई गई हैं और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई भी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनियां समाप्त नहीं हुई हैं।

इसके अलावा, एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक का संयुक्त उद्यम नहीं रह गई है।

iv. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशकों को नियमित रूप से बैंक के व्यवसाय, उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों तथा विनियामक वातावरण में परिवर्तन के अनुसार बैंक में अनुपालन आवश्यकताओं से परिचित कराया जा रहा है। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित/प्रतिनियुक्त किया गया था।

इस संबंध में विस्तृत स्थिति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर निम्नलिखित लिंक के तहत प्रदान की गई है: <https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp>.

v. सतर्कता तंत्र की स्थापना

वैधानिक/विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन में बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित सतर्कता तंत्र नीति है। सतर्कता तंत्र पर रिपोर्ट नियमित आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंचने से वंचित नहीं किया गया। सतर्कता तंत्र की स्थापना का विवरण देने वाली सतर्कता तंत्र नीति का प्रकटन बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट (www.idbibank.in) पर निम्नलिखित लिंक के तहत किया गया है: <https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp>.

vi. महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के निर्धारण हेतु नीति

एलओडीआर विनियमों के विनियम 46 की अपेक्षा के अनुसार, महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर निम्नलिखित लिंक के तहत उपलब्ध है: <https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp>

vii. संबंधित पक्ष लेनदेन व्यवहार पर नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों और एलओडीआर विनियमों के विनियम 23 के अनुसार, बैंक ने संबंधित पक्ष से लेनदेन करने के लिए एक नीति तैयार की है। संबंधित पक्ष लेनदेन संबंधी नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर निम्नलिखित लिंक के तहत उपलब्ध है: <https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp>

viii. वास्तव में महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर प्रकटीकरण जिनका व्यापक स्तर पर सूचीबद्ध संस्था के हितों के साथ कोई संभावित टकराव हो

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के संबंध में यह पुष्टि की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने वास्तव में महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है जिससे बैंक के हितों के साथ कोई टकराव हो सकता हो..

ix. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत जानकारी

यौन उत्पीड़न के खिलाफ बैंक की एक नीति है और उत्पीड़न या भेदभाव की शिकायतों से निपटने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया है. उक्त नीति कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप है. बैंक ने उक्त अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है. एलओडीआर विनियमावली के अनुसार, वर्ष के दौरान शिकायतों की संख्या से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:

अ	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई शिकायतों की संख्या	07
आ	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	02
इ	वित्तीय वर्ष में अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	05

x. पण्य मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा और पण्य हेजिंग गतिविधियों का प्रकटन

बैंक पण्य मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा और पण्य हेजिंग गतिविधियों, यदि कोई हों, के संबंध में विनियामकों द्वारा निर्धारित प्रासंगिक दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है.

xi. लेखांकन व्यवहार का प्रकटीकरण

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार यह पुष्टि की जाती है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में निर्धारित लेखा मानकों से अलग कोई व्यवहार नहीं किया गया है, और इसलिए, इस संबंध में प्रबंधन की ओर से किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा नहीं है.

xii. प्रकटीकरण, कि क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकार्ड का रखरखाव कंपनी द्वारा आवश्यक है और तदनुसार ऐसे खाते और रिकार्ड बनाए और रखे जाते हैं.

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड एक बैंकिंग कंपनी होने के कारण इस पर लागत रिकार्ड के रखरखाव के प्रावधान लागू नहीं होते हैं.

xiii. प्रकटन

क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर लगाए गए गैर-अनुपालन, दंड, कटु आलोचना के विवरण निम्नानुसार हैं:

वि.व. 2020-21	शून्य
वि.व. 2021-22	शून्य
वि.व. 2022-23	भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8 अप्रैल 2022 के अपने पत्र के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों (एफआई) द्वारा धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग; प्रायोजक बैंकों और कॉरपोरेट ग्राहक के रूप में एससीबी/यूसीबी के बीच भुगतान परितंत्र के नियंत्रण को सुदृढ़ करने और बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए बैंक पर कुल ₹ 90 लाख का जुर्माना लगाया.

ख) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने अधिमानी आवंटन या अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से कोई फंड नहीं जुटाया है. पूर्व में जुटाई गई निधियों की धनराशि का पूरी तरह से बैंक की पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने और सामान्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है.

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

- ग) मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, कंपनी सचिव के श्री एस. एन. अनंतसुब्रमणियन (सीपी सं. 1774) से दिनांक 29 अप्रैल 2023 का इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है कि बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/एमसीए अथवा इस प्रकार के किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने अथवा बने रहने के लिए विवर्जित अथवा अयोग्य नहीं किया गया है. यह प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है.
- घ) बैंक ने वार्षिक रिपोर्ट में वे सभी प्रकटन किए हैं जो एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V (वार्षिक रिपोर्ट) के कॉरपोरेट अभिशासन खंड के उप-पैरा (2) से (10) के अनुसार अपेक्षित थे.
- ङ) बैंक ने एलओडीआर विनियमावली के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (बी) से (आई) में निर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन अपेक्षाओं का अनुपालन किया है.
- च) बैंक ने एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 में दी गई सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित प्रारूपों में कॉर्पोरेट अभिशासन पर त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है.
- छ) ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है जहां बोर्ड ने बोर्ड की किसी भी समिति की ऐसी किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया हो जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हो, अतः इस संबंध में किसी प्रकटन की अपेक्षा नहीं है.
- ज) एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों को दी जाने वाली सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क की राशि ₹ 250 लाख रही (प्रमाणीकरण और अन्य लेखापरीक्षा संबंधित सेवाओं सहित) और जेब से किए गए खर्च के रूप में ₹ 24 लाख भुगतान किया है.
- झ) **सहायक कंपनियाँ:** 31 मार्च 2023 को बैंक की 5 सहायक संस्थाएं यथा- आईडीबीआई इंटेक लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिन्क्युरिटीज लि., आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि., आईडीबीआई एमएफ़ ट्रस्टी कं. लि. और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. थीं. बैंक के निदेशक मंडल के किसी स्वतंत्र निदेशक को उसकी किसी सहायक संस्था के बोर्ड में शामिल करने की अपेक्षा नहीं है क्योंकि इन सहायक संस्थाओं में से कोई भी संस्था एलओडीआर विनियमावली के विनियम 16 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है. एलओडीआर विनियमावली के विनियम 24 की अपेक्षाओं के अनुपालन में बैंक की लेखा परीक्षा समिति गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से उनके द्वारा किए गए निवेशों की समीक्षा करती है. गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त नियमित रूप से बैंक के बोर्ड की बैठकों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं.
- ञ) **दस्तावेजों का रखरखाव और प्रतिधारण नीति:** सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 9 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने बोर्ड अनुमोदित दस्तावेजों का रखरखाव और प्रतिधारण नीति कार्यान्वित की है.
- ट) **अभिलेखीय नीति:** एलओडीआर विनियमावली, के विनियम 30(8) के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने बोर्ड अनुमोदित अभिलेखीय नीति कार्यान्वित की है.
- ठ) **डीमैट उचंत खाता/ अदावी उचंत खाता के संबंध में प्रकटन**

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार बैंक अदावी उचंत खाते में पड़े इक्विटी शेयरों के संदर्भ में निम्न ब्योरे रिपोर्ट करता है:

(i) सेबी (एलओडीआर) के विनियम 39(4) के अनुपालन में डीमैट उचंत खाते में अंतरित किए गए शेयर

क्रम सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
(क)	1 अप्रैल 2022 को उचंत खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया पड़े शेयर	14	2720
(ख)	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के दौरान उचंत खाते से शेयरों का अंतरण करवाने के लिए बैंक से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	6	1280
(ग)	उन शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के दौरान उचंत खाते से शेयर अंतरित किए गए	6	1280

क्रम सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
(घ)	उन शेयरधारकों की संख्या, जिनके शेयर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 एवं 125 के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को अंतरित किए गये.	4	640
(ङ)	31 मार्च 2023 को उचंत खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया पड़े शेयर	4	800
(च)	इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरोधित (फ्रीज) रहेगा जब तक इन शेयरों के वैध स्वामी शेयरों का दावा नहीं करते.		

- ii. दिनांक 25 जनवरी 2022 के सेबी परिपत्र सेबी /एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 के अनुपालन में उचंत एस्क्रो डीमैट खाते में अंतरित शेयर (ऐसे मामले जहाँ पुष्टि पत्र की वैधता समाप्त हो गई है) :

क्रम सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
(क)	1 अप्रैल 2022 को उचंत एस्क्रो डीमैट खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया पड़े शेयर	0	0
(ख)	उन शेयरधारकों की कुल संख्या जिनके शेयर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के दौरान उचंत एस्क्रो डीमैट खाते में अंतरित किए गए	5	1291
(ग)	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के दौरान उचंत एस्क्रो डीमैट खाते से शेयरों का अंतरण करवाने के लिए संपर्क करने वाले शेयरधारकों की कुल संख्या	0	0
(घ)	उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के दौरान उचंत एस्क्रो डीमैट खाते से शेयर अंतरित किए गए	0	0
(ङ.)	31 मार्च 2023 को उचंत एस्क्रो डीमैट खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया पड़े शेयर	5	1291
(च)	इन शेयरों पर मत का अधिकार तब तक अवरोधित (फ्रीज) रहेगा जब तक इन शेयरों के वैध स्वामी शेयरों का दावा नहीं करते.		

ड) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के संबंध में प्रकटन

क) वर्ष के दौरान आईईपीएफ में किए गए अंतरण/अंतरणों का विवरण :

क्रम सं.	विवरण	शेयर/बॉन्ड/डिबेंचर	राशि (₹)
(i)	अदावी/अप्रदत्त लाभांश की राशि और संबंधित शेयर	1692613	8368524
(ii)	अधिमानी शेयरों की मोचन राशि	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए उपचित ब्याज के साथ परिपक्व जमाओं की राशि	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	उपचित ब्याज के साथ परिपक्व डिबेंचरों की राशि	लागू नहीं	शून्य
(v)	किसी भी प्रतिभूति के आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन राशि तथा धन वापसी के लिए उपचित ब्याज सहित देय राशि	शून्य	शून्य
(vi)	बोनस शेयर के जारी होने, विलय और अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले आंशिक शेयरों की बिक्री राशि	शून्य	शून्य

ख)	आईडीपीएफ को पहले ही अंतरित शेयरों से उत्पन्न परिणामी लाभ का विवरण	शून्य
ग)	अप्रदत्त / अदावी लाभांश की वर्ष-वार राशि जो इस वर्ष तक अप्रदत्त खाते में पड़ी है तथा ऐसे शेयर जो आईडीपीएफ में अंतरित किए जाने हैं व ऐसे अंतरण के लिए नियत तारीखों का विवरण:	शून्य
घ)	आईडीपीएफ को कंपनी द्वारा दिये गए दान की राशि, यदि कोई हो	शून्य
ङ)	वर्ष के दौरान आईडीपीएफ को अंतरित ऐसी अन्य राशि, यदि कोई हो	शून्य

विनियम 27 की विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग ई में दी गई विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवेकपूर्ण अपेक्षाएं	स्थिति
1.	गैर कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने के लिए पात्र होगा और उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दी जाएगी.	बैंक के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 116(1) (i) के अनुसार एलआईसी के अध्यक्ष श्री एम.आर.कुमार 08 मई 2022 तक आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के गैर-कार्यपालक गैर पूर्णकालिक अध्यक्ष थे. 09 मई 2022 से श्री टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक को बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. बैंक ने आईडीबीआई टावर, कफ परेड, मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष के कार्यालय की व्यवस्था की है. श्री टी. एन. मनोहरन को बोर्ड बैठकों में उपस्थिति के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है.
2.	शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को पिछले छः महीनों के दौरान उल्लेखनीय कार्यक्रमों के सार सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा भेजी जाए.	तिमाही और अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को बोर्ड के अनुमोदन के तुरंत बाद शेयरधारकों और अन्य स्टेकधारकों की जानकारी के लिए समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाता है और स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजा जाता है.
3.	कंपनी आशोधित लेखा परीक्षा अभिमत वाले वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो.	बैंक के वित्तीय विवरण आशोधित लेखापरीक्षा अभिमत वाले हैं और बैंक आशोधित लेखापरीक्षा अभिमत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बेहतरीन पद्धतियां अपनाया जारी रखे हैं.
4.	कंपनी अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को इस प्रकार से नियुक्त करें कि अध्यक्ष - (क) गैर-कार्यपालक निदेशक हो, और (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित 'रिलेटिव' शब्द की परिभाषा के अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संबंधित न हों.	बैंक में अंशकालिक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के लिए अलग-अलग पद हैं. अध्यक्ष बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के संबंधी नहीं हैं.
5.	आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करे.	आंतरिक लेखा परीक्षक बैंक के एमडी एवं सीईओ को रिपोर्ट करते हैं और रिजर्व बैंक के आवश्यक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक तिमाही में एसीबी के साथ आमने-सामने बैठक करते हैं.

आचार एवं सदाचार संहिता

बैंक के निदेशक मंडल ने अपने निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आचार एवं सदाचार संहिता को अपनाया है। एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 की अपेक्षाओं के अनुपालन में आपके बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि के बारे में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है।

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा घोषणा

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के प्रावधानों के अनुसरण में, सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है. :

राकेश शर्मा
(डीआईएन- 06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
दिनांक : 29 अप्रैल 2023

सीईओ/ सीएफओ का प्रमाणन

एलओडीआर विनियमावली के विनियम 17(8) के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में वित्तीय विवरणों तथा आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में एमडी एवं सीईओ और सीएफओ से प्रमाणन प्राप्त किया गया है और उसे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है।

एओसी -2

(अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में उल्लिखित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा तृतीय परंतुक के अंतर्गत किए गए कुछ स्वतंत्र संव्यवहारों सहित की गई संविदाओं/ व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म

i. स्वतंत्र आधार पर न की गई संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों का विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार की अवधि	संविदा अथवा व्यवस्था या संव्यवहार के मूल्य सहित, यदि कोई हो, प्रमुख शर्तें	इस प्रकार की संविदा अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहार करने का औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	धारा 188 के प्रथम परंतुक की अपेक्षा अनुसार महासभा में विशेष संकल्प पारित होने की तारीख
शून्य								

ii. स्वतंत्र आधार पर की गई महत्वपूर्ण संविदाओं अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहारों के विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार की अवधि	संविदा अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहार की मूल्य सहित, यदि कोई हो, प्रमुख शर्तें:	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख (खै), यदि कोई हो :	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो :
शून्य						

राकेश शर्मा

(डीआईएन - 06846594)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

दिनांक: 29 अप्रैल 2023

अनुबंध-आ

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. बैंक की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा.

बैंक की सीएसआर नीति का उद्देश्य समाज के सुविधा वंचित वर्ग में व्याप्त विभेदों की पहचान करते हुए और उनकी बेहतरी के लिए जरूरत-आधारित योगदान करते हुए उनके लिए तात्त्विक, दृश्य तथा स्थायी बदलाव लाना है. सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पहल को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ा जाएगा. बैंक यह प्रत्यक्ष दखल तथा हिताधिकारियों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए हासिल करना चाहता है.

बैंक की सीएसआर नीति, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में दखल करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है.

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्रम सं.	निदेशक	पदनाम / निदेशकता का स्वरूप	वर्ष के दौरान उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री राकेश शर्मा	एमडी एवं सीईओ - समिति के अध्यक्ष	03	03
2.	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	उप प्रबंध निदेशक	03	03
3.	श्री सुरेश खटनहार	उप प्रबंध निदेशक	03	03
4.	श्री समरेश परिदा	स्वतंत्र निदेशक	03	03
5.	श्रीमती पी.वी. भारती	स्वतंत्र निदेशक	03	03

3. वह वेबलिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटन किया गया है: सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों को बैंक की वेबसाइट पर वेब लिंक <https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.asp> के अंतर्गत दर्शाया गया है.

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन के वेबलिंक के साथ कार्यपालक सार प्रदान करें, यदि लागू हो: लागू नहीं

5. (क) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ:

बैंक ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 143.64 करोड़ की औसत निवल हानि (सीएसआर उद्देश्य के लिए) उठाई है.

(ख) धारा 135 की उप-धारा (5) अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार बैंक ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 143.64 करोड़ की औसत निवल हानि (सीएसआर उद्देश्य के लिए) उठाई है.

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला अधिशेष - शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए समंजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो: शून्य.

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख)+(ग)-(घ)]: शून्य

6. क. सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजनाओं एवं चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य, दोनों पर): ₹ 1,44,37,632/-

(ख) प्रशासनिक उप-शीर्ष में खर्च की गई राशि: शून्य

(ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं.

(घ) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि(क+ख+ग): ₹ 1,44,37,632/- (एक करोड़ चौवालिस लाख सैंतीस हजार छः सौ बत्तीस रुपये मात्र)

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

- (ड) **वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:** वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु सीएसआर खर्च अनिवार्य नहीं था क्योंकि पिछले तीन वर्षों के लिए औसत निवल लाभ नकारात्मक रहा है। तथापि, बैंक ने स्वेच्छा से वित्तीय वर्ष 2022-23 में चुनिंदा सीएसआर कार्यकलापों हेतु ₹ 1.44 करोड़ खर्च किए हैं।

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि (₹ में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि.		धारा 135 की उप-धारा(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को अंतरित राशि.		
	राशि	अंतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
1,44,37,632/-	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

- (च) **समायोजन के लिए आधिक्य राशि, यदि कोई हो:**

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उपधारा(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	लागू नहीं
(ii)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि	1,44,37,632/-
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई आधिक्य राशि [(ii)-(i)]	लागू नहीं
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	लागू नहीं

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व राशि का विवरण: लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	
क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा 6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ में)	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को अंतरित राशि, यदि कोई हों.	आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि. (₹ में)	कमी, यदि कोई हो	
					राशि (₹ में)	अंतरण की तिथि		
1.	वि.व. - 2020-21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	-
2.	वि.व. - 2021-22	शून्य	शून्य	18,40,000	शून्य	लागू नहीं	शून्य	-
3.	वि.व. - 2022-23	शून्य	शून्य	1,44,37,632	शून्य	लागू नहीं	शून्य	-

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत आस्ति सृजित या अर्जित की गई है: नहीं
यदि हां, तो सृजित/अर्जित की गई पूंजीगत आस्तियों की संख्या दर्ज करें: लागू नहीं

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि के माध्यम से सृजित या अर्जित की गई ऐसी आस्ति(यों) का विवरण दें :

क्र. सं.	संपत्ति या आस्ति (यों) का लघु विवरण (आस्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या आस्तियों का पिन कोड	सृजन तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत स्वामी के इकाई/ प्राधिकारी/ लाभार्थी का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9. यदि कंपनी, धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो कारण निर्दिष्ट करें: कंपनी अधिनियम, 2013 में दिये गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआर के अंतर्गत कोई व्यय उपगत करने की अपेक्षा नहीं थी. तथापि, बैंक ने स्वेच्छा से वित्तीय वर्ष 2022-23 में चुनिंदा सीएसआर कार्यकलापों हेतु ₹ 1.44 करोड़ खर्च किए हैं.

राकेश शर्मा

(डीआईएन -06846594)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

सीएसआर समिति के अध्यक्ष

29 अप्रैल 2023

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

फॉर्म सं. एमआर-3 सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में]

प्रति,

सदस्यगण,

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

सीआईएन: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,

कफ परेड, मुंबई - 400005.

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात् 'बैंक' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉरपोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार संचालित की गई है जिससे हमें कॉरपोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उन पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है।

बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों और साथ ही बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही, बैंक ने इसमें इसके पश्चात् की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, वर्णित रीति से और उसके अध्यक्षीय उपयुक्त बोर्ड- प्रक्रियाएँ और अनुपालन-प्रणाली लागू की हैं।

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, फाइल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है :

- i. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;
- ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;
- iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अधीन तैयार की गई विनियमावली तथा उप-विधियों;
- iv. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए नियम तथा विनियमन - **लागू नहीं क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिपोर्ट की जाने वाली कोई घटना नहीं है;**
- v. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन विनिर्दिष्ट निम्नलिखित विनियम तथा दिशानिर्देश:
 - क. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - ख. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियमावली, 2015;
 - ग. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018; - **लागू नहीं क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिपोर्ट की जाने वाली कोई घटना नहीं है;**
 - घ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और उद्यम इक्विटी) विनियमावली, 2021- **लागू नहीं क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिपोर्ट की जाने वाली कोई घटना नहीं है;**
 - ड. कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक के साथ संव्यवहार के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 - **लागू नहीं क्योंकि बैंक समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में पंजीकृत नहीं है;**

- च. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021 - **लागू नहीं, क्योंकि बैंक ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी स्टॉक एक्सचेंज से अपने इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध नहीं किया है/ असूचीबद्ध करने का प्रस्ताव नहीं किया है;**
- छ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम, 2018 - **लागू नहीं, क्योंकि बैंक ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी किसी प्रतिभूति की वापसी-खरीद नहीं की है/ वापसी-खरीद का प्रस्ताव नहीं किया है;**
- ज. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परवर्तनीय प्रतिभूतियों के निर्गम और उनकी सूचीबद्धता) विनियमन 2021
- झ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015.
- vi. प्रबंधन ने बैंक पर विशेष रूप से लागू पर निम्नलिखित विधियों की पहचान तथा पुष्टि की है:
1. बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियम, अधिसूचनाएं, परिपत्र एवं मार्गदर्शन;
 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934;
 3. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002;
 4. धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 एवं धन-शोधन निवारण अधिनियम (रिकॉर्ड प्रबंधन आदि), नियमावली, 2005
 5. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007;
 6. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881.

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

- (i) निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और महा सभा (एसएस-2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;
 - (ii) बीएसई लिमिटेड व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीबद्धता करार.
- समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

- बैंक के निदेशक मंडल का कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और महिला स्वतंत्र निदेशक के समुचित संतुलन के साथ विधिवत गठन किया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं.
- केवल ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनमें नोटिस, कार्य-सूची और कार्य-सूची पर विस्तृत नोट बैठक से सात दिन से कम समय पहले भेजने के लिए निदेशकों की सहमति प्राप्त हुई थी, सभी निदेशकों को बोर्ड /समिति बैठकों के आयोजन के संबंध में पर्याप्त समय पहले सूचना दी जाती है और कार्य-सूची और कार्य-सूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गए हैं;
- बैठकों से पहले कार्य-सूची की मदों पर अन्य जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने तथा लेने के लिए और बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए व्यवस्था मौजूद है.
- बोर्ड तथा समिति की बैठकों में सभी निर्णय अपेक्षित बहुमत से लिये गए हैं.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक द्वारा स्थापित अनुपालन प्रणाली की समीक्षा और विभिन्न विभागों/ वार्डकलों/ सहायक कंपनियों से प्राप्त प्रमाण-पत्रों पर आधारित कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी द्वारा जारी और निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठक (कों) में दर्ज किए गए अनुपालन प्रमाणपत्र(त्रों) के आधार पर हमारा अभिमत है कि लागू सभी कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के पास प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं और बैंक के आकार और परिचालन के अनुरूप प्रणालियों और प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है.

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के अनुसरण में निम्न गतिविधियों/कार्रवाइयों का बैंक के कार्य पर प्रमुख प्रभाव पड़ा:

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

- बैंक ने कुल मिलाकर ₹ 2609.20 करोड़ की ऋण प्रतिभूतियों का उनकी संबंधित देय तारीखों को मोचन किया.
- दिनांक 22 जुलाई 2022 को हुई वार्षिक महासभा में सदस्यों ने विशेष संकल्पों के माध्यम से एक अथवा अधिक विधियों के जरिए ₹ 5000 करोड़ तक की निधियाँ इक्विटी शेयरों के निर्गम द्वारा जुटाने के लिए निदेशक मण्डल को प्राधिकृत किया.
- राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक 29 मार्च 2023 के अपने आदेश द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2021 के कुल ₹ 45,396.18 करोड़ के संचित घाटों को समायोजित करके उक्त तारीख के अनुसार बैंक के प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा ₹ 50,719.75 करोड़ की राशि के उपयोग द्वारा बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी की कटौती के लिए दायर याचिका को अनुमोदित किया है.
- बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के अनुसरण में 30 दिसम्बर 2022 के डाक मतपत्र सूचना के जरिये सदस्यों द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव से बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी प्रत्येक ₹10 के 2500 करोड़ (पच्चीस सौ करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित ₹ 25,000 करोड़ (पच्चीस हजार करोड़ रुपये) में से अनिर्गमित शेयरों को निरस्त कर प्रत्येक ₹10 के ₹2100 करोड़ (इक्कीस सौ करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित ₹ 21,000 करोड़ में बदल दिया है और इसके परिणामस्वरूप बैंक के अंतर्नियमों और बहिर्नियमों में संशोधन किया है.

यह रिपोर्ट हमारे सम दिनांकित पत्र के साथ पढ़ी जाए जो अनुबंध-अ के रूप में इस रिपोर्ट के एक अभिन्न अंग के रूप में यहाँ संलग्न की गई है.

कृते एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.

कंपनी सचिव

आईसीएसआई यूनिक कोड नं. P1991MH040400

समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं.: 606 /2019

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन

साझेदार

एफ़सीएस: 4206 | सीओपी नं. 1774

आईसीएसआई यूडीआईएन: F004206E000223568

दिनांक : 29 अप्रैल 2023 | ठाणे

अनुबंध -अ

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
सीआईएन: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई-400005

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सम दिनांकित सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए.

प्रबंधन की जिम्मेदारी:

1. यह बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करे, लागू सभी विधियों तथा विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां तैयार करें और सुनिश्चित करें कि प्रणालियां पर्याप्त हों और प्रभावी ढंग से परिचालन करें.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

2. हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों, सचिवीय अनुपालनों के संबंध में बैंक द्वारा अनुसरण किए गए मानकों एवं प्रक्रियाओं के बारे में अपनी राय प्रकट करना है.
3. हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी और लागू लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है.
4. हमारा विश्वास है कि बैंक प्रबंधन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और जानकारियां हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित हैं.
5. जहां कहीं आवश्यक था, हमने उचित आश्वासन प्राप्त किया है कि सचिवीय लेखा परीक्षा के संबंध में तैयार किए गए विवरण, दस्तावेज या अभिलेख, गलत कथनों से मुक्त है.
6. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने विधियों, नियमों व विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने, आदि के बारे में प्रबंधन से प्रकथन प्राप्त किया है.

डिस्क्लेमर

7. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही बैंक के कामकाज को संचालित करने की प्रबंधन की क्षमता अथवा प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है.
8. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा बहियों की परिशुद्धता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है.

कृते एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.

कंपनी सचिव

आईसीएसआई यूनिफ कोड नं. P1991MH040400

समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र नं.: 606 /2019

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन

साक्षेदार

एफसीएस: 4206 | सीओपी नं. 1774

आईसीएसआई यूडीआईए : F004206E000223568

दिनांक : 29 अप्रैल 2023 | ठाणे

निदेशकों की गैर-अपात्रता संबंधी प्रमाण पत्र

[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसरण में]

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
सीआईएन: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स
कफ परेड,
मुंबई - 400005

हमने निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच की है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 164 के अधीन अपेक्षित गैर- अपात्रता की घोषणा;
 - अधिनियम की धारा 184 के अधीन अपेक्षित प्रतिष्ठान अथवा हितों का प्रकटन;
- (इसके पश्चात 'संबंधित दस्तावेजों' के रूप में उल्लिखित)

सीआईएन: L65190MH2004GOI148838 धारित आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक'), जिसका पंजीकृत कार्यालय आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005 है, के निदेशकों द्वारा 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष और 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के निदेशक मंडल ('बोर्ड') को प्रस्तुत किए अनुसार तथा बैंक द्वारा रखे गए संबंधित रजिस्ट्रों, अभिलेखों, फॉर्मों और रिटर्न को सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 की अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के साथ पठित विनियमन 34(3) के अनुपालन में यह प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से हमारे पास उपलब्ध कराये गए हैं. हमने नियामक/ सांविधिक अधिकारियों द्वारा गैर-निषेध को शामिल करने के लिए गैर- अपात्रता माना है.

यह निदेशकों की जिम्मेदारी है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित दस्तावेज संपूर्ण एवं सटीक जानकारी के साथ प्रस्तुत करें.

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/ निरंतरता की पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारा दायित्व अपने सत्यापन के आधार पर अपनी राय प्रकट करना है.

उपर्युक्त अनुसार हमारी जांच और हमारे द्वारा किए गए ऐसे अन्य सत्यापनों (www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) के आधार पर, हमारी राय तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान तथा बैंक, इसके अधिकारियों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि नीचे दी गई सूची में 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड का कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड/ कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय अथवा ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण से नियुक्ति या बैंक के निदेशक के रूप में बने रहने से विवर्जित या अयोग्य घोषित नहीं हैं.

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	नियुक्ति की तारीख	पद समाप्ति की तारीख
1.	श्री ज्ञान प्रकाश जोशी	00603925	28/08/2015	-
2.	श्री भुवनचन्द्र बालकृष्ण जोशी	06713850	09/10/2017	-
3.	श्री समरेश परिदा	01853823	19/05/2018	-
4.	श्री जंबुनाथन नारायणन	05126421	19/05/2018	-
5.	श्री राकेश शर्मा	06846594	10/10/2018	-
6.	श्री दीपक सिंघल	08375146	28/02/2019	-
7.	श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर	08377808	05/03/2019	-
8.	श्री मंगलम रामसुब्रमणियन कुमार	03628755	13/05/2019	08/05/2022

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	नियुक्ति की तारीख	पद समाप्ति की तारीख
9.	श्री सेम्युअल जोसेफ जेबराज	02262530	20/09/2019	05/04/2023
10.	श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार	03022106	15/01/2020	-
11.	श्री अंशुमन शर्मा	07555065	11/06/2020	11/04/2022
12.	श्रीमती पी.वी. भारती	06519925	14/01/2021	-
13.	श्री मुकेश गुप्ता	06638754	10/02/2022	-
14.	श्री तोटला नारायणसामी मनोहरन	01186248	24/02/2022	-
15.	श्री राज कुमार	06627311	19/05/2022	-
16.	श्री मनोज सहाय	08711612	28/04/2022	-
17.	श्री सुशील कुमार सिंह	09584577	28/04/2022	-

यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के मामले संचालित करने में उनकी दक्षता अथवा प्रभाविता का आश्वासन देता है।

यह प्रमाणपत्र, 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में प्रकटीकरण हेतु बैंक के अनुरोध पर जारी किया गया है।

कृते एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.

कंपनी सचिव

आईसीएसआई यूनिफ कोड नं. P1991MH040400

समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या: 606/2019

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन

साझेदार

एफसीएस 4206 | सीओपी नं. 1774

आईसीएसआई यूडीआईएन : F004206E000223656 दिनांक: 29 अप्रैल 2023 | ठाणे

G D Apte & Co.,
Chartered Accountants,
D-509, Neelkanth Business Park, Nathani Road,
Vidyavihar West,
Mumbai – 400 086
Maharashtra

Varma & Varma,
Chartered Accountants, Unit No 101,
Option Primo,
Plot No X-21, MIDC Road No. 21,
Andheri East,
Mumbai-400 093 Maharashtra

INDEPENDENT AUDITOR'S CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH THE CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE AS PER CERTAIN PROVISION OF CHAPTER IV OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATION AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

To,
The Members, IDBI Bank Limited

1. We are the joint statutory auditors of IDBI Bank Limited (hereinafter referred to as “the Bank”), having its registered office at IDBI Towers, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400005. We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by the Bank for the year ended on March 31, 2023 as stipulated in regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of regulation 46(2) and para C and D of Schedule V of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (“Listing Regulations”) from time to time pursuant to the listing agreement of the Bank with Stock Exchanges.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY

2. The compliance of conditions of Corporate Governance as stipulated under listing regulations is the responsibility of the Management. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control and procedures to ensure the compliance with the conditions of the Corporate Governance stipulated in the Listing Regulations.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY

3. Our responsibility is limited to examining the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring compliance with the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.
4. We have examined the books of account and other relevant records and documents maintained by the Bank for the purpose of providing reasonable assurance on the compliance with Corporate Governance requirements by the Bank.
5. We have carried out an examination of the relevant records of the Bank in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance issued by the Institute of the Chartered Accountants of India (the ICAI), the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Companies Act 2013, in so far as applicable for the purpose of this certificate and as per the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes issued by the ICAI which requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.
6. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

CONCLUSION

7. Based on our examination of the relevant records and according to the information and explanations provided to us and the representations provided by the Management, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in regulations 17 to 27 and clauses(b) to (i) of regulation 46(2) and para C and D of Schedule V of the Listing Regulations during the year ended March 31, 2023.

OTHER MATTERS AND RESTRICTION ON USE

8. This Certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.
9. This certificate is addressed to and provided to the members of the Bank solely for the purpose of enabling it to comply with its obligations under the Listing Regulations with reference to compliance with the relevant regulations of Corporate Governance and should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care or for any other purpose or to any other party to whom it is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing. We have no responsibility to update this certificate for events and circumstances occurring after the date of this certificate.

For G D Apte & Co
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 100515W
CA Saurabh Peshwe
Partner
Membership No. 121546
UDIN: 23121546BGWJZV3469
Place: Pune
Date: June 15, 2023

For Varma & Varma
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 004532S
P R Prasanna Varma
Partner
Membership No. 25854
UDIN: 23025854BGRHXU4505
Place: Chennai
Date: June 15, 2023

Corporate Governance Report

Brief Statement on the Bank's Philosophy on Code of Governance

The Bank is committed to upholding the highest standards of corporate governance in its operations. Its policies and practices are not only in line with the statutory requirements, but also reflect its commitment to operate in the best interest of its stakeholders. The responsibility for maintaining high governance standards lies with the Bank's Board of Directors and various Board Committees, which are empowered to monitor implementation of the best corporate governance practices, including making of necessary disclosures within the framework of legal and regulatory provisions and banking conventions.

In this direction, the Bank is committed to ensure that its Board of Directors continues to be constituted according to the prescribed norms, meets regularly according to the prescribed frequency, provides effective leadership, exercises control over the management, monitors executive performance and makes appropriate disclosures. Besides, the other policy directives of the Bank are to establish a strategic control framework and continuously review its efficacy as well as to set up clearly documented and transparent management processes to develop, implement and review policies, take decisions, monitor, control and report. The Bank provides free access of relevant information and resources to the Board, enabling it to carry out its role effectively.

BOARD OF DIRECTORS

The Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, the Articles of Association of the Bank and the requirements of Corporate Governance, as envisaged in the Securities & Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations). The Bank's Board functions directly as well as through various Board Committees constituted to provide focussed governance in the important functional areas.

i. **Terms of Reference**

- To make calls on shareholders in respect of money unpaid on their shares;
- To authorise buy-back of securities under Section 68 of the Companies Act, 2013;
- To issue securities, including debentures, whether in or outside India;
- To borrow monies;
- To invest the funds of the Bank;
- To approve financial statements and the Board's report of the Bank;
- To diversify the business of the Bank;
- To approve amalgamation, merger or reconstruction;
- To take over a company or acquire a controlling or substantial stake in another company;
- To appoint or remove Key Managerial Personnel (KMP);
- To appoint Internal Auditors and Secretarial Auditors;
- To make political contributions;
- To take note of the disclosures of Directors' interest and shareholding;
- To buy and sell investments held by the Bank (other than trade investments), constituting five percent or more of the paid up share capital and free reserves of the investee company;
- To approve quarterly, half-yearly and annual financial statements or financial results, as the case may be;
- To periodically review compliance reports pertaining to all laws applicable to the Bank, prepared by the Bank as well as steps taken by the Bank to rectify instances of non-compliances;
- To lay down a code of conduct for all the members of the Board of Directors and the senior management of the Bank;

Corporate Governance Report

- To ensure framing of, implementation of and monitoring of the risk management plan for the Bank;
- To undertake performance evaluation of the Independent Directors, all the other Directors, the Committees of the Board and the Board of Directors as a whole;
- To review and guide corporate strategy, major plans of action, risk policy, annual budgets and business plans, to set performance objectives, to monitor implementation and corporate performance, and to oversee major capital expenditures, acquisitions and divestments;
- To monitor the effectiveness of the Bank's governance practices and making changes as needed;
- To select, compensate, monitor and, when necessary, replace the Key Managerial Personnel (KMP) and oversee succession planning;
- To align remuneration of Key Managerial Personnel (KMP) and Directors with the longer term interests of the Bank and its shareholders;
- To ensure a transparent nomination process to the Board to achieve diversity of thought, experience, knowledge, perspective and gender in the Board of Directors;
- To monitor and manage potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors and shareholders, including misuse of corporate assets and abuse in related party transactions;
- To ensure the integrity of the Bank's accounting and financial reporting systems, including the independent audit, and that appropriate systems of control are in place, in particular, systems for risk management, financial and operational control, and compliance with the law and relevant standards;
- To oversee the process of disclosure and communications;
- To monitor and review the Board of Directors' evaluation framework;
- To provide strategic guidance to the Bank, to ensure effective monitoring of the management and to be accountable to the Bank and its shareholders;
- To set a corporate culture and the values by which the executives throughout the group shall behave;
- To act on a fully informed basis, in good faith, with due diligence and care, and in the best interests of the Bank and its shareholders;
- To encourage continual Directors' training to ensure that the members of the Board of Directors are kept up-to-date;
- To treat all the shareholders fairly;
- To maintain high ethical standards and take into account the interests of the stakeholders of the Bank;
- To exercise objective independent judgement on the corporate affairs of the Bank;
- To consider assigning a sufficient number of non-executive members of the Board of Directors capable of exercising independent judgement to tasks where there is a potential for conflict of interest;
- To be able to step back to assist executive management by challenging the assumptions underlying strategy, strategic initiatives (such as acquisitions), risk appetite, exposures and the key areas of the listed entity's focus;
- To define and disclose the mandate, composition and working procedures of the committees of the Board of Directors;
- To facilitate the Independent Directors to perform their role effectively as members of the Board of Directors and also as members of Committees of the Board of Directors; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition (including Educational Qualifications and Skills/ Expertise) of the Board of Directors as on March 31, 2023

Name of the Director	Executive/ Non-Executive Director	Independent/ Non-Independent Director	Educational Qualification	Expertise
Independent Director & Part-time Chairman				
Shri T. N. Manoharan	Non-Executive	Independent	B.Com, M.Com, Law Graduate, Fellow member of the ICAI and IFRS Certificate level online learning and assessment programme of The Institute of Chartered Accountants in England and Wales	Accountancy, Economics, Banking, Law, Risk, Small Scale Industry, Finance, Human Resource, Business Management, Administration and Corporate Governance
Managing Director and Chief Executive Officer				
Shri Rakesh Sharma	Executive	Non-Independent	B.Com, Post Graduate in Economics, CAIIB	Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Banking, Economics, Small Scale Industry, Risk, Human Resource, Business Management, Administration and Corporate Governance
Deputy Managing Directors				
Shri Samuel Joseph Jebaraj	Executive	Non-Independent	BE (Hons.), MBA	Accountancy, Banking, Business Management, Human Resource, Risk, Finance, Information Technology, Sales & Marketing, Administration and Corporate Governance
Shri Suresh Khatanhar	Executive	Non-Independent	M.Com, CAIIB, ICWA	Accountancy, Banking, Finance, Risk, Agriculture & Rural Economy, Information Technology, Small Scale Industry, Business Management, Administration and Corporate Governance
Nominee Directors				
Shri Mukesh Kumar Gupta (LIC)	Non-Executive	Non-Independent	B.Sc. and MBA (HRM)	Human Resource, Banking, Sales & Marketing, Business Management, Risk, Information Technology, Finance, Administration and Corporate Governance
Shri Raj Kumar (LIC)	Non-Executive	Non-Independent	B.Sc.	Human Resource, Marketing, Business Management, Administration and Corporate Governance
Shri Manoj Sahay (Gol)	Non-Executive	Non-Independent	BE (Civil Eng.)	Accountancy & Finance, Administration and Corporate Governance

Corporate Governance Report

Name of the Director	Executive/ Non-Executive Director	Independent/ Non-Independent Director	Educational Qualification	Expertise
Shri Sushil Kumar Singh (Gol)	Non-Executive	Non-Independent	BA, MA (Philosophy)	Accountancy & Finance, Human Resource, Administration and Corporate Governance
Independent Directors				
Shri Gyan Prakash Joshi	Non-Executive	Independent	B.Sc. (Hons.), M.Sc. (Physics), Masters Programme on Management & Implementation of Development Projects (MIDP) & PG Diploma in Financial Management	Agriculture & Rural Economy, Finance, Small Scale Industry, Risk, Administration and Corporate Governance
Shri Bhuwanchandra B. Joshi	Non-Executive	Independent	B.Com, CAIIB	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, Administration and Corporate Governance
Shri Samaresh Parida	Non-Executive	Independent	Chartered Accountant, Cost Accountant, MBA	Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Finance, Information Technology, Business Management, Strategic Planning, Administration and Corporate Governance
Shri N. Jambunathan	Non-Executive	Independent	Post Graduate in Statistics, CAIIB, Diploma in Management	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, Information Technology, Payment & Settlement, Administration and Corporate Governance
Shri Deepak Singhal	Non-Executive	Independent	B.A., MBA, CAIIB, PGDRM	Agriculture & Rural Economy, Banking, Human Resource, Business Management, Administration and Corporate Governance
Shri Sanjay G. Kallapur	Non-Executive	Independent	B.Com, M.M.S, Ph.D. in Business Economics, ACMA	Accountancy, Economics, Finance, Risk, Administration and Corporate Governance
Smt. P. V. Bharathi	Non-Executive	Woman Independent	B.Sc., MA (Economics), B.Ed., CAIIB, Integrated Course in Banking & Finance (NIBM)	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, Risk, Economics, Administration and Corporate Governance

The strength of 15 (fifteen) Directors on the Board as on March 31, 2023 meets the requirement provided under Article 114(a) of the Articles of Association of the Bank.

In the opinion of the Board, the Independent Directors fulfill the conditions specified in the LODR Regulations and are independent of the management.

iii. Relationship between Directors inter-se

- (i) None of the Directors on the Bank's Board are related in any manner, directly or indirectly, to any other Director.
- (ii) None of the Whole-Time Directors and Non-Executive Directors (including Independent Directors) of the Bank have attained the age of seventy years and seventy-five years respectively as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI) as the upper age limit for Directors on the Boards of private sector banks.
- (iii) Chairperson of the Bank is an Independent Director and he is not related to the MD & CEO of the Bank as per the definition of the term 'relative' defined under the Companies Act, 2013, in terms of Article 116(1)(i).

iv. Quorum for the Board Meetings

The quorum for the Board Meetings shall be one-third of the total strength or three (3) Directors, whichever is higher, subject to at least one Director being a nominee of the Life Insurance Corporation of India (LIC) and at least half of Directors attending the meeting being Independent Directors.

v. Frequency of the Board Meetings

Meetings of the Board shall ordinarily be held at least six times in a year and at least once in every quarter and not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive Board meetings.

vi. Number of the Board Meetings held

During the period under review (April 1, 2022 to March 31, 2023), 12 meetings of the Board of Directors were held on May 02, 2022; May 26, 2022; June 29, 2022; July 21, 2022; August 26, 2022; September 28, 2022; October 21, 2022; November 30, 2022; December 28, 2022; January 23, 2023; March 03, 2023 and March 28, 2023. The meetings were held in person and through video conferencing as provided by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Securities & Exchange Board of India (SEBI) from time-to-time and the details regarding attendance at the Board meetings, attendance in the last Annual General Meeting (AGM), Directorships in other companies and memberships of Committees in respect of each Director of the Bank, are given below in **Table 1**.

Table 1: Directors' Attendance at the Board Meetings and the last AGM, their Directorships and Committee Memberships

Name of the Director	Attendance at the Bank's Board Meetings held during tenure (Held/ Attended)	Attendance at the last AGM held on July 22, 2022	Directorships in other Companies (other public companies)	Memberships/ Chairmanships in other Companies (only ACB & SRC)	Names of other listed entities where the person is a Director and the category of Directorship
1	2	3	4	5	6
INDEPENDENT DIRECTOR & PART TIME CHAIRMAN					
Shri T. N. Manoharan (DIN: 01186248)	12/12	Present	02	02	Independent Director: 1. Tech Mahindra Ltd. 2. Mahindra & Mahindra Ltd.
WHOLE-TIME DIRECTORS					
Shri Rakesh Sharma (DIN: 06846594)	12/12	Present	02	NIL	NIL
Shri Samuel Joseph Jebaraj (DIN: 02262530)	12/12	Present	03	01	NIL

Corporate Governance Report

Name of the Director	Attendance at the Bank's Board Meetings held during tenure (Held/ Attended)	Attendance at the last AGM held on July 22, 2022	Directorships in other Companies (other public companies)	Memberships/ Chairmanships in other Companies (only ACB & SRC)	Names of other listed entities where the person is a Director and the category of Directorship
1	2	3	4	5	6
Shri Suresh Khatanhar (DIN: 03022106)	12/12	Present	01	NIL	NIL
NON-EXECUTIVE DIRECTORS					
Shri Mukesh Kumar Gupta (DIN: 06638754)	12/12	Present	02	NIL	1. ITC Ltd.- Nominee Director; 2. Jindal Worldwide Ltd. – Independent Director
Shri Raj Kumar (DIN: 06627311) [w.e.f. 19.05.2022]	11/08	Present	01	NIL	1. Grasim Industries Ltd. - Nominee Director
Shri Manoj Sahay (DIN: 08711612) [w.e.f. 28.04.2022]	12/06	Not Present	02	NIL	NIL
Shri Sushil Kumar Singh (DIN: 09584577) [w.e.f. 28.04.2022]	12/03	Not Present	NIL	NIL	NIL
INDEPENDENT DIRECTORS					
Shri Gyan Prakash Joshi (DIN: 00603925)	12/12	Present	NIL	NIL	NIL
Shri Bhuvanchandra B. Joshi (DIN: 06713850)	12/12	Present	NIL	NIL	NIL
Shri Samaresh Parida (DIN:01853823)	12/12	Present	01	01	1. Shaily Engineering Plastics Ltd. - Independent Director
Shri N. Jambunathan (DIN: 05126421)	12/12	Present	NIL	NIL	NIL
Shri Deepak Singhal (DIN: 08375146)	12/12	Present	02	NIL	NIL
Shri Sanjay G. Kallapur (DIN: 08377808)	12/12	Present	NIL	NIL	NIL

Name of the Director	Attendance at the Bank's Board Meetings held during tenure (Held/ Attended)	Attendance at the last AGM held on July 22, 2022	Directorships in other Companies (other public companies)	Memberships/ Chairmanships in other Companies (only ACB & SRC)	Names of other listed entities where the person is a Director and the category of Directorship
1	2	3	4	5	6
Smt. P. V. Bharathi (DIN: 06519925)	12/12	Present	03	02	1. PTC India Financial Services Ltd. – Independent Director

None of the Non-Executive Directors of the Bank hold shares or convertible instruments issued by the Bank.

Committees of Board

The Board has constituted a total of 13 Committees namely:

- Audit Committee of the Board
- Stakeholders' Relationship Committee
- Risk Management Committee
- Customer Service Committee
- Nomination & Remuneration Committee
- Recovery Review Committee
- Wilful Defaulters Review Committee
- Executive Committee
- Frauds Monitoring Committee
- Corporate Social Responsibility Committee
- Information Technology Strategy Committee
- HR Steering Committee
- Non - Cooperative Borrowers' Review Committee

A. AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD (ACB)

i. Terms of Reference

- To review exposure to sensitive sectors, i.e., (a) Capital Market; and (b) Real Estate;
- Know Your Customer/ Anti-Money Laundering (KYC/ AML) guidelines –
 - i. review of implementation;
 - ii. review of compliance of the Concurrent Audit reports with respect to adherence to Know Your Customer (KYC)/ Anti-Money Laundering (AML) guidelines at the branches;
- To review housekeeping - particularly balancing and reconciliation of long outstanding entries Suspense/ Sundries/ Drafts Payable or Paid/ Funds in Transit/ Clearing/ Subsidiary General Ledger (SGL)/ Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) accounts and review of Nostro accounts;
- To review compliance in respect of the Annual Financial Inspection conducted by the RBI - Risk Assessment Report (RAR) and Risk Mitigation Plan (RMP) under Supervisory Programme for Assessment of Risk and Capital;
- To review Audit Plan and status of achievement thereof;
- To review significant audit findings/ internal control weakness of the following audits along with the compliance thereof - (i) Long Form Audit Report (LFAR), (ii) Concurrent Audit, (iii) Internal Inspection, (iv) Information System Audit of Data Centre and other departments, (v) Treasury & Derivatives, (vi) Management Audit at the controlling offices/ the Head Office, (vii) Audit of the service branches, (viii) the Currency Chests, (ix) Foreign Exchange Management Act (FEMA) Audit of the branches authorised to deal in foreign exchange, etc.;

Corporate Governance Report

- To review the compliance report on the directives issued by the ACB/ the Board/ the RBI;
- To report on the compliance of the regulatory requirements of the regulators in the host countries in respect of the overseas branches;
- To review financial results for the quarter including management discussion, analysis of financial condition, management letters/ letters of internal control weaknesses issued by the Statutory Auditors;
- To review information on violations by various functionaries in the exercise of discretionary powers;
- To report information in respect of equity shareholdings in borrower companies more than 30% of their paid up capital;
- To review all fraud cases reported during the quarters ending March, June, September and December;
- To review transactions with related parties and prior approval to related party transactions and subsequent material modifications, if any, in related party transactions;
- To review (a) Risk Based Internal Audit Policy, (b) Concurrent Audit Policy and (c) IS Audit Policy;
- To review accounting policies/ systems of the Bank with a view to ensuring greater transparency in its accounts and adequacy of accounting standards, to review any change during the year and their impact, and a confirmation that accounting policies are in compliance with accounting standards and the RBI guidelines;
- To review the adequacy of the internal audit function, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit;
- To review the Bank's Internal Financial Controls;
- To review the Bank's Risk Management Systems;
- To appoint Statutory Auditors, to review and to monitor the auditor's independence, performance, effectiveness of audit process both for domestic and overseas operations;
- To review annual accounts/ financial statements of the Bank and the Auditor's Report thereon before submission to the Board for approval with particular reference to items (a) to (g) as indicated in Point A(4) of Part C of Schedule II of the LODR regulations;
- To approve payment to Statutory Auditors for any other services rendered by the Statutory Auditors;
- To discuss with the Statutory Auditors before the audit commences about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;
- To review penalties imposed/ penal action taken against the Bank under various laws and statutes and action taken for corrective measures;
- To review report on revenue leakage detected by Internal/ External Auditors and status of recovery thereof - reasons for undercharges and steps taken to prevent revenue leakage;
- To report on end-use of funds raised through offer documents and public issue funds (certified by the Statutory Auditors) as well as (i) quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency in terms of Regulations 32(1) and (ii) annual statement of funds utilised for purposes other than those stated in the offer document in terms of Regulation 32(7) of the LODR Regulations;
- To review the reasons for substantial defaults in payment to the depositors, the debenture holders, the shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and the creditors;
- To review financial statements including particular investments made by the Unlisted Subsidiaries;
- To review First Time Non-Performing Assets (FTNPAs);

- To review dishonour of cheques amounting to ₹ 1 crore & above;
- To conduct annual review of the Concurrent Audit System;
- To approve Annual Audit Plan;
- To conduct annual review of Outsourced Vendors' Audit;
- To review the functioning of Vigil Mechanism (formerly Whistle Blower Mechanism);
- To approve appointment of (i) Chief Financial Officer; (ii) Head-Internal Audit and (iii) Chief Compliance Officer;
- To oversee valuation of undertakings or assets of the listed entity wherever it is necessary;
- To review RBI circulars having impact on the Bank's accounts;
- To review annually the compliance of the provisions of the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- To review the utilisation of loans and/ or advances from/ investment by the Bank in the subsidiary exceeding ₹ 100 crore or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower including existing loans/ advances/ investments;
- To consider and comment on the rationale, the cost-benefit and the impact of the schemes involving merger, demerger, amalgamation etc., of the Bank and its shareholders;
- To review the staff accountability examination;
- To verify genuineness of title deeds & due diligence of loan/ security documents;
- To report performance of Off-Site Monitoring (OMS);
- To review the Secretarial Auditor's Report on Compliances made by the Bank during the financial year under the Companies Act, 2013, LODR Regulations, etc.;
- To comply with the observations made in inspection reports of the Central Depository Services Ltd. (CDSL), National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Concurrent Audit Reports;
- To review findings of Investigative Audits (IAs)/ Special Investigative Audits (SIAs);
- To discuss with the rating agencies;
- To discuss with the Head – Internal Audit and the Chief Compliance Officer (CCO) without the presence of the Management;
- To review Risk Rating Migration and the efficacy of Audit System; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the ACB

As on March 31, 2023, the ACB comprised six members, out of whom four members were Independent Directors, viz., Shri Samaresh Parida, Independent Director as Chairman, Shri Manoj Sahay, Government Nominee Director, Shri Mukesh Kumar Gupta, LIC Nominee Director, Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director, Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director and Smt. P. V. Bharathi, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the ACB Meetings

The quorum for the ACB meetings shall be three members of the ACB out of which at least two-thirds shall be Independent Directors. The ACB meeting shall be chaired by an Independent Director who shall not chair any other Committee of the Board.

iv. Frequency of the ACB Meetings

The ACB shall meet at least four times in a year and not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive ACB meetings.

v. Meetings of the ACB

During the period under review (April 1, 2022 to March 31, 2023), 12 meetings of the ACB were held on May 02, 2022; May 25, 2022; June 28, 2022; July 21, 2022; August 25, 2022; September 27, 2022; October 21, 2022; November 29, 2022; December 27, 2022; January 23, 2023; March 02, 2023 and March 27, 2023.

B. EXECUTIVE COMMITTEE (EC)**i. Terms of Reference**

- To sanction high value credit proposals with exposure of more than ₹ 250 crore;
- To modify terms and conditions of sanctions made by the Executive Committee (EC);
- To take on record the minutes of the Credit Committees;
- To sanction proposals for Negotiated/ One-Time Settlements (OTS);
- To sanction proposals with exposure of more than ₹ 5 crore to:
 - Directors (including the Chairman/ Managing Director) of other banks;
 - Any firm in which any of the Directors of other banks is interested as a partner or guarantor; and
 - Any company in which any of the Directors of other banks holds substantial interest or is interested as a Director or as a guarantor.
- To sanction proposals with exposure of more than ₹ 5 crore to:
 - Any relative of the Chairman/ Managing Director or other Directors of the Bank;
 - Any relative of the Chairman/ Managing Director or other directors of other banks;
 - Any firm in which any of the relatives as mentioned above is interested as a partner or guarantor; and
 - Any company in which any of the relatives as mentioned above holds substantial interest or is interested as a Director or as a guarantor;
- To report sanctions of securitisation portfolios;
- To review and report status of security creation in respect of the EC-approved cases;
- To approve proposals for conversion of dues and receivables into investment instrument(s); and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the EC

As on March 31, 2023, the EC comprised six members of which three members were Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director, Shri N. Jambunathan, Independent Director and Shri Deepak Singhal, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the EC Meetings

The quorum for the EC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the EC, whichever is higher.

iv. Frequency of the EC Meetings

The EC shall meet as per the need with at least four meetings in a year.

v. Meetings of the EC

During the period under review (April 1, 2022 to March 31, 2023), 23 meetings of the EC were held on April 13, 2022; April 28, 2022; May 13, 2022; May 25, 2022; June 14, 2022; June 28, 2022; July 13, 2022; July 29, 2022; August 12, 2022; August 26, 2022; September 14, 2022; September 27, 2022; October 14, 2022; October 29, 2022; November 15, 2022; November 29, 2022; December 13, 2022; December 27, 2022; January 16, 2023; January 31, 2023; February 15, 2023; March 02, 2023 and March 24, 2023.

C. STAKEHOLDERS' RELATIONSHIP COMMITTEE (SRC)

i. Terms of Reference

The Stakeholders' Relationship Committee (SRC) functions as per the terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013 and Regulation 20 read with Part D of Schedule II of the LODR Regulations.

The broader roles and responsibilities of the SRC are as under:

- To resolve the grievances of the shareholders, the bondholders and other security holders, including complaints relating to transmission of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividends, issue of new/ duplicate certificates, general meetings, etc.;
- To consider and review the equity servicing as well as the bonds servicing reports of the Bank in each of its meetings and give directions, wherever deemed necessary, towards achieving the mandate as given above, as follows:
 - Review the report on equity servicing;
 - Review the report on servicing of flexibonds;
 - Review the reporting of reconciliation of Share Capital Audit Report;
 - Review the reporting of details of investors complaints submitted to the stock exchanges;
 - Review the measures taken for effective exercise of voting rights by the shareholders;
 - Review the adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent;
 - Review various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/ Annual Reports/ statutory notices by the shareholders of the Bank; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the SRC

As on March 31, 2023, the SRC comprised four members out of whom two were Independent Directors, viz., Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD and Shri N. Jambunathan, Independent Director, as members.

Smt. Jyothi Biju Nair, the Company Secretary of the Bank, also acts as the Compliance Officer under the LODR Regulations.

iii. Quorum for the SRC Meetings

The quorum for the SRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the SRC, whichever is higher.

Corporate Governance Report

iv. **Frequency of the SRC Meetings**

The SRC meetings shall be held on quarterly basis.

v. **Meetings of the SRC**

During the period under review (April 1, 2022 to March 31, 2023), four meetings of the SRC were held on May 13, 2022; August 12, 2022; November 15, 2022 and February 15, 2023.

vi. **Number of Requests/ Complaints (Equity & Bonds)**

Number of shareholder/ bondholder complaints received in FY 2022-23	14,398
Number not solved to the satisfaction of shareholders/ bondholders	Nil
Number of pending complaints	Nil

D. **FRAUDS MONITORING COMMITTEE (FMC)**

i. **Terms of Reference**

The Frauds Monitoring Committee (FMC) has been constituted as a special Committee for monitoring and following up on fraud cases of ₹ 1 crore and above. It has been set up to detect, monitor and address frauds.

The broader roles and responsibilities of the FMC are as under:

- To identify the systemic lacunae, if any, that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same;
- To identify the reasons for delay in detection of fraud, if any, and in reporting to top management of the Bank and the RBI;
- To monitor progress of the Central Bureau of Investigation (CBI)/ police investigation and the recovery position;
- To ensure that staff accountability is examined at all levels in all cases of frauds and action, if required, is completed quickly without loss of time;
- To review the efficacy of remedial actions taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls;
- To review the Red Flagged Accounts and the status of remedial action taken/ investigation ordered in the outstanding Red Flagged Accounts;
- To take note of completion of staff accountability exercise in fraud cases and the action taken thereon;
- To review the status of recovery in fraud cases including recovery from cases being investigated by the CBI, police, etc.;
- To monitor the progress of the mitigating steps taken by the Bank in case of electronic frauds, monitoring of suspicious transactions and the efficacy of the same in containing fraud numbers and values; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. **Composition of the FMC**

As on March 31, 2023, the FMC comprised seven members out of whom four members were Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director, Shri Bhuvanchandra B. Joshi, Independent Director, Shri T. N. Manoharan, Independent Director and Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the FMC Meetings

The quorum for the FMC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the FMC, whichever is higher.

iv. Frequency of the FMC Meetings

The FMC is required to meet and review as and when a fraud involving an amount of ₹ 1 crore and above comes to light.

v. Meetings of the FMC

During the period under review (April 1, 2022 to March 31, 2023), six meetings of the FMC were held on May 13, 2022; August 25, 2022; November 15, 2022; January 16, 2023; March 02, 2023 and March 27, 2023.

E. RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)

i. Terms of Reference

The Risk Management Committee (RMC) has been constituted to assess various risks associated with the Bank's business, their mitigation, address the issues relating to asset liability mismatch and also monitor & review the Risk Management Plan.

The broader roles and responsibilities of the RMC are as under:

- To evaluate the overall risks faced by the Bank, including liquidity risk and the potential interaction of liquidity risk with other risks;
- To report projections of the cash flows and measure liquidity risk, assumptions used;
- To recommend policies, viz., Credit Policy, Recovery Policy, Risk Management Policy, Asset Liability Policy, Operational Risk and Business Continuity Management (OR & BCM) Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Market Risk & Derivative Policy, Country Risk Management Policy & Country Risk Limits, Investment Policy, Disclosure Policy, Reputation Risk Assessment & Management Policy, Group Risk and Management Policy, etc. to the Board;
- To review the progress report on Operational Risk & Business Continuity Management;
- To review the market risk report of the trading portfolio;
- To review the results of stress test;
- To review the activities undertaken in the Risk Management Department, Model Validation - Migration and default analysis of Internal Ratings;
- To review asset liability management;
- To report minutes of Systems Product Approval & Review Committee (SPARC) I & II;
- To review policy on counterparty bank limits and allocation of limits for domestic & international banks;
- To review compliance of norms on credit exposure;
- To work in co-ordination with the Nomination & Remuneration Committee in order to achieve effective alignment between remuneration and risks;
- To formulate a detailed risk management policy which shall include:
 - A framework for identification of internal and external risks specifically faced by the listed entity, in particular including financial, operational, sectoral, sustainability (particularly, ESG-related risks), information, cyber security risks or any other risk as may be determined by the Committee.
 - Measures for risk mitigation including systems and processes for internal control of identified risks; and
 - Business Continuity Plan.

Corporate Governance Report

- To ensure that appropriate methodology, processes and systems are in place to monitor and evaluate risks associated with the business of the Bank;
- To monitor and oversee implementation of the Risk Management Policy, including evaluating the adequacy of risk management systems;
- To periodically review the Risk Management Policy, at least once in two years, including by considering the changing industry dynamics and evolving complexity;
- To keep the Board of Directors informed about the nature and content of its discussions, recommendations and actions to be taken;
- To review the appointment, removal and terms of remuneration, if any, of the Chief Risk Officer;
- To conduct peer bank review;
- To conduct Mid-Term Review of ICAAP;
- To review Quarterly Report of the counterparty Bank Exposure Limits and Country Risk Exposure Limits;
- To analyse divergence between internal and external ratings;
- To promote enterprise Risk Management including facilitating development of IT related enterprise Risk Management expertise;
- To review minutes of the Operational Risk Management Committee and the Credit Risk Management Committee; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. **Composition of the RMC**

As on March 31, 2023, the RMC comprised seven members of whom four members were Independent Directors, viz., Smt. P. V. Bharathi, Independent Director as Chairperson, Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Samaresh Parida, Independent Director, Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director and Shri. T. N. Manoharan, Independent Director, as members.

iii. **Quorum for the RMC Meetings**

At least half of the members attending the RMC meeting shall be Independent Directors of which at least one member shall have professional expertise/ qualification in risk management. The RMC shall be chaired by an Independent Director who shall not chair the Board or any other Committee.

iv. **Frequency of the RMC Meetings**

The RMC meetings shall be held on quarterly basis.

v. **Meetings of the RMC**

During the period under review (April 1, 2022 to March 31, 2023), five meetings of the RMC were held on May 25, 2022; June 14, 2022; September 14, 2022; December 13, 2022 and March 14, 2023.

F. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE (CSRC)

i. **Terms of Reference**

- To formulate and recommend Corporate Social Responsibility (CSR) Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the Bank in areas or subject, specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013 to the Board;
- To recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to in the above clause;
- To monitor the CSR Policy of the Bank from time-to-time;
- To oversee all activities of the Bank relating to ESG and review the ESG Policy; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the CSRC

As on March 31, 2023, the CSRC comprised five members of whom two are Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Samaresh Parida, Independent Director and Smt. P. V. Bharathi, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the CSRC Meetings

The quorum for the CSRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the CSRC, whichever is higher.

iv. Frequency of the CSRC Meetings

The CSRC meetings shall be held on half-yearly basis.

v. Meetings of the CSRC

During the period under review (April 1, 2022 to March 31, 2023), three meetings of the CSRC were held on May 26, 2022; November 30, 2022 and February 15, 2023.

G. CUSTOMER SERVICE COMMITTEE (CSC)

i. Terms of Reference

The Customer Service Committee (CSC) has been constituted to formulate policies and assess the compliance thereof internally with a view to strengthening the governance structure for customer protection and service in the Bank and also to bring about on-going improvements in the quality of customer service provided by the Bank.

The broader roles and responsibilities of the CSC are as under:

- To look into the customer grievances and effectively service customers in the retail banking segment;
- To formulate a Comprehensive Deposit Policy;
- To address issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his/ her account;
- To examine conduct of annual survey of depositor satisfaction;
- To conduct triennial audit of customer services;
- To play a more proactive role with regard to the complaints/ grievances resolved by the Banking Ombudsman of various states in India;
- To take note of all the awards given by the Banking Ombudsman;
- To review all the awards remaining unimplemented for more than three months with the reasons thereof;
- To review the measures taken for customer protection & service in the Bank;
- To revise the Grievance Redressal Policy;
- To examine any other issue having a bearing on the quality of customer service rendered;
- To review the activities of Internal Ombudsman; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the CSC

As on March 31, 2023, the CSC comprised six members of whom two were Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Sushil Kumar Singh, Government Nominee Director, Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director and Shri Bhuvanchandra B. Joshi, Independent Director, as members.

Corporate Governance Report

iii. **Quorum for the CSC Meetings**

The quorum for the CSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the CSC, whichever is higher.

iv. **Frequency of the CSC Meetings**

The CSC meetings shall be held on quarterly basis.

v. **Meetings of the CSC**

During the period under review (April 1, 2022 to March 31, 2023), four meetings of CSC were held on June 28, 2022; September 14, 2022; December 13, 2022 and March 03, 2023.

H. INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE (ITSC)

i. **Terms of Reference**

The Information Technology Strategy Committee (ITSC) has been constituted to put in place an effective technology platform in the Bank. The objectives are to render various IT-enabled services to customers, to help in streamlining the approach, to assist in launching new IT products & to provide related services and to monitor the implementation of Cyber Security Management Plans & Cyber Security Policies. The roles and responsibilities of the Committee are in line with the RBI guidelines on information security, electronic banking, technology risk management and cyber frauds and include the following:

- To review IT strategy and policy documents;
- To ensure that the management has put an effective strategic planning process in place;
- To ratify that the business strategy is indeed aligned with IT strategy;
- To ensure that the IT organisational structure complements the business model and its direction;
- To ascertain that the management has implemented processes and practices to ensure that the IT systems deliver value to the business;
- To ensure that the IT investments represent a balance of risks and benefits and that budgets are acceptable;
- To monitor the method that the management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high-level direction for sourcing and use of IT resources;
- To ensure that there is proper balance of IT investments for Bank's sustainable growth;
- To become aware about exposure towards IT risks and controls and to evaluate the effectiveness of the management's monitoring of IT risks;
- To assess the senior management's performance in implementing IT strategies;
- To issue high-level policy guidance (e.g. relating to risk, funding, or sourcing tasks);
- To confirm whether IT or business architecture is to be designed so as to derive the maximum business value from IT;
- To oversee the aggregate funding of IT at a bank-level, and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks; and
- To review IT performance measurement and contribution of IT to businesses (i.e., delivering the promised value).

The broader roles and responsibilities of the ITSC are as under:

- To recommend proposed IT budget to the Board;
- To review IT budget utilisation;

- To review the launch of various products and IT-enabled services for the Bank's customers;
- To review development, procurement and operations of various software/ hardware either in-house or purchased from outside and to formulate procedures for inviting tenders or other processes for selection of technology;
- To oversee the execution, implementation and operations of systems and procedures;
- To oversee integration of branches through technology and development of MIS for the Bank;
- To review update of technology architecture and major IT initiatives undertaken;
- To review information security incidents;
- To review Information Security Policy;
- To review IT Policy;
- To assess cyber security preparedness;
- To monitor the implementation of Cyber Security Management Plans;
- To monitor Cyber Security Policies; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the ITSC

As on March 31, 2023, the ITSC comprised seven members of which three members are Independent Directors, viz., Shri N. Jambunathan, Independent Director as Chairman, Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Manoj Sahay, Government Nominee Director, Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director and Shri T. N. Manoharan, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the ITSC Meetings

The quorum for the ITSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the ITSC, whichever is higher.

iv. Frequency of the ITSC Meetings

The ITSC meetings will be held on quarterly basis and not more than four months shall elapse between two meetings.

v. Meetings of the ITSC

During the period under review (April 1, 2022 to March 31, 2023), four meetings of the ITSC were held on May 13, 2022; August 25, 2022; November 15, 2022 and March 27, 2023.

I. NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE (NRC)

i. Terms of Reference

The broader roles and responsibilities of the Nomination & Remuneration Committee (NRC) are as under:

- To formulate the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a Director and recommend to the Board of Directors a policy relating to the remuneration of the Directors, Key Managerial Personnel and other employees;
- To specify the manner for effective evaluation of performance of the Board, its Committees and individual Directors to be carried out either by the Board, by the NRC or by an independent external agency and review its implementation and compliance;

Corporate Governance Report

- To evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the Board for every appointment of an Independent Director and on the basis of such evaluation, prepare a description of the role and capabilities required of an Independent Director. The person recommended to the Board for appointment as an Independent Director shall have the capabilities identified in such description. For the purpose of identifying suitable candidates, the NRC may:
 - Use the services of external agencies, if required;
 - Consider candidates from a wide range of backgrounds, having due regard to diversity; and
 - Consider the time commitments of the candidates.
- To formulate criteria for evaluation of performance of Independent Directors and the Board of Directors;
- To devise a policy on diversity of the Board of Directors;
- To identify persons who are qualified to become directors and who may be appointed in the senior management in accordance with the criteria laid down, and recommend to the Board of Directors their appointment and removal;
- To undertake a process of due diligence to determine the suitability of any person for appointment/ continuing to hold appointment as a Director on the Board, based upon qualification, expertise, track record, integrity, 'fit and proper' criteria, positive attributes and independence (if applicable) and on the basis of the report of performance evaluation of Directors, including Independent Directors and formulate the criteria relating thereto;
- To formulate Remuneration/ Compensation Policy for the Directors, the KMPs, etc.;
- To recommend to the Board, all remuneration, in whatever form, payable to the senior management;
- To work in co-ordination with the Risk Management Committee in order to achieve effective alignment between remuneration and risks; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the NRC

As on March 31, 2023, the NRC comprised seven members all of whom are Non-Executive Directors including five Independent Directors, viz., Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director as Chairman, Shri Sushil Kumar Singh, Government Nominee Director, Shri Mukesh Kumar Gupta, LIC Nominee Director, Shri Bhuvanchandra B. Joshi, Independent Director, Shri N. Jambunathan, Independent Director; Shri Deepak Singhal, Independent Director and Shri T. N. Manoharan, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the NRC Meetings

The quorum for the NRC meetings shall be three members of which at least half the members attending the NRC meetings shall be Independent Directors and one shall be a member of the RMC. The Chairperson of the NRC shall be an Independent Director who shall not chair the Board.

iv. Frequency of the NRC Meetings

The NRC shall meet at least once in a year.

v. Meetings of the NRC

During the period under review (April 1, 2022 to March 31, 2023), seven meetings of NRC were held on May 02, 2022; August 12, 2022; October 21, 2022; November 30, 2022; January 23, 2023; March 03, 2023 and March 28, 2023.

vi. Performance Evaluation criteria for Independent Directors

The performance evaluation of all the Directors, including Independent Directors, is done on the basis of the questionnaires prepared which covers the Corporate Governance parameters such as Board attendance, participation during the meeting, the level of Directors' contribution, the quality of knowledge and familiarity with the subject, the level of transparency, etc. The questionnaire is circulated in advance to the Directors to consider and form their opinion about the evaluations. The performance evaluation of Independent Directors is being done by the entire Board of Directors, excluding the Director being evaluated. The evaluation includes performance of the Directors on above parameters and fulfillment of the independence criteria. Further, on the basis of results of evaluation, extension of the term of an Independent Director is considered.

J. HR STEERING COMMITTEE (HRSC)

i. Terms of Reference

The HR Steering Committee (HRSC) has been constituted to deal with the matters relating to human resources and to discuss critical issues in HR.

The broader roles and responsibilities of the HRSC are as under:

- To make policies pertaining to recruitment and training;
- To review the performance management, compensation and career development initiatives;
- To consider management planning, development and succession planning;
- To align the HR strategy to the business strategy and plan;
- To consider and approve various other HR matters, including appointment of personnel, manpower assessment, promotions, etc.; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the HRSC

As on March 31, 2023, the HRSC comprised seven members of whom two members are Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Sushil Kumar Singh, Government Nominee Director, Shri Mukesh Kumar Gupta, LIC Nominee Director, Shri Deepak Singhal, Independent Director and Shri T. N. Manoharan, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the HRSC Meetings

The quorum for the HRSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the HRSC, whichever is higher.

iv. Frequency of the HRSC Meetings

The HRSC shall meet as per the need.

v. Meetings of the HRSC

During the period under review (April 1, 2022 to March 31, 2023), five meetings of the HRSC were held on June 28, 2022; August 12, 2022; November 29, 2022; March 02, 2023 and March 27, 2023.

K. RECOVERY REVIEW COMMITTEE (RRC)

i. Terms of Reference

According to the Government of India directives/ the Board's recommendation, the Recovery Review Committee (RRC) has been constituted for reviewing recovery from Non-Performing Assets (NPAs), Stressed Accounts, Written-off cases, Official Liquidator (OL) cases, Debt Recovery Tribunal (DRT) cases, etc. and to monitor the progress of recovery and so on.

Corporate Governance Report

The broader roles and responsibilities of the RRC are as under:

- To review FTNPAs and NPAs;
- To review top 100 NPAs & Technically Written-Off (TWO) accounts;
- To review Suit Filed Cases;
- To review action under SARFAESI Act-Status Report;
- To review cases referred under Insolvency & Bankruptcy Code (IBC), 2016;
- To review amount lying with Official Liquidator (OL);
- To review Special Mention Accounts (SMA);
- To review progress of Wilful Defaulters & Non-Cooperative Borrowers;
- To report compromise settlements; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the RRC

As on March 31, 2023, the RRC comprised six members of whom two members are Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Manoj Sahay, Government Nominee Director, Shri Samaresh Parida, Independent Director and Smt. P. V. Bharathi, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the RRC Meetings

The quorum for the RRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the RRC, whichever is higher.

iv. Frequency of the RRC Meetings

The RRC shall meet as per the need with at least four meetings in a year.

v. Meetings of the RRC

During the period under review (April 1, 2022 to March 31, 2023), four meetings of the RRC were held on June 29, 2022; September 28, 2022; December 28, 2022 and March 27, 2023.

L. NON-COOPERATIVE BORROWERS' REVIEW COMMITTEE (NCBRC)

i. Terms of Reference

The broader roles and responsibilities of the Non-Cooperative Borrowers' Review Committee (NCBRC) are:

- To review the internal Non-Cooperative Borrowers' Committee's orders/ decisions of classifying a borrower as non-cooperative borrower; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the NCBRC

The NCBRC was constituted comprising MD & CEO and two Independent Directors. As on March 31, 2023, the NCBRC comprised Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Deepak Singhal, Independent Director and Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the NCBRC Meetings

The presence of all members shall form the quorum for the NCBRC Meetings.

iv. Frequency of the NCBRC Meetings

The NCBRC is required to meet and review on a half-yearly basis the status of non-cooperative borrowers.

v. Meetings of the NCBRC

During the period under review (April 1, 2022 to March 31, 2023), two meetings of the NCBRC were held on July 29, 2022 and December 28, 2022.

M. WILFUL DEFAULTERS' REVIEW COMMITTEE (WDRC)

i. Terms of Reference

The broader roles and responsibilities of the Wilful Defaulters' Review Committee (WDRC) are:

- To review the internal Wilful Defaulters Committee's orders/ decisions of classifying a borrower as wilful defaulter; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the WDRC

The WDRC was constituted consisting of MD & CEO and two Independent Directors. As on March 31, 2023, the WDRC comprised Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Samaresh Parida and Smt. P.V. Bharathi, Independent Directors, as members.

iii. Quorum for the WDRC Meetings

The presence of all members shall form the quorum for the WDRC meetings.

iv. Frequency of the WDRC Meetings

The WDRC is required to meet and review as and when the decision to classify a borrower as 'Wilful Defaulter' is taken by internal Wilful Defaulters Committee of the Bank.

v. Meetings of the WDRC

During the period under review (April 1, 2022 to March 31, 2023), six meetings of the WDRC were held on May 26, 2022; July 29, 2022; September 27, 2022; November 29, 2022; December 28, 2022 and March 28, 2023.

Details of attendance of Directors for the Committee Meetings of the Bank for the FY 2022-23 are given at Table 2.

INDEPENDENT DIRECTORS' MEETING (IDM)

i. Terms of Reference

The Independent Directors shall comply with the provisions of Companies Act, 2013 read with Schedule IV of the Companies Act, 2013, Regulation 25 of the LODR Regulations and Secretarial Standards-1 on Meetings of the Board of Directors issued by the Institute of Company Secretaries of India.

The broader roles and responsibilities of the Independent Directors' Meeting are:

- To review the performance of Non-Independent Directors and the Board as a whole;
- To review the performance of the Chairperson of the Bank, taking into account the views of Executive Directors and Non-Executive Directors;
- To assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the Bank's management and the Board which is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties; and
- To carry out compliances as per the SEBI regulations, wherever applicable.

Corporate Governance Report

ii. Composition of the IDM

As on March 31, 2023, there were eight Independent Directors on the Board of the Bank, viz., Shri Gyan Prakash Joshi, Shri Bhuvanchandra B. Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal, Shri Sanjay G. Kallapur, Smt. P. V. Bharathi and Shri T. N. Manoharan. The Independent Directors elect one of themselves as the Chairperson at every meeting.

iii. Quorum for the IDM

As per Schedule IV of the Companies Act, 2013, all Independent Directors shall strive to be present at the Independent Directors' meetings.

iv. Frequency of the IDM

Independent Directors' meetings should be held at least once in a financial year.

v. Meetings of Independent Directors

During the period under review (April 1, 2022 to March 31, 2023), four meetings of Independent Directors were held on May 26, 2022; August 26, 2022; November 30, 2022 and March 28, 2023.

Table 2: Attendance of Directors at Committee Meetings for the FY 2022-23

SN	Names of Directors	ACB		EC		SRC		FMC		RMC		CSRC		CSC		ITC		NRC		HRSC		RRC		NCBRC		WDRC	
		H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A
1.	Shri T. N. Manoharan (DIN:01186248)							06	05	05	04					04	04	07	07	05	05						
2.	Shri Rakesh Sharma (DIN: 06846594)			23	23			06	06	05	05	03	03	04	04	04	04			05	05	04	04	02	02	06	06
3.	Shri Samuel Joseph Jebaraj (DIN:02262530)			23	23	04	04	06	06	05	05	03	03	04	04	04	04			05	05	04	04				
4.	Shri Suresh Khatanhar (DIN:03022106)			23	22	04	04	06	06	05	05	03	03	04	04	04	04			05	05	04	04				
5.	Shri Mukesh Kumar Gupta (DIN:06638754)	12	12															07	07	05	05						
6.	Ms. Manoj Sahay (DIN:08711612) [w.e.f. 28.04.2022]	11	06													04	01					04	02				
7.	Shri Sushil Kumar Singh (DIN: 09584577) [w.e.f. 28.04.2022]													04	02			06	03	05	01						
8.	Shri Gyan Prakash Joshi (DIN:00603925)	12	12					06	06					04	04	04	04	07	07								
9.	Shri Bhuvanchandra B. Joshi (DIN:06713850)			23	23			06	06					04	04			07	07								
10.	Shri Samaresh Parida (DIN:01853823)	12	12							05	05	03	03									04	04			06	06
11.	Shri N. Jambunathan (DIN:05126421)			23	23	04	04									04	04	07	07								
12.	Shri Deepak Singhal (DIN:08375146)			23	23													07	07	05	05			02	02		
13.	Shri Sanjay G. Kallapur (DIN:08377808)	12	12			04	04	04	03	05	05												02	02			
14.	Smt. P. V. Bharathi (DIN:06519925)	12	12							05	05	03	03									04	04			06	06

(H = Held/ A = Attended)

MATRIX SETTING OUT SKILLS/ EXPERTISE/ COMPETENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AS ON MARCH 31, 2023 AND NAMES OF THE DIRECTORS WHO POSSESS SUCH SKILL ARE MENTIONED IN THE TABLE BELOW

	Accountancy	Agriculture and Rural Economy	Banking	Co-operation	Economics	Finance	Law	Small-scale industry	HR	Risk	IT	Payment and Settlement	Business Management	Administration	Corporate governance
Shri T. N. Manoharan	√		√		√	√	√	√	√	√			√	√	√
Shri Rakesh Sharma	√	√	√		√			√	√	√			√	√	√
Shri Samuel Joseph Jebaraj	√		√			√			√	√	√		√	√	√
Shri Suresh Khatanhar	√	√	√			√		√		√	√		√	√	√
Shri Mukesh Kumar Gupta			√			√			√	√	√		√	√	√
Shri Raj Kumar									√				√	√	√
Shri Manoj Sahay	√					√								√	√
Shri Sushil Kumar Singh	√					√			√					√	√
Shri Gyan Prakash Joshi		√				√		√		√				√	√
Shri Bhuvanchandra B. Joshi		√	√					√						√	√
Shri Samaresh Parida	√	√				√					√		√	√	√
Shri N. Jambunathan		√	√					√			√	√		√	√
Shri Deepak Singhal		√	√						√				√	√	√
Shri Sanjay G. Kallapur	√				√	√				√				√	√
Smt. P. V. Bharathi		√	√		√			√		√				√	√

ANNUAL RETURN

Pursuant to Section 134(3)(a) and Section 92(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Annual Return of the Bank is disclosed on its website at <https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx>.

STATEMENT ON DECLARATION GIVEN BY INDEPENDENT DIRECTORS

In terms of Section 149(7) of the Companies Act, 2013, Shri Gyan Prakash Joshi, Shri Bhuvanchandra B. Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal, Shri Sanjay G. Kallapur, Smt. P. V. Bharathi and Shri T. N. Manoharan, Independent Directors of the Bank have given declaration on April 01, 2023, that they meet the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Clause (b) of Sub-regulation (1) of Regulation 16, 17(10) of the LODR Regulations and Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and that they are not aware of any circumstance or situation, which exist or may be reasonably anticipated that could impair or impact their ability to discharge their duties with an objective independent judgement and without any external influence. The Directors, along with the annual disclosures, also provided a confirmation stating that they have complied with the provisions of Sub-rule 1 and 2 of Rule 6 of the Companies (Appointment & Qualification of Directors) Fifth Amendment Rules, 2019 regarding registration in the Independent Directors Databank & renewal and passed/ exempted from the online proficiency test thereof. The same was noted by the Board of Directors on April 29, 2023 and after undertaking due assessment of the veracity of the same, the Board was of the opinion that the Independent Directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the Management. Further, in the opinion of the Board, the Independent Directors possess the requisite integrity, experience, expertise and proficiency required under all applicable laws and the policies of the Bank.

COMPANY'S POLICY ON DIRECTORS' APPOINTMENT AND REMUNERATION

The Bank's Policy on Directors' Appointment & Evaluation is available on its website (www.idbibank.in) under the link <https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx>.

COMPANY'S DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

The Bank's Policy on Dividend Distribution is available on its website (www.idbibank.in) under the link <https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx>.

COMPLIANCE WITH SECRETARIAL STANDARDS

The Bank has adopted the Secretarial Standards namely SS-1 (Secretarial Standard on Board Meetings) and SS-2 (Secretarial Standards on General Meetings) issued by The Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and notified under the Companies Act, 2013. The Bank has conducted its Board, Committee and General Meetings in accordance with these standards and is in compliance with the same.

INTERNAL AUDITOR

The Bank has an in-house Internal Audit Department which carries out the Internal Audit functions. Shri Sunit Sarkar, Executive Director, IDBI Bank Ltd., was designated as Head-Internal Audit in terms of Section 138 of the Companies Act, 2013. With effect from May 08, 2023, Shri Badri Srinavasa Rao, Executive Director has been designated as the Head-Internal Audit in place of Shri Sunit Sarkar. In line with the RBI's guidelines on Risk Based Internal Audit (RBIA), the Bank has also adopted a robust Internal Audit Policy.

DISCLOSURE ON CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS INITIATED UNDER THE INSOLVENCY & BANKRUPTCY CODE, 2016 (IBC)

These provisions are not applicable for banking companies.

BOARD'S COMMENTS ON EVERY QUALIFICATION, RESERVATION OR ADVERSE REMARK OR DISCLAIMER MADE BY THE AUDITORS OR SECRETARIAL AUDITORS IN THEIR REPORT AND STATEMENT ON IMPACT OF AUDIT QUALIFICATIONS AS STIPULATED IN REGULATION 33(3)(D) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

There are no qualifications, reservation or adverse remarks or disclaimers either in the Statutory Auditors' Report or in the Secretarial Auditors' Report which require the Board's comments thereon in terms of Section 134(3)(f) of the Companies Act, 2013. Further, pursuant to Section 143(12) of the Companies Act, 2013, the Statutory Auditors of the Bank have not reported any instances of frauds committed in the Bank by its officers or employees.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

The provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013, except sub-section (1), do not apply to a loan made, guarantee given or security provided by a banking company in the ordinary course of business. The particulars of investments made by the Bank are disclosed in Schedule 8 of the financial statements as per the applicable provisions of the Banking Regulation Act, 1949.

PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES IN THE PRESCRIBED FORM

In terms of Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the particulars of contracts or arrangements, if any, with Related Parties are in the prescribed Form AOC -2 which is annexed to the report as **Annexure-A**.

REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The CSR Policy framework of the Bank is available on its website (www.idbibank.in) under the link <https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.aspx>. The Annual Report on the CSR activities undertaken by the Bank is annexed to the Report as **Annexure-B**.

RISK MANAGEMENT POLICY

The Bank follows a detailed and comprehensive risk management system which is constantly updated based on the RBI's regulatory guidelines issued in this regard from time-to-time. A dedicated Risk Management Committee of the Board regularly reviews comprehensively the risk matters and risk-related aspects of the Bank. The Board of Directors of the Bank also periodically reviews the risk assessment and minimisation procedures followed in the Bank as well as the capital requirements of the Bank.

STATEMENT INDICATING THE MANNER OF FORMAL ANNUAL EVALUATION OF BOARD, ITS COMMITTEES AND INDIVIDUAL DIRECTORS

In terms of Section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(4) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the details on the captioned matter are furnished herein below:

- (i) Independent Directors' at their meeting held on March 28, 2023 evaluated the performance of all Non-Independent Directors, the Chairman of the Board as well as the performance of the Board as a whole.
- (ii) The Board, at its meeting held on March 28, 2023, evaluated the performance of all the Directors on the Board including the Independent Directors, its own performance as well as the performance of Committees of the Board. The evaluation of all the Individual Directors was done by the entire Board, which apart from Corporate Governance parameters, also included evaluation of Independent Directors on (a) review of their performance in meetings and (b) fulfillment of the independence criteria as specified in the Companies Act, 2013 and LODR Regulations and their independence from the Management. The Director concerned being evaluated by the Board did not participate in the meeting during the process of his/ her own evaluation.

For the purpose of the annual evaluation by Independent Directors and the Board, blank evaluation sheets in respect of Individual Directors, Board Committees and the Board were circulated in advance to Individual Directors through e-mails to enable the Directors to form their opinion in advance and help finalise the evaluation process at the respective meetings. The Chairman of Independent Directors' meeting and Chairman of the Board authorised by the Board, signed the evaluation sheets on behalf of Independent Directors' and the Board respectively after finalisation of the evaluation. The MD & CEO was authorised to sign the evaluation sheet of Chairman of the Board.

CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS, IF ANY

During the period under review, the Bank continued to carry on the business of banking and there was no change in the nature of its business.

CHANGE IN DIRECTORS/ KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Name of Director	Designation	Nature of Change	Date
Shri Anshuman Sharma	Government of India, Nominee Director	Cessation	11.04.2022
Shri Manoj Sahay	Government of India Nominee Director	Appointment	28.04.2022
Shri Sushil Kumar Singh	Government of India Nominee Director	Appointment	28.04.2022
Shri M. R. Kumar	Non-Executive Non-Whole time Chairman	Cessation	08.05.2022
Shri T. N. Manoharan	Independent Director & Part-time Chairman	Change in Designation	09.05.2022
Shri Raj Kumar	LIC Nominee Director	Appointment	19.05.2022
Shri Pothukuchi Sitaram	CFO	Cessation	31.03.2023
Smt. Smita Harish Kuber	CFO	Appointment	01.04.2023
Shri Samuel Joseph Jebaraj	Dy. Managing Director	Cessation	05.04.2023

REMUNERATION OF DIRECTORS

IDBI Bank, being a Private Sector Bank w.e.f. January 21, 2019, the remuneration and perquisites of the MD & CEO and DMDs are approved by the RBI as per Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949. The details of remuneration paid to MD & CEO and DMDs are given in the table below. There have been no pecuniary relationships/ transactions of Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the period under review.

Elements of Remuneration of MD & CEO and DMDs for FY 2022-23 (Annual)

Particulars	Shri Rakesh Sharma (MD & CEO)	Shri Samuel Joseph Jebaraj (DMD)	Shri Suresh Khatanhar (DMD)
			[Amount in ₹]
Salary	93,00,000	55,00,000	55,00,000
Provident Fund	9,30,000	5,50,000	5,50,000
Gratuity	3,87,500	2,29,167	2,29,167
Leave Fare Concession / Allowance	2,84,425	1,96,298	1,96,298
Entertainment Expenses	2,40,000	1,20,000	1,20,000
Perquisites*	25,73,174	13,43,174	13,43,174
Variable Pay [^]	2,05,72,648	95,26,366	95,26,366
ESOP/ ESOS ^{\$}	-	-	-

* Perquisites include provision of free furnished house & its maintenance, club membership and other perquisites;

[^] Variable Pay has two components, viz. cash component and cash component in lieu of ESOPs. The cash component, which is 1/3rd of the Total Variable Pay, has an upfront portion of 50% and balance is deferred over a period of 3 years (12.5%, 12.5% & 25% payable after 1 year, 2 years and 3 years respectively from the date of grant). The Cash Component in lieu of ESOPs, which is 2/3rd of the Total Variable Pay, has no upfront component and is deferred over a period of 4 years (15%, 20%, 30% & 35% payable after 1 year, 2 years, 3 years & 4 years respectively from the date of grant).

^{\$} No ESOPs were granted in the FY 2022-23.

Note: RBI approval for the remuneration payable for FY 2022-23 was received on January 30, 2023. The difference in total payment, if any, will be paid during the current financial year.

Tenure	Shri Rakesh Sharma - Shri Rakesh Sharma was appointed as MD & CEO of the Bank for a period of three years with effect from March 19, 2019 as per the RBI approval dated March 7, 2019. On the conclusion of the term, Shri Rakesh Sharma has been subsequently reappointed as MD & CEO for a period of three years w.e.f. March 19, 2022 as approved by the RBI vide their letter dated February 15, 2022. The shareholder approval was obtained by postal ballot on May 5, 2022.
	<p>Shri Samuel Joseph Jebaraj - Shri Samuel Joseph Jebaraj was appointed as the DMD by the Board at its meeting held on September 19, 2019 for a period of three years w.e.f. the date of taking over the charge of the post as per the RBI letter dated September 4, 2019. Shri Samuel Joseph Jebaraj took charge on September 20, 2019. On the conclusion of the term, Shri Samuel Joseph has been subsequently reappointed as DMD for a period of three years w.e.f. September 20, 2022 as approved by the RBI vide their letter dated September 01, 2022. The shareholder approval was obtained by postal ballot on December 02, 2022. Shri Samuel Joseph ceased to be DMD w.e.f. close of business on April 5, 2023.</p> <p>Shri Suresh Khatanhar - Shri Suresh Khatanhar was appointed as DMD by the Board at its meeting held on January 15, 2020 for a period of three years w.e.f. the date of taking over the charge of the post as per RBI letter dated January 9, 2020. Shri Suresh Khatanhar took charge on January 15, 2020. On the conclusion of the term, Shri Khatanhar has been subsequently reappointed as DMD for a period of one year w.e.f. January 15, 2023 as approved by the RBI vide their letter dated December 22, 2022. The shareholder approval was obtained by postal ballot on January 31, 2023.</p>

CRITERIA FOR MAKING PAYMENTS TO NON-EXECUTIVE DIRECTORS

All the Non-Executive Directors, except the Government Nominee Directors, are only paid sitting fees. The rate of sitting fees for Board is ₹ 80,000/- per meeting and ₹ 50,000/- per meeting for all Board Committee meetings. Apart from the remuneration to MD & CEO and DMDs and the sitting fees to the Non-Executive Directors as above, no other remuneration was paid to the Directors, except the expenditure upon their travel, stay and transport incurred by the Bank.

Aggregate amount of sitting fees paid to Non-Executive Directors including Independent Directors for FY 2022-23 is as detailed below

Name of the Non-Executive Director	Sitting fees paid for FY 2022-23 (₹)
Shri T. N. Manoharan, Independent Director & part-time Chairman	24,10,000
Shri Mukesh Kumar Gupta, LIC Nominee Director	21,60,000
Shri Raj Kumar, LIC Nominee Director [being paid to LIC up to 31.01.2023 & being paid to the Director w.e.f. 01.02.2023]	6,40,000
Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director	27,10,000
Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director	31,60,000
Shri Samaresh Parida, Independent Director	26,60,000
Shri N. Jambunathan, Independent Director	30,60,000
Shri Deepak Singhal, Independent Director	30,10,000
Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director	24,60,000
Smt. P. V. Bharathi, Independent Director	26,60,000

DISCLOSURE UNDER RULE 5 OF THE COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014

The appointment and remuneration of the MD & CEO and the DMDs is approved by the RBI under Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949 after the same is recommended by the Nomination & Remuneration Committee and the Board. Other Directors on the Board do not get any remuneration except the sitting fees for attending meetings as mentioned in the paragraph on criteria for making payments to Non-Executive Directors. The other employees of the Bank, including the Key Managerial Personnel (KMPs), i.e., Chief Financial Officer and the Company Secretary, get remuneration as applicable to the officials in similar grades of the Bank. Periodical revision in the pay scales of employees, including the KMPs, does have relationship with many factors, including the Bank's performance. The Bank has not made any Follow-on Public Offer (FPO) and hence, no comparison in market quotation of the Bank's shares is possible. However, the market price of the Bank's shares for FY 2022-23, financial ratios, etc. are disclosed in the Annual Report.

As per the RBI Circular dated November 4, 2019, variable pay shall be applicable to Whole-time Directors (WTDs), Material Risk Takers and Control Function staff of the Bank. The remuneration payable to WTDs is as mentioned in the paragraph 'Elements of Remuneration of MD & CEO and DMDs for FY 2022-23'. A Compensation Policy covering all aspects of compensation viz. Fixed Pay & Perquisites, Variable Pay (Cash & Shares linked), Superannuation/ Retirement Benefits (PF, Pension/ NPS & Gratuity) etc., has been formulated taking into account the RBI guidelines for Material Risk Takers, Control Function Staff and other employees of the Bank. The RBI guidelines mandate deferral of Variable Pay, which has been incorporated in the Compensation Policy of the Bank. Variable pay for FY 2021-22 to all eligible employees was paid after the completion of performance appraisal for FY 2021-22 as per the Compensation Policy.

The details in terms of Section 197(12) of the Companies Act, 2013, read with Rule 5(1) of the Companies (Appointment & Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, are given below:

The number of regular employees on the rolls of the Bank;	17,850 (out of which 1,596 employees were on contract basis)								
The ratio of the remuneration of each Director to the median remuneration of the employees of the company;	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of the Executive Director</th> <th>Ratio of remuneration to the median of all employees</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Shri Rakesh Sharma, MD & CEO</td> <td>10.56</td> </tr> <tr> <td>Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD</td> <td>6.01</td> </tr> <tr> <td>Shri Suresh Khatanhar, DMD</td> <td>6.08</td> </tr> </tbody> </table>	Name of the Executive Director	Ratio of remuneration to the median of all employees	Shri Rakesh Sharma, MD & CEO	10.56	Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD	6.01	Shri Suresh Khatanhar, DMD	6.08
Name of the Executive Director	Ratio of remuneration to the median of all employees								
Shri Rakesh Sharma, MD & CEO	10.56								
Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD	6.01								
Shri Suresh Khatanhar, DMD	6.08								

Corporate Governance Report

The percentage increase in remuneration of each Director, Chief Financial Officer, Chief Executive Officer, Company Secretary or Manager, if any, in the financial year;	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Designation</th> <th>Percentage Increase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MD & CEO</td> <td>86.40</td> </tr> <tr> <td>DMDs</td> <td>41.19</td> </tr> <tr> <td>CFO</td> <td>37.62</td> </tr> <tr> <td>CS</td> <td>-3.53*</td> </tr> </tbody> </table>	Designation	Percentage Increase	MD & CEO	86.40	DMDs	41.19	CFO	37.62	CS	-3.53*
Designation	Percentage Increase										
MD & CEO	86.40										
DMDs	41.19										
CFO	37.62										
CS	-3.53*										
The percentage increase in the median remuneration of employees in the financial year; Average percentile increase already made in the salaries of employees other than the managerial personnel in the last financial year and its comparison with the percentile increase in the managerial remuneration and justification thereof and point out if there are any exceptional circumstances for increase in the managerial remuneration;	<p>*Remuneration paid during FY 2021-22 included arrears paid on account of revision in pay & allowances for the period from November 1, 2017 to the date of implementation of revised salary.</p> <p>7.36%</p> <p>The average remuneration increase for non-managerial personnel of the Bank during FY 2022-23 was (-4.60%) and the average remuneration increase for the managerial personnel of the Bank was 49.69%. (The remuneration of employees during FY 2021-22 included the arrears paid on account of revision in pay & allowances for the period from November 1, 2017 to the date of implementation of revised salary.)</p>										
Affirmation that the remuneration is as per the remuneration policy of the Bank.	Yes										

GENERAL BODY MEETINGS

A. The last three Annual General Meetings (AGMs) of the Bank were held as under:

Details of Annual General Meetings of IDBI Bank Ltd.

Location and time of the last three AGMs	<ol style="list-style-type: none"> 1) August 17, 2020 held exclusively through video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) at 3:30 p.m. (16th AGM of the Bank) 2) August 10, 2021 held exclusively through video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) at 2:00 p.m. (17th AGM of the Bank) 3) July 22, 2022 held exclusively through video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) at 11:00 a.m. (18th AGM of the Bank)
Whether Special Resolutions were passed in previous three AGMs	<p>➤ For 16th AGM Special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 42, 62(1)(c) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital aggregating to not more than ₹ 11,000 crore (inclusive of premium amount) and empowering the Board to take specific decision in this regard and (ii) the Amendment to the Articles of Association of the Bank, were passed at the 16th AGM held on August 17, 2020.</p> <p>➤ For 17th AGM Special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 42, 62(1)(c) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital aggregating to not more than ₹ 7,500 crore (inclusive of premium amount) and empowering the Board to take specific decision in this regard; (ii) Approval for Scheme of Reduction of Share Capital for setting off accumulated losses aggregating to ₹ 45,396.18 crore by utilising the balance of ₹ 50,719.75 crore standing to the credit of Securities Premium Account as on April 01, 2021; (iii) Alteration to the Article of Association of the Bank; (iv) taking shareholders' approval u/s 149 of the Companies Act, 2013 for re-appointment of Shri Bhuvanchandra B. Joshi (DIN:06713850) as Independent Director of the Bank for the second term of four years w.e.f. October 09, 2021, were passed at the 17th AGM of the Bank held on August 10, 2021.</p>

➤ **For 18th AGM**

Special resolution for taking shareholders' approval u/s 42, 62(1)(c) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital aggregating to not more than ₹ 5,000 crore (inclusive of premium amount) and empowering the Board to take specific decision in this regard was passed at the 18th AGM of the Bank held on July 22, 2022.

Whether any special resolution was passed last year through postal ballot – details of voting pattern

Yes. The details of voting have been submitted to the Stock Exchanges and also available on the website of the Bank at <https://www.idbibank.in/agm-egm-postal-ballot-voting-results-fy-2022-23.aspx>.

The details of Voting pattern are given in the following tables.

Postal Ballot notice dated March 30, 2022

Resolution No.	Details of Resolution	Votes in favour	Votes Against
1.	Re-appointment of Shri Rakesh Sharma (DIN: 06846594) as a Non-rotational Director and Managing Director & Chief Executive officer of the Bank for a period of three years w.e.f. March 19, 2022, as approved by the RBI (Ordinary Resolution).	5,60,87,11,337 (99.9955%)	2,51,911 (0.0045%)
2.	Appointment of Shri Mukesh Kumar Gupta (DIN: 06638754) as LIC Nominee Director, liable to retire by rotation, on the Board of the Bank, w.e.f. February 10, 2022 (Ordinary Resolution).	5,60,87,18,447 (99.9956%)	2,45,592 (0.0044%)
3.	Appointment of Shri T.N. Manoharan (DIN: 01186248) as an Independent Director, not liable to retire by rotation, on the Board of the Bank for a term of 4 consecutive years w.e.f. February 24, 2022 (Special Resolution).	5,60,88,49,327 (99.9979%)	1,15,023 (0.0021%)
4.	Re-appointment of Shri Samaresh Parida (DIN: 01853823) as an Independent Director, not liable to retire by rotation, on the Board of the Bank for the second term of 4 consecutive years w.e.f. May 19, 2022 (Special Resolution).	5,60,88,35,317 (99.9977%)	1,27,591 (0.0023%)
5.	Re-appointment of Shri Jambunathan Narayanan (DIN: 05126421) as an Independent Director, not liable to retire by rotation, on the Board of the Bank for the second term of 4 consecutive years w.e.f. May 19, 2022 (Special Resolution).	5,60,87,80,995 (99.9968%)	182,135 (0.0032%)
6.	Approval of Material Related Party Transactions with Life Insurance Corporation of India for the FY 2022-23 (Ordinary Resolution).	1,75,31,858 (99.0981%)	1,59,563 (0.9019%)

Postal Ballot notice dated October 27, 2022:

Resolution No.	Details of Resolution	Votes in favour	Votes Against
1.	Re-appointment of Shri Samuel Joseph Jebaraj (DIN: 02262530) as Deputy Managing Director of the Bank for a period of three years w.e.f. September 20, 2022, as approved by the RBI (Ordinary Resolution).	5,60,48,29,684 (99.9923%)	4,29,914 (0.0077%)
2.	Re-appointment of Shri Deepak Singhal (DIN: 08375146) as an Independent Director, not liable to retire by rotation, on the Board of the Bank for the second term of 4 consecutive years w.e.f. February 28, 2023 (Special Resolution).	5,60,45,56,379 (99.9875%)	7,01,916 (0.0125%)
3.	Re-appointment of Shri Sanjay Gokuldas Kallapur (DIN: 08377808) as an Independent Director, not liable to retire by rotation, on the Board of the Bank for the second term of 4 consecutive years w.e.f. March 5, 2023 (Special Resolution).	5,60,48,24,009 (99.9923%)	4,34,162 (0.0077%)

Corporate Governance Report

Postal Ballot notice dated December 30, 2022:

Resolution No.	Details of Resolution	Votes in favour	Votes Against
1.	Alteration of Authorised Share Capital of the Bank to comply with Section 12(1)(i) of the Banking Regulation Act, 1949 (Special Resolution).	5,64,46,27,425 (99.9973%)	1,53,003 (0.0027%)
2.	Re-appointment of Shri Suresh Kishinchand Khatanhar (DIN: 03022106) as Deputy Managing Director of the Bank for a period of one year w.e.f. January 15, 2023, as approved by the RBI (Ordinary resolution).	5,64,45,56,818 (99.9963%)	2,11,619 (0.0037%)
Person who conducted the postal ballot exercise	The Board of Directors of the Bank, appointed Ms. Aparna Gadgil or failing her Mr. Viswanathan N.S. of S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot e-voting process in a fair and transparent manner.		
Whether any special resolution is proposed to be conducted through postal ballot	No special resolution is proposed to be passed through postal ballot.		
Procedure for Postal Ballot	<p>Pursuant to General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 and the previous circulars on COVID-19 related relaxations issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) applicable in this regard ("MCA Circulars"), Section 108 & 110 of Companies Act, 2013 and applicable rules, provisions of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable law, rules and regulations the special businesses given in the notice were approved by the members of IDBI Bank Ltd. only by way of voting through electronic means.</p> <p>During FY 2022-23, the Bank had issued three Postal Ballot Notices on March 30, 2022; October 27, 2022 and December 30, 2022. Accordingly, the Resolutions as set out in the Postal Ballot Notices dated March 30, 2022; October 27, 2022 and December 30, 2022 were passed with requisite majority on May 05, 2022; December 02, 2022 and February 02, 2023, respectively.</p>		

MEANS OF COMMUNICATION

Apart from providing the detailed Annual Report on the Bank's working, consisting of the Board's Report as required under Section 134 of the Companies Act, 2013 and the Annual Accounts, the Bank regularly brings out its quarterly results for information of its shareholders. These are published in one English language newspaper, viz., the Financial Express, having nationwide circulation and in one regional language newspaper, viz., Loksatta and these advertisements are intimated to the stock exchanges. The aforesaid information is also displayed on the Bank's website <https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx> along with the official press release and presentations made to institutional investors and analysts.

GENERAL SHAREHOLDERS' INFORMATION

i.	Date, time and venue of AGM	Thursday, July 13, 2023, 11:00 a.m., through video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM).
ii.	Financial Year	April 1, 2022 to March 31, 2023
iii.	Record Date	July 6, 2023
iv.	Dividend Payment Date	Will be paid/ dispatched on or after July 14, 2023
v.	E-voting period in terms of Regulation 44 of LODR Regulations and section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014	E-voting period commences on and from Saturday, July 08, 2023 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, July 12, 2023 at 5.00 p.m. (IST).

vi.	Book closure date	July 07, 2023 to July 13, 2023 (both days inclusive)															
vii.	Listing on Stock Exchanges and confirmation of payment of Annual listing fee	<p>1. BSE Ltd. (BSE) Address: 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001</p> <p>2. National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) Address: Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C / 1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051.</p> <p>The bonds issued in the domestic market comprised privately placed bonds and are listed on the BSE/ NSE.</p> <p>Listing fees as applicable have been paid.</p>															
viii.	Stock code/ Symbol	BSE – 500116, NSE – IDBI															
ix.	Registrar and Share Transfer Agents	KFin Technologies Ltd. Unit : IDBI Equity, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032															
x.	Share Transfer system	<p>In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly, the Bank's shares which are held in dematerialised form only are freely transferable through the depository systems.</p> <p>Requests for issue of duplicate share certificates/ deletion/ transmission/ transposition received by the Bank during the financial year ended March 31, 2023 were approved by an internal committee called Share Transfer Committee (comprising Executive Directors/ Chief General Managers) and were processed as per SEBI's extant operational guidelines.</p>															
xi.	Financial Calendar	<p>April 1, 2022 to March 31, 2023</p> <p>Quarterly Results were approved on:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Results as on</th> <th>Board Meeting</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>June 2022</td> <td>July 21, 2022</td> </tr> <tr> <td>September 2022</td> <td>October 21, 2022</td> </tr> <tr> <td>December 2022</td> <td>January 23, 2023</td> </tr> <tr> <td>March 2023</td> <td>April 29, 2023</td> </tr> </tbody> </table>	Results as on	Board Meeting	June 2022	July 21, 2022	September 2022	October 21, 2022	December 2022	January 23, 2023	March 2023	April 29, 2023					
Results as on	Board Meeting																
June 2022	July 21, 2022																
September 2022	October 21, 2022																
December 2022	January 23, 2023																
March 2023	April 29, 2023																
xii.	Dematerialisation of Shares & Liquidity	<p>The Bank's shares can be compulsorily traded in the stock exchanges in dematerialised form only.</p> <p>The number of shares held in dematerialised and physical mode as on March 31, 2023 is as under:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No. of shares</th> <th>% of total Capital issued</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Held in dematerialised form in NSDL</td> <td>5667501273</td> <td>52.71</td> </tr> <tr> <td>Held in dematerialised form in CDSL</td> <td>5078599527</td> <td>47.23</td> </tr> <tr> <td>Physical</td> <td>6301375</td> <td>0.06</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>10752402175</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table>		No. of shares	% of total Capital issued	Held in dematerialised form in NSDL	5667501273	52.71	Held in dematerialised form in CDSL	5078599527	47.23	Physical	6301375	0.06	Total	10752402175	100.00
	No. of shares	% of total Capital issued															
Held in dematerialised form in NSDL	5667501273	52.71															
Held in dematerialised form in CDSL	5078599527	47.23															
Physical	6301375	0.06															
Total	10752402175	100.00															

Corporate Governance Report

xiii. Listing of Debt Securities	Unsecured Long-term Rupee Bonds/ Debentures issued by the Bank and outstanding in the books of the Bank as on March 31, 2023, are listed on the debt segment of the BSE and the NSE.
xiv. Debenture Trustee	<p>SBICAP Trustee Company Ltd., Address: 4th Floor, Mistry Bhavan, 122 Dinshaw Vachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020 Telephone number : 022 4302 5555/ 5566 E-mail ID of the Principal officer of the Trustee– corporate@sbicaptrustee.com</p>
xv. Outstanding Global Depository Receipts (GDRs)/ American Depository Receipts (ADRs)/ warrants or convertible instruments, conversion date and likely impact on equity	IDBI Bank has not issued GDRs/ ADRs/ Warrants, etc.
xvi. Plant Locations	<p>Not applicable. However, the information about the locations of the Bank’s branches is available on its website (www.idbibank.in).</p>
xvii. Address for Correspondence	<p>IDBI Bank Ltd. CIN – L65190MH2004GOI148838 Address: Equity Cell - Board Department, IDBI Bank Ltd., 22nd floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005 Phone: 022-66552711/ 3147/ 3062/ 3336 E-mail: idbiequity@idbi.co.in Website: www.idbibank.in Registrar & Transfer Agents KFin Technologies Ltd. (Unit IDBI Equity) Address: Selenium Tower B, Plot. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 Toll Free Number: 1-800-3454-001 Website: www.kfintech.com E-mail: einward.ris@kfintech.com</p>
xviii. List of Credit Rating obtained by the Bank	The Credit Rating details are provided in the Management Discussion & Analysis section of the Annual Report.
xix. Market price data	Refer Table i
xx. Performance in comparison to broad-based indices such as BSE Sensex, etc.	Refer Table ii
xxi. Distribution of shareholding	Refer Table iii

Table i


IDBI Bank Ltd.'s Share Price Movement on the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) & BSE Ltd.(BSE) : April 2022 – March 2023

(₹)

Month	NSE		BSE		Month	NSE		BSE	
	High	Low	High	Low		High	Low	High	Low
Apr 2022	48.75	44.15	48.80	44.15	Oct 2022	46.55	41.20	46.55	41.20
May 2022	45.50	33.15	45.50	33.15	Nov 2022	54.30	43.45	54.25	43.45
June 2022	37.45	30.80	37.45	30.80	Dec 2022	58.85	48.80	58.85	48.80
July 2022	36.80	30.75	36.75	30.75	Jan 2023	59.00	50.45	59.05	50.45
Aug 2022	45.75	36.40	45.75	36.35	Feb 2023	50.95	48.15	50.90	48.15
Sept 2022	46.25	40.10	46.30	40.05	Mar 2023	49.55	43.30	49.60	43.29

Table ii

The performance of IDBI Bank equity share relative to the BSE Sensitive Index (Sensex) during the period April 1, 2022 to March 31, 2023 is given in the following chart –



Corporate Governance Report

Table iii:

The details of shareholding in the Bank by the major categories of the shareholders and the distribution schedule as at March 31, 2023 is presented below:

Shareholding Pattern as on March 31, 2023

Category of Shareholders	No. of Shares Held	% to Total
Life Insurance Corporation of India (Promoter with Management control)	5294102939	49.24
Government of India (co-promoter without Management control)	4889871903	45.48
Employees	694865	0.01
Public	438049125	4.07
Hindu Undivided Family	16053367	0.15
Bodies corporate	48350718	0.45
Institutions		
A) Banks	1176168	0.01
B) Foreign Institutional Investors	100	0.00
C) State Finance Corporations	0	0.00
D) Financial Institutions	0	0.00
E) Mutual Funds	915259	0.01
Societies	24800	0.00
Trusts	557216	0.01
Insurance Companies	14873622	0.14
NBFC	2650096	0.02
Alternative Investment Fund	42500	0.00
Directors, KMPs & Relatives		
(i) Shri Rakesh Sharma, MD & CEO	4400	0.00
(ii) Shri J Samuel Joseph, DMD	0	0.00
(iii) Shri Suresh Khatanhar, DMD	24200	0.00
(iv) Smt. Muthu Lakshmi Ramaswamy (Spouse of Shri. J Samuel Joseph, DMD)	15000	0.00
NRIs	12751568	0.12
Foreign Nationals	1000	0.00
Foreign Portfolio Investors	23266744	0.22
IEPF	8548062	0.07
NSDL (transit)	428523	0.00
GRAND TOTAL	10752402175	100.00

Distribution Schedule as at March 31, 2023

Sr. No.	Category		No. of share-holders	% to total share-holders	Amount (₹)	% to total Amount
	From	To				
1	1	5000	600327	98.42	170425397	1.57
2	5001	10000	4874	0.80	37240049	0.35
3	10001	20000	2505	0.41	36483707	0.34
4	20001	30000	742	0.12	18694189	0.17
5	30001	40000	372	0.06	13216419	0.12
6	40001	50000	285	0.05	13277466	0.12
7	50001	100000	467	0.08	33551654	0.31
8	100001 & above		382	0.06	10429513294	97.02
	Total		609954	100.00	10752402175	100.00

OTHER DISCLOSURES

i. DETAILS RELATING TO DEPOSITS COVERED UNDER CHAPTER V OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND DETAILS OF DEPOSITS WHICH ARE NOT IN COMPLIANCE OF THE REQUIREMENTS OF CHAPTER V OF THE ACT

In terms of proviso to Section 73(1) of the Companies Act, 2013, nothing in this sub-section shall apply to a banking company and hence, the requirement of disclosure of captioned details is not applicable to IDBI Bank.

ii. DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE

There were no orders passed by the regulators or courts or tribunals during FY 2022-23 which could impact the going concern status and IDBI Bank's operations in future.

Further, the Bank had filed an application with the National Company Law Tribunal (NCLT) in September 2021 for Reduction of Share Capital of the Bank by setting off accumulated losses of the Bank as on April 01, 2021 with the balance standing to the credit of Securities premium account as on that date. The NCLT vide their order dated March 29, 2023 have approved the said reduction of share capital of the Bank.

iii. THE NAMES OF COMPANIES WHICH HAVE BECOME OR CEASED TO BE ITS SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES OR ASSOCIATE COMPANIES DURING THE YEAR

No subsidiaries, Joint Ventures or Associate Companies have been formed during the FY 2022-23 and no Subsidiaries or Associate Companies have ceased to be the same during the FY 2022-23.

Further, Ageas Federal Life Insurance Company Ltd. (formerly IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.) has ceased to be the Joint Venture of the Bank during the FY 2022-23.

iv. FAMILIARISATION PROGRAMME FOR INDEPENDENT DIRECTORS

The Independent Directors are being regularly familiarised with the business of the Bank, their duties & responsibilities and the compliance requirements in the Bank as per the changes in the regulatory environment. Further, the Independent Directors were nominated for/ deputed to various training programmes during FY 2022-23.

The detailed status in this regard is provided on the Bank's website (www.idbibank.in) under the following link: <https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp>.

Corporate Governance Report

v. ESTABLISHMENT OF VIGIL MECHANISM

The Bank has a Board-approved Vigil Mechanism Policy in compliance with the statutory/ regulatory requirements. The report on Vigil Mechanism is submitted to the Board on a regular basis. During FY 2022-23, no personnel were denied access to the Audit Committee. The Policy on Vigil Mechanism giving details of establishment of Vigil Mechanism has been disclosed by the Bank on its website (www.idbibank.in) under the following link: <https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp>.

vi. POLICY FOR DETERMINING MATERIAL SUBSIDIARIES

In terms of the requirement of Regulation 46 of the LODR Regulations, the policy for determining material subsidiaries is available on the Bank's website (www.idbibank.in) under the following link: <https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp>.

vii. POLICY ON DEALING WITH RELATED PARTY TRANSACTIONS

In terms of the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 and Regulation 23 of the LODR Regulations, the Bank has formulated a policy on dealing with related party transactions. The Policy on Related Party Transactions is available on the Bank's website (www.idbibank.in) under the following link: <https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp>.

viii. DISCLOSURE ON MATERIALLY SIGNIFICANT RELATED PARTY TRANSACTIONS THAT MAY HAVE POTENTIAL CONFLICT WITH THE INTEREST OF LISTED ENTITY AT LARGE

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is confirmed that, during FY 2022-23, the Bank has not undertaken any materially significant related party transaction that may have potential conflict with the interest of the Bank.

ix. INFORMATION UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION & REDRESSAL) ACT, 2013

The Bank has a policy against sexual harassment and a formal process for dealing with complaints of harassment or discrimination. The said policy is in line with the requirements of the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. The Bank has complied with provisions relating to the constitution of Internal Complaints Committee under the said Act. Pursuant to the provisions of LODR Regulations, the details pertaining to number of complaints during the year has been provided below:

A	Number of complaints filed during the financial year	07
B	Number of complaints disposed of during the year	02
C	Number of complaints pending as at end of the financial year	05

x. DISCLOSURE OF COMMODITY PRICE RISKS OR FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITY HEDGING ACTIVITIES

The Bank is in compliance with the relevant provisions in respect of commodity price risks or foreign exchange and commodity hedging activities as per the guidelines, if any, prescribed by regulators.

xi. DISCLOSURE OF ACCOUNTING TREATMENT

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is confirmed that, in preparation of financial statements, no treatment different from that prescribed in an Accounting Standard has been followed and hence, no explanation from the Management is required to be given in this regard.

xii. DISCLOSURE, AS TO WHETHER MAINTENANCE OF COST RECORDS AS SPECIFIED BY THE CENTRAL GOVERNMENT UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 148 OF THE COMPANIES ACT, 2013, IS REQUIRED BY THE COMPANY AND ACCORDINGLY SUCH ACCOUNTS AND RECORDS ARE MADE AND MAINTAINED

IDBI Bank Ltd., being a banking company, provisions of maintenance of cost records is not applicable to it.

xiii. DISCLOSURES

- a) Details of non-compliances, penalties, strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or the SEBI or any statutory authority, on any matter relating to capital markets, during the last three years are:

FY 2020-21	Nil
FY 2021-22	Nil
FY 2022-23	RBI vide their letter dated April 8, 2022 imposed an aggregate penalty of ₹ 90 lakh on the Bank, in exercise of powers vested in it under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949 for non-compliance with the directions issued by the RBI on Frauds-classification and reporting by commercial banks and select Financial Institutions (FIs); Strengthening the Controls of Payment Ecosystem between Sponsor Banks and SCBs/ UCBs as a Corporate Customer and Cyber Security Framework in Banks.

- b) During the FY 2022-23, the Bank has not raised any funds through preferential allotment or through Qualified Institutions Placement (QIP). The proceeds from previous funds raised, have been fully utilised for augmenting the capital adequacy of the Bank and for general business purposes.
- c) A certificate dated April 29, 2023 has been obtained from Shri S. N. Ananthasubramanian (CP No. 1774) of M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the SEBI/ the MCA or any such statutory authority is annexed to this Report.
- d) The Bank has made all the disclosures in the Annual Report that were required in terms of sub-paras (2) to (10) of the Corporate Governance section of Schedule V (Annual Report) of the LODR Regulations.
- e) The Bank has complied with the Corporate Governance requirements specified in Regulation 17 to 27 and Clauses (b) to (i) of Sub-regulation (2) of Regulation 46 of the LODR Regulations.
- f) The Bank has complied with all the mandatory requirements given under Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations and has been submitting quarterly/ half-yearly/ annual compliance report on Corporate Governance in the prescribed formats to the Stock Exchanges within the prescribed timelines.
- g) There has been no instance where the Board had not accepted any recommendation of any Committee of the Board which is mandatorily required and hence, no disclosure in this regard is required.
- h) In terms of Schedule V of the LODR Regulations, the total fees for all services paid by the Bank to the Statutory Auditors during FY 2022-23 was ₹ 250 lakh (including Certification and other audit related services) and out of pocket expenses was capped at ₹ 24 lakh.
- i) **Subsidiary Companies:** As on March 31, 2023, the Bank had five subsidiaries, viz., IDBI Intech Ltd., IDBI Capital Markets & Securities Ltd., IDBI Asset Management Ltd., IDBI MF Trustee Co. Ltd. and IDBI Trusteeship Services Ltd. No Independent Director on the Board of the Bank is required to be inducted on the Board of its subsidiaries as none of the subsidiaries are material subsidiary companies as defined under Regulation 16 of the LODR Regulations. In compliance of the requirements of Regulation 24 of the LODR Regulations, the Bank's Audit Committee reviews the financial statements, in particular, the investments made by the unlisted subsidiary companies. The minutes of the Board meetings of unlisted subsidiary companies are regularly placed at the Bank's Board meetings.
- j) **Document Handling and Retention Policy:** In terms of Regulation 9 of LODR Regulations, the Bank has in place a Board-approved Document Handling and Retention Policy.
- k) **Archival Policy:** The Bank has in place a Board-approved archival policy in terms of Regulation 30(8) of the LODR Regulations.

Corporate Governance Report

l) Disclosures with respect to Demat suspense account/unclaimed suspense account:-

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, the Bank reports the following details in respect of equity shares lying in the unclaimed suspense account:

(i) Shares transferred to Demat Suspense Account in compliance of Regulation 39(4) of SEBI (LODR) :

S.N.	Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares
(a)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Account as on April 01, 2022	14	2720
(b)	Number of shareholders who approached the Bank for transfer of shares from the Suspense Account during April 01, 2022 to March 31, 2023	6	1280
(c)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Suspense Account during April 01, 2022 to March 31, 2023	6	1280
(d)	Number of shareholders whose shares were transferred to IEPF Authority in compliance of section 124 & 125 of the Companies Act, 2013.	4	640
(e)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Account as on March 31, 2023	4	800
(f)	The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.		

(ii) Shares transferred to Suspense Escrow Demat Account in compliance of SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated 25th January 2022 (Cases wherein validity of Letter of Confirmation expired) :

S.N.	Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares
(a)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Escrow Demat Account as on April 01, 2022	0	0
(b)	Number of shareholders whose shares were transferred to Suspense Escrow Demat Account during April 01, 2022 to March 31, 2023	5	1291
(c)	Number of shareholders who approached the Bank for transfer of shares from the Suspense Escrow Demat Account during April 01, 2022 to March 31, 2023	0	0
(d)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Suspense Escrow Demat Account during April 01, 2022 to March 31, 2023	0	0
(e)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Escrow Demat Account as on March 31, 2023	5	1291
(f)	The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.		

m) Disclosures in respect of Investors Education and Protection Fund (IEPF)

a) Details of the transfer/s to the IEPF made during the year :

Sl. No.	Description	Shares/ Bonds/ Debentures	Amount
(i)	Amount of unclaimed/ unpaid dividend and the corresponding shares	1692613	8368524
(ii)	Redemption amount of preference shares	NA	NA
(iii)	Amount of matured deposits, for companies other than banking companies, along with interest accrued thereon	NA	NA
(iv)	Amount of matured debentures along with interest accrued thereon	NA	NIL
(v)	Application money received for allotment of any securities and due for refund along with interest accrued	NIL	NIL
(vi)	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation	NIL	NIL
b)	Details of the resultant benefits arising out of shares already transferred to the IEPF		NIL
c)	Year-wise amount of unpaid/ unclaimed dividend lying in the unpaid account up to the year and the corresponding shares, which are liable to be transferred to the IEPF, and the due dates for such transfer		NIL
d)	The amount of donation, if any, given by the company to the IEPF		NIL
e)	Such other amounts transferred to the IEPF, if any, during the year		NIL

Corporate Governance Report

STATUS OF COMPLIANCE OF DISCRETIONARY REQUIREMENTS OF REGULATION 27

The status of discretionary requirements given under Part E of Schedule II of the LODR Regulations is as follows:

Sr. Discretionary Requirements No.	Status
<p>1. A Non-Executive Chairperson may be entitled to maintain a Chairperson's Office at the Company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/ her duties</p>	<p>In terms of Article 116(1) (i) of the Articles of Association of the Bank, Shri M. R. Kumar, Chairperson of LIC, was the Non-Executive Non-Whole Time Chairman of IDBI Bank Ltd. up to May 08, 2022.</p> <p>With effect from May 09, 2022, Shri T. N. Manoharan, Independent Director has been appointed as the Part-time Chairman of the Bank. The Bank has provided for a Chairman's office at its Head Office located at IDBI Tower, Cuffe Parade, Mumbai.</p> <p>Sitting fees is paid to Shri T. N. Manoharan, for attending the Board Meetings.</p>
<p>2. A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in the last six months may be sent to each household of shareholders</p>	<p>Quarterly and half-yearly financial results are published in the newspapers as well as disseminated to the stock exchanges immediately after the Board approval for information of shareholders and other stakeholders.</p>
<p>3. Company may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion</p>	<p>The Bank's financial statements are with unmodified Audit opinion and Bank continues to adopt best practices to ensure regime of unmodified audit opinion.</p>
<p>4. The Company may appoint separate persons to the post of Chairman and MD & CEO such that the Chairperson shall –</p> <p>(a) be a Non-Executive Director; and</p> <p>(b) not be related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013</p>	<p>The Bank has separate positions for Part-time Chairman and a MD & CEO.</p> <p>The Chairperson is not related to the MD & CEO of the Bank.</p>
<p>5. The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee</p>	<p>Internal Auditor reports to the MD & CEO of the Bank and has a one to one meeting with the ACB every quarter as per the required RBI provisions.</p>

CODE OF CONDUCT AND ETHICS

The Bank's Board of Directors has adopted a Code of Conduct and Ethics for its Directors, Officers and Employees. In compliance with the requirement of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, a declaration signed by the Managing Director & CEO about the affirmation of compliance with the Code of Conduct by the Board members and Senior Management Personnel of the Bank is given below:

DECLARATION BY MD & CEO

Pursuant to the provisions of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is hereby declared for the information of all concerned that all the Board Members and Senior Management Personnel of IDBI Bank Ltd. have affirmed compliance with the Code of Conduct for Directors, Officers and Employees of IDBI Bank Ltd. for the FY 2022-23.

Rakesh Sharma
(DIN-06846594)
Managing Director & CEO
Dated: April 29, 2023

CEO/ CFO CERTIFICATION

In terms of Regulation 17(8) of the LODR Regulations, the certification by MD & CEO and CFO on the financial statements and internal controls relating to financial reporting has been obtained and submitted to the Board.

AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/ arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto

i. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis

Sl. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts/ arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	Date of approval by the Board	Amount paid as advances, if any	Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188
NIL								

ii. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis

Sl. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transaction including the value, if any	Date(s) of approval by the Board, if any	Amount paid as advances, if any
NIL						

Rakesh Sharma
 (DIN-06846594)
 MD & CEO
 Dated: April 29, 2023

Annexure-B

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR FY 2022-23

1. Brief Outline on CSR Policy of the Bank

The Bank's CSR objective is to make material, visible and lasting difference to the lives of underprivileged sections of the society by identifying gaps and extending need-based contribution for their betterment. The initiatives shall be aligned with the national priorities towards achieving sustainable development goals. The Bank seeks to achieve this through direct intervention as well as acting as a catalyst for socio-economic progress of the beneficiaries.

The Bank's CSR policy, *inter alia*, provides the platform for undertaking interventions in areas as specified under Schedule VII of the Companies Act 2013.

2. The Composition of the CSR Committee

Sr. No	Directors	Designation/ Nature of Directorship	Number of Meetings held during the year during their tenure	Number of Meetings attended during the year during their tenure
1.	Shri Rakesh Sharma	MD & CEO – Chairman of the Committee	03	03
2.	Shri Samuel Joseph Jebaraj	Dy. Managing Director	03	03
3.	Shri Suresh Khatanhar	Dy. Managing Director	03	03
4.	Shri Samaresh Parida	Independent Director	03	03
5.	Smt. P.V. Bharathi	Independent Director	03	03

3. Provide the web link where Composition of the CSR Committee, CSR Policy and CSR projects approved by the Board are disclosed on the website of the company: The web-link to the CSR policy and projects or programmes is <https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.asp>.

4. Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8, if applicable: Not Applicable.

5. (a) Average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135 –

The Bank has incurred average net loss (for CSR purpose) of ₹ 143.64 crore for last three financial years, i.e. FY 2019-20, FY 2020-21 and FY 2021-22.

(b) Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135 –

In terms of Section 135 (5) of the Companies Act, 2013, the Bank has incurred average net loss (for CSR purpose) of ₹ 143.64 crore for the last three financial years, i.e. FY 2019-20, FY 2020-21 and FY 2021-22.

(c) Surplus arising out of the CSR Projects or programmes or activities of the previous financial years – Nil

(d) Amount required to be set-off for the financial year, if any - Nil.

(e) Total CSR obligation for the financial year [(b)+(c)-(d)] - Nil.

6. (a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Projects and other than Ongoing Projects) - ₹ 1,44,37,632/-

(b) Amount spent in Administrative Overheads - Nil.

(c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable - Not Applicable.

(d) Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)] – ₹ 1,44,37,632/- (Rupees One crore forty four lakh thirty seven thousand six hundred & thirty two only)

Corporate Governance Report

- (e) **CSR amount spent or unspent for the Financial Year:** CSR spending was not mandatory for the Bank for FY 2022-23 as the average net profit for last three years was negative. However, the Bank has voluntarily spent ₹ 1.44 crore during FY 2022-23 towards selected CSR interventions.

Total Amount Spent for the Financial Year. (in ₹)	Amount Unspent (in ₹)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per subsection (6) of section 135.		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135.		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
1,44,37,632/-	Nil	NA	NA	Nil	NA

- (f) **Excess amount for set-off, if any:**

Sl. No.	Particular	Amount (in ₹)
(1)	(2)	(3)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135	Not applicable
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	1,44,37,632/-
(iii)	Excess amount spent for the Financial Year [(ii)-(i)]	Not applicable
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous Financial Years, if any	Nil
(v)	Amount available for set-off in succeeding Financial Years [(iii)-(iv)]	Not applicable

7. **Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:** Not Applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	
Sl. No.	Preceding Financial Year(s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under subsection (6) of section 135 (in ₹)	Balance Amount in Unspent CSR Account under subsection (6) of section 135 (in ₹)	Amount Spent in the Financial Year (in ₹)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to subsection (5) of section 135, if any	Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in ₹)	Deficiency, if any	
					Amount (in ₹)	Date of Transfer		
1.	FY 2020-21	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	-
2.	FY 2021-22	Nil	Nil	18,40,000	Nil	NA	Nil	-
3.	FY 2022-23	Nil	Nil	1,44,37,632	Nil	NA	Nil	-

8. **Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:** No

If yes, enter the number of Capital assets created/ acquired: NA

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

Sl. No.	Short particulars of the property or asset (s) [including complete address and location of the property]	Pin code of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

9. **Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per sub-section (5) of section 135** - In consonance with the broad guidelines outlined in the Companies Act, 2013, there was no requirement for the Bank to incur any spends under CSR during FY 2022-23. However, the Bank has voluntarily spent ₹ 1.44 crore during FY 2022-23 towards selected CSR interventions.

Rakesh Sharma
(DIN: 06846594)
MD & CEO
Chairman of CSR Committee
April 29, 2023

FORM NO. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
IDBI Bank Limited
CIN: L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai – 400005.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **IDBI Bank Limited** (hereinafter called 'the Bank'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the Financial Year ended **31st March, 2023**, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2023 according to the provisions of:

- i. The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder;
- ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings – **Not applicable as no reportable event during the year under review;**
- v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):
 - a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;- **Not Applicable as no reportable event during the year under review;**
 - d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021– **Not applicable as there was no reportable event during the year under review;**
 - e. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client – **Not applicable as the Bank is not registered as Registrar to Issue and Share Transfer Agent during the financial year under review;**
 - f. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 – **Not applicable as the Bank has not delisted/proposed to delist its equity shares from any stock exchange during the financial year under review;**

- g. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018 – **Not applicable as the Bank has not bought back/proposed to buy back any of its securities during the financial year under review;**
- h. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;
- i. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- vi. The management has identified and confirmed the following laws as specifically applicable to the Bank:
 1. The Banking Regulation Act, 1949 and Rules, Notifications, Circulars and Guidance issued by the Reserve Bank of India from time-to-time;
 2. The Reserve Bank of India (RBI) Act, 1934;
 3. Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002;
 4. The Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), 2002 and The Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records, etc) Rules, 2005;
 5. The Payment and Settlement Systems Act, 2007;
 6. The Negotiable Instruments Act, 1881.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards with regard to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India;
- (ii) Listing Agreements entered into with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards etc. mentioned above.

We further report that:

- The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, Independent Directors and a Woman Independent Director. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.
- Adequate notice is given to all Directors pertaining to the schedule of the Board/ Committee Meetings and agenda & detailed notes on agenda were sent atleast seven days in advance except where consent of Directors was received for circulation of the notice, Agenda and notes on Agenda less than seven days before the meeting.
- A system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.
- All decisions of the Board and Committee meetings were carried with requisite majority.

We further report that based on the review of the compliance mechanism established by the Bank and on the basis of Compliance Certificate(s) issued by Company Secretary and Chief Compliance Officer based on certificates received from various departments/ Verticals/ Subsidiary Companies and taken on record by the Board of Directors at their meeting(s), we are of the opinion that the Bank has systems and processes in place and is taking efforts to further strengthen them so as to make them commensurate with the size and operations of the Bank, to monitor and ensure compliance with all applicable laws, rules, regulations and guidelines.

During the Audit period the following events/ actions having a major bearing on Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards referred to above have taken place:

- The Bank has Redeemed Debt Securities aggregating to ₹ 2,609.20 crore on their respective due dates.
- The Members at the Annual General Meeting held on 22nd July, 2022 by way of Special Resolution, authorised the Board of Directors to raise funds by way of issue of equity shares through one or more modes, upto ₹ 5,000 crore;

Corporate Governance Report

- National Company Law Tribunal has vide their order dated 29th March, 2023 approved the petition filed for the Reduction of Equity Share Capital of the Bank by setting off the accumulated losses aggregating to ₹ 45,396.18 crore as on April 01, 2021 by utilizing the balance of ₹ 50,719.75 crore standing to the credit of the Securities Premium account of the Bank as on the said date.
- The Bank has pursuant to an advisory of Reserve Bank of India, vide a Special Resolution passed by the Members through Postal Ballot Notice dated 30th December 2022, altered the Authorised Share Capital of the Bank from ₹ 25,000 crore (Rupees Twenty Five Thousand Crore) divided into 2500 crore (Twenty Five Hundred Crore) equity shares of ₹ 10/- each to ₹ 21,000 crore (Rupees Twenty One Thousand Crore only) divided into 2100 crore (Twenty One Hundred Crore) equity shares of ₹ 10/- each by cancelling un-issued shares and consequently amending the Memorandum and Articles of Association of the Bank.

The Report is to be read with our letter of even date which is annexed as **Annexure – A** hereto and forms an integral part of this report.

For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.

Company Secretaries
ICSI Unique Code: P1991MH040400
Peer Review Cert. No.: 606/2019

S. N. Ananthasubramanian

Partner
FCS: 4206 | COP No.: 1774
ICSI UDIN: F004206E000223568
29th April, 2023 | Thane

Annexure – A

To,
The Members,
IDBI Bank Limited
CIN: L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai– 400005.

Our Secretarial Audit Report for the Financial Year ended 31st March, 2023 of even date is to be read along with this letter.

Management's Responsibility

1. It is the responsibility of the management of the Bank to maintain secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

Auditor's Responsibility

2. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the Bank with respect to secretarial compliances.
3. We have conducted the Audit as per the applicable Auditing Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.
4. We believe that audit evidence and information obtained from the Bank's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.
5. Wherever required, we have obtained reasonable assurance whether the statements prepared, documents or Records, in relation to Secretarial Audit, maintained by the Bank, are free from misstatement.
6. Wherever required, we have obtained the Management's representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.

Disclaimer

7. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.
8. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.

For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.

Company Secretaries
ICSI Unique Code: P1991MH040400
Peer Review Cert. No.: 606/2019

S. N. Ananthasubramanian

Partner

FCS: 4206 | COP No.: 1774
ICSI UDIN: F004206E000223568
29th April, 2023 | Thane

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C Clause (10)(i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,
The Members of
IDBI BANK LIMITED
CIN: L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade
Mumbai- 400005

We have examined the following documents:

- i) Declaration of non-disqualification as required under Section 164 of Companies Act, 2013 ('the Act');
- ii) Disclosure of concern or interests as required under Section 184 of the Act;

(hereinafter referred to as 'relevant documents')

as submitted by the Directors of IDBI Bank Limited ('the Bank') bearing CIN: L65190MH2004GOI148838 and having its registered office at IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400005, to the Board of Directors of the Bank ('the Board') for the Financial Year ended 31st March 2023 and Financial Year ended 31st March 2024 and relevant registers, records, forms and returns maintained by the Bank and as made available to us for the purpose of issuing this Certificate in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C Clause 10(i) of SEBI (LODR) Regulations, 2015. We have considered non-disqualification to include non-debarment by Regulatory/ Statutory Authorities.

It is the responsibility of Directors to submit relevant documents with complete and accurate information in accordance with the provisions of the Act.

Ensuring the eligibility for the appointment/continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification.

Based on our examination as aforesaid and such other verifications carried out by us as deemed necessary and adequate (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in), in our opinion and to the best of our information and knowledge and according to the explanations provided by the Bank, its officers and authorized representatives, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank, as listed hereunder for the Financial Year ending 31st March, 2023, have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of the Bank by Securities and Exchange Board of India/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

Sr. No.	Name of Director	Director Identification Number (DIN)	Date of Appointment	Date of cessation
1.	Mr. Gyan Prakash Joshi	00603925	28/08/2015	-
2.	Mr. Bhuwanchandra Balkrishna Joshi	06713850	09/10/2017	-
3.	Mr. Samaresh Parida	01853823	19/05/2018	-
4.	Mr. Jambunathan Narayanan	05126421	19/05/2018	-
5.	Mr. Rakesh Sharma	06846594	10/10/2018	-
6.	Mr. Deepak Singhal	08375146	28/02/2019	-
7.	Mr. Sanjay Gokuldas Kallapur	08377808	05/03/2019	-
8.	Mr. Mangalam Ramasubramanian Kumar	03628755	13/05/2019	08/05/2022
9.	Mr. Samuel Joseph Jebaraj	02262530	20/09/2019	05/04/2023
10.	Mr. Suresh Kishinchand Khatanhar	03022106	15/01/2020	-

Sr. No.	Name of Director	Director Identification Number (DIN)	Date of Appointment	Date of cessation
11.	Mr. Anshuman Sharma	07555065	11/06/2020	11/04/2022
12.	Mrs. P V Bharathi	06519925	14/01/2021	-
13.	Mr. Mukesh Gupta	06638754	10/02/2022	-
14.	Mr. Thothala Narayanasamy Manoharan	01186248	24/02/2022	-
15.	Mr. Raj Kumar	06627311	19/05/2022	-
16.	Mr. Manoj Sahay	08711612	28/04/2022	-
17.	Mr. Sushil Kumar Singh	09584577	28/04/2022	-

This Certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

This Certificate has been issued at the request of the Bank to make disclosure in its Corporate Governance Report of the Financial Year ended 31st March, 2023.

For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN&CO.

Company Secretaries
ICSI Unique Code P1991MH040400
Peer Review Cert. No. 606/2019

S. N. Ananthasubramanian

Partner
FCS : 4206 | COP No. : 1774

ICSI UDIN: F004206E000223656
29th April, 2023 | Thane

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कथन

प्रिय हितधारको,

मुझे आईडीबीआई बैंक की पहली कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। हमने अधिक जिम्मेदार और उत्तरदायी संगठन बनने तथा अपने हितधारकों के साथ दीर्घकालिक मूल्यवान संबंध बनाने की दृष्टि से इस नई यात्रा की शुरुआत की है।

हमारा यह विश्वास है कि संधारणीयता एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए निरंतर प्रयास, उस पर ध्यान केंद्रित करने और परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। हम अपने कारोबार के परिचालनों के सभी पहलुओं में संधारणीयता लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारी यह पहली बीआरएसआर इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह रिपोर्ट वर्ष के दौरान अपनी संधारणीयता रणनीति, कार्यनिष्पादन एवं उपलब्धियों का व्यापक विहंगावलोकन प्रदान करती है।

पर्यावरणात्मक, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और घटनाक्रमों के साथ तालमेल बैठाने के लिए, हम अपने ईएसजी संबंधी कार्यनिष्पादन का मापन करने, रिपोर्ट करने तथा सुदृढ़ करने के लिए प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ सक्रिय रूप से स्थापित कर रहे हैं। इसे हासिल करने के लिए, आईडीबीआई बैंक अन्य उपायों के साथ ही, ऐसी प्रथाएँ अपनाने की प्रक्रिया में है, जैसे ईएसजी के कारकों को अपने जोखिम प्रबंधन ढांचे के साथ मिलाना, टिकाऊ उधार प्रथाओं को अपनाना, मानव पूंजी को बढ़ावा देना, टिकाऊ खरीद नीतियों को लागू करना, नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए रणनीतियाँ लागू करना और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाना।

एक बैंक होने के नाते, लोग हमारे व्यवसाय का मूल हिस्सा हैं और हमने संगठनात्मक संस्कृति को विकसित करने के लिए ऐसे कदम उठाए हैं जो उनका विकास कर सुरक्षित रखते हैं और हमारे कर्मचारियों को अपना विकास करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। हमारे कर्मचारियों का लचीलापन और समर्पण हमारे लिए वह प्रेरक शक्ति बन गयी है जो हमें हर गुजरते वर्ष के साथ बेहतर कार्यनिष्पादन में सहायता करती रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक उत्थान पर केंद्रित सीएसआर पहलों के माध्यम से हम अपने समुदायों के सशक्तिकरण में भी अपना योगदान देते हैं।

हम यह जानते हैं कि कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक ऐसी यात्रा है जिसमें प्रगति के साथ-साथ सुधार की भी जरूरत होती है। इस दिशा में, हम ऐसी कार्रवाइयाँ करने के लिए कृतसंकल्प हैं जो आने वाले वर्षों में हमारी यात्रा में योगदान देगी। जैसे-जैसे हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम अपनी संधारणीयता रणनीति और कार्यनिष्पादन को और भी मजबूत करने के लिए उसमें महत्वपूर्ण योगदान देने की योजना बना रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम भावी पीढ़ियों के लिए एक अधिक जिम्मेदार और स्थिर दुनिया बनाने में अपनी भूमिका निभाएं।

मैं अपने कर्मचारियों, ग्राहकों, शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के प्रति हमारी संधारणीयता यात्रा में उनके द्वारा दिये समर्थन और योगदान के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हम सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के उद्देश्य से आपके साथ काम करना जारी रखने की कामना करते हैं।

सादर,

राकेश शर्मा

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

भाग क : सामान्य प्रकटीकरण

I - सूचीबद्ध संस्था का ब्योरा

क्रम संख्या	विवरण	द्वारा भरा जाने वाला जबाब
1.	सूचीबद्ध संस्था की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L65190MH2004GOI148838
2.	सूची बद्ध संस्था का नाम	आईडीबीआई बैंक लि.
3.	निगमन का वर्ष	2004
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता	आईडीबीआई टॉवर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005
5.	कॉरपोरेट पता	आईडीबीआई टॉवर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005
6.	ई मेल:	idbiequity@idbi.co.in
7.	टेलीफोन	+91-22-66553355
8.	वेब साइट	www.idbibank.in
9.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्ट की जा रही है	वित्तीय वर्ष 2022-23
10.	स्टॉक एक्सचेंज (जों) का नाम जहां शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है	बीएसई लि. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
11.	चुकता पूंजी	₹ 1,07,52,40,21,750
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	श्रीमती जयती चक्रवर्ती महाप्रबंधक ई मेल : brsr@idbi.co.in टेलीफोन: +91-22-66553355
13.	रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत सभी प्रकटीकरण एकल आधार (अर्थात् केवल इस संस्था के लिए) किए गए हैं या समेकित (अर्थात् इस संस्था और सभी संस्थाओं, जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, को एकसाथ मिलाकर) आधार पर किया गया है.	एकल

II - योजनाएं / सेवाएं

14. कारोबारी गतिविधियों का ब्योरा [कुल टर्नओवर का 90% हिस्सा]:

क्रम संख्या	प्रमुख गतिविधि का वर्णन	कारोबारी गतिविधि का वर्णन	कुल टर्न ओवर में योगदान का प्रतिशत
1	वित्तीय और बीमा सेवा	केंद्रीय, वाणिज्यिक और बचत बैंकों द्वारा बैंकिंग गतिविधियां	100%

15. संस्था द्वारा बेची गई योजनाएं / सेवाएं (संस्था के टर्नओवर का 90% हिस्सा)

क्रम संख्या	योजना / सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर में योगदान का प्रतिशत
1.	वाणिज्यिक बैंकों, बचत बैंकों, डाक बचत बैंकों और डिस्काउंट गृहों की मौद्रिक मध्यस्थता	64191	100%

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

III - परिचालन

16. जहां पर संस्था के संयंत्र और /या परिचालन / कार्यालय मौजूद हैं उन स्थानों की संख्या :

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	योग
राष्ट्रीय	लागू नहीं	1,928 शाखाएं	1,928
अंतर्राष्ट्रीय	लागू नहीं	2 शाखाएं*	2

* इसमें गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय टेक-सिटी (गिफ्ट), गांधीनगर में स्थित बैंक का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाई (आईबीयू) शामिल है.

17. संस्था द्वारा सेवा प्रदान किये जा रहे बाजार:

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	35
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	2*

*गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट), गांधीनगर में स्थित बैंक का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाई (आईबीयू) शामिल है.

ख. संस्था के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान कितना है ?

लागू नहीं.

ग. ग्राहकों के प्रकारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एक यूनिवर्सल बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है. यह खुदरा, कृषि, एमएसएमई और कॉरपोरेट क्षेत्र में फैले अपने ग्राहकों की विस्तृत श्रृंखला को सभी वित्तीय समाधान उपलब्ध कराता है. यह बैंक सरकारी विभागों/मंत्रालयों को भी सभी प्रकार की योजनाएं उपलब्ध कराता है. बैंक द्वारा की जा रही पेशकशों में बचत खाता, चालू खाता, मीयादी जमा, आवास ऋण, ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सहायता, ट्रेजरी और पूंजी बाजार की योजनाएं, व्यापार वित्त योजनाएं और सेवाएं, नकद प्रबंधन सेवाएं, कर संग्रह आदि जैसी निजीकृत बैंकिंग योजनाओं की विस्तृत श्रृंखला शामिल है. बैंक के पास एक करोड़ से भी अधिक ग्राहकों का एक बड़ा आधार है.

IV - कर्मचारी:

18. वित्तीय वर्ष के अंत का विवरण:

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांग कर्मचारियों सहित) :

क्रम संख्या	विवरण	कुल [क]	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)
कर्मचारी						
1.	स्थायी (घ)	15,420	10,308	66.85%	5,112	33.15%
2.	स्थायी से इतर (ङ)	1,596	872	54.64%	724	45.36%
3.	कुल कर्मचारी (घ + ङ)	17,016	11,180	65.70%	5,836	34.30%
कामगार						
4.	स्थायी (च)	834	643	77.10%	191	22.90%
5.	स्थायी से इतर (छ)	0	0	-	0	-
6.	कुल कामगार (च + छ)	834	643	77.10%	191	22.90%

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

क्रम सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं (ख)	% (ख / क)	सं. (ग)	% (ग / क)
दिव्यांग कर्मचारी						
1.	स्थायी (घ)	444	329	74.10%	115	25.90%
2.	स्थायी से इतर (ङ)	293	212	72.35%	81	27.65%
3.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ + ङ)	737	541	73.41%	196	26.59%
दिव्यांग कामगार						
4.	स्थायी (च)	12	10	83.33%	2	16.67%
5.	स्थायी से इतर (छ)	0	0	-	0	-
6.	कुल कामगार (च + छ)	12	10	83.33%	2	16.67%

19. महिलाओं की सहभागिता / समावेश / प्रतिनिधित्व:

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		सं. (ख)	% (ख / क)
निदेशक मंडल	15*	1	6.67%
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	5*	1	20%

* 5 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में से 3 अर्थात् प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और दो उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) बैंक के निदेशक मंडल का भी हिस्सा हैं.

20. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के आवर्तन की दर (पिछले तीन वर्षों की प्रवृत्तियाँ प्रकट करें)

	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	4.82%	4.59%	4.74%	2.87%	1.98%	2.59%	3.10%	3.16%	3.12%
स्थायी कामगार	13.51%	8.63%	12.47%	8.16%	3.52%	7.27%	13.74%	7.55%	12.64%

V नियंत्रक, सहायक और सहयोगी कंपनियां [संयुक्त उद्यमों सहित]

21. (क) नियंत्रक / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

क्रम सं.	नियंत्रक/सहायक/सहयोगी कंपनी / संयुक्त उद्यम का नाम (क)	यह दर्शाए कि क्या कंपनी नियंत्रक / सहायक / सहयोगी कंपनी है या संयुक्त उद्यम	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम ए में दर्शायी गयी संस्था सूचीबद्ध संस्था की कारोबारी दायित्व की पहलों में भाग लेती है? [हाँ नहीं]
1.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि.	सहायक	66.67%	नहीं
2.	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिन्डिकेटेड लि.	सहायक	100.00%	नहीं
3.	आईडीबीआई इंटेक लि.	सहायक	100.00%	नहीं
4.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.	सहायक	54.70%	नहीं

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

क्रम सं .	नियंत्रक/सहायक/सहयोगी कंपनी / संयुक्त उद्यम का नाम (क)	यह दर्शाए कि क्या कंपनी नियंत्रक / सहायक / सहयोगी कंपनी है या संयुक्त उद्यम	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम ए में दर्शायी गयी संस्था सूचीबद्ध संस्था की कारोबारी दायित्व की पहलों में भाग लेती है? [हाँ नहीं]
5.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.	सहायक	100.00%	नहीं
6.	नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लि.	सहयोगी	26.10%	नहीं
7.	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.	सहयोगी	25.00%	नहीं
8.	बायोटेक कॉन्सोर्शियम इंडिया लि.	सहयोगी	27.93%	नहीं
9.	पॉन्डिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि.	सहयोगी	21.14%	नहीं

VI - सीएसआर का ब्योरा

22. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है? [हाँ / नहीं] :

नहीं. चूंकि पिछले तीन वर्षों में बैंक का औसत निवल लाभ हानि दर्शाता है (सीएसआर के प्रयोजन हेतु), अतः कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार बैंक को सीएसआर व्यय करने की आवश्यकता नहीं थी. तथापि, एक सक्रिय और सामाजिक रूप से जिम्मेदार संस्था के रूप में, बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे क्षेत्रों में चुनिंदा सीएसआर कार्यों के लिए ₹ 1.44 करोड़ खर्च किए हैं.

(ii) कुल टर्नओवर [₹ में] : ₹ 24,942 करोड़

(iii) निवल मालियत [₹ में] : ₹ 25,454 करोड़ (एकल)

VII - पारदर्शिता और प्रकटीकरण संबंधी अनुपालन

23. जिम्मेदार कारोबारी आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी भी सिद्धांत (1 से 9 तक के सिद्धांत) के बारे में शिकायत/परिवाद:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	मौजूद शिकायत निवारण तंत्र [हाँ / नहीं]	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	नहीं. तथापि, बैंक ने दिनांक 01 अप्रैल 2023 से ऐसा तंत्र स्थापित किया है. https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy.pdf	0	0	शून्य	0	0	शून्य
निवेशक (शेयर धारकों से इतर)	हाँ. https://www.idbibank.in/flexi-bond.aspx	-	-	“ग्राहक” शीर्ष के अंतर्गत इसके बारे में रिपोर्ट किया गया है जिसमें फ्लेक्सि बॉण्ड संबंधी शिकायतें शामिल हैं	-	-	“ग्राहक” शीर्ष के अंतर्गत इसके बारे में रिपोर्ट किया गया है जिसमें फ्लेक्सि बॉण्ड संबंधी शिकायतें शामिल हैं

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	मौजूद शिकायत निवारण तंत्र [हाँ / नहीं]	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
शेयरधारक	हाँ. (https://www.idbibank.in/idbi-bank-officials-for-shareholder-grievances.aspx)	1,480	0	शून्य	1,106	0	शून्य
कर्मचारी और कामगार	हाँ. आईडीबीआई बैंक ने आई-हृदयो ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है	38	6	शून्य	43	10	शून्य
ग्राहक	हाँ. (https://www.idbibank.in/banking-complaints-1.aspx)	42,662	177	फ्लेक्सि बॉर्ड संबंधी शिकायतें शामिल हैं	71,674	286	फ्लेक्सि बॉर्ड संबंधी शिकायतें शामिल हैं
मूल्य शृंखला भागीदार	हाँ. (https://www.idbibank.in/vigilance-mechanism-notice.aspx)	0	0	शून्य	0	0	शून्य
अन्य	हाँ. (https://www.idbibank.in/vigilance-mechanism-notice.aspx) सतकर्ता तंत्र नीति के अनुसार बैंक के इंटरनेट पर व्हिसल ब्लोअर पोर्टल उपलब्ध है.	137	4	सतकर्ता/ भ्रष्टाचार की दृष्टि से शिकायतें	138	21	सतकर्ता / भ्रष्टाचार की दृष्टि से शिकायतें

24. संस्था के महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारोबारी आचरण मुद्दों का विहंगावलोकन

कृपया निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारोबारी आचरण और निरंतरता से संबंधित मुद्दों को इंगित करें जो आपके कारोबार के लिए या तो कोई जोखिम पैदा करते हैं या फिर कोई अवसर; उनको पहचानने के लिए कोई तर्क देते हैं और उसमें मौजूद वित्तीय निहितार्थों के साथ ही जोखिम को अपना लेते हैं अथवा उसको कम करते हैं.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	यह दर्शाएँ कि क्या जोखिम है या फिर अवसर [आर / ओ]	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम को स्वीकार करने अथवा उसे कम करने के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
1.	ग्राहक निजता और डेटा सुरक्षा	जोखिम	बैंकिंग क्षेत्र के लिए ग्राहक निजता और आंकड़ों की सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है. आंकड़ों की गोपनीयता का भंग होने से उसका कारोबार पर विपरीत असर हो सकता है.	<ul style="list-style-type: none"> ग्राहकों की निजता और आंकड़ों की सुरक्षा के लिए ठोस नीतियों का कार्यान्वयन प्रभावी सर्विस रिकॉल प्रणाली 	यदि आंकड़ों की सुरक्षा का उल्लंघन होने की कोई घटना होती है तो उससे बैंक की प्रतिष्ठा पर आंच आती है और ग्राहकों के साथ संबंध पर उसका विपरीत परिणाम होता है
2.	ग्राहक संतुष्टि	जोखिम और अवसर	<p>जोखिम: ग्राहक अपनी असंतुष्टि को फैला सकता है जिससे कारोबार में नुकसान होता है.</p> <p>अवसर: ग्राहक संतुष्टि दीर्घकालिक संबंध बनाने और कारोबार वृद्धि में सहायक सिद्ध होती</p>	<ul style="list-style-type: none"> ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र ग्राहक प्रतिक्रिया 	<p>जोखिम: असन्तुष्ट ग्राहकों की वजह से ब्रैंड पर से भरोसा टूट सकता है.</p> <p>अवसर: ग्राहक संतुष्टि कारोबार को बढ़ाने में सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है.</p>

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	यह दर्शाए कि क्या जोखिम है या फिर अवसर [आर / ओ]	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम को स्वीकार करने अथवा उसे कम करने के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएं)
3.	जोखिम प्रबंधन	जोखिम और अवसर	<p>जोखिम: अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों अथवा बाहरी घटनाओं की वजह से नुकसान होने की संभावना का जोखिम .</p> <p>अवसर: प्रभावी जोखिम प्रबंधन से जोखिमों का पता लगाने में और समय रहते उन जोखिमों को घटाने में मदद मिलती है.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रभावी कारोबारी निरंतरता योजना • उद्यम जोखिम प्रबंधन 	<p>जोखिम: प्रतिष्ठा की हानि से ग्राहकों की संख्या घटने लगती है.</p> <p>अवसर: जोखिमों को कम करने से कारोबार बढ़ने लगता है.</p>
4.	डिजिटाइजेशन	अवसर	डिजिटाइजेशन बेहतर ग्राहक अनुभव, डेटा संचालित निर्णय लेने और बैंकिंग की सुविधा बढ़ाने में मदद कर सकता है.	-	डिजिटाइजेशन से लागत में कमी लाई जा सकती है, पूर्ण जानकारी के साथ निर्णय लिए जा सकते हैं और सेवाओं में विस्तार किया जा सकता है.
5.	अनुपालन	जोखिम अवसर	<p>जोखिम: अनुपालन एक जोखिम बन जाता है क्योंकि किसी भी बैंक की प्रतिष्ठा प्रामाणिकता और उचित सिद्धांतों से निकटता से जुड़ी हुई होती है.</p> <p>अवसर: प्रभावी अनुपालन से ब्रैंड पर भरोसा बढ़ने में मदद मिलती है .</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रभावी नेतृत्व निरीक्षण • ठोस अनुपालन जोखिम प्रबंधन नीतियाँ - प्रक्रियाएं तथा संस्कृति 	<p>जोखिम: लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन न करने की घटनाओं से जुर्माना/दंड लगाया जा सकता है और उससे उस ब्रैंड की छवि को नुकसान पहुंचता है .</p> <p>अवसर: प्रभावी अनुपालन से ब्रैंड की छवि बनाने में और दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है .</p>
6.	ग्राहक जागरूकता	अवसर	ग्राहक जागरूकता से ग्राहकों की पसंद बनाने में सहायता मिलती है और इससे फिशिंग के मामलों में कमी आती है.	-	ग्राहकों में बेहतर जागरूकता से होनेवाले नुकसान में कमी लायी जा सकती है और उससे ग्राहकों की निष्ठा बढ़ सकती है.
7.	कारोबारी नैतिकता और अभिशासन	जोखिम और अवसर	<p>जोखिम: अनैतिक प्रथाओं और आचरण से ब्रैंड की छवि धूमिल होती है .</p> <p>अवसर: प्रामाणिकता और पारदर्शिता की संस्कृति का निर्माण अधिदेशों को पूरा करने से साथ-साथ हितधारकों के साथ संबंधों को मजबूत करने से जुड़ा हुआ है.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • सभी हितधारकों के लिए मानक निर्धारित करने के लिए आचार संहिता • कार्य स्थल पर अन्य के साथ-साथ भेदभाव, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएं सुस्थापित की गई हैं. 	<p>जोखिम: प्रतिष्ठा पर आंच आने से और हितधारकों का भरोसा हिल जाने से उसका वित्तीय स्थिति पर परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ने लगता है.</p> <p>अवसर: नैतिकता पूर्ण प्रथाएं और आचरण से सभी हितधारकों के साथ दीर्घावधि संबंध बनने में सहायता मिलती है.</p>
8.	प्रतिस्पर्धात्मक आचरण	जोखिम और अवसर	<p>जोखिम: प्रतिस्पर्धा- विरोधी आचरण की घटनाओं से ब्रैंड की छवि को नुकसान पहुंचता है.</p> <p>अवसर: प्रतिस्पर्धात्मक आचरण से ब्रैंड की छवि बनने में और भरोसा बढ़ाने में मदद मिलती है.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • नेतृत्व की ओर से प्रभावी निरीक्षण • ठोस नीतियाँ और प्रक्रियाएं 	<p>जोखिम: प्रतिस्पर्धात्मकता विरोधी आचरण से आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं और ब्रैंड की छवि को नुकसान पहुंचता है.</p> <p>अवसर: प्रतिस्पर्धात्मक आचरण से कारोबार में दीर्घावधि वृद्धि में मदद मिलती है.</p>

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	यह दर्शाए कि क्या जोखिम है या फिर अवसर [आर / ओ]	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम को स्वीकार करने अथवा उसे कम करने के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएं)
9.	रोजगार प्रथाएं	अवसर	रोजगार संबंधी प्रथाएं सेवा उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं	-	कुशल श्रमशक्ति के माध्यम से प्रभावी जोखिम प्रबंधन
10.	कर्मचारी कल्याण	जोखिम और अवसर	जोखिम : यदि कर्मचारियों के कल्याण को गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो इससे उत्पादकता में कमी आ सकती है, अवसर : कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने से श्रमशक्ति खुशहाल हो सकती है, उत्पादकता बढ़ सकती है.	<ul style="list-style-type: none"> • भौतिक और मानसिक कल्याण पर केन्द्रित पहलू कार्य • स्वास्थ्य जांच • कॉरपोरेट लाभ जैसे स्वास्थ्य बीमा • उत्तराधिकार विकास, कौशल विकास, सेवानिवृत्ति आयोजन आदि के लिए प्रशिक्षण एवं विकास 	जोखिम : कर्मचारी कल्याण की कमी की परिणति निम्न उत्पादकता, उच्चतर पलायन दर, मुख्य कर्मचारियों के प्रतिस्थापन की वर्धित लागत में हो सकती है. अवसर : प्रभावी कर्मचारी कल्याण बढ़ी हुई उत्पादकता, उच्च कर्मचारी मनोबल, बेहतर प्रतिभा की ओर ले जा सकता है जिससे ग्राहक संबंध में सुधार होगा.

भाग ख : प्रबंधन और प्रक्रियाओं का प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य कारोबार जिम्मेदार कारोबार आचरण के बारे में राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) के सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रकट करने में मदद करना है.

प्रकटीकरण संबंधी प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1. क. क्या आपकी संस्था की नीति / नीतियों में हर सिद्धांत को और एनजीआरबीसी के मूलभूत सिद्धांतों को शामिल किया गया है? [हाँ/ नहीं]	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
ख. क्या यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? [हाँ/ नहीं]	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
ग. इन नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध है [कृपया नोट देखें]	1,2	3,4	5,6,7	3	5	3	3	8	9,10
2. क्या संस्था ने अपनी नीतियों को क्रियाविधियों में परिवर्तित किया है? [हाँ/ नहीं]	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य शृंखला भागीदारों पर लागू होती है? [हाँ/ नहीं]	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4. आपकी संस्था द्वारा अपनाये गये राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय कोड / प्रमाणपत्र / लेबल्स / मानकों [जैसे, फॉरेस्ट स्टूअडिर्शप काउंसिल, फेयर ट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायन्स, ट्रस्टी] मानक [जैसे एसए 8000, ओएचएसएसएस, आईएसओ, बीआईएस] का नाम और अपने हर सिद्धांत के साथ उन्हें जोड़ लिया है	बैंक ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) और किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकरण / नियामक द्वारा निर्धारित अन्य सभी लागू कानूनों/नियमों को अपनाया और उनका अनुपालन करता है. बैंक की कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रक्रियाएं आईएसओ 22301:2012 के रूप में प्रमाणित हैं.								
5. संस्था द्वारा सुपरिभाषित समय सीमा के साथ स्थापित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य, और लक्ष्य, यदि कोई हैं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
6. संस्था का विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्य और लक्ष्यों को लेकर कार्यनिष्पादन और यदि इनमें से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है तो उसके कारण	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

प्रकटीकरण संबंधी प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
अभिशासन, नेतृत्व और निरीक्षण									
7. कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया हो - कृपया प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) द्वारा दिया गया वक्तव्य देखें.									
8. कारोबारी उत्तरदायित्व की नीति(यों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण.									श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
9. क्या संस्था में कोई निर्दिष्ट बोर्ड / निदेशक की ऐसी समिति है जो संधारणीयता से संबंधित मुद्दों के बारे में निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? [हाँ / नहीं] यदि हाँ, तो विवरण दें.									संधारणीयता संबंधी मुद्दों के लिए बैंक ईएसजी की नीति द्वारा निर्देशित है. बैंक के बोर्ड की सीएसआर समिति ईएसजी संबंधी पहलों के निरीक्षण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है. बैंक की सीएसआर (एमसीसीएसआर) की प्रबंधन समिति एक आंतरिक समिति है, जिसमें वरिष्ठ कार्यपालक शामिल होते हैं, बैंक की ईएसजी कार्यसूची को अतिरिक्त गति प्रदान करने के लिए समय-समय पर उल्लेखित उद्देश्यों के अंतर्गत इसके कार्यानिष्पादन की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार हैं.

टिप्पणियाँ :

1. बैंक ने अधिकारियों की सेवा, आचरण, अनुशासन, और अपीलों के लिए नियमावली लागू की है, जो बैंक का आंतरिक दस्तावेज है और गोपनीयता के कारण जनता को उपलब्ध नहीं कराया गया है.
2. बैंक ने एक सामान्य आचरण संहिता लागू की है जिसे <https://www.idbibank.in/idbi-bank-general-code-of-conduct-ethics.aspx#:~:text=IDBI%20Bank%20will%20strive%20for.of%20Sexual%20Harassment%20at%20Workplace> पर देखा जा सकता है.
3. बैंक ने ईएसजी नीति बनायी है जिसे <https://www.idbibank.in/pdf/ESG-Policy.pdf> पर देखा जा सकता है.
4. बैंक कारोबारी निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रक्रियाओं के बारे में अपने वार्षिक रिपोर्ट में प्रकटीकरण करता है. वार्षिक रिपोर्ट को <https://apps.idbibank.in/idbiapp/idbi-bank-annual-report.aspx> पर देखा जा सकता है.
5. बैंक ने मानवाधिकार नीति लागू की है जिसे <https://www.idbibank.in/pdf/Human-Rights-Policy.pdf> पर देखा जा सकता है.
6. बैंक ने समान अवसर नीति लागू की है जिसे <https://www.idbibank.in/pdf/Equal-Opportunity-Policy-Employees.pdf> पर देखा जा सकता है.
7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, [रोकथाम, निषेध और निवारण] अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप, बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों का निवारण करने के लिए दो समितियाँ गठित की हैं. इस संबंध में परिपत्र बैंक के इंटरनेट पर रखे गए हैं
8. बैंक की सीएसआर गतिविधियाँ सीएसआर नीति से संचालित की जाती हैं जिसे <https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy.pdf> पर देखा जा सकता है.
9. बैंक अपनी ग्राहक सेवा नीति में निर्धारित शर्तों के अनुसार ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है और अपने ग्राहकों का सम्मान करता है. (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Customer_Care_Policy.pdf), [Customer Rights Policy \(https://www.idbibank.in/pdf/policy/Customer_Rights_Policy.pdf\)](https://www.idbibank.in/pdf/policy/Customer_Rights_Policy.pdf) and [Grievance Redressal Policy \(https://www.idbibank.in/pdf/policy/Grievance_Redressal_Policy.pdf\)](https://www.idbibank.in/pdf/policy/Grievance_Redressal_Policy.pdf)
10. बैंक ने साइबर सुरक्षा के संबंध में नीतियाँ / दिशानिर्देश जारी किये हैं जो बैंक के आंतरिक दस्तावेज हैं और वे गोपनीयता के कारण जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराए गये हैं.

10. बैंक द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का ब्योरा :

समीक्षा का विषय	यह दर्शाएं कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / अन्य किसी समिति द्वारा समीक्षा की गयी थी									आवृत्ति (वार्षिक / छःमाही / त्रैमासिक / अन्य कोई - कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
उपर्युक्त नीतियों के संबंध में कार्यनिष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	बैंक संबंधित नीतियों की पूर्व निर्धारित आवधिकता के अनुसार या आवश्यकताओं के आधार पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अपनी नीतियों की समीक्षा करता है. बैंक इन नीतियों के संबंध में कार्यनिष्पादन की भी समीक्षा करता है और आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन/ संशोधन करता है.																	
सिद्धांतों से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन में सुधार	बैंक संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों और विनियामकों द्वारा अधिसूचित सभी कानूनों / विनियमावलियों का अनुपालन कर रहा है.																	

11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों का स्वतंत्र रूप से आकलन / मूल्यांकन करवाया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएं	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

12. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर “नहीं” है, अर्थात नीति में सभी सिद्धांत शामिल नहीं है, कारणों का उल्लेख किया जाए :

प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
संस्था इन सिद्धांतों को अपने कारोबार की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं मानती है (हाँ / नहीं)	लागू नहीं								
संस्था ऐसी स्थिति में नहीं है कि जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ बना सके और उनको कार्यान्वित कर सके (हाँ / नहीं)									
संस्था के पास उक्त कार्य के लिए वित्तीय या / मानव और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ / नहीं)									
इसे अगले वित्तीय वर्ष में किये जाने की योजना है (हाँ / नहीं)									

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

खंड ग : सिद्धांत-वार कार्यनिष्पादन का प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्था को अपने सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनी प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ एकीकृत करने में अपने कार्यनिष्पादन को प्रदर्शित करने के लिए मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आवश्यक संकेतकों को प्रत्येक संस्था द्वारा प्रकट किए जाने की उम्मीद है जिसे इस रिपोर्ट के साथ फ़ाइल करना अनिवार्य है, नेतृत्व संकेतक स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने के अपने प्रयासों में उच्च स्तर की प्रगति करने की इच्छा रखती हैं।

सिद्धांत 1:- व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से खुद का संचालन और नियंत्रित करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत के बारे में प्रशिक्षण और जागरूकता द्वारा कवरेज का प्रतिशत:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल किए गए विषय / सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम में शामिल संबंधित श्रेणियों के व्यक्तियों की आयु का %
निदेशक मंडल	3	भारत में वित्तीय बाजारों पर आभासी सम्मेलन: भविष्य में क्या होनेवाला है? एफआईबीएसी 2022, स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन सेमिनार (एसआईबीओएस)	20%*
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	2	लेखा परीक्षा अधिकारी- वरिष्ठ और मध्य प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, नेतृत्व और कार्यस्थल पर दक्षता पर कार्यक्रम	40%*
निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को छोड़ कर अन्य कर्मचारी	1,089	क्यूरेट किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें विभिन्न विषयों की विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया है लेकिन यह केवल इन विषयों तक ही सीमित नहीं है <ul style="list-style-type: none"> ग्राहक संरक्षण यौन उत्पीड़न की रोकथाम जोखिम प्रबंधन पदोन्नति प्रशिक्षण / सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण निवारक सतर्कता और धोखाधड़ी प्रबंधन एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए बैंकों का क्षमता निर्माण 	96%
कामगार	31	स्वस्थ और व्यावसायिक तथा वैयक्तिक रूप से सफल जीवन बिताने के संबंध में स्वास्थ्य कार्यक्रम और ई - लर्निंग मॉड्यूल	84%

* निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की कुल संख्या में एमडी और दो डीएमडी शामिल हैं।

2. वित्तीय वर्ष के दौरान विनियामकों / कानून प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों के द्वारा की गई कार्रवाई (संस्था द्वारा या निदेशकों / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा) में लगाया गया जुर्माना / दंड / सजा / फैसला / कंपाउंडिंग शुल्क / निपटान राशि का निम्नलिखित प्रारूप नोट में विवरण: सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट, महत्व के आधार पर और जिसका संस्था की वेबसाइट पर प्रकटीकरण किया गया हो):

मौद्रिक

	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक / प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्था का नाम	राशि (भारतीय रुपयों में)	मामले का संक्षिप्त सार	क्या कोई अपील दर्ज की गई है? (हां/नहीं)
दंड / जुर्माना	9	भारतीय रिजर्व बैंक	₹ 90 लाख	बैंक में धोखाधड़ी रिपोर्टिंग साइबर सुरक्षा ढांचे के बारे में रिजर्व बैंक के निर्देशों और प्रायोजक बैंकों और कॉरपोरेट ग्राहक के रूप में एससीबी/यूसीबी के बीच भुगतान प्रणाली के नियंत्रणों को सुदृढ़ करने के बारे में सलाह का अनुपालन	नहीं
	9	भारतीय रिजर्व बैंक	₹ 13.90 लाख	आकस्मिक दौरों के समय रिक्त एटीएम और सिक्कों एवं छोटे मूल्य वर्ग के नोटों तथा कटे-फटे नोटों को बदलने से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना.	नहीं
	1	भारतीय रिजर्व बैंक	₹ 5.65 लाख	करेंसी चेस्टों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को किये गये विप्रेषणों के मामलों में करेंसी चेस्ट पर दंड.	नहीं
	1	भारतीय रिजर्व बैंक	₹ 3.95 लाख	'प्रत्येक 1000 खातों पर संधार्य शिकायतों' मानदंड में समकक्ष समूह के औसत का उल्लंघन	नहीं
	1	आय कर	₹ 1.78 लाख	आय की विवरणी दायर करते समय गलत दावा	नहीं
निपटान	0	0	0	0	0
कंपाउंडिंग शुल्क	0	0	0	0	0

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

गैर मौद्रिक

	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक / प्रवर्तन एजेंसी / न्यायिक संस्था का नाम	राशि (रुपये में)	मामले का संक्षिप्त सार	क्या कोई अपील दर्ज की गई है (हाँ / नहीं)
कारावास	0	0	0	0	0
सजा	0	0	0	0	0

3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में प्रकट की गयी जानकारी में से उन मामलों के ब्योरे जिनके मामले में अपील / संशोधन दर्ज किया गया है जहां मौद्रिक अथवा गैर मौद्रिक कार्रवाई करने की अपील की गयी है.

मामले का ब्योरा	विनियामक / प्रवर्तन एजेंसी / न्यायिक संस्थाओं के नाम
-	-

4. क्या संस्था की कोई भ्रष्टाचार निरोधक अथवा रिश्तखोरी निरोधक नीति है? यदि हाँ, तो उसका संक्षिप्त ब्योरा दें और यदि उपलब्ध हो तो इस नीति से संबंधित वेब लिंक उपलब्ध कराएं.

उत्तर. हाँ, सीवीसी मैनुअल(2021में अद्यतित)के अनुसार रिश्तखोरी, भ्रष्टाचार और सतर्कता संबंधी अन्य मामलों में बैंक केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी नीतियों/दिशानिर्देशों द्वारा संचालित होता है. सीवीसी मैनुअल सीवीसी की वेबसाइट (www.cvc.gov.in) पर उपलब्ध है.

इसके अतिरिक्त, अधिकारी अनुशासन और अपील की नियमावली -2006 (ओडीएआर 2006)पर बैंक की नीति के अनुसार इसमें भ्रष्टाचार करनेवाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश और प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है.

5. निदेशकों/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों/कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्त खोरी/भ्रष्टाचार के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है:

	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
निदेशक	0	0
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों	0	0
कर्मचारी	2*	2
कामगार	0	0

* केवल सीबीआई के मामलों के संदर्भ में.

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का ब्योरा:

	वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2021-22	
	संख्या	टिप्पणियाँ	संख्या	टिप्पणियाँ
निदेशकों के हितों के टकराव के मामलों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	शून्य	0	शून्य
केएमपी के हितों के टकराव के मामलों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	शून्य	0	शून्य

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में विनियामकों / कानून प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों द्वारा लगाये गये दंड / जुमनि / की गयी कार्रवाई से संबंधित मामलों पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो या की जा रही हो तो उसका विवरण प्रस्तुत करें. शून्य.

नेतृत्व संकेतक :

1. मूल्य शृंखला के सहभागियों के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर चलाये गये जागरूकता कार्यक्रम :

आयोजित किये गये जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण में शामिल किये गये विषय / सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किये गये मूल्य शृंखला के सहभागियों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये कारोबार मूल्य के आधार पर)
3	खुदरा बैंकिंग समूह (आरबीजी) योजनाएं और प्रक्रियाएं, संरचित खुदरा आस्ति (एसआरए) योजनाएं और तकनीकी कौशल विकास	2.24%*

* - आउटबाउंड सेल्स टीम, आरबीजी सेल्स टीम और बैंक ऑफिस सहायकों का प्रदान किया गया प्रशिक्षण

2. क्या संस्था के पास निदेशक मंडल के सदस्यों के हितों के टकराव को टालने के लिए / प्रबंधन करने के लिए कोई प्रक्रिया मौजूद है? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो उक्त का विवरण प्रस्तुत करें.

हाँ, बैंक के पास निदेशक मंडल के सदस्यों के हितों के टकराव को कम करने के लिए प्रणालियाँ और प्रक्रियाएं मौजूद हैं. बैंक की वेबसाइट पर रखी गई सामान्य आचरण संहिता में निदेशकों सहित सभी के हितों का टकराव शामिल है. इसके अतिरिक्त, इच्छुक निदेशक उक्त मद में भाग लेने से बचते हैं.

सिद्धांत 2:- कारोबार को इस प्रकार वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों

आवश्यक संकेतक:

1. संस्था द्वारा कुल आर एंड डी तथा पूंजीगत व्यय निवेशों के लिए योजना एवं प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभावों को सुधारने के लिए विशिष्ट तकनीकों में क्रमशः आर&डी और पूंजीगत व्यय (केपेक्स) निवेशों का प्रतिशत.

	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22	पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभावों में आये सुधार का ब्योरा
अनुसंधान और विकास	एक वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में परिचालनों की प्रकृति को देखते हुए लागू नहीं		
पूंजीगत व्यय	एक वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में परिचालनों की प्रकृति को देखते हुए लागू नहीं		

2. क. क्या संस्था के पास टिकाऊ सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हाँ/नहीं)

बैंक अपने वेंडरों/सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करेगा ताकि वह उन्हें कचरा प्रबंधन, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग, राष्ट्रीय एवं स्थानीय श्रम कानूनों का पालन जैसी स्थायी प्रथाओं के लिए उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए ईएसजी मापदंडों के अंतर्गत अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए तथा बाल मजदूरी, जबरदस्ती या मानव तस्करी के माध्यम से लाए गये मजदूरों आदि के मानवाधिकारों का संरक्षण कर सके.

- ख. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत निविष्टियों को स्थायी रूप से प्राप्त किया गया?

बैंक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं रख रहा है.

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

3. सुस्थापित प्रक्रियाओं का वर्णन करें जो (क) प्लास्टिक (पैकिंग सामग्री सहित) (ख) ई-कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य कचरे की री साइकलिंग करते हुए उसका सुरक्षित रूप से दोबारा उपयोग करने के लिए और अंत में उनको नष्ट करने के लिए लागू की गई हैं।

यह प्रश्न बैंक के लिए लागू नहीं है क्योंकि यह संस्था सेवा प्रदाता है और यह विनिर्माण उद्योग नहीं है।

4. क्या संस्था की गतिविधियों के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) लागू है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो क्या कचरा उठाने की योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की गई विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) के अनुरूप है? यदि नहीं, तो उक्त के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करें।

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक :

1. क्या संस्था ने अपने किसी भी उत्पाद के लिए (केवल विनिर्माण क्षेत्र के लिए) या अपनी किसी भी सेवा के लिए (केवल सेवा उद्योग के लिए) उसका जीवन चक्र परिदृश्य / मूल्यांकन (एलसीए) किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में उसका ब्योरा प्रस्तुत करें।

एनआईसी कोड	उत्पाद / सेवा का नाम	योगदान दिए गये कुल कारोबार का %	सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिदृश्य/ मूल्यांकन किया गया था	क्या किसी बाहरी स्वतंत्र संस्था द्वारा किया गया था? (हाँ / नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो कृपया वेब लिंक उपलब्ध कराएं
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2. यदि आपके उत्पाद के निर्माण अथवा सेवा से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक अथवा पर्यावरणीय सरोकार के मुद्दे पैदा हो रहे हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिदृश्य / मूल्यांकन में या अन्य किसी माध्यम के जरिये पहचाना गया है, तो उसका संक्षेप में वर्णन करें और उसे घटाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं, यह बताएं।

उत्पाद / सेवा का नाम	जोखिम / सरोकार का वर्णन	की गई कार्रवाई
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3. उत्पादन में (विनिर्माण उद्योग के लिए) अथवा सेवा प्रदान करने के लिए (सेवा उद्योग के लिए) उपयोग में लाई गई कुल सामग्री में से री-साइकल की गई या दोबारा उपयोग में लाई गई सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के रूप में)।

इनपुट की गई सामग्री का उल्लेख करें*	कुल सामग्री के मुकाबले री-साइकल की गई या दोबारा उपयोग में लाई गई इनपुट सामग्री	
	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* सेवा क्षेत्र में होने के कारण बैंक के पास ऐसी कोई भी मूर्त सामग्री नहीं है जिसे री-सायकल अथवा दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है।

4. निम्नलिखित प्रारूप में जीवन समाप्त, उत्पाद तथा पैकेजिंग सामग्री के दोबारा प्रयोग में लाई गई, री-साकल की गई और सुरक्षित रूप से नष्ट की गयी सामग्री की मात्रा (मेट्रिक टन में):

	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
	दोबारा प्रयोग की गई	री-साइकल की गई	सुरक्षित रूप से नष्ट की गई	दोबारा प्रयोग की गई	री-साइकल की गई	सुरक्षित रूप से नष्ट की गई
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	0	0	0	0	0	0
ई-वेस्ट	0	0	0	0	0	0
हानिकारक कचरा	0	0	0	0	0	0
अन्य कचरा	0	0	0	0	0	0

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए दोबारा दावा किये गये उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बचे गये उत्पादों के प्रतिशत के रूप में).

उत्पाद श्रेणी का उल्लेख करें	संबंधित श्रेणी में बचे गये कुल उत्पादों के % के रूप में दोबारा दावा किये गये उत्पाद और उनके पैकेजिंग की सामग्री
0	0

सिद्धांत 3:- कारोबारों को उनकी मूल्य श्रृंखलाओं के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए.

आवश्यक संकेतक :

1. क) कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का ब्योरा:

श्रेणी	कुल (ए)	निम्नलिखित द्वारा शामिल किए गए कर्मचारियों का %									
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		प्रसूती लाभ		पितृत्व लाभ		पालना घर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)	संख्या (डी)	% (डी / ए)	संख्या (ई)	% (ई / ए)	संख्या (एफ)	% (एफ / ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	10,308	10,308	100%	10,308	100%	लागू नहीं	0%	10,308	100%	0	0%
महिला	5,112	5,112	100%	5,112	100%	5,112	100%	लागू नहीं	0%	0	0%
कुल	15,420	15,420	100%	15,420	100%	5,112	100%	10,308	100%	0	0%
स्थायी कर्मचारियों से इतर											
पुरुष	872	872	100%	872	100%	लागू नहीं	0%	0%	0%	0	0%
महिला	724	724	100%	724	100%	724	100%	लागू नहीं	0%	0	0%
कुल	1,596	1,596	100%	1,596	100%	724	100%	0%	0%	0	0%

- ख) कामगारों के कल्याण के लिए किये गये उपायों का ब्योरा :

श्रेणी	कुल (ए)	निम्नलिखित द्वारा शामिल किए गए कामगारों का %									
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		प्रसूती लाभ		पितृत्व लाभ		पालना घर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)	संख्या (डी)	% (डी / ए)	संख्या (ई)	% (ई / ए)	संख्या (एफ)	% (एफ / ए)
स्थायी कामगार											
पुरुष	643	643	100%	643	100%	लागू नहीं	0%	643	100%	0	0%
महिला	191	191	100%	191	100%	191	100%	लागू नहीं	0%	0	0%
कुल	834	834	100%	834	100%	191	100%	643	100%	0	0%

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

श्रेणी	निम्नलिखित द्वारा शामिल किए गए कामगारों का %										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		प्रसूती लाभ		पितृत्व लाभ		पालना घर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी कामगारों से इतर											
पुरुष	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
महिला	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
कुल	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

2. चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के सेवानिवृत्ति लाभों का ब्योरा:

लाभ	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल किए गए कर्मचारी	कुल कामगारों के प्रतिशत के रूप में शामिल किए गए कामगार	कटौती कर प्राधिकरण के पास जमा करा दी गई (हाँ / नहीं / लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल किए गए कर्मचारी	कुल कामगारों के प्रतिशत के रूप में शामिल किये गये कामगार	कटौती कर प्राधिकरण के पास जमा करा दी गई (हाँ / नहीं / लागू नहीं)
भविष्य निधि	2.81%	8.88%	हाँ	3.22%	16.14%	हाँ
ग्रैच्युटी	100%	100%	हाँ	100%	100%	हाँ
ईएसआई	0%	0%	लागू नहीं	0%	0%	लागू नहीं
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें (पेंशन / राष्ट्रीय पेंशन योजना)	97.17%	91.11%	लागू नहीं	96.75%	83.85%	हाँ

3. कार्य स्थलों तक पहुँच

क्या दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार संस्था के परिसर / कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुगम्य हैं ? यदि नहीं, तो क्या संस्था इस संबंध में कोई उपाय कर रही है ?

हाँ, बैंक की भी तकनीकी तौर पर संभव है, बैंक के परिसर / कार्यालय बैंक के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य हैं.

4. क्या संस्था के पास दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति मौजूद है ? यदि हाँ, तो उक्त नीति की वेब लिंक उपलब्ध कराएं.

हाँ, बैंक की समान अवसर नीति है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है. बैंक का यह प्रयास है कि कार्यस्थल पर समान अवसर सृजित करके और विविधता एवं समावेशन को ध्यान में रखते हुए तथा उसका सम्मान करते हुए अनुकूल और सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण बनाए रखा जाए. बैंक अपने सभी कर्मचारियों और सभी योग्य आवेदकों को उनकी जाति, वंश, धर्म, रंग, वंशज, वैवाहिक स्थिति, लिंग, आयु, राष्ट्रीयता, अक्षमता आदि पर ध्यान दिए बिना समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है. बैंक की नीति को <https://www.idbibank.in/pdf/Equal-Opportunity-Policy-Employees.pdf> पर देखा जा सकता है.

5. पैतृक लाभ की छुट्टी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की काम पर वापसी एवं काम पर बने रहने की दर.

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगार	
	काम पर लौटने की दर	बने रहने की दर	काम पर लौटने की दर	बने रहने की दर
पुरुष	100%	97.85%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	97.47%	93.80%	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	98.73%	95.82%	लागू नहीं	लागू नहीं

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों की शिकायतें सुनने का और उनका निवारण करने का कोई तंत्र मौजूद है ? यदि हाँ, तो उस तंत्र का ब्योरा संक्षिप्त में दीजिए.

	हाँ / नहीं (यदि हाँ, तो उक्त तंत्र का ब्योरा संक्षिप्त में दीजिए)
स्थायी कामगार	हां, कर्मचारियों / कामगारों को अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए बैंक के पास ऑन लाइन पोर्टल अर्थात् आई हृदयो है, जो बैंक के इंटरनेट पर मौजूद है. बैंक ने शिकायतों का निवारण करने को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से अपनी विभिन्न नीतियों, क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं में अपीलीय तंत्र को ही अंतर्भूत कर लिया है.
स्थायी कामगारों से इतर	
स्थायी कर्मचारी	
स्थायी कर्मचारियों से इतर	
	लागू नहीं

7. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यताप्राप्त संघ (घों) अथवा यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी / कामगार (ए)	संबंधित श्रेणी में उन कर्मचारियों/ कामगारों की कुल संख्या जो एसोसिएशन(नों) अथवा यूनियनों के सदस्य हैं (बी) [#]	% (बी/ए)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी / कामगार (सी)	संबंधित श्रेणी में उन कर्मचारियों / कामगारों की कुल संख्या जो एसोसिएशन(नों) अथवा यूनियनों के सदस्य हैं (डी) [#]	% (डी/ सी)
कुल स्थायी कर्मचारी	17,016*	10,451	61%	16,495*	10,349	63%
पुरुष	11,180	7,454	67%	10,885	7,411	68%
महिला	5,836	2,997	51%	5,610	2,938	52%
कुल स्थायी कामगार	834	806	97%	935	877	94%
पुरुष	643	643	100%	738	709	96%
महिला	191	163	85%	197	168	85%

* - इसमें संविदा पर कर्मचारी शामिल हैं .

- हालांकि, किसी भी यूनियन/संघ को मान्यता प्राप्त यूनियन का दर्जा नहीं दिया गया है, उपर्युक्त बैंक में संचालित प्रमुख यूनियनों /संघों की अस्थायी सदस्यता स्थिति दर्शाता है.

8. कर्मचारियों और कामगारों को दिए गये प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2022-23					वित्तीय वर्ष 2021-22				
	कुल (ए)	स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों पर सं. (बी)	% (बी/ए)	कौशल उन्नयन पर संख्या (सी)	% (सी/ए)	कुल (ए)	स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों पर सं. (बी)	% (बी/ए)	कौशल उन्नयन पर संख्या (सी)	% (सी/ए)
कर्मचारी										
पुरुष	11,180	1,768	15.81%	10,765	96.29%	10,885	941	8.64%	10,588	97.27%
महिला	5,836	1,035	17.73%	5,587	95.73%	5,610	849	15.13%	5,377	95.85%
कुल	17,016	2,803	16.47%	16,352	96.10%	16,495	1,790	10.85%	15,965	96.79%
कामगार										
पुरुष	643	539	83.83%	525	81.65%	738	63	8.54%	64	8.67%
महिला	191	170	89.01%	173	90.58%	197	25	12.69%	29	14.72%
कुल	834	709	85.01%	698	83.69%	935	88	9.41%	93	9.95%

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

9. कर्मचारियों और कामगारों के कार्यनिष्पादन और करियर विकास की समीक्षा का ब्योरा:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2022-23*			वित्तीय वर्ष 2021-22*		
	कुल (ए)	संख्या (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	संख्या (डी)	% (डी/सी)
कर्मचारी						
पुरुष	10,028	10,028	100%	10,172	10,172	100%
महिला	4,938	4,938	100%	4,746	4,746	100%
कुल	14,966	14,966	100%	14,918	14,918	100%
कामगार						
पुरुष	735	735	100%	802	802	100%
महिला	206	206	100%	206	206	100%
कुल	941	941	100%	1,008	1,008	100%

* कार्य-निष्पादन मूल्यांकन/समीक्षा के लिए पात्र कर्मचारी और कामगार (निकल गए कर्मचारियों का मूल्यांकन शामिल है) और संविदा पर कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क) क्या संस्था द्वारा कोई व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है ? हाँ /नहीं) यदि हाँ, इस प्रणाली की व्याप्ति क्या है ?

हाँ, बैंक के पास व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रणाली मौजूद है। बैंक ने अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, प्रधान कार्यालय में तथा कुछ आंचलिक कार्यालयों में चिकित्सा अधिकारी की व्यवस्था (बीएमओ)की है और अपने अधिकारियों के लिए एर्गोनॉमिक कुर्सियों की व्यवस्था की है।

ख) संस्था द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर कार्य से संबंधित खतरों की पहचान करने और जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

बैंक अपने सभी स्टाफ सदस्यों के लिए आवधिक रूप से अग्नि शमन के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन करता है। बैंक अपने सभी उपकरणों का निवारक रखरखाव भी आयोजित करता है।

ग) क्या आपके पास कामगारों द्वारा काम से संबंधित खतरों को रिपोर्ट करने तथा उन्हें स्वयं को वहाँ से हटाने की प्रणाली मौजूद है ? (हाँ /नहीं) ?

हाँ

घ) क्या संस्था के कर्मचारियों/कामगारों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य जांच सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध है ? (हाँ / नहीं) ?

हाँ

11. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं का निम्नलिखित प्रारूप में ब्योरा :

सुरक्षा से संबंधित घटना/संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
लॉस्ट टाइम इंज्युरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति घंटे के काम के दौरान)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0
काम-काज से जुड़ी दर्ज करने योग्य कुल चोटें	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0
मृतकों का आंकड़ा	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0
कार्य से जुड़ी चोट के भारी परिणाम अथवा अस्वास्थ्य (मृतकों की संख्या को छोड़कर)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0

12. संस्था द्वारा सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल को सुनिश्चित करने के लिए किये गये उपायों का वर्णन करें।

बैंक ने सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यकारक कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- बैंक के मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में तथा अपने सभी अंचल कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए आवधिक रूप से अग्निशमन की कवायद का प्रशिक्षण प्रदान किया;

- सभी कार्यालय परिसरों में अग्निशमन सहायता उपकरण, आग लगने पर खतरे की घंटी, और अग्नि शमन उपकरण का प्रावधान, और
- मुंबई में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में और कुछ अंचल कार्यालयों में बैंक के चिकित्सा अधिकारी की उपलब्धता.

13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित के बारे में की गयी शिकायतों की संख्या :

	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में अनिर्णीत	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में अनिर्णीत	टिप्पणियाँ
कामकाज की स्थिति	0	0	0	0	0	0
स्वास्थ्य और सुरक्षा	0	0	0	0	0	0

14. वर्ष के लिए मूल्यांकन

	आपके उन संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था द्वारा अथवा सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा अथवा किसी अन्य पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा की प्रथाएं	0
कामकाज की स्थितियाँ	0

15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण जोखिमों / मुद्दों का विवरण प्रदान करें.

यह प्रश्न बैंक के लिए लागू नहीं है, क्योंकि वर्ष के दौरान कार्यालयों का मूल्यांकन नहीं किया गया था.

नेतृत्व के संकेतक:

1. क्या संस्था (क) किसी कर्मचारी (हाँ/नहीं)(ख)किसी कामगार(हाँ/नहीं) की मृत्यु होने की स्थिति में कोई जीवन बीमा अथवा कोई क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करती है ?

उत्तर. हाँ, बैंक अपने कर्मचारियों और कामगारों को जीवन बीमा सुरक्षा और क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करता है.

2. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य श्रृंखला के भागीदारों द्वारा सांविधिक देयताओं की कटौती की गई तथा उस राशि को जमा किये जाने के बारे में किये गये उपायों के बारे में बताएं.

बैंक यह प्रयास करता है कि उसके मूल्य श्रृंखला के भागीदार भविष्य निधि और उपदान जैसी सांविधिक कटौतियां करते हैं और उनको जमा भी करते हैं.

3. उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या दें जिन्हें काम से संबंधित अत्यधिक गंभीर चोट / बीमारी / मृत्यु हुई है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्र11 में रिपोर्ट किया गया है), और जिनका पुनर्वसन किया गया है और उन्हें यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है अथवा जिनके परिवार के सदस्यों को यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है:

	प्रभावित कर्मचारियों / कामगारों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों / कामगारों की कुल संख्या जिनका पुनर्वसन किया गया है और जिन्हें यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है अथवा जिनके परिवार के सदस्यों को यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है	
	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
कर्मचारी	0	0	0	0
कामगार	0	0	0	0

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

4. क्या संस्था सेवानिवृत्ति अथवा रोजगार समाप्त होने के बाद निरंतर नियोजन योग्यता और करियर समाप्ति के प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम संचालित करती है? (हां/ नहीं).

हाँ, बैंक अपने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करता है जिससे वे कर्मचारी अपना सेवानिवृत्त जीवन आसानी से बिता सकें. ये कार्यशालाएं इस उद्देश्य से चलाई जाती हैं कि वे कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद होनेवाले शारीरिक तथा मानसिक बदलावों के लिए तैयार हो सकें. आईडीबीआई प्रशिक्षण कॉलेज, हैदराबाद में तीन दिवसीय पाठ्यक्रम में ये कार्यशालाएं चलाई जाती हैं :

- स्वस्थ बुढ़ापा और शारीरिक बदलावों का प्रबंधन
- सेवानिवृत्ति के बाद समग्र जीवन के लिए तंदुरुस्त रहने का एकमात्र व्यक्तिगत लक्ष्य
- आहार और जीवन शैली का अभ्यास
- सर्वांगीण सुख पाने के लिए योग और ध्यान धारणा के मार्ग को अपनाना
- जीवन और जीविका का तत्वज्ञान (आध्यात्मिक पहलू)
- दूसरा करियर, सक्रिय रूप से बुढ़ापे को जीना और सामाजिक संबंध
- सफलतापूर्वक संक्रमण के लिए मानसिक कवायद
- कर संबंधी पहलुओं सहित वित्त और निवेशों का प्रबंध करना
- वसीयत बनाने का महत्व और नामांकन के नियम
- अधिवर्षिता के लाभ

5. मूल्य शृंखला के भागीदारों के मूल्यांकन का ब्योरा:

	मूल्य शृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये कारोबार का मूल्य) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं	0
कार्य स्थल की स्थितियाँ	0

6. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के मूल्यांकन और मूल्य शृंखला भागीदारों की कार्य स्थितियों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / मुद्दों को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.

यह प्रश्न बैंक के लिए लागू नहीं है, क्योंकि मूल्य शृंखला भागीदारों का मूल्यांकन नहीं किया गया.

सिद्धांत 4: कारोबारों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों का पता लगाने के लिए अपनायी गयी प्रक्रियाओं का वर्णन करें.

बैंक ने अपने संचालनों और लोगों के माध्यम से मूल्य वर्धन की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक हितधारक-समावेशी दृष्टिकोण लागू किया है. इस दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में, बैंक रणनीतिक रूप से व्यक्तियों, संस्थाओं और समूहों को उनके प्रभाव, जिम्मेदारी और एक दूसरे पर निर्भरता के स्तर के आधार पर प्राथमिकताएं तय करता है और उनसे जुड़ता है.

2. उन हित धारक समूहों की सूची जिन्हें आपकी संस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है और हर हित धारक समूह के साथ नियोजन की आवृत्ति

हित धारक समूह	क्या उसे कमजोर और सीमांत समूह के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है (हाँ / नहीं)	संप्रेषण के चैनल (ई मेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापनों, समुदाय की बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेब साइट), अन्य	नियुक्ति की आवृत्ति (वार्षिक / छः माहों/ अन्य निर्दिष्ट करें)	इस तरह की नियुक्ति के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और मुद्दों सहित ऐसी नियुक्ति का उद्देश्य और उनका दायरा
ग्राहक	नहीं	बैंक अपने ग्राहकों के साथ ईमेल, एसएमएस, व्यक्तिगत बैठकें, वेबसाइट, नोटिस बोर्ड, प्रिंट और टेलीविजन मार्केटिंग अभियान, ग्राहक सेवा चैनल - ऐप, सोशल मीडिया के माध्यम से संचार करता है।	आवश्यकता - आधारित	<ul style="list-style-type: none"> ग्राहक प्रतिसूचना ग्राहकों की शिकायतें उत्पादों और सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करना
समुदाय	नहीं	बैंक अपने समुदाय के सदस्यों के साथ ई मेल के माध्यम से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के साथ प्रत्यक्ष रूप से मिलकर संप्रेषण करता है।	आवश्यकता - आधारित	<ul style="list-style-type: none"> समुदाय की शिकायतें चुनौतियाँ और सुधार की गुंजाइश
कर्मचारी	नहीं	बैंक अपने कर्मचारियों से ई-मेल के माध्यम से, व्यक्तिगत बैठकें, टाउन हाल, सर्वेक्षणों, कर्मचारियों के शिकायत चैनलों, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों, इंटरनेट पोर्टल के माध्यम से संपर्क करता है।	अवसर	<ul style="list-style-type: none"> नई नीतियाँ कर्मचारियों की शिकायतें बुद्धिमत्ता प्रबंधन अभ्यास और विकास वार्षिक कार्यानिष्पादन प्रबंधन
निवेशक	नहीं	बैंक अपने निवेशकों के साथ ईमेल, वेबसाइट, वार्षिक महा बैठकें, निवेशक शिकायत चैनलों के माध्यम से संप्रेषण करता है।	आवश्यकता - आधारित	<ul style="list-style-type: none"> कार्यानिष्पादन और अद्यतन अत्यावधि / दीर्घावधि कारोबारी रणनीति
विक्रेता और आपूर्तिकर्ता	नहीं	बैंक अपने विक्रेताओं से ईमेल, व्यक्तिगत बैठकें, आभासी बैठकें, वेबसाइट के माध्यम से संप्रेषण करता है।	आवश्यकता - आधारित	<ul style="list-style-type: none"> ऑन-बोर्डिंग के दौरान समुचित सावधानी आपूर्तिकर्ताओं का आवधिक मूल्यांकन

नेतृत्व के संकेतक

1. हितधारकों और बोर्ड के बीच आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें अथवा यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को ऐसे परामर्शों से प्राप्त प्रतिक्रिया कैसे प्रदान की जाती है।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रमुख महत्वपूर्ण विषयों की पहचान करने के उद्देश्य से अपना पहला महत्वपूर्ण मूल्यांकन प्रारंभ किया। बैंक इस समय स्टेकधारकों के सभी समूहों में, जैसे ग्राहक, कर्मचारी, निवेशक, समुदाय, विक्रेताओं और वरिष्ठ प्रबंधन की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने के लिए विस्तारित स्टेकधारक नियोजन और महत्वपूर्ण मूल्यांकन में नियोजित है और व्यापार की प्रमुखता के लिए इनपुट दिया जाता है। महत्वपूर्ण विषयों की बैंक द्वारा समीक्षा की गई।

2. क्या पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों की पहचान करने और प्रबंधन के लिए हितधारक परामर्श की सहायता ली जाती है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो इस बात के ब्योरे प्रस्तुत करें कि किस प्रकार हित धारकों से इन विषयों पर प्राप्त जानकारी को संस्था की नीतियों एवं गतिविधियों में किस प्रकार शामिल किया गया? .

स्टेकधारक नियोजन और महत्वपूर्ण मूल्यांकन की अंतर्दृष्टि के आधार पर, बैंक ऐसे प्रमुख सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर पहुंचा है जो बैंक और उसके स्टेकधारकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। बैंक निर्दिष्ट प्रमुख विषयों के साथ अपने कारोबार रणनीति को संरेखित करने और उपर्युक्त को आगे बढ़ाने के लिए उचित पहल /उपाय करने का प्रयास करेगा।

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

3. कमजोर / सीमांत हित धारक समूहों के मुद्दों का निवारण करने के लिए नियोजित और कार्रवाई करने की घटनाओं के विवरण प्रदान करें.

बैंक के पास अपने हितधारकों अर्थात ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों और सीएसआर लाभार्थियों की शिकायतों / मुद्दों का निवारण करने के लिए नीतियां हैं. मूल्य श्रृंखला के भागीदारों की शिकायत / मुद्दों का मामला-दर-मामला आधार पर निवारण किया जाता है.

सिद्धांत 5- कारोबारों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारियों और कामगारों को संस्था के मानवाधिकारों के मुद्दों और नीति(यों) पर दिये गए प्रशिक्षण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में हैं:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
	कुल (ए)	शामिल किये गये कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (बी)	प्रतिशत (बी / ए)	कुल (सी)	शामिल किये गये कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (डी)	प्रतिशत (डी / सी)
कर्मचारी						
स्थायी	15,420	14,922	96.77%	15,477	12,951	83.68%
स्थायी से इतर	1,596	1,430	89.60%	1,018	427	41.94%
कुल कर्मचारी	17,016	16,352	96.10%	16,495	13,378	81.10%
कामगार						
स्थायी	834	698	83.69%	935	160	17.11%
स्थायी से इतर	0	0	0%	0	0	0%
कुल कामगार	834	698	83.69%	935	160	17.11%

* इसमें संबंधित विषयों पर कई बार प्रदान किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं

2. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और कामगारों को अदा की गयी न्यूनतम मजदूरी का ब्योरा :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2022-23					वित्तीय वर्ष 2021-22				
	कुल (ए)	न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		संख्या (बी)	प्रतिशत (बी / ए)	संख्या (सी)	प्रतिशत (सी / ए)		संख्या (ई)	प्रतिशत (ई / डी)	संख्या (एफ)	प्रतिशत (एफ/डी)
कर्मचारी										
स्थायी	15,420	शून्य	लागू नहीं	15,420	100%	15,461	शून्य	लागू नहीं	15,461	100%
पुरुष	10,308	शून्य	लागू नहीं	10,308	100%	10,408	शून्य	लागू नहीं	10,408	100%
महिला	5,112	शून्य	लागू नहीं	5,112	100%	5,053	शून्य	लागू नहीं	5,053	100%
स्थायी से इतर	1,596	शून्य	लागू नहीं	1,596	100%	1,034	शून्य	लागू नहीं	1,034	100%
पुरुष	872	शून्य	लागू नहीं	872	100%	477	शून्य	लागू नहीं	477	100%
महिला	724	शून्य	लागू नहीं	724	100%	557	शून्य	लागू नहीं	557	100%

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2022-23					वित्तीय वर्ष 2021-22				
	कुल (ए)	न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		संख्या (बी)	प्रतिशत (बी / ए)	संख्या (सी)	प्रतिशत (सी / ए)		संख्या (ई)	प्रतिशत (ई / डी)	संख्या (एफ)	प्रतिशत (एफ/डी)
कामगार										
स्थायी	834	शून्य	लागू नहीं	834	100%	935	शून्य	लागू नहीं	935	100%
पुरुष	643	शून्य	लागू नहीं	643	100%	738	शून्य	लागू नहीं	738	100%
महिला	191	शून्य	लागू नहीं	191	100%	197	शून्य	लागू नहीं	197	100%
स्थायी से इतर	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
पुरुष	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
महिला	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक / वेतन / मजदूरी का ब्योरा:

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी के माध्यिका पारिश्रमिक / वेतन / मजदूरी (₹ में)	संख्या	संबंधित श्रेणी के माध्यिका पारिश्रमिक / वेतन / मजदूरी (₹ में)
निदेशक मंडल (बीओडी)	9*	24,80,000	1**	26,60,000
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	4	91,04,269	1**	29,70,278
निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को छोड़ कर अन्य कर्मचारी	11,184	16,70,189	5,816	14,99,606
कामगार	642	9,39,353	192	13,96,744

* निदेशक मंडल के विवरण में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा दो डीएमडी के विवरण शामिल नहीं हैं क्योंकि उनके विवरण को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक में शामिल किया गया है। इसके अलावा, निदेशक मंडल को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है, लेकिन बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है और बैठक शुल्क का विवरण भी प्रदान किया गया है। भारत सरकार के नामित निदेशकों को बैठक शुल्क नहीं मिलता है और इसलिए उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

** माध्यिका की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि प्रत्येक श्रेणी में अर्थात् निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की श्रेणी में केवल एक महिला प्रतिनिधि है।

4. क्या आपका कोई ऐसा केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो कारोबार द्वारा उत्पन्न अथवा योगदान द्वारा मानवाधिकारों के प्रभावों या मुद्दों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार है? (हां/नहीं)

बैंक ने मानवाधिकार नीति बनायी है, जो कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों पर लागू होती है। उक्त नीति में व्यापक रूप से (i) कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा, (ii) कार्यबल विविधता (ii) बाल श्रम और जबरन श्रम का निषेध (iii) उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल (iv) मानव गरिमा (v) न्यूनतम मजदूरी और लाभ (vi) कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया और शिकायतें और (vii) कारोबार के संबंध में नैतिक आचरण शामिल हैं। बैंक के पास लागू आचरण नियमों/नीतियों में सक्षम प्रावधान हैं जो ऐसे मुद्दों के लिए समाधान प्रदान करते हैं।

5. मानवाधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

बैंक उस मूल्यवान भूमिका को स्वीकार करता है जो कारोबार बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकारों के दीर्घकालिक संरक्षण में निभा सकते हैं। इन मूलभूत सिद्धांतों के प्रति बैंक का समर्थन बैंक की नीतियों और उसके स्टेकधारकों के प्रति निभाये गये कार्यों में परिलक्षित होता है। बैंक ने कर्मचारी शिकायतें दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल अर्थात् i-HRIDAYO चालू किया है जो भेदभाव और उत्पीड़न जिसमें शिकायतकर्ता संतुष्ट न होने पर टैग कर सकता है, से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायत निवारण समिति गठित की है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पोश अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है। बैंक ने मानवाधिकार नीति भी लागू की है, जो सभी कर्मचारियों सहित सभी स्टेकधारकों पर भी लागू होती है।

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गयी शिकायतों की संख्या :

	वित्तीय वर्ष 2022-23*			वित्तीय वर्ष 2021-22*		
	वर्ष के दौरान दर्ज की गयी	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दर्ज की गयी	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियाँ
यौन उत्पीड़न	7	5	0	8	1	0
कार्यस्थल पर भेद भाव	9	2	0	4	0	0
बाल श्रमिक	0	0	0	0	0	0
जबरदस्ती श्रम / अनिलुक्त श्रम	0	0	0	0	0	0
मजदूरी	3	2	0	0	0	0
मानवाधिकारों से संबंधित अन्य मामले	0	0	0	0	0	0

*इसमें i-HRIDAYO प्रणाली के माध्यम से प्राप्त तथा शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) तक प्रेषित की गयीं शिकायतें भी शामिल हैं।

7. भेदभाव और उत्पीड़न मामलों में शिकायतकर्ताओं को प्रतिकूल परिणामों से बचाने के लिए तंत्र.

बैंक ने सतर्कता तंत्र पर एक नीति बनाई है, जो कार्यस्थल पर देखे गये अनैतिक आचरण, कदाचार, गलत कामों आदि का अत्यधिक गोपनीय तरीके से एक पोर्टल के माध्यम से प्रकटन करने के लिए सभी कर्मचारियों को एक ढांचा उपलब्ध कराती है और इसके लिए उन्हें शक्तियाँ भी प्रदान करती हैं। इस पोर्टल को केवल आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के मुख्य महाप्रबंधक ही देख सकते हैं। ऐसी घटनाओं के बारे में सचेत करनेवाले व्यक्ति (व्हिसल ब्लोअर) ऐसे मुद्दों/शिकायतों को बैंक की इंटरनेट साइट पर बनायी गयी एक अलग ई-मेल लॉग इन सुविधा के माध्यम से बैंक को भेज सकते हैं। व्हिसल ब्लोअर द्वारा भेजे गए मेल को केवल एक प्राधिकृत व्यक्ति ही प्राप्त/एक्सेस कर सकता है। नामित अधिकारी प्राप्त शिकायत/मुद्दों को अत्यंत गोपनीय बनाये रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि मुद्दे के सभी विवरण और व्हिसल ब्लोअर की पहचान को गोपनीय रखा जाए। व्हिसल ब्लोअर इस संबंध में सीवीसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोपों का खुलासा करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से भी सीधे संपर्क कर सकता है। बैंक के पास कर्मचारियों के लिए POSH नीति आंतरिक रूप से भी उपलब्ध है। बैंक की मानवाधिकार नीति मानवाधिकारों की रक्षा करने और काम के माहौल को उत्पीड़न मुक्त बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

8. क्या मानवाधिकार की अपेक्षाएं आपके कारोबारी करारों और संविदाओं का हिस्सा होती हैं? (हाँ/नहीं)

हाँ. बैंक के कारोबारी करारों में और संविदाओं में यह निर्धारित है कि प्रतिपक्ष सभी लागू राष्ट्रीय कानूनों और विनियमनों, जिसमें मानवाधिकारों से संबंधित कानून भी शामिल हैं, का पालन करती है।

9. वर्ष के लिए मूल्यांकन :

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था द्वारा अथवा सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा अथवा किसी अन्य पक्ष द्वारा)
बाल श्रमिक	शून्य
जबरदस्ती अनैच्छिक श्रमिक	शून्य
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्य स्थल पर भेद भाव	शून्य
मजदूरी	शून्य
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य

10. उपर्युक्त प्रश्न 9 के मूल्यांकन से उत्पन्न हुई महत्वपूर्ण जोखिमों / मुद्दों का समाधान करने के लिए कोई की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाइयों के विवरण प्रदान करें.

ऐसा कोई भी मूल्यांकन नहीं किया गया है.

नेतृत्व के संकेतक

1. मानवाधिकार संबंधी शिकायतों/मुद्दों के निपटाने के परिणामस्वरूप संशोधित की जा रही / लागू की गयी कारोबारी प्रक्रिया का ब्योरा.
बैंक ने ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं की है जिसमें मौजूदा प्रक्रियाओं में संशोधन की आवश्यकता हो.
2. किसी भी मानवाधिकार के लिए की गई समुचित सावधानी की व्याप्ति और उनका दायरा संबंधी विवरण दें.

बैंक ने किसी भी मानवाधिकार के लिए कोई समुचित सावधानी का आयोजित नहीं किया है.

3. क्या संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार विकलांग आगंतुकों के लिए पहुँच योग्य हैं ?

दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, बैंक ने दिव्यांग आगंतुकों के लिए पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अपने परिसर में जहाँ कहीं भी तकनीकी रूप से संभव हो आवश्यक भौतिक बुनियादी ढांचा तैयार किया है.

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन का ब्योरा :

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये कारोबार के मूल्य के साथ) जिनका मूल्यांकन किया गया है.
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
बाल श्रमिक	शून्य
जबरदस्ती श्रमिक / अनैच्छिक श्रमिक	शून्य
मजदूरी	शून्य
अन्य कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य

5. उपर्युक्त प्रश्न 4 के मूल्यांकन से उत्पन्न हुई महत्वपूर्ण जोखिमों/मुद्दों का समाधान करने के लिए की गई कार्रवाई के विवरण प्रदान करें.

बैंक ने अभी तक ऐसा कोई भी मूल्यांकन नहीं किया है.

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

सिद्धांत 6: कारोबारों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और पर्यावरण को संरक्षित करने तथा उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए¹

आवश्यक संकेतक

- निम्नलिखित फॉर्मेट में ऊर्जा की कुल खपत के ब्योरे (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा की तीव्रता:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
बिजली की कुल खपत (ए) गीगाजूल (जीजे)	17,638.64	17,807.03
ईंधन की कुल खपत (बी)(जीजे)	7.95	14.45
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी) (जीजे)	-	-
ऊर्जा की कुल खपत (ए + बी + सी) (जीजे)	17,646.59	17,821.48
प्रत्येक रुपये के कुल कारोबार के प्रति ऊर्जा की तीव्रता (जीजे) (ऊर्जा की कुल खपत / रुपयों में कुल कारोबार)	0.71	0.78
ऊर्जा की तीव्रता (वैकल्पिक) - संस्था संबंधित मेट्रिक को चुन सकती है	-	-

टिप्पणी: सूचित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन / आकलन/ आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं.

नहीं

- क्या संस्था के पास भारत सरकार के कार्यनिष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट / सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो प्रकट करें कि क्या पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है। यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गयी सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, के बारे में जानकारी प्रदान करें. बैंक सरकार की पीटीए योजना के अंतर्गत नहीं आता है. अतः यह प्रश्न बैंक पर लागू नहीं होता है.
- निम्नलिखित फॉर्मेट में जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण के ब्योरे प्रस्तुत करें:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
स्रोत से जल की निकासी (किलो लीटर्स में)		
(i) भूपृष्ठीय जल	0	0
(ii) भूजल	0	0
(iii) अन्य पक्ष जल	34,089.22	27,044.56
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल (desalinated)	0	0
(v) अन्य	0	0
जल निकासी की कुल मात्रा (किलो लीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	34,089.22	27,044.56
जल की खपत की कुल मात्रा (किलो लीटर में)*	34,089.22	27,044.56
प्रति रुपये कुल कारोबार के प्रति जल की खपत की तीव्रता (किलोलीटर/सीआर) (खपत जल / टर्नओवर)	1.37	1.18
जल खपत की तीव्रता (वैकल्पिक) - संस्था द्वारा चयनित किए गए संबंधित मेट्रिक	-	-

* जल निकासी की कुल मात्रा में नगर पालिका से जल और पैकेज्ड पेय जल शामिल है.

टिप्पणी : कृपया यह दर्शाएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से आँकलन / मूल्यांकन / आश्वासन दिया गया है ? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं.

नहीं.

1 - सिद्धांत 6 में प्रस्तुत डेटा - 1 केवल मुंबई स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय अर्थात् आईडीबीआई टॉवर से संबंधित है.

4. क्या संस्था ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है ? यदि हां, तो इसके व्याप्ति और कार्यान्वयन का विवरण दें.

हाँ, बैंक ने मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में अर्थात् आईडीबीआई टॉवर्स में एसटीपी स्थापित किया है और उपयोग किये गए जल को केन्द्रीकृत वातानुकूलन संयंत्र के लिए दोबारा प्रयोग में लाया जाता है.

5. कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा)का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

मापदंड	कृपया यूनिट बताएं	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
एन ओ एक्स (NOx)	किलो ग्राम	6.49	11.80
एस ओ एक्स (SOx)	किलो ग्राम	0.003	0.005
कणिका तत्व (पी एम)	किलो ग्राम	0.34	0.62
अनवरत जैविक प्रदूषक (पी ओ पी)		लागू नहीं	लागू नहीं
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)		लागू नहीं	लागू नहीं
हानिकारक हवा प्रदूषक (एच ए पी)		लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें		लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी: कृपया यह दर्शाएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से ऑकलन/मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं.

नहीं

6. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
क्षेत्र 1 का कुल उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ ₂ , सीएच ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ ₆ , एनएफ ₃ का अलग-अलग विवरण, यदि उपलब्ध हो).	सीओ ₂ के समकक्ष मेट्रिक टन	1.07	0.59
क्षेत्र 2 का कुल उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ ₂ , सीएच ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ ₆ , एनएफ ₃ का अलग-अलग विवरण, यदि उपलब्ध हो).	सीओ ₂ के समकक्ष मेट्रिक टन	3,479.32	3,908.72
प्रति रुपया कारोबार के हिसाब से क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 का उत्सर्जन	सीओ ₂ /क्रे. का मेट्रिक टन	0.14	0.17
क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 के उत्सर्जन की तीव्रता (वैकल्पिक) - संस्था अपना संबंधित मेट्रिक स्वयं चुन सकती है			

टिप्पणी: कृपया यह दर्शाये कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से ऑकलन/मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं.

नहीं

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

7. क्या संस्था के पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है ? यदि हाँ, तो विवरण दें.

हाँ. बैंक ने ऊर्जा की खपत को घटाने के लिए बहुत सारी पहलें और जागरूकता अभियान चलाये हैं. ऊर्जा की खपत को घटाने के लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- केंद्रीकृत वातानुकूलन संयंत्र/डक्ट वातानुकूलन संयंत्र/स्प्लीट और खिड़कियों में लगाये जाने वाले वातानुकूलन संयंत्रों का तापमान 25°C पर बनाये रखा जाता है.
- उपयोग में न होने पर केबिन्स और बैंक ऑफिस की सभी लाइट बंद कर दी जाती हैं.
- जब कोई पीसी 30 मिनट से अधिक तक उपयोग में न होने पर उसे बंद कर दिया जाता है.
- टेलीविजन, फोटोकॉपियर, श्रेडर मशीन और अन्य व्यावसायिक स्वचालित उपकरणों को उपयोग में न होने पर बंद किया जाता है.
- प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम उपयोग किया जाता है और बिजली के लाइटों का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाता है.
- ऊर्जा की हानि से बचने के लिए सभी उपकरणों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से वार्षिक रखरखाव अनुबंधों का समयबद्ध तरीके से नवीकरण किया जाता है.

8. संस्था द्वारा कचरा प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
उत्पन्न कुल कचरा (मेट्रिक टन में)		
प्लास्टिक कचरा (ए)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
इलेक्ट्रॉनिक कचरा (बी)*	2.87	2.30
जैव-चिकित्सीय कचरा (सी)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
निर्माण और विनष्टीकरण का कचरा (डी)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
बैटरी कचरा (ई)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
रेडियो एक्टिव कचरा (एफ)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
अन्य हानिकारक कचरा, यदि कोई हो, कृपया निर्दिष्ट करें (जी)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उत्पन्न हुआ अन्य गैर हानिकारक कचरा (एच) यदि कोई हो तो, कृपया निर्दिष्ट (कचरे के संयोजन के आधार पर ब्रेकअप अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री)	408	उपलब्ध नहीं
कुल (ए +बी + सी + डी + ई + एफ + जी + एच)	410.87	2.30
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्नवीनीकरण के जरिए पुनः प्राप्त किया गया कुल कचरा, पुनःउपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति से संबंधित परिचालन (मेट्रिक टन में)#		
कचरे की श्रेणी		
(i) री-साइकिल्ड [^]	170.87	उपलब्ध नहीं
(ii) पुनःउपयोग	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कुल	170.87	उपलब्ध नहीं

उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, उनका निपटान करने के प्रकार के आधार पर नष्ट किया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में)

कचरे की श्रेणी		
(i) जलाना	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
(ii) जमीन में भर देना	240	उपलब्ध नहीं
(iii) नष्ट करने के अन्य परिचालन	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कुल	240	उपलब्ध नहीं

* उत्पन्न हुए ई-कचरे की मात्रा की गणना भारित औसत पर की गई है।

अन्य हानिकारक कचरे में खाद्य अपशिष्ट सहित मिश्रित अपशिष्ट शामिल हैं। उल्लिखित मात्रा प्रतिदिन उत्पन्न कचरे और कार्यदिवसों की संख्या के आधार पर परिकल्पित एक मोटा अनुमान है।

^खाद्य अपशिष्ट को कॉम्प्लेक्स के भीतर कम्पोस्ट में री-साइकल किया जाता है और ई-कचरा पंजीकृत री-साइकल को सौंप दिया जाता है।

टिप्पणी: कृपया यह दर्शाएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से आकलन/मूल्यांकन / आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं

9. अपने प्रतिष्ठानों में अपनायी गयी कचरा प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी ने ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए क्या रणनीतियां एवं प्रथाएं अपनायी है। उनका वर्णन करें।

कंपनी जिस क्षेत्र में है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कचरा सबसे हानिकारक कचरे में से एक है। बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन नीति बनायी है जिसमें सभी शाखाएं, वर्टिकलों, क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों को शामिल किया गया है। पर्यावरण, वन और मौसम परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा जारी किये गये मौजूदा निपटान संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए, बैंक सुनिश्चित करता है कि सारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न होने के 180 दिनों के भीतर नष्ट कर दिया जाता है। उपर्युक्त सारा कचरे का निपटान पंजीकृत री-साइकलर्स से ही किया जाता है। बैंक ने उत्पन्न हुए तथा निपटान किये गये ई कचरे को ट्रैक करने के लिए एक प्रणाली सुस्थापित की है।

10. यदि संस्था के परिचालन/कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अथवा उसके आस पास स्थित हैं, (जैसे नैशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, जीवमंडल भंडार, झीलों, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) जहां पर्यावरणीय अनुमोदन / मंजूरी आवश्यक है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करें।

क्रम संख्या	परिचालन / कार्यालयों का स्थान	परिचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन /मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है ? (हाँ/नहीं). यदि नहीं, तो उसका कारण और किये गये सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हो.
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

11. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा किए गए परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का विवरण:

परियोजना का नाम और संक्षिप्त ब्योरे	ईआइए अधिसूचना संख्या	तारीख	क्या किसी स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया? (हाँ/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किये गये परिणाम (हाँ/नहीं)	संबंधित वेब लिंक
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

12. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरणीय कानून/ विनियमों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है, जैसे जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु, (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियम (हाँ /नहीं) . यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

हां, संस्था भारत में लागू सभी पर्यावरणीय कानूनों/ नियमों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है, जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियम.

क्रम संख्या	उस कानून / विनियम / दिशानिर्देश का उल्लेख करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया था	गैर अनुपालन का ब्योरा प्रस्तुत करें	विनियामक एजेंसियों जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा अदालतों द्वारा लगाया गया दंड/ जुर्माना/ कार्रवाई आदि	की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो

शून्य

नेतृत्व के संकेतक

1. नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा का (जूल अथवा गुणकों में) अलग-अलग विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
नवीकरणीय स्रोतों से		
बिजली की कुल खपत (ए) (गीगाजूल)	0.00	0.00
ईंधन की कुल खपत (बी) (गीगाजूल)	0.00	0.00
अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत (सी) (गीगाजूल)	0.00	0.00
नवीकरणीय स्रोतों (ए+बी+सी) (जीजे) से खपत की गई कुल ऊर्जा	0.00	0.00
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
बिजली की कुल खपत (डी) (जीजे)	17,638.64	17,807.03
ईंधन की कुल खपत (ई) (जीजे)	7.95	14.45
अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत (एफ) (जीजे)	0.00	0.00
गैर-नवीकरणीय स्रोतों (डी+ई+एफ) (जीजे) से खपत की गयी कुल ऊर्जा	17,646.59	17,821.48

नोट: कृपया यह सूचित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से कोई आंकलन/ मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हां/ नहीं) यदि हां, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं.

नहीं

2. छोड़े गए जल से संबंधित निम्नलिखित ब्योरा प्रदान करें:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
गंतव्य और उपचार स्तर से जल छोड़ा गया जल (किलोलीटर में)		
(i) भू-पृष्ठ जल के लिए		
कोई उपचार नहीं	0.00	0.00
उपचरित	0.00	0.00
(ii) भूजल के लिए		
कोई उपचार नहीं	0.00	0.00
उपचरित	0.00	0.00
(iii) समुद्री जल के लिए		
कोई उपचार नहीं	0.00	0.00
उपचरित	0.00	0.00
(iv) अन्य पक्षों को भेजे गए		
कोई उपचार नहीं	0.00	0.00
उपचरित	0.00	0.00
(v) अन्य		
कोई उपचार नहीं	0.00	0.00
उपचरित	0.00	0.00
कुल छोड़ा गया जल (किलोलीटर में)	0.00	0.00

नोट: कृपया यह सूचित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से कोई आकलन / मूल्यांकन / आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं.

नहीं.

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

3. जल की कमी वाले क्षेत्रों के जल की निकासी, खपत और जल छोड़ने का ब्योरा प्रदान करें (किलोलीटर में): लागू नहीं
जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा / संयंत्र के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

- (i) क्षेत्र का नाम
(ii) परिचालन का स्वरूप
(iii) जल की निकासी, खपत और जल छोड़ने का ब्योरा निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
स्रोत द्वारा जल की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) भू-पृष्ठ	0	0
(ii) भूजल	0	0
(iii) अन्य पक्ष जल	0	0
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	0	0
(v) अन्य	0	0
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	0	0
जल के खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	0	0
प्रति रुपया आवर्त के लिए जल की तीव्रता (खपत किया गया जल / आवर्त)	0	0
जल की तीव्रता (वैकल्पिक) - संस्था अपनी संबंधित मेट्रिक चुन सकती है	0	0
गंतव्य और उपचार स्तर से छोड़ा गया जल (किलोलीटर में)		
(i) भू-पृष्ठ के लिए	0	0
कोई उपचार नहीं	0	0
उपचरित - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें		0
(ii) भूजल के लिए	0	0
कोई उपचार नहीं	0	0
उपचरित - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें	0	0
(iii) समुद्री के लिए	0	0
कोई उपचार नहीं	0	0
उपचरित - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें	0	0
(iv) अन्य पक्ष को भेजा गया	0	0
कोई उपचार नहीं	0	0
उपचरित - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें	0	0
(v) अन्य	0	0
कोई उपचार नहीं	0	0
उपचरित - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें	0	0
कुल छोड़ा गया जल (किलोलीटर में)	0	0

नोट: कृपया यह सूचित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से कोई आकलन/ मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हां / नहीं) यदि हां, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं.
नहीं.

4. कृपया कुल दायरा 3 का उत्सर्जन एवं उसकी तीव्रता के ब्योरे निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें :

मापदंड	इकाई	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
कुल दायरा 3 का उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ ₂ , सीएच ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ ₆ , एनएफ ₃ में अलग-अलग विवरण आकड़ें प्रस्तुत करें, यदि उपलब्ध है)	मेट्रिक टन सीओ ₂ के समतुल्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
प्रति एक रुपया आवर्त कुल दायरा 3 का उत्सर्जन		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कुल दायरा 3 के उत्सर्जन की तीव्रता (वैकल्पिक) - संस्था अपना संबंधित मेट्रिक चुन सकती है		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

नोट: कृपया यह सूचित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से कोई आकलन/ मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हां / नहीं) यदि हां, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं.

नहीं.

5. उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में रिपोर्ट की गई पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ जैव-विविधता पर संस्था के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का ब्योरा प्रदान करें.

उक्त प्रश्न बैंक के लिए लागू नहीं है.

6. यदि संस्था ने संसाधनों की दक्षता में सुधार लाने, अथवा प्रसार / प्रवाह निर्वहन / उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल अथवा किसी अभिनव प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया उसके साथ-साथ ऐसी पहलों के परिणाम का ब्योरा निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

क्रम संख्या	कोई पहल	पहल का ब्योरा (सारांश के साथ वेब लिंक, यदि कोई हो, प्रदान की जाए)	पहल का परिणाम
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

7. क्या संस्था के पास कारोबार निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों में ब्योरा/ वेब लिंक प्रदान करें.

हां, बैंक के पास आपदाओं के कारण होने वाले कारोबारी/ वित्तीय हानि को रोकने के लिए कारोबार निरंतरता योजना के हिस्से के रूप में सुपरिभाषित आपदा प्रबंधन योजना है. बैंक की कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) आईएसओ 22301:2012 के अनुपालक है. बैंक ने आपदा प्रतिक्रिया ढांचे को निम्नानुसार लागू किया है: संकट प्रबंधन टीम (सीएमटी), आपदा प्रतिक्रिया टीम (डीआरपी), क्षति मूल्यांकन टीम (डीएटी). विभिन्न व्यवधान परिदृश्यों के तहत इन योजनाओं के लचीलेपन का परीक्षण बीसीपी परीक्षण अभ्यास, डीआर ड्रिल एवं महत्वपूर्ण आईटी अनुप्रयोगों के लिए समग्र डीआर ड्रिल के माध्यम से करवाते हुए बैंक के स्वामित्व वाले परिसर में मॉक निकासी अभ्यास किया जाता है. सिस्टम की विफलता के जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने चेन्नई आपदा प्रबंधन साइट तथा मुंबई में डीआर के जैसी साइट की स्थापना की है. बैंक समय-समय पर डीआर साइट की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डीआर ड्रिल अभ्यास करता है. किसी भी व्यवधान की घटना तथा बीसीएम गतिविधियों की रिपोर्टिंग एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यानी i-DaB के माध्यम से स्वचालित रूप से की जाती है. बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में इन कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रक्रियाओं (<https://apps.idbibank.in/idbiapp/idbi-bank-annual-report.aspx>) का विवरण प्रदान किया जाता है.

8. संस्था की मूल्य श्रृंखला से पर्यावरण पर पड़ने वाले किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभावों को प्रकट करें. इस संबंध में इन परिणामों को घटाने अथवा अनुकूलन हेतु संस्था ने क्या उपाय किये हैं.

वर्तमान में, बैंक की मूल्य श्रृंखला के भागीदारों की ओर से उत्पन्न किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की सूचना प्राप्त नहीं हुई है .

9. मूल्य श्रृंखला के भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये व्यवसाय के मूल्य द्वारा) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया.

बैंक ने पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्य श्रृंखला के भागीदारों का कोई मूल्यांकन नहीं किया है .

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

सिद्धांत 7: कारोबार जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न हो तो उन्हें ऐसा करते समय जिम्मेदार और पारदर्शी तरीका अपनाना चाहिए.

आवश्यक संकेतक

- क. व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों के साथ संबद्धता की संख्या
बैंक अनेक व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों के साथ संबद्ध है.
- ख. संस्था जिन व्यापार एवं उद्योग मंडलों / संघों के साथ संबद्ध/ सदस्य है, ऐसे 10 प्रमुख व्यापार एवं उद्योग मंडलों / संघों (ऐसी समिति के कुल सदस्यों की संख्या के आधार पर निर्धारित)की सूची

क्रम सं.	व्यापार और उद्योग मंडल / संघ का नाम	व्यापार और उद्योग मंडल/ संघ का विस्तार (राज्य/राष्ट्रीय)
1	भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल(एसोचेम)	राष्ट्रीय
2	भारतीय उद्योग परिसंघ(सीआईआई)	राष्ट्रीय
3	भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ(फिक्की)	राष्ट्रीय
4	भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा)	राष्ट्रीय
5	भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ(फेडआई)	राष्ट्रीय
6	भारतीय बैंक संघ(आईबीए)	राष्ट्रीय
7	भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ(पीडीएआई)	राष्ट्रीय

* - उक्त नामों की सूची सांकेतिक है, पूर्ण नहीं है.

- विनियामक प्राधिकारियों से प्राप्त प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था के गैर-प्रतिस्पर्धा आचरण से संबंधित किसी मुद्दों के बारे में की गयी अथवा की जा रही कार्रवाई की जानकारी प्रदान करें.

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त सार	की गयी सुधारात्मक कार्रवाई
0	0	0

नेतृत्व के संकेतक

- संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति की स्थिति का विवरण

क्रम संख्या	समर्थित सार्वजनिक नीति	ऐसे समर्थन के लिए अपनाया गया तरीका	क्या इसकी जानकारी सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है ? (हाँ / नहीं)	बोर्ड द्वारा की गयी समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक / छःमाही / त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सिद्धांत 8: कारोबारों को समावेशी वृद्धि और एक समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष में, लागू कानूनों के आधार पर, संस्था द्वारा शुरू की गयी परियोजनाओं के सामाजिक प्रभावों के मूल्यांकन(एसआईए) का विवरण:

परियोजना का नाम और संक्षिप्त ब्योरा	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख	क्या किसी स्वतंत्र बाह्य संस्था द्वारा आयोजित किया गया (हाँ/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन पर प्रदर्शित किये गये हैं (हाँ/नहीं)	संबंधित वेब लिंक
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2. आपकी संस्था द्वारा पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एवं आर)के लिए चलाए जा रहे परियोजना (ओं)से संबंधित जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

क्रम संख्या	उस परियोजना का नाम जिसके लिए आर एवं आर चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना से प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की सं.	आर एवं आर में शामिल पीएएफ का प्रतिशत	वित्तीय वर्ष में पीएएफ को अदा की गई राशियाँ (भारतीय रुपये में)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उन शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन कीजिए.

कंपनी अधिनियम,2013 में परिभाषित अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंक को सीएसआर में कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी. हालांकि, बैंक ने चुनिंदा कार्यों के लिए सहायता प्रदान की है. इन सीएसआर परियोजनाओं में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी. इसके अतिरिक्त बैंक ने दिनांक 1 अप्रैल,2023 से अपनी सीएसआर नीति को संशोधित किया है जिसमें शिकायत निवारण तंत्र के लिए प्रावधान किया गया है.

4. आपूर्तिकारों से जुटाई गई इन पुट सामग्री का प्रतिशत(मूल्य के हिसाब से कुल इन पुट की तुलना में इनपुट):

	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
एमएसएमई / छोटे उत्पादकों से प्रत्यक्ष तौर पर जुटाए गए	0	0
जिले के भीतर से और पड़ोस के जिलों से प्रत्यक्ष तौर पर जुटाए गए	0	0

नेतृत्व के संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन में पाए गए नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का ब्योरा दें. (संदर्भ: ऊपर दर्शाये गए आवश्यक संकेतकों का प्रश्न सं 1):

पता लगाए गये नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का ब्योरा	की गयी सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं	लागू नहीं

2. सरकारी निकायों द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों के रूप में पता लगाए गये जिलों में से नामित जिलों में आपकी संस्था द्वारा प्रारंभ की गयी सीएसआर परियोजना के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क्रम संख्या	राज्य	महत्वाकांक्षी जिला	खर्च की गयी राशि (लाख रुपये में)
	0	0	0

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

3. क) क्या आपके पास एक प्राथमिकतावाली खरीद नीति मौजूद है जहां आप उपेक्षित /कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं? (हां/ नहीं)

हाँ, खरीदारी के लिए व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी एकरूप दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है. (वेब-लिंक-<https://doe.gov.in/manuals>)

- ख) किस उपेक्षित /कमजोर समूहों से आप खरीद करते हैं?

शून्य

- ग) यह कुल खरीद का कितना प्रतिशत दर्शाता है (मूल्य के हिसाब से) ?

0%

4. आपकी संस्था द्वारा पारंपरिक ज्ञान के आधार पर (चालू वित्तीय वर्ष में) अपनी स्वामित्व वाली या अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण.

क्रम संख्या	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व वाली / अर्जित (हाँ/नहीं)	साझा किये गये लाभ (हाँ/नहीं)	साझा लाभों की गणना का आधार
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

5. बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है.

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त सार	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

6. सीएसआर परियोजना के लाभार्थियों का ब्योरा:

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजना से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और उपेक्षित समूहों के लाभार्थियों का प्रतिशत
1.	मैत्रीबोध परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट, नवी मुंबई को कर्जत के जामरुंग गांव में सैनिटरी पैड की उत्पादन इकाई स्थापित करने और छह महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए इसके परिचालन व्यय (सैनिटरी पैड का उत्पादन और वितरण) के लिए वित्तीय सहायता.	1,480	100%
2.	कल्लिकुप्पम, चेन्नई में विशेष बच्चों के लिए आनंदम लर्निंग सेंटर के सभागार में ऑडियो-विजुअल उपकरणों की खरीद और प्रतिस्थापन के लिए आनंदम, चेन्नई को वित्तीय सहायता.	58	100%
3.	पीपुल फॉर एनिमल्स, नई दिल्ली को सदराना गांव, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित पशु अस्पताल एवं आश्रय स्थल के लिए एक्स-रे मशीन और ऑफ-ग्रिड सोलर पैनल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता.	लागू नहीं	-
4.	पश्चिम बंगाल के 24 परगना (उत्तर)जिले के दोलताला, गंगानगर, मध्यम ग्राम में वृद्धाश्रम (एलीवेटर की खरीद और स्थापना की लागत) के लिए महिला इंटरलिंग फाउंडेशन, कोलकाता को वित्तीय सहायता.	~ 90	100%

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजना से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और उपेक्षित समूहों के लाभार्थियों का प्रतिशत
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के, शिक्षक शिक्षा में उत्कृष्टता केंद्र सीईटीई में नामित उन मेधावी छात्रों के शिक्षण शुल्क, छात्रावास और भोजन कक्ष के खर्चों को पूरा करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई को वित्तीय सहायता, जो पहले सेमिस्टर में शिक्षक बनने के इच्छुक हैं.	16	100%
6.	वर्ष 2022-23 के लिए अपनी यशोदा योजना के तहत छात्राओं के शैक्षणिक खर्चों को पूरा करने के लिए वनवासी कन्या छात्रावास, रुद्रपुर को वित्तीय सहायता.	25	100%
7.	कर्नाटक राज्य में वृद्धाश्रमों को सहारा देने के लिए ऑक्सीजन कंसट्रेटर्स की खरीद हेतु पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजीज ट्रस्ट, नई दिल्ली को वित्तीय सहायता.	~ 600	100%
8.	सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, औरंगाबाद को चिकित्सा विशेषज्ञों और गरीब मरीजों को आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता वाहन (बस) खरीदने के लिए वित्तीय सहायता.	~12,000/ वर्ष	मापन योग्य नहीं
9.	श्री कांची कामकोटि मेडिकल ट्रस्ट, कोयंबटूर को चार स्थानों अर्थात् आणंद, इंदौर, कानपुर और लुधियाना में वंचित लोगों की मोतियाबिंद सर्जरी करने के लिए वित्तीय सहायता.	1,400	100%
10.	तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में पाँच पंचायत संघ के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट क्लास पैनल की आपूर्ति करने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, शिवगंगा, तमिलनाडु को वित्तीय सहायता	~1,000	100%
11.	रामकृष्ण अंग्रेजी उच्च प्राथमिक विद्यालय, कमलापुरा, कर्नाटक को फर्नीचर खरीदने के लिए रामकृष्ण विद्या संस्थे, कमलापुरा, कर्नाटक को वित्तीय सहायता.	~ 400	100%

सिद्धांत 9 : कारोबारों को अपने ग्राहकों के साथ जुड़ना चाहिए और उनका जिम्मेदार तरीके से सम्मान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. ग्राहकों से शिकायतें और उनसे फीड बैक प्राप्त करने के लिए तथा उनका उत्तर देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें.

शिकायत निवारण के संबंध में बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति मौजूद है. यह नीति बैंक के ग्राहकों की शिकायतों के बारे में शिकायत निवारण तंत्र को परिभाषित करती है. ग्राहक /गैर-ग्राहक द्वारा सभी शिकायतें मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) के ग्राहक मूल्य प्रबंधन (सीवीएम) मॉड्यूल में विभिन्न चैनलों के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं ताकि शिकायतों का समय पर और गुणात्मक निवारण सुनिश्चित किया जा सके. निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान न होने की स्थिति में, शिकायतकर्ता वेबसाइट या शिकायत के समाधान पर ग्राहक को भेजे गए एस एम एस में दिये गये लिंक के माध्यम से शिकायत को आगे भेज सकता है. इस तंत्र में प्रदान किये गये त्रि-स्तरीय वृद्धि मैट्रिक्स के अनुसार शिकायतकर्ता अपनी शिकायत अगले प्राधिकारी तक पहुंचा सकता है. यदि शिकायत दर्ज करने के 30 कार्य दिवसों के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो ग्राहक मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल (ओ आर बी आई ओ) के कार्यालय से संपर्क कर सकता है.

इसके अलावा, आंतरिक लोकपाल योजना, 2018 के अनुसार जो शिकायत बैंक के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र द्वारा अंशतः अथवा पूर्णतः अस्वीकार की जाती है, उसे शिकायतकर्ता को उत्तर देने से पहले समीक्षा के लिए आंतरिक रूप से बैंक के आंतरिक लोकपाल (आई ओ) के पास भेजा जाता है.

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

2. उन सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में, उत्पादों और / सेवाओं का टर्नओवर, जिनमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंड	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	लागू नहीं
री-साइक्लिंग और / अथवा सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

3. निम्नलिखित के संबंध में ग्राहक शिकायतों की संख्या :

	वित्तीय वर्ष 2022-23		टिप्पणियाँ	वित्तीय वर्ष 2021-22		टिप्पणियाँ
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डेटा गोपनीयता	0	0	0	0	0	0
विज्ञापन	0	0	0	0	0	0
साइबर सुरक्षा	5,771	4	अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों से संबंधित शिकायतें (यूईबीटी)	6,024	0	यूईबीटी से संबंधित शिकायतें
आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी	573	5	एटीएम कार्ड, चेकबुक, आई-नेट पिन प्राप्त न होने के संबंध में शिकायतें	579	16	एटीएम कार्ड, चेकबुक, आई-नेट पिन प्राप्त न होने के संबंध में शिकायतें
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं	0	0	0	0	0	0
अनुचित व्यापार प्रथाएं	0	0	‘अनुचित व्यापार प्रथाओं’ के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई	0	0	‘अनुचित व्यापार प्रथाओं’ के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई
अन्य	36,318	168	उपर्युक्त को छोड़कर अन्य सभी शिकायतें	65,071	270	उपर्युक्त को छोड़कर अन्य सभी शिकायतें

4. सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण उत्पाद को वापस लेने की घटनाओं का ब्योरा :

	संख्या	वापस लेने के कारण
स्वेच्छा से वापस लिए गए	0	0
जबरदस्ती वापस लिए गए	0	0

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता से संबंधित जोखिम के लिए कोई ढांचा / नीति मौजूद है ? (हाँ / नहीं) यदि उपलब्ध हैं, तो कृपया उक्त नीति का वेब लिंक उपलब्ध कराएं.

हाँ, बैंक में साइबर सुरक्षा पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है. नीतियां गोपनीय हैं और इसलिए केवल बैंक के कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध हैं.

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी; साइबर सुरक्षा, ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; योजनाओं को वापस लेने के उदाहरणों की पुनरावृत्ति से संबंधित मुद्दों पर की गयी या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई और योजनाओं / सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा दंड लगाने / की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.

बैंक के समक्ष अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है. ऐसी कोई भी घटना होने पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी, आईटी से संबंधित सभी प्रमुख घटनाओं और आईटी सुरक्षा से संबंधित घटनाओं की सूचना बोर्ड की आईटी उप समिति (आईटीएससीबी) को दी जा रही है.

नेतृत्व के संकेतक

1. चैनल / प्लेटफॉर्म जहां पर संस्था की योजनाओं और सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है (यदि उपलब्ध हैं, तो वेब लिंक प्रदान करें).

बैंक की योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है तथा बैंक की योजनाओं और सेवाओं के संबंध में योजनाओं के पोस्ट बैंक के निम्नलिखित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है -

- फेसबुक (<https://www.facebook.com/IDBIBank/>)
- ट्विटर (https://twitter.com/idbi_bank)
- इंस्टाग्राम (<https://www.instagram.com/idbibankofficial/>)
- लिंक्ड इन (<https://in.linkedin.com/company/idbi-bank>)
- यू ट्यूब (<https://www.youtube.com/IDBIBANK>)

2. योजनाओं और/अथवा सेवाओं का सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से उपयोग करने के लिए ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम.

बैंक साइबर अपराध और धोखाधड़ियों सहित सुरक्षित बैंकिंग पर उपभोक्ता को जागरूक करने में एवं उन्हें इस बारे में शिक्षित करने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है, जिनमें नियमित अंतराल पर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कॉर्पोरेट वेबसाइट पर अपने पोस्ट को होस्ट करना और सोशल मीडिया प्रतियोगिताओं को आयोजित करते हुए साइबर अपराध और धोखाधड़ी के बारे में उनमें जागरूकता लाना शामिल है. ग्राहकों को ईमेल, एसएमएस के माध्यम से और शाखा के साथ चर्चा के दौरान लेन-देन के सुरक्षित तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है. आशय पत्र और ऋण दस्तावेजों में उल्लिखित विभिन्न खंडों में निबंधन एवं शर्तों को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है.

3. आवश्यक सेवाओं में कोई बाधा उत्पन्न होने पर या उनके खंडित होने का कोई जोखिम उत्पन्न होने पर ग्राहकों को जानकारी देने के लिए उपलब्ध तंत्र.

बैंक के पास अपनी सभी प्रक्रियाओं और स्थानों के लिए एक सुपरिभाषित कारोबार निरंतरता योजना मौजूद है. सभी हितधारकों को ईमेल के माध्यम से और एप्लिकेशन के माध्यम से सूचित किया जाता है जबकि ग्राहकों को यह जानकारी एसएमएस अलर्ट के माध्यम से प्राप्त होती है. किसी भी स्थान पर कोई खराबी आने की गंभीर स्थिति में ग्राहकों को निकटतम स्थानों पर निर्देशित किया जाता है और उनके लेनदेन को यथोचित रूप से पूरा किया जाता है.

4. क्या संस्था स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य रूप से उत्पादों के बारे में जानकारी से अधिक जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां / नहीं / लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षिप्त में विवरण प्रदान करें. क्या आपकी संस्था ने अपने प्रमुख योजनाओं /सेवाओं, इकाई या संस्था के पूर्ण रूप से संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है?(हां / नहीं)

बैंक की योजनाओं और सेवाओं के बारे में बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर पूरी जानकारी उपलब्ध है और बैंक की योजनाओं और सेवाओं के पोस्ट की जानकारी बैंक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं. बैंक समय-समय पर अपने ग्राहकों के साथ उत्पाद और सेवाओं के बारे में ग्राहकों की फीडबैक पाने के लिए उनसे बातचीत भी करता है. बैंक वार्षिक आधार पर ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भी करता है.

5. डेटा के उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:

क) डेटा के उल्लंघनों के मामलों की संख्या और उसका प्रभाव

बैंक द्वारा ऐसी कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई

ख) ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत

शून्य.

Business Responsibility & Sustainability Report

Statement by Managing Director & Chief Executive Officer

Dear Stakeholders,

I am pleased to present IDBI Bank's first Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR). We have embarked on this new journey with a vision of becoming a more responsible and responsive organisation and building long-term valuable relationships with our stakeholders.

We believe that sustainability is a journey that requires consistent effort, focus and diligence. We are committed to integrating sustainability into all aspects of our business operations, and our first BRSR is a testament to this commitment. The report provides a comprehensive overview of our sustainability strategy, performance and achievements during the year.

The Environmental, Social and Governance (ESG) landscape is rapidly changing and to keep up with the developments, we are proactively setting up systems and processes to quantify, report and enhance our ESG performance. To achieve this, IDBI Bank is in the process of adopting practices such as integrating ESG factors into its risk management framework, adopting sustainable lending practices, promoting human capital, implementing sustainable procurement policies and implementing strategies to minimise negative impacts and maximise positive ones, among others.

Being a Bank, people form the core of our business and we have taken measures to develop an organisational culture that is nurturing, safe and provides opportunities for our employees to grow. The resilience and dedication of our employees is the driving force that helps us perform better with every passing year. We also contribute to the empowerment of our communities through CSR initiatives focused on education, healthcare and community upliftment.

We understand that business responsibility and sustainability are not destinations but a journey which requires improvisation as we progress. Towards this end, we commit to take actions that will contribute towards our journey in the upcoming years. As we advance on this path, we plan to contribute significantly to strengthening our sustainability strategy and performance and ensuring that we play our part in creating a more responsible and sustainable world for future generations.

I would like to extend my heartfelt gratitude to our employees, customers, shareholders and other stakeholders for their support and contributions to our journey. We look forward to continuing to work with you to create a better future for all.

Warm regards,
Rakesh Sharma
Managing Director & Chief Executive Officer

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES

I – Details of Listed Entity

Sl. No.	Particulars	Response to be filled by
1.	Corporate Identity Number (CIN) of the Listed Entity	L65190MH2004GOI148838
2.	Name of the Listed Entity	IDBI Bank Ltd.
3.	Year of incorporation	2004
4.	Registered office address	IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400005
5.	Corporate address	IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400005
6.	E-mail	idbiequity@idbi.co.in
7.	Telephone	+91-22-66553355
8.	Website	www.idbibank.in
9.	Financial year for which reporting is being done	FY 2022-23
10.	Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed	BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd.
11.	Paid-up Capital	₹ 1,07,52,40,21,750
12.	Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report	Smt. Jayati Chakraborty General Manager E-mail: brsr@idbi.co.in Telephone: +91-22-66553355
13.	Reporting boundary - Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e. only for the entity) or on a consolidated basis (i.e. for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together).	Standalone

II – Products/ Services

14. Details of business activities (accounting for 90% of the turnover):

S. No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% of total Turnover contributed
1	Financial and Insurance Service	Banking activities by central, commercial and saving banks	100%

15. Products/ Services sold by the entity (accounting for 90% of the entity's Turnover)

S. No.	Product/ Service	NIC Code	% of total Turnover contributed
1.	Monetary intermediation of commercial banks, saving banks, postal savings bank and discount houses	64191	100%

III – Operations

16. Number of locations where plants and/ or operations/ offices of the entity are situated:

Location	Number of plants	Number of offices	Total
National	NA	1,928 branches	1,928
International	NA	2 branches*	2

* Includes the Bank's International Financial Services Centre (IFSC) Banking Unit (IBU) located at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT), Gandhinagar

17. Markets served by the entity:

a. Number of locations

Locations	Number
National (No. of States)	35
International (No. of Countries)	2*

* Includes the Bank's International Financial Services Centre (IFSC) Banking Unit (IBU) located at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT), Gandhinagar

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

Not Applicable.

c. A brief on types of customers

IDBI Bank Ltd., a universal bank headquartered in Mumbai, provides an entire gamut of financial solutions to its wide range of customers spanning Retail, Agriculture, MSMEs and Corporates. The Bank also extends a wide bouquet of products to the Government departments/ ministries. The Bank's offerings comprise wide range of personalised banking products such as savings account, current account, term deposits, home loan, auto loan, education loan, personal loan, fund-based and non-fund based assistance, treasury & capital market products, trade finance products & services, cash management services, tax collection, etc. The Bank has a large customer base of over one crore customers.

IV – Employees:

18. Details as at the end of Financial Year:

a Employees and workers (including differently abled):

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
EMPLOYEES						
1.	Permanent (D)	15,420	10,308	66.85%	5,112	33.15%
2.	Other than Permanent (E)	1,596	872	54.64%	724	45.36%
3.	Total employees (D + E)	17,016	11,180	65.70%	5,836	34.30%
WORKERS						
4.	Permanent (F)	834	643	77.10%	191	22.90%
5.	Other than Permanent (G)	0	0	-	0	-
6.	Total workers (F + G)	834	643	77.10%	191	22.90%

b. Differently abled employees and workers:

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
DIFFERENTLY ABLED EMPLOYEES						
1.	Permanent (D)	444	329	74.10%	115	25.90%
2.	Other than Permanent (E)	293	212	72.35%	81	27.65%
3.	Total differently abled employees (D + E)	737	541	73.41%	196	26.59%
DIFFERENTLY ABLED WORKERS						
4.	Permanent (F)	12	10	83.33%	2	16.67%
5.	Other than Permanent (G)	0	0	-	0	-
6.	Total workers (F + G)	12	10	83.33%	2	16.67%

19. Participation/ Inclusion/ Representation of women:

	Total (A)	No. and percentage of Females	
		No. (B)	% (B / A)
Board of Directors	15*	1	6.67%
Key Managerial Personnel	5*	1	20%

* Three out of five Key Managerial Personnel, viz. Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) and two Deputy Managing Directors (DMDs), are also part of the Board of Directors of the Bank

20. Turnover rate for permanent employees and workers (Disclose trends for the past 3 years)

	FY 2022-23			FY 2021-22			FY 2020-21		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Permanent Employees	4.82%	4.59%	4.74%	2.87%	1.98%	2.59%	3.10%	3.16%	3.12%
Permanent Workers	13.51%	8.63%	12.47%	8.16%	3.52%	7.27%	13.74%	7.55%	12.64%

V – Holding, Subsidiary and Associate Companies (including joint ventures)

21. (a) Names of holding/ subsidiary/ associate companies/ joint ventures

S. No.	Name of the holding/ subsidiary/ associate companies/ joint ventures (A)	Indicate whether holding/ subsidiary/ associate/ Joint Venture	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/ No)
1.	IDBI Asset Management Ltd.	Subsidiary	66.67%	No
2.	IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	Subsidiary	100.00%	No
3.	IDBI Intech Ltd.	Subsidiary	100.00%	No
4.	IDBI Trusteeship Services Ltd.	Subsidiary	54.70%	No

Business Responsibility & Sustainability Report

S. No.	Name of the holding/ subsidiary/ associate companies/ joint ventures (A)	Indicate whether holding/ subsidiary/ associate/ Joint Venture	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/ No)
5.	IDBI MF Trustee Company Ltd.	Subsidiary	100.00%	No
6.	National Securities Depository Ltd.	Associates	26.10%	No
7.	North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	Associates	25.00%	No
8.	Biotech Consortium India Ltd.	Associates	27.93%	No
9.	Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd.	Associates	21.14%	No

VI – CSR Details

22. (i) Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013: (Yes/ No):

No. Since the average net profit of the Bank for the preceding three years works out to a loss (for CSR purpose), the Bank was not required to undertake CSR expenditure as per the Companies Act, 2013. However, as a pro-active and socially responsible entity, during the year ended March 31, 2023, the Bank spent ₹ 1.44 crore towards select CSR interventions in areas such as education, healthcare etc.

(ii) Turnover (in ₹): ₹ 24,942 crore

(iii) Net worth (in ₹): ₹ 25,454 crore (Standalone)

VII – Transparency and Disclosures Compliances

23. Complaints/ Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct:

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/ No)	FY 2022-23			FY 2021-22		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Communities	No. However, the Bank has put in place the mechanism with effect from April 1, 2023. https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy.pdf	0	0	NIL	0	0	NIL
Investors (other than shareholders)	Yes. https://www.idbibank.in/flexi-bond.aspx	-	-	Reported under the head 'Customers' which includes Flexibond complaints	-	-	Reported under the head 'Customers' which includes Flexibond complaints

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/ No)	FY 2022-23			FY 2021-22		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Shareholders	Yes. https://www.idbibank.in/idbi-bank-officials-for-shareholder-grievances.aspx	1,480	0	NIL	1,106	0	NIL
Employees and Workers	Yes, IDBI Bank has put in place i-Hridaya online Grievance redressal system.	38	6	NIL	43	10	NIL
Customers	Yes. https://www.idbibank.in/banking-complaints-l.aspx	42,662	177	Includes Flexibonds complaints	71,674	286	Includes Flexibonds complaints
Value Chain Partners	Yes. https://www.idbibank.in/vigilance-mechanism-notice.aspx	0	0	NIL	0	0	NIL
Others	Yes. https://www.idbibank.in/vigilance-mechanism-notice.aspx Whistle blower portal available on the Bank's Intranet as per the Policy on Vigil Mechanism.	137	4	Complaints from vigilance/ corruption angle	138	21	Complaints from vigilance/ corruption angle

24. Overview of the entity's material responsible business conduct issues

Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along with its financial implications, as per the following format.

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/ O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1.	Customer privacy and data security	Risk	Customer privacy and data security is critical for banking sector. Instances of data breach can result in driving away business.	<ul style="list-style-type: none"> Implementation of robust policies for customer privacy and data security Effective service recall system 	The Bank's reputation and relationship with customers can be adversely affected in case of any instance of data breach.
2.	Customer satisfaction	Risk and Opportunity	<p>Risk: Customers can spread the word of dissatisfaction, resulting in loss of business.</p> <p>Opportunity: Customer satisfaction can aid in building long-term relationships and business growth.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Customer grievance redressal mechanism Customer feedback 	<p>Risk: Instances of unsatisfied customers can result in losing brand trust.</p> <p>Opportunity: Customer satisfaction can positively impact the business growth.</p>

Business Responsibility & Sustainability Report

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/ O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
3.	Risk Management	Risk and Opportunity	<p>Risk: The risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events.</p> <p>Opportunity: Effective Risk Management can help in identifying risks and mitigate them in time.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Effective Business Continuity Plan Enterprise Risk Management 	<p>Risk: Reputational damage leading to loss of customers.</p> <p>Opportunity: Risk mitigation can lead to business growth.</p>
4.	Digitisation	Opportunity	Digitisation can help in improved customer experience, data-driven decision making, and enhance convenience of banking.	-	Digitisation can help in cost reduction, informed decision-making, and expanding services.
5.	Compliance	Risk and Opportunity	<p>Risk: Compliance is a risk since a bank's reputation is closely linked to its adherence to principles of integrity and fair practices.</p> <p>Opportunity: Effective compliance can help in building brand trust.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Effective leadership oversights Robust compliance risk management policies, procedures and culture 	<p>Risk: Instances of non-compliance with applicable rules and regulations can result in fines/penalties, loss of brand image.</p> <p>Opportunity: Effective compliance can help in building brand image and long-term relationship.</p>
6.	Customer awareness	Opportunity	Customer awareness can help in building customer preference and reducing cases of phishing.	-	Greater awareness among customers can help in reducing losses and increasing customer loyalty.
7.	Business Ethics and governance	Risk and Opportunity	<p>Risk: Instances of unethical practices and behaviour can tarnish brand image.</p> <p>Opportunity: Building a culture of integrity and transparency is linked with the fulfilment of mandates as well as strengthening relationships with stakeholders.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Code of Conduct to set the standards for all the stakeholders Policies and processes in place to avoid workplace discrimination, harassment, and corruption, among others. 	<p>Risk: Indirect financial impact because of loss of reputation and stakeholder confidence.</p> <p>Opportunity: Ethical practices and behaviour can help in building long term relationship with all the stakeholders.</p>
8.	Competitive behaviour	Risk and Opportunity	<p>Risk: Instances of anti-competitive behaviour can lead to loss of brand image.</p> <p>Opportunity: Competitive behaviour can help in building brand image and trust.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Effective leadership oversight Robust policies and procedures 	<p>Risk: Anti-competitive behaviour can result in financial implications and also tarnish the brand reputation.</p> <p>Opportunity: Competitive behaviour can help in long-term business growth.</p>
9.	Employment practices	Opportunity	Employment practices are a critical aspect to a service industry.	-	Efficient risk management through skilled manpower.

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/ O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
10.	Employee Well-being	Risk and Opportunity	<p>Risk: Might result in low productivity if the well-being of employee is not given due importance.</p> <p>Opportunity: Ensuring the well-being of employee can lead to happy workforce and increased productivity.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Initiatives focused on physical and mental well-being. Health check-ups. Corporate benefits such as health insurance etc. Training and development for succession development, skill development, retirement planning, etc. 	<p>Risk: Lack of employee well-being can result in low productivity, higher attrition rate, increased cost for replacement of key employees.</p> <p>Opportunity: Effective employee well-being can lead to increased productivity, higher employee morale, better customer relationship.</p>

SECTION B : MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

This section is aimed at helping businesses demonstrate the structures, policies and processes put in place towards adopting the National Guidelines on Responsible Business Conduct (NGRBC) Principles and Core Elements.

Disclosure Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
Policy and management processes									
1. a. Whether your entity's policy/ policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/ No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
b. Has the policy been approved by the Board? (Yes/ No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
c. Web-link of the Policies, if available (Please refer the notes)	1,2	3,4	5,6,7	3	5	3	3	8	9,10
2. Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes/ No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3. Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/ No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4. Name of the national and international codes/ certifications/ labels/ standards (e.g., Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustee) standards (e.g., SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.	The Bank has adopted and complies with the regulations as prescribed by Ministry of Corporate Affairs (MCA), Reserve Bank of India (RBI), Securities & Exchange Board of India (SEBI) and all other applicable laws/ regulations stipulated by any other statutory authority/ regulator. The Bank's Business Continuity Management (BCM) processes is certified as ISO 22301:2012.								
5. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.	N	N	N	N	N	N	N	N	N
6. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along with reasons in case the same are not met.	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Governance, Leadership and Oversight									
7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements - Please refer to the Statement by Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO).									

Business Responsibility & Sustainability Report

Disclosure Questions	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies).	Shri Rakesh Sharma, Managing Director & Chief Executive Officer								
9. Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes/ No). If yes, provide details.	The Bank is guided by the ESG policy for sustainability related issues. The Bank's CSR Committee of the Board is responsible for oversight and implementation of ESG initiatives. The Management Committee of CSR (MCCSR) of the Bank, an internal committee, comprising senior executives, will be responsible for monitoring the performance under stated objectives on a periodic basis to provide an added impetus to the Bank's ESG agenda.								

Notes:

- The Bank has put in place Officers Service, Conduct, Discipline & Appeals Rules which is an internal document and have not been made available to the public due to confidentiality reasons.
- The Bank has put in place a General Code of Conduct which can be accessed at <https://www.idbibank.in/idbi-bank-general-code-of-conduct-ethics.aspx#:~:text=IDBI%20Bank%20will%20strive%20for.of%20Sexual%20Harassment%20at%20Workplace>
- The Bank has put in place an ESG policy which can be accessed at <https://www.idbibank.in/pdf/ESG-Policy.pdf>
- The Bank makes disclosures regarding its Business Continuity Management (BCM) processes in its Annual Reports. The Annual Reports can be accessed at <https://apps.idbibank.in/idbiapp/idbi-bank-anual-report.aspx>
- The Bank has put in place a Human Rights policy which can be accessed at <https://www.idbibank.in/pdf/Human-Rights-Policy.pdf>
- The Bank has put in place an Equal Opportunity Policy which can be accessed at <https://www.idbibank.in/pdf/Equal-Opportunity-Policy-Employees.pdf>
- In line with the requirements of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Bank has set up two committees to redress the complaints received regarding sexual harassment of women at workplace. The circulars in this regard have been hosted on the Bank's Intranet.
- The Bank's CSR activities are governed by its CSR Policy which can be accessed at <https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy.pdf>
- The Bank protects the interests and provides value to its customers as per the terms laid out in its Customer Care Policy (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Customer_Care_Policy.pdf), Customer Rights Policy (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Customer_Rights_Policy.pdf) and Grievance Redressal Policy (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Grievance_Redressal_Policy.pdf)
- The Bank has put in place policies/ guidelines pertaining to cyber security which are internal documents and have not been made available to the public due to confidentiality reasons.

10. Details of Review of NGRBC by the Bank:

Subject for Review	Indicate whether review was undertaken by Director / Committee of the Board/ Any other Committee									Frequency (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ Any other – please specify)								
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
Performance against above policies and follow-up action	The Bank reviews its policies in accordance with pre-defined periodicity mentioned in respective policies or on a need basis by the competent authorities. The Bank also reviews the performance against these policies and carries out necessary changes/ modifications to the policies and procedures as may be warranted.																	
Compliance with statutory requirements of relevance to the principles, and rectification of any non-compliances	The Bank is in compliance with all applicable laws/ regulations notified by concerned statutory authorities and regulators.																	

11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency.	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
	No	No	No	No	No	No	No	No	No

12. If answer to question (1) above is “No” i.e., not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:

Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
The entity does not consider the principles material to its business (Yes/ No)	Not applicable								
The entity is not at a stage where it is in a position to formulate and implement the policies on specified principles (Yes/ No)									
The entity does not have the financial or/ human and technical resources available for the task (Yes/ No)									
It is planned to be done in the next financial year (Yes/ No)									

SECTION C: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

This section is aimed at helping entities demonstrate their performance in integrating the Principles and Core Elements with key processes and decisions. The information sought is categorised as “Essential” and “Leadership”. While the essential indicators are expected to be disclosed by every entity that is mandated to file this report, the leadership indicators may be voluntarily disclosed by entities which aspire to progress to a higher level in their quest to be socially, environmentally, and ethically responsible.

PRINCIPLE 1 : Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable

Essential Indicators

1. Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the principles during the financial year:

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics/ principles covered under the training and its impact	% age of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors	3	Virtual Conference on Financial Markets in India: What the Future Holds, FIBAC 2022, Swift International Banking Operation Seminars (SIBOS)	20%*
Key Managerial Personnel	2	Training Programme for Audit Officer- Senior & Middle Management, Programme on leadership and workplace efficiency	40%*
Employees other than BoD and KMPs	1,089	Curated training programmes covering wide gamut of topics such as but not limited to <ul style="list-style-type: none"> • Consumer Protection • Prevention of Sexual Harassment • Risk management • Promotion Training/ Soft skills training • Preventive Vigilance & Fraud Management • Capacity Building of Bankers for Financing of MSME Sector 	96%
Workers	31	Wellness programme on healthy living and leading a successful professional and personal life and e-learning Modules	84%

* The total count of Board of Directors and Key Managerial Personnel include MD & CEO and two DMDs.

2. Details of fines/ penalties/ punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount in proceedings (by the entity or by directors/ KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions in the financial year in the following format note: the entity shall make disclosures based on materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on entity's website):

Monetary					
	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Amount (in INR)	Brief of the Case	Has an Appeal been preferred? (Yes/ No)
Penalty/ Fine	9	Reserve Bank of India	₹ 90 lakh	Non-compliance with respect to the RBI directions on fraud reporting, cyber security framework in banks, and advisory on strengthening the controls of payment ecosystem between sponsor banks and SCBs/ UCBs as a Corporate Customer.	No
	9	Reserve Bank of India	₹ 13.90 lakh	ATM cash out and non-compliance of guidelines on exchange of coins and small denomination notes and mutilated notes during incognito visits.	No
	1	Reserve Bank of India	₹ 5.65 lakh	Penalties on currency chest in cases of remittances, made by currency chests to RBI.	No
	1	Reserve Bank of India	₹ 3.95 lakh	Breach of the peer group average in parameter 'Maintainable Complaints per 1,000 Accounts'.	No
	1	Income Tax Department	₹ 1.78 lakh	Incorrect claim while filing return on income.	No
Settlement	0	0	0	0	0
Compounding fee	0	0	0	0	0
Non-Monetary					
	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Amount (In INR)	Brief of the Case	Has an appeal been preferred? (Yes/No)
Imprisonment	0	0	0	0	0
Punishment	0	0	0	0	0

Business Responsibility & Sustainability Report

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/ Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.

Case Details	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions
-	-

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

Yes, the Bank is governed by the policy/ guidelines issued by the Central Vigilance Commission (CVC) with respect to bribery, corruption and other vigilance related matters as per the CVC Manual (updated 2021). The CVC Manual can be viewed on the CVC's website (www.cvc.gov.in).

Further, as per the Bank's policy on Officers' Discipline & Appeal Rules -2006 (ODAR-2006), the detailed guidelines and procedure to deal with the officers indulging in corrupt practices have been mentioned.

5. Number of Directors/ KMPs/ employees/ workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:

	FY 2022-23	FY 2021-22
Directors	0	0
KMPs	0	0
Employees	2*	2
Workers	0	0

* In respect of CBI Cases only.

6. Details of complaints with regard to conflict of interest:

	FY 2022-23		FY 2021-22	
	Number	Remarks	Number	Remarks
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	0	NIL	0	NIL
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	0	NIL	0	NIL

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines/ penalties/ action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.

Nil.

Leadership Indicators:

1. Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the principles during the financial year:

Total number of awareness programmes held	Topics / principles covered under the training	%age of value chain partners covered (by value of business done with such partners) under the awareness programmes
3	Retail Banking Group (RBG) Products and Process, Structured Retail Asset (SRA) products and technical skill development	2.24%*

* - Training imparted to Outbound Sales Team, RBG Sales Team and Back Office Assistants.

2. Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the Board? (Yes/ No) If yes, provide details of the same.

Yes, the Bank has systems and processes in place to mitigate conflict of interests involving members of the Board. The General Code of Conduct hosted on the Bank's website covers conflict of interest including that of directors. Further, interested directors recuse from participating in the said item.

PRINCIPLE 2 : Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

Essential Indicators:

1. Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.

	FY 2022-23	FY 2021-22	Details of Improvements in Environmental and Social Impacts
R&D	Not applicable given the nature of operations as a financial service provider.		
Capex	Not applicable given the nature of operations as a financial service provider.		

2. a. Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? (Yes/ No)

The Bank shall endeavour to work closely with its vendors/ service providers to improve its performance under the ESG parameters by encouraging them to take measures for sustainable practices such as waste management, use of renewable resources, adherence to national and local labour laws and protection of human rights including child, forced or trafficked labour, etc.

- b. If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?

The Bank is not maintaining data in this regard.

3. Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste.

The question is not applicable for the Bank as the entity is a service provider and not in the manufacturing industry.

4. Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.

Not Applicable.

Leadership Indicators:

1. Has the entity conducted Life Cycle Perspective/ Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format?

NIC Code	Name of Product/ Service	% of total Turnover contributed	Boundary for which the Life Cycle Perspective / Assessment was conducted	Whether conducted by independent external agency (Yes/No)	Results communicated in public domain (Yes/No) If yes, provide the web-link.
NA	NA	NA	NA	NA	NA

2. If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products/ services, as identified in the Life Cycle Perspective/ Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along with action taken to mitigate the same.

Name of Product/ Service	Description of the risk/ concern	Action Taken
NA	NA	NA
NA	NA	NA
NA	NA	NA

3. Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).

Indicate input material*	Recycled or re-used input material to total material	
	FY 2022-23	FY 2021-22
NA	NA	NA

* Being in the services sector, the Bank has no tangible input which may be recycled or reused.

4. Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed, as per the following format:

	FY 2022-23			FY 2021-22		
	Re-Used	Recycled	Safely Disposed	Re-Used	Recycled	Safely Disposed
Plastics (including packaging)	0	0	0	0	0	0
E-waste	0	0	0	0	0	0
Hazardous waste	0	0	0	0	0	0
Other waste	0	0	0	0	0	0

5. Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.

Indicate product category	Reclaimed products and their packaging materials as % of total products sold in respective category
0	0

PRINCIPLE 3: Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains.

Essential Indicators:

1. a) Details of measures for the well-being of employees:

Category	% of employees covered by										
	Total (A)	Health insurance		Accident insurance		Maternity benefits		Paternity Benefits		Day Care facilities	
		Number (B)	% (B / A)	Number (C)	% (C / A)	Number (D)	% (D / A)	Number (E)	% (E / A)	Number (F)	% (F / A)
Permanent employees											
Male	10,308	10,308	100%	10,308	100%	NA	0%	10,308	100%	0	0 %
Female	5,112	5,112	100%	5,112	100%	5,112	100%	NA	0%	0	0%
Total	15,420	15,420	100%	15,420	100%	5,112	100%	10,308	100%	0	0%
Other than Permanent employees											
Male	872	872	100%	872	100%	NA	0%	0%	0%	0	0%
Female	724	724	100%	724	100%	724	100%	NA	0%	0	0%
Total	1,596	1,596	100%	1,596	100%	724	100%	0%	0%	0	0%

b) Details of measures for the well-being of workers:

Category	% of employees covered by										
	Total (A)	Health insurance		Accident insurance		Maternity benefits		Paternity Benefits		Day Care facilities	
		Number (B)	% (B / A)	Number (C)	% (C / A)	Number (D)	% (D / A)	Number (E)	% (E / A)	Number (F)	% (F / A)
Permanent workers											
Male	643	643	100%	643	100%	NA	0%	643	100%	0	0%
Female	191	191	100%	191	100%	191	100%	NA	0%	0	0%
Total	834	834	100%	834	100%	191	100%	643	100%	0	0%
Other than Permanent workers											
Male	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Female	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

2. Details of retirement benefits for Current FY and Previous Financial Year:

Benefits	FY 2022-23			FY 2021-22		
	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/ N/ N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/ N/ N.A.)
PF	2.81%	8.88%	Y	3.22%	16.14%	Y
Gratuity	100%	100%	Y	100%	100%	Y
ESI	0%	0%	N.A.	0%	0%	N.A.
Others – please specify (Pension/ National Pension System)	97.17%	91.11%	N.A.	96.75%	83.85%	Y

Business Responsibility & Sustainability Report

3. Accessibility of workplaces

Are the premises/ offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

Wherever technically feasible, the premises/ offices of the Bank are accessible to differently abled employees of the Bank.

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.

Yes, the Bank has in place an Equal Opportunity policy which is available publicly. It is the endeavour of the Bank to maintain conducive and harmonious work environment by creating equal opportunity at workplace and recognising and valuing diversity & inclusion. The Bank strives to provide equal opportunities to all its employees and all qualified applicants for employment without regard to their race, caste, religion, colour, ancestry, marital status, sex, age, nationality, disability etc. The policy may be viewed at <https://www.idbibank.in/pdf/Equal-Opportunity-Policy-Employees.pdf>.

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.

Gender	Permanent employees		Permanent workers	
	Return to work rate	Retention rate	Return to work rate	Retention rate
Male	100%	97.85%	N.A.	N.A.
Female	97.47%	93.80%	N.A.	N.A.
Total	98.73%	95.82%	N.A.	N.A.

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and workers? If yes, give details of the mechanism in brief.

	Yes/ No (If yes, then give details of the mechanism in brief)
Permanent Workers	Yes, the Bank has an online portal, viz. i-Hridaya, hosted on its Intranet for employees/ workers to report their grievances. The Bank also has put in place in-built appellate mechanisms in various policies, procedures and processes to facilitate grievance redressal.
Other than Permanent Workers	
Permanent Employees	
Other than Permanent Employees	NA

7. Membership of employees and workers in association(s) or Unions recognised by the listed entity:

Category	FY 2022-23			FY 2021-22		
	Total employees/ workers in respective category (A)	No. of employees/ workers in respective category, who are part of association(s) or Union (B)#	% (B / A)	Total employees/ workers in respective category (C)	No. of employees/ workers in respective category, who are part of association(s) or Union (D)#	% (D / C)
Total	17,016*	10,451	61%	16,495*	10,349	63%
Permanent Employees						
Male	11,180	7,454	67%	10,885	7,411	68%
Female	5,836	2,997	51%	5,610	2,938	52%
Total Permanent Workers	834	806	97%	935	877	94%
Male	643	643	100%	738	709	96%
Female	191	163	85%	197	168	85%

* - Includes employees on contract.

- Though recognised union status has not been given to any of the unions/ associations, the above is the tentative membership position of major unions/ associations operating in the Bank.

8. Details of training given to employees and workers:

Category	FY 2022-23					FY 2021-22				
	Total	On Health Safety measures		On Skill Upgradation		Total	On Health Safety measures		On Skill Upgradation	
	(A)	No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)	(A)	No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
Employees										
Male	11,180	1,768	15.81%	10,765	96.29%	10,885	941	8.64%	10,588	97.27%
Female	5,836	1,035	17.73%	5,587	95.73%	5,610	849	15.13%	5,377	95.85%
Total	17,016	2,803	16.47%	16,352	96.10%	16,495	1,790	10.85%	15,965	96.79%
Workers										
Male	643	539	83.83%	525	81.65%	738	63	8.54%	64	8.67%
Female	191	170	89.01%	173	90.58%	197	25	12.69%	29	14.72%
Total	834	709	85.01%	698	83.69%	935	88	9.41%	93	9.95%

9. Details of performance and career development reviews of employees and workers:

Category	FY 2022-23*			FY 2021-22*		
	Total (A)	No. (B)	% (B / A)	Total (C)	No. (D)	% (D / C)
Employees						
Male	10,028	10,028	100%	10,172	10,172	100%
Female	4,938	4,938	100%	4,746	4,746	100%
Total	14,966	14,966	100%	14,918	14,918	100%
Workers						
Male	735	735	100%	802	802	100%
Female	206	206	100%	206	206	100%
Total	941	941	100%	1,008	1,008	100%

* Employees and workers eligible for performance appraisal/ reviews (includes appraisal of exited employees) and excludes employees on contract.

10. Health and safety management system:

- a) Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, the coverage such system?

Yes, the Bank has an occupational health and safety management system in place. The Bank has put in place fire safety arrangement, facility of Bank Medical Officers (BMOs) at the Head Office and some Zonal Offices, and provision of ergonomic chairs for its officers.

- b) What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?

The Bank periodically organises fire mock drill for all their staff members. The Bank also conducts preventive maintenance of all its equipment.

- c) Whether you have processes for workers to report the work-related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/ N)?

Yes

- d) Do the employees/ workers of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)?

Yes

Business Responsibility & Sustainability Report

11. Details of safety related incidents in the following format:

Safety Incident/ Number	Category	FY 2022-23	FY 2021-22
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked)	Employees	0	0
	Workers	0	0
Total recordable work-related injuries	Employees	0	0
	Workers	0	0
No. of fatalities	Employees	0	0
	Workers	0	0
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	Employees	0	0
	Workers	0	0

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy workplace.

The following measures have been taken by the Bank to ensure a safe and healthy workplace for all employees:

- Periodic fire drill training for all employees at its Head Office in Mumbai and all its Zonal Offices;
- Provision of fire aid kit, fire alarm, and fire extinguishers at all office premises; and
- Availability of Bank Medical Officer (BMO) at the Head Office in Mumbai and some Zonal Offices.

13. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	FY 2022-23			FY 2021-22		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Working Conditions	0	0	0	0	0	0
Health & Safety	0	0	0	0	0	0

14. Assessments for the year

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	0
Working Conditions	0

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks/ concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

The question is not applicable for the Bank as assessments of its offices were not conducted during the year.

Leadership Indicators:

1. Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of (A) Employees (Y/ N) (B) Workers (Y/ N)?

Yes, the Bank provides life insurance cover and compensatory packages to its employees and workers.

2. Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.

The Bank endeavours to ensure that its value chain partners deduct and deposit statutory dues like PF and Gratuity.

3. Provide the number of employees/ workers having suffered high consequence work-related injury/ ill-health/ fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:

	Total no. of affected employees/ workers		No. of employees/ workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment	
	FY 2022-23	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2021-22
Employees	0	0	0	0
Workers	0	0	0	0

4. Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/ No)

Yes, the Bank conducts various workshops for their retiring employees which help them plan their life ahead. The workshops are conducted to prepare/ assist the employees in planning/ addressing the changes that take place physically and psychologically. The following workshops are conducted over a course of three days at the IDBI Training College, Hyderabad:

- Healthy Ageing and Managing the Physical Transition
- Wellness as an achievable personal goal for holistic life after retirement
- Diet and Lifestyle Practices
- Yoga and Meditation as a Way of Life for all-round happiness
- Philosophy of Life & Living (Spiritual Aspects)
- Second Careers, Productive Ageing and Social Networking
- Psychological Exercises for Successful Transition
- Managing Finances and Investments including Tax Aspects
- Importance of Will Making and Laws of Nomination
- Superannuation Benefits

5. Details on assessment of value chain partners:

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Health and safety practices	0
Working Conditions	0

6. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks/ concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.

The question is not applicable for the Bank since assessment of value chain partners were not conducted.

PRINCIPLE 4 : Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

Essential Indicators

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.

The Bank has implemented a comprehensive stakeholder-inclusive approach to enhance its ability to create value through its operations and people. As part of this approach, the Bank strategically prioritises and engages with individuals, entities and groups based on their level of influence, impact, responsibility and interdependency.

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalised Group (Yes/ No)	Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisements, Community Meetings, Notice Boards, Website), Other	Frequency of engagement (Annually/ Half-yearly/ Quarterly/ others – please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
Customers	No	The Bank communicates with its customers through emails, SMS, in-person meetings, website, notice boards, print and television marketing campaigns, customer care channels – App, social media.	Need-based	<ul style="list-style-type: none"> Customer feedback Customer grievances Providing information regarding products and services
Community	No	The Bank communicates with its community members through emails, in-person meetings with the implementation agency.	Need-based	<ul style="list-style-type: none"> Community grievance Challenges and scope of improvement
Employees	No	The Bank communicates with its employees through emails, in-person meetings, townhalls, surveys, employee grievance channels, training and capacity development programmes, Intranet portal.	Frequent	<ul style="list-style-type: none"> New policies Employee grievances Talent management Learning and development Annual performance management
Investors	No	The Bank communicates with its investors through emails, website, annual general meetings, investor grievance channels.	Need-based	<ul style="list-style-type: none"> Performance and updates Short/ Long term Business strategy
Vendors and Suppliers	No	The Bank communicates with its vendors through emails, in-person meetings, virtual meetings, website.	Need-based	<ul style="list-style-type: none"> Due diligence during on-boarding Periodic assessments of suppliers

Leadership Indicators

1. Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.

The Bank initiated its first materiality assessment in FY 2022-23 with the aim to identify the key material topics. The Bank has engaged in an extensive stakeholder engagement and materiality assessment exercise across all

the groups of stakeholders, viz. customers, employees, investors, community, vendors and senior management to gauge their feedback and input on what is material to the business. The material topics have been reviewed by the Bank.

2. **Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental and social topics (Yes/ No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.**

Based on the insights of the stakeholder engagement and materiality assessment, the Bank has arrived at the key social and environmental aspects that are material to the Bank and its stakeholders. The Bank shall endeavour to align its business strategy with the identified material topics and undertake appropriate initiatives/ measures in furtherance of the same.

3. **Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalised stakeholder groups.**

The Bank has policies in place for addressing the grievance/ concerns of its stakeholders, viz. customers, employees, investors and CSR beneficiaries. The grievance/ concerns of the value chain partners are addressed on a case-to-case basis.

PRINCIPLE 5 : Businesses should respect and promote human rights

Essential Indicators

1. **Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity in the following format:**

Category	FY 2022-23			FY 2021-22		
	Total (A)	No. of employees/ workers covered (B)	% (B / A)	Total (C)	No. employees/ workers covered (D)	% (D / C)
Employees						
Permanent	15,420	14,922	96.77%	15,477	12,951	83.68%
Other than permanent	1,596	1,430	89.60%	1,018	427	41.94%
Total Employees	17,016	16,352	96.10%	16,495	13,378	81.10%
Workers						
Permanent	834	698	83.69%	935	160	17.11%
Other than permanent	0	0	0%	0	0	0%
Total Workers	834	698	83.69%	935	160	17.11%

* Includes multiple training programmes covering relevant issues

Business Responsibility & Sustainability Report

2. Details of minimum wages paid to employees and workers in the following format:

Category	FY 2022-23					FY 2021-22				
	Total (A)	Equal to Minimum Wage		More than Minimum Wage		Total (D)	Equal to Minimum Wage		More than Minimum Wage	
		No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)		No. (E)	% (E/D)	No. (F)	% (F/D)
Employees										
Permanent	15,420	Nil	NA	15,420	100%	15,461	Nil	NA	15,461	100%
Male	10,308	Nil	NA	10,308	100%	10,408	Nil	NA	10,408	100%
Female	5,112	Nil	NA	5,112	100%	5,053	Nil	NA	5,053	100%
Other than Permanent	1,596	Nil	NA	1,596	100%	1,034	Nil	NA	1,034	100%
Male	872	Nil	NA	872	100%	477	Nil	NA	477	100%
Female	724	Nil	NA	724	100%	557	Nil	NA	557	100%
Workers										
Permanent	834	Nil	NA	834	100%	935	NIL	NA	935	100%
Male	643	Nil	NA	643	100%	738	Nil	NA	738	100%
Female	191	Nil	NA	191	100%	197	Nil	NA	197	100%
Other than Permanent	Nil	Nil	NA	Nil	NA	Nil	Nil	NA	Nil	NA
Male	Nil	Nil	NA	Nil	NA	Nil	Nil	NA	Nil	NA
Female	Nil	Nil	NA	Nil	NA	Nil	Nil	NA	Nil	NA

3. Details of remuneration/ salary/ wages in the following format:

	Male		Female	
	Number	Median remuneration/ salary/ wages of respective category (In ₹)	Number	Median remuneration/ salary/ wages of respective category (In ₹)
Board of Directors (BoD)	9*	24,80,000	1**	26,60,000
Key Managerial Personnel	4	91,04,269	1**	29,70,278
Employees other than BoD and KMP	11,184	16,70,189	5,816	14,99,606
Workers	642	9,39,353	192	13,96,744

*The details of Board of Directors do not include the details of MD & CEO and two DMDs as their details have been included in Key Managerial Personnel. Further, the Board of Directors are not paid remuneration but sitting fees and details of sitting fees are provided. The Government of India Nominee Directors are not in receipt of sitting fees and hence, excluded.

**Median cannot be calculated as there is one female representative in each category, viz. the Board of Directors and Key Managerial Personnel.

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/ No)

The Bank has put in place Human Rights Policy, which is applicable to all stakeholders including employees. The Policy broadly covers (i) Health and Safety at Workplace, (ii) Workforce Diversity, (ii) Prohibition of Child Labour & Forced Labour, (iii) Harassment-Free Workplace, (iv) Human Dignity, (v) Minimum wages and benefits, (vi) Employee Feedback and Grievances and (vii) Ethical Business Conduct. The Bank has enabling provisions in the applicable conduct rules/ policies which address such issues.

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances relating to human rights issues.

The Bank recognises the valuable role that businesses can play in the long-term protection of human rights for a better future. The Bank's support for these fundamental principles reflects in its policies and actions towards its stakeholders. The Bank has provided an online portal, viz. i-HRIDAYO for submission of employee grievances and has put in place a Grievance Redressal Committee to examine grievances relating to discrimination and harassment that are tagged as 'not satisfied' by the complainant. Mechanism for redressal of sexual harassment complaints received has been put in place in line with provision of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act). The Bank has also put in place Human Rights Policy, which is applicable to all stakeholders, including employees.

6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	FY 2022-23*			FY 2021-22*		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Sexual Harassment	7	5	0	8	1	0
Discrimination at workplace	9	2	0	4	0	0
Child Labour	0	0	0	0	0	0
Forced Labour/Involuntary Labour	0	0	0	0	0	0
Wages	3	2	0	0	0	0
Other human rights related issues	0	0	0	0	0	0

*Includes complaints received through i-HRIDAYO system and those escalated to the Grievance Redressal Committee (GRC).

7. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

The Bank has put in place a Policy on Vigil Mechanism, which provides a framework and empowers all the employees to disclose unethical conduct, malpractices, wrongdoings etc. noticed at the workplace in a very confidential manner through a portal exclusively accessed by the Chief General Manager of the Internal Audit Department. The whistle blowers may send such concerns/ complaints to the Bank through a separate email login facility created on the Bank's Intranet site. Only an authorised person can receive/ access mail sent by the whistleblower. The Designated Official maintains utmost secrecy of the complaint/ concern received and ensures the details of the concern and the identity of the whistleblower is kept confidential. The whistle blower can also approach the Central Vigilance Commission (CVC) for complaints for disclosure on any allegation of corruption or misuse of office by following the procedure laid down by the CVC in this regard. The POSH guidelines for employees are also available with the Bank internally. The Bank's Human Rights Policy outlines its commitment to protecting the human rights and maintaining a work environment free of harassment.

8. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/ No)

Yes. The Bank's business agreements and contracts stipulate that the other party adheres to the applicable national laws and regulations, including those pertaining to human rights.

9. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child labour	Nil
Forced/ involuntary labour	Nil
Sexual harassment	Nil
Discrimination at workplace	Nil
Wages	Nil
Others – please specify	Nil

Business Responsibility & Sustainability Report

10. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks/ concerns arising from the assessments at Question 9 above.

No such assessments have been conducted.

Leadership Indicators

1. Details of a business process being modified/ introduced as a result of addressing human rights grievances/ complaints.

The Bank has not recorded any instances necessitating modifications to the current processes.

2. Details of the scope and coverage of any human rights due-diligence conducted.

The Bank has not conducted any human rights due-diligence.

3. Is the premise/ office of the entity accessible to differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?

The Bank has put in place necessary physical infrastructure in its premises, wherever technically feasible, to ensure accessibility for differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

4. Details on assessment of value chain partners:

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Sexual Harassment	Nil
Discrimination at workplace	Nil
Child Labour	Nil
Forced Labour/Involuntary Labour	Nil
Wages	Nil
Others – please specify	Nil

5. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks/ concerns arising from the assessments at Question 4 above.

The Bank has not conducted any assessments till date.

PRINCIPLE 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment¹

Essential Indicators

1. Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity in the following format:

Parameter	FY 2022-23	FY 2021-22
Total electricity consumption (A) (Gigajoule (GJ))	17,638.64	17,807.03
Total fuel consumption (B) (GJ)	7.95	14.45
Energy consumption through other sources (C) (GJ)	-	-
Total energy consumption (A+B+C) (GJ)	17,646.59	17,821.48
Energy intensity per rupee of turnover (GJ/Cr.) (Total energy consumption/ turnover in Rupees)	0.71	0.78
Energy intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	-	-

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/ N) If yes, name of the external agency.

No.

¹-Data furnished in Principle 6 pertains only to the Bank's Head Office in Mumbai, viz. IDBI Tower.

2. Does the entity have any sites/ facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/ N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any.

The question is not applicable as the Bank does not fall under the PAT scheme of the Government.

3. Provide details of the following disclosures relating to water in the following format:

Parameter	FY 2022-23	FY 2021-22
Water withdrawal by source (in Kilolitre (KL))		
(i) Surface water	0	0
(ii) Groundwater	0	0
(iii) Third party water	34,089.22	27,044.56
(iv) Seawater/ desalinated water	0	0
(v) Others	0	0
Total volume of water withdrawal (in Kilolitres) (i + ii + iii + iv + v)*	34,089.22	27,044.56
Total volume of water consumption (in Kilolitre (KL))*	34,089.22	27,044.56
Water intensity per rupee of turnover (KL/Cr.) (Water consumed / turnover)	1.37	1.18
Water intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	-	-

* Total volume of water withdrawal comprises water from municipal corporation and packaged drinking water.

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/ N) If yes, name of the external agency.

No.

4. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.

Yes, the Bank has installed STP at its Head Office in Mumbai, viz. IDBI Tower and the treated water is reused for centralised air conditioning unit.

5. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity in the following format:

Parameter	Please specify unit	FY 2022-23	FY 2021-22
NOx	kg	6.49	11.80
SOx	kg	0.003	0.005
Particulate matter (PM)	kg	0.34	0.62
Persistent organic pollutants (POP)		NA	NA
Volatile organic compounds (VOC)		NA	NA
Hazardous air pollutants (HAP)		NA	NA
Others – please specify		NA	NA

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/ N) If yes, name of the external agency.

No.

Business Responsibility & Sustainability Report

6. Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity in the following format:

Parameter	Unit	FY 2022-23	FY 2021-22
Total Scope 1 emissions (Break-up of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available)	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	1.07	0.59
Total Scope 2 emissions (Break-up of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available)	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	3,479.32	3,908.72
Total Scope 1 and Scope 2 emissions per rupee of turnover	Metric tonnes of CO ₂ /Cr.	0.14	0.17
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity		-	-

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No.

7. Does the entity have any project relating to reducing Green House Gas emission? If yes, then provide details.

Yes, the Bank has taken initiatives and implemented awareness campaigns to reduce energy consumption. The following measures have been taken up by the Bank for reduction of energy consumption:

- Maintaining AC room temperature 25°C through Central AC/ Duct AC/ Split & Window AC.
- Switching off the lights in cabin and back-office area when not in use.
- Switching off the PC when it is not in use for more than 30 mins.
- Turning off television, photocopier, shredder machine and other business automation equipment when not in use.
- Maximise use of natural light and use electrical lighting only when necessary.
- Renewing Annual Maintenance Contracts for all equipment in a timely manner for ensuring smooth functioning and avoiding energy losses.

8. Provide details relating to waste management by the entity in the following format:

Parameter	FY 2022-23	FY 2021-22
Total Waste Generated (in metric tonnes)		
Plastic waste (A)	Not Available	Not Available
E-waste (B)*	2.87	2.30
Bio-medical waste (C)	Not Available	Not Available
Construction and demolition waste (D)	Not Available	Not Available
Battery waste (E)	Not Available	Not Available
Radioactive waste (F)	Not Available	Not Available
Other Hazardous waste. Please specify, if any. (G)	Not Available	Not Available
Other Non-hazardous waste generated (H). Please specify, if any. (Break-up by composition i.e. by materials relevant to the sector) [#]	408	Not Available
Total (A+B + C + D + E + F + G + H)	410.87	2.30

Parameter	FY 2022-23	FY 2021-22
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
Category of waste		
(i) Recycled [^]	170.87	Not available
(ii) Re-used	Not Available	Not Available
(iii) Other recovery operations	Not Available	Not Available
Total	170.87	Not Available
For each category of waste generated, total waste disposed by the nature of disposal (in metric tonnes)		
Category of waste		
(i) Incineration	Not Available	Not Available
(ii) Landfilling	240	Not available
(iii) Other disposal operations	Not Available	Not Available
Total	240	Not available

* Quantity of e-waste generated has been calculated based on weighted average.

Other non-hazardous waste comprises of mixed waste inclusive of food waste. The quantity mentioned is an approximation calculated based on waste generated per day and number of working days.

[^] Food waste is recycled into compost inside the complex and e-waste is handed over to the registered recycler.

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/ N) If yes, name of the external agency.

No.

9. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

Given the type of sector, E-waste is one of the critical hazardous waste. The Bank has developed e-waste management policy, which covers all the Branches, Verticals, Regional offices, Zonal Offices. Following the extant disposal guidelines laid down by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEFCC), the Bank ensures that all the e-waste is disposed of within 180 days of its generation. All the e-waste is disposed only to the registered recyclers. The Bank has also put in place system for tracking of the e-waste generated and disposed.

10. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals/ clearances are required, please specify details in the following format.

S. No.	Location of operations/offices	Type of operations	Whether the conditions of environmental approval/ clearance are being complied with? (Y/ N). If no, the reasons thereof and corrective action taken, if any.
	NA	NA	NA

11. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws in the current financial year:

Name and brief details of project	EIA Notification No.	Date	Whether conducted by independent external agency (Yes/ No)	Results communicated in public domain (Yes/ No)	Relevant Web-link
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Business Responsibility & Sustainability Report

12. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India, such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection act and rules thereunder (Y/ N). If not, provide details of all such non-compliances in the following format:

Yes, the entity is compliant with the applicable environmental laws/ regulations/ guidelines in India, such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment Protection Act and Rules thereunder.

S. No.	Specify the law/ regulation/ guidelines which was not complied with	Provide details of the non-compliance	Any fines/ penalties/ action taken by regulatory agencies such as pollution control boards or by courts	Corrective action taken, if any
--------	---	---------------------------------------	---	---------------------------------

Nil

Leadership Indicators

1. Provide break-up of the total energy consumed (in Joules or multiples) from renewable and non-renewable sources in the following format:

Parameter	FY 2022-23	FY 2021-22
From renewable sources		
Total electricity consumption (A) (Gigajoule (GJ))	0.00	0.00
Total fuel consumption (B) (GJ)	0.00	0.00
Energy consumption through other sources (C) (GJ)	0.00	0.00
Total energy consumed from renewable sources (A+B+C) (GJ)	0.00	0.00
From non-renewable sources		
Total electricity consumption (D) (GJ)	17,638.64	17,807.03
Total fuel consumption (E) (GJ)	7.95	14.45
Energy consumption through other sources (F) (GJ)	0.00	0.00
Total energy consumed from non-renewable sources (D+E+F) (GJ)	17,646.59	17,821.48

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/ N) If yes, name of the external agency.

No.

2. Provide the following details relating to water discharged:

Parameter	FY 2022-23	FY 2021-22
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) To Surface water		
No treatment	0.00	0.00
With treatment	0.00	0.00
(ii) To Groundwater		
No treatment	0.00	0.00
With treatment	0.00	0.00
(iii) To Seawater		
No treatment	0.00	0.00
With treatment	0.00	0.00

Parameter	FY 2022-23	FY 2021-22
(iv) Sent to third-parties		
No treatment	0.00	0.00
With treatment	0.00	0.00
(v) Others		
No treatment	0.00	0.00
With treatment	0.00	0.00
Total water discharged (in kilolitres)	0.00	0.00

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/ N) If yes, name of the external agency.

No

3. **Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kiloliters):** Not Applicable.

For each facility/ plant located in areas of water stress, provide the following information:

(i) **Name of the area**

(ii) **Nature of operations**

(iii) **Water withdrawal, consumption and discharge in the following format:**

Parameter	FY 2022-23	FY 2021-22
Water withdrawal by source (in kilolitres)		
(i) Surface water	0	0
(ii) Groundwater	0	0
(iii) Third party water	0	0
(iv) Seawater/ desalinated water	0	0
(v) Others	0	0
Total volume of water withdrawal (in kilolitres)	0	0
Total volume of water consumption (in kilolitres)	0	0
Water intensity per rupee of turnover (<i>Water consumed / turnover</i>)	0	0
Water intensity (<i>optional</i>) – the relevant metric may be selected by the entity	0	0
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) To Surface water	0	0
No treatment	0	0
With treatment – please specify level of treatment		0
(ii) To Groundwater	0	0
No treatment	0	0
With treatment – please specify level of treatment	0	0
(iii) To Seawater	0	0
No treatment	0	0
With treatment – please specify level of treatment	0	0

Business Responsibility & Sustainability Report

Parameter	FY 2022-23	FY 2021-22
(iv) Sent to third-parties	0	0
No treatment	0	0
With treatment – please specify level of treatment	0	0
(v) Others	0	0
No treatment	0	0
With treatment – please specify level of treatment	0	0
Total water discharged (in kilolitres)	0	0

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/ N) If yes, name of the external agency.

No.

4. Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity in the following format:

Parameter	Unit	FY 2022-23	FY 2021-22
Total Scope 3 emissions (Break-up of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available)	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	Not Available	Not Available
Total Scope 3 emissions per rupee of turnover		Not Available	Not Available
Total Scope 3 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity		Not Available	Not Available

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/ N) If yes, name of the external agency.

No.

5. With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 10 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along with prevention and remediation activities.

The question is not applicable for the Bank.

6. If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions/ effluent discharge/ waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives, as per the following format:

Sr. No	Initiative undertaken	Details of the initiative (Web-link, if any, may be provided along with summary)	Outcome of the initiative
	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

7. Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words/ web-link.

Yes, the Bank has well-defined disaster management plan as part of Business Continuity Plan to prevent business/ financial losses on account of disasters. The Bank's Business Continuity Management System (BCMS) is ISO 22301:2012 compliant. The Bank has put in place Disaster Response Structure as follows: Crisis Management Team (CMT), Disaster Response Team (DRP), Damage Assessment Team (DAT). The resilience of these plans under different disruption scenarios are tested on an on-going basis through BCP testing exercises, DR drills & Holistic DR Drill for critical IT applications and, mock evacuation drills at Bank's owned premises. To mitigate the risk of system failure, the Bank has set up a Disaster Recovery (DR) site at Chennai and a near DR site at Mumbai. The Bank periodically carries out DR drill

exercises to test the capabilities of DR site. Reporting of any disruption incident & BCM activities is automated through an application software i.e. i-DaB. The Bank's Annual Report provides the details of its Business Continuity Management processes (<https://apps.idbibank.in/idbiapp/idbi-bank-anual-report.aspx>).

8. **Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard.**

At present, no significant impact has been reported arising from value chain partners of the Bank.

9. **Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.**

The Bank has not conducted any assessment of value chain partners for environmental impacts.

PRINCIPLE 7: Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent

Essential Indicators

1. a. **Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations.**

The Bank is affiliated to numerous trade and industry chambers/ associations.

- b. **List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such bodies) the entity is a member of/ affiliated to -**

S. No.	Name of the trade and industry chambers/ associations*	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/ National)
1	Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)	National
2	Confederation of Indian Industry (CII)	National
3	Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI)	National
4	Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India (FIMMDA)	National
5	Foreign Exchange Dealers' Association Of India (FEDAI)	National
6	Indian Banks Association (IBA)	National
7	Primary Dealers' Association Of India (PDAI)	National

* - The list of names is indicative and not exhaustive .

2. **Provide details of corrective action taken or underway on any issues relating to anti-competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.**

Name of authority	Brief of the case	Corrective action taken
0	0	0

Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity

S. No.	Public policy advocated	Method resorted for such advocacy	Whether information available in public domain? (Yes/ No)	Frequency of Review by Board (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ Others – please specify)	Web-link, if available
	0	0	0	0	0

PRINCIPLE 8: Businesses should promote inclusive growth and equitable development

Essential Indicators

1. Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws in the current financial year:

Name and brief details of project	SIA Notification No.	Date of notification	Whether conducted by independent external agency (Yes/ No)	Results communicated in public domain (Yes/ No)	Relevant Web-link
NA	NA	NA	NA	NA	NA

2. Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity in the following format:

S. No.	Name of Project for which R&R is ongoing	State	District	No. of Projects Affected Families (PAFs)	% of PAFs covered by R&R	Amounts paid to PAFs in the FY (In INR)
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.

There was no requirement for the Bank to incur any spends in CSR in FY 2022-23 as defined in the Companies Act, 2013. However, the Bank has extended support to select interventions. No grievance was reported in these CSR interventions. Further, the Bank has revised its CSR Policy with effect from April 1, 2023 wherein a provision has been made for grievance redressal mechanism.

4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:

	FY 2022-23	FY 2021-22
Directly sourced from MSMEs/ small producers	0	0
Sourced directly from within the district and neighbouring districts	0	0

Leadership Indicators

1. Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above):

Details of negative social impact identified	Corrective action taken
NA	NA

2. Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies:

S. No.	State	Aspirational District	Amount spent (in lakh)
	0	0	0

3. a) Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalised /vulnerable groups? (Yes/No)

Yes, uniform guidelines issued from time-to-time by the Department of Expenditure, Government of India is followed for procurement. (Web-link - <https://doe.gov.in/manuals>)

b) From which marginalised /vulnerable groups do you procure?

Nil.

c) What percentage of total procurement (by value) does it constitute?

0%

4. Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge

S. No.	Intellectual Property based on traditional knowledge	Owned/ Acquired (Yes/ No)	Benefit shared (Yes/ No)	Basis of calculating benefit share
	NA	NA	NA	NA

5. Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved.

Name of authority	Brief of the Case	Corrective action taken
NA	NA	NA

6. Details of beneficiaries of CSR Projects:

S. No.	CSR Project	No. of persons benefitted from CSR Projects	% of beneficiaries from vulnerable and marginalised groups
1.	Financial assistance to Maitribodh Parivaar Charitable Trust, Navi Mumbai for setting up of production unit of sanitary pads at Jamrung village of Karjat and its operating expenditure (production & distribution of sanitary pads) for an initial period of six months.	1,480	100%
2.	Financial assistance to Anandam, Chennai, towards purchasing & installation of audio-visual equipment in the auditorium of Anandam Learning Centre for special children at Kallikuppam, Chennai.	58	100%
3.	Financial assistance to People for Animals, New Delhi, towards purchasing an X-ray machine and Off-Grid Solar Panel at its animal hospital cum shelter unit situated at Sadhrana village, Gurugram, Haryana.	Not applicable	-
4.	Financial assistance to Women's Interlink Foundation, Kolkata, for an old-age home (cost of purchase and installation of elevator) at Doltala, Ganganagar, Madhyamgram, 24 Parganas (North), West Bengal.	~90	100%
5.	Financial assistance to Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, for meeting tuition fees, hostel and dining hall expenses of meritorious students from economically weaker sections enrolled at Centre of Excellence in Teacher Education (CETE), who are aspiring to be teachers and educators, for the first semester.	16	100%
6.	Financial assistance to Vanvasi Kanya Chhatrawas, Rudrapur towards meeting academic expenses of girl students under its Yashoda Yojana for the year 2022-23.	25	100%

Business Responsibility & Sustainability Report

S. No.	CSR Project	No. of persons benefitted from CSR Projects	% of beneficiaries from vulnerable and marginalised groups
7.	Financial assistance to Public Health Technologies Trust, New Delhi for purchase of oxygen concentrators to support old age homes in the state of Karnataka.	~600	100%
8.	Financial assistance to Government Medical College & Hospital, Aurangabad towards purchase of public utility vehicle (bus) to facilitate movement of medical experts and poor patients.	~12,000/ year	Non-measurable
9.	Financial assistance to Sri Kanchi Kamakoti Medical Trust, Coimbatore for performing cataract surgeries to underprivileged people across four locations i.e. Anand, Indore, Kanpur and Ludhiana.	1,400	100%
10.	Financial assistance to District Rural Development Agency, Sivaganga, Tamil Nadu for supply of smart class panels to five Panchayat Union Primary and Middle schools at Sivaganga district of Tamil Nadu.	~1,000	100%
11.	Financial assistance to Ramakrushna Vidya Samsthe, Kamalapura, Karnataka for purchase of furniture for Rama Krishna English Higher Primary School, Kamalapura, Karnataka.	~400	100%

PRINCIPLE 9 : Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

1. Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.

The Bank has in place a Board-approved policy on Grievance Redressal. The policy defines Grievance Redressal mechanism for the customer complaints of the Bank. All the complaints by the customer/ non-customer can be lodged through multiple channels in the Standardised Public Grievance Redressal System (SPGRS) module of the Customer Value Management (CVM) so as to ensure timely & qualitative redressal of complaints. In case of non-resolution within the stipulated time-frame, the complainant may escalate the complaint through the website or the link that is provided in the SMS triggered to the customer on resolution of a complaint. The complainant may escalate the complaints to the next authority as per the three tier escalation matrix provided in the mechanism. In case grievance is not resolved within 30 working days of lodging of complaint, the customer can approach Office of the RBI Ombudsman (ORBIO) as per the extant guidelines.

Further, in line with the Internal Ombudsman Scheme 2018, a complaint which is partly or wholly rejected by the Bank's internal grievance redressal mechanism are internally escalated to the Bank's Internal Ombudsman (IO) for review before replying to the complainant.

2. Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:

	As a percentage to total turnover
Environmental and social parameters relevant to the product	Not applicable
Safe and responsible usage	Not applicable
Recycling and/or safe disposal	Not applicable

3. Number of consumer complaints in respect of the following:

	FY 2022-23		Remarks	FY 2021-22		Remarks
	Received during the year	Pending resolution at end of year		Received during the year	Pending resolution at end of year	
Data privacy	0	0	0	0	0	0
Advertising	0	0	0	0	0	0
Cyber-security	5,771	4	Complaints relating to Unauthorised Electronic Banking Transactions (UEBT)	6,024	0	Complaints relating to UEBT
Delivery of essential services	573	5	Complaints relating to Non-receipt of ATM card, cheque book, I-net Pin	579	16	Complaints relating to Non-receipt of ATM card, cheque book, I-net Pin
Restrictive Trade Practices	0	0	0	0	0	0
Unfair Trade Practices	0	0	No complaints under the RBI ground 'Unfair Trade Practices'	0	0	No complaints under the RBI ground 'Unfair Trade Practices'
Other	36,318	168	All complaints except above	65,071	270	All complaints except above

4. Details of instances of product recalls on account of safety issues:

	Number	Reasons for recall
Voluntary recalls	0	0
Forced recalls	0	0

5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/ No) If available, provide a web-link of the policy.

Yes, the Bank has a Board-approved policy on cyber security. The policies are classified and hence are accessible only to the employees of the Bank.

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty/ action taken by regulatory authorities on safety of products/ services.

The Bank has not encountered any such incident. Corrective actions shall be initiated as and when any such incidents happen as per laid down guidelines, all major IT incidences and IT Security Incidences are being reported to IT Sub-Committee of Board (ITSCB).

Leadership Indicators

1. Channels/ platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web-link, if available).

Information regarding the Bank's products and services is available on the Bank's website (www.idbibank.in) and product posts on the Bank's products and services are available on the Bank's social media platforms –

- Facebook (<https://www.facebook.com/IDBIBank/>),
- Twitter (https://twitter.com/idbi_bank),
- Instagram (<https://www.instagram.com/idbibankofficial/>),
- LinkedIn (<https://in.linkedin.com/company/idbi-bank>)
- YouTube (<https://www.youtube.com/IDBIBANK>)

2. Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.

The Bank has been undertaking various consumer awareness and education initiatives on safe banking, including cyber-crime and fraud awareness by way of hosting posts and conducting social media contests on its official social media platforms and corporate website at regular intervals. The customers are informed about the safe mode of transactions through emails, SMSes and during branch interactions. Terms and conditions are suitably incorporated in various clauses mentioned in Letter of Intent and loan documents.

3. Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/ discontinuation of essential services.

The Bank has a well-defined Business Continuity Plan for all its processes and locations. The stakeholders are informed by way of emails and through applications whereas customers receive alerts through SMSes. In dire situation for any location facing down time, the customers are directed to the nearest locations and their transactions are attended appropriately.

4. Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? (Yes/ No/ Not Applicable) If yes, provide details in brief. Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products/ services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/ No)

Information regarding the Bank's products and services are available on the Bank's website (www.idbibank.in) and product posts on the Bank's products and services are available on the Bank's social media platforms. The Bank also periodically interacts with its customers for their feedback on products and services. The Bank also conducts customer satisfaction surveys on an annual basis.

5. Provide the following information relating to data breaches:

a) Number of instances of data breaches along with impact

No such incidents were reported by the Bank.

b) Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers

Nil.

एकल वित्तीय विवरण
Standalone Financial Statements

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

Independent Auditors' Report

प्रति,

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2023 के तुलन पत्र, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद एकल वित्तीय विवरणों के रूप में निर्दिष्ट किया गया) सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त एकल वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और साथ ही साथ कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के जरिये बैंकिंग कंपनियों से यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2023 को बैंक के कार्यों की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के उसके लाभ तथा नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत हेतु आधार

हमने अपनी एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानकों (एसए) के अनुरूप की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट की एकल वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में वर्णित है। हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुरूप अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

महत्वपूर्ण विषय

हम एकल वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणी 18(सी) (V) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो बैंक के परिचालन और वित्तीय स्थिति पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बारे में है, जोकि इन्हें कम करने के लिए की गई कार्रवाई और विनियामक उपायों सहित कई अनिश्चित पहलुओं पर निर्भर करेगा।

इस मामले में हमारे अभिमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार चालू अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों का एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में अपनी

To,

The Members of IDBI Bank Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of IDBI Bank Limited ("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2023, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended March 31 2023, and notes to the financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the Standalone Financial Statements)

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, as well as the Companies Act, 2013 ("the Act") and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India, in the manner so required for banking companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act, read with rules made thereunder, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2023 and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the Standalone Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 18(C)(V) of the accompanying Statement of Standalone Financial Statements, regarding the impact of COVID-19 pandemic on the Bank's operations and financial position, which will depend on various uncertain aspects including actions taken to mitigate the same and other regulatory measures.

Our Opinion is not modified in respect of the above matter.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters

रिपोर्ट में किया है। नीचे उल्लिखित प्रत्येक मामलों पर हमारी लेखापरीक्षा ने क्या-क्या समाधान किए, उसका वर्णन उस संदर्भ में दिया गया है:

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक का दृष्टिकोण
आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण और मापन	
<p>बैंक ने यथा 31 मार्च 2023 को 11,520.98 करोड़ रुपये की निवल आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण किया है, जिसमें वर्ष के दौरान 1,797.49 करोड़ रुपये का निवल प्रतिवर्तन शामिल है।</p> <p>आस्थगित कर की मान्यता में इन आस्तियों की वसूली की संभावना के बारे में निर्णय शामिल है, विशेष रूप से क्या भविष्य की अवधि में पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा जो इन आस्तियों की मान्यता का समर्थन करेगा। इन आस्थगित कर आस्तियों को वसूली योग्य या अन्यथा मानने में शामिल निर्णय की डिग्री को देखते हुए, हम इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला मानते हैं।</p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रयोज्य कर कानूनों और बैंक पर लागू संबंधित विनियमों को समझना शामिल था। हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के एक भाग के रूप में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं पूरी कीं:</p> <ul style="list-style-type: none"> आय पर कर के लिए एएस 22 लेखांकन के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण और मापन के लिए अपनाई गई नीतियों का मूल्यांकन; प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त अन्य मापदंडों और अनुमानों के आधार पर लाभों की उपलब्धता की संभावना का मूल्यांकन किया गया, जिसमें से बैंक, निदेशक मंडल द्वारा एकल वित्तीय विवरण स्वीकार करते समय नोट किए गए पूर्वानुमानों के संदर्भ में भविष्य में इस आस्थगित कर आस्ति का उपयोग कर सकेगा। लागू कर दरों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण करने में अपनाई गई पद्धति का मूल्यांकन किया गया तथा अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया गया।
अग्रिमों के लिए आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा विनियामक मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण	
<p>अग्रिम बैंक की कुल आस्तियों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे, अन्य बातों के साथ-साथ, आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) और प्रावधान मानदंडों तथा आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं, जो अग्रिमों के अर्जक और अनर्जक अग्रिमों (एनपीए) में वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करते हैं।</p>	<p>हमारे लेखापरीक्षित दृष्टिकोण के अंतर्गत अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण की रूपरेखा, आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता और समुचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का परीक्षण शामिल है। इसमें विशेष रूप से निम्न बातें शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> एप्लिकेशन सिस्टम से प्राप्त अपवाद रिपोर्टों के परीक्षण पर विचार करना जहां अग्रिम दर्ज किए गए हैं।

described below to be the key audit matters to be communicated in our report. For each matter below, our description of how our audit addressed the matter is provided in that context:

Key Audit Matters	Auditor's Approach
Recognition and Measurement of Deferred Tax Asset	
<p>The Bank has recognised a net deferred tax asset of INR 11,520.98 Crores as on March 31, 2023, after net reversal of INR 1,797.49 Crores during the year.</p> <p>The recognition of deferred tax involves judgement regarding the likelihood of realisation of these assets in particular whether there will be sufficient taxable profits in future periods that will support the recognition of these assets. Given the degree of judgement involved in considering these deferred tax assets as recoverable or otherwise, we consider this to be a key audit matter.</p>	<p>Our audit procedures involved gaining an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. Our audit procedures included:</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluation of policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income; Assessed the probability of the availability of profits based on assumptions and other parameters used by the Management against which the Bank will be able to use this deferred tax asset in the future with reference to forecast as noted by the Audit Committee of the Board of Directors. Assessed the method for determining the Deferred Tax Asset with reference to applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy.
Income Recognition and Asset Classification of Advances (IRAC) and Provisioning as per regulatory norms	
<p>Advances constitute significant portion of the Bank's total assets. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPA)</p>	<p>Our audit approach included testing the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments. In particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> Considering testing of the exception reports generated from the application systems where the advances have been recorded.

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

<p>बैंक इन अग्रिमों को आईआरएसी मानदंडों के आधार पर अपनी लेखा नीति अनुसूची संख्या: 17 के अनुसार वर्गीकृत करता है।</p> <p>अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में उचित तंत्र की स्थापना शामिल है और बैंक को विनियमों द्वारा निर्धारित गुणात्मक कारकों के रूप में प्रत्येक गैर-निष्पादित आस्ति ('एनपीए') के लिए मात्रात्मक और साथ ही दोनों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रावधान की मात्रा को पहचानने और निर्धारित करने के लिए निर्णय की महत्वपूर्ण डिग्री लागू करने की आवश्यकता है।</p> <p>एनपीए की पहचान और प्रावधान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान निम्नलिखित तात्त्विक अर्थार्थ कथनों को जन्म दे सकते हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> आईआरएसी मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों के निर्धारण की पूर्णता और समय; ऋण सहायता, ऋण की अवधि बढ़ने और वर्गीकरण, प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य के आधार पर अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान का मापन; एनपीए पर अप्राप्त आय का उचित प्रतिवर्तन <p>बैंक अपने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेन के लिए जिम्मेदार है। एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान की गणना आईआरएसी एप्लोकेशन सॉफ्टवेयर नामक एक अन्य आईटी प्रणाली के माध्यम से की जाती है। यदि एकल या समग्र रूप में आईआरएसी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाए तो इन अग्रिमों का वहन मूल्य (प्रावधानों को घटाकर) तात्त्विक रूप से अर्थार्थ बताया जा सकता है।</p> <p>निहित तात्त्विकता, लेनदेन की प्रकृति, नियामक आवश्यकताओं, मौजूदा कारोबारी माहौल, प्रतिभूतियों के</p>	<ul style="list-style-type: none"> आरबीआई के वृहद ऋणों पर केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) में बैंक और अन्य बैंकों द्वारा विशेष उल्लिखित खातों ("एसएमए") के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों पर तनाव की पहचान करने के लिए विचार करना मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाते के विवरण और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा, ऋण लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा पर विचार करना हमने अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन कर उसे समझा है। पहचाने गए अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने दबावग्रस्त क्षेत्रों और खाता तात्त्विकता सहित कारकों के आधार पर, नमूना आधार पर आस्ति वर्गीकरण की तारीखों, अप्राप्त ब्याज की वापसी, उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य और आईआरएसी मानदंडों के अनुसार प्रावधान पर परीक्षण किया। हमने प्रमुख इनपुट कारकों पर विचार करने के बाद एनपीए के प्रावधान की पुनर्गणना की और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हमारे माप परिणामों की तुलना की। इसके अलावा, हमने शाखाओं/कार्यालयों का दौरा करने और दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों 	<p>The Bank classifies these Advances based on IRAC norms as per its accounting policy schedule no : 17</p> <p>The identification of performing and non-performing advances involves establishment of proper mechanism and the Bank is required to apply significant degree of judgement to identify and determine the amount of provision required against each non-performing asset ('NPA') applying both quantitative as well as qualitative factors prescribed by the regulations.</p> <p>Significant judgements and estimates for NPA identification and provisioning could give rise to material misstatements on:</p> <ul style="list-style-type: none"> Completeness and timing of recognition of non-performing assets in accordance with criteria as per IRAC norms; Measurement of the provision for non-performing assets based on loan exposure, ageing and classification of the loan, realizable value of security; Appropriate reversal of unrealized income on the NPAs. <p>The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Core Banking Solution (CBS). NPA classification and calculation of provision is done through another IT System viz. IRAC Application Software. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed.</p> <p>Considering the materiality involved, nature of the transactions, regulatory requirements, existing business</p>	<ul style="list-style-type: none"> Considering the accounts reported by the Bank and other banks as Special Mention Accounts ("SMA") in RBI's central repository of information on large credits (CRILC) to identify stress. Reviewing account statements and other related information of the borrowers selected based on quantitative and qualitative risk factors Considering Internal Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank. We have test checked advances to examine the validity of the recorded amounts, loan documentation, examined the statement of accounts, provision for non-performing assets, and compliance with income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances in terms of applicable RBI guidelines. For Non-performing advances identified, we, based on factors including stressed sectors and account materiality, tested on a sample basis the asset classification dates, reversal of unrealized interest, value of available security and provisioning as per IRAC norms. We recomputed the provision for NPA after considering the key input factors and compared our measurement outcome to that prepared by management In addition, we have also carried out substantive procedures including
--	---	--	--

मूल्यांकन में शामिल अनुमान/निर्णय को ध्यान में रखते हुए, हमने इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है।

की जांच के साथ-साथ अग्रिमों के लिए प्रतिभूतियों पर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट सहित मूल प्रक्रियाएं भी पूरी की हैं।

- अन्य शाखाओं के संबंध में, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में डिजिटल माध्यम से बैंक द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए स्कैन किए गए रिकॉर्ड/ रिपोर्ट/ दस्तावेजों/ प्रमाणपत्रों के आधार पर नमूना अग्रिमों की समीक्षा, सीबीएस के लिए ईमेल और रिमोट एक्सेस और सुरक्षित नेटवर्क पर अन्य प्रासंगिक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर शामिल हैं।

environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities, we have determined this as a Key Audit Matter.

visits to branches/ offices and examination of documentation and other records as well as reports of independent valuers on securities to advances.

- In respect of other Branches, our audit procedures included review of sample advances based on scanned records/ reports/ documents/ certificates made available to us by the Bank through digital medium, emails and remote access to CBS and other relevant application software over secure network of the Bank.

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण

बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग और ट्रेजरी समाधानों तथा अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर इतनी ज्यादा निर्भर हैं कि आईटी नियंत्रण में कमी होने पर वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग रिकॉर्डों के तात्त्विक रूप से गलत होने का जोखिम बना रहता है।

बैंक अपनी समग्र वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कई प्रणालियों का उपयोग करता है और प्रतिदिन कई स्थानों पर बड़ी मात्रा में लेनदेन दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा, बैंक के सिस्टम और डेटा की अखंडता की रक्षा करने के लिए चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं और हाल की अवधि में साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण जोखिम बन गई है।

आईटी पर्यावरण की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में इसके महत्व के कारण, हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में अभिनिर्धारित किया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए बैंक की आईटी प्रणालियों और संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- हमने बैंक की आईटी प्रणाली को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और नमूना जांच की योजना बनाई है, उन्हें डिजाइन किया है और निष्पादित किया है। हमने उनकी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणालियों के एकीकरण सहित बैंक के आईटी वातावरण की समझ प्राप्त की है।
- हमने आईटी सामान्य नियंत्रणों (तार्किक पहुंच, परिवर्तन प्रबंधन और आईटी परिचालन नियंत्रण के पहलुओं) का परीक्षण किया। इसमें सिस्टम तक पहुंच के अनुरोधों की समीक्षा करने व प्राधिकृत करने का परीक्षण भी शामिल था। हमने अनुमोदन और प्राधिकरण के लिए सिस्टम में बदलाव के अनुरोधों का निरीक्षण किया।
- आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संचालित आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्ट और

Information Technology (IT) Systems and controls over financial reporting

The Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on Core Banking and Treasury Solutions and other supporting software and hardware controls such that there exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being materially misstated.

The Bank uses several systems for its overall financial reporting and there is a large volume of transactions being recorded at multiple locations daily. In addition, there are increasing challenges to protect the integrity of the Bank's systems and data since cyber security has become a more significant risk in recent periods.

Due to the pervasive nature and complexity of the IT environment as well as its importance in relation to accurate and timely financial reporting, we have identified this area as a Key Audit Matter.

As a part of our audit procedures for review of the Bank's IT systems and related controls for financial reporting:

- We have planned, designed and carried out the audit procedures and sample checks, taking into consideration the IT systems of the Bank. We obtained an understanding of Bank's IT environment including integration of various systems to evaluate their adequacy.
- We tested IT general controls (logical access, changes management and aspects of IT operational controls). This included testing that requests for access to systems were reviewed and authorised. We inspected requests of changes to systems for approval and authorisation.

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

	<p>आईआरएसी के लिए की गई बाह्य आईटी प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा साथ ही, सनदी लेखाकार की एक स्वतंत्र फर्म द्वारा संचालित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को ध्यान में रखा गया.</p> <ul style="list-style-type: none"> उपरोक्त के अलावा, हमने कुछ स्वचालित नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया जिन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण माना जाता था. जहां कमियों की पहचान की गई थी, वहाँ हमने क्षतिपूर्ति नियंत्रणों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा अथवा वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं संपन्न कीं. 	<ul style="list-style-type: none"> Considering reports on IS audit conducted by Internal audit department and External IT System audit report for IRAC as well as the audit report of Internal Financial Control over Financial Reporting conducted by an independent firm of Chartered Accountants. In addition to the above, we tested the design and operating effectiveness of certain automated controls that were considered as key internal controls over financial reporting. Where deficiencies were identified, we sought explanations regarding compensating controls or performed alternate audit procedures.
--	--	---

एकल वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

बैंक का निदेशक मंडल एकल वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है. अन्य जानकारी में प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण, निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध सहित निदेशकों की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट, कॉरपोरेट अभिशासन और शेयरधारक जानकारी (सामूहिक रूप से 'अन्य जानकारी' के रूप में निर्दिष्ट) शामिल हैं लेकिन इनमें एकल वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं. उपर्युक्त अनुसार अतिरिक्त जानकारी इस लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है.

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम अन्य जानकारी पर किसी तरह का आश्वासन/ निष्कर्ष नहीं देते हैं.

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमें उपलब्ध कराए जाने पर ऊपर निर्दिष्ट अन्य जानकारी का अध्ययन करें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों से अथवा लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त की गई सूचना से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से गलत प्रतीत होती है. अन्य जानकारी का अध्ययन करने पर यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई तात्विक विसंगति है, तो हमारे लिए उस तथ्य को अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को उसकी सूचना देना आवश्यक है.

प्रबंधन एवं अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों की एकल वित्तीय विवरणों के प्रति जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल बैंकिंग कंपनियों के लिए आवश्यक तरीके से इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है,

Information Other Than Standalone Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of other information. The Other Information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Director's Report including Annexures to Director's Report, Business Responsibility and Sustainability Report, Corporate Governance and Shareholders information (collectively called as "Other Information") but does not include the Standalone Financial Statements and our auditor's report thereon. The Other information as above is expected to be made available to us after the date of this Auditors' report.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the Other Information and we do not express any form of assurance/ conclusion on the other information.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

The Bank's Management and Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements in the manner required for Banking companies

जो अधिनियम की धारा 133 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेना और पूर्वानुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें बनाए रखना, जो सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करने वाली धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाले तथ्यात्मक मिथ्या कथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, भी शामिल है।

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन मंडल कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन की कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो।

बैंक का प्रबंधन मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बात का आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई मिथ्या कथन न हो और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए। धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे ठोस तब माना जाता है जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।

लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- एकल वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए हों, उन जोखिमों के अनुरूप लेखा प्रक्रियाएं तैयार करना और उन पर कार्रवाई करना तथा हमारी राय को पर्याप्त और संगत आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, कपट, जानबूझ कर छोड़ी गई त्रुटियां, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना जो उन परिस्थितियों के लिए उचित हों। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत हम

and that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cashflows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities, selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, Management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Bank's Management is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है तथा क्या इस तरह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर्याप्त है।

- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों एवं प्रबंधन द्वारा उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य पर अपना निष्कर्ष देना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस बात का पता लगाना कि क्या उन घटनाओं से संबंधित तात्त्विक अनिश्चतता मौजूद है या वैसी परिस्थितियां बनी हैं जिसमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता पर सार्थक संदेह व्यक्त किया जा सके। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तात्त्विक अनिश्चतता विद्यमान है तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है तो हमें अपने अभिमत को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने न रहने का कारण बन सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या एकल वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि इसकी निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त की जा सके।

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे, उसकी अवधि और लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों तथा लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते हैं।

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को वक्तव्य भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और साथ ही हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले संबंधों और उन मामलों जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, और जहां भी लागू हो वहां उनसे संबंधित सावधानियों की जानकारी भी देते हैं।

अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो इसलिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय हैं। हम उन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन द्वारा इस मामले के प्रकटन के लिए या तो रोका न जाए या फिर अत्यंत विरल परिस्थितियों में जब हम यह निर्णय लें कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

अन्य मामले

हमने बैंक के एकल वित्तीय परिणामों में शामिल दुबई स्थित विदेशी शाखा की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसकी वित्तीय जानकारी यथा 31 मार्च 2023 को ₹ 99.68 करोड़ की कुल आस्ति और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 105.47 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाती है जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है। इस शाखा की लेखापरीक्षा स्थानीय शाखा लेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है और अब तक इस शाखा के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Bank has adequate internal financial controls system with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Management.
- Conclude on the appropriateness of Bank's Management and Board of Directors use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

We did not audit the financial statements of the foreign branch in Dubai included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose financial statements reflect total assets of INR 99.68 Crores as at March 31, 2023 and total revenue of INR 105.47 Crores for the year ended on that date. This branch has been audited by a local branch auditor whose report has been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this branch, is based solely on the report of such branch auditor.

उपर्युक्त मामलों में हमारी राय संशोधित नहीं की गई है।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 133 के साथ पठित अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे तथा उन्हें संतोषजनक पाया है।
 - ख) बैंक के जो लेन-देन हमारे ध्यान में लाए गए, वे बैंक की अधिकार सीमा के भीतर रहे हैं।
 - ग) बैंक की वित्तीय लेखा प्रणाली केंद्रीकृत हैं और इसलिए, वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से लेखांकन विवरणियाँ शाखाओं द्वारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। हमने लेखा-परीक्षा केंद्रीय रूप से की है क्योंकि हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी अपेक्षित रिकॉर्ड और डेटा केंद्रीय रूप से उपलब्ध हैं। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने आरबीआई के मौजूदा परिपत्र के अनुपालन में हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए ऐसी शाखाओं में रखे गए अभिलेखों की जांच करने के लिए 36 घरेलू शाखाओं और गांधीनगर शाखा (विदेश) में स्थित गिफ्ट सिटी आईबीयू का दौरा किया है, जिसमें बैंक के सकल अग्रिमों का 44.22% निहित है।
3. अधिनियम की धारा 143(3) के अपेक्षानुसार हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;
 - ख) हमारी राय में बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ उचित और पर्याप्त विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं;
 - ग) बैंक की दुबई शाखा के लेखों की अन्य लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित रिपोर्ट हमारे पास प्रेषित की गई है और इस पर उचित रूप से विचार किया गया है;
 - घ) इस रिपोर्ट में विचार किए गए तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं;
 - ङ) हमारी राय में उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के उस सीमा तक अनुपालन में हैं जहां तक वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं;
 - च) यथा 31 मार्च 2023 को बैंक के निदेशकों से प्राप्त और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, किसी भी निदेशक को यथा 31 मार्च 2023 को कंपनी

Our opinion is not modified in respect of the above matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provision of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Act and Rules made thereunder.
2. As required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:
 - a. We have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.
 - b. The transactions of the Bank, which have come to our notice during the course of our audit, have been within the powers of the Bank.
 - c. The financial accounting systems of the Bank are centralized and therefore, accounting returns for the purpose of preparing financial statements are not required to be submitted by the branches. Our audit has been carried out centrally as the necessary records and data required for the purposes of our audit are centrally made available. Further, during the course of our audit, we have visited 36 domestic branches and a Gift City IBU, Gandhinagar branch (Overseas) which, in aggregate, comprise of 44.22% of the gross advances of the Bank, to examine the records maintained at such branches for the purpose of our audit, in compliance with the extant RBI Circular.
3. As required by section 143(3) of the Act, based on our audit we report that:
 - a. we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - b. in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as appears from our examination of those books;
 - c. the report on the accounts of the Dubai branch of the Bank audited by other auditor has been forwarded to us and the same has been appropriately dealt with;
 - d. the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;
 - e. in our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act and relevant Rules made thereunder, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;
 - f. on the basis of written representation received from the directors as on March 31, 2023 and taken on record by the Board of Directors, none of the directors

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के निबंधनों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है;

- छ) बैंक के एकल वित्तीय विवरणों संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता के संबंध में 'अनुबंध ए' में अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें;
- ज) हमारी राय में, एक बैंकिंग कंपनी होने के नाते, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान इसके निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 बी के प्रावधानों के अनुसार किया गया है, और;
- झ) यथा संशोधित, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमें जानकारी उपलब्ध कराई गई है;
- i. बैंक ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है। एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(बी)(12) (सी) का संदर्भ लें।
- ii. बैंक ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों, यदि हों, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किया है 3% एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(बी)(10) (बी) का संदर्भ लें।
- iii. बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को अंतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।
- iv.
- क. प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखा टिप्पणी 18 (सी) (VII) में यथा दर्शाए अनुसार, किसी बैंक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित किसी से कोई धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी भी प्रकार के अन्य स्रोत से) नहीं ली गई है, तथा लिखित अथवा अन्यथा रूप से यह माना गया है कि मध्यस्थ, बैंक द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

are disqualified as on March 31, 2023 from being appointed as director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act, 2013;

- g. With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements of the Bank and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A";
- h. In our opinion, the entity being a Banking company, the remuneration to its directors during the year ended March 31, 2023 has been paid/ provided by the Bank in accordance with the provisions of section 35B of the Banking Regulation Act, 1949, and;
- i. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us;
- i. The Bank has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Standalone Financial Statements. Refer Schedule 18(B)(12)(C) to the Standalone Financial Statements.
- ii. The Bank has made provision, as required, under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts including derivative contracts. Refer Schedule 18(B)(12)(B) to the Standalone Financial Statements.
- iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank.
- iv.
- a. The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in the note 18(C)(VII) to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the bank to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Bank ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries

- ख. प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखा टिप्पणी 18 (सी) (VII) में यथा दर्शाए अनुसार, बैंक द्वारा विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टियां") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, तथा लिखित अथवा अन्यथा रूप से यह माना गया है कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा.
- ग. लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ड) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण है.
- V. कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 3(1) के तहत 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी लेखांकन सॉफ्टवेयर जिसमें बैंकों के लिए लेखापरीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) की सुविधा है, के उपयोग द्वारा खाते की बहियों को बनाए रखने और तदनुसार कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली 2014, के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है.
- vi. जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 18(बी) (7) (बी) में उल्लिखित है, बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश को प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक महा बैठक के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है. प्रस्तावित लाभांश की राशि, यथा लागू अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है.
- b. The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in the note 18(C)(VII) to the accounts, no funds have been received by the Bank from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the bank shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- c. Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
- v. Proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 for maintaining books of account using accounting software which has a feature of recording audit trail (edit log) facility is applicable to the Bank with effect from April 1, 2023 and accordingly, reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is not applicable for the financial year ended March 31, 2023.
- vi. As stated in Note 18(B)(7)(B) to the standalone financial statements, the Board of Directors of the Bank have proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The amount of dividend proposed is in accordance with section 123 of the Act, as applicable.

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

पी आर प्रसन्न वर्मा
P R Prasanna Varma
साझेदार/Partner
(स. सं. 25854)/M.No. 25854
UDIN: 23025854BGRHXA7898

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 29 अप्रैल 2023 / Date : April 29, 2023

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN-100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार/Partner
(स. सं. 121546)/M.No. 121546
UDIN: 23121546BGWJZB5346

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध 'ए'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ("बैंक") के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा 'वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट' ('मार्गदर्शी नोट') में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के संबंध में बनाए गए आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (उअधिनियम) की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करने की है। हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट ('मार्गदर्शी नोट') तथा लेखापरीक्षा संबंधी मानकों ('मानक') के अनुसार की है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन विनिर्दिष्ट माने जाएंगे और दोनों वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शी नोट से यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें कि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और यह भी कि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं। वित्तीय विवरणियों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसी जोखिमों का आकलन करना जहाँ तात्त्विक कमी विद्यमान है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं जिनमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्त्विक मिथ्या कथन के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमें विश्वास है कि बैंक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य बैंक की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the Standalone Financial Statements of IDBI Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls with reference to financial statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

We have audited the internal financial controls with reference to financial statements of IDBI Bank Limited ("the Bank") as at March 31, 2023 in conjunction with our audit of the financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's Management and Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("the Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ("the Act").

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls with reference to financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("the Guidance Note") and the Standards on Auditing ("the SAs"), issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls over financial reporting, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls system with reference to financial statements.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

बैंक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है। वित्तीय विवरणों पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो

- (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित ब्योरे एवं परिशुद्धता के साथ बैंक की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटारों को उचित रूप से दर्शाते हैं;
- (2) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यवहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह भी कि बैंक की प्राप्तियाँ और व्यय बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार अनुसार ही किए जा रहे हैं; और
- (3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटार की रोकथाम और समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं जिनसे वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से नियंत्रणों के अधिव्यापन की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से तात्त्विक अर्थार्थ कथन की घटना हो सकती है और उनका पता न लगाया जा सके। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन में आने वाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं।

अभिमत

हमारी राय में बैंक में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर स्थापित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर यथा 31 मार्च 2022 को ये प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

पी आर प्रसन्न वर्मा
P R Prasanna Varma
साझेदार/Partner
स. सं. 25854/M.No. 25854
UDIN: 23025854BGRHXA7898

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 29 अप्रैल 2023 / Date : April 29, 2023

Meaning of Internal Financial Controls with reference to Financial Statements

A Bank's internal financial control with reference to financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. Bank's internal financial control with reference to financial statements includes those policies and procedures that

- 1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank;
- 2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of Management and Directors of the Bank; and
- 3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Bank has in all material respects, an adequate internal financial controls system with reference to financial statements and such internal financial controls with reference to financial statements were operating effectively as at March 31, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN-100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार/Partner
स. सं. 121546/M.No. 121546
UDIN: 23121546BGWJZB5346

तुलन-पत्र 31 मार्च 2023 को

Balance Sheet as at March 31, 2023

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
पूंजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	10752 40 22	10752 40 22
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and surplus	2	34566 07 88	30909 58 00
जमाएं / Deposits	3	255498 94 09	233134 41 59
उधार राशियां / Borrowings	4	12637 75 01	14344 98 00
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	5	17047 00 01	12461 37 49
कुल / TOTAL		330502 17 21	301602 75 30
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	16639 18 42	27795 36 50
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	12646 58 90	7915 22 32
निवेश / Investments	8	99689 74 49	82988 20 58
अग्रिम / Advances	9	162567 72 93	136955 22 78
स्थायी आस्तियां / Fixed assets	10	9756 86 55	9936 90 90
अन्य आस्तियां / Other assets	11	29202 05 92	36011 82 22
कुल / TOTAL		330502 17 21	301602 75 30
आकस्मिक देयताएं / Contingent liabilities	12	176900 68 70	332181 08 40
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		11310 73 40	10706 95 65
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet			

बोर्ड के आदेश से BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
डीआईएन/DIN: 06846594

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
डीआईएन/DIN: 03022106

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
डीआईएन/DIN: 01853823

(स्मिता कुबेर)
(Smita Kuber)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या /FRN-100515W

पी आर प्रसन्न वर्मा
P R Prasanna Varma
साझेदार/Partner
स. सं. 25854/M.No. 25854

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार/Partner
स. सं. 121546/M.No. 121546

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 29 अप्रैल 2023 / Date : April 29, 2023

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2023

(₹ '000 में / ₹ '000)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022
I आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest earned	13	20569 78 39	18291 90 73
अन्य आय / Other Income	14	4371 98 37	4689 89 53
कुल / TOTAL		24941 76 76	22981 80 26
II व्यय / EXPENDITURE			
व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	9139 23 16	9129 41 09
परिचालन व्यय / Operating expenses	16	7066 70 00	6357 23 43
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies		5090 74 33	5055 88 69
कुल / TOTAL		21296 67 49	20542 53 21
III लाभ / PROFIT			
वर्ष का निवल लाभ/(हानि) / Net Profit / (Loss) for the Year		3645 09 27	2439 27 05
आगे ले जाया गया लाभ / (हानि) / Profit/(Loss) brought forward		(43724 12 99)	(45396 18 36)
आगे लाई गई हानियों का शेयर प्रीमियम से समंजन Brought forward losses set off against Share premium		45396 18 36	
कुल / TOTAL		5317 14 64	(42956 91 31)
IV विनियोजन / APPROPRIATIONS			
सांविधिक रिजर्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		911 27 37	609 81 76
पूंजीगत रिजर्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		18 21 87	157 39 92
निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) में अंतरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve(IFR)		196 38 58	-
शेष राशि तुलनपत्र में ले जाई गई / Balance carried over to balance sheet		4191 26 82	(43724 12 99)
कुल / TOTAL		5317 14 64	(42956 91 31)

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2023

(₹ '000 में / ₹ '000)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022
प्रति शेयर अर्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) Earnings per share (₹) (Face Value ₹ 10 per share)	18(B)(7A)		
मूल / Basic		3.39	2.27
न्यूनीकृत / Diluted		3.39	2.27
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ-हानि लेखे के अभिन्न अंग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account			

बोर्ड के आदेश से BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
डीआईएन/DIN: 06846594

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)

उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
डीआईएन/DIN: 03022106

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)

निदेशक
Director
डीआईएन/DIN: 01853823

(स्मिता कुबेर)
(Smita Kuber)

मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)

कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

कृते वर्मा एंड वर्मा

For Varma & Varma

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants

फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी

For G D Apte & Co

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants

फर्म पंजीयन संख्या/FRN-100515W

पी आर प्रसन्न वर्मा

P R Prasanna Varma

साझेदार/Partner

स. सं. 25854/M.No. 25854

सौरभ पेशवे

Saurabh Peshwe

साझेदार/Partner

स. सं. 121546 / M.No. 121546

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक : 29 अप्रैल 2023 / Date : April 29, 2023

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
प्रत्येक ₹ 10 के 2100 00 00 000 (2500 00 00 000) इक्विटी शेयर 2100 00 00 000 (2500 00 00 000) Equity Shares of ₹ 10 each	21000 00 00	25000 00 00
	21000 00 00	25000 00 00
निर्गमित, अभिदत्त और चुकता पूंजी / Issued, Subscribed & Paid up Capital		
प्रत्येक ₹ 10 के 1075 24 02 175 (1075 24 02 175) पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर (अनुसूची 18 नोट सी I देखें) 1075 24 02 175 (1075 24 02 175) Equity Shares of ₹ 10 each fully paid up (Refer Schedule 18 Note C I)	10752 40 22	10752 40 22
कुल / TOTAL	10752 40 22	10752 40 22

अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
I सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	3424 43 06	2814 61 30
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	911 27 37	609 81 76
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	4335 70 43	3424 43 06
II विदेशी मुद्रा रूपांतरण रिज़र्व / Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	2 28 16	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	11 40 61	2 28 16
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	13 68 77	2 28 16
III पूंजी रिज़र्व / Capital Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	3168 48 34	3011 08 42
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	18 21 87	157 39 92
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	3186 70 21	3168 48 34
IV पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	8467 76 35	6281 44 73
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	2409 36 15
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve	266 78 80	223 04 53

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
	8200 97 55	8467 76 35
V शेयर प्रीमियम / Share Premium		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	50719 74 82	50719 74 82
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां [#] / Deductions during the year [#]	45396 18 36	-
	5323 56 46	50719 74 82
VI राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserve		
(क)/(a) सामान्य रिज़र्व / General Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	6734 04 18	6510 99 65
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
पुनर्मूल्यन रिज़र्व से अंतरण / Transferred from Revaluation Reserve	266 78 80	223 04 53
लाभ-हानि लेखे से अंतरण / Transferred from Profit & Loss Account	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	7000 82 98	6734 04 18
(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व		
(b) Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	6 35 04	6 35 04
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	6 35 04	6 35 04
(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व		
(c) Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	1566 00 00	1566 00 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	1566 00 00	1566 00 00
(घ) निवेश में उतार-चढ़ाव रिज़र्व		
(d) Investment Fluctuation Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	544 61 04	544 61 04
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	196 38 58	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	740 99 62	544 61 04
VII लाभ-हानि लेखे में शेष राशि / Balance in Profit and Loss account[#]	4191 26 82	(43724 12 99)
कुल (I से VII) / TOTAL (I to VII)	34566 07 88	30909 58 00

टिप्पणी: # 31 मार्च 2021 की आगे लाई गई हानियों का शेयर प्रीमियम से समंजन नोट अनुसूची 18(ए)(1सी) को देखें

Note: # brought forward losses as on March 31, 2021 set off against Share premium refer note Schedule 18(A)(1C)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 3 - जमा राशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

अ / A	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
I. मांग जमा राशियां / Demand Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	11562 67 90	10643 43 49
(ii) अन्य से / From others	37393 26 05	34911 40 99
	48955 93 95	45554 84 48
II. बचत बैंक जमा राशियां / Savings Bank Deposits	86498 80 42	86804 34 23
III. सावधि जमा राशियां / Term Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	8241 12 14	7330 99 72
(ii) अन्य से / From others	111803 07 58	93444 23 16
	120044 19 72	100775 22 88
कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	255498 94 09	233134 41 59
आ / B		
(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशियां / Deposits of branches in India	255496 67 55	233122 02 04
(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमा राशियां Deposits of branches outside India	2 26 54	12 39 55
कुल / TOTAL	255498 94 09	233134 41 59

अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
I. भारत में उधार राशियां / Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	2400 00 00	2400 00 00
(ii) अन्य बैंक / Other banks	578 20 00	607 10 00
(iii) टियर I (नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत) Tier I (Innovative Perpetual Debt Instrument)	-	-
(iv) अपर टियर II बांड / Upper Tier II bonds	-	-
(v) अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टियर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	302 00 00	1807 00 00
(vi) बासेल III ओम्नी टियर 2 बांड / Basel III Omni Tier 2 Bond	2645 00 00	2645 00 00
(vii) अन्य* / Others*	6153 79 41	6256 80 22
कुल (I) / TOTAL (I)	12078 99 41	13715 90 22
II. भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India	558 75 60	629 07 78
कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	12637 75 01	14344 98 00

टिप्पणी: ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां - ₹ 3548 79 41 हजार (पिछले वर्ष ₹ 2547 60 01 हजार)

Note: Secured borrowings included in I and II above - ₹ 3548 79 41 Thousand (Previous Year ₹ 2547 60 01 Thousand)

* इसमें ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 850 00 00 हजार) के बेमियादी ऋण लिखत शामिल हैं जो सीआरएआर के लिए पात्र नहीं हैं।

* Includes Perpetual Debt Instrument Nil (Previous Year ₹ 850 00 00 Thousand) which does not qualify for CRAR

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
I. देय बिल / Bills Payable	2348 92 67	1673 56 46
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
III. उपचित ब्याज / Interest accrued	508 99 48	401 51 56
IV. अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provision)		
(क) मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान (a) Prudential provisions against standard assets	4977 20 49	3070 94 98
(ख) प्राप्त अग्रिम भुगतान (b) Advance payments received	544 90 49	429 81 92
(ग) लाभांश तथा देय लाभांश कर (c) Dividend and dividend tax payable	-	-
(घ) विविध लेनदार (d) Sundry Creditors	117 43 29	113 40 41
(ङ) देय सेवा कर/टीडीएस/अन्य कर (e) Service tax/TDS/Other taxes payable	172 33 65	111 11 97
(च) विविध जमा राशियां (f) Sundry Deposits	14 12 23	21 05 25
(छ) अन्य प्रावधान (g) Other provisions	5072 09 28	3359 46 08
(ज) विविध (h) Miscellaneous	3290 98 43	3280 48 86
कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	17047 00 01	12461 37 49

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष

SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	2488 65 86	2230 62 12
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
(a) चालू खातों में / in Current Accounts	10970 52 56	11362 74 38
(b) अन्य खातों में / in Other Accounts	3180 00 00	14202 00 00
कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	16639 18 42	27795 36 50

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
I भारत में / In India		
(i) बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
(क) चालू खातों में (a) in Current Accounts	229 92 97	149 52 31
(ख) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	10663 86 40	6663 96 98
(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice		
(क) बैंकों के पास (a) with banks	986 04 00	-
(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) with other Institutions	-	-
कुल (i और ii) / Total (i and ii)	11879 83 37	6813 49 29
II भारत से बाहर / Outside India		
(i) चालू खातों में / in Current Accounts	152 07 44	613 92 22
(ii) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	553 58 75	45 62 71
(iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	61 09 34	442 18 10
कुल (i, ii और iii) / Total (i, ii and iii)	766 75 53	1101 73 03
कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	12646 58 90	7915 22 32

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
I भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां* / Government Securities*	85961 27 41	71666 82 47
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
(iii) शेयर / Shares	245 03 62	469 82 17
(iv) डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	6172 88 41	5788 95 02
(v) सहायक संस्थाएं और/या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/or joint ventures	256 22 43	507 53 82
(vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी, व्हीसीएफ, सीडी) Others (CPs, Units in MFs, SRs, PTCs, VCFs, CDs)	6833 77 86	4479 72 57
कुल / TOTAL	99469 19 73	82912 86 05
II भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	220 54 76	75 34 53
(ii) सहायक संस्थाएं और/या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/or joint ventures	-	-
(iii) अन्य निवेश / Other investments	-	-
कुल / TOTAL	220 54 76	75 34 53
कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	99689 74 49	82988 20 58
III भारत में निवेश / Investments in India		
निवेश का सकल मूल्य / Gross value of investments	104594 96 06	89407 95 64
घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यहास / Less: Aggregate provision / depreciation	5125 76 33	6495 09 59
निवल निवेश / Net investments	99469 19 73	82912 86 05
IV भारत से बाहर निवेश / Investments Outside India		
निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	220 54 76	75 57 66
घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यहास / Less: Aggregate provision / depreciation	-	23 13
निवल निवेश / Net investments	220 54 76	75 34 53

* इसमें गैर-एसएलआर एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत ₹ 12438 00 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 12438 00 00 हजार) की भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं।

* Includes Special GOI Securities of ₹ 12438 00 00 Thousand (Previous Year ₹ 12438 00 00 Thousand) classified as Non-SLR-HTM Securities.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

अ / A	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
(i) खरीदे और भुनाए/ पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	6327 23 02	3340 70 91
(ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	38207 57 22	35514 47 19
(iii) मीयादी ऋण* / Term loans*	118032 92 69	98100 04 68
कुल / TOTAL	162567 72 93	136955 22 78
आ / B		
(i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत** / Secured by tangible assets**	139290 68 70	123572 76 56
(ii) बैंक/ सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित*** Covered by Bank / Government guarantees***	7265 58 52	2600 90 01
(iii) अप्रतिभूत / Unsecured	16011 45 71	10781 56 21
कुल / TOTAL	162567 72 93	136955 22 78
इ / C		
I भारत में अग्रिम / Advances in India		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	56344 33 19	57812 67 60
(ii) सरकारी क्षेत्र / Public sector	34 09 86	1885 71 41
(iii) बैंक / Banks	5 35 56	50 44 95
(iv) अन्य / Others	100990 70 84	75273 63 21
कुल / TOTAL	157374 49 45	135022 47 17
II भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India		
(i) बैंकों से प्राप्य / Due from banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य / Due from others:		
(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	-	-
(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated loans	-	-
(ग) अन्य (c) Others	5193 23 48	1932 75 61
कुल / TOTAL	5193 23 48	1932 75 61
कुल जोड़ (इ I तथा इ II) / GRAND TOTAL (C I and C II)	162567 72 93	136955 22 78

* शून्य (पिछले वर्ष : शून्य) के (निवल) अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल हैं।

* Includes Inter Bank Participatory Certificate (Net) Nil (Previous Year: Nil)

** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं।

** Includes advances against book debts

*** बैंकों द्वारा जारी साख पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं।

*** Includes advances against letter of credit issued by banks.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
I परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी आ.2 देखें) Premises (Refer Schedule 18 Note B.2)		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	8957 43 44	7240 12 26
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	8 86 17	83 16 53
वर्ष के दौरान किया गया पुनर्मूल्यन / Revaluation made during the year	-	1736 26 14
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	102 11 48
आज की तारीख तक मूल्यहास / Depreciation to date	283 70 88	3 90 44
कुल / TOTAL	8682 58 73	8953 53 01
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर व फिक्स्चर सहित) Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)		
प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (at cost)	2367 46 46	2204 70 37
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	229 86 02	216 19 84
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	68 00 09	53 43 77
आज की तारीख तक मूल्यहास / Depreciation to date	1932 44 09	1780 58 33
कुल / TOTAL	596 88 30	586 88 11
III पट्टे पर दी गई आस्तियां / Assets given on Lease		
प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (at cost)	601 81 79	601 81 79
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
आज की तारीख तक मूल्यहास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing assets	1 76 52	1 76 52
कुल / TOTAL	--	--
IV चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress	477 39 52	396 49 78
कुल जोड़ (I से IV) / GRAND TOTAL (I to IV)	9756 86 55	9936 90 90

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
I अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
II उपचित ब्याज / Interest accrued	2825 79 19	2207 86 72
III अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर की कटौती (निवल) Tax paid in advance /tax deducted at source (net)	2527 58 55	3429 63 09
IV लेखन सामग्री और स्टॉप / Stationery and stamps	15 79	13 07
V दावों की तुष्टि में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां (लागत पर)* Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims (at cost)*	736 90 93	791 98 93
VI अन्य / Others		
(क) आस्थगित कर आस्ति (निवल) (a) Deferred Tax Asset (net)	11520 97 99	13318 46 81
(ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर/बांड (b) Shares / Bonds Pending allotment	11 51 37	11 70 10
(ग) विविध जमाराशियां व अग्रिम (c) Sundry deposit and advances	627 31 04	621 34 55
(घ) प्राप्य दावे (d) Claims receivable	215 06 46	242 90 60
(ङ) दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएसएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में व्यय/ संवितरण (e) Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)	-	154 96 19
(च) विविध** (f) Miscellaneous**	10736 74 60	15232 82 16
कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	29202 05 92	36011 82 22

* प्रावधानों को घटाने के बाद बकाया राशि शून्य है (पिछले वर्ष ₹ 44 54 93 हजार).

* Amount outstanding net of provisions is Nil (Previous Year ₹ 44 54 93 Thousand)

** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में जमा ₹ 8353 02 02 हजार (पिछले वर्ष ₹ 14164 24 49 हजार) का निवेश शामिल है.

** Includes Investment in Priority sector deposit ₹ 8353 02 02 Thousand (Previous Year ₹ 14164 24 49 Thousand)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the Bank not acknowledged as debts	134 87 93	135 27 48
II आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	74 83	74 83
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	106053 17 96	267875 64 36
IV ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
(क) - भारत में (a) - in India	40159 13 61	34727 61 27
(ख) - भारत से बाहर (b) - outside India	846 73 85	795 98 64
V स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	16021 57 25	13256 07 36
VI अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the Bank is contingently liable		
(क) ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता (a) Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps	7872 09 40	11987 01 72
(ख) अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता (b) Liability in respect of other Derivative contracts	2808 58 62	372 78 62
(ग) विवादित कर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के कारण (c) On account of disputed taxes, Interest tax, penalty and interest demands	2362 15 77	2496 61 48
(घ) अन्य (d) Others	641 59 48	533 32 64
कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	176900 68 70	332181 08 40

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022
I अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances/bills	13336 62 63	11990 11 16
II निवेशों से आय / Income on investments	5948 95 46	4629 00 98
III रिजर्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	565 78 61	711 83 00
IV अन्य / Others	718 41 69	960 95 59
कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	20569 78 39	18291 90 73

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022
I कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	1924 11 09	1814 35 99
II निवेशों की बिक्री से लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of investments (net)	872 61 82	1058 26 33
III निवेशों के पूनर्मूल्यन से लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	50 87 71	15 63 42
IV भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(1 83 57)	60 74
V विनिमय लेनदेनों/ डेरिवेटिव से लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	615 71 82	730 49 66
VI भारत में स्थित सहायक कंपनियों और/ या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend income from subsidiary companies and / or joint ventures in India	34 93 16	39 01 03
VII बटुटे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	716 03 63	845 52 71
VIII विविध आय / Miscellaneous Income	159 52 71	185 99 65
कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	4371 98 37	4689 89 53

अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज / SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022
I जमा राशियों पर ब्याज / Interest on deposits	7829 16 85	7758 47 58
II रिज़र्व बैंक/ अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज / Interest on RBI / inter bank borrowings	438 09 71	182 87 59
III अन्य / Others	871 96 60	1188 05 92
कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	9139 23 16	9129 41 09

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय / SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022
I कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / Payments to and provisions for employees	3518 89 77	3103 02 41
II किराया, कर और बिजली / Rent, taxes and lighting	499 42 07	469 91 40
III मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	47 10 75	39 98 22
IV विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	40 24 23	24 12 88
V बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास / Depreciation on bank's property	494 43 70	413 28 31
VI निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	2 73 26	1 90 85
VII लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय* / Auditor's fees and expenses*	2 64 06	3 36 29
VIII विधि प्रभार / Law charges	27 23 48	21 00 21
IX डाक खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	117 24 24	88 23 30
X मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	94 25 43	99 35 45
XI बीमा / Insurance	296 55 56	284 24 22
XII अन्य व्यय: / Other Expenditure:		
(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	182 19 55	170 81 61
(ख) कार्ड एवं एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	323 74 40	305 50 34
(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	7 10 99	8 70 27
(घ) बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय (d) Expenses for recovery of write off cases	8 68 46	10 58 78
(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	655 08 86	594 84 46
(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	173 56 83	157 83 20
(छ) स्टाफ प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	13 84 21	1 42 76

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022
(ज) यात्रा और वाहन प्रभार (h) Travelling and conveyance charges	36 29 76	24 61 46
(झ) ट्रेजरी व्यय (i) Treasury expenses	6 24 96	4 90 95
(ञ) उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय (j) Fee and other expenses for borrowing	-	-
(ट) अन्य व्यय (k) Others	519 15 43	529 56 06
कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)	7066 70 00	6357 23 43

* लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय में खर्च पर जीएसटी राशि का प्रावधान शून्य (पिछले वर्ष ₹ 42 37 हजार) शामिल हैं

* Auditor's fees and expenses includes GST amount on expenses provision Nil (Previous Year ₹ 42 37 Thousand)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों, अर्थात् विशिष्ट लेखांकन नीतियों और बैंक के वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण में इन सिद्धांतों को लागू करने की पद्धतियां निम्नलिखित हैं।

Following are the significant accounting policies i.e., the specific accounting policies and methods of applying these principles in the preparation and presentation of the financial statements of the Bank.

1. तैयार करने का आधार: / Basis of Preparation:

वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के मामले में भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 और कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2021, जो बैंकों पर लागू होते हैं, सहित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों (एएस), अधिनियम के प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतया प्रचलित पद्धतियों के अनुरूप हैं। बैंक लेखांकन की उपचय विधि और परम्परागत लागत पद्धति, जहां अन्यथा उल्लिखित किया गया है को छोड़कर, का अनुसरण करता है।

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time, the Accounting Standards (AS) prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with rules thereunder including the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021, in so far as they apply to banks, provisions of the Act and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Bank follows the accrual method of accounting and historical cost convention, except where otherwise stated.

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां, जहां अन्यथा उल्लिखित किया गया है को छोड़कर, पिछले वर्ष अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं। The accounting policies adopted in the preparation of financial statements are consistent with those followed in the previous year except as otherwise stated.

2. अनुमानों का उपयोग: / Use of Estimates

वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान व धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय राशियों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं। प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान और धारणाएं तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण हैं। तथापि वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में किसी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है।

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that may affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3. राजस्व निर्धारण / Revenue Recognition

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि बैंक को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सकता है। Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Bank and the revenue can be reliably measured.

- i. ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामले में जहां इसे रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद हिसाब में लिया जाता है।
Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of the RBI.
- ii. साख पत्र (एलसी) / बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/ बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है।
Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.
- iii. शुल्क और कमीशन आय तब निर्धारित किए जाते हैं जब देय हो और वसूली का यथोचित अधिकार सिद्ध हो जाता है और इसे विश्वसनीय रूप से आंका जा सके। जब महत्वपूर्ण कार्य / माईलस्टोन पूरा हो जाता है तब समूहन/ व्यवस्थापक शुल्क को आय के रूप में लिया जाता है।
Fees and commission income is recognized as income when due and reasonable right of recovery is established and can be reliably measured. Syndication / Arranger fee is recognized as income when a significant act / milestone is completed.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

- iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि में निर्धारित किया जाता है।
Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.
- v. सूचीबद्ध कंपनियों का लाभांश प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर उसे उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। असूचीबद्ध कंपनियों के बारे में लाभांश की प्राप्ति पर उसे हिसाब में लिया जाता है।
For listed companies, dividend is booked on accrual basis when the right to receive is established. For unlisted companies dividend is booked as and when received.
- vi. अनर्जक अग्रिमों (एनपीए)/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गये (टीडब्ल्यूओ) खातों के मामले में वसूली का विनियोजन निम्नलिखित ढंग से किया जाता है:
The appropriation of recoveries in case of Non-Performing Advances (NPA)/ Technically Written-off (TWO) accounts is done in the following manner:
- (क) एनसीएलटी/ विवाचन या कानूनी कार्यवाही के अधीन उधारकर्ताओं के संदर्भ में वसूली एनसीएलटी/ विवाचक/ न्यायालय द्वारा दिए गए संबद्ध आदेश और विशिष्ट मामले या मामलों के समूह के संबंध में सांविधिक/विनियामक निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार विनियोजित किया जाता है।
- (a) In respect of borrowers under NCLT/Arbitration or Legal Proceedings, the recovery is apportioned in terms of relevant order of NCLT/ Arbitrator/ Court of Law and in accordance with statutory /regulatory directives if any issued in respect of a specific case or group of cases.
- (ख) उन मामलों में जहां वसूली के कारण ऋण खाते के बंद होने (ऋण खातों के गारंटीकर्ताओं/ अन्य पक्षकारों, यदि कोई हों, सहित उधारदाता/ उधारकर्ता का संबंध विच्छेद होने) [एक मुश्त निपटान/ बातचीत के रूप में निपटान/ दबावग्रस्त ऋण एक्सपोजर के अंतरण/ आईबीसी के माध्यम से वसूली (समाधान मोड/ समापन मोड के अधीन), लेकिन वसूली के लिए आगे कोई विधिक उपाय उपलब्ध न हो या अन्य कोई माध्यम के जरिये प्रस्तावित न हो] की स्थिति में निम्नलिखित रूप में विनियोजित किया जाएगा:
- (b) In cases where recovery is leading to final closure (severance of lender /borrower relationship including with guarantors/ third parties, if any) of loan accounts [by way of One time settlement /Negotiated settlement /transfer of Stressed Loan Exposure/Recovery through IBC (under resolution mode/liquidation mode) but no further legal recourse is available or proposed through any other mode of recovery] shall be appropriated as mentioned below:
- (i) मूलधन
Principal
- (ii) अदत्त व्यय/ ऐसे व्यय जो पहले ही व्यय/ भुगतान किए गए हैं।
Unpaid Expenses/Expenses already incurred /paid.
- (iii) ब्याज/ दंडस्वरूप ब्याज
Interest /penal Interest
- (iv) प्रभार (बकाया शुल्क/ बीजी कमीशन)
Charges (Fees/BG commission outstanding).
- (ग) जहां वसूली के कारण खाता अंतिम रूप से बंद न हो, ऐसी स्थिति में विनियोजन संविदात्मक शर्तों के अनुसार किया जाएगा। जहां बैंक और उधारकर्ता के बीच एनपीए में वसूलियों के विनियोजन हेतु स्पष्ट अनुबंध न हो वहाँ विनियोजन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:
- (c) In cases where recovery not resulting in final closure of accounts, it shall be appropriated as per contractual terms. In absence of any clear agreement between bank and borrower for the purpose of appropriation of recoveries in NPAs, the same would be appropriated as mentioned below:
- (i) अदत्त व्यय/ पहले ही व्यय/ भुगतान किए गये खर्च
Unpaid Expenses/Expenses already incurred /paid.
- (ii) ब्याज/ दंडस्वरूप ब्याज
Interest /penal Interest
- (iii) प्रभार (बकाया शुल्क/ बीजी कमीशन)
Charges (Fees/BG commission outstanding).
- (iv) मूलधन
Principal
- पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों से वसूल राशियां और उधारकर्ता की वर्तमान स्थिति के आधार पर प्रावधान की आवश्यकता न होने पर उन्हें आय के रूप में लाभ हानि विवरण में दर्शाया जाता है।
Amounts recovered against debts written off in earlier years and provisions no longer necessary in the context of the current status of the borrower are recognized as income in the Statement of Profit & Loss.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

4. अग्रिम और प्रावधान / Advances and Provisions

- i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं। अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिये किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है। विदेशी शाखाओं के संदर्भ में ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण तथा अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, जो ज्यादा विवेकपूर्ण हो, के आधार पर किया जाता है।
Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances. In respect of foreign branches, the classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more prudent.
- ii. अग्रिम जहां मूर्त प्रतिभूति (बही ऋण सहित) की शर्त हो और सृजित किया गया है उनका वर्गीकरण 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में किया जाता है। जहां ऐसी प्रतिभूति की शर्त/सृजन नहीं किया जाता है वहाँ अग्रिमों का वर्गीकरण 'अप्रतिभूत' रूप में किया जाता है। एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को मूर्त नहीं माना जाता है।
Advances wherein a tangible security (including book debts) is stipulated and created are classified as 'Secured by Tangible Assets'. Where such security is not stipulated/created, advances are classified as 'Unsecured'. Any Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc. are not considered as Tangible.
- iii. बैंक उस खाते को पुनर्संरचित खाता मानता है जहां उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों से संबंधित आर्थिक या विधिक कारणों से उधारकर्ता को ऐसी रियायतें प्रदान करता है जिन पर बैंक अन्यथा विचार नहीं करेगा। पुनर्संरचना में सामान्य रूप से अग्रिमों/प्रतिभूतियों की शर्तों में आशोधन शामिल हैं, जिसमें सामान्यतः अन्य के साथ-साथ चुकौती अवधि/प्रतिदेय राशि/किस्तों की राशि/ब्याज दर (प्रतिस्पर्धात्मक कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से) में परिवर्तन शामिल होता है। पुनर्संरचना पैकेज के अनुमोदन और कार्यान्वयन पर ही बैंक द्वारा पुनर्गठित खातों को इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
The Bank considers a restructured account as one where the Bank, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants to the borrower concessions that the Bank would not otherwise consider. Restructuring would normally involve modification of terms of the advance / securities, which would generally include, among others, alteration of repayment period / repayable amount / the amount of instalments / rate of interest (due to reasons other than competitive reasons). Restructured accounts are classified as such by the Bank only upon approval and implementation of the restructuring package.
- iv. अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अलावा मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किये जाते हैं। इन प्रावधानों को तुलनपत्र के 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान - अन्य' शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची 5 में दर्शाया जाता है और निवल एनपीए की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाता है।
In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at the Net NPAs.
- v. बैंक अभिनिर्धारित दबावग्रस्त क्षेत्रों की मानक आस्तियों पर विनियामक न्यूनतम प्रावधान के अलावा जोखिम निर्धारण के आधार पर दबावग्रस्त क्षेत्रों के लिए अधिक दरों से अतिरिक्त प्रावधान भी करता है।
Bank is also making additional provisions on stressed sectors based on risk assessment at rates higher than the regulatory minimum provision on standard assets of identified stressed sectors.
- vi. दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे और कोविड-19 से संबद्ध दबाव के लिए समाधान ढांचे के संबंध में रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार बैंक ने पात्र उधारकर्ताओं के लिए समाधान योजनाएं लागू की हैं। आस्ति वर्गीकरण और उन पर आवश्यक प्रावधानीकरण रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।
In accordance with the RBI guidelines on the prudential framework for resolution of stressed assets and the resolution frameworks for COVID-19 related stress and its Board approved policy, the Bank has implemented resolution plans for eligible borrowers. The asset classification and necessary provisioning thereon has been carried out in accordance with the said RBI guidelines.
- vii. गैर-सहयोगी और जानबूझ कर चूककर्ताओं के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के संबंध में बैंक रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार त्वरित गति से प्रावधान करता है। धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किये गये ऋणों को हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और प्रतिभूति के मूल्य पर विचार किये बिना तत्काल पूर्ण प्रावधान किया जाता है।
In respect of borrowers classified as non-cooperative and wilful defaulters, the Bank makes accelerated provisions as per extant RBI guidelines. Loans reported as fraud are classified as loss assets, and fully provided immediately without considering the value of security

कंट्री एक्सपोजर के लिए प्रावधान / Provision for Country Exposure:

- viii. आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार धारित विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, वैयक्तिक कंट्री एक्सपोजर (स्वदेश के अलावा) के लिए भी प्रावधान किए जाते हैं। देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् - महत्वहीन, निम्न, मध्यम, उच्च, अति उच्च, प्रतिबंधित एवं ऑफ क्रेडिट और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं। यदि प्रत्येक देश के संबंध में बैंक का कंट्री एक्सपोजर (निवल) कुल निधिकृत आस्तियों के 1% के

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

से अधिक नहीं है, तो ऐसे कंट्री एक्सपोजर पर कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। यह प्रावधान तुलन-पत्र की अनुसूची 5 में शीर्षक "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है।

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorized into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit and provisioning is made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions - Others"

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर / Unhedged Foreign Currency Exposure

- ix. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक तिमाही आधार पर अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएचएफसीई) वाली संस्थाओं के लिए वृद्धिशील पूंजी एवं प्रावधान रख रहा है। बैंक ने अपने उधारकर्ताओं के लिए विदेशी मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन हेतु प्रक्रिया निर्धारित की है जिसे बैंक की ऋण नीति के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

The Bank is keeping incremental capital and provisions for entities with un-hedged foreign currency exposure (UHCFE), in line with the RBI guidelines, on quarterly basis. Bank has a laid down process for managing foreign currency induced credit risk for its borrowers which is covered in Bank's Credit Policy.

अस्थायी प्रावधान एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान का बफर / Floating Provision & Countercyclical Provisioning Buffer

- x. बैंक के पास अच्छे समय में प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण के सृजन और उपयोग के लिए तथा साथ ही साथ अग्रिमों, निवेशों और सामान्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी प्रावधानीकरण हेतु नीति है। अस्थायी प्रावधानों की मात्रा और सृजित किए जाने वाले प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का आकलन वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है। इन प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्दिष्ट किए गए अनुसार केवल असाधारण परिस्थितियों में आकस्मिकताओं के लिए किया जाता है।

The Bank has a policy for creation and utilization of Countercyclical Provisioning Buffer in good times as well as for floating provisions separately for advances, investments, and general purposes. The quantum of floating provisions and Countercyclical Provisioning Buffer to be created is assessed at the end of the financial year. These provisions are utilized only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

5. निवेश: / Investments

अ. वर्गीकरण:

A. Classification

निवेश वर्गीकरण व मूल्यांकन के बारे में रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

In terms of extant guidelines of the RBI on investment classification and valuation, the entire investment portfolio is categorized as:

- i. परिपक्वता तक धारित
Held To Maturity,
- ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा
Available For Sale and
- iii. ट्रेडिंग के लिए धारित
Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवेश को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

Investments under each category are further classified as

- i. सरकारी प्रतिभूतियां
Government Securities
- ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
Other Approved Securities
- iii. शेयर
Shares
- iv. डिबेंचर तथा बांड
Debentures and Bonds

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

- v. सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम
Subsidiaries/ Joint Ventures
- vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदे, उद्यम पूंजी निधि, पास थ्रू प्रमाणपत्र)
Others (Commercial Paper, Certificate of Deposits, Mutual Fund Units, Security Receipts, Venture capital funds, Pass through Certificate).

आ. वर्गीकरण का आधार:

B. Basis of Classification

- क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.
- ख) अल्पावधि मूल्य/ ब्याज दर में उतार-चढ़ाव का लाभ लेने के लिए ट्रेड के इरादे से अर्जित निवेश को 'ट्रेडिंग के लिए धारित' (एचएफटी) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा. एचएफटी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को 90 दिनों के भीतर बेच दिया जाएगा.
b) Investments acquired with the intention to trade by taking advantage of the short-term price/interest rate movements shall be classified under 'Held for Trading' (HFT). The investments classified under HFT shall be sold within 90 days.
- ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'.
- घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'ट्रेडिंग लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला-बदली और मूल्यांकन रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
d) An investment is classified as 'Held To Maturity', 'Available For Sale' or 'Held For Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.
- ङ) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को सामान्यतः 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, किन्तु इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं हैं, जिनकी आवश्यकता आधारित समीक्षा कर आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में अंतरित किया जाता है. सहयोगी कंपनियों में निवेश का वर्गीकरण इसके अधिग्रहण के समय किया जाता है।
e) Equity Investment in subsidiaries and joint venture are normally classified as 'Held To Maturity' except in case, on need based reviews, they are shifted to 'Available for Sale' category as per RBI guidelines. The classification of investments in associates is done at the time of its acquisition.

इ. मूल्यांकन :

C. Valuation:

- i. किसी निवेश की अधिग्रहण लागत को निर्धारित करने में:
In determining the acquisition cost of an investment:
 - क) सेकंडरी बाजार से अधिगृहीत इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अधिग्रहण लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।
a) Brokerage, commission, stamp duty, and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.
 - ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अधिग्रहण लागत/ बिक्री में शामिल नहीं किया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है।
b) Broken period interest paid/ received is excluded from the cost of acquisition/ sale and treated as interest expense/ income.
 - ग) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है।
c) Cost is determined on the weighted average cost method.
- ii. 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हों, अधिग्रहण लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है और ऐसे मामलों में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष बची अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों, जिन्हें 'परिपक्वता तक धारित' में शामिल किया जाता है, के मूल्य में कमी (अस्थायी स्वरूप के अलावा) की पहचान की जाएगी और प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किए जाएंगे.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

Investments in 'Held To Maturity' category are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Any diminution (other than temporary) in the value of the investments, which are included under HTM, shall be recognized and provided individually for each investment.

- iii. 'ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेशों के स्क्रिप-वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यहास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है, जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है। तथापि ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण अनर्जित आस्तियां या निवेश जो पुनर्संरचना/ उधार के परिवर्तन के फलस्वरूप अर्जित हों, अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के बड़े हुए मूल्य के साथ अलग से मूल्यहास/ प्रावधान नहीं किया जा सकता है।

Investments in 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored. However, in respect of investments which are classified as 'Non-Performing' or investments which are acquired out of restructuring/conversion of debt, the depreciation/provision is not set off against the appreciation in respect of other performing securities.

- क) बटाकृत लिखत होने के नाते ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है।
- a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost,
- ख) ट्रेड/ उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध ट्रेड/ भाव-सूची से लिया जाता है।
- b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges.
- ग) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर तथा अनुद्धृत / ट्रेड न की गई सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफआईएमएमडीए/ फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर किया जाता है। उद्धृत तथा अनुद्धृत, दोनों प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल दरों पर किया जाता है।
- c) Quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by FIMMDA/ Financial Benchmark India Pvt Ltd (FBIL). For both quoted as well as unquoted securities valuation FBIL rates are considered.
- घ) अनुद्धृत इक्विटी शेयर अर्थात् ऐसे इक्विटी शेयर जिनकी वर्तमान क्वोटेशन उपलब्ध नहीं हैं या जिनके भाव एक्सचेंज पर उपलब्ध न हो, उनका मूल्यांकन अलग-अलग मूल्य ('पुनर्मूल्यांकन रिजर्व', यदि कोई हो, के बिना), जो कि कंपनी के नवीनतम तुलन पत्र से प्राप्त होगा, के आधार पर किया जाएगा। नवीनतम तुलन-पत्र के बनने की तारीख से मूल्यांकन की तारीख 18 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए। यदि नवीनतम तुलन-पत्र उपलब्ध न हो तो शेयरों का मूल्यांकन आरबीआई के संबंधित मास्टर निर्देशों के आधार पर एक रु प्रति कंपनी पर किया जाएगा।
- d) The unquoted equity shares i.e., equity shares for which current quotations are not available or where the shares are not quoted on the exchanges, shall be valued at break-up value (without considering 'revaluation reserves', if any) which is to be ascertained from the company's latest balance sheet. The date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months. In case the latest balance sheet is not available, the shares shall be valued at Re.1 per company, as per the relevant RBI master direction.
- ङ) अनुद्धृत एमएफ यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक योजना के संदर्भ में एमएफ द्वारा हाल में घोषित किए गए पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाएगा। ऐसी निधियां जो लॉक-इन अवधि के साथ हों या कोई अन्य फंड जिसका पुनर्खरीद मूल्य/बाजार भाव उपलब्ध न हो, ऐसी यूनिटों का मूल्यांकन योजना के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाएगा। यदि एनएवी उपलब्ध नहीं हो तो इनका मूल्यांकन लॉक-इन अवधि की समाप्ति तक लागत के आधार पर किया जाएगा।
- e) Investment in un-quoted MF units shall be valued on the basis of the latest re-purchase price declared by the MF in respect of each scheme. In case of funds with a lock-in period or any other fund, where repurchase price/ market quote is not available, units shall be valued at Net Asset Value (NAV) of the scheme. If NAV is not available, these shall be valued at cost, till the end of the lock-in period.
- च) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम)दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है। ऐसे कीमत-लागत अंतर व वाईटीएम दरों को भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए)/ एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों पर लागू किया जाता है।
- f) Unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)/FBIL.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

- छ) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए न्यूनतम प्रावधान के अधीन ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, ऐसे मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों से नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों के मूल्यांकन के लिए निवल आस्ति मूल्य को हिसाब में लेता है।
- g) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments subject to floor provision requirements as prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at the end of each reporting period.
- ज) उद्धृत अधिमानी शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / ट्रेड न किये जाने वाले अधिमानी शेयरों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अनधिक परिपक्वता आधार पर उपयुक्त प्रतिलाभ के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।
- h) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per RBI guidelines.
- झ) दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएसएसएफ) में किए गए निवेश को परिपक्वता तक धारित श्रेणी में वर्गीकृत कर लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
- i) Investment in Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF) is categorized as Held to Maturity and valued at cost.
- ञ) एचटीएम श्रेणी में धारित अनुद्धृत उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) में निवेश का वर्गीकरण प्रारम्भिक तीन वर्षों के लिए बैंक के निर्णय पर किया जाता है और इस अवधि में आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसी निवेशों को संवितरण की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के बाद एफएसएस श्रेणी में अंतरित किया जाता है तथा वीसीएफ द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दिखाये गये एनएवी पर इनका मूल्यांकन किया जाता है। वर्ष में कम से कम एक बार, इन यूनिटों का मूल्यांकन वीसीएफ के हाल के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से, यदि उपलब्ध हो, या आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एक रु. प्रति वीसीएफ की दर से किया जाता है।
- j) Investments in unquoted Venture Capital Fund (VCF) are categorised, at the discretion of the Bank, under HTM category for an initial period of three years and valued at cost during this period, in accordance with the RBI guidelines. Such investments are transferred to the AFS category after completion of the said period of three years from the date of disbursement and valued at NAV shown by the VCF in its financial statements. At least once a year, the units are valued based on the latest audited financials of the VCF if available or at Re 1 per VCF as per the RBI guidelines.
- ट) पीटीसी निवेश वर्तमान में केवल एफएसएस श्रेणी में धारित किए गए हैं तथा इनका मूल्यांकन परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) आधार पर केंद्र सरकार की समतुल्य परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों की वाईटीएम दरों पर उचित कीमत-लागत अंतर प्रभावी कर एवं एनबीएफसी बॉन्ड पर लागू कीमत-लागत अंतर के साथ किया जाता है। इस प्रकार के कीमत-लागत अंतर तथा वाईटीएम दरें भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) संघ (एफआईएमएमडीए)/ एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों के आधार पर लागू की जाती हैं।
- k) PTC investments are presently held only under AFS category and are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity and the spreads applicable are that of NBFC bonds. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)/FBIL.
- iv. निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और उसके बाद लागू करों को घटाकर विनियोजित या जाता है और वर्ष/ अवधि की समाप्ति पर सांविधिक रिजर्व से पूंजी रिजर्व में अंतरित किया जाता है। बिक्री से हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है। निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शाई जाती है।

Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in 'Held to Maturity' category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes and transfer to statutory reserves to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account. Investments are stated net of provisions

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

अनर्जक निवेश / Non-Performing Investments

आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर अनर्जक निवेशों की पहचान की जाती है तथा उस पर मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है। ऐसे अनर्जक निवेशों के मूल्यहास/ प्रावधान को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों की मूल्यवृद्धि से समायोजित नहीं किया जाता है। जब तक अनर्जक निवेशों पर ब्याज प्राप्त नहीं होता तब तक लाभ-हानि लेखे में इसे दर्शाया नहीं जाता है।

Non-performing investments are identified and depreciation provisions are made thereon based on the RBI guidelines. The depreciation / provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss Account until received.

अधिविक्रय / Short Sale

रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक दिनांकित केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में अधिविक्रय करता है। अधिविक्रय स्थितियों को एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य को बही में अंकित करने से हुई हानि को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और लाभ, यदि कोई हो, को शामिल नहीं किया जाता है।

The Bank undertakes short sale transaction dated Central Government securities in accordance with RBI guidelines. The short positions are categories under HFT category and are marked to market. The mark-to-market loss is charged to profit and loss account and gain, if any, ignore as per RBI guidelines.

ई. रेपो एवं रिवर्स रेपो लेन-देन

D. Repo and reverse repo transactions

रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों व कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा ('एलएएफ') व सीमांत आपाती सुविधा ('एमएसएफ') के तहत रिजर्व बैंक से किए गए लेन-देनों सहित) में रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः उधार लेने व उधार देने वाले लेन-देनों के रूप में दर्शाए जाते हैं। रेपो लेन-देनों पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है। 14 दिन की प्रारंभिक अवधि से अधिक के रिवर्स रेपो का वर्गीकरण अग्रिमों के अंतर्गत किया जाता है।

In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income. Reverse repo of original tenure more than 14 days have been classified under Advances.

6. डेरिवेटिव लेन-देन / Derivative Transactions

'हेज' के रूप में नामित लेन-देनों में: / In Transactions designated as 'Hedge':

- क) डेरिवेटिव लेन-देनों पर देय/ प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है।
 - a) Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.
- ख) हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/ हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर दर्शाया जाता है।
 - b) On premature termination of hedge swaps, any profits/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.
- ग) अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने को एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है।
 - c) Re-designation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.
- घ) हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता। बाजार मूल्य को अंकित करने वाले हेज करारों के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है।
 - d) Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

'ट्रेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में: / In Transactions designated as 'Trading':

- क) 'ट्रेडिंग' के लिए नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं। इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है। विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है।

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

- a) Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.
- ख) एक्सचेंज ट्रेडेड करेसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ) खंडों में ट्रेडिंग के लिए नामित डेरिवेटिव लेन-देनों में मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन्स और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है। इन लेन-देनों से हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माह के अंत में निपटान की तारीख को लाभ- हानि लेखे में अंतरित किया जाता है।
- b) Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.
- ग) ट्रेडिंग के रूप में नामित रुपया डेरिवेटिव पर आय को वसूली आधार पर लाभ-हानि लेखे में दिखाया जाता है।
- c) Income on Rupee Derivatives designated as "Trading" is recognised in the Profit and Loss Account on realisation basis.
- घ) डेरिवेटिव सविदाओं के अंतर्गत किसी भी प्राप्यराशि, जो 90 दिन से अधिक के लिए अतिदेय रहती है, को लाभ-हानि लेखे के जरिये 'उच्चत खता निश्चित प्राप्यराशियां' में रिवर्स किया जाता है।
- d) Any receivable under derivative contracts, which remain overdue for more than 90 days, are reversed through Profit and Loss Account to "Suspense Account Crystallised Receivables"

7 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार का प्रमाण-पत्र / Priority Sector Lending Certificates

बैंक प्राथमिकता - प्राप्त क्षेत्र को उधार के प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी) के क्रय या विक्रय के लेन-देन करता है। बिक्री लेन-देन के मामले में, बैंक आरबीआई ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म पर प्राथमिकता - प्राप्त क्षेत्र को उधार दायित्वों को पूरा करने के लिए बिक्री करता है और खरीद लेनदेन के मामले में, बैंक प्राथमिकता - प्राप्त क्षेत्र को उधार दायित्वों को पूरा करने के लिए क्रय करता है। जोखिम या ऋण आस्तियों का कोई अंतरण नहीं होता है। पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है और पीएसएलसी की खरीद के लिए अदा किए गए शुल्क को अन्य व्यय के रूप में लाभ-हानि लेखे में रिकॉर्ड किया जाता है। इन सभी को प्रमाण पत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

The Bank enters into transactions for the sale or purchase of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs). In the case of a sale transaction, the Bank sells the fulfilment of priority sector obligation and in the case of a purchase transaction the Bank buys the fulfilment of priority sector obligation through RBI trading platform. There is no transfer of risks or loan assets. The fee received for the sale of PSLCs is recorded as miscellaneous income and the fee paid for purchase of the PSLCs is recorded as other expenditure in Profit and Loss Account. These are amortised over the period of the Certificate.

8 अचल आस्तियां एवं मूल्यहास / Fixed Assets and Depreciation

- i. अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यहास घटाकर लागत पर दिखाया जाता है। परिसर का मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यहास घटाकर पुनर्मूल्यित राशि पर दिखाया जाता है।
Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.
- ii. पट्टेधृत परिसरों में सुधार में किए गए व्यय को पट्टे की बची हुई प्राथमिक अवधि के दौरान विलोपित किया जाता है।
Improvements to lease hold premises are charged off over the remaining primary period of lease.
- iii. आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं। उपयोग में लाये जाने पर आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है।
Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets which have been put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- iv. पुनर्मूल्यन पर मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को पुनर्मूल्यन रिजर्व में शामिल किया जाता है।
The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.
- v. अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यहास की गणना लागत या पुनर्मूल्यित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यित राशि पर सीधी रेखा पद्धति द्वारा की जाती है।
Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

- vi. पुनर्मूल्यित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यहास को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यन रिजर्व से सामान्य रिजर्व में अंतरित किया जाता है।
In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet.
- vii. ₹ 5000 से कम लागत की अलग-अलग अचल आस्तियों को पहले पूंजीकृत किया जाता है और फिर उनके अर्जन के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यहासित किया जाता है।
Fixed assets individually costing less than ₹ 5,000/- are first capitalized and then fully depreciated in the year of addition.
- viii. गोचर आस्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के अंतर्गत निर्धारित रूप में आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान विनिधानित किया जाता है। उपयोगी जीवनकाल तथा अवशिष्ट मूल्य की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार, किसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल अस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यहास की ऊंची दर लगायी जाती है।
Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management estimate of the useful life of an asset at the time of acquisition of the asset or of remaining useful life on subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on the management's estimate of useful life / remaining useful life.
- ix. वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यहास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अवधि के लिए लगाया जाता है।
Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets are actually held.
- x. अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:
The useful lives of Fixed assets are as follows:

आस्ति Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में) Useful Life (in Years)
स्वामित्व वाले परिसर / Owned Premises	60
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture and fixtures	10
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी / Electrical installation and machinery	10
मोटर वाहन / Motor vehicles	8
कंप्यूटर / Computers	3
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	8
वी-सैट उपकरण / VSAT equipment	6
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employees	
क) फर्नीचर एवं फिक्सचर a) Furniture and fixtures	10
ख) पर्सनल कंप्यूटर b) Personal Computers	3

- xi. पट्टाधृत भूमि को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है। पट्टेधृत सुधार को उसी आस्ति श्रेणी में पूंजीकृत तथा पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।
Leasehold land is amortized over the period of lease. Leasehold improvements are capitalized in the same asset category and amortized over period of lease.
- xii. ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत किया जाता है और 6 वर्ष से अनधिक अवधि में इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यहासित किया जाता है।
Computer Software individually costing more than ₹ 2.50 lacs is capitalized and depreciated over its useful life, not exceeding 6 years.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

9 प्रतिभूतीकरण लेन-देन: Securitisation Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतीकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसपीवी) को बिक्री होती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं। प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है। बैंक, बिक्री के समय ही होने वाली हानि को तुरंत हिसाब में लेता है और बिक्री के परिणामस्वरूप हुए लाभ/प्रीमियम को उस एसपीवी द्वारा, जिसे आस्तियां बेची गई हैं, जारी की जाने वाली अथवा जारी की गई प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है।

Securitization of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognized when the control over the contractual rights in the securitized assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortized over the life of the securities issued/ to be issued by the SPV to which the assets are sold.

10 प्रतिभूतीकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री: Sale of financial assets to Securitization Companies/ Reconstruction Companies:

प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्संरचना कंपनियों (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के मोचन मूल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है।

Sale of financial assets to Securitization Companies (SCs) / Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

आस्तियों की बिक्री, जिसके लिए पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है तथा तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाला गया है, के मामलों में प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की गणना बैंक की निवेश बही में एक रुपये मान कर की जाती है।

In case of sale of assets which are fully provided and Technically Written off, the Security Receipts (SRs) are reckoned at Rupee one in the investment book of the Bank.

यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् धारित प्रावधानों को घटाकर बही मूल्य) से कम है तो कमी को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखे में नामे किया जाता है। एनपीए की बिक्री में कोई कमी होने पर अर्थात् बिक्री एनबीवी से कम मूल्य पर होने की स्थिति में बैंक रिजर्व बैंक की अनुमति से उस कमी को पूरा करने के लिए प्रतिक्रिय प्रवधान का भी उपयोग करता है।

In case the sale value is at a price below the Net Book Value (NBV) (i.e., book value less provision held), the shortfall is be debited to the profit and loss account of that year. The Bank also uses, with permission of RBI, countercyclical provision for meeting any shortfall on sale of NPAs i.e. when the sale is at a price below the NBV.

यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से उच्चतर मूल्य पर है तो आधिक्य प्रावधान को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखे में प्रतिवर्तित किया जाता है जिसमें नकद राशि प्राप्त हुई हो। तथापि आधिक्य प्रावधान का प्रतिवर्तन प्राप्त नकदी के आस्तियों के निवल बही मूल्य से अधिक होने की सीमा तक सीमित रहेगा।

In case, sale value is higher than the NBV, the excess provision is reversed to the profit and loss account in the year in which cash amounts are received. However, such reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

11. विदेशी मुद्रा लेन-देन Foreign Currency Transactions:

- विदेशी मुद्रा लेन-देनों को आरंभिक अभिनिर्धारण पर लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडआई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है। मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.

- ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं की गई हैं, की शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognized.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

- iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं हैं, का फेडाई की बंद दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है। अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का मूल्य निर्धारण फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है। परिणामी लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है।
Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profits/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.
- iv. वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर लाभ और हानि विवरण में दिखाया जाता है।
Profits/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, are recognized in the statement of profit & loss on the date of termination.
- v. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की बंद दरों पर की जाती है।
Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts are calculated at the contracted rates of exchange and those in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.
- vi. विदेशी शाखा के परिचालनों को 'गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गैर-एकीकृत विदेशी परिचालनों की मौद्रिक और गैर-मौद्रिक, दोनों विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर रूपांतरित किया जाता है। आय और व्यय मदों को त्रैमासिक औसत दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप विनिमय अंतरों से उत्पन्न लाभ/ हानि को एएस-11, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव और आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतरण खाते में संचित किया जाता है।
Operations of foreign branch are classified as 'Non-Integral Foreign Operations'. Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the Balance Sheet date, Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates and the resulting profit / loss arising from exchange differences are accumulated in the Foreign Currency Translation Account until disposal of the non-integral foreign operations in accordance with AS-11, *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates and the extant RBI guidelines*.

12. कर्मचारी लाभ : Employee Benefits

(i) पेंशन / Pension

परिभाषित लाभ योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों के समूह को देय पेंशन के संबंध में, बैंक अपने द्वारा स्थापित और न्यासी बोर्ड द्वारा प्रशासित पेंशन फंड ट्रस्ट को वेतन का 10% योगदान देता है। बैंक प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर पेंशन देयता के एक स्वतंत्र बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता की कमी के लिए अतिरिक्त राशि का योगदान देता है, जिसकी गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, नौकरी छोड़ने की दर, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके देयता/ परिभाषित लाभ निर्धारित किया जाता है। बीमाकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि लेखे में उस अवधि के लिए दिखाया जाता है जिसमें वे होते हैं।

In respect of Pension payable to the group of employees who are eligible for Pension under Defined Benefit Scheme, Bank contributes 10% of pay to Pension Fund Trust set up by the Bank and administered by the Board of Trustees. Bank further contributes for an additional amount towards the liability shortfall, based on an independent Actuarial valuation of Pension liability at each Balance Sheet date which is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate. The liability / defined benefit is determined using the Projected Unit Credit Method. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

(ii) नई पेंशन योजना (एनपीएस) / New Pension Scheme (NPS)

नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कवर किए गए कर्मचारियों के संबंध में, बैंक परिभाषित योगदान योजना में कर्मचारियों के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत योगदान देता है, जिसे पेंशन फंड कंपनियों द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाता है। बैंक के पास इसके योगदान के अलावा कोई दायित्व नहीं है और इस तरह के योगदान को वर्ष में किया गया खर्च माना जाता है।

In respect of the employees covered under New Pension Scheme (NPS), Bank contributes a certain percentage of the Salary of employees to the defined scheme, a defined contribution plan, which is managed and administered by Pension Fund companies. Bank has no liability other than its contribution and recognizes such contribution as an expense in the year incurred.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

(iii) छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment

बैंक की सभी कर्मचारियों के लिए सामान्य अवकाश/ विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण की नीति है जो उनके एक्जिट होने बाद एक निश्चित शेष दिनों के नकदीकरण के लिए है। बैंक इस तरह के अवकाश नकदीकरण के लिए प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर उस तारीख को अवकाश शेष के लिए एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान प्रदान करता है। इस तरह की देनदारी की गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, नौकरी छोड़ने की दर, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है।

The Bank has a policy of encashment of Ordinary Leave/ Privileged Leave for all employees after their exit from the Bank upto a certain balance number of days. The Bank provides for such leave encashment based on an independent actuarial valuation at each Balance Sheet date for the leave balances as on that date. Such liability is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate.

(iv) स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना (वीएचएस) / Voluntary Health Scheme (VHS)

बैंक की एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना (वीएचएस) है जो विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों के लिए निर्धारित सीमा (घरेलू और अस्पताल में भर्ती) के अनुसार कर्मचारियों और उनके पति या पत्नी और आश्रित बच्चों (जैसा लागू हो) की, सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह योजना वैकल्पिक थी और सदस्यता के लिए बंद कर दी गई है। इसके अलावा, बैंक तुलन पत्र की तारीख के अनुसार इस योजना के लिए एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कमी राशि के लिए एक अतिरिक्त राशि के लिए योगदान देता है, जिसकी गणना अवधि के लिए फंड के वास्तविक उपयोग और उन लोगों के लिए शेष सीमा के आधार पर की जाती है जिन्होंने सदस्यता ली है।

The Bank has a Voluntary Health Scheme (VHS) which caters to the post-retirement medical needs of the employees and their spouse & dependent children (as applicable) as per the limits (domiciliary and hospitalization) set for various Grades of employees. This scheme was optional and has been closed for subscription. Further, Bank contributes for an additional amount towards the shortfall amount based on an independent actuarial valuation for this scheme as on Balance Sheet date which is calculated based on the actual utilization of the fund for the period and the balance limits for those who have subscribed to the scheme.

(v) उपदान (ग्रेच्युटी): / Gratuity:

उपदान के प्रति बैंक का एक दायित्व है। यह एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जिसमें सभी पात्र कर्मचारियों को इस्तीफा, सेवानिवृत्ति, रोजगार के दौरान मृत्यु या रोजगार की समाप्ति पर दिया जाता है। बैंक आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट में योगदान देता है, जिसे ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित किया जाता है। जिन कर्मचारियों ने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है लेकिन 10 साल से कम हो, उन्हें ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए ग्रेच्युटी अधिनियम के नियमों के अलावा बैंक के पास ग्रेच्युटी नियम, 2004 का एक अलग सेट है। ग्रेच्युटी नियम, 2004 उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन्होंने 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है और उनके लिए ग्रेच्युटी की गणना के लिए एक अलग पद्धति है। ऐसे कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की गणना ग्रेच्युटी अधिनियम और ग्रेच्युटी नियम दोनों के अनुसार की जाती है और जो भी कर्मचारी के लिए फायदेमंद हो, उसका भुगतान किया जाता है।

The bank has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering all eligible employees on resignation, retirement, death while in employment or on termination of employment. The Bank makes contributions to IDBI Bank Employees' Gratuity Fund Trust, administered by the Trustees. The employees who have completed 5 years of service but less than 10 years, Gratuity is paid as per Gratuity Act. Bank has a separate set of Gratuity Rules, 2004 apart from the rules as per Gratuity Act for payment of Gratuity. The Gratuity Rules, 2004 are applicable to those employees who have completed 10 years of service period and has a separate methodology for calculation of Gratuity. For such employees gratuity is calculated as per both Gratuity Act and Gratuity Rules and are paid the amount whichever is beneficial to employee.

बैंक त्रैमासिक आधार पर ग्रेच्युटी देयता के एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता में कमी के लिए योगदान देता है, जिसकी गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, नौकरी छोड़ने की दर, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके देयता/ परिभाषित लाभ निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि लेखों में उस अवधि में दिखाया जाता है जिसमें वे होते हैं।

Bank contributes towards the liability shortfall, based on an independent Actuarial Valuation of Gratuity liability on a quarterly basis which is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate. The liability / defined benefit is determined using the Projected Unit Credit Method. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

(vi) भविष्य निधि : / Provident Fund:

बैंक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के अंतर्गत कवर है। यह कोष पात्र कर्मचारियों के अनिवार्य योगदान, कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक अतिरिक्त अंशदान और बैंक के योगदान (पीएफ विकल्प चुनने वालों के लिए) से बना है। अगस्त 2018 से आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के कोष का प्रबन्धन

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जिसका गठन भारतीय न्याय अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के तहत आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों, जो आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान करते हैं, के हितों के लिए किया गया है। यह ट्रस्ट सभी जरूरी कार्यकलाप एवं उनकी प्राप्ति से संबद्ध कार्य करेगा।

The Bank is covered under the Employee Provident Fund Act, 1925. The corpus is built from the mandatory contribution from eligible employees, additional voluntary contribution from the employees and further contribution from the Bank (for PF optees) Since August 2018 the corpus of IDBI Bank Employee Provident Fund is managed by a trust viz., IDBI Bank Employees Provident Fund Trust formed under the provisions of Indian Trust Act, 1882 for the benefit of employees of IDBI Bank Ltd., who subscribed to IDBI Bank Employees Provident Fund and the said trust shall carry out all such activities necessary and incidental for the attainment thereto.

- परिभाषित अंशदान योजनाओं का भुगतान उस वर्ष के लाभ और हानि लेखे में किया जाता है जब अंशदान देय होता है।
Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.
- परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर बीमाकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमाकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि लेखे में उस अवधि में दिखाया जाता है जिसमें वे होते हैं।
For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.
- कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले भुगतान की जाने वाली अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस अवधि का माना जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।
The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

13. खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

बैंक तीन खंडों अर्थात होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी सेवाओं में परिचालन करता है। इन खंडों का निर्धारण आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा रिपोर्टिंग खंड पर लेखा मानक-17 के अनुसार योजनाओं व सेवाओं की प्रकृति व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है।

The Bank operates in three segments wholesale banking, retail banking and treasury operations. These segments have been identified in line with extant RBI guidelines and AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों एवं देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु आबंटित व अनुमानित किए अनुसार अभिनिर्धारणीय राशि शामिल है। जो आस्तियां एवं देयताएं ज्ञात खंडों में विनिधानीत नहीं की जा सकती हैं, उन्हें अविनिधानीत आस्तियों व देयताओं के रूप में समूहित किया गया है।

Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities

14. आयकर / Income Tax

- कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं।
Tax expense comprises of current and deferred tax.

चालू कर आयकर की वह निर्धारित राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 तथा आय संगणना एवं प्रकटन मानक (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार परिकल्पित अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है।

Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

- वर्ष के लिए बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है। समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक हिसाब में लिया जाता है जितनी उनकी भविष्य में वसूली की उचित निश्चितता हो।

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

- iii. अनवशोषित मूल्यहास/ हानियों के मामले में आस्थगित कर आस्तियां तभी हिसाब में ली जाती हैं जब यह आभासी रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं।
Deferred tax assets in case of unabsorbed depreciation/ losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.
- iv. आस्थगित कर आस्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है और उचित / आभासी रूप से वसूल होने वाली राशि को समुचित रूप से समायोजित किया जाता है।
Deferred tax assets are reviewed at each Balance Sheet date and appropriately adjusted to reflect the amount that is reasonably/ virtually certain to be realized.
- v. प्रावधान न किये गये विवादित करों को आकस्मिक देयताओं में शामिल किया जाता है। तथापि संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो जिनकी पूर्व मूल्यांकन और अन्य प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों के संबंध में राय/विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर संसाधन बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो तो उनका कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।
Disputed taxes not provided for are included under Contingent Liabilities. However, when there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote based on opinions/ various judicial decisions in respect of past assessment and other relevant judicial decisions, no provision or disclosure is made.

15. पट्टे / Leases

- i. पट्टे/ किराए के आधार पर ली गई संपत्ति बैंक के मतानुसार नवीकरणीय/ निरसनीय है।
The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.
- ii. बैंक के द्वारा किए गए पट्टे करार सहमत अवधि के लिए होते हैं जिनको लीज अवधि के दौरान आपसी सहमति से एक कैलेंडर माह की नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।
The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.
- iii. परिचालन पट्टे के लिए अदा किये गये पट्टे किराये को उसी वर्ष के लाभ-हानि लेखे में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है जिससे यह संबंधित है।
Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates.
- iv. परिचालन पट्टे के संबंध में प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत जैसे विधिक लागत, दलाली लागत, आदि को तत्काल खर्च के रूप में लाभ-हानि लेखे में दिखाया जाता है।
Initial direct costs in respect of operating leases such as legal costs, brokerage costs, etc. are recognized as expense immediately in the Profit and Loss Account

16. प्रति शेयर उपार्जन / Earnings Per Share

- i. बैंक लेखामानक 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर उपार्जन की सूचना देता है। प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।
The Bank reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.
- ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाती है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता है। प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है।
Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

17. आस्तियों का हासित होना / Impairment of Assets

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन इस बात का संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि वसूलीयोग्य नहीं रही तो अचल आस्तियों के हासित होने की समीक्षा की जाती है। धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूली योग्य मूल्य और उपयोग में मूल्य की आस्ति की रखाव राशि से तुलना द्वारा किया जाता है। यदि ऐसी आस्तियां हासित मानी गई हों तो उस हास को उस आस्ति की रखाव लागत से उसके अनुमानित वर्तमान वसूलीयोग्य मूल्य या उपयोग में मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है।

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use.

18. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. लेखा मानक 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के मामले में प्रावधानों को तभी हिसाब में लिया जाता है जब बैंक यह अभिनिर्धारित करता है कि पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए कुछ राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए दायित्व का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता है और उनका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है।

Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी।

Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक आस्तियों को न तो हिसाब में लिया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है।

Contingent Assets are neither recognized nor disclosed.

v. आकस्मिक देयता का प्रकटन निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है:

A disclosure of contingent liability is made when there is:

- जब संभाव्य दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों का बहिर्वाह होने की संभावना बहुत कम न हो, या
When there is a possible obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is not remote; or
- किसी विगत घटना से वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हो रहा है जिसे माना नहीं गया है क्योंकि इस बात की संभाव्यता नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत नहीं होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
a present obligation arising from a past event which is not recognized as it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.
- जब कोई संभाव्य दायित्व या वर्तमान दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है।
When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

19. लाभांश का लेखांकन / Accounting for Dividend

लेखांकन मानक (एएस) 4 “तुलनपत्र की तारीख के बाद होने वाली आकस्मिकताएं एवं घटनाएं” के अनुसार, कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2021 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में वर्णितानुसार बैंक प्रस्तावित लाभांश या तुलनपत्र की तारीख के बाद घोषित लाभांश को चालू वर्ष के तुलनपत्र में लाभ-हानि खाते से विनियोजन के जरिये देयता के रूप में नहीं लेता है। इसे लेखों पर टिप्पणियों में प्रकटित किया जाता है। इसे शेयरधारकों के अनुमोदन के बाद वास्तविक भुगतान के वर्ष में दिखाया जाता है। तथापि, पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिए पूंजी निधियों के निर्धारण में प्रस्तावित लाभांश को हिसाब में लिया जाता है।

In terms of Accounting Standard (AS) 4 “Contingencies and Events occurring after the Balance sheet date” as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read together with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021, the Bank does not account for proposed dividend or Dividend declared after balance sheet date as a liability through appropriation from profit and loss account in current year balance sheet. This is disclosed in the notes to accounts. The same is recognized in the year of actual payout post approval of shareholders. However, the Bank reckons proposed dividend in determining capital funds in computing the capital adequacy ratio.

20. नकदी एवं नकदी समतुल्य / Cash & Cash equivalents

नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, रिजर्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल है।

Cash and cash equivalents include cash in hand, balances with RBI, balances with other banks and money at call and short notice.

21. कारपोरेट सामाजिक दायित्व / Corporate Social Responsibility

कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए किए गए व्यय को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

Expenditure towards corporate social responsibility, in accordance with Companies Act, 2013, is recognised in the Profit and Loss Account.

22. दुर्वह संविदाएं / Onerous contracts

दुर्वह संविदाओं के लिए प्रावधान तब निर्धारित किए जाते हैं जब संविदा के अंतर्गत भविष्य के दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागतों की तुलना में बैंक को प्राप्त होने वाले लाभ कम होने की संभावना होती है। प्रावधान का मूल्यांकन संविदा समाप्त कर अपेक्षित कमतर लागत पर वर्तमान मूल्य तथा संविदा के जारी रहते हुए अपेक्षित निवल लागत पर किया जाता है। प्रावधान निर्धारण से पहले बैंक संविदा से संबद्ध आस्तियों पर किसी हासशील नुकसान की पहचान करता है।

Provisions for onerous contracts are recognised when the expected benefits to be derived by the Bank from a contract are lower than the unavoidable costs of meeting the future obligations under the contract. The provision is measured at the present value of the lower of the expected cost of terminating the contract and the expected net cost of continuing with the contract. Before a provision is established, the Bank recognises any impairment loss on the assets associated with that contract.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 18 - लेखा टिप्पणियां

SCHEDULE 18 - NOTES TO ACCOUNTS

अ. रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रकटन

A. DISCLOSURES REQUIRED AS PER RBI GUIDELINES

1. विनियामक पूंजी / Regulatory Capital

क) नियामक पूंजी की संरचना

a) Composition of Regulatory Capital

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम. सं. Sr.No.	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2023 As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 As at March 31, 2022
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	29,604	25,787
(ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी / Additional Tier 1 capital	-	-
(iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii) / Tier 1 capital (i + ii)	29,604	25,787
(iv)	टियर 2 पूंजी / Tier 2 capital	3,863	3,672
(v)	कुल पूंजी (टियर 1+ टियर 2) / Total capital (Tier 1+Tier 2)	33,467	29,459
(vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए) Total Risk Weighted Assets (RWAs)	1,63,719	1,54,559
(vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	18.08%	16.68%
(viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी) Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	18.08%	16.68%
(ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी) Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.36%	2.38%
(x)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	20.44%	19.06%
(xi)	लिवरेज अनुपात / Leverage Ratio	7.86%	7.42%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम. सं. / Sr. No.	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2023 / As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 / As at March 31, 2022
(xii)	निम्नलिखित की शेयर धारिता का प्रतिशत / Percentage of the shareholding of		
क) / a)	भारत सरकार / Government of India	45.48%	45.48%
ख) / b)	राज्य सरकार / State Government	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
ग) / c)	प्रायोजक बैंक / Sponsor Bank	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
(xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि / Amount of paid-up equity capital raised during the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि / Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि / Amount of Tier 2 capital raised during the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil

आरबीआई ने दिनांक 1 मार्च 2016 के परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015/16 के द्वारा सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए पुनर्मूल्यांकन रिजर्व/ विदेशी मुद्रा रूपांतरण/ रिजर्व डीटीए पर विचार करने हेतु बैंकों को विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपर्युक्त गणना में विकल्प का प्रयोग किया है।

RBI vide circular no DBR.No.BPBC.83/21.06.201/2015/16 dated March 01, 2016 has given discretion to Banks to consider Revaluation Reserve/ Foreign Currency Translation Reserve / DTA for purpose of computation of capital Adequacy as CET-1 capital ratio. The Bank has exercised the option in the above computation.

भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को 55% की छूट पर सीईटी-1 पूंजी के अंतर्गत शामिल किया है। इसके परिणामस्वरूप पूरे वर्ष के लाभ की मान्यता के अतिरिक्त पिछले वर्ष 31 मार्च 2022 की समाप्ति पर सीईटी-1 पूंजी में वृद्धि हुई।

Revaluation Reserve has been recognized under CET-1 capital at the discount of 55% in accordance with extant RBI guidelines. This had resulted in increase in CET-1 capital in the previous year ending March 31, 2022, besides recognition of full year profit.

ख) आरक्षित निधि में कमी

b) Draw Down from Reserves

बैंक ने 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान आरक्षित निधि में कोई कमी नहीं की है।

The Bank has not undertaken any drawdown from reserves during the year ended March 31, 2023 and March 31, 2022.

ग) संचित हानियों का समंजन

c) Set-off of Accumulated Losses

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने अपने शेयरधारकों, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के दिनांक 29 मार्च 2023 के आदेश से प्राप्त अनुमोदन के पश्चात 1 अप्रैल 2021 को बैंक के प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा के बकाया राशि का उपयोग करके उक्त तारीख को ₹ 45,396 करोड़ की अपनी संचित हानियों का समंजन किया है।

During the current year, the Bank has set off its accumulated losses of ₹ 45,396 crore as on April 01, 2021 by utilizing the balance outstanding to the credit of Securities Premium Account of the Bank on the said date after obtaining approval from its shareholders, Reserve Bank of India and National Company Law Tribunal order dated March 29, 2023.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

2. आस्ति देयता प्रबंधन Asset Liability Management

क) 31 मार्च 2023 को आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप

अ) Maturity Pattern of Certain Items of Assets and Liabilities as on March 31, 2023

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन से व 2 माह तक 31 days & upto 2 months	2 माह से अधिक व 3 माह तक Over 2 months & upto 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमाराशियां# / Deposits #	739	4,419	3,670	5,864	7,707	5,897	12,704	26,156	1,54,178	14,037	20,127	2,55,499
अग्रिमों# / Advances #	446	1,165	1,239	2,609	5,555	3,606	7,408	11,593	50,791	12,122	66,034	1,62,568
निवेशों / Investments	18,990	16,531	1,713	2,178	2,461	3,297	4,053	6,277	28,171	4,117	11,901	99,690
उधारों# / Borrowings #	-	586	-	123	33	394	-	-	11,496	-	5	12,638
विदेशी मुद्रा आस्तियां* Foreign Currency assets*	274	5,061	3,144	7,050	7,504	14,944	22,643	5,118	3,303	373	5,127	74,541
विदेशी मुद्रा देयताएं* Foreign Currency Liabilities*	86	4,365	1,774	11,707	8,399	14,266	1,503	4,625	3,433	660	18,044	68,864

31 मार्च 2022 को आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप

Maturity Pattern of Certain Items of Assets and Liabilities as on March 31, 2022

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन से व 2 माह तक 31 days & upto 2 months	2 माह से अधिक व 3 माह तक Over 2 months & upto 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमाराशियां# / Deposits #	2,247	6,134	6,143	4,717	4,531	4,099	10,998	22,172	145,938	12,621	13,534	233,134
अग्रिमों# / Advances #	1,254	1,343	1,704	1,037	2,164	3,127	6,452	9,660	45,000	11,883	53,331	136,955
निवेशों / Investments	14,920	9,830	1,218	1,145	1,559	1,848	3,855	7,818	24,186	4,419	12,190	82,988
उधारों# / Borrowings #	-	595	88	-	553	-	103	1,657	6,548	2,202	2,600	14,346
विदेशी मुद्रा आस्तियां* Foreign Currency assets*	798	10,682	863	40,693	13,602	24,569	33,152	28,798	1,926	192	2,206	157,481
विदेशी मुद्रा देयताएं* Foreign Currency Liabilities*	30	11,874	1,451	38,672	16,156	12,214	14,316	18,972	1,333	417	10,757	126,192

इनमें विदेशी मुद्रा शेष राशियां शामिल हैं।

Includes foreign currency balances.

@ इनमें विदेशी मुद्रा-रुपया क्रय-विक्रय आस्तियां और विदेशी मुद्रा अग्रिम शामिल हैं।

@ Includes foreign currency- Rupee buy-sell assets and foreign currency advances.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

\$ इनमें विदेशी मुद्रा-रुपया विक्रय- क्रय स्वैप देयताएं और विदेशी मुद्रा जमाराशियां तथा उधार शामिल हैं।
\$ Includes foreign currency-Rupee sell-buy swap liabilities and foreign currency deposits and borrowings.

नोट : दोनों चालू वर्षों के लिए एएलएम गणना के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आस्तियों और देयताओं का वर्गीकरण आरबीआई को प्रस्तुत विवरणियों के संकलन के लिए बैंक द्वारा उपयोग किए गए अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित है।

Note: classification of Assets & Liabilities under the different heads of ALM computation for both current years is based on same estimates and assumptions as used by the bank for the compiling the returns submitted to the RBI.

ख) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

b) Liquidity Coverage Ratio (LCR)

- (i) वित्तीय वर्ष 2022-23 की सभी चार तिमाहियों को शामिल करते हुए एलसीआर (मात्रात्मक प्रकटन)
LCR covering all the four quarters (Quantitative disclosure) for FY2022-23

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मार्च 2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended March 2023		दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended December 2022		सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended September 2022		जून 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2022	
		कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		64,956		59,009		60,592		63,766
	नकदी बहिर्वाह Cash Outflows								
2	खुदरा जमाराशियां और छोटे कारोबारी ग्राहकों से प्राप्त जमा राशियां जिनमें से: Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	1,25,989	12,175	1,22,886	11,864	1,22,413	11,817	1,22,786	11,848
	(i) स्थिर जमाराशियां Stable deposits	8,461	423	8,510	426	8,498	425	8,610	430
	(ii) कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	1,17,528	11,752	1,14,376	11,438	1,13,915	11,392	114,176	11,418
3	अप्रतिभूति थोक निधायन, जिनमें से: Unsecured wholesale funding, of which:	57,288	34,622	55,090	35,333	53,912	34,742	52,926	33,049
	(i) परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Operational deposits (all counterparties)	0	0	0	0	0	0	0	0
	(ii) गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Non-operational deposits (all counterparties)	56,468	33,802	54,270	34,513	53,092	33,922	52,106	32,229

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मार्च 2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended March 2023		दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended December 2022		सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended September 2022		जून 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2022	
		कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
	(iii) अप्रतिभूत ऋण Unsecured debt	820	820	820	820	820	820	820	820
4	प्रतिभूत थोक निधायन Secured wholesale funding		0		0		0		0
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से : Additional requirements, of which	5,516	2,645	2,371	2,191	1,203	1,195	627	627
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	2,164	2,164	2,071	2,071	1,190	1,190	627	627
	(ii) ऋण उत्पादों पर निधायन हानि से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to loss of funding on debt products	0	0	0	0	0	0	0	0
	(iii) क्रेडिट और चलनिधि Credit and liquidity	3,352	481	300	120	13	5	0	0
6	अन्य संविदागत निधायन दायित्व Other contractual funding obligations	1,864	1,864	1,546	1,546	1,677	1,677	1,583	1,583
7	अन्य आकस्मिक निधायन दायित्व Other contingent funding obligations	1,47,047	6,207	1,53,993	6,677	1,45,594	6,266	1,41,892	6,147
8	कुल नकदी बहिर्वाह Total Cash Outflows		57,513		57,611		55,697		53,254
	नकदी अंतर्वाह Cash Inflows								
9	प्रतिभूत ऋण (अर्थात् रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	355	0	269	0	140	0	4,799	0
10	पूर्ण निष्पादित एक्सपोजरों से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	6,341	3,157	5,712	2,856	5,591	2,795	4,338	2,169
11	अन्य नकदी अंतर्वाह Other cash inflows	6,453	6,474	6,595	6,470	5,686	5,674	6,180	6,180
12	कुल नकदी अंतर्वाह Total Cash Inflows	13,149	9,631	12,576	9,326	11,417	8,469	15,317	8,349

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मार्च 2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended March 2023		दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended December 2022		सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended September 2022		जून 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2022	
		कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
			कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value
13	कुल एचक्यूएलए Total HQLA		64,956		59,009		60,592		63,766
14	कुल निवल नकदी बहिर्वाह Total Net Cash Outflows		47,882		48,285		47,228		44,905
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%) Liquidity Coverage Ratio (%)		135.66%		122.21%		128.30%		142.00%

टिप्पणी : दिनांक 09 जून 2014 के आरबीआई परिपत्र संदर्भ: आरबीआई/2013-14/635 डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013-14 के अनुसार, औसत भारित और गैर भारित राशियों की गणना कार्य दिवसों के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दैनिक साधारण औसत लेते हुए की जाती है।

Note: In accordance with RBI circular Ref: RBI/2013-14/635 DBOD.BP.BC.No.120 /21.04.098/2013-14 dated June 09, 2014, the average weighted and un-weighted amounts are calculated taking daily simple average from 1st April to 31st March for working days.

(ii) वित्तीय वर्ष 2021-22 की सभी चार तिमाहियों को शामिल करते हुए एलसीआर (मात्रात्मक प्रकटन)
LCR covering all the four quarters (Quantitative disclosure) for FY2021-22

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मार्च 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended March 2022		दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended December 2021		सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended September 2021		जून 2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2021	
		कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		60,906		71,225		70,302		73,945
	नकदी बहिर्वाह Cash Outflows								
2	खुदरा जमा राशियां और छोटे कारोबारी ग्राहकों से प्राप्त जमा राशियां जिनमें से: Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	1,20,503	11,624	1,23,669	12,025	1,23,806	12,044	1,23,528	12,020

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मार्च 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended March 2022		दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended December 2021		सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended September 2021		जून 2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2021	
		कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
	(i) स्थिर जमाराशियां Stable deposits	8,520	426	6,839	342	6,740	337	6,647	332
	(ii) कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	1,11,983	11,198	1,16,830	11,683	1,17,066	11,707	1,16,881	11,688
3	अप्रतिभूत थोक निधायन, जिनमें से: Unsecured wholesale funding, of which:	52,739	32,992	51,610	34,226	46,689	31,929	45,601	30,994
	(i) परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Operational deposits (all counterparties)	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ii) गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Non-operational deposits (all counterparties)	51,932	32,185	50,790	33,406	45,869	31,109	42,450	27,843
	(iii) अप्रतिभूत ऋण Unsecured debt	807	807	820	820	820	820	3,151	3,151
4	प्रतिभूत थोक निधायन Secured wholesale funding		-		-		-		-
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से Additional requirements, of which	411	411	423	423	497	494	1,143	752
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	411	411	423	423	493	493	709	709
	(ii) ऋण उत्पादों पर निधायन हानि से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-	-	-	-	-
	(iii) क्रेडिट और चलनिधि Credit and liquidity	-	-	-	-	4	0	434	43
6	अन्य संविदागत निधायन दायित्व Other contractual funding obligations	1,739	1,739	2,985	2,985	2,726	2,726	2,493	2,493

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मार्च 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended March 2022		दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended December 2021		सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended September 2021		जून 2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2021	
		कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
7	अन्य आकस्मिक निर्धायन दायित्व Other contingent funding obligations	1,35,437	5,844	1,32,054	5,687	1,31,815	5,673	1,69,169	7,522
8	कुल नकदी बहिर्वाह Total Cash Outflows		52,610		55,347		52,866		53,782
	नकदी अंतर्वाह Cash Inflows								
9	प्रतिभूत ऋण Secured lending	14,645	-	19,419	-	20,543	-	20,648	-
10	पूर्ण निष्पादित एक्सपोजरों से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	4,387	2,193	2,823	1,412	4,440	2,220	3,795	1,897
11	अन्य नकदी अंतर्वाह Other cash inflows	7,435	7,435	4,518	4,518	3,973	3,973	3,678	3,678
12	कुल नकदी अंतर्वाह Total Cash Inflows	26,467	9,628	26,760	5,930	28,956	6,193	28,121	5,575
13	कुल एचक्यूएलए Total HQLA		60,906		71,225		70,302		73,945
14	कुल निवल नकदी बहिर्वाह Total Net Cash Outflows		42,982		49,417		46,673		48,207
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%) Liquidity Coverage Ratio (%)		141.70%		144.13%		150.63%		153.39%

(iii) **चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के आस-पास गुणात्मक प्रकटन :**
Qualitative disclosure around Liquidity Coverage Ratio (LCR)

वर्ष 2007 में शुरू हुए वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पूंजी और चलनिधि विनियमन को मजबूती प्रदान करने के लिए सुधार के कुछ प्रस्ताव रखे थे। इस दिशा में बीसीबीएस ने जनवरी 2013 में 'बासेल III : चलनिधि कवरेज अनुपात और चलनिधि जोखिम निगरानी साधन' और जनवरी 2014 में 'चलनिधि कवरेज अनुपात प्रकटीकरण मानक' पर दिशानिर्देश प्रकाशित किए थे। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 09 जून 2014 के अपने परिपत्र के द्वारा चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशानिर्देश जारी किए थे।

In the backdrop of the global financial crisis that started in 2007, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) proposed certain reforms to strengthen global capital and liquidity regulations with the objective of promoting a more resilient banking sector. In this direction BCBS published guidelines on 'Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools' in January 2013 and the 'Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards' in January 2014. Accordingly, Reserve Bank of India, vide its circular dated June 09, 2014, issued guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR).

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

चलनिधि कवरेज अनुपात संभावित चल निधि विघटनों के प्रति बैंक की अल्पावधि आघात-सहनीयता को यह सुनिश्चित करते हुए बढ़ावा देता है कि लगातार 30 दिनों तक बनी रहने वाली विकट दबावग्रस्त स्थितियों का सामना करने के लिए उनके पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) हैं। चलनिधि कवरेज अनुपात मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त मात्रा में भारमुक्त उच्च गुणवत्ता पूर्णचलनिधि अस्तियां बनाए रखे जिसे पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट अत्यधिक गंभीर चलनिधि दबाव वाली स्थिति में 30 कैलेंडर दिवस की समयावधि हेतु अपनी चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में रूपांतरित किया जा सके।

The LCR promotes short-term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors.

चलनिधि कवरेज अनुपात की परिभाषा / Definition of LCR:

उच्च गुणवत्ता पूर्णचलनिधि आस्ति (एचक्यूएलए) स्टॉक / Stock of high quality liquid assets (HQLAs)

> = 100%

अगले 30 कैलेंडर दिनों का कुल निवल नकदी बहिर्वाह / Total net cash outflows over the next 30 calendar days

1 जनवरी 2015 से एलसीआर अपेक्षा बैंकों पर बाध्यकारी है। एलसीआर 100% बनाए रखना है

The LCR requirement is binding on banks from January 1, 2015. LCR is to be maintained at 100%.

उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) : / High Quality Liquid Assets (HQLA):

इस मानक के अंतर्गत बैंकों के लिए निर्धारित दबावग्रस्त परिदृश्य के अंतर्गत 30 दिन की अवधि के लिए कुल निवल नकदी बहिर्वाह को शामिल करने के लिए अभारग्रस्त एचक्यूएलए का स्टॉक रखना अनिवार्य है। एचक्यूएलए के रूप में पात्र होने के उद्देश्य से दबाव काल के दौरान आस्तियां बाजार में नकदी सुलभ होनी चाहिए और अधिकांश मामलों में केंद्रीय बैंक के परिचालनों में उपयोग के लिए पात्र होनी चाहिए। बैंक की एचक्यूएलए में मुख्यतः अनिवार्य अपेक्षाओं से अधिक एसएलआर निवेश, सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत उधार (एनडीटीएल का 2%) के रूप में उपलब्ध चलनिधि, चलनिधि कवरेज अनुपात (एनडीटीएल का 16%) के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं।

Under the standard, banks must hold a Stock of unencumbered HQLA to cover the total net cash outflows over 30-day period under the prescribed stress scenario. In order to qualify as HQLA, assets should be liquid in markets during times of stress and, in most cases, be eligible for use in central bank operations. The HQLA of the Bank mainly comprise of SLR investments over and above mandatory requirement, liquidity available by way of borrowing under Marginal Standing Facility (2% of NDTL), Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (16% of NDTL) & other securities as may be permitted by Reserve Bank of India from time to time.

कुल निवल नकदी बहिर्वाह : / Total net cash outflows:

कुल प्रत्याशित नकदी बहिर्वाह की गणना विभिन्न श्रेणियों की बकाया शेष राशियों या देयता के प्रकारों तथा तुलन-पत्र से बाह्य वचनबद्धताओं में उन दरों का गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके बढ़ने या घटने की आशा है। कुल प्रत्याशित नकदी अंतर्वाहों की गणना संविदागत प्राप्य राशियों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेष में उन दरों को गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके प्रवाहित होने की आशा है।

Total expected cash out flows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow.

चलनिधि प्रबंधन / Liquidity Management:

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंधन संरचना है जो एएलएम नीति में वर्णित है। बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) कारोबारी रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी एवं प्रबंधन करती है। चलनिधि विश्लेषण एवं प्रबंधन सहित एएलएम कार्यकलाप का संचालन तुलन-पत्र प्रबंधन, ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस, बजट एवं आयोजना आदि के कार्यात्मक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न आल्को सहायता समूहों के बीच समन्वय के माध्यम से किया जाता है। कारोबारी समूहों एवं वर्टिकलों द्वारा आल्को दिशा-निर्देशों तथा कार्रवाइयों का कार्यान्वयन किया जाता है।

The Bank has well organized liquidity risk management structure as enumerated in ALM Policy which is approved by the Board. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors & manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. ALM activity including liquidity analysis & management is conducted through coordination between various ALCO support groups residing in the functional areas of Balance Sheet Management, Treasury Front Office, Budget and Planning etc. ALCO directives and ALM actions are implemented by the business groups and verticals.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान आवश्यक कटौतियों को हिसाब में लेने के बाद ₹ 64,956 करोड़ का औसत एचक्यूएलए बनाए रखा. एचक्यूएलए मुख्य रूप से लेवल 1 आस्तियों द्वारा संचालित होता है और इसमें मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियां और टी-बिल शामिल हैं जो 31 मार्च 2023 को एचक्यूएलए के 90% से अधिक थीं. बैंक के पास निधियों के विविध स्रोत हैं जिसमें मुख्य रूप से जमा शामिल हैं, जिसमें शीर्ष 20 जमाकर्ताओं ने यथा 31 मार्च 2023 को कुल जमा में 8.04% योगदान दिया है.

The Bank during the quarter ended 31st March 2023, maintained average HQLA of ₹ 64,956 crore after factoring eligible haircuts. HQLA is mainly driven by Level 1 Assets and comprises mainly of Government securities and T-bills which constitute more than 90% of HQLA as on 31st March 2023. Bank has well diversified source of funds which mainly comprise of deposits, with top 20 depositors contributing 8.04% of total deposits as on 31st March 2023.

31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए औसत एलसीआर वर्तमान निर्धारित न्यूनतम 100% की अपेक्षा की तुलना में अधिक अर्थात् 135.66% था.

The average LCR for the quarter ended March 31, 2023 was at 135.66% above the present prescribed minimum requirement of 100%.

c) निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) / Net Stable Funding Ratio (NSFR)

(i) वित्तीय वर्ष 2022-23 का एनएसएफआर मात्रात्मक प्रकटन / NSFR Quantitative disclosure for FY2022-23

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to < 1 yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1 yr	
एएसएफ मद / ASF Item					
1 पूंजी: (2+3) / Capital: (2+3)	-	-	-	43,815	43,815
2 विनियामक पूंजी / Regulatory capital	-	-	-	43,513	43,513
3 अन्य पूंजी लिखत / Other capital instruments	-	-	-	302	302
4 खुदरा जमा तथा छोटे व्यावसायिक ग्राहकों से जमा (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	77,739	18,839	16,515	28,859	1,31,061
5 स्थिर जमाएं / Stable deposits	7,079	734	550	870	8,815
6 कम स्थिर जमाएं / Less stable deposits	70,660	18,105	15,965	27,989	1,22,246
7 थोक निधायन: (8+9) / Wholesale funding: (8+9)	35,175	18,666	15,547	11,893	46,587
8 परिचालनगत जमा / Operational deposits	-	-	-	-	-
9 अन्य थोक निधायन / Other wholesale funding	35,175	18,666	15,547	11,893	46,587
10 अन्य देयताएं: (11+12) / Other liabilities: (11+12)	55,000	-	-	8,554	8,554
11 एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं / NSFR derivative liabilities					
12 अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other liabilities and equity not included in the above categories	54,570	-	-	8,554	8,554
13 कुल एएसएफ (1+4+7+10) / Total ASF (1+4+7+10)					2,30,017

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारत मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
आरएसएफ मद / RSF Item					
14 कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3,634
15 परिचालन के उद्देश्य से अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमा राशियाँ Deposits held at other financial institutions for operational purposes	382	-	-	-	191
16 अर्जक ऋण व प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	-	37,405	13,340	1,42,815	1,33,291
17 लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	-	-	-	-	-
18 गैर-लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थाओं को अप्रतिभूत अर्जक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	13,128	1,650	11,078	13,872
19 गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण, जिनमें से: Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	-	17,676	9,725	59,594	62,540
20 क्रेडिट जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	15,788	9,530	11,678	20,250
21 अर्जक अवशिष्ट बंधक, जिनमें: Performing residential mortgages, of which:	-	1,044	894	55,058	39,043
22 क्रेडिट जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	950	806	43,626	29,235
23 प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में अहता नहीं हैं Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	-	5,557	1,071	17,085	17,836
24 अन्य आस्तियां : (25 से 29 की पंक्तियों का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	43,277	628	73	5,886	49,071
25 स्वर्ण सहित भौतिक क्रय-विक्रय वाली वस्तुएं Physical traded commodities, including gold	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
26 डेरिवेटिव संविदाओं के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां और सीसीपी की डिफॉल्ट निधियों में योगदान Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	-	-	-	2,419	2,056
27 एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets	-	576	-	-	147
28 पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	-	21	-	-	21
29 अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other assets not included in the above categories	43,277	30	73	3,467	46,847
30 तुलन-पत्र से इतर Off-balance sheet items	-	-	-	1,49,175	5,477
31 कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)	43,659	1,24,999	13,413	2,97,876	1,91,664
32 निवल स्थिर निधायन अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%)					120.01%

नोट: दोनों चालू वर्षों के लिए एनएसएफआर गणना के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आस्तियों और देयताओं का वर्गीकरण आरबीआई को प्रस्तुत विवरणियों के संकलन के लिए बैंक द्वारा उपयोग किए गए अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित है।

Note: classification of Assets & Liabilities under the different heads of NSFR computation for both current years is based on same estimates and assumptions as used by the bank for the compiling the returns submitted to the RBI.

(ii) वित्तीय वर्ष 2021-22 का एनएसएफआर गुणात्मक प्रकटन: / NSFR Quantitative disclosure for FY2021-22

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
एएसएफ मद / ASF Item					
1 पूंजी: (2+3) / Capital: (2+3)	-	-	-	42,417	42,417
2 विनियामक पूंजी / Regulatory capital	-	-	-	42,417	42,417
3 अन्य पूंजी लिखत / Other capital instruments	-	-	-	-	-
4 खुदरा जमा तथा छोटे व्यावसायिक ग्राहकों से जमा (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	78,124	22,749	19,101	17,627	126,052
5 स्थिर जमाएं / Stable deposits	7,505	843	596	587	9,084
6 कम स्थिर जमाएं / Less stable deposits	70,619	21,906	18,505	17,040	116,968
7 थोक निधायन: (8+9) / Wholesale funding: (8+9)	33,663	13,267	15,609	6,245	37,514
8 परिचालनगत जमा / Operational deposits	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	विवरण Particulars	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
9	अन्य थोक निधीयन / Other wholesale funding	33,663	13,267	15,609	6,245	37,514
10	अन्य देयताएं: (11+12) / Other liabilities: (11+12)	43,916	303	-	8,403	8,403
11	एनएसएफ़आर व्युत्पन्न देयताएं / NSFR derivative liabilities		-	-	-	
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other liabilities and equity not included in the above categories	43,916	303	-	8,403	8,403
13	कुल एसएएफ (1+4+7+10) / Total ASF (1+4+7+10)					214,386
आरएसएफ मद / RSF Item						
14	कुल एनएसएफ़आर उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3,627
15	परिचालन के उद्देश्य से अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशियाँ Deposits held at other financial institutions for operational purposes	763	-	-	-	382
16	अर्जक ऋण व प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	-	27,183	13,526	118,800	103,879
17	लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	-	-	-	-	-
18	गैर-लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थाओं को अप्रतिभूत अर्जक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	9,453	2,155	2,492	4,988
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा और लघु क्षेत्र के व्यवसाय ग्राहकों को ऋण, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण, जिनमें से: Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	-	13,680	8,180	55,649	48,369
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	13,266	8,095	39,409	36,296
21	अर्जक अवशिष्ट बंधक, जिनमें: Performing residential mortgages, of which:	-	1,382	1,256	46,592	36,263
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	1,163	1,070	33,391	22,821

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	विवरण Particulars	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
23	प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में अहर्ता नहीं हैं Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	-	2,668	1,935	14,067	14,259
24	अन्य आस्तियां : (25 से 29 की पंक्तियों का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	37,834	14,913	152	9,069	47,262
25	स्वर्ण सहित भौतिक क्रय-विक्रय वाली वस्तुएं Physical traded commodities, including gold	-	-	-	-	-
26	डेरिवेटिव संविदाओं के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां और सीसीपी की डिफॉल्ट निधियों में योगदान Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	-	-	-	4,449	3,782
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets	-	306	-	-	3
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	-	15	-	-	15
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other assets not included in the above categories	37,834	14,592	152	4,620	43,462
30	तुलन-पत्र से इतर मदें Off-balance sheet items	-	-	-	137,168	5,883
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)	38,597	121,419	13,677	265,037	161,032
32	निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%)					133.13%

(iii) **निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) के आस-पास गुणात्मक प्रकटन :**

Qualitative disclosure around Net Stable Funding Ratio (NSFR)

वर्ष 2007 में शुरू हुए वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पूंजी और चलनिधि विनियमन को मजबूती प्रदान करने के लिए सुधार के कुछ प्रस्ताव रखे थे। इस दिशा में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने अक्टूबर 2014 में 'बासेल III : निवल स्थिर निधीयन अनुपात और 01 जनवरी 2018 से लागू होने वाले एनएसएफआर मानक पर दिशानिर्देश प्रकाशित किए थे। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 17 मई 2018 के अपने परिपत्र के द्वारा निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए थे।

In the backdrop of the global financial crisis that started in 2007, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) proposed certain reforms to strengthen global capital and liquidity regulations with the objective of promoting a more resilient banking sector. In this direction BCBS published guidelines on 'Basel III: The Net Stable Funding Ratio' in October 2014 and the NSFR standard to be effective from January 01, 2018. Accordingly, Reserve Bank of India, vide its circular dated May 17, 2018, issued final guidelines on Net Stable Funding Ratio (NSFR).

एनएसएफआर बैंकों को अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर वित्तपोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ वित्त पोषित करने की आवश्यकता के द्वारा लंबी अवधि के क्षितिज पर लचीलापन को बढ़ावा देता है। एक स्थायी वित्तपोषण संरचना का उद्देश्य बैंक के नियमित वित्तपोषण के स्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक की तरलता की स्थिति के क्षरण की संभावना को कम करना है जिससे इसकी विफलता का जोखिम बड़ा जाएगा और संभावित रूप से व्यापक प्रणालीगत दबाव हो सकता है। एनएसएफआर अल्पकालिक थोक वित्त पोषण पर अधिक निर्भरता को सीमित करता

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

है, सभी ऑन- और ऑफ-बैलेंस शीट मदों में फंडिंग जोखिम के बेहतर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है, और फंडिंग स्थिरता को बढ़ावा देता है।

The NSFR promotes resilience over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. A sustainable funding structure is intended to reduce the probability of erosion of a bank's liquidity position due to disruptions in a bank's regular sources of funding that would increase the risk of its failure and potentially lead to broader systemic stress. The NSFR limits overreliance on short-term wholesale funding, encourages better assessment of funding risk across all on- and off- balance sheet items, and promotes funding stability.

एनएसएफआर की परिभाषा / Definition of NSFR:

उपलब्ध स्थिर निधायन (एएसएफ) / Available Stable Funding (ASF)

एनएसएफआर / NSFR = $\frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधायन (एएसएफ)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधायन (आरएसएफ)}} \geq 100\%$

आवश्यक स्थिर निधायन (आरएसएफ) / Required Stable Funding (RSF)

उपर्युक्त अनुपात निरंतर आधार पर कम से कम 100% के बराबर होना चाहिए और एनएसएफआर अनुपात बैंकों पर 1 अक्टूबर 2021 से बाध्यकारी है।

The above ratio should be equal to at least 100% on an ongoing basis and the NSFR ratio is binding on banks w. e. f October 1, 2021.

उपलब्ध स्थिर निधायन (एएसएफ) / Available Stable Funding (ASF)

एएसएफ की राशि को किसी संस्थान के फंडिंग स्रोतों की सापेक्ष स्थिरता की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें इस की देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता और विभिन्न प्रकार के फंडिंग प्रदाताओं की अपनी फंडिंग वापस लेने की प्रवृत्ति में अंतर शामिल है। एएसएफ की राशि की गणना पहले किसी संस्थान की पूंजी और देनदारियों के वहन मूल्य को आरबीआई के परिपत्र में उल्लिखित पांच श्रेणियों में से एक को निर्दिष्ट करके की जाती है। प्रत्येक श्रेणी को दी गई राशि को तब एएसएफ फैक्टर से गुणा किया जाता है और कुल एएसएफ भारत राशियों का योग है। वहन मूल्य उस राशि का प्रतिनिधित्व करती है जिस पर किसी भी नियामक कटौती, फिल्टर या अन्य समायोजन से पहले एक देयता या इक्विटी लिखत दर्ज किया जाता है।

The amount of ASF is measured, based on the broad characteristics of the relative stability of an institution's funding sources, including the contractual maturity of its liabilities and the differences in the propensity of different types of funding providers to withdraw their funding. The amount of ASF is calculated by first assigning the carrying value of an institution's capital and liabilities to one of five categories as mentioned in RBI circular. The amount assigned to each category is then multiplied by an ASF factor, and the total ASF is the sum of the weighted amounts. Carrying value represents the amount at which a liability or equity instrument is recorded before the application of any regulatory deductions, filters or other adjustments.

आवश्यक स्थिर निधायन (आरएसएफ) / Required Stable Funding (RSF)

आवश्यक स्थिर निधायन की राशि को किसी संस्थान की आस्तियों और ओबीएस एक्सपोजर की तरलता जोखिम प्रोफाइल की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है। आवश्यक स्थिर निधायन की राशि की गणना पहले किसी संस्था की आस्तियों के वहन मूल्य को आरबीआई परिपत्र में सूचीबद्ध श्रेणियों को निर्दिष्ट कर के की जाती है। प्रत्येक श्रेणी को दी गई राशि को उसके संबद्ध आवश्यक स्थिर फंडिंग (आरएसएफ) कारक से गुणा किया जाता है, और कुल आरएसएफ ओबीएस गतिविधि (या संभावित तरलता जोखिम) की मात्रा में जोड़े गए भारत राशि का योग होता है, जो इसके संबंधित आरएसएफ कारक से गुणा किया जाता है।

The amount of required stable funding is measured based on the broad characteristics of the liquidity risk profile of an institution's assets and OBS exposures. The amount of required stable funding is calculated by first assigning the carrying value of an institution's assets to the categories listed in RBI circular. The amount assigned to each category is then multiplied by its associated required stable funding (RSF) factor, and the total RSF is the sum of the weighted amounts added to the amount of OBS activity (or potential liquidity exposure) multiplied by its associated RSF factor.

चलनिधि प्रबंधन: / Liquidity Management:

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंधन संरचना है जो एएलएम नीति में वर्णित है। बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) कारोबारी रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी एवं प्रबंधन करती है। चलनिधि विश्लेषण एवं प्रबंधन सहित एएलएम कार्यकलाप का संचालन तुलन-पत्र प्रबंधन, ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस, बजट एवं आयोजना आदि के कार्यात्मक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न आल्को सहायता समूहों के बीच समन्वय के माध्यम से किया जाता है। कारोबारी समूहों एवं वर्टिकलों द्वारा आल्को दिशा-निर्देशों तथा कार्यवाहियों का कार्यान्वयन किया जाता है।

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

The Bank has well organized liquidity risk management structure as enumerated in ALM Policy which is approved by the Board. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors & manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. ALM activity including liquidity analysis & management is conducted through coordination between various ALCO support groups residing in the functional areas of Balance Sheet Management, Treasury Front Office, Budget and Planning etc. ALCO directives and ALM actions are implemented by the business groups and verticals.

बैंक ने 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार ₹ 2,30,018 करोड़ के उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) और ₹ 1,91,664 करोड़ के आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ) को बनाए रखा. उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) मुख्य रूप से कुल नियामक पूंजी और खुदरा ग्राहकों, छोटे व्यवसाय ग्राहक, गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहक और सार्वजनिक उपक्रमों से एक वर्ष से अधिक परिपक्वता के साथ की गई जमा द्वारा संचालित होती है. आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ) मुख्य रूप से एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली भार रहित सरकारी प्रतिभूतियों और आस्तियों द्वारा संचालित होती है. कटौती के बाद एचक्यूएलए (उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां) भारत आरएसएफ के 2% से कम थी, क्योंकि एचक्यूएलए को बाजार में आसानी से बेचा जा सकता है या अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग की जा सकती हैं.

Bank maintained Available Stable Funding (ASF) of ₹ 2,30,018 crore and Required Stable Funding (RSF) of ₹ 1,91,664 crore as on 31st March 2023. Available Stable Funding (ASF) is mainly driven by total regulatory capital and deposits with maturity over one year from retail customers, small business customers, non-financial corporate customers and PSUs. Required Stable Funding (RSF) is mainly driven by unencumbered government securities and assets with maturity over one year. HQLAs (High Quality Liquid Assets) after applying hair-cut constitute less than 2 % of weighted RSF, as HQLAs can be easily sold in the market or can be used as collateral for sourcing additional funds..

31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक का एनएसएफआर विनियामक सीमा 100% की तुलना में 120.01% रहा है.

The NSFR of the Bank for Quarter ending March 31, 2023 is at 120.01 % as against the regulatory limit of 100%.

3. निवेश / Investments

क) 31 मार्च 2023 को निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

a) Composition of Investment Portfolio as at March 31, 2023

	भारत में निवेश Investments in India						भारत के बाहर निवेश Investments outside India				कुल निवेश Total Investments	
	सरकारी प्रतिभूतियां * Government Securities*	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड** Debentures and Bonds**	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारणों सहित) Government Securities (Including local authorities)	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	अन्य Others		भारत के बाहर कुल निवेश Total investments outside India
परिपक्वता तक धारित / Held to Maturity												
सकल / Gross	52,670	-	2	14,920	174	-	67,766	-	-	-	-	67,766
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)# Less: Provision for Non-performing investments (NPI)#	879	-	-	-	-	-	879	-	-	-	-	879
निवल / NET	51,791	-	2	14,920	174	-	66,887	-	-	-	-	66,887
बिक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale												
सकल / Gross	19,419	-	398	5,057	134	7,043	32,051	221	-	-	221	32,272

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	भारत में निवेश Investments in India						भारत के बाहर निवेश Investments outside India				कुल निवेश Total Investments	
	सरकारी प्रतिभूतियां * Government Securities*	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड** Debentures and Bonds**	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and /or Joint Ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारणों सहित) Government Securities (Including local authorities)	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and /or Joint Ventures	अन्य Others		भारत के बाहर कुल निवेश Total investments outside India
घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	17	-	160	1,367	51	2,652	4,247	-	-	-	-	4,247
निवल / Net	19,402	-	238	3,690	83	4,391	27,804	221	-	-	221	28,025
ट्रेडिंग के लिए धारित Held for Trading												
सकल / Gross	2,330	-	5	-	-	2,443	4,778	-	-	-	-	4,778
घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for Depreciation and NPI	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0
निवल / Net	2,330	-	5	-	-	2,443	4,778	-	-	-	-	4,778
कुल निवेश Total Investments	74,419	-	405	19,977	308	9,486	1,04,595	221	-	-	221	1,04,816
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for Non Performing Investments	879	-	-	-	-	-	879	-	-	-	-	879
घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	17	-	160	1,367	51	2,652	4,247	-	-	-	-	4,247
निवल / Net	73,523	-	245	18,610	257	6,834	99,469	221	-	-	221	99,690

* एचटीएम श्रेणी के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में ₹ 879 करोड़ का एसएसएसएफ निवेश शामिल है

* Government Securities under HTM category includes SASF investment of ₹ 879 crore

एचटीएम सरकारी प्रतिभूतियों के तहत एनपीआई प्रावधान एसएसएसएफ के लिए किए गए ₹ 879 करोड़ के प्रावधान को दर्शाता है जिसका पूर्ण प्रावधान कर दिया गया है।

NPI provision under HTM Govt. securities represents provision of ₹ 879 crore for SASF been fully provided

** एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत डिबेंचरों और बांडों में भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 12,438 करोड़ के पुनर्पूजीकरण बांड शामिल हैं

** Debentures and bonds under HTM category includes recapitalisation bonds issued by GOI of ₹ 12438 crore

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

यथा 31 मार्च 2022 को निवेश पोर्टफोलियो की संरचना
Composition of Investment Portfolio as at March 31, 2022

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	भारत में निवेश Investments in India						भारत के बाहर निवेश Investments outside India				कुल निवेश Total Investments	
	सरकारी प्रतिभूतियां * Government Securities*	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities ^e	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड्स** Debentures and Bonds**	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारणों सहित) Government Securities (Including local authorities)	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	अन्य Others		भारत के बाहर कुल निवेश Total investments outside India
परिपक्वता तक धारित / Held to Maturity												
सकल / Gross	48,974	-	1	14,920	174	4	64,073	-	-	-	-	64,073
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई) [#] Less: Provision for Non-performing investments (NPI) [#]	2,634	-	-	-	-	-	2,634	-	-	-	-	2,634
निवल / NET	46,340	-	1	14,920	174	4	61,439	-	-	-	-	61,439
बिक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale												
सकल / Gross	12,037	-	1,151	5,160	334	5,555	24,237	76	-	-	76	24,313
घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	46	-	683	1,853	-	1,279	3,861	0	-	-	0	3,861
निवल / Net	11,991	-	468	3,307	334	4,276	20,376	76	-	-	76	20,452
ट्रेडिंग के लिए धारित Held for Trading												
सकल / Gross	897	-	-	-	-	200	1,097	-	-	-	-	1,097
घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for Depreciation and NPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल / Net	897	-	-	-	-	200	1,097	-	-	-	-	1,097
कुल निवेश Total Investments	61,908	-	1,152	20,080	508	5,759	89,407	76	-	-	76	89,484

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	भारत में निवेश Investments in India						भारत के बाहर निवेश Investments outside India					कुल निवेश Total Investments
	सरकारी प्रतिभूतियां * Government Securities*	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड** Debentures and Bonds**	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारणों सहित) Government Securities (Including local authorities)	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	अन्य Others	भारत के बाहर कुल निवेश Total investments outside India	
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for Non Performing Investments	2,634	-	-	-	-	-	2,634	-	-	-	-	2,634
घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	46	-	683	1,853	-	1,279	3,861	0	-	-	0	3,862
निवल / Net	59,229	-	469	18,227	508	4480	82,913	76	-	-	76	82,988

* एचटीएम श्रेणी के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में ₹ 2634 करोड़ का एसएसएसएफ निवेश शामिल है

* Government Securities under HTM category includes SASF investment of ₹ 2634 crore

एचटीएम सरकारी प्रतिभूतियों के तहत प्रावधान एसएसएसएफ के लिए किए गए ₹ 2,634 करोड़ के प्रावधान को दर्शाता है। provision under HTM govt. securities represents provision of ₹ 2,634 crore for SASF been fully provided

** एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत डिबेंचरों और बांडों में भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 12,438 करोड़ के पुनर्पूँजीकरण बांड शामिल हैं।* Debentures and bonds under HTM category includes recapitalisation bonds issued by GOI of ₹ 12,438 crore

ख) मूल्यहास और निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों में घट-बढ़
b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम संख्या Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
i	निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधान में घट-बढ़ Movement of provision held towards depreciation on investments		
क. a.	प्रारंभिक शेष Opening Balance	6,495	4,480
ख. b.	जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add: Provision made during the year	2,399	2,709
ग. c.	घटाएं : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/ पुनरांकित खाते में डालना Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year	3,768	694

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

क्रम संख्या Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
घ. d.	अंतिम शेष Closing balance	5,126	6,495
ii	निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व का संचलन Movement of Investment Fluctuation Reserve		
क. a.	प्रारंभिक शेष Opening balance	545	545
ख. b.	जोड़े : वर्ष के दौरान अंतरित राशि Add: Amount transferred during the year	196	-
ग. c.	घटाएं: गिरावट Less: Drawdown	-	-
घ. d.	अंतिम शेष Closing balance	741	545
iii	एफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष (निवल) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category (Net)	2.26%	2.53%

संबंधित रिपोर्टिंग अवधियों के अंत की स्थितियों की तुलना करके वार्षिक आधार पर प्रावधान में घट-बढ़ तैयार किया जाता है।

Movement of provision is prepared on annual basis by comparing the positions as at the respective reporting period end.

नोट: दिनांक 2 अप्रैल 2018 के आरबीआई के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 अनुसार आईएफआर उस राशि के साथ बनाया जाना है जो वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ या वर्ष के लिए निवल लाभ से अनिवार्य विनियोग घटाने के बाद की राशि, जो भी कम न हो, जब तक कि आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी और एफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2 प्रतिशत न हो।

Note: As per RBI circular DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018 IFR is to be created with an amount which is not less than lower of net profit on sale of investments during the year or net profit for the year less mandatory appropriations until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

जब तक कि आईएफआर की राशि 31 मार्च 2023 तक सकल एचएफटी और एफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2% न हो, बैंक ने आईएफआर को अंतरित कर दिया है।

Bank has transferred to IFR until the amount of IFR is at least 2% of the Gross HFT and AFS portfolio as on March 31, 2023.

ग) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से / को विक्रय व अंतरण

क) Sales and transfers to/from Held to Maturity (HTM) category

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान (और 31 मार्च 2022 को समाप्त पिछले वर्ष) एचटीएम श्रेणी से / को प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशकों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

During the year ended March 31, 2023 (and previous year ended March 31, 2022), the value of sales and transfers of securities to/from HTM category has not exceeded 5% of the book value of the investments held in HTM category at the beginning of the year.

उपरोक्त सीमा के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को बाहर रखा गया है: / For the purpose of above limit following are excluded:

लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में बैंकों को अनुमत निदेशक मंडल के अनुमोदन से किया जानेवाला एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों के एकबारीय अंतरण, पूर्व घोषित खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) नीलामियों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को की गई बिक्री, एसएलआर धारितों को कम करने के लिए एचटीएम से सीधे बिक्री, भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य विकास ऋणों की पुनर्खरीद और आरबीआई द्वारा अनुमत प्रतिभूतियों का अतिरिक्त स्थानांतरण।

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

Onetime transfer to/from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year, sale to RBI under pre-announced Open Market Operation (OMO) auctions, direct sales from HTM for bringing down SLR holdings, repurchase of government securities by GOI, repurchase of state development loans by respective state governments and additional shifting of securities permitted by RBI.

घ) गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो
d) Non- SLR Investment Portfolio

(i) अनर्जक गैर- एसएलआर निवेश / Non-performing Non-SLR investments

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22 FY 2021-22
प्रारंभिक शेष / Opening balance	1 495	1,984
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year since 1 st April	737	194
उपर्युक्त वर्ष के दौरान कमी @ Reductions during the above year @	911	683
अंतिम शेष / Closing balance	1 321	1,495
धारित कुल प्रावधान* / Total provisions held*	1 321	1,495

@ निवेश मोचन/बिक्री/ बट्टे खाते में डालना / निपटान के ₹ 707 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 104 करोड़), अपग्रेडेशन के ₹ 0 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 578 करोड़) तथा अन्य आस्तियों में हस्तांतरित निवेश के ₹ 204 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.21 करोड़) शामिल हैं।

@ Includes Investment Redemption/ Sale/ Write-off/ Settlement of ₹ 707 crore (previous year - ₹ 104 crore), Up-gradation of Nil (previous year - ₹ 578 crore) and Investment moved to other assets of ₹ 204 crore (previous year - ₹ 0.21 crore)

*कुल प्रावधान में ₹ 332 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 54 करोड़) का निर्मित विशेष प्रावधान शामिल है

*Total provision held includes special provision created of ₹ 332 crore (previous year - ₹ 54 crore)

प्रावधान में घट-बढ़ संबंधित रिपोर्टिंग अवधियों के अंत की स्थितियों की तुलना करके वार्षिक आधार पर तैयार किया जाता है।

Movement of provision is prepared on annual basis by comparing the positions as at the respective reporting period end.

(ii) गैर-एसएलआर निवेशकों की निर्गमकर्ता संरचना / Issuer composition of Non-SLR investments

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount		निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement		'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा # Extent of below investment grade securities #		'बिना- रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा § Extent of 'unrated' securities §		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
	यथा 31 मार्च को / As at March 31,	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम** PSUs**	12,572	13,083	102	102	2	-	12,472	12,467	29	29
2	वित्तीय संस्थाएं / FIs	560	365	30	19	-	-	19	19	19	19
3	बैंक / Banks	748	95	254	95	-	-	1	-	-	-
4	निजी कॉर्पोरेट Private corporates	6,830	8,115	6,414	6,749	1,555	3,054	1,248	2,883	1,941	3,439
5	सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम Subsidiaries / JV	308	508	290	490	-	-	308	508	308	508

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount		निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement		'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा # Extent of below investment grade securities #		'बिना- रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा § Extent of 'unrated' securities §		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	यथा 31 मार्च को / As at March 31,										
6	अन्य® / Others®	10,257	8,043	-	-	2,627	1,195	3,302	3,623	3,506	3,868
	सकल कुल / Gross Total	31,275	30,209	7,090	7,455	4,184	4,249	17,350	19,499	5,803	7,862
7	मूल्यहास के लिए किया गया प्रावधान Prov. held towards Depreciation	5,109	6,449	-	-	-	-	-	-	-	-
	निवल कुल / Net Total	26,166	23,759	7,090	7,455	4,184	4,249	17,350	19,499	5,803	7,862

§ इक्विटियों में निवेश को बिना रेटिंग वाली प्रतिभूतियों के रूप में माना जाता है।

§ Investment in Equities are treated as unrated securities

@ अन्य में पीटीसी, एसआर, सीपी/सीडी तथा म्यूचुअल फंड शामिल है।

@ Others include PTC, SR, CP/CD and Mutual Fund.

** गैर एसएलआर होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 12,438 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 12,438 करोड़) के पुनर्पूजीकरण बांड को पीएसयू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

** The Recapitalisation Bonds issued by GOI of ₹ 12,438 crore (previous year - ₹ 12,438 crore) being Non SLR has been classified as PSU

इक्विटी/ अधिमान्य शेयरों तथा राज्य स्तरीय बाण्डों में एनपीआई निवेश को निवेश ग्रेड से नीचे माना गया है।

NPI Investments in equity/preference shares and state level bonds have been considered as below investment grade.

- घ) रेपो लेन-देन (अंकित मूल्य के संदर्भ में)
e) Repo Transactions (in face value terms)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण / Disclosure for the year ended March 31, 2023

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया® Minimum Outstanding During The Year®	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum Outstanding During The Year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average Outstanding During The Year	यथा 31 मार्च 2023 को बकाया Outstanding as on March 31, 2023
आरबीआई रेपो, बाज़ार रेपो, कॉर्पोरेट बांड रेपो लेनदेन RBI REPO, MARKET REPO, CORPORATE BOND REPO TRANSACTION				
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities sold under Repo (Face Value)				
I. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	2,421	4,422	2,467	2,421
II. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	50	100	1	शून्य / Nil
III. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया [@] Minimum Outstanding During The Year [@]	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum Outstanding During The Year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average Outstanding During The Year	(₹ करोड़) / (₹ Crore)
यथा 31 मार्च 2023 को बकाया Outstanding as on March 31, 2023				
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities purchased under Reverse Repo (Face Value)				
I. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	5	18724	1270	शून्य / Nil
II. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	50	150	6	शून्य / Nil
III. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
टीआरडीपीएस रेपो लेनदेन TREPS REPO TRANSACTION				
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities sold under Repo (Face Value)				
I. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	350	9391	3850	शून्य / Nil
II. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
III. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities purchased under Reverse Repo (Face Value)				
I. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	206	1937	34	शून्य / Nil
II. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
III. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

@ - उपर्युक्त वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि के निर्धारण के उद्देश्य से "शून्य" शेष राशि को शामिल नहीं किया गया है।

@ - For the purpose of determination of minimum outstanding amounts during the year above "zero" balances have been excluded.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण / Disclosure for the year ended March 31, 2022

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया [@] Minimum Outstanding During The Year [@]	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum Outstanding During The Year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average Outstanding During The Year	यथा 31 मार्च 2022 को बकाया Outstanding as on March 31, 2022
आरबीआई रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under RBI Repo				
I. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	45	2,460	830	2,421
II. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
III. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
आरबीआई रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities Purchased Under RBI Reverse Repo				
I. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	5,109	29,173	18,085	13,363
II. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
III. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
टीआरडीपीएस रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under TREPS Repo				
I. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	300	8,919	3,488	शून्य / Nil
II. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
III. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
टीआरडीपीएस रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under TREPS Reverse Repo				
I. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	200	5,799	162	शून्य / Nil
II. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
III. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

@ - उपर्युक्त वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि के निर्धारण के उद्देश्य से "शून्य" शेष राशि को शामिल नहीं किया गया है।

@ - For the purpose of determination of minimum outstanding amounts during the year above "zero" balances have been excluded.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

4. आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality

क) 31 मार्च 2023 को अग्रिमों का वर्गीकरण और धारित प्रावधान

a) Classification of advances and provisions held as on March 31, 2023

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-performing			कुल अनर्जक अग्रिम (आ) Total Non- Performing Advances (B)	कुल (क+ख) Total (A+B)
	कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances (A)	अव-मानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss		
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए Gross Standard Advances & NPA						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1,35,091	1,167	10,402	22,546	34,115	1,69,206
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the year					3,750	
घटाएं : वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					26,896	
अंतिम शेष / Closing Balance	1,61,073	1,006	2,989	6,974	10,969	1,72,042
सकल एनपीए में कमी के कारण: Reductions in Gross NPAs due to:						
i) उन्नयन Up-gradation					801	
ii) वसूलियां (अपग्रेड खातों से हुई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					4169	
iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए Technical/ Prudential Write-offs					18950	
iv) उपर्युक्त (iii) को छोड़कर बट्टे खाते में डाले गए Write-offs other than those under (iii) above					2976	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)^ Provisions (excluding Floating Provisions)^						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held	3,071	207	9,498	22,546	32,251	35,322
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					3,241	
घटाएं: पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान/ बट्टे खाते डाले गये ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					26,017	

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-performing			कुल अनर्जक अग्रिम (आ) Total Non- Performing Advances (B)	कुल (क+ख) Total (A+B)
	कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances (A)	अव-मानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss		
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष Closing balance of provisions held	4,977	333	2,168	6,974	9,475	14,452
निवल एनपीए / Net NPAs						
प्रारंभिक शेष Opening Balance		960	904	0	1864	
जोड़े: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					1921	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					2290	
अंतिम शेष / Closing Balance		674	821	0	1495	1495
अस्थायी प्रावधान Floating Provisions						
प्रारंभिक शेष Opening Balance						शून्य / Nil
जोड़े: वर्ष के दौरान किये गये अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year						शून्य / Nil
घटाएँ: वर्ष के दौरान कम की गई राशि Less: Amount drawn down during the year						शून्य / Nil
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष Closing balance of floating provisions						शून्य / Nil
तकनीकी रूप से डाले गए बट्टे खाते और उनमें से की गई वसूली Technical write-offs and the recoveries made thereon						
तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						44,097
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण ढंग से बट्टे खाते डाले गए Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						18,950
घटाएँ: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले गए खातों में से हुई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						1,310@
अंतिम शेष Closing balance						61,737

@ - विनिमय अंतर (निवल) / @ - Exchange differences (net)

^ रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों में परिवर्तन के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 के निवल एनपीए की गणना में एनपीवी के लिए प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है, तदनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के आंकड़ों का पुनः वर्गीकरण किया गया है।

^ Pursuant to change in extant RBI guidelines, provision for NPV is excluded for the purpose of computation of Net NPA for FY2022-23, corresponding reclassification has also been made in the figures for FY2021-22.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

31 मार्च 2022 को अग्रिमों का वर्गीकरण और धारित प्रावधानों Classification of advances and provisions held as on March 31, 2022

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-performing			कुल अनर्जक अग्रिम (आ) Total Non- Performing Advances (B)	कुल (क+ख) Total (A+B)
	कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances (A)	अव-मानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss		
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए Gross Standard Advances & NPA						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1,25,689	1,446	21,582	13,184	36,212	1,61,901
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the year					5,866	
घटाएं : वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					7,963	
अंतिम शेष / Closing Balance	1,35,091	1,167	10,402	22,546	34,115	1,69,206
सकल एनपीए में कमी के कारण: Reductions in Gross NPAs due to:						
i) उन्नयन Up-gradation					2,295	
ii) वसूलियां (अपग्रेड खातों से हुई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					2,779	
iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए Technical/ Prudential Write-offs					1,796	
iv) उपर्युक्त (iii) को छोड़कर बट्टे खाते में डाले गए Write-offs other than those under (iii) above					1,093	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर) Provisions (excluding Floating Provisions)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held	2,998	335	20,171	13,184	33,690	36,688
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					4,345	

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-performing			कुल अनर्जक अग्रिम (आ) Total Non- Performing Advances (B)	कुल (क+ख) Total (A+B)
	कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances (A)	अव-मानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss		
घटाएं: पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान/ बट्टे खाते डाले गये ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					5,784	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष Closing balance of provisions held	3,071	207	9,498	22,546	32,251	35,322
निवल एनपीए / Net NPAs						
प्रारंभिक शेष Opening Balance		1,111	1,411	0	2,522	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					3,068	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					3,726	
अंतिम शेष / Closing Balance		960	904	0	1,864	1864
अस्थायी प्रावधान Floating Provisions						
प्रारंभिक शेष Opening Balance						Nil
जोड़ें: वर्ष के दौरान किये गये अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year						Nil
घटाएं: वर्ष के दौरान कम की गई राशि Less: Amount drawn down during the year						Nil
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष Closing balance of floating provisions						Nil
तकनीकी रूप से डाले गए बट्टे खाते और उनमें से की गई वसूली Technical write-offs and the recoveries made thereon						
तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						43,778
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण ढंग से बट्टे खाते डाले गए Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						1,796

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-performing			कुल अनर्जक अग्रिम (आ) Total Non- Performing Advances (B)	कुल (क+ख) Total (A+B)
	कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances (A)	अव-मानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss		
घटाएं: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले गए खातों से हुई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						1,477 [@]
अंतिम शेष Closing balance						44,097

@ - विनिमय अंतर (निवल)

@ - Exchange differences (net)

अनुपात Ratios	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22 FY 2021-22
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए / Gross NPA to Gross Advances	6.38%	20.16%
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए / Net NPA to Net Advances	0.92%	1.36%
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडब्ल्यूओ सहित) / Provision Coverage Ratio (including TWO)	97.94%	97.62%

ख) क्षेत्र-वार अग्रिम और सकल एनपीए

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं Sl. No	क्षेत्र@ Sector@	यथा 31 मार्च 2023 As at March 31, 2023			यथा 31 मार्च 2022 As at March 31, 2022		
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
अ A	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector						
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities	20,956	2,065	9.85%	19,880	1,922	9.67%
	कृषि और वानिकी Agriculture and Forestry	19,012	1,901	10.00%	18,721	1,721	9.19%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं Sl. No	क्षेत्र@ Sector@	यथा 31 मार्च 2023 As at March 31, 2023			यथा 31 मार्च 2022 As at March 31, 2022		
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में उधार के लिए पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	5,979	506	8.46%	6,230	708	11.36%
	विनिर्माण / Manufacturing	4,383	502	11.45%	4,271	584	13.67%
	निर्माण / Construction	1,486	68	4.58%	1,789	120	6.71%
3	सेवाएं / Services	15,155	1,450	9.57%	16,827	1,803	10.33%
	थोक और खुदरा व्यापार Wholesale and Retail Trade	9,490	876	9.23%	10,496	1,058	10.08%
	रियल एस्टेट, किराया और व्यावसायिक गतिविधियां Real Estate, Renting and Business Activities	1,565	135	8.63%	2,170	272	12.53%
4	वैयक्तिक ऋण / Personal loans	17,133	237	1.38%	17,288	236	1.36%
5	अन्य / Others	-	-	-	878	158	17.96%
	उप-कुल (अ) / Sub-total (A)	59,223	4,258	7.19%	61,103	4,827	7.90%
आ B	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector						
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities	115	0	0.00%	86	22	25.47%
	कृषि और वानिकी Agriculture and Forestry	107	0	0.00%	64	0	0.00%
	मत्स्य पालन / Fishing	0	0	0.00%	22	22	100.00%
2	उद्योग क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector	36,051	3,846	10.67%	49,398	21,878	44.29%
	विनिर्माण / Manufacturing	15,310	2,735	17.86%	18,632	6,758	36.27%
	निर्माण / Construction	123	31	25.20%	12,038	7,803	64.82%
	बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति Electricity, Gas And Water Supply	6,644	737	11.09%	10,449	805	7.70%
	खनन और उत्खनन Mining and Quarrying	2,436	0	0.00%	7,618	6,491	85.21%
3	सेवाएं / Services	6,416	484	7.54%	11,010	3,963	36.00%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं Sl. No	क्षेत्र@ Sector@	यथा 31 मार्च 2023 As at March 31, 2023			यथा 31 मार्च 2022 As at March 31, 2022		
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
	वित्तीय मध्यस्थता Financial Intermediation	383	325	84.86%	5,701	1,391	24.39%
	थोक और खुदरा व्यापार Wholesale and Retail Trade	1,915	66	3.45%	2,836	829	29.23%
	रियल एस्टेट, किराया और व्यावसायिक कार्यकलाप Real Estate, Renting and Business Activities	619	14	2.26%	1,123	847	75.46%
	परिवहन, भंडारण एवं संचार Transport, Storage & Communication	2,186	2	0.09%	788	676	85.79%
	लोक प्रशासन एवं रक्षा; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	491	0	0.00%	0	0	0.00%
	अन्य समुदाय, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं Other Community, Social & Personal Services	615	5	0.81%	390	133	34.10%
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	69,580	2,381	3.42%	39,914	537	1.35%
5	अन्य / Others	657	0	0.00%	7,695	2,888	17.30%
	उप-कुल (आ) / Sub-total (B)	1,12,819	6,711	5.95%	1,08,103	29,288	27.09%
	कुल (अ+आ) / TOTAL (A+B)	1,72,042	10,969	6.38%	1,69,206	34,115	20.16%

@ - उप-क्षेत्र जहां बकाया अग्रिम उस क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक हैं, उन्हें अलग से प्रकट किया जाता है।

@ - Sub-sectors where the outstanding advances exceed 10% of the outstanding total advances to that sector is disclosed separately.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

- ग) समुद्रपारीय आस्तियां, एनपीए और राजस्व
 c) Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
कुल आस्तियां / Total Assets	6,082	2,228
कुल एनपीए (निवल) / Total NPAs (Net)	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल राजस्व / Total Revenue	578	76

नोट: उपर्युक्त आंकड़े डीआईएफसी (यूएई) तथा गिफ्ट सिटी शाखा के हैं।

Note: The above figures are of DIFC (UAE) and GIFT City branch.

- घ) समाधान योजना और पुनर्संरचना का विवरण
 d) Particulars of resolution plan and restructuring

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 07 जून 2019 के परिपत्र सं.आरबीआई/2018-2019/203 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के अनुसार 'दवाबग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेक पूर्ण संरचना' पर प्रकटन.

Disclosure as per RBI Circular on 'Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets' Circular No: RBI/2018-2019/203DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 07, 2019,

यथा 31 मार्च 2023: / As at March 31, 2023:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. / Sr. No.	आरपी कार्यान्वयन की स्थिति / Status of RP Implementation	मामले / Cases	बकाया शेष (एफबी+एनएफबी) / O/S Balance (FB+NFB)	कुल धारित प्रावधान / Total Provision Held	विलंबित कार्यान्वयन हेतु प्रावधान (यदि कोई हो) / Provision for Delayed Implementation (if any)
1	कार्यान्वित / Implemented	15	4,406	2,188	533
2	गैर-कार्यान्वित / Non implemented	45	23,704	23,143	252
कुल / Total		60	28,110	25,331	785

यथा 31 मार्च 2022: / As at March 31, 2022:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. / Sr. No.	आरपी कार्यान्वयन की स्थिति / Status of RP Implementation	मामले / Cases	बकाया शेष (एफबी+एनएफबी) / O/S Balance (FB+NFB)	कुल धारित प्रावधान / Total Provision Held	विलंबित कार्यान्वयन हेतु प्रावधान (यदि कोई हो) / Provision for Delayed Implementation (if any)
1	कार्यान्वित / Implemented	13	4,171	1,209	181
2	गैर-कार्यान्वित / Non implemented	21	13,311	12,642	86
कुल / Total		34	17,482	13,851	267

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

- ड) रिजर्व बैंक के 18 अप्रैल 2017 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 63/ 21.04.018/ 2016-17, रिजर्व बैंक के 01 अप्रैल 2019 के परिपत्र सं. आरबीआई/ 2018-19 / 157 /डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.32 / 21.04.018/2018-19 और आरबीआई के 11 अक्टूबर 2022 के परिपत्र सं. आरबीआई/2022-23/130/डीओआर.एसीसी.आरईसी संख्या. 74/21.04.018/2022-23 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण तथा एनपीए के लिए प्रावधान में विचलन.
- e) Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs as per RBI Circular DBR.BP.BC.No.63/21.04.018/ 2016-17 dated April 18, 2017, RBI Circular No: RBI/2018-19/157 DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018-19 dated April 01, 2019 & RBI/2022-23/130 DOR.ACC.REC.No.74/21.04.018/2022-23 dated October 11, 2022

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, जहां कहीं भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिनिर्धारित अधिकतम सीमा से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त मूल्यांकित प्रावधानीकरण / अतिरिक्त सकल एनपीए अधिक हो, बैंकों को अपने वित्तीय विवरणों के लेखा नोटों में, भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक पर्यवेक्षकीय प्रक्रिया को ध्यान में रख कर, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन का खुलासा करना जरूरी होता है।

In terms of the RBI guidelines, banks are required to disclose the divergence in asset classification and provisioning consequent to RBI's annual supervisory process in their notes to accounts to the financial statements, wherever the additional provisioning assessed/ additional gross NPAs identified by RBI exceeds the threshold specified by RBI.

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटन:

Disclosure for the year ended March 31, 2023:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अभिज्ञापित विचलन रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों में वर्णित रिपोर्टिंग मानदंड को पूरा नहीं करते। Divergence identified during FY2022-23 did not meet the reporting criteria stipulated in extant RBI guidelines.

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटन:

Disclosure for the year ended March 31, 2022

		(₹ करोड़) / (₹ Crore)
Sr. No.	Particulars	Amount
1	यथा 31 मार्च 2021 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31, 2021 as reported by the Bank	36,212
2	यथा 31 मार्च 2021 को रिजर्व बैंक द्वारा आकलित सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31, 2021 as assessed by RBI	36,953
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1) / Divergence in Gross NPAs (2-1)	741
4	यथा 31 मार्च 2021 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए Net NPAs as on March 31, 2021 as reported by the Bank	2,519
5	यथा 31 मार्च 2021 को रिजर्व बैंक द्वारा आकलित निवल एनपीए Net NPAs as on March 31, 2021 as assessed by RBI	3,260
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4) / Divergence in Net NPAs (5-4)	741
7	यथा 31 मार्च 2021 को बैंक द्वारा एनपीए के लिए रिपोर्ट किए गए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2021 as reported by the Bank	33,693
8	यथा 31 मार्च 2021 को रिजर्व बैंक द्वारा आकलित एनपीए के लिए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2021 as assessed by RBI	34,445
9	प्रावधानीकरण में विचलन (8-7) / Divergence in provisioning (8-7)	752
10	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया कर पश्चात् निवल लाभ/ (हानि) Reported Net Profit/(Loss) after Tax for the year ended March 31, 2021	1,359
11	प्रावधानीकरण में विचलन को गणना में शामिल करने के बाद 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात् समायोजित (आनुमानिक) निवल लाभ/(हानि) Adjusted (notional) Net Profit/(Loss) after Tax for the year ended March 31, 2021 after taking into account the divergence in provisioning	337

टिप्पणियां : / Notes:

- (i) उपर्युक्त क्रम सं. 5 में आरबीआई द्वारा आकलित निवल एनपीए की गणना करते समय, एनपीए के प्रावधान में विचलन के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है। यदि वृद्धिशील प्रावधानों पर विचार किया गया है तो निवल एनपीए में विचलन ₹ 47 करोड़ का होगा।

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

While computing Net NPAs as assessed by RBI at Sr. No.5 above, effect of divergence in provisioning for NPAs has not been considered. If incremental provisions has been considered, divergence in Net NPAs would be of ₹ 47 crore.

- (ii) उपर्युक्त क्रम सं. 9 में उल्लिखित प्रावधान में विचलन केवल एनपीए के प्रावधानों में भिन्नता का है. इसके अतिरिक्त, मानक अग्रिमों के लिए प्रावधानों में विचलन कुल ₹ 270 करोड़ है.

Divergence in provisioning mentioned at Sr. No.9 above is only of divergence in provisions for NPAs. In addition, divergence in provisions for standard advances are aggregating to ₹ 270 crore.

- (iii) क्रम सं. 11 में समायोजित (आनुमानिक) निवल लाभ / (हानि) प्रावधानों में सभी विचलनों पर विचार करने के बाद प्राप्त हुआ है; संबंधित कर संबंधी प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है. यदि कर प्रभाव पर विचार किया जाता तो समायोजित (आनुमानिक) निवल लाभ / (हानि) ₹ 580 करोड़ का होता.

Adjusted (notional) Net Profit/ (Loss) at Sr. No.11 has been arrived after considering all the divergence in provisions; related tax impact has not been considered. Had the tax impact been considered, Adjusted (notional) Net Profit/ (Loss) would be ₹ 580 crore.

च) ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटन

f) Disclosure of Transfer of loan exposures

- (i) ऐसे ऋणों के संबंध में जिसमें चूक नहीं हुई है, और जिनको अंतरित या अर्जित किया गया है - शून्य
In respect of loans not in default that are transferred or acquired - Nil

- (ii) अंतरित या अर्जित दबावग्रस्त ऋणों के मामले में, प्रकटन निम्नानुसार है:
In the case of stressed loans transferred or acquired, the disclosure is as follows:

(अ) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अंतरित/ अर्जित एसएमए का विवरण - शून्य

(a) Details of SMA transferred/ acquired during FY 2022-23 - Nil

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अंतरित/अर्जित एसएमए का विवरण - शून्य

Details of SMA transferred/ acquired during FY 2021-22 - Nil

(ख) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अंतरित एनपीए का विवरण:

(b) Details of NPAs transferred during FY2022-23:

विवरण Particulars	एआरसी को To ARCs	अनुमत अंतरितियों को To permitted transferees	(₹ करोड़) / (₹ Crore) अन्य अंतरितियों को To other transferees
खातों की सं. / /No: of accounts	5	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अंतरित ऋणों का कुल मूल बकाया राशि Aggregate principal outstanding of loans transferred	4,428	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अंतरित (अंतरण के समय) ऋणों का निवल बही मूल्य Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	0.00	शून्य / Nil	शून्य / Nil
सकल प्रतिफल Aggregate consideration	2,054	शून्य / Nil	शून्य / Nil
पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संदर्भ में वसूल किए गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	86	शून्य / Nil	शून्य / Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण:

Details of loans acquired during the year FY 2022-23:

विवरण Particulars	आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूएसबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी से From SCBs, RRBs, UCBs, STCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	एआरसी से From ARCs
अर्जित ऋणों की कुल मूल बकाया राशि Aggregate principal outstanding of loans acquired	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल प्रतिफल प्रदत्त / Aggregate consideration paid	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अर्जित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of loans acquired	शून्य / Nil	शून्य / Nil

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अंतरित एनपीए का विवरण / ADetails of NPAs transferred during FY2021-22:

विवरण Particulars	एआरसी को To ARCs	अनुमत अंतरीतियों को To permitted transferees	अन्य अंतरीतियों को To other transferees
खातों की सं. / No: of accounts	3	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अंतरित ऋणों की कुल मूल बकाया राशि Aggregate principal outstanding of loans transferred	542	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	-	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अंतरित (अंतरण के समय) ऋणों का निवल बही मूल्य Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	-	शून्य / Nil	शून्य / Nil
सकल प्रतिफल Aggregate consideration	293	शून्य / Nil	शून्य / Nil
पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संदर्भ में वसूल किए गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	167	शून्य / Nil	शून्य / Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण / Details of loans acquired during the year FY2021-22:

विवरण Particulars	आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी से From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	एआरसी से From ARCs
अर्जित ऋणों की कुल मूल बकाया राशि Aggregate principal outstanding of loans acquired	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल प्रतिफल प्रदत्त Aggregate consideration paid	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अर्जित ऋणों की भारत औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of loans acquired	शून्य / Nil	शून्य / Nil

वित्तीय वर्ष 2023 के लिए टिप्पणियां : / Note for FY23:

- (i) बैंक ने चालू वर्ष के दौरान दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में ₹ 618 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹ 293 करोड़) का अतिरिक्त प्रावधान रिवर्स किया है।
Bank has reversed excess provisions of ₹ 618 crore (Previous Year: ₹ 293 crore) to the profit and loss account on account of sale of stressed loans during the current year.
- (ii) 31 मार्च 2023 को बैंक द्वारा धारित प्रतिभूति रसीदों (एसआर) को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समुनुदेशित वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में वितरण :
The distribution of the Security Receipts (SRs) held by bank across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on March 31, 2023:

वसूली रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही लागत Book Cost (₹ करोड़) / (₹ Crore)
आरआर1+ / RR1+	0
आरआर1 / RR1	0
आरआर2 / RR2	45
आरआर3 / RR3	0
आरआर4 / RR4	56
आरआर5 / RR5	103
रेटिंग लागू नहीं # / Rating not applicable#	2,423
कुल / Total	2,627

- आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 8 वर्ष के बाद की रेटिंग लागू नहीं है। उपर्युक्त सभी प्रतिभूति रसीदों के लिए पूरा प्रावधान किया गया है और 31 मार्च 2023 को निवल बही मूल्य शून्य है।

- As per RBI guideline post 8 years Rating is not applicable. All the above Security Receipts are fully provided and Net Book value as on March 31, 2023 is Nil.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

- छ) वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले और किए गए प्रावधान
g) Fraud Reported and Provision made during the Year

विवरण Particulars	(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी मामलों की संख्या / Number of Frauds reported	** 812	1,819
धोखाधड़ी में शामिल राशि / Amount involved in fraud	** 4,913	3,289
ऐसी धोखाधड़ियों के लिए किए गए प्रावधान की राशि Amount of provision made for such frauds	@ 4,864	@ 3,258
वर्ष की समाप्ति पर 'अन्य आरक्षित' से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil

कुल ₹ 0.28 करोड़ के 8 गैर-रिपोर्टिंग वसूलीकर्ता बैंक (एनआरसीबी) संबंधी मामले शामिल हैं जिन्हें दिनांक 1 जुलाई 2016 (3 जुलाई 2017 को अद्यतन किया गया) के आरबीआई मास्टर परिपत्र 'धोखाधड़ी-वाणिज्यिक बैंकों एवं चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर निर्देश' के अनुसार आरबीआई को रिपोर्ट नहीं किया गया है।

Includes 8 Non-Reporting Collecting Bank (NRCB) cases aggregating ₹ 0.28 crore which were not reported to RBI as per RBI Master Directions on Frauds-Classification and Reporting by commercial banks and select FIs. July 01, 2016 (Updated as on July 03, 2017).

* बैंक की सहायक कंपनी अर्थात् आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सेक्योरिटीज लिमिटेड - विलासिनी सी बी द्वारा रिपोर्ट किया गया कुल मिलाकर ₹ 0.75 करोड़ का एक मामला शामिल है जिसे दिनांक 1 जुलाई 2016 (3 जुलाई 2017 को अद्यतन किया गया) के आरबीआई मास्टर परिपत्र धोखाधड़ी-वाणिज्यिक बैंकों एवं चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर निर्देश के अनुसार एफएमआर की हार्ड कॉपी द्वारा आरबीआई को रिपोर्ट किया गया।

*Include 1 case reported by banks subsidiary i.e. IDBI Capital Markets & Securities Limited-Vilasini C B aggregating ₹ 0.75 crore which was reported to RBI through hard copy of FMR as per RBI Master Directions on Frauds-Classification and Reporting by commercial banks and select FIs. July 01, 2016 (Updated as on July 03, 2017).

@ प्रावधान की राशि वसूली को घटाकर है।

@ Amount of provision is net of recovery.

- ज) कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के अंतर्गत प्रकटन
h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19- related stress

'कोविड-19 संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचे' पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र सं. आरबीआई/2020-21/16डीओआर.सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 के अनुसार प्रकटन।

Disclosure as per RBI circular No. RBI/2020-21/16 DOR. No. BP. BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 under "Resolution Framework for COVID-19 related stress"

- झ) वित्तीय वर्ष 2022 - 23 के लिए प्रकटन
(i) Disclosure for FY 2022-23

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

31 मार्च 2023 को समाप्त छमाही के लिए प्रकटन: / Disclosure for Half Year ended March 31, 2023:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	(अ) / (A)	(आ) / (B)	(इ) / (C)	(ई) / (D)	(उ) / (E)
उधारकर्ता प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एकस्योजर - 30 सितंबर 2022 को समाप्त पिछली छमाही की स्थिति ^{1,2} Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half year ended September 30, 2022 ^{1,2}	(अ) में से ऋण की कुल राशि जो छमाही के दौरान एनपीए हो गई Of (A) aggregate amount of Debt that slipped in to NPA during the half year	(अ) में से वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि Of (A) amount written off during the year	(अ) में से छमाही के दौरान उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि ³ Of (A) amount paid by the borrower during the half year ³	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एकस्योजर - 31 मार्च 2023, को समाप्त इस वर्ष की छमाही की स्थिति ^{1,2} Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half year ended March 31, 2023 ^{1,2}
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	2,654	133	-	224	2,436
कॉरपोरेट व्यक्ति Corporate persons	283	116	-	88	146
इनमें से, एमएसएमई Of which, MSMEs	355	18	-	29	325
अन्य / Others	85	17	-	32	40
कुल / Total	3,022	266	-	344	2,622

- इसमें उधारकर्ता की अन्य सुविधाएं जिनकी पुनर्संरचना नहीं की गई है, शामिल नहीं है।
This excludes the other facilities to the borrower which have not been restructured.
- मानक खातों की निधि आधारित बकाया राशि का प्रतिनिधित्व करता है।
Represents fund based outstanding balances of standard accounts.
- उधारकर्ता के ऋण खाते में क्रेडिट का प्रतिनिधित्व करता है।
Represents credits to the loan account of the borrower.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

30 सितंबर 2022 को समाप्त छमाही के लिए प्रकटन: / Disclosure for Half Year ended September 30, 2022:

	(₹ करोड़) / (₹ Crore)				
	(अ) / (A)	(आ) / (B)	(इ) / (C)	(ई) / (D)	(उ) / (E)
उधारकर्ता प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्सपोजर - 31 मार्च 2022 को समाप्त पिछली छमाही की स्थिति ^{1,2#} Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half year ended March 31, 2022 ^{1,2#}	(अ) में से ऋण की कुल राशि जो छमाही के दौरान एनपीए हो गए Of (A) aggregate amount of Debt that slipped in to NPA during the half year	(अ) में से वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि Of (A) amount written off during the year	(अ) में से छमाही के दौरान उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि ³ Of (A) amount paid by the borrower during the half year ³	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्सपोजर - 30 सितंबर 2023, को समाप्त इस वर्ष की छमाही की स्थिति ^{1,2} Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half year ended September 30, 2023 ^{1,2}
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	2,735	65	-	166	2,654
कॉर्पोरेट व्यक्ति Corporate persons	702	387	-	87	283
इनमें से, एमएसएमई Of which, MSMEs	394	39	-	25	355
अन्य / Others	198	37	-	94	85
कुल / Total	3,635	489	-	347	3,022

इसमें सितंबर 2021 - दिसंबर 2021 में पुनर्संरचित खाते शामिल हैं।

#It includes accounts restructured during September 2021 - December 2021.

- इसमें उधारकर्ता की अन्य सुविधाएं जिनकी पुनर्संरचना नहीं की गई है, शामिल नहीं है।
This excludes the other facilities to the borrower which have not been restructured.
- मानक खातों की निधि आधारित बकाया राशि का प्रतिनिधित्व करता है।
Represents fund based outstanding balances of standard accounts.
- उधारकर्ता के ऋण खाते में क्रेडिट का प्रतिनिधित्व करता है।
Represents credits to the loan account of the borrower.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

(ii) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रकटन / Disclosure for FY 2021-22

31 मार्च 2022 को समाप्त छमाही के लिए प्रकटन: / Disclosure for Half Year ended March 31, 2022:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	(अ) / (A)	(आ) / (B)	(इ) / (C)	(ई) / (D)	(उ) / (E)
उधारकर्ता प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्सपोजर - 30 सितंबर 2021 को समाप्त पिछली छमाही की स्थिति # (अ) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half year ended September 30, 2021# (A)	(अ) में से ऋण की कुल राशि जो 31 मार्च 2022 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए हो गए (आ) Of (A) aggregate amount of Debt that slipped in to NPA during the half year ended March 31, 2022 (B)	(अ) में से छमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि (इ) Of (A) amount written off during the half year (C)	(अ) में से छमाही के दौरान उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि ## (ई) Of (A) amount paid by the borrower during the half year## (D)	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्सपोजर - 31 मार्च 2022 को समाप्त इस वर्ष की छमाही की स्थिति ### (उ) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half year ended March 31, 2022 ### (E)
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	2,836	46	-	119	2,721
कॉर्पोरेट व्यक्ति® Corporate persons®	1,026	290	-	50	702
इनमें से, एमएसएमई Of which, MSMEs	403	1	-	12	392
अन्य / Others	227	12	-	39	179
कुल / Total	4,089	348	-	208	3,602

@ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 (7) में दी गई परिभाषा के अनुसार.

@ As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

#दिनांक 6 अगस्त 2020 के कोविड -19 संबंधित दबाव के लिए आरबीआई के समाधान ढांचे के अनुसार सितंबर 2021 को समाप्त छमाही के दौरान लागू पुनर्संरचना शामिल है.

Includes restructuring implemented during the half year ended September 2021 as per the RBI Resolution Framework for COVID-19-related Stress dated August 6, 2020.

छमाही के दौरान उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि, ब्याज पूंजीकरण के कारण परिवर्धन राशि सहित उधारकर्ता के खाते में कुल परिवर्धन से घटाकर है.

Amount paid by borrower during the half year is net of addition in the borrower account including additions due to interest capitalization.

कॉलम उ में आरबीआई परिपत्र के अनुसार i) दिनांक 6 अगस्त 2020 का कोविड-19 संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचा एवं ii) दिनांक 5 मई 2021 का वैयक्तिक और लघु कारोबार के बारे में कोविड-19 संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचा-2.0 के अनुसार लागू मामले भी शामिल हैं

Column E also includes cases implemented as per RBI circular for i) Resolution Framework for COVID-19-related Stress dated August 6, 2020 & ii) Resolution Framework - 2.0 for Covid-19 related stress of Individuals and Small Businesses dated May 5, 2021.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

30 सितंबर 2021 को समाप्त छमाही के लिए प्रकटन : / Disclosure for Half Year ended September 30, 2021:

	(₹ करोड़) / (₹ Crore)				
	(अ) / (A)	(आ) / (B)	(इ) / (C)	(ई) / (D)	(उ) / (E)
उधारकर्ता प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्सपोजर - 31 मार्च 2021 को समाप्त पिछली छमाही की स्थिति # Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half year ended March 31, 2021#	(अ) में से ऋण की कुल राशि छमाही के दौरान एनपीए हो गए Of (A) aggregate amount of Debt that slipped in to NPA during the half year	(अ) में से छमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि Of (A) amount written off during the half year	(अ) में से छमाही के दौरान उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि ## Of (A) amount paid by the borrower during the half year	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्सपोजर - 31 मार्च 2022 को समाप्त इस वर्ष की छमाही की स्थिति ### Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half year ended March 31, 2022 ##
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	734	8	0	14	2,389
कॉर्पोरेट व्यक्ति Corporate persons	1,502	0	0	1	3,224
इनमें से, एमएसएमई Of which, MSMEs	0	0	0	0	34
अन्य / Others	0	0	0	0	214
कुल / Total	2,236	8	0	15	5,827

दिनांक 6 अगस्त 2020 के कोविड -19 संबंधित दबाव के लिए आरबीआई के समाधान ढांचे के अनुसार जून 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान लागू पुनर्संरचना शामिल है।

includes restructuring implemented during the quarter ended June 2021 as per the RBI Resolution Framework for COVID-19-related Stress dated August 6, 2020.

कॉलम उ में आरबीआई परिपत्र के अनुसार i) दिनांक 6 अगस्त 2020 का कोविड-19 संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचा एवं ii) दिनांक 5 मई 2021 का वैयक्तिक और लघु कारोबार के बारे में कोविड-19 संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचा-2.0 के अनुसार लागू मामले भी शामिल हैं

Column E also includes cases implemented as per RBI circular for i) Resolution Framework for COVID-19-related Stress dated August 6, 2020 & ii) Resolution Framework – 2.0 for Covid-19 related stress of Individuals and Small Businesses dated May 5, 2021

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

5. एक्सपोजर / Exposures

- (अ) स्थावर संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर
(a) Exposure to Real Estate Sector

		(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
श्रेणी Category	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022	
1. प्रत्यक्ष ऋण सहायता / Direct exposure	69,635	61,883	
(क) आवासीय बंधक - (a) Residential Mortgages -	68,876	60,365	
आवासीय संपत्ति, जो उधारकर्ता के कब्जे में है/होगी या किराये पर दी गई है, पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत ऋण Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	68,876	60,365	
इनमें से ऐसे व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाने के पात्र हैं. Of above individual having housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	16,341	16,442	
(ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र - (b) Commercial Real Estate -	759	1,518	
वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण Lending secured by mortgages on commercial real estates	184	833	
उपर्युक्त में से गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं Of above non-fund based (NFB) limits	297	449	
(ग) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण सहायता - (c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures -	0	0	
क. आवासीय, a. Residential,	0	0	
ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र b. Commercial Real Estate	0	0	
2. अप्रत्यक्ष ऋण सहायता / Indirect Exposure	5,323	2,846	
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण सहायता Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	5,314	2,831	
उपर्युक्त में से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर गैर-निधि आधारित ऋण सहायता Of the above Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	0	0	
कोई अन्य-अप्रत्यक्ष एक्सपोजर / Any other - Indirect Exposure	9	15	
कुल / Total	74,958	64,729	

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

(ख) पूंजी बाजार में एक्सपोजर
(b) Exposure to Capital Market

		(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
क्र. सं. विवरण Sr. No. Particulars	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2021 March 31, 2022	
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ऐसे इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में सीधे निवेश, जिनकी मूल निधि को केवल कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जाता है; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	203	400	
(ii) शेयरों (आईपीओ/ ईसॉप सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/ बॉण्डों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या अप्रतिभूत आधार पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	220	251	
(iii) अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जिनमें शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	-	-	
(iv) अन्य किसी उद्देश्य के लिए अग्रिम, जो शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हैं अर्थात् जिनमें शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों / परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा अन्य प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरा कवर नहीं करती है; Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	-	-	
(v) स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां; Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	509	50	

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

		(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
क्र. सं. विवरण Sr. No. Particulars	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022	
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर अथवा अप्रतिभूत आधार पर कॉरपोरेट को मंजूर ऋण; Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters contribution to the equity of new companies in anticipation of rising resources;	-	-	
(vii) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/ निर्गम पर कंपनियों को पूरक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	-	-	
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनितों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा की गई हामीदारी वचनबद्धताएं; Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures of units of equity oriented mutual fund;	-	-	
(ix) स्टॉक ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण; Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-	
(x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत, दोनों) में सभी एक्सपोजर. All Exposures to venture capital funds (both registered and unregistered)	26	74	
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर Total Exposure to Capital Market	958	775	

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

पूंजी बाजार एक्सपोजर स्थिति पर विनियामकीय सीमा / पाबंदी से छूट प्राप्त ऋणों की इक्विटी में संपरिवर्तन के कारण इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण का प्रकटन

Disclosure of Acquisitions of Equity Shares due to conversion from Debt to Equity exempted from Regulatory Ceilings/Restrictions on Capital Market Exposure Position

पुनर्संरचना प्रकार Types of Restructuring		पुनर्संरचना के अधीन (सीडीआर तंत्र) Under Restructuring (CDR Mechanism)
यथा 31 मार्च 2023 तक पुनर्संरचित किए गए खाते Restructured Accounts as on March 31, 2023	उधारकर्ताओं की संख्या / Number of Borrowers	29
	बकाया राशि (₹ करोड़ में) Amount Outstanding (₹ Crore)	59
यथा 31 मार्च 2022 तक पुनर्संरचित किए गए खाते Restructured Accounts as on March 31, 2022	उधारकर्ताओं की संख्या / Number of Borrowers	30
	बकाया राशि (₹ करोड़ में) Amount Outstanding (₹ Crore)	34

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

(ग) जोखिम श्रेणी-वार देश में एक्सपोजर
(c) Risk Category Wise Country Exposure

जोखिम श्रेणी Risk Category	(₹ करोड़) / (₹ Crore)			
	31 मार्च 2023 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2023	31 मार्च 2023 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2023	31 मार्च 2022 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2022	31 मार्च 2022 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2022
नगण्य / Insignificant	1,296	-	2,657	-
निम्न जोखिम / Low Risk	2,531	-	2,081	-
मध्यम निम्न जोखिम/ Moderately Low Risk	-	-	-	-
मध्यम जोखिम Moderate Risk	-	-	8	-
मध्यम उच्च जोखिम Moderately High Risk	-	-	-	-
उच्च जोखिम / High Risk	-	-	-	-
अति उच्च जोखिम Very High Risk	-	-	-	-
कुल / Total	3,827	-	4,746	-

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को किसी भी देश में बैंक का निवल निधि आधारित एक्सपोजर बैंक की कुल आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है।
Bank's net fund based exposure to any of the countries is not more than 1% of total assets of the bank as on March 31, 2023 and as on March 31, 2022.

(घ) अप्रतिभूत अग्रिम
(d) Unsecured Advances

विवरण Particulars	(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total unsecured advances of the bank	16,011	10,782
उपर्युक्त में से, अग्रिमों की कुल राशियां जिनके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	0	0
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य Estimated value of such intangible securities	0	0

(ङ) फैक्ट्रिंग एक्सपोजर
(e) Factoring Exposures:

दिनांक 31 मार्च 2023 को व्यापार प्राप्य डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीएस) की बकाया राशि ₹ 1,344 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 855 करोड़)
Trade Receivable Discounting System (TReDS) outstanding of ₹ 1,344 crore as at March 31, 2023 (previous year of ₹ 855 crore).

(च) अंतर-समूह एक्सपोजर

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

(f) Intra-Group Exposures

विवरण Particulars	(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
(क) अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि/ (a) Total amount of intra-group exposures	2,905	3,055
(ख) शीर्ष 20 अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि [@] (b) Total amount of top-20 intra-group exposures [@]	2,905	3,055
(ग) ऋणदाताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के प्रति अंतर समूह एक्सपोजर का प्रतिशत ^{@@} (c) Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrowers/ customers ^{@@}	0.93%	1.05%
(घ) अंतर-समूह एक्सपोजर पर सीमा उल्लंघन का वर्णन और इस पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो। (d) Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	शून्य / Nil	शून्य / Nil

@ आईडीबीआई बैंक की कुल 09 समूह संस्थाएं हैं जिनमें आईडीबीआई बैंक की इक्विटी शेयर धारिता 20% से अधिक है।

@ - Total Group entities of IDBI Bank are 09 where Bank is holding more than 20% equity shareholding.

@@ बैंक का कुल प्रतिबद्ध एक्सपोजर ₹ 3,12,457 करोड़ है (पिछले वर्ष: ₹ 2,89,754 करोड़)।

@@ - Total committed exposure of Bank is ₹ 3,12,457 crore (Previous Year: ₹ 2,89,754 crore).

(छ) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

(g) Unhedged Foreign Currency Exposure

बैंक, जैसा कि इसकी क्रेडिट नीति में वर्णित है, अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी करता है तथा अपने ग्राहकों को विनिमय दर में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से होने वाली हानि को कम करने के उद्देश्य से उनके विदेशी मुद्रा को रक्षित करने के लिए सूचित करता है। बैंक अपने ग्राहकों से अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में आंतरिक विकसित प्रणाली पर आधारित सूचना आवधिक आधार पर प्राप्त करता है तथा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से होने वाले संभावित हानि की गणना के लिए कार्य-प्रणाली का अनुसरण करता है। इस एक्सपोजर के प्रति 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए के लिए प्रावधानीकरण ₹ 8 करोड़ (पिछले वर्ष: शून्य) रहा। इसके जोखिम के प्रति धारित पूंजी 31 मार्च 2023 को ₹ 40 करोड़ (पिछले वर्ष 31 मार्च 2022 को ₹ 69 करोड़) रही।

The Bank, as detailed in its Credit Policy, monitors the Unhedged Foreign Currency Exposure of its borrower and pursues its clients to hedge their forex exposure to minimize the losses due to adverse exchange rate fluctuation. Bank obtains information on Un-hedged Foreign Currency Exposure from its customers on a periodic basis and maintains the same in an internally developed system and follows the methodology for computation of likely loss on account of exchange rate movement. The incremental provisioning for the year ending March 31, 2023 towards this exposure is ₹ 8 crore. (Previous year: 'Nil'). The capital held towards the risk stood at ₹ 40 crore as on March 31, 2023 (Previous Year - ₹ 69 crore as on March 31, 2022).

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

(क) जमाराशियों का संकेंद्रण

(a) Concentration of Deposits

	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
बैंक की कुल जमाराशियां Total Deposits of the Bank	2,55,499	2,33,134
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of the twenty largest depositors	20,540	16,753
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	8.04%	7.19%

(ख) अग्रिमों का संकेंद्रण

(b) Concentration of Advances

	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
कुल अग्रिम Total Advances	2,93,619	2,71,983
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers	43,897	47,046
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	14.95%	17.30%

नोट: अग्रिमों की गणना क्रेडिट एक्सपोजर के आधार पर की जाती है, अर्थात् डेरिवेटिव एक्सपोजर सहित वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित सीमाएं जहां लागू हों। स्वीकृत सीमाएं या बकाया, जो भी अधिक हों, की गणना की जाएगी। तथापि, पूरी तरह से आहरित मियादी ऋणों के मामले में, जहां स्वीकृत सीमा के किसी भी भाग को पुनः आहरण की कोई गुंजाइश न हो, बकाया की क्रेडिट एक्सपोजर के रूप में गणना की जाती है।

Note: Advances are computed based on credit exposure i.e. funded and non-funded limits including derivative exposures where applicable. The sanctioned limits or outstanding, whichever are higher shall be reckoned. However, in the case of fully drawn term loans, where there is no scope for re-drawal of any portion of the sanctioned limit, the outstanding is reckoned as the credit exposure.

(ग) एक्सपोजर का संकेंद्रण

(c) Concentration of Exposures

	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
कुल एक्सपोजर Total Exposure	3,12,457	2,89,754
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर Total Exposure of twenty largest borrowers/customers	44,968	47,678
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	14.39%	16.45%

नोट: 1 जुलाई 2015 के एक्सपोजर मानदंडों पर आरबीआई परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/70 डीबीआर.नं.डीआईआर.बीसी.12/13.03.00/2015-16 के आधार पर

Note: Based on RBI Circular No. RBI/2015-16/70 DBR.No.Dir.BC.12/13.03.00/2015-16 on Exposure Norms dated July 1, 2015.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

- (घ) एनपीए का संकेंद्रण
(d) Concentration of NPAs

विवरण Particulars	(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
बीस शीर्ष एनपीए खातों को कुल एक्सपोजर Total Exposure to top twenty NPA accounts	4,576	20,505
कुल सकल एनपीए को बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर के एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	41.71%	60.10%

7. डेरिवेटिव / Derivatives

- (क) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप
(a) Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	(₹ करोड़) / (₹ Crore)			
		यथा 31 मार्च 2023 As at March 31, 2023		यथा 31 मार्च 2022 As at March 31, 2022	
		हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps	हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps
(i)	स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन® The notional principal of swap agreements®	शून्य / Nil	7,073	शून्य / Nil	9,662
(ii)	करारों के अंतर्गत यदि काउंटर पार्टी अपने दायित्व के निर्वहन में असफल होती हैं तो उसके कारण होनेवाली हानियां Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	शून्य / Nil	28	शून्य / Nil	38
(iii)	स्वैप निष्पादित करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति Collateral required by the Bank upon entering into swaps	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(iv)	स्वैप से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	शून्य / Nil	नीचे (i) देखें Refer (i) Below	शून्य / Nil	नीचे (ii) देखें Refer (ii) Below
(v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य The fair value of the swap book	शून्य / Nil	(3)	शून्य / Nil	(5)

@ इसमें विदेशी शाखा के आंकड़े भी शामिल हैं / @ The figures include overseas branch also.

- (i) 31 मार्च 2023 को 5 शीर्ष कॉर्पोरेट ग्राहकों के ऋण जोखिम का संकेंद्रण (बैंक का वर्तमान ऋण एक्सपोजर) बैंक के कॉर्पोरेट ग्राहकों से कुल वर्तमान ऋण एक्सपोजर का 100% ₹ 12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3 करोड़) है।
Concentration of credit risk (Current exposure to the Bank) to top 5 corporate clients as at March 31, 2023 is at 100% of the total current exposure ₹ 12 crore (previous year ₹ 3 crore) from Corporate Clients to the Bank.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

- (ii) यथा 31 मार्च 2023 को स्वैप का स्वरूप और इसकी शर्तें निम्नानुसार हैं:
The nature and terms of the Swaps on March 31, 2023 are set out below:

स्वरूप Nature	संख्या Nos.	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़ में) Notional Principal (₹ Crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग Trading	112	3,548	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	116	3,525	मबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	मिफोर MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	मिफोर MIFOR	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Pay v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	सीआईआरएस CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	सीआईआरएस CIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Pay v/s Fixed Receivable

- (iii) यथा 31 मार्च 2022 को स्वैप का स्वरूप और शर्तें निम्नानुसार हैं:
The nature and terms of the Swaps as on March 31, 2022 are set out below:

स्वरूप Nature	संख्या Nos.	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़) Notional Principal (₹ Crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग Trading	103	2,813	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	110	3,026	मबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	मिफोर MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	मिफोर MIFOR	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	2	1,911	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	2	1,911	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	सीआईआरएस CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	सीआईआरएस CIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

- (iv) पीवी01 के संदर्भ में ओआईएस पोर्टफोलियो की निवल खुली स्थिति ₹ 0.0028 करोड़ (नियत प्राप्त) ऋणात्मक है, जिसका आशय है कि रुपया ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप (आईएनआर ओआईएस) वक्र में एक आधार बिन्दु वृद्धि के लिए ₹ 0.0028 करोड़ का संभावित नुकसान है. बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम सीमाओं के संदर्भ में सभी खुली स्थितियों की दैनिक आधार पर निगरानी और प्रबंधन किया जाता है. कृपया स्वैप के लेखांकन व्यवहार के संबंध में अनुसूची 17 लेखा नीति देखें.

Net open position of OIS portfolio in terms of PV01 is at negative ₹ 0.0028 crore (receive fixed) implying a potential loss of ₹ 0.0028 crore for one basis point increase in the Rupee Overnight Indexed Swap (INR OIS) curve. All the open positions are monitored and managed on a daily basis in terms of risk limits approved by the Board. Please refer Schedule 17 Accounting Policy regarding accounting treatment of swaps.

(ख) एक्सचेंज में क्रय-विक्रय वाले ब्याज पर डेरिवेटिव

(b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

		(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
(i) वर्ष के दौरान एक्सचेंज में ट्रेड किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलधन राशि Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year			
क) a)	मुद्रा फ्यूचर Currency Futures	22,268	4,161
ख) b)	ब्याज दर फ्यूचर Interest Rate Future	150	289
ग) c)	विकल्प Options	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(ii) एक्सचेंज में ट्रेड किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलधन राशि Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding			
क) a)	मुद्रा फ्यूचर Currency Futures	2,722	शून्य / Nil
ख) b)	ब्याज दर फ्यूचर Interest Rate Future	शून्य / Nil	शून्य / Nil
ग) c)	विकल्प Options	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(iii) एक्सचेंज में ट्रेड किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव तथा जो "उच्च प्रभावी" नहीं हैं, की आनुमानिक मूलधन राशि/ Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"			
क) a)	मुद्रा फ्यूचर Currency Futures	शून्य / Nil	शून्य / Nil
ख) b)	ब्याज दर फ्यूचर Interest Rate Future	शून्य / Nil	शून्य / Nil
ग) c)	विकल्प Options	शून्य / Nil	शून्य / Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. विवरण Sr. No. Particulars	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
(iv) एक्सचेंज में ट्रेड किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव तथा जो अत्यधिक 'उच्च प्रभावी' नहीं हैं, का मार्क-टू-मार्केट मूल्य Mark-to market value of exchange traded interest derivatives outstanding and not "highly effective"		
क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	शून्य / Nil	शून्य / Nil
ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	शून्य / Nil	शून्य / Nil
ग) विकल्प c) Options	शून्य / Nil	शून्य / Nil

(ग) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन

(c) Disclosures on risk exposure in derivatives

(i) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन/ Disclosures on risk exposure in derivatives

(i) गुणात्मक प्रकटन / Qualitative disclosures

(क) डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जोखिम के प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन

(a) The structure and organization for management of risk in derivatives trading,

बैंक हेजिंग के साथ ही साथ, ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए डेरिवेटिव का इस्तेमाल करता है। ऐसे डेरिवेटिव के इस्तेमाल से विभिन्न जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम, विधिक जोखिम आदि बढ़ जाते हैं। बैंक के पास इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा है जिसमें जोखिम नीति, जोखिम प्रबंधन संगठन, जोखिम आकलन और निगरानी प्रक्रिया, सीमा संरचना तथा प्रणालीगत बुनियादी संरचना शामिल हैं। बैंक में एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग है जिसके प्रमुख मुख्य जोखिम अधिकारी हैं।

The Bank uses derivatives for Hedging as well as for Trading purposes. The use of such derivatives gives rise to various risks like credit risk, market risk, operational risk, legal risk etc. The Bank has a well-defined structure to manage these risks, consisting of risk policy, risk management organization, risk measurement and monitoring process, limit structure and system infrastructure. The Bank has an independent Risk Management Department, headed by Chief Risk Officer.

(ख) जोखिम आकलन, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणाली का कार्यक्षेत्र और स्वरूप

b) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems

जोखिम प्रबंधन ग्रुप, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट नीतियों, प्रक्रियाओं, मानदंडों और सीमाओं तथा लागू विनायमक दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम आदि के आकलन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए कार्यात्मक रूप से जिम्मेदार है। अस्तित्व देयता प्रबंध समिति के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत जोखिम का प्रबंध किया जाता है और इसकी रिपोर्टिंग बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति और बोर्ड को नियमित रूप से की जाती है।

The Risk Management Group is functionally responsible for measurement, monitoring and reporting of risks like credit risk, market risk, operational risk etc. in accordance with the policies, processes, parameters and limits defined by the Board as well as the applicable regulatory guidelines. Risk is managed under the overall supervision of Asset Liability Management Committee with periodic reporting to Risk Management Committee of the Board as well as to the Board.

(ग) हेजिंग/शमन की निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी के लिए हेजिंग और /या जोखिम को कम करने और रणनीतियों और प्रक्रियाओं के लिए नीतियाँ।

(c) Policies for hedging and / or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन तथा विधिक जोखिम पर नियंत्रण करने के लिए संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही अर्थों में डेरिवेटिव लेन-देनों में ऋण जोखिम का आकलन/मूल्यांकन किया जाता है। डेरिवेटिव लेन-देन करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहक/दूसरे पक्ष को ऋण समतुल्य जोखिम (एलईआर) के अर्थ में आकलित ऋण जोखिम, अनुमोदित सीमा के भीतर हो तथा ग्राहक/दूसरे पक्ष को लेन-देन की आवश्यक समझ हो। बाजार जोखिम का आकलन और प्रबंध स्थितियों, समय-सीमा अथवा अवधि, बाजार दरों के प्रति संवेदनशीलता, अंतराल, ग्रीक्स, हानि-रोध आदि उपायों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। भौतिक रूप से निपटाए गए विदेशी मुद्रा अनुबंधों का भुगतान बनाम भुगतान के आधार पर निपटान किया जाता है ताकि विफल ट्रेडों के परिणामस्वरूप होने वाले मूल जोखिम को कम किया जा सके। जहां भी लागू हो, बैंक क्लोज-आउट नेटिंग समझौतों, मार्जिन के आदान-प्रदान, सांपार्श्विक आदि के प्रभावी उपयोग से प्रतिस्थापन लागत को कम करता है। पर्याप्त प्रणालीगत बुनियादी संरचना और नियंत्रण प्रणाली को व्यवस्थित रखकर परिचालनगत जोखिमों का समाधान किया जाता है। आवश्यक विधिक करारों के निष्पादन और दस्तावेजीकरण के जरिये विधिक जोखिमों का ध्यान रखा जाता है।

Risk exposures in derivatives transactions are measured/ assessed, in both quantitative and qualitative terms, to capture credit risk, market risk and operational & legal risk. Prior to the execution of derivative transaction, it is ensured that credit risk exposure to the client/counterparty, measured in terms of Loan Equivalent Risk (LER), is within the approved limit and the client/counterparty has the necessary understanding of the transaction. Market risk exposure is measured and managed in terms of positions, duration or tenor, sensitivities to market rates, gaps, greeks, stop loss etc. Physically-settled foreign exchange contracts are settled on payment versus payment (PvP) basis so as to mitigate principal risk resulting from failed trades. The Bank mitigates replacement cost risk by effective use of close-out netting agreements, exchange of margin, collaterals etc, wherever applicable. Operational risks are addressed by having adequate system infrastructure and control mechanism in place. Legal risks are taken care of by execution of necessary legal agreements and documentation.

- (घ) हेज और नॉन-हेज लेनदेन, आय की पहचान, प्रीमियम और छूट, बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन, प्रावधान, सांपार्श्विक और ऋण जोखिम न्यूनीकरण संबंधी रिकार्डिंग के लिए लेखांकन नीति।
- (द) Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation.

डेरिवेटिव के लिए लेखांकन नीति रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसके विवरण अनुसूची सं. 17 'बैंक की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों' में दिये गए हैं।

The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, the details of which are contained in Schedule No.17 "Significant Accounting Policies of the Bank".

(ii) मात्रात्मक प्रकटन / Quantitative disclosures

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. / Sl. No	विवरण / Particulars	31 मार्च 2023 / March 31, 2023		31 मार्च 2022 / March 31, 2022	
		मुद्रा डेरिवेटिव / Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव / Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव / Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव / Interest Rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूलधन राशि) / Derivatives (Notional Principal Amt.)				
	क) हेजिंग के लिए / a) For hedging	12	शून्य / Nil	17	शून्य / Nil
	ख) ट्रेडिंग के लिए / b) For trading	791	7,073	2,312	9,662
(ii)	मार्केट-टू-मार्केट पोजीशन / Marked to Market Positions				
	क) आस्तियां (+) / a) Asset(+)	125	28	331	38
	ख) देयताएं (-) / b) Liability (-)	(122)	(31)	(328)	(43)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sl. No	विवरण Particulars	31 मार्च 2023 March 31, 2023		31 मार्च 2022 March 31, 2022	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(iii)	ऋण जोखिम / Credit Exposure				
क) a)	हेजिंग डेरिवेटिव पर On hedging derivatives	5	शून्य / Nil	5	शून्य / Nil
ख) b)	ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर On trading derivatives	157	85	441	101
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
क) a)	हेजिंग डेरिवेटिव पर on hedging derivatives	0.07	शून्य / Nil	0.17	शून्य / Nil
ख) b)	ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर on trading derivatives	शून्य / Nil	0.28	0.00	3
(v)	वर्ष के दौरान पाये गये 100*पीवी01 के अधिकतम एवं न्यूनतम@ Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year @				
क) a)	हेजिंग पर on hedging				
	- अधिकतम / Maximum	0.16	शून्य / Nil	0.33	शून्य / Nil
	- न्यूनतम / Minimum	0.07	शून्य / Nil	0.17	शून्य / Nil
ख) b)	ट्रेडिंग पर on trading				
	- अधिकतम / Maximum	0.0011	5	शून्य / Nil	4
	- न्यूनतम / Minimum	शून्य / Nil	0.06	0.0007	0.0233

@ चूंकि संव्यवहार आस्ति-देयता पोर्टफोलियो में ब्याज दर और मुद्रा विनिमय दर से जुड़े जोखिमों से बचाव व्यवस्था के लिए किए जाते हैं, अतः बैंक अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01 की गणना दैनिक आधार पर नहीं करता है।

@ Since the transaction are undertaken to hedge the interest rate and currency risks in the asset-liability portfolio, the bank is not calculating the maximum and minimum of 100*PV01 on daily basis.

- (घ) ऋण चूक स्वैप
(d) Credit Default Swaps

चालू और पिछले वर्षों के दौरान बैंक ने कोई सीडीएस लेनदेन नहीं किया है।

During the current and the previous years, the Bank did not enter into any CDS transactions.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

8. प्रतिभूतीकरण / Securitisation

		(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
क्रम सं. विवरण Sr. No. Particulars	31 मार्च 2023 As on March 31, 2023	31 मार्च 2022 As on March 31, 2022	
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहाँ केवल बकाया प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी की रिपोर्टिंग की गई है) No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	शून्य / Nil	शून्य / Nil
2.	एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	शून्य / Nil	शून्य / Nil
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमआरआर के अनुपालन के संबंध में प्रवर्तक द्वारा धारित कुल एक्सपोजर राशि Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	शून्य / Nil	शून्य / Nil
क)	तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर	-	-
a)	Off-balance sheet exposures		
•	प्रथम हानि / First loss		
•	अन्य / Others		
ख)	तुलन पत्र संबंधी एक्सपोजर	-	-
b)	On-balance sheet exposures		
•	प्रथम हानि / First loss		
•	अन्य / Others		
4.	एमआरआर से इतर प्रतिभूति लेनदेन में एक्सपोजर राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	शून्य / Nil	शून्य / Nil
क)	तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर	-	-
a)	Off-balance sheet exposures		
i)	अपने प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर Exposure to own securitisations		
•	प्रथम हानि / First loss		
•	अन्य / Others		
ii)	अन्य पक्ष प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर Exposure to third party securitisations		
•	प्रथम हानि / First loss		
•	अन्य / Others		

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

		(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
क्रम सं. विवरण Sr. No. Particulars	31 मार्च 2023 As on March 31, 2023	31 मार्च 2022 As on March 31, 2022	
ख) तुलन पत्र संबंधी एक्सपोजर b) On-balance sheet exposures	-	-	
i) अपने प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर Exposure to own securitisations			
• प्रथम हानि / First loss			
• अन्य / Others			
ii) अन्य पक्ष प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर Exposure to third party securitisations			
• प्रथम हानि / First loss			
• अन्य / Others			
5. प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतीकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	शून्य / Nil	शून्य / Nil	
6. तरलता सहायता, प्रतिभूतीकरण के बाद आस्ति सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रारूप और मात्रा (बकाया मूल्य) Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	शून्य / Nil	शून्य / Nil	
7. प्रदान की गई सुविधा का कार्यनिष्पादन. कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि. प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें/ Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided.	शून्य / Nil	शून्य / Nil	
(क) भुगतान की गई राशि (a) Amount paid	-	-	
(ख) प्राप्त चुकौती (b) Repayment received	-	-	
(ग) बकाया राशि / (c) Outstanding amount	-	-	
8. अतीत में देखे गए पोर्टफोलियो की औसत चूक दर. कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग - अलग विवरण प्रदान करें. Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc.	शून्य / Nil	शून्य / Nil	

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

		(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
क्रम सं. विवरण Sr. No. Particulars	31 मार्च 2023 As on March 31, 2023	31 मार्च 2022 As on March 31, 2022	
9.	एक ही अंतर्निहित आस्ति पर दिये गए अतिरिक्त/टॉप-अप ऋण की राशि और संख्या. कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग-अलग विवरण प्रदान करें Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
10.	निवेशकों की शिकायतें / Investor complaints (क) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (a) Directly/Indirectly received and; (ख) बकाया शिकायतें (b) Complaints outstanding	शून्य / Nil	शून्य / Nil

9. प्रायोजित तुलन-पत्र बाह्य एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना है)

Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

31 मार्च 2023 March 31, 2023		31 मार्च 2022 March 31, 2022	
देशी / Domestic	विदेशी / Overseas	देशी / Domestic	विदेशी / Overseas
शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

10. जमाकर्ता शैक्षिक एवं जागरूकता निधि में अंतरण (डीईए निधि)

Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

		(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
क्रम सं. विवरण Sr. No. Particulars	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022	
i)	डीईए निधि में अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	259	208
ii)	जोड़े : वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEA Fund during the year	154	54
iii)	घटाएँ : दावे के लिए डीईए निधि से प्रतिपूर्ति की राशि Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	(10)	(3)
iv)	डीईए निधि को अंतरित अंतिम शेष राशि Closing Balance of amounts transferred to DEA Fund	403	259

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

11. शिकायतों का प्रकटन / Disclosure of Complaints

क) ग्राहकों से और बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों (ओबीओ) से बैंक को प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी:

a) Summary information on complaints received by the Bank from customers and from the Offices of Banking Ombudsman (OBOs)

क्रमसं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
बैंक को अपनी ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें Complaints received by the Bank from its customers			
1	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	286	890
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	42,662	71,674
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या Number of complaints disposed during the year	42,771	72,278
3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	569	685
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	177	286
ओबीओ से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें Maintainable complaints received by the Bank from OBOs			
5	ओबीओ से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the Bank from OBOs	2,123	1,920
5.1	5 में से, ओबीओ द्वारा बैंक के पक्ष में समाधान की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by OBOs	1,332	1,786
5.2	5 में से, ओबीओ द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/ advisories issued by OBOs	791	134
5.3	5 में से, बैंक के खिलाफ ओबीओ द्वारा अधिनिर्णय पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by OBOs against the bank	0	0
6	निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (अपील वाले मामलों के अलावा) Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

नोट : उपर्युक्त सारांश में आयकर, सीबीआई और सतर्कता विभाग से प्राप्त शिकायतें शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, ग्राहक सेवा पर आरबीआई मास्टर परिपत्र के अनुसार, अगले कार्य दिवस के भीतर समाधान की गई शिकायतों को उपर्युक्त सारांश में शामिल नहीं किया गया है। बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने के संबंध में 27 जनवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार डेटा को संरेखित किया गया है।

Note: The above summary does not include complaints from Income Tax, CBI, and Vigilance. Further, as per RBI master circular on Customer Service, complaints resolved within the next working day are excluded from the above summary. The data has been aligned according to the circular issued by Reserve Bank of India on January 27, 2021 regarding Strengthening of Grievance Redress Mechanism in Banks.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

ख) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार:
b) Top five grounds of complaints received by the Bank from customers

शिकायतों के आधार (अर्थात् शिकायतों जिससे संबंधित थीं) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या के % में वृद्धि / कमी % increase/decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	5 में से, 30 दिनों से अधिक समय तक लंबित रही शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
वित्तीय वर्ष 2022-23 / FY 2022-23					
एटीएम/डेबिटकार्ड ATM/Debit Cards	142	13,528	(65.40)	25	0
खाता खोलना / खातों के परिचालन में कठिनाई Account opening /difficulty in operation of accounts	46	7,140	20.98	85	0
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/mobile/Electronic Banking	28	6,520	0.51	38	0
ऋण और अग्रिम Loans and advances	49	2,238	(30.22)	21	0
बिना किसी पूर्व-सूचना के शुल्क लगाना / अत्यधिक शुल्क/फोरक्लोजर शुल्क Levy of charges without prior notice/ excessive charges/foreclosure charges	3	270	(31.12)	1	0
अन्य Others	18	12,966	(21.84)	7	0
कुल / Total	286	42,662	(40.48)	177	0
वित्तीय वर्ष 2021-22 / FY 2021-22					
एटीएम/डेबिटकार्ड ATM/Debit Cards	373	39,097	(29.17)	142	1*
खाता खोलना / खातों के परिचालन में कठिनाई Account opening /difficulty in operation of accounts	44	6,487	(0.86)	28	0
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/mobile/Electronic Banking	77	5,902	46.09	46	0
ऋण और अग्रिम Loans and advances	87	3,207	12.49	49	0
बिना किसी पूर्व-सूचना के शुल्क लगाना / अत्यधिक शुल्क/फोरक्लोजर शुल्क Levy of charges without prior notice/ excessive charges/foreclosure charges	11	392	17.01	3	0
अन्य Others	298	16,589	225.79	18	0
कुल / Total	890	71,674	(3.23)	286	1

@ डेबिट कार्ड के काम न करने की शिकायत तकनीकी प्रकृति की थी और इसका समाधान कर दिया गया है।

@ Complaint pertaining to debit card not working was technical in nature and has since been resolved.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

12. आरबीआई द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन

Disclosure on Penalties imposed by Reserve Bank of India

वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नलिखित दंड लगाए गए / During the year following penalties were imposed by RBI:

(क) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

(a) Banking Regulation Act, 1949

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022	
		घटनाओं की संख्या Number of Instances	राशि Amount	घटनाओं की संख्या Number of Instances	राशि Amount
1	चेक संग्रहण प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए दंड Penalty for non-compliance of guidelines on cheque collection process.	-	-	1	0.0014
2	अप्रकट दौरों के दौरान एटीएम आउट ऑफ कैश घटनाओं और सिक्कों एवं कम वर्गमूल्य के नोटों तथा कटे-फटे नोटों को बदलने संबंधी दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन के लिए आरबीआई द्वारा लगाया गया दंड Penalty imposed by RBI for ATM out of cash instances and non-compliance of guidelines on exchange of coins and small denomination notes and mutilated notes during incognito visits.	139	0.1390	22	0.1301
3	करेंसी चेस्टों द्वारा रिज़र्व बैंक को किए गए विप्रेषणों के मामलों में रिज़र्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्ट पर लगाए गए दंड Penalties imposed by RBI on currency chest in cases of remittances, made by currency chests to RBI	89	0.0565	51	0.0168
4	ऊपर उल्लेख न किए गए अन्य कारणों के लिए दंड Penalties for other reasons not mentioned above	2	0.9395	37	0.0634
कुल दंड का भुगतान (अ) Total Penalties Paid (A)		230	1.1350	111	0.2117

वर्ष के दौरान निम्नलिखित दंड लगाए गए (आरबीआई के अलावा):

During the year following penalties were imposed (other than RBI):

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. / Sr. No.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31, 2023		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31, 2022	
		घटनाओं की संख्या / Number of Instances	राशि / Amount	घटनाओं की संख्या / Number of Instances	राशि / Amount
1	अन्य देशी विनियामकों द्वारा लगाए गए दंड की कुल राशि Total amount of penalties levied by other domestic regulators	1	0.0178	6	0.3904

(ख) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007: शून्य

(b) Payment and Settlement System Acts, 2007: Nil

(ग) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल के बाउंसिंग के लिए) : शून्य

(c) Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL): Nil

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड पर प्रकटीकरण:

(d) Disclosure on Penalties imposed by Reserve Bank of India:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट में आरबीआई ने विचलन का आकलन किया था जिसने सार्वजनिक प्रकटीकरण को ट्रिगर किया था और इसलिए 4 नवम्बर 2019 को आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों/ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/ प्रमुख जोखिम लेने वालों और नियंत्रण परिचालन कर्मचारियों के मुआवजों पर मैलस क्लौज लागू किया गया था. मैलस क्लौज को लागू करने के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित ₹ 1.07 करोड़ के 3 डबल्यूटीडी के बकाया आस्थगित पारिश्रमिक को रद्द किया गया. कृपया अनुसूची 18 के मद सं. अ 13(2) के तहत पारिश्रमिक पर प्रकटन (मात्रात्मक प्रकटीकरण) देखें.

RBI in the Risk Assessment Report for FY 2020-21 had assessed divergence which triggered public disclosure and therefore malus clause was invoked in terms of the RBI guidelines dated November 4, 2019 on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers & Control Function Staff. The invocation of malus clause resulted in cancellation of outstanding deferred remuneration of the 3 WTDs aggregating ₹ 1.07 crore pertaining to FY 2020-21. Please refer Disclosures on Remuneration (Quantitative Disclosures) under Schedule 18 point no. A 13 (2).

13. पारिश्रमिक पर प्रकटन / Disclosures on Remuneration

(1) गुणात्मक प्रकटन / Qualitative disclosures

(क) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन एवं अधिदेश से संबंधित सूचना:

(a) Information relating to the composition and mandate of the Nomination and Remuneration Committee:

पारिश्रमिक का ध्यान रखनेवाली मुख्य समिति का नाम, संरचना और उससे संबंधित अधिदेश:

Name, composition and mandate of the main body overseeing remuneration:

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) में सात सदस्य हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक तथा एक सरकारी नामित निदेशक, एक एलआईसी के नामित निदेशक और अन्य सदस्य के रूप में चार स्वतंत्र निदेशकगण शामिल हैं. समिति, निदेशकों के उपयुक्त और माकूल स्थिति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, एलओडीआर विनियमावली के विनियम 19 और अनुसूची II के भाग डी, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और उद्यम इक्विटी) विनियमन, 2021 तथा आरबीआई के दिशानिर्देशों में प्रदत्त अधिदेशों/विचारार्थ विषयों को पूरा करती है जो निम्नानुसार हैं:

Nomination and Remuneration Committee (NRC) comprises of seven members with an Independent Director as its Chairman, and one Government Nominee Director, one LIC Nominee Director and four other Independent Directors as other members. The Committee fulfils the mandate / terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013, Regulation 19 and Part D of Schedule II of the LODR Regulations, SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 and RBI guidelines in respect of fit and proper status of Directors as under :

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

- एक निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना;
Formulation of the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the Board of Directors a policy relating to remuneration of the directors, key managerial personnel and other employees;
- बोर्ड द्वारा, एनआरसी द्वारा अथवा स्वतंत्र वाह्य एजेंसी द्वारा बोर्ड, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के प्रभावी मूल्यांकन के लिए प्रभावी पद्धति विनिर्दिष्ट करना, और इसके कार्यान्वयन एवं अनुपालन की समीक्षा करना;
To specify the manner for effective evaluation of performance of the Board, its Committees and individual directors, to be carried out either by the Board, by the NRC or by an independent external agency and review its implementation and compliance;
- स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मण्डल के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
Formulation of criteria for evaluation of performance of Independent Directors and the Board of Directors;
- निदेशक मण्डल में विविधता के लिए नीति तैयार करना;
Devising a policy on diversity of Board of Directors;
- ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, तथा निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और निष्कासन की सिफारिश करना;
To identify persons who are qualified to become directors and who may be appointed in senior management with the criteria laid down, and recommend to the Board of Directors their appointment and removal;
- निदेशकों की नियुक्ति और मूल्यांकन नीति में निर्धारित मानदंडों के अनुसार बोर्ड को निदेशकों की नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना;
To recommend to the Board the appointment and removal of Directors in accordance with the criteria laid down in the Directors' Appointment and Evaluation Policy;
- स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड पर कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी. स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति के पास ऐसे विवरण में तय की गई क्षमताएं होनी चाहिए. उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, समिति निम्न कार्य कर सकती है:
For every appointment of an independent director, the Nomination and Remuneration Committee shall evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the Board and on the basis of such evaluation, prepare a description of the role and capabilities required of an independent director. The person recommended to the Board for appointment as an independent director shall have the capabilities identified in such description. For the purpose of identifying suitable candidates, the Committee may:

 - यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग;
Use the services of external agencies, if required;
 - विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पृष्ठभूमियों के उम्मीदवारों पर विचार करना; और
Consider candidates from a wide range of backgrounds, having due regard to diversity; and
 - उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार करना
Consider the time commitments of the candidates.
- योग्यता, विशेषज्ञता, पिछले कार्यनिष्पादन, सत्यनिष्ठा, 'उपयुक्त और माकूल' मानदंड, सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता (यदि लागू हो) के आधार पर तथा स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशक मण्डल संबंधी कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड में निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति/ नियुक्ति को जारी रखने के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु समुचित सावधानी की प्रक्रिया अपनाना तथा उसके संबंध में मानदंड तैयार करना;
To undertake a process of due diligence to determine the suitability of any person for appointment / continuing to hold appointment as a director on the Board, based upon qualification, expertise, track record, integrity, 'fit and proper' criteria, positive attributes and independence (if applicable) and on the basis of the report of performance evaluation of directors including independent directors and formulate the criteria relating thereto;

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

- निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कर्मिक, आदि के लिए पारिश्रमिक नीति तैयार करना;
Formulation of Remuneration Policy for Directors, KMPs, etc.
- बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन को देय पारिश्रमिक, चाहे जिस रूप में हो, की सिफारिश करना;
Recommend to the Board, all remunerations, in whatever form, payable to the senior management;
- क्षतिपूर्ति और विवेकपूर्ण जोखिम के बीच प्रभावी सुसंगतीकरण के लिए जोखिम प्रबंधन समिति के साथ समन्वय के साथ कार्य करना;
To work in close coordination with Risk Management Committee to achieve effective alignment between compensation and prudent risk-taking;
- क्षतिपूर्ति प्रणाली की रूपरेखा और परिचलनों का निरीक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रणाली अपेक्षानुसार कार्य करती है और यह वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए सिद्धांतों के अनुरूप है।
To oversee the compensation system's design and operations to ensure that the system operates as intended and is also consistent with the principles outlined by the Financial Stability Board;
- क्षतिपूर्ति नीति के निर्धारण, समीक्षा और कार्यान्वयन की निगरानी करना और सीईओ/डिप्युटीडी/एमआरटी के साथ-साथ जोखिम नियंत्रण और अनुपालन स्टाफ (बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन के लिए) के लिए वार्षिक पारिश्रमिक का निर्णय लेना।
To oversee framing, review and implementation of compensation policy and make annual remuneration decisions for Chief Executive Officer/Whole Time Directors/Material Risk Takers plus Risk Control and Compliance staff (for ratification by the Board);
- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का लागत-आय अनुपात, ठोस पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखते हुए मुआवजे में योगदान देता है।
To ensure that the cost to income ratio of the Bank supports the compensation consistent with maintaining sound capital adequacy ratio;
- बैंक की क्षतिपूर्ति प्रथाओं और नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में पर्यवेक्षी निरीक्षण करना. सामान्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र और उद्योग से संबंधित विभिन्न विधियों द्वारा निर्धारित सभी प्रकटीकरण मानदंडों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना।
To have supervisory oversight regarding implementation of compensation practices and policies of the Bank. To ensure complete compliance with all disclosure norms as prescribed by the various statutes relevant to the banking sector and industry in general;
- मैलस एंड क्ला बैक के लिए हर साल विशिष्ट मानदंडों की समीक्षा करना।
To review specific criteria for Malus and Clawback every year;
- हर साल नकद आधारित प्रोत्साहनों और शेयर-संबद्ध प्रोत्साहनों के लिए कार्य-निष्पादन मानदंड और अंतिम भुगतान तय करना।
To fix performance parameters & final payout for Cash based incentives and share-based incentives every year;
- तात्त्विक जोखिम लेने वालों (एमआरटी) की पहचान करना जिनके कार्यों का बैंक के जोखिम एक्सपोजर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और जो गुणात्मक और मात्रात्मक मानदंडों को पूरा करते हैं।
To identify Material Risk Takers (MRTs) whose actions have a material impact on the risk exposure of the Bank, and who satisfy the qualitative and quantitative criteria;
- सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और उद्यम इक्विटी) विनियमावली, 2021 के विनियम 5 के तहत निर्धारित क्षतिपूर्ति समिति के रूप में कार्य करना. सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और उद्यम इक्विटी) विनियमावली, 2021 के तहत अनिवार्य कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना का प्रशासन और पर्यवेक्षण करना तथा अन्य बातों के साथ-साथ उन कर्मचारियों के ग्रेडों को अनुमोदित करना जिन्हें विकल्प दिए जा सकते थे और साथ ही विकल्प देने के लिए अपनाए जाने के लिए आवश्यक प्रदर्शन स्तर और/ या कोई अन्य मानदंड निर्धारित करना।
To act as the Compensation Committee as prescribed under Regulation 5 of the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021. To administer and supervise the Employee Stock Option Scheme/Employee Stock Appreciation Rights (SAR) Scheme of the Bank as mandated under the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 and to inter-alia approve the grades of employees to whom options/SARs could be granted as well as determine the performance level and/or any other criteria required to be adopted for grant of options/SARs;
- बैंक की कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना/ कर्मचारी स्टॉक संवृद्धि अधिकार योजना, उनमें किसी से विचलन सहित, को नियंत्रित करने वाले सभी शर्तें तय करना एवं अंतिम रूप देना, यदि नियामक और/ या अन्य लागू कानूनों के तहत ऐसा आवश्यक हो, तो आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना।

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

To determine and finalize all the terms and conditions governing the Employee Stock Option Scheme/Employee Stock Appreciation Rights Scheme of the Bank including any variation thereof subject to receipt of requisite approval, if required under regulatory and/or other applicable laws;

- किसी भी स्टॉक विकल्प योजना या प्रोत्साहन योजनाओं में संशोधन का सुझाव देना, बशर्ते कि ऐसी योजनाओं में सभी संशोधन बोर्ड के विचार और अनुमोदन के अधीन हों।
To suggest amendments to any stock option plan or SAR scheme, provided that all amendments to such plans/schemes shall be subject to consideration and approval of the Board;
- हर साल क्षतिपूर्ति नीति की समीक्षा करना और जब कभी नियामक दिशानिर्देशों/ अन्य कानूनों के तहत कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना/ कर्मचारी स्टॉक संवृद्धि अधिकार योजना की समीक्षा करना आवश्यक हो, उसकी समीक्षा करना।
To review the Compensation Policy annually and to review the Employee Stock Option Scheme/Employee Stock Appreciation Rights Scheme of the Bank as and when required under regulatory guidelines/other laws;
- नियामक/ सांविधिक दिशा-निर्देशों के तहत समय-समय पर तय किए अनुसार कोई भी भूमिका निभाना।
To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory / statutory guidelines from time-to-time.

31 मार्च 2023 को एनआरसी के सात सदस्य थे जिसमें श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (स्वतंत्र निदेशक) इसके अध्यक्ष तथा श्री सुशील कुमार सिंह (सरकारी नामिती निदेशक), श्री मुकेश कुमार गुप्ता (एलआईसी नामिती निदेशक) और श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी, श्री एन. जंबुनाथन, श्री दीपक सिंघल तथा श्री टी. एन. मनोहरन (स्वतंत्र निदेशक) अन्य सदस्यों के रूप में शामिल थे।

As on March 31, 2023, the NRC comprised of seven members with Shri Gyan Prakash Joshi (Independent Director) as its Chairman, Shri Sushil Kumar Singh (Government Nominee Director), Shri Mukesh Kumar Gupta (LIC Nominee Director) and Shri Bhuvanchandra B Joshi, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal & Shri T. N. Manoharan (Independent Directors) as other members.

- (ख) पारिश्रमिक प्रक्रियाओं के ढांचे और संरचना से संबंधित जानकारी और पारिश्रमिक नीति की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य:
(b) Information relating to the design and structure of remuneration processes and the key features and objectives of remuneration policy:

**विदेश स्थित सहायक संस्थाओं और शाखाओं पर लागू सीमा सहित बैंक की पारिश्रमिक नीति के कार्यक्षेत्र के संबंध में विवरण:
A description of the scope of the Bank's remuneration policy, including the extent to which it is applicable to foreign subsidiaries and branches:**

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के 4 नवंबर 2019 के परिपत्र सं.डीओआर.एपीपीटी. बीसी.सं.23/29.67.001/2019-20 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अपनी क्षतिपूर्ति नीति तैयार की है। क्षतिपूर्ति नीति बैंक की घरेलू शाखाओं/ कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों के लिए और इसकी विदेशी शाखाओं में नियुक्त कर्मचारियों के लिए भी लागू है। यह बैंक की सहायक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है।

The Bank has formulated its Compensation Policy based on the Reserve Bank of India guidelines issued vide Circular No.DOR.Appt.BC.No.23/29.67.001/2019-20 dated November 4, 2019. The Compensation Policy is applicable to employees appointed at Bank's domestic branches/offices and also to the employees posted at its foreign branches. It is not applicable to employees of subsidiaries of the Bank.

**इसमें शामिल कर्मचारियों के प्रकार का विवरण और ऐसे कर्मचारियों की संख्या:
A description of the type of employees covered and number of such employees:**

श्रेणी 1 / Category 1

एमडी एवं सीईओ तथा अन्य डब्ल्यूटीडी: / MD & CEO and Other WTDs:

इस श्रेणी में एमडी एवं सीईओ और दो उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) शामिल हैं। डब्ल्यूटीडी के लिए पारिश्रमिक संरचना में स्थाई वेतन व परिवर्तनीय वेतन शामिल है और परिवर्तनीय वेतन स्थाई वेतन के प्रतिशत के रूप में देय है और बैंक के कार्य-निष्पादन से सहबद्ध है। बैंक के एमडी एवं सीईओ और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) के लिए क्षतिपूर्ति संरचना एनआरसी / बोर्ड द्वारा तय की जाती है, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 बी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है। क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35बी(1) के साथ पठित बैंक के संस्था-अंतर्नियम के खंड 119 के अनुसार बैंक के शोयरधारकों की साधारण सभा में अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है।

This category includes MD & CEO and two Deputy Managing Directors (DMDs). The remuneration structure for WTDs comprises of fixed and variable pay and variable pay is payable as a percentage of fixed pay and is linked to the Bank's performance. The compensation structure for MD & CEO and other Whole Time Directors (WTDs) of the Bank is fixed by NRC / Board and is subject to approval of Reserve Bank of India in terms of Section 35 B of the Banking Regulation Act, 1949. The payment of compensation also requires approval of the shareholders of the Bank in the General Meeting pursuant to clause 119 of Articles of Association of the Bank read with Section 197 of the Companies Act, 2013 and Section 35B (1) of Banking Regulation Act 1949.

श्रेणी 2 / Category 2

तात्त्विक जोखिम लेने वाले (एमआरटी) एवं नियंत्रक स्टाफ के लिए पारिश्रमिक :
Material Risk Takers (MRTs) & Control Function Staff:

प्रमुख रूप से जोखिम लेने वाले (एमआरटी) और नियंत्रक का कार्य करने वाले अधिकारियों के पद आईडीबीआई बैंक के कैडर अधिकारियों द्वारा धारित किए जाते हैं तथा उनकी वेतनमान और पारिश्रमिक संरचना आईडीबीआई बैंक द्वारा समानान्तर ग्रेड में अन्य अधिकारियों को ऑफर की जा रही वेतनमान और पारिश्रमिक संरचना के समतुल्य होती है। एमआरटी के लिए परिवर्तनीय वेतन स्थाई वेतन के प्रतिशत के रूप में देय है तथा यह बैंक के कार्य-निष्पादन से सहबद्ध है। नियंत्रक स्टाफ के लिए परिवर्तनीय वेतन मुख्यतः व्यक्तिगत कार्य-निष्पादन से सहबद्ध है; बैंक के समग्र कार्य-निष्पादन को प्राथमिक पात्रता तय करते समय ध्यान में रखा जाता है।

The positions of Material Risk Takers (MRTs) & Control Function Staff are held by cadre officers of IDBI Bank and their fixed pay structure comprising of pay and allowances is equivalent to the pay & allowances being offered by IDBI Bank to the other parallel grade officers. Variable pay is payable as a percentage of fixed pay and is linked to individual and Bank's performance for the MRTs. Variable Pay of Control Function Staff is majorly linked to their individual performance; overall business performance of the Bank is reckoned only for ascertaining primary eligibility.

श्रेणी 3 / Category 3

अन्य अधिकारी और कर्मचारी: / Other Officers and Employees:

मौजूदा नीति के अनुसार अधीनस्थ कर्मचारियों, लिपिकीय कर्मचारियों और कार्यपालक निदेशक के ग्रेड तक के अधिकारियों के वेतनमान और पारिश्रमिक संरचना एक निर्धारित संरचना है जो भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के वेतनमान और भत्तों के अनुसार तैयार की गई है तथा यह 5 वर्ष की अवधि के लिए उद्योग स्तरीय समझौते के साथ समाप्त होती है। इस श्रेणी के स्टाफ के लिए परिवर्तनीय वेतन स्थाई वेतन के प्रतिशत/ हिस्से के रूप में देय है तथा यह व्यक्तिगत और बैंक के कार्य-निष्पादन से सहबद्ध है।

As per the current policy, the fixed pay structure of subordinate staff, clerical staff and officer's upto the grade of Executive Director is drawn on the lines of the Indian Banks' Association (IBA) pay scales and allowances and runs co-terminus with the industry level settlements for a period of 5 years. Variable Pay as a percentage/ proportion of fixed pay is payable to this category of employees and is linked to the individual and Bank's performance.

अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है: / Count of Officers and employees is given below:

ग्रेड / Grade	संख्या / Count
अधिकारी (ग्रेड ए से ईडी) / Officers (Gr A to ED)	15,438
एक्जीक्यूटिव* / Executives*	1,578
लिपिकीय / Clerical	395
सहायक / Subordinates	439
कुल योग / Grand Total	17,850

* एक्जीक्यूटिव परिवर्तनीय वेतन के लिए पात्र नहीं है। / *Executives are not eligible for Variable Pay.

पारिश्रमिक नीति के उद्देश्य / Objectives of remuneration policy:

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, बैंक हर समय, क्षतिपूर्ति की आंतरिक रूप से न्यायसंगत और बाहरी रूप से प्रतिस्पर्धी नीति का पालन करेगा। क्षतिपूर्ति के स्तर को इस प्रकार डिजाइन किया

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

जाएगा कि बैंक की व्यावसायिक योजनाओं को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिभा को आकर्षित किया जा सके व उन्हें रोके रखने में मदद मिल सके.

The Bank shall follow a compensation policy that is internally equitable and externally competitive, while complying, at all times, with the guidelines set forth by the Reserve Bank of India (RBI) and the Financial Stability Board (FSB). The compensation levels shall be designed to enable attraction & retention of the most suitable talent for delivering on the Bank's business plans.

क्या पारिश्रमिक समिति ने पिछले वर्ष के दौरान बैंक की पारिश्रमिक नीति की समीक्षा की और यदि हां, तो किए गए परिवर्तनों का एक विहंगावलोकन

Whether the remuneration committee reviewed the Bank's remuneration policy during the past year and if so, an overview of any changes that were made.

वर्ष 2022-23 के दौरान क्षतिपूर्ति नीति की समीक्षा की गई और नीति में स्पष्टता लाने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के साथ संरेखित करने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन / संशोधन / परिवर्धन किए गए:

The Compensation Policy was reviewed during the year 2022-23 and following changes/ modifications/additions were carried out to align with the RBI guidelines as also to bring in clarity in the policy.

- स्पष्टता लाने के लिए निर्धारित वेतन की परिभाषा को अद्यतित किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कारकीय परिवर्तनों के लिए परिवर्तनीय वेतन की आस्थगन अवधि हेतु एक समर्थकारी खंड को परिभाषित किया गया था.
The definition of Fixed Pay was updated to bring-in clarity and an enabling clause was defined for deferral period of Variable Pay to factor changes as per RBI directions.
- ईएसओपी के विशिष्ट उल्लेख के बजाय परिवर्तनीय वेतन के गैर-नकदी घटक को 'शेयर आधारित एलटीआई' के रूप में परिभाषित किया गया ताकि गैर-नकदी घटक के रूप में स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार को शामिल किया जा सके.
Non-cash component of Variable pay was defined as 'Share-based LTI' instead of specific mention of ESOP so as to include Stock Appreciation Rights as non-cash component.
- विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार मंजूरी की तिथि पर शेयर आधारित एलटीआई के उचित मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन मॉडल अपनाने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया.
A provision was added for adopting valuation model for fair valuation of share-based LTI on the date of grant as per regulatory guidelines.
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में परिवर्तनीय वेतन की सुविधा को सेवानिवृत्ति के समतुल्य माना गया.
The treatment of variable pay in case of voluntary retirement was brought at par with retirement.
- सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और उद्यम इक्विटी) विनियम 2021 आदि के अनुसार मृत्यु एवं विकलांगता के मामले में शेयर आधारित एलटीआई की सुविधा को पुनः परिभाषित किया गया.
The treatment of share-based LTI in case of death & disability was re-defined as per SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 etc.
- सार्वजनिक प्रकटन की तुष्टि करने वाले मानदंडों/शर्तों को दिनांक 11 अक्टूबर 2022 के परिपत्र के माध्यम से जारी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार परिभाषित किया गया. आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी स्थितियों में कार्रवाई को मैलस और क्लॉबैक ट्रिगर्स के लिए परिभाषित किया गया.
The criteria/conditions to be satisfied for public disclosure were defined as per the RBI guidelines issued vide circular dated October 11, 2022. The course of action in such situations was defined for malus and clawback triggers as per the RBI guidelines.

बैंक यह कैसे सुनिश्चित करता है कि जोखिम और अनुपालन कर्मचारियों को उन के द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों से स्वतंत्र रूप से पारिश्रमिक दिया जाए, इस पर चर्चा.

A discussion of how the Bank ensures that risk and compliances employees are remunerated independently of the businesses they oversee.

कार्यपालक निदेशक-मुख्य जोखिम अधिकारी, कार्यपालक निदेशक-मुख्य अनुपालन अधिकारी, कार्यपालक निदेशक-मुख्य वित्तीय अधिकारी और कार्यपालक निदेशक-लेखा परीक्षा, धोखाधड़ी प्रबंधन समूह एवं आंतरिक लेखा परीक्षक के पद आईडीबीआई बैंक के कैंडर अधिकारियों के पास हैं और उनके वेतनमान व भत्ते यानी निश्चित वेतन अन्य समानांतर ग्रेड अधिकारियों को पेश किए जा रहे वेतनमान और भत्तों के बराबर

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

है तथा इसे बैंक द्वारा बोर्ड के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि परिवर्तनीय वेतन मुख्य रूप से उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है; बैंक के समग्र व्यावसायिक प्रदर्शन को केवल प्राथमिक पात्रता सुनिश्चित करने के लिए गिना जाता है।

The positions of Executive Director-Chief Risk Officer, Executive Director-Chief Compliance Officer, Executive Director-Chief Financial Officer and Executive Director-Audit, Fraud Risk Management Group & Internal Auditor are held by cadre officers of IDBI Bank and their pay scale and allowances i.e. fixed pay is equivalent to the pay scales and allowances being offered to other parallel grade officers and is finalized by the Bank with the approval of the Board. The Variable Pay is however majorly linked to their individual performance; overall business performance of the Bank is reckoned only for ascertaining primary eligibility.

(ग) **पारिश्रमिक प्रक्रियाओं में वर्तमान और भविष्य के जोखिमों को कम करने के तरीकों का विवरण। इसमें इन जोखिमों का ध्यान रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपायों का स्वरूप और प्रकार शामिल है।**

(c) **Description of the ways in which current and future risks are taken into account in the remuneration processes. It includes the nature and type of the key measures used to take account of these risks.**

समय परिधि और जोखिम के साथ पारिश्रमिक को संरेखित करने के लिए जिसके तहत वे हैं, एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों सहित वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक का बड़ा हिस्सा परिवर्तनीय वेतन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। परिवर्तनीय पारिश्रमिक नकद और गैर - नकद घटक के रूप में देय है तथा 3 वर्षों या उस से अधिक अवधि के लिए आस्थगित है। पारिश्रमिक सामंजस्य का प्रभाव कर्मचारियों और/ या व्यापार इकाइयों द्वारा की गई कार्रवाई और बैंक द्वारा ली गई जोखिम के स्तर पर उनके प्रभाव के साथ संबद्ध है। उत्तरदायित्व के उच्च स्तर पर परिवर्तनीय वेतन का अनुपात उच्च है। बैंक के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर परिवर्तनीय वेतन की राशि को शून्य तक भी घटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, परिवर्तनीय वेतन बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के मैलस और क्लॉबैक प्रावधानों के अधीन है।

In order to align remuneration with the risk and the time horizons over which they could emerge, a substantial portion of the senior management remuneration including that of MD & CEO and Deputy Managing Directors is under variable pay arrangement. The variable compensation is payable in the form of cash and non-cash components and is deferred over a period of 3 years or more. The impact of remuneration adjustments is linked to actions taken by employees and/or business units, and their impact on the level of risk taken on by the bank. At higher level of responsibility, the proportion of variable pay is higher. The amount of variable pay can even be reduced to zero depending on the financial performance of the Bank. In addition, variable pay is subject to the malus and clawback provisions of the Compensation Policy of the Bank.

(घ) **उन तरीकों का विवरण जिसमें बैंक कार्यनिष्पादन माप अवधि के दौरान कार्यनिष्पादन को पारिश्रमिक के स्तरों के साथ जोड़ना चाहता है:**

(d) **Description of the ways in which the Bank seeks to link performance during a performance measurement period with levels of remuneration:**

परिवर्तनीय वेतन प्रदर्शन मापन अवधि के दौरान कर्मचारियों द्वारा अधिकतम कार्यकाल के लिए प्रदर्शित ग्रेड और भूमिका के आधार पर देय होंगे। परिवर्तनीय वेतन प्रतिशत के रूप में या वार्षिक निर्धारित भुगतान के दिनों की संख्या के रूप में देय होगा। उत्तरदायित्व के उच्च स्तर पर परिवर्तनीय वेतन का अनुपात उच्च है। परिवर्तनीय वेतन के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखे गए कारक निम्न हैं।

Variable Pay shall be payable basis the grade and role performed by employees for maximum tenure during the performance measurement period. The target Variable Pay shall be payable as a percentage or in terms of number of days of Annual Fixed Pay. At higher level of responsibility, the proportion of variable pay is higher. The factors taken into account for the purpose of variable pay are:

- बैंक का कार्य-निष्पादन / The performance of the Bank
- कर्मचारी का व्यक्तिगत कार्य-निष्पादन/ ग्रेड/ भूमिका / Individual performance/grade/role of the employee
- अन्य जोखिम धारणाएँ / Other risk perceptions.

(ङ) **परिवर्ती पारिश्रमिक के आस्थगन और निहित करने के संबंध में बैंक की नीति और निहित करने से पहले एवं करने के बाद आस्थगित पारिश्रमिक का समायोजन करने के लिए बैंक की नीति और मापदंडों पर चर्चा।**

(e) **A discussion of the Bank's policy on deferral and vesting of variable remuneration and a discussion of the Bank's policy and criteria for adjusting deferred remuneration before vesting and after vesting:**

क) परिवर्ती वेतन के प्रयोजन हेतु, कर्मचारियों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।

a) For the purpose of Variable pay, employees have been grouped into following categories.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

- i) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और अन्य डबल्यूटीडी / MD & CEO and other WTDs
 - ii) महत्वपूर्ण रूप से जोखिम लेने वाले / Material Risk Takers
 - iii) नियंत्रण कार्य करने वाले स्टाफ / Control Function Staff
 - iv) अन्य अधिकारी / Other Employees
- (ख) एमआरटी की पहचान के लिए मानदंड निम्नलिखित के अधीन हैं:
- b) The criteria for identification of MRTs are as under:
- स्टाफ सदस्य जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार गुणात्मक मानदंड और मात्रात्मक मानदंडों में से किसी एक को पूरा करते हैं:
The staff members who satisfy the qualitative criteria and any one of the quantitative criteria as detailed below:
- (I) मानक गुणात्मक मानदंड: / Standard Qualitative Criteria:
 - संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से, जोखिम एक्सपोजर आदि के लिए महत्वपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होने वाले स्टाफ सदस्यों (जैसे प्रबंधन निकाय के सदस्य) की भूमिका और निर्णय लेने की शक्ति से संबंधित हैं।
Relate to the role and decision-making power of staff members (e.g. member of management body) having jointly or individually, the authority to commit significantly to risk exposures, etc.
 - (II) मानक मात्रात्मक मानदंड: / Standard Quantitative Criteria:
 - उनका कुल पारिश्रमिक एक निश्चित सीमा से अधिक है (एनआरसी द्वारा अनुमोदन के लिए बोर्ड को अनुशंसित); जिसका निर्धारण बैंक द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से किया जा सकता है, अथवा
Their total remuneration exceeds a certain threshold (to be recommended by NRC to the Board for approval); the determination of which may be done prudently by the bank,
या / or
 - वे बैंक में उच्चतम पारिश्रमिक वाले 0.3% कर्मचारियों में शामिल हैं, अथवा
They are included among the 0.3% of staff with the highest remuneration in the bank,
या / or
 - उनका पारिश्रमिक वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य जोखिम लेने वालों के न्यूनतम पारिश्रमिक के बराबर या उससे अधिक है।
Their remuneration is equal to or greater than the lowest remuneration of senior management and other risk-takers.
- बोर्ड, एनआरसी की सिफारिश पर, तात्त्विक जोखिम लेने वालों (एमआरटी) को निर्दिष्ट करेगा जिन के कार्यों का समय-समय पर बैंक के जोखिम एक्सपोजर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
The Board, on recommendation of NRC, shall specify Material Risk Takers (MRTs) whose actions have a material impact on the risk exposure of the bank from time-to-time.
- ग) कार्यपालक निदेशक (ईडी) ग्रेड के और निम्नलिखित कार्यक्षेत्र में नियुक्त कर्मचारी जिन्हें नियंत्रण कार्य कर्मचारी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
- c) Employees in Executive Directors (ED) Grade and engaged in following functions are classified under Control Function Staff category.
- i) मुख्य जोखिम अधिकारी / Chief Risk Officer
 - ii) मुख्य अनुपालन अधिकारी / Chief Compliance Officer
 - iii) मुख्य वित्तीय अधिकारी / Chief Financial Officer
 - iv) लेखा परीक्षा, एफ़आरएमजी एवं आंतरिक लेखा परीक्षक / Audit, FRMG & Internal Auditor

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

- परिवर्तित वेतन / Variable Pay

परिवर्तित वेतन आरबीआई दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए नकद और शेयर लिंकड घटकों के बीच उचित संतुलन के साथ नकद और शेयर- लिंकड लिखतों का मिश्रण होगा. शेयर आधारित एलटीआई का केंद्र दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य निर्माण पर होगा. उक्त के मद्देनजर शेयर आधारित एलटीआई परिवर्तित वेतन के हिस्से के रूप में स्वीकृत होगा और इसका ब्लैक-शोल्स मॉडल या विनियामक(कों) द्वारा निर्देशित किसी अन्य मॉडल के उपयोग द्वारा स्वीकृति के दिन उचित मूल्यांकन किया जाएगा. केवल यदि जहां शेयर लिंकड लिखतों के माध्यम से क्षतिपूर्ति कानून/ विनियमनों द्वारा स्वीकृत नहीं है, सम्पूर्ण परिवर्तित वेतन नकद के रूप में हो सकता है.

The Variable Pay shall be a mix of cash and share-linked instruments with proper balance between cash and share linked components in keeping with the RBI guidelines. The focus of share-based LTI will be on long-term shareholder value creation. In view of the same, share-based LTI shall be granted as a part of Variable Pay and it shall be fair valued on the date of grant by using the Black-Scholes Model or any other model as may be directed by the Regulator(s). Only in cases where the compensation by way of share-linked instruments is not permitted by statute/regulations, the entire variable pay can be in the form of cash.

परिवर्ती वेतन का मूल्यांकन पूर्णकालिक निदेशकों के लिए बैंक-व्यापी प्रदर्शन मानदंडों की उपलब्धि पर आधारित है. प्रमुख रूप से जोखिम लेने वाले(एमआरटी) और अन्य कर्मचारियों का परिवर्ती वेतन मूल्यांकन व्यक्तिगत एवं बैंक-व्यापी प्रदर्शन मानदंडों की उपलब्धि पर आधारित है. नियंत्रण कार्य कर्मचारी के लिए परिवर्ती वेतन मूल्यांकन मुख्य रूप से उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि से संबद्ध है: केवल प्राथमिक पात्रता सुनिश्चित करने के लिए बैंक के समग्र व्यवसाय प्रदर्शन की गणना की जाती है.

The assessment of variable pay is based on achievement of Bank-wide performance parameters for Whole Time Directors. For Material Risk Takers (MRTs) and other employees the assessment of variable pay is based on achievement of individual as well as Bank-wide performance parameters. For Control Function staff the assessment of variable pay is majorly linked to their individual performance; overall business performance of the Bank is reckoned only for ascertaining primary eligibility.

(क) परिवर्ती वेतन की सीमा

a. Limit on Variable Pay:

- अ. एमडी एवं सीईओ और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों के लिए
A. For MD & CEO and Other Whole Time Directors

- i. आरबीआई दिशानिर्देशों और अन्य नियमों एवं विनियमों के अनुपालन में न्यूनतम कुल क्षतिपूर्ति का 50% परिवर्ती होगा और बैंक व्यापी कार्यनिष्पादन के आधार पर भुगतान किया जाएगा. कुल परिवर्ती वेतन नियत वेतन का अधिकतम 300% होगा.

In compliance to the RBI guidelines and other applicable rules and regulations atleast 50% of the total compensation shall be variable and paid on the basis of Bank-wide performance. The total variable pay shall be limited to a maximum of 300% of the fixed pay.

- ii. यदि परिवर्तनीय वेतन नियत वेतन के 200% तक है, तो परिवर्तनीय वेतन का न्यूनतम 50%; और यदि परिवर्तनीय वेतन 200% से अधिक है, तो परिवर्तनीय वेतन का न्यूनतम 67% गैर-नकद लिखतों के रूप में होगा.

In case variable pay is upto 200% of the fixed pay, a minimum of 50% of the variable pay; and in case variable pay is above 200%, a minimum of 67% of the variable pay shall be in the form of non-cash instruments.

- iii. उस स्थिति में जब किसी एक्सिक्यूटिव को शेयर-लिंकड लिखतों की मंजूरी के लिए या विनियम द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, उनका/ उनकी परिवर्ती वेतन न्यूनतम 50% से अधिकतम 150% के दायरे में होगा.

In the event that an executive is barred by statute or regulation from grant of share-linked instruments, his/ her variable pay shall be in the range of minimum 50% to maximum 150%.

- iv. बैंक के वित्तीय कार्य निष्पादन के आधार पर परिवर्तनीय वेतन शून्य तक घटाया जा सकता है

The amount of variable pay can even be reduced to zero depending on the financial performance of the Bank.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

- आ. प्रमुख रूप से जोखिम लेने वालों के लिए
B. For Material Risk Takers (MRTs)
- आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुपालन में, सभी एमआरटी के कुल क्षतिपूर्ति का 50% परिवर्ती होगा और व्यक्तिगत तथा बैंक व्यापी (कार्य-निष्पादन) मानदंडों के आधार पर भुगतान किया जाएगा
In compliance to the RBI guidelines, 50% of total compensation for all MRTs shall be variable and paid on the basis of individual and Bank-wide performance parameters.
 - परिवर्ती वेतन का न्यूनतम 50% गैर-नकदी लिखतों के रूप में होगा.
Minimum 50% of the variable pay shall be in the form of non-cash instruments.
 - बैंक के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर परिवर्ती वेतन शून्य तक भी घटाया जा सकता है
The amount of variable pay can even be reduced to zero depending on the financial performance of the Bank.
 - समय-समय पर बोर्ड प्रमुख रूप से जोखिम लेने वालों की पहचान करेगा.
The Board shall from time-to-time identify the Material Risk Takers (MRTs).

ख. परिवर्ती वेतन का आस्थगन

b. Deferral of Variable Pay

- डबल्यूटीडी और एमआरटी हेतु कुल परिवर्ती वेतन का न्यूनतम 60% निरपवाद रूप से आस्थगित व्यवस्थाओं के अधीन होगा. इसके अतिरिक्त, यदि नकद घटक परिवर्ती वेतन का भाग है तो न्यूनतम 50% नकद घटक भी आस्थगित होगा.
For WTDs and MRTs, a minimum of 60% of the total variable pay shall invariably be under deferral arrangements. Further, if cash component is part of variable pay, atleast 50% of the cash component shall also be deferred.
- तथापि, उन मामलों में जहां परिवर्ती वेतन का नकदी घटक ₹ 25 लाख से कम है, वहां आस्थगित अपेक्षा लागू नहीं है.
However, in cases where the cash component of variable pay is under ₹ 25 lakh, deferral requirement is not applicable.

ग. आस्थगन व्यवस्था की अवधि

c. Period of Deferral Arrangement

आस्थगन अवधि न्यूनतम 3 वर्ष होगी. यह परिवर्ती वेतन के नकदी और गैर-नकदी दोनों घटकों पर लागू होगी.

The deferral period shall be a minimum of 3 years. This would be applicable to both the cash and non-cash components of the variable pay.

घ. वेस्टिंग

d. Vesting:

शेयर-आधारित दीर्घकालिक प्रोत्साहन मंजूरी की तारीख से 3 साल की अवधि के दौरान निहित किया जाएगा. (क्रमशः मंजूरी की तारीख से पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 25%, 25% और 50%) और इसकी प्रयोग अवधि निहित किए जाने की तारीख से 5 वर्ष तक होगी. शेयर-आधारित एलटीआई बैंक की संबधित योजना के निबंधनों एवं शर्तों द्वारा अभिशासित होंगे.

Vesting of Share-based Long Term Incentive shall be over a period of 3 years from the grant date (25%, 25% & 50% at the end of 1st, 2nd & 3rd year from date of grant respectively) and exercise period shall be upto 5 years from the date of vesting. Share-based LTIs shall be governed by the terms & conditions of the respective scheme of the Bank, as applicable.

- यदि आस्थगन अवधि 3 वर्ष है तो पहले वर्ष की समाप्ति पर कुल मंजूर किए गए शेयर-आधारित एलटीआई का 33.33% से अधिक निहित नहीं किए जाएंगे. इसके अलावा, दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कुल मंजूर शेयर-आधारित एलटीआई का 33.33% से अधिक निहित नहीं होगा. इसी प्रकार यदि आस्थगन व्यवस्था चार साल की है, तो पहले तीन वर्ष में कुल मंजूर शेयर-आधारित एलटीआई का 25% से अधिक निहित नहीं किए जाएंगे. इसके अलावा निहित किए जाने की प्रक्रिया वार्षिक आधार की आवश्यकता से अधिक बार नहीं सम्पन्न की जाएगी ताकि कार्योत्तर समायोजनों की प्रयोज्यता के पहले जोखिमों का उचित आकलन सुनिश्चित किया जा सके

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

If deferral period is 3 years, not more than 33.33 % of the total granted Share-based LTI shall vest at the end of first year. Further, not more than 33.33 % of total granted Share-based LTI shall vest at the end of second year. Similarly, in case deferral arrangement is four years, not more than 25% of total granted Share-based LTI shall vest in each of the first three years. Additionally, vesting shall not take place more frequently than on a yearly basis to ensure a proper assessment of risks before the application of ex-post adjustments.

मैलस/ क्लॉबैक / Malus/Clawback

परिवर्तनीय वेतन (नकद आधारित और शेयर आधारित एलटीआई) पर मैलस और क्लॉबैक प्रावधान कुछ स्थितियों अर्थात् एनपीए के लिए बैंक के प्रावधान में विचलन, कमजोर या नकारात्मक वित्तीय कार्यनिष्पादन, कदाचार या एनआरसी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य मापदंड में अनिहित अवार्ड को कम करने या रद्द करने और पहले भुगतान किए गए प्रतिकर की वसूली करने में मदद करेगा. मैलस को सभी परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है और क्लॉबैक को कदाचार अथवा एनआरसी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य मानदंड के मामले में लागू किया जा सकता है. मैलस लागू किए जाने की प्रक्रिया में लागू ट्रिगर के ज्ञात होने की तारीख से आंशिक अथवा पूर्ण आस्थगित वार्षिक नकद प्रोत्साहन और/ अथवा अनिहित एलटीआई अवार्डों का निरसन अंतर्निहित होगा. क्लॉबैक व्यवस्था में लागू ट्रिगर के प्रारंभ होने की तारीख से पिछले पांच वर्षों में दिए गए वार्षिक नकद प्रोत्साहन और एलटीआई पुरस्कारों की वसूली अंतर्निहित होगी

Malus & Clawback provisions on variable pay (cash based & share-based LTI) would enable the NRC to reduce or cancel unvested awards and recover previously paid compensation in certain situations viz. divergence in Bank's provisioning for NPAs, subdued or negative financial performance, misconduct or any other parameter deemed relevant by the NRC. Malus can be invoked in all the situations and clawback can be invoked in case of misconduct or any other parameter deemed relevant by the NRC. Invocation of Malus provisions would imply cancellation of partial or full deferred annual cash incentive and/or unvested LTI awards as on the date of discovery of applicable trigger. The clawback arrangement would imply recovery of annual cash incentives paid and LTI awards vested over the last five years from the date of discovery of the applicable trigger.

- (च) परिवर्ती पारिश्रमिक के विभिन्न प्रकारों (जैसे: नकद और शेयर संबद्ध लिखतों के प्रकार) जिन्हें बैंक प्रयोग करता है, के विवरण और इन विभिन्न प्रकारों के प्रयोग के लिए औचित्य:
- (f) Description of the different forms of variable remuneration (i.e. cash and types of share-linked instruments) that the Bank utilizes and the rationale for using these different forms:

परिवर्ती वेतन नकदी एवं शेयर आधारित दीर्घावधि प्रोत्साहन (एलटीआई) का मिश्रण होगा. शेयर-आधारित एलटीआई को परिवर्तनीय वेतन के एक भाग के रूप में प्रदान किया जाएगा और इसे ब्लैक-स्कोल्स मॉडल या किसी अन्य मॉडल का उपयोग करके उचित मूल्य दिया जाएगा जैसा कि नियामक द्वारा निर्देशित किया जा सकता है. शेयर-आधारित एलटीआई समय-समय पर संशोधित बैंक की लागू योजना के निबंधन और शर्तों द्वारा शासित होगा. वार्षिक नियत वेतन के प्रतिशत (विनियामक दिशानिर्देशों के अधीन) के रूप में कर्मचारी-वार लक्ष्य परिवर्ती वेतन नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार होगा.

The Variable Pay shall be a mix of Cash & Share-based Long Term Incentive (LTI). Share-based LTI shall be granted as a part of Variable Pay and it shall be fair valued on the date of grant by using the Black-Scholes Model or any other model as may be directed by the Regulator(s). Share-based LTI shall be governed by the terms & conditions of the applicable scheme of the Bank, as amended from time-to-time. The employee category-wise target Variable Pay as a percentage of Annual Fixed Pay (subject to regulatory guidelines) shall be as recommended by the Nomination and Remuneration Committee and approved by the Board.

2) मात्रात्मक प्रकटन: / Quantitative Disclosures:

(मात्रात्मक प्रकटन में केवल पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ प्रमुख रूप से जोखिम लेने वालों की जानकारी शामिल है)
(The quantitative disclosures includes only Whole Time Directors / Chief Executive Officer/ Material Risk Takers)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22 FY 2021-22
(च) वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या (g) Number of meetings held by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) during the financial year और / and इसके सदस्यों को प्रदत्त पारिश्रमिक. (करोड़ में) Remuneration paid to its members. (in Crores)	7 0.21	9 0.14
(छ) (i) वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्ती पारिश्रमिक प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या (h) Number of employees having received a variable remuneration award during the financial year. नोट- / Note - वर्ष 2021-22 के लिए परिवर्तनीय पारिश्रमिक एमडी एवं सीईओ, 2 डीएमडी और 22 महत्वपूर्ण रूप से जोखिम लेने वालों (वर्ष 2021-22 में 1 सेवानिवृत्त एमआरटी सहित) को वर्ष 2022-23 में भुगतान किया गया. Variable remuneration for the year 2021-22 was paid to MD & CEO, 2 DMDs and 22 Material Risk Takers (including one MRT retired during the year 2021-22) in year 2022-23.	25	3
(ii) वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान किए गए साइन ऑन/जॉइनिंग बोनस की संख्या और कुल राशि Number and total amount of sign-on/joining bonus made during the financial year.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(iii) उपचित लाभों के अतिरिक्त सेवा विच्छेद भुगतान, यदि कोई हो, का विवरण Details of severance pay, in addition to accrued benefits, if any.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(ज) (i) नकद, शेयर और शेयर से जुड़े लिखत और अन्य प्रकारों में विभक्त बकाया आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि Total amount of outstanding deferred remuneration, split into cash, shares and share linked instruments and other forms. नकद / Cash ईएसओपी के एवज में नकद / Cash in lieu of ESOP*	0.50 5.28	शून्य / Nil*
नोट - / Note - बकाया आस्थगित पारिश्रमिक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मंजूर अदत्त नकद और ईएसओपी के एवज में नकद शामिल है जो वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित है. Outstanding deferred remuneration includes un-paid cash and cash in lieu of ESOP granted during the financial year 2022-23 pertaining to the financial year 2021-22)		

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

		वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22 FY 2021-22
(ii)	वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि Total amount of deferred remuneration paid out in the financial year.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(झ)	नियत और परिवर्ती, आस्थगित और गैर-आस्थगित घटकों को दिखाने हेतु		
(i)	वित्तीय वर्ष के लिए पारिश्रमिक पुरस्कार राशि का विश्लेषण ⁸ Breakdown of amount of remuneration awards for the financial year to show fixed and variable, deferred and non-deferred ⁸		
	नियत / Fixed	12.21	10.88
	परिवर्ती / Variable	13.33	11.36
	आस्थगित / Deferred	9.86	8.35
	गैर-आस्थगित / Non-Deferred	3.47	3.01
(ज)	(i) पूर्व सुस्पष्ट और/ अथवा अस्पष्ट समायोजनों के प्रति बकाया	5.78	शून्य / Nil
(क)	आस्थगित पारिश्रमिक और धारित पारिश्रमिक की कुल राशि Total amount of outstanding deferred remuneration and retained remuneration exposed to ex post explicit and / or implicit adjustments.		
	(ii) पूर्व सुस्पष्ट समायोजनों के प्रति वित्तीय वर्ष के दौरान की गई कटौतियों की कुल राशि Total amount of reductions during the financial year due to ex post explicit adjustments.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	(iii) पूर्व अस्पष्ट समायोजनों के प्रति वित्त वर्ष के दौरान की गई कटौतियों की कुल राशि Total amount of reductions during the financial year due to ex post implicit adjustments.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(ण)	पहचान किए गए एमआरटी की संख्या	23	21
(l)	Number of Material Risk Takers (MRTs) identified		
(ट)	(i) मामलों की संख्या जहां मैलस का प्रयोग किया गया है.	शून्य / Nil	3 [#]
(म)	Number of cases where malus has been exercised.		
	(ii) मामलों की संख्या जहां क्लॉबैक का प्रयोग किया गया है.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	Number of cases where clawback has been exercised.		
	(iii) मामलों की संख्या जहां मैलस और क्लॉबैक दोनों का प्रयोग किया गया है Number of cases where both malus and clawback have been exercised.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(ठ)	समग्र रूप में (सब-स्टाफ को छोड़कर) बैंक का माध्य (मीन) वेतन तथा	0.16	0.14
(n)	निम्नलिखित डब्ल्यूटीडी के वेतन का माध्य से विचलन: (करोड़ में राशि) The mean pay for the Bank as a whole (excluding sub-staff) and the deviation of the pay of each of the following WTDs from the mean pay: (Amount in Crores)		
	(i) एमडी एवं सीईओ / MD & CEO	1.63	0.73
	(ii) डीएमडी / DMD	0.87	0.51

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22 FY 2021-22
(iii) डीएमडी / DMD	0.86	0.53
नोट- / Note -		
i) वेतन में सकल वेतन शामिल है (इसमें भविष्य निधि और अवकाश लाभों के लिए प्रावधान शामिल नहीं है क्योंकि वे समग्र रूप से बैंक के लिए बीमांकिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं)+ बकाया राशि + छुट्टी नकदीकरण +वर्ष के दौरान भुगतान किया गया परिवर्तनीय वेतन +आयकर अधिनियम 1961 के तहत गणना के अनुसार अनुलाभ मूल्य. Pay includes Gross salary (excludes the provision for gratuity and leave benefits as determined on actuarial basis for the Bank as a whole) + arrears + leave encashment + Variable Pay paid during the year + perquisite value as calculated under the Income Tax Act, 1961.		
ii) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 के बकाया राशि के समावेशन के कारण एमडी एवं सीईओ और डीएमडी को क्षतिपूर्ति में विचलन से की बैंक के औसत वेतन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है. Deviation in compensation of MD & CEO and DMDs from the Mean Pay of the Bank has seen significant change due to inclusion of arrears paid to MD & CEO and DMDs for the previous year 2021-22 during the year 2022-23.		

*आरबीआई के अनुमोदन से बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए परिवर्ती वेतन को नकद और ईएसओपी के एवज में नकद प्रस्तावित किया है

* Bank has proposed Variable pay in the form of Cash and Cash in lieu of ESOPs for FY 2022-23 with the approval of RBI.

परिवर्ती वेतन का अनिवेशित भाग जो ₹ 1.07 करोड़ वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित है जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत आस्थगित बकाया पारिश्रमिक के रूप में रिपोर्ट किया गया जो कि आरबीआई के दिनांक 4 नवम्बर 2019 के दिशानिर्देशों के अनुसार मैलस प्रावधान के लागू होने के कारण पूर्णकालिक निदेशको/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/ प्रमुख रूप से जोखिम लेने वाले और नियंत्रण परिचालन कर्मचारी के क्षतिपूर्ति हेतु रद्द किया गया.

The unvested portion of variable pay amounting to Rs.1.07 crore pertaining to FY 2020-21 which was reported under outstanding deferred remuneration in the FY 2021-22 was cancelled due invocation of malus provisions as per RBI guidelines dated November 4, 2019 on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers & Control Function Staff.

\$ एमडी एवं सीईओ, डीएमडी और एमआरटी की नियत पारिश्रमिक में सकल वेतन, बकाया राशि, जिसका वित्तीय वर्ष 2022-23 में भुगतान नहीं किया गया, छुट्टी नकदीकरण और अनुलाभ मूल्य जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार गणना की गई है, शामिल है. इसमें उपदान और अवकाश लाभों के लिए प्रावधान शामिल नहीं है क्योंकि वे समग्र रूप से बैंक के लिए बीमांकिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं. एमडी एवं सीईओ, डीएमडी और एमआरटी के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आस्थगित और गैर आस्थगित परिवर्तनीय वेतन में बैंक के बोर्ड/आरबीआई द्वारा अनुमोदित अनुसार लक्षित परिवर्तनीय वेतन शामिल हैं.

\$ Fixed remuneration for MD & CEO, DMDs and MRTs includes, gross salary, arrears due but not paid for FY 2022-23, leave encashment and perquisite value as calculated under the Income Tax Act 1961. It excludes the provision for gratuity and leave benefits as they are determined on actuarial basis for the Bank as a whole. The Variable Pay - Deferred and Non-deferred includes target variable pay for FY 2022-23 for MD & CEO, DMDs and MRTs as approved by Bank's Board/RBI.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

14. अन्य प्रकटन / Other Disclosures

क) व्यवसाय अनुपात
a) Business ratios

क्रम. सं. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
1	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय [§] Interest income as a percentage to working funds [§]	6.76%	6.31%
2	कार्यशील निधियों के रूप में गैर-ब्याज आय Non-interest income as a percentage to working funds	1.44%	1.62%
3	जमाओं की लागत / Cost of Deposits	3.50%	3.56%
4	निवल ब्याज मार्जिन [^] / Net Interest Margin [^]	4.52%	3.73%
5	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ Operating profit as a percentage to working funds ^{\$}	2.87%	2.59%
6	आस्तियों पर प्रतिलाभ [@] / Return on assets [@]	1.20%	0.84%
7	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) [#] [₹ करोड़] Business (Deposits plus advances) per employee [#] [₹ crore]	22.31	20.20
8	प्रति कर्मचारी लाभ [₹ करोड़] / Profit per employee [₹ crore]	0.20	0.14

[§] कार्यशील निधियों की गणना वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अधीन फॉर्म X में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किए अनुसार कुल आस्तियों (संचित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर) के औसत तथा विदेशी शाखाओं की कुल आस्तियों (संचित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर) के औसत के रूप में की जाती है।

^{\$} Working funds are reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X under Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949, during the 12 months of the financial year and average of total assets (excluding accumulated losses, if any) of overseas branches.

[^] निवल ब्याज आय / औसत अर्जक आस्तियां. निवल ब्याज आय = ब्याज आय - ब्याज व्यय.

[^] Net Interest Income/ Average Earning Assets. Net Interest Income = Interest Income – Interest Expense

[@] आस्तियों पर प्रतिलाभ कार्यशील निधियों (अर्थात् संचित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर कुल आस्तियां) के संदर्भ में होगा।

[@] Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e., total of assets excluding accumulated losses, if any).

[#] प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशियों और अग्रिमों का जोड़) की गणना के प्रयोजन के लिए अंतर बैंक जमाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

[#] For the purpose of computation of business per employee (deposits plus advances), inter-bank deposits shall be excluded.

ख) बैंक एश्योरेंस व्यवसाय
b) Bancassurance Business

बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंक एश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्कों/ ब्रोकरेज का विवरण निम्नानुसार है :

The details of fees / brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business is as follows:

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

विवरण Particulars	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022
एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.® Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.®	15	15
भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	74	69
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कं. लि. TATA AIG General Insurance Co. Ltd.	14	10
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी / New India Assurance Co.	4	3
मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस / Max Bupa Health Insurance	13	9
कुल / Total	120	106

@- पूर्व में आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. के नाम से जानी जाती थी. / @ - Earlier known as IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.

ग) मार्केटिंग एवं वितरण
c) Marketing & Distribution

मार्केटिंग एवं वितरण कार्य (बैंकाएश्योरेंस व्यवसाय को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्कों/ कमीशन का विवरण निम्नानुसार है:

Details of fees / commission received in respect of the marketing and distribution function (excluding bancassurance business) is as follows:

विवरण Particulars	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022
म्युच्युअल फंड / Mutual Fund	30	26
सरकारी बॉन्ड्स (एफआईएस) / Government Bonds (FIS)	2	2
सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (एसजीबी) / Sovereign Gold Bond (SGB)	0.32	1
एनपीएस / NPS	0.32	0
पूंजीगत अभिलाभ बॉण्ड (एनएचएआई, आरईसी एवं आईआरएफसी) Capital Gain Bond (NHAI, REC & IRFC)	1	1
कुल / Total	33	30

घ) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटन
d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

पीएसएलसी श्रेणी PSLC Category	क्रय राशि Purchased Amount	बिक्री राशि Sold amount
पीएसएलसी-लघु एवं सीमांत कृषक (एसएफएमएफ) PSLC-Small & Marginal farmers (SFMF)	4,932	-
पीएसएलसी-कृषि / PSLC-Agriculture	-	600
पीएसएलसी-सामान्य / PSLC-General	-	2,600
पीएसएलसी-सूक्ष्म उद्यम / PSLC-Micro Enterprises	-	5,535
कुल / Total	4,932	8,735

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए / During the year ended March 31, 2023

पीएसएलसी श्रेणी PSLC Category	(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
	क्रय राशि Purchased Amount	बिक्री राशि Sold amount
पीएसएलसी-लघु एवं सीमांत कृषक (एसएफएमएफ) PSLC-Small & Marginal farmers (SFMF)	3,800	-
पीएसएलसी-कृषि / PSLC-Agriculture	-	2,900
पीएसएलसी-सामान्य / PSLC-General	-	8,825
पीएसएलसी-सूक्ष्म उद्यम / PSLC-Micro Enterprises	125	-
कुल / Total	3,925	11,725

ड) प्रावधान तथा आकस्मिकताएं
(e) Provisions and Contingencies

विवरण Particulars	(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
निवेशों के लिए प्रावधान ^ / Provision for Investments^	1,188	1,923
एनपीए के लिए प्रावधान ^ / Provision towards NPA^	(5,190)	(588)
करों के लिए किए गए प्रावधान - वर्तमान कर Provision made towards Taxes - Current Tax	(205)	47
- आस्थगित कर / Deferred Tax	1,797	1,122
अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं Other Provisions and Contingencies		
मानक आस्ति के प्रति प्रावधान Provision towards Standard Asset	1,906	72
पुनः संरचित आस्तियों (एफआईटीएल सहित) के लिए प्रावधान Provision for Restructured Assets (including FITL)	(57)	190
बटूटे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / Bad debts written off	4,018	1,917
अन्य प्रावधान@ / Other Provision@	1,634	373
कुल / Total	5,091	5,056

@ अन्य प्रावधान में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 1,293 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 326 करोड़) के एनपीए मामलों की गैर-निधि आधारित सीमाओं पर प्रावधान शामिल है।

@ Other Provision inter-alia includes provision on Non- fund based limits of NPA cases of ₹ 1,293 crore (Previous year ₹ 326 crore).

^ निवेश के लिए प्रावधान में नई प्रतिभूति रसीदों के अधिग्रहण के विरुद्ध बनाए गए ₹ 1,426 करोड़ शामिल हैं और एनपीए के लिए प्रावधान से समान राशि प्रतिलेखित की गई है।

^ Provision for Investment includes ₹ 1,426 crore (previous year - Nil) created against acquisition of new security receipts and equivalent amount is written back from provision towards NPA.

च) आईएफआरएस अभिमुख भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) का कार्यान्वयन
f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standard (Ind AS)

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 16 फरवरी 2015 की अधिसूचना के द्वारा आईएफआरएस अभिमुख भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) को अधिसूचित किया था और वित्तीय वर्ष 2018-19 से बैंकों, बीमा कंपनियों और एनबीएफसी के लिए इंड एस की प्रयोज्यता हेतु रोड मैप (18 जनवरी 2016 की प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा) भी अधिसूचित किया था। आरबीआई ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों के लिए इंड एस के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु सूचित किया और इंड एस की ओर परिवर्तित होने के लिए समय-सीमा निर्धारित की। इन दिशानिर्देशों के परिणामस्वरूप आईडीबीआई ने वित्तीय परिणामों को तैयार करने के लिए इंड एस का कार्यान्वयन प्रारंभ किया था। उसके बाद आरबीआई ने अपने दिनांक 22 मार्च 2019 के परिपत्र सं. डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 29/21.07.001/2018-19 के द्वारा बैंकिंग उद्योग के

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

लिए इंड एसएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक आस्थगित रखने का निर्णय किया। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने 8 अगस्त 2021 के अपने पत्र द्वारा प्रोफॉर्मा इंड एसएस वित्तीय विवरण प्रस्तुति की बारंबारता को कम कर तिमाही के स्थान पर छमाही करने का निर्णय किया है। तदनुसार, बैंक निर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर आरबीआई को इंड एसएस प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर रहा है।

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) had notified IFRS-converged Indian Accounting Standards (Ind AS) vide Notification dated February 16, 2015 and had also notified (vide press release dated January 18, 2016) the roadmap for applicability of Ind AS for Banks, Insurance companies and NBFCs from FY 2018-19. RBI advised all scheduled commercial banks to prepare financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards in accordance with Ind AS and prescribed a timeframe for transition towards Ind AS. Consequent to this, IDBI had commenced implementation of Ind AS in preparation of financial results. RBI subsequently decided to defer the implementation of Ind AS for banking industry till further notice vide its Circular No. DBR.BP.BC. No. 29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019. Further, RBI vide its communication dated August 08, 2021 decided to reduce the frequency of Pro-forma Ind AS Financial Statement submission from quarterly to half yearly. Accordingly Bank is submitting Ind AS Proforma Financial Statements on half yearly basis to RBI within the stipulated time.

चूंकि यह लेखांकन मानकों के नए सेट की ओर परिवर्तन की शुरुआत है, आरबीआई की ओर वित्तीय विवरण प्रारूप की अधिसूचना और साथ ही इंड एसएस परिवेश के अंतर्गत आरबीआई के विभिन्न वर्तमान परिपत्रों की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है इसलिए बैंक के लिए आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले अंतिम दिशानिर्देशों के आधार पर विभिन्न दस्तावेज (यथा-जोरिम प्रबंध, निवेश नीतियां), परिचालन प्रक्रिया ढांचा और आईटी एकीकरण तैयार करना आवश्यक है जिन्हें आने वाले समय में लगातार अद्यतित / आशोधित / विकसित किया जाएगा। बैंक के लिए इंड एसएस के कार्यान्वयन के दौरान प्रमुख प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रभावी ब्याज दर लेखांकन, उचित मूल्यांकन निविष्टियां, कार्यप्रणाली और धारणाएं, कई लिखतों में विशिष्ट मूल्यांकन प्रतिफल, अपेक्षित क्रेडिट हानियां, कर्मचारी स्टॉक विकल्प और प्रौद्योगिकी प्रणालियों का कार्यान्वयन शामिल हैं।

As it is a beginning of transition to new set of Accounting Standards and awaiting notification of Financial Statements format by RBI as well as clarifications on applicability of various existing RBI Circulars under Ind AS environment, the Bank is required to formulate various policies papers (viz. Risk Management, Investments Policies), operational process setup and IT integration based on final guidelines to be issued by RBI, which will be continuously updated/modified/ evolved over a period of time. The key impact areas during the implementation of Ind AS for the Bank include effective interest rate accounting, fair valuation inputs, methodologies and assumptions, specific valuation considerations in many instruments, expected credit losses, employee stock options and implementation of technology systems.

बैंक ने आरबीआई को प्रस्तुत करने के लिए आईसीएआई द्वारा जारी इंड एसएस के अनुरूप छमाही इंड एसएस प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनकी प्रस्तुति के लिए विभिन्न अवधारणा कागजात तैयार किए हैं।

Bank has prepared various concept papers in line with Ind AS issued by ICAI, for preparation and submission of half yearly Ind AS Pro-forma Financials to RBI.

छ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम की अदायगी g) Payment of DICGC Insurance Premium

		(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम की अदायगी Payment of DICGC Insurance Premium	286	277
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम की अदायगी में बकाया राशियां Arrears in payment of DICGC premium	-	-

15. विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं / Prudential Exposure Limits

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31, 2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान आरबीआई के एलईएफ दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक के एकल उधारकर्ताओं तथा संबद्ध प्रतिपक्षी समूह एक्सपोजरों के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं हुए हैं। एकल प्रतिपक्ष उधारकर्ता तथा संबद्ध प्रतिपक्षी समूहों के एक्सपोजर पात्र पूंजी आधार अर्थात् टियर I पूंजी की 20% और 25 % की विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं के अंदर थे।

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

During the year ended March 31, 2023, there were no breaches in respect of Single borrowers and Group of Connected Counterparties exposures of the Bank under LEF guidelines of RBI. Exposures to single counterparty borrower and group of connected counterparties were within the prudential exposure limits of 20% and 25% of eligible capital base i.e. Tier I Capital.

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31, 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक के एकल उधारकर्ताओं तथा संबद्ध प्रतिपक्षी समूह एक्सपोजरों के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं हुए हैं। एकल प्रतिपक्ष उधारकर्ता तथा संबद्ध प्रतिपक्षी समूहों के एक्सपोजर आरबीआई के वृहत् एक्सपोजर मानदंडों (निवल लेखांकन मूल्य अवधारणा) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पात्र पूंजी आधार अर्थात् टियर I पूंजी की 20% और 25% की विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं के अंदर थे।

During the year ended March 31, 2022, there were no breaches in respect of single borrowers and group of connected counterparties exposures of the Bank. Exposures to single counterparty borrower and group of connected counterparties were within the prudential exposure limits of 20% and 25% of eligible capital base i.e. Tier I Capital as prescribed under the Large Exposure norms (net accounting value concept) of RBI.

16. भारतीय रिजर्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटन) के निर्देशों, 2021 के अनुसार प्रकटन - महत्वपूर्ण मदों का प्रकटन

Disclosure as per Reserve Bank of India (Financial Statements - Presentation and Disclosures) Directions, 2021 - Disclosure of material items

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31, 2023

- क. शीर्षक 'अनुसूची 14 - अन्य आय' के अंतर्गत उपशीर्षक 'विविध आय' के तहत कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक की मदें - शून्य
- A. Item under the subhead "Miscellaneous Income" under the head "Schedule 14-Other Income" exceeding one percent of total income - NIL.
- ख. शीर्षक 'अनुसूची 16 - परिचालन व्यय' के अंतर्गत उपशीर्षक 'अन्य' के तहत कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक की मदें :
- B. Items under subhead "Others" under the head "Schedule 16 - Operating Expenses" exceeding one percent of total income:

विवरण Particulars	(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023	कुल आय का % % of Total Income
कार्ड एवं एटीएम व्यय / Card & ATM expenses	324	1.30%
बाह्यस्रोतीय व्यय / Outsourcing expenses	655	2.63%
अन्य व्यय # / Other expenditure #	519	2.08%

अन्य व्यय के अंतर्गत प्रमुख मदों में निविष्टि टैक्स क्रेडिट का प्रतिवर्तन - ₹ 177 करोड़, पीएसएलसी लेनदेन के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम का व्यय - ₹ 73 करोड़ और सीएमएस - लाभांश प्रबंधन व्यय - ₹ 38 करोड़ शामिल हैं।

Major items under other expenditure include Reversal of Input Tax Credit - ₹ 177 crore, Expense for premium paid for PSLC transaction - ₹ 73 crore and CMS - Dividend handling expense - ₹ 38 crore.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

- ग. शीर्षक 'अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान' के अंतर्गत उपशीर्षक "अन्य प्रावधान" के तहत कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक की मर्दे:
- C. Items under subhead "Other Provisions" under the "Schedule 5 - Other Liabilities and Provisions" exceeding one percent of total assets:

विवरण Particulars	(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	कुल आस्तियों का % % to Total Assets
मानक आस्तियों के विरुद्ध विवेकपूर्ण प्रावधान Prudential provisions against standard assets	4,977	1.51%
अन्य प्रावधान# / Other provisions #	5,072	1.53%
विविध (इस शीर्षक के अंतर्गत प्रमुख मर्दों में विप्रेषण/ समझौता राउटिंग खाते शामिल हैं.) Miscellaneous (Under this head, major items are Remittance / Settlement Routing Accounts)	3,291	1.00%

"अन्य प्रावधान" के अंतर्गत प्रमुख मर्दों में एनपीए एनएफबी के लिए प्रावधान - ₹ 1975 करोड़, कर्मचारी लाभ प्रावधान - ₹ 1153 करोड़ और गैर बैंकिंग आस्तियों के लिए प्रावधान - ₹ 747 करोड़ शामिल हैं।

Major items under "Other provisions" include Provision for NPA NFB - ₹ 1975 crore, Employee Benefit Provision - ₹ 1153 crore and Provision for Non-Banking Assets - ₹ 747 crore.

- घ. "अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां" के अंतर्गत उपशीर्षक "अन्य" के तहत कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक की मर्दे:
- D. Items under subhead "Others" under the "Schedule 11 - Other Assets" exceeding one percent of total assets:

विवरण Particulars	(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	कुल आस्तियों का % % to Total Assets
आस्थगित कर आस्ति (निवल) / Deferred Tax Asset (net)	11,521	3.49%
विविध# / Miscellaneous#	10,737	3.25%

विविध के अंतर्गत प्रमुख मर्दों में नाबार्ड, एनएचबी, मुद्रा और सिडबी के पास ₹ 8,353 करोड़ की पीएसएल जमा राशि शामिल है।

Major items under Miscellaneous include PSL deposits amounting to ₹ 8,353 crore held with NABARD, NHB, Mudra and SIDBI.

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31, 2022

- क. शीर्षक 'अनुसूची 14 - अन्य आय' के अंतर्गत उपशीर्षक "विविध आय" के तहत कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक की मर्दे - शून्य.
- A. Item under the subhead "Miscellaneous Income" under the head "Schedule 14-Other Income" exceeding one percent of total income - NIL.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

- ख. शीर्षक 'अनुसूची 16 - परिचालन व्यय' के अंतर्गत उपशीर्षक 'अन्य' के तहत कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक की मदें :
B. Items under subhead "Others" under the head "Schedule 16 - Operating Expenses" exceeding one percent of total income:

विवरण Particulars	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended on March 31, 2022	(₹ करोड़) / (₹ Crore) कुल आय का % % of Total Income
कार्ड एवं एटीएम व्यय / Card & ATM expenses	306	1.33%
बाह्यस्रोतीय व्यय / Outsourcing expenses	595	2.59%
अन्य व्यय # / Other expenditure #	530	2.30%

अन्य व्यय के अंतर्गत प्रमुख मदों में निविष्टि टैक्स क्रेडिट का प्रतिवर्तन ₹ 144 करोड़, पीएसएलसी लेनदेन के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम का व्यय - ₹ 91 करोड़ शामिल हैं।

Major items under other expenditure include Reversal of Input Tax Credit - ₹ 144 crore, Expense for premium paid for PSLC transaction - ₹ 91 crore

- ग. शीर्षक 'अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान' के अंतर्गत उपशीर्षक 'अन्य प्रावधान' के तहत कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक की मदें :
C. Items under subhead "Other Provisions" under the "Schedule 5 - Other Liabilities and Provisions" exceeding one percent of total assets:

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	(₹ करोड़) / (₹ Crore) कुल आस्तियों का % % to Total Assets
मानक आस्तियों के विरुद्ध विवेकपूर्ण प्रावधान Prudential provisions against standard assets	3,071	1.02%
अन्य प्रावधान# / Other provisions #	3,359	1.11%
विविध (इस शीर्षक के अंतर्गत प्रमुख मदों में विप्रेषण/ समझौता राउटिंग खाते शामिल हैं.) Miscellaneous (Under this head major items are Remittance / Settlement Routing Accounts)	3,280	1.09%

'अन्य प्रावधान' के अंतर्गत प्रमुख मदों में कर्मचारी लाभ प्रावधान - ₹ 761 करोड़, गैर बैंकिंग आस्तियों के लिए प्रावधान - ₹ 747 करोड़ और एनपीए एनएफबी के लिए प्रावधान - ₹ 682 करोड़ शामिल हैं।

Major items under "Other provisions" include Employee Benefit Provision - ₹ 761 crore, Provision for Non-Banking Assets - ₹ 747 crore and Provision for NPA NFB- ₹ 682 crore.

- घ. 'अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां' के अंतर्गत उपशीर्षक 'अन्य' के तहत कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक की मदें :
D. Items under subhead "Others" under the "Schedule 11 - Other Assets" exceeding one percent of total assets:

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	(₹ करोड़) / (₹ Crore) कुल आस्तियों का % % to Total Assets
आस्थगित कर आस्ति (निवल) / Deferred Tax Asset (net)	13,318	4.42%
विविध # / Miscellaneous #	15,233	5.05%

विविध के अंतर्गत प्रमुख मदों में नाबार्ड, एनएचबी, मुद्रा और सिडबी के पास ₹ 14164 करोड़ की पीएसएल जमा राशि शामिल है।

Major items under Miscellaneous include PSL deposits amounting to ₹ 14164 crore held with NABARD, NHB, Mudra and SIDBI.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

आ. लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं

B. DISCLOSURE REQUIREMENTS AS PER ACCOUNTING STANDARDS

1. अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)

Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5)

- 31 मार्च 2023 तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/ व्यय मदें नहीं थीं।
There were no material prior period income/ expenditure items for the year ended March 31, 2023 and March 31, 2022.
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अपनाई गई लेखांकन नीतियों की तुलना में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं है।
There is no change in significant accounting policies adopted during the year ended March 31, 2023 as compared to those followed in the previous financial year.

2. अचल आस्तियां (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण) (एएस-10) / Fixed Assets (Property, Plant & Equipment's) (AS-10)

- क) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने बट्टाकृत नकदी प्रवाह, लागत दृष्टिकोण पद्धति, तुलनात्मक बिक्री पद्धति जैसी कार्य प्रणालियों का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा किए गए मूल्यांकनों के आधार पर पट्टाधृत/ पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि एवं आवासीय/ कार्यालय भवनों सहित अपने परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया है। पुनर्मूल्यन के कारण उत्पन्न संपत्तियों के वहन मूल्य में ₹ 2,409 करोड़ की वृद्धि सीधे पुनर्मूल्यन रिजर्व में जमा कर दी गई थी। इसी प्रकार पुनर्मूल्यन के कारण उत्पन्न कुछ संपत्तियों के वहन मूल्य में ₹ 73 करोड़ की गिरावट लाभ और हानि खाते से प्रभारित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों की डबल्यूडीवी लागत पुनर्मूल्यन से पूर्व ₹ 6,602 करोड़ थी।
- a) During the previous FY 2021-22, the Bank had re-valued its Premises including leasehold / Freehold Lands & Residential/ Office buildings based on valuations made by independent valuers, using methodologies such as discounted cash flow, cost approach method, comparable sales method. An increase of ₹ 2,409 crore in carrying value of properties, arising on account of revaluation was credited directly to the Revaluation reserve. Similarly, a decrease of ₹ 73 crore in the carrying value of some properties, arising on account of revaluation was charged to profit and loss account. The WDV cost of fixed assets revalued during FY 2021-22 was ₹ 6,602 crore before revaluation.
- ख) 31 मार्च 2023 को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में शेष ₹ 8,201 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8,468 करोड़) है।
- b) The balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2023 is ₹ 8,201 crore (Previous year ₹ 8,468 crore).
- ग) वर्ष के दौरान आवासीय/ कार्यालय भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई ₹ 2 करोड़ की निवल हानि (पिछले वर्ष: ₹ 0.61 करोड़ का निवल लाभ) की राशि को अनुसूची 14 - अन्य आय में शामिल किया गया है।
- c) Net loss amounting to ₹ 2 crore (Previous year: Net profit ₹ 0.61 crore) on account of sale of residential/office buildings and other assets during the year is included in Schedule 14 - Other Income.
- घ) पुनर्मूल्यांकन रिजर्व लाभांशों के वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।
- d) Revaluation reserve is not available for distribution of dividends

3. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित) / Employee Benefits (AS-15) (Revised)

अ. कर्मचारी लाभ योजनाएं

A. Employee Benefit Schemes

i. निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं / Defined Contribution Schemes

बैंक के उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्होंने पेंशन विकल्प चुना है, जिन्होंने 31 मार्च 2008 से पहले बैंक में सेवा ग्रहण की है, उन्हें भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है। बैंक एक निर्दिष्ट अंशदान जो कि मूल वेतन के नियत प्रतिशत के रूप में होता है। पीएफएस में जमा करता है। भविष्य निधि योजना को 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों भविष्य निधि ट्रस्ट (ट्रस्ट) के न्यासी मंडल' द्वारा संचालित किया जाता है। आईडीबीआई होम फाइनेंस (आईएचएफएल) तथा आईडीबीआई गिल्ट्स लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि अंशदान मई 2011 तक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया गया था और उसके बाद अंशदान ऊपर उल्लेखित निधि में जमा कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पीएफएस में ₹ 7 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 15 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is managed by "The Board of Trustees of IDBI Bank Employees' Provident Fund Trust (Trust)". In respect of employees of IDBI Home Finance

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund. During the FY 2022-23 ₹ 7 crore (Previous FY 2021-22 ₹ 15 crore) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 1 अप्रैल 2008 के बाद कार्यग्रहण किया है, उन्हें आईडीबीआई बैंक लिमिटेड नई पेंशन योजना (आईबीएलएनपीएस) के तहत कवर किया गया है, जिसमें बैंक वेतन एवं महंगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप में निश्चित अंशदान देता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आईबीएलएनपीएस में ₹ 177 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 174 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by IDBI Bank Ltd. New Pension Scheme (IBLNPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the FY 2022-23, ₹ 177 crore (Previous FY 2021-22 ₹ 174 crore) has been contributed to IBLNPS and charged to Profit and Loss Account.

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाएं / Defined Benefit Schemes

- क. बैंक कर्मचारियों की ग्रैच्युटी देयता के लिए 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रैच्युटी फंड ट्रस्ट' में अंशदान देता है।
- a. The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.
- ख. बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं, जिसका प्रबंध 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा किया जाता है।
- b. Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.
- ग. इन निर्दिष्ट लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य तथा संबंधित चालू सेवा लागत की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति से की जाती है।
- c. The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

आ. निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और यथा 31 मार्च 2023 को बैंक के वित्तीय विवरण में दर्शायी गई राशियों की स्थिति को प्रस्तुत करती है जो एएस-15(आर) के अनुसार है।

B. The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Bank's financial statements as at March 31, 2023 which is per AS-15(R).

विवरण Particulars	(₹ करोड़) / (₹ Crore)			
	पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity
	31 मार्च 2023 को/ March 31, 2023 As at March 31, 2023	31 मार्च 2023 को/ March 31, 2023 As at March 31, 2023	31 मार्च 2022 को/ March 31, 2022 As at March 31, 2022	31 मार्च 2022 को/ March 31, 2022 As at March 31, 2022
क) लाभ दायित्वों में परिवर्तन: a) Change in benefit obligations:				
वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ संबंधी दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year	3,619	958	3,190	938
ब्याज लागत / Interest cost	268	70	222	65
चालू सेवा लागत / Current Service cost	45	35	36	38

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

विवरण Particulars	(₹ करोड़) / (₹ Crore)			
	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
	31 मार्च 2023 को/ March 31, 2023 As at March 31, 2023	31 मार्च 2023 को/ March 31, 2023 As at March 31, 2023	31 मार्च 2022 को/ March 31, 2022 As at March 31, 2022	31 मार्च 2022 को/ March 31, 2022 As at March 31, 2022
सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान व्यय की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) # Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit#	-	-	333	-
प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(215)	(87)	(222)	(64)
जनसांख्यिकीय अवधारणाओं में हुए बदलाव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (gain)/ loss due to change in Demographic assumptions	-	-	(3)	(2)
वित्तीय अवधारणाओं में हुए बदलाव के कारण- दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	(95)	(19)	(182)	(38)
अनुभव के कारण- दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	171	16	245	22
वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ/दायित्व Projected benefit/ obligation, end of the year	3,793	972	3,619	958
ख) योजना आस्तियों में परिवर्तन : b) Change in plan assets:				
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year	3,821	1,023	3,092	1,003
योजना आस्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ Expected return on plan assets	283	75	216	69
नियोक्ता का अंशदान* / Employer's contributions*	54	54	581	1
प्रदत्त लाभ/ / Benefits paid	(215)	(87)	(222)	(64)
बीमांकिक लाभ / (हानि) / Actuarial gain / (loss)	(43)	3	154	13
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	3,900	1,067	3,821	1,023
ग) दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान c) Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets				
वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	3,793	972	3,619	958
योजना आस्तियों का उचित मूल्य / Fair Value of Plan assets	3,900	1,067	3,821	1,023

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
	31 मार्च 2023 को/ March 31, 2023 As at March 31, 2023	31 मार्च 2023 को/ March 31, 2023 As at March 31, 2023	31 मार्च 2022 को/ March 31, 2022 As at March 31, 2022	31 मार्च 2022 को/ March 31, 2022 As at March 31, 2022
अधिशेष/ (कमी) / Surplus/ (Deficit)	107	95	201	64
घ) लाभ एवं हानि खाते में डाले गए व्यय d) Expenses Recognised in Profit & Loss Account				
सेवा लागत / Service cost	45	35	36	38
ब्याज लागत / Interest cost	268	70	222	65
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected return on plan assets	(283)	(75)	(216)	(69)
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि / Net Actuarial (gain)/ loss	119	(7)	(95)	(31)
सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान निर्धारित की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	-	-	333	-
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की वास्तविक लागत Actual cost to P & L for the year	148	23	281	3
ड) आस्तियों की श्रेणी e) Category of Assets				
सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	401	-	292	-
कॉर्पोरेट बॉण्ड / Corporate Bonds	1,182	-	1,053	-
विशेष जमा योजना / Special Deposits Scheme	-	-	24	-
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां / Insurer Managed Funds	2,229	1,067	2,220	1,023
नकद और नकदी के समतुल्य / Cash and Cash equivalents	11	-	16	-
अन्य / Others	78	-	214	-
कुल / Total	3,900	1,067	3,821	1,023
च) अगले वर्ष में अपेक्षित अंशदान f) Expected contribution in next year	-	-	-	-
छ) लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं g) Assumptions used in accounting:				
बट्टा दर / Discount rate	7.52%	7.49%	7.29%	7.29%
योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर Rate of return on plan assets	7.52%	7.49%	7.29%	7.29%
वेतन बढ़ोतरी दर / Salary escalation rate	5.75%	5.75%	5.75%	5.75%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ग्रेच्युटी में नियोजता के अंशदान में ₹53 करोड़ शामिल है जिनके लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रावधान किया गया था।

*The employer's contribution for Gratuity for FY2022-23 includes ₹ 53 crore for which provision was made in FY2020-21.

बैंक के बोर्ड द्वारा दिनांक 28 दिसंबर 2021 को अपनी बैठक में दिए गए अनुमोदन के अनुसार, बैंक ने 11 नवम्बर 2020 के संयुक्त नोट के अनुसार कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण ₹333 करोड़ की अतिरिक्त देयता का अनुमान लगाया था। आरबीआई ने दिनांक 04 अक्टूबर 2021 के अपने परिपत्र संदर्भ आरबीआई /2021-22/105 डीओआर एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 के माध्यम से बैंक को उक्त अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने हेतु 5 (पांच) वर्षों से अनधिक अवधि की अनुमति दी है, जो 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होकर प्रत्येक वर्ष में कुल राशि का न्यूनतम 1/5 हिस्सा व्यय करने के अधीन है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने लाभ और हानि खाते में पूरी अतिरिक्त देयता प्रदान की है और यथा 31 मार्च 2022 को परिवार पेंशन योजना के लिए बैलेंस शीट में कोई अपरिशोधित व्यय नहीं है।

In terms of approval granted by Bank's Board vide its meeting dated December 28, 2021, the Bank had estimated additional liability on account of revision in family pension for employees as per Joint Note dated November 11, 2020 at ₹ 333 crore. RBI vide their circular reference RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 04, 2021, has permitted Banks to amortize the said additional liability over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year ending March 31, 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. However, during FY 2021-22 the Bank has provided entire additional liability in profit and loss account and there is no unamortised expenditure in the Balance Sheet on account of Family Pension Scheme as on March 31, 2022.

विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
	31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	31 मार्च 2023 को/ As at March 31, 2023	31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
नौकरी छोड़ने की दर Attrition Rate	4 वर्ष और उससे कम सेवा के लिए 3.60% प्रति वर्ष और तत्पश्चात 2.49% 3.60% p.a. for 4 years and below service and 2.49% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा तत्पश्चात 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा तत्पश्चात 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा तत्पश्चात 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter
मृत्यु दर Mortality Rate	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)

बीमांकिक मूल्यांकन में विचार किये जाने वाले भावी वेतन आय वृद्धि के अनुमानों में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

The estimates of future salary income increases considered in the actuarial valuation takes into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors.

सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त प्रतिफल वक्र के आधार पर योजनागत आस्तियों को बाजार भाव पर दर्शाया है। अतः प्रतिलाभ की अपेक्षित दर को छूट दर के समान ही रखा गया है।

The Plan assets are marked to market on the basis of the yield curve derived from government securities. Hence, the expected rate of return has been kept the same as the discount rate

अनुभव समायोजन: / Experience Adjustments:

(i) ग्रेच्युटी योजना / Gratuity Plan

विवरण Particulars	(₹ करोड़) / (₹ Crore)				
	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligation	972	958	938	932	787
योजना आस्तियां / Plan assets	1,067	1,023	1,003	880	708
अधिशेष/(कमी) / Surplus/(deficit)	95	64	66	(52)	(79)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments On plan liabilities [Gain / (Loss)]	(16)	(22)	(13)	(56)	(45)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments on plan assets [Gain / (Loss)]	3	13	(0.06)	5	(0.05)

(ii) पेंशन योजना / Pension Plan

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligation	3,793	3,619	3,190	2,993	2,343
योजना आस्तियां / Plan assets	3,900	3,821	3,092	2,698	2,436
अधिशेष/(कमी) / Surplus/(deficit)	107	201	(98)	(295)	93
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments On plan liabilities [Gain / (Loss)]	171	(245)	15	(351)	(180)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments on plan assets [Gain / (Loss)]	(43)	154	41	14	57

ख. अन्य दीर्घावधि लाभ

B. Other long term benefits

1. छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2022
कुल बीमाकृत देयता / Total Actuarial Liability	743	701
धारणाएँ / Assumptions		
बट्टा दर / Discount Rate	7.49%	7.29%
वेतन बढ़ोतरी दर / Salary Escalation Rate	5.75%	5.75%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

2. स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना / Voluntary Health Scheme

	(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2022
कुल बीमांकित देयता / Total Actuarial Liability	60	60
धारणाएँ / Assumptions		
बट्टा दर / Discount Rate	7.52%	7.41%

3. बैंक के कर्मचारी अशक्तता सहायता के लिए पात्र हैं जिसे अशक्तता की घटना घटित होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है।
Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

घ. ग्रेच्युटी के लिए अतिरिक्त प्रावधान

C. Additional Provision towards Gratuity

प्रस्तावित संशोधित वेतनमान के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त देयता को पूरा करने हेतु कर्मचारियों के लाभ के लिए निम्नानुसार अतिरिक्त प्रावधान किया गया है:

An additional provision towards employee benefits has been made to meet the additional liability which may arise in effect of implementation of proposed revised pay scale as under:

	(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
	31 मार्च 2023* को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2023*	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2022**
पेंशन / Pension	190	Nil
ग्रेच्युटी / Gratuity	48	48
छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment	112	Nil
कुल / Total	350	48

* नवंबर 2022- अक्टूबर 2027 की अवधि के लिए संशोधित वेतनमान के लिए।

*For revised pay scale for the Period November 2022- October 2027

** नवंबर 2017- अक्टूबर 2022 की अवधि के लिए संशोधित वेतनमान के लिए।

** For revised pay scale for the Period November 2017- October 2022

उपरोक्त तालिका में कर्मचारी सुविधाओं की परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत दिए गए विवरणों पर उपरोक्त प्रावधान का प्रभाव नहीं पड़ता है।

Details given under Defined benefit scheme of Employee benefits in table above does not have effect of the above provision.

4. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17) / Segment Reporting (AS-17)

बैंक मुख्य रूप से तीन कारोबारी खंडों में निम्नानुसार परिचालन करता है :

The Bank primarily operates in three business segments as under:

i) ट्रेजरी Treasury	ट्रेजरी परिचालनों में सभी निवेश, मुद्रा बाजार परिचालन, व्युत्पन्नों का सौदा, प्रोप्राइटी खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं। Treasury operations include all investments, money market operations, derivative trading, and foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
------------------------	---

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

ii) खुदरा बैंकिंग Retail Banking	<p>खुदरा बैंकिंग में व्यापक रूप से ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार सहित वैयक्तिक एवं लघु कारोबार पर केंद्रित हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रैवल/करेंसी कार्ड, अन्य पक्ष वितरण और ट्रांजेक्शन बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं.</p> <p>Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet Banking, mobile Banking, credit cards, debit cards, travel/currency cards, third party distribution and transaction Banking services</p>
iii) कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	<p>इसमें खुदरा के अलावा जमा एवं ऋण कार्यकलापों को कवर करने वाले कॉर्पोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉर्पोरेट सलाहकारी / सिंडिकेशन, परियोजना मूल्यांकन भी शामिल हैं. परिणामी राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों में लगाई गई पूंजी को कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग खंड में शामिल किया गया है.</p> <p>Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal. Results, revenue and capital employed of international operations are included in Corporate/Wholesale Banking segment.</p>
iv) अविनिधानित Unallocated	<p>इसमें प्रावधान को घटाकर अग्रिम भुगतान कर, आस्थगित कर और कंपनी स्तर पर गणना की गई सीमा तक प्रावधान शामिल हैं.</p> <p>Includes items such as tax paid in advance net of provision, deferred tax and provisions to the extent reckoned at the entity level.</p>

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. विवरण Sr. No. Particulars	समाप्त वर्ष Year Ended	
	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
क./a. खंड राजस्व / Segment Revenue		
कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	6,210	6,463
खुदरा बैंकिंग / Retail banking	25,092	20,795
ट्रेजरी / Treasury	9,589	13,129
अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	172	135
अविनिधानित / Unallocated	300	353
कुल / TOTAL	41,362	40,875
घटाएं : अंतर खंड राजस्व / Less : Inter-segment revenue	16,421	17,893
निवल खंड राजस्व / Net Segment Revenue	24,942	22,982
ख. खंड परिणाम- कर पूर्व लाभ / (हानि) b. Segment Results -Profit/(loss) before tax		
कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	3,432	1,794
खुदरा बैंकिंग / Retail banking	979	827
ट्रेजरी / Treasury	405	539
अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	122	96
अविनिधानित / Unallocated	300	353
कर पूर्व लाभ / (हानि) / Profit/(Loss) before tax	5,238	3,609

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. विवरण Sr. No. Particulars	समाप्त वर्ष Year Ended	
	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
आय कर / Income taxes	1,593	1,169
निवल लाभ / (हानि) / Net profit/(Loss)	3,645	2,439
ग. / c. खंड आस्तियां / Segment assets		
कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	46,165	36,214
खुदरा बैंकिंग / Retail banking	1,29,710	1,10,576
ट्रेजरी / Treasury	1,40,560	1,38,045
अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	18	20
अविनिधानित आस्तियां / Unallocated assets	14,049	16,748
कुल आस्तियां / Total assets	3,30,502	3,01,603
री / d. खंड देयताएं / Segment liabilities		
कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	19,378	10,694
खुदरा बैंकिंग / Retail banking	2,50,402	2,32,940
ट्रेजरी / Treasury	15,403	16,306
अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	1	1
अविनिधानित आस्तियां / Unallocated liabilities	-	-
कुल देयताएं / Total liabilities	2,85,184	2,59,941
री e. नियोजित पूंजी (खंड आस्तियां - खंड देयताएं) Capital employed (Segment assets-Segment liabilities)		
कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	26,787	25,520
खुदरा बैंकिंग / Retail banking	(1,20,692)	(1,22,364)
ट्रेजरी / Treasury	1,25,157	1,21,740
अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	17	18
अविनिधानित / Unallocated	14,049	16,748
कुल / Total	45,318	41,662

- भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार और लागू लेखा मानक (एएस) - 17, 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुपालन में, रिपोर्ट करने योग्य खंडों को ट्रेजरी, कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और अन्य बैंकिंग परिचालनों के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है। संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और संबंधित आय/ व्यय को ट्रेजरी खंड के अंतर्गत पुनः समूहीकृत किया गया है।

As per extant RBI guidelines and in compliance with the applicable Accounting Standard (AS) – 17, 'Segment Reporting', reportable segments are identified as Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and other Banking operations. Entire investments portfolio and corresponding income/expenses have been regrouped under the Treasury Segment.
- योजनाओं और सेवाओं के स्वरूप और जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संस्था संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद इन खंडों की पहचान उक्त लेखा मानक (एएस) के अनुरूप की गई है।

These segments have been identified in line with the said Accounting Standard (AS) after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

- 'खंड परिणाम' निर्धारित करने में, बैंक द्वारा अपनाई गई निधि अंतरण मूल्य प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है।
In determining 'Segment Results', the funds transfer price mechanism adopted by the Bank has been used.
- परिणाम, राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के नियोजित पूंजी को कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग खंड में शामिल किया जाता है।
Results, Revenue and Capital Employed of International operations are included in Corporate/Wholesale Banking segment.
- लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, योजनाओं और सेवाओं की प्रकृति, विभिन्न जोखिमों और रिटर्न, संगठन संरचना, आंतरिक व्यापार रिपोर्टिंग प्रणाली और आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक खंडों की पहचान की गई और रिपोर्ट की गई। 7 अप्रैल 2022 के अपने परिपत्र द्वारा डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना पर, आरबीआई ने खुदरा बैंकिंग खंड के उप-खंड के रूप में डिजिटल बैंकिंग खंड की रिपोर्टिंग निर्धारित की है। बैंक के प्रस्तावित डीबीयू ने संचालन की शुरुआत नहीं की है और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) (जिसमें बैंकों और आरबीआई के प्रतिनिधि शामिल हैं) द्वारा गठित डीबीयू वर्किंग ग्रुप की चर्चाओं के संबंध में, खुदरा बैंकिंग खंड के एक अलग उप-खंड के रूप में डिजिटल बैंकिंग की रिपोर्टिंग डीबीयू कार्यकारी समूह के निर्णय के आधार पर बैंक द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा।
Business Segments have been identified and reported taking into account the target customer profile, the nature of products and services, the differing risks and returns, the organisation structure, the internal business reporting system and the guidelines prescribed by the RBI. Vide its circular dated April 7, 2022 on establishment of Digital Banking Units (DBUs), the RBI has prescribed reporting of Digital Banking Segment as a sub-segment of Retail Banking Segment. The proposed DBUs of the Bank have not commenced operations and having regard to the discussions of the DBU Working Group formed by Indian Banks' Association (IBA) (which included representatives of banks and RBI), reporting of Digital Banking as a separate sub-segment of Retail Banking Segment will be implemented by the Bank based on the decision of the DBU Working Group.
- 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने एनपीए ऋणों के समनुदेशन के लिए प्राप्त प्रतिभूति रसीदों के लिए ट्रेजरी पोर्टफोलियो के अंतर्गत ₹ 1,426 करोड़ (पिछले वर्ष: शून्य) का प्रावधान किया है। कॉरपोरेट पोर्टफोलियो के अंतर्गत समतुल्य राशि के प्रावधान का तदनुसूची रिवर्सल है।
During year ended March 31, 2023, bank has made provision of ₹ 1,426 crore (Previous Year: Nil) under treasury portfolio for security receipts received against assignment of NPA loans. There is a corresponding reversal of provision of equivalent amount under corporate portfolio.
- बैंक ने 31 मार्च 2023 को आरएफ 1.0, आरएफ 2.0 और एमएसएमई ओटीआर के अंतर्गत ₹ 2,824 करोड़ के कुल मानक खुदरा पोर्टफोलियो के पुनर्गठन पर ₹ 1,836 करोड़, 65% (पिछले वर्ष: शून्य) का प्रावधान किया है।
The bank has made provision of ₹1,836 crore (Previous Year: Nil) at 65% on the total standard retail portfolio restructured under RF 1.0, RF 2.0 and MSME OTR of ₹ 2,824 crore as on March 31, 2023.
- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अपनाई गई निधि अंतरण मूल्य प्रणाली के अनुसार गणना किया गया अंतर-खंड राजस्व शामिल है।
The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per Fund Transfer Pricing system followed by the Bank.
- बैंक मुख्य रूप से भारत में परिचालन करता है, इसलिए बैंक ने माना है कि इसका परिचालन मुख्य रूप से घरेलू खंड में है और इस तरह कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खंड नहीं है।
The Bank primarily operates in India, hence the Bank has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

5. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18) / RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

अ) एएस-18 के अनुसार संबद्ध पक्षकार की सूची

A. List of related party as per AS-18

I. प्रवर्तक : / Promoter:

- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) / Life Insurance Corporation of India (LIC)

II. सहायक संस्थाएं : / Subsidiaries:

- आइडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज / IDBI Capital Market & Securities Ltd.
- आइडीबीआई इंटेक लि. / IDBI Intech Ltd.
- आइडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लि. / IDBI Mutual Fund Trustee Company Ltd.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

- आइडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. / IDBI Asset Management Ltd.
- आइडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. / IDBI Trusteeship Services Ltd.

III. संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था / Jointly Controlled Entity:

- एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड / Ageas Federal Life Insurance Co Ltd.

[21 सितंबर 2022 को बैंक ने एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में पूरी हिस्सेदारी (25%) एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल एनवी को बेच दी थी]

[On September 21, 2022, Bank had sold entire stake (25%) in Ageas Federal Life Insurance Company Ltd. to Ageas Insurance International NV]

IV. सहयोगी संस्थाएं / Associates:

- बायोटेक कॉन्सोर्शियम इंडिया लिमिटेड / Biotech Consortium India Ltd.
- नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड / National Securities Depository Ltd
- नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड / North Eastern Development Finance Corporation Ltd
- पोंडीचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीआईपीडीआईसीएल)
Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd (PIPDICL)

V. बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / Key management personnel of the Bank:

- श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / Shri Rakesh Sharma, MD & CEO
- श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक / Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD
- श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, उप प्रबंध निदेशक / Shri Suresh Kishanchand Khatanhar, DMD
- श्री पोथुकुची सीताराम, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (31 मार्च 2023 तक)
Shri Pothukuchi Sitaram, Executive Director & CFO (upto March 31, 2023)
- श्रीमती स्मिता हरीश कुबेर, सीएफओ (01 अप्रैल 2023 से)
Smt. Smita Harish Kuber, CFO (from April 01, 2023)
- श्रीमती ज्योति नायर, कंपनी सचिव / Smt. Jyothi Nair, Company Secretary

केएमपी के रिश्तेदार और उनकी हितबद्ध संस्थाएं / Relative of KMP & their interested entities:

- श्रीमती अनिता शर्मा, श्री हर्षवर्धन शर्मा, श्री पार्थ शर्मा, श्री राजेश कुमार लव, श्रीमती आशा गोस्वामी, श्रीमती निधि शर्मा, श्रीमती शैलजा कौशल, डॉ. मुथुलक्ष्मी रामास्वामी, श्री सैम्युअल जॉर्ज स्टीफन जेबराज, श्रीमती मैरी जेबराज, श्री गेब्रियल स्टीफन राम्याकुमार सैम्युअल, इवांगेलिन मैरी किरुबा सैम्युअल, जॉन अलेक्जेंडर जेबराज, शांति लावण्या पॉल, इवांगेलिन सिंधिया राजकुमार, श्रीमती विदिशा सुरेश खटनहार, श्री किशनचंद खटनहार, श्रीमती रजनी खटनहार, श्री लवेश खटनहार, श्री रमेश खटनहार, श्रीमती पूनम करणी, श्रीमती रल्लापल्ली राजश्री, सचिन पोथुकुची, सौम्या पोथुकुची, पी वी शिवराम, पी वी कृष्ण मूर्ति, पी श्रीनिवास, पी हरि प्रसाद, श्री बीजू नायर, श्री कुट्टी कृष्ण नायर, श्रीमती देवी के नायर, अदित्री नायर, प्रीति जावजी, रेंति नायर.

Smt. Anita Sharma, Shri. Harshvardhan Sharma, Shri Parth Sharma, Shri.Rajesh Kumar Lav, Smt. Asha Goswami, Smt. Nidhi Sharma, Smt. Shailja Kaushal, Dr. Muthulakshmi Ramaswamy, Shri Samuel George Stephen Jebaraj, Smt. Mary Jebaraj, Shri Gabriel Stephen Ramyakumar Samuel, Evangeline Mary Kiruba Samuel, John Alexander Jebaraj, Shanthy Lavanya Paul, Evangeline Cynthia Rajkumar, Smt. Vidisha Suresh Khatanhar, Shri Kishinchand Khatanhar, Smt. Rajni Khatanhar, Shri Lavesh Khatanhar, Shri Ramesh Khatanhar, Smt. Poonam Karani, Smt. Rallapalli Rajasree, Sachin Pothukuchi, Saumya Pothukuchi, P V Sivaram, P V Krishna Murthy, P Srinivas, P Hari Prasad, Shri Biju Nair, Shri Kutty Krishnan Nair, Smt. Devi K Nair, Aditri Nair, Preethi Javaji, Rethi Nair

- संस्थाएं जिनमें केएमपी की हितबद्धता है- एसआईआरएफ इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. एवं सोशल फूटप्रिंट प्रा. लि.

Entities in which KMPs have Interest - SIRF Investment Pvt. Ltd. & Social Footprint Pvt. Ltd.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

आ. संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए लेन-देनों का विवरण

B. Details of transactions with Related Parties

i. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन/ शेषराशियां

Transactions/ balances with related parties during the Year ended March 31, 2023

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी कंपनियां # Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक § Key Management Personnel §	कुल Total
31 मार्च 2023 को बकाया उधार Borrowings Outstanding as on March 31, 2023	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान बकाया उधार की अधिकतम राशि Maximum amount of borrowings Outstanding during the year	1,450	-	-	-	-	1,450
जमाराशियों का स्थानन Placement of deposit	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 को बकाया जमा राशियां Deposits Outstanding as on March 31, 2023	5,390	177	-	89	-	5,656
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमा राशियां Maximum amount of Deposits Outstanding during the year	9,164	307	13	314	-	9,798
31 मार्च 2023 को अन्य बकाया देयताएं Other Liabilities Outstanding as on March 31, 2023	0.31	17	-	-	-	17
वर्ष के दौरान अन्य बकाया देयताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Other Liabilities Outstanding during the year	0.31	57	0.003	-	-	57
31 मार्च 2023 को बकाया निवेश Investments Outstanding as on March 31, 2023	-	308	-	37	-	345
अधिकतम बकाया निवेश Maximum investments Outstanding	-	308	200	37	-	545
31 मार्च 2023 को अग्रिम Advances as on March 31, 2023	-	22	-	-	-	22
वर्ष के दौरान अधिकतम अग्रिम Maximum Advances During the year	-	22	-	-	-	22
31 मार्च 2023 को प्राप्य बकाया Receivable Outstanding as on March 31, 2023	7	1	-	0.001	-	8
वर्ष के दौरान प्राप्य बकाया की अधिकतम राशि Maximum amount of receivable Outstanding during the Year	7	2	1	0.001	-	10

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी कंपनियां # Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक \$ [@] Key Management Personnel \$ [@]	कुल Total
जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	1	9	0.003	7	-	17
पारिश्रमिक Remunerations	-	-	-	-	8	8
से सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यय Expenses for receiving services from	2	81	-	1	-	84
को प्रदान की गई सेवाओं से आय Income from services rendered to	77	14	2	0.10	-	93
अग्रिमों पर ब्याज आय Interest Income on Advances	-	0.47	-	-	-	0.47
उधारों पर ब्याज व्यय Interest Expense on borrowings	70	-	-	-	-	70
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधि प्रतिबद्धताओं की अधिकतम राशि Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	5	-	0.28	-	5
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधि प्रतिबद्धताएं Maximum amount of Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	5	0.25	0.28	-	6

पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में, बैंक को कंपनी से किसी प्रकार के वित्तीय विवरण तथा संव्यवहार विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इसकी जानकारी उपर्युक्त में समेकित नहीं है। बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में किए गए निवेश को अवलेखित कर एक रुपया कर दिया है।

In respect of PIPDICAL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the company hence information not consolidated in above. The Bank has written down investment in PIPDICAL to Rupee one.

\$ एस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकृति के संव्यवहारों को प्रकट नहीं किया गया है।

\$ In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

@ 1) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ एक समग्र पूल के हिस्से के रूप में उपचित किए जाते हैं और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों पर आवंटित नहीं किए जाते हैं। Retiral Benefits for key managerial personnel are accrued as a part of an overall pool and are not allocated against key managerial personnel.

2) पूर्णकालिक निदेशकों/ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/ प्रमुख रूप से जोखिम लेने वालों और नियंत्रण कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए आरबीआई के दिनांक 4 नवंबर 2019 के परिपत्र आरबीआई/2019-20/89 डीओआर.एपीपीटी. बीसी.सं. 23/29.67.001/2019-20 के अनुसार प्रतिकर In accordance with RBI Circular RBI/2019-20/89 DOR.Appt.BC.No.23/29.67.001/2019-20 dated November 4, 2019 on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers and Control Function staff

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, परिवर्ती वेतन (नकद घटक) हेतु कुल ₹ 1.48 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹ 1.66 करोड़) का प्रावधान किया गया।

For the FY 2022-23, total amount of ₹ 1.48 Crore (previous year ₹ 1.66 crore) was provided for variable pay (cash component).

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन/ शेष राशियां
Transactions/ balances with related parties during the year ended March 31, 2022:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी (संस्थाएं) # Associates [#]	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक [§] Key Management Personnel [§]	कुल Total
31 मार्च 2022 को बकाया उधार Borrowings Outstanding as on March 31, 2022	1,450	-	-	-	-	1,450
वर्ष के दौरान बकाया उधार की अधिकतम राशि Maximum amount of borrowings Outstanding during the year	3,000	-	-	-	-	3,000
जमाराशियों का स्थानन Placement of deposit	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2022 को बकाया जमा राशियां Deposits Outstanding as on March 31, 2022	4,476	262	23	138	-	4,899
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of Deposits Outstanding during the year	6,814	325	27	139	-	7,305
31 मार्च 2022 को बकाया अन्य देयताएं Other Liabilities Outstanding as on March 31, 2022	64	28	-	-	-	92
वर्ष के दौरान बकाया अन्य देयताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Other Liabilities Outstanding during the year	64	33	6	-	-	103
31 मार्च 2022 को बकाया निवेश Investments Outstanding as on March 31, 2022	-	308	200	37	-	545
अधिकतम बकाया निवेश Maximum investments Outstanding	-	308	200	37	-	545
यथा 21 मार्च 2022 को प्राप्य बकाया Receivable Outstanding as on March 31, 2022	6	1	0.96	0.30	-	8
वर्ष के दौरान प्राप्य बकाया की अधिकतम राशि Maximum amount of receivable Outstanding during the Year	10	2	0.96	0.30	-	13
जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	1	8	0.22	5	-	14
पारिश्रमिक Remunerations	-	-	-	-	3	3
से सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यय Expenses for receiving services from	19	79	-	0.96	-	99
को प्रदान की गई सेवाओं से आय Income from services rendered to	75	14	3	0.03	-	92
उधारों पर ब्याज व्यय Interest Expense on borrowings	265	-	-	-	-	265

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी (संस्थाएं) # Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक ^s Key Management Personnel ^s	(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
						कुल Total	
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधि प्रतिबद्धताओं की अधिकतम राशि Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	4	0.25	0.41	-	5	
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधि प्रतिबद्धताएं Maximum amount of Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	5	0.25	0.41	-	6	

पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में, बैंक को कंपनी से किसी प्रकार के वित्तीय विवरण तथा संव्यवहार विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इसकी जानकारी उपर्युक्त में समेकित नहीं है। बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में किए गए निवेश को अवलेखित कर एक रुपया कर दिया है।

In respect of PIPDICL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the company hence information not consolidated in above. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one.

\$ एस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकृति के संव्यवहारों को प्रकट नहीं किया गया है।

\$ In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

@ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ एक समग्र पूल के हिस्से के रूप में उपचित किए जाते हैं और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के प्रति आबंटित नहीं किए जाते हैं।
@ Retiral Benefits for key managerial personnel are accrued as a part of an overall pool and are not allocated against key managerial personnel.

- 2) पूर्णकालिक निदेशकों/ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/ प्रमुख रूप से जोखिम लेने वालों और नियंत्रण कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए आरबीआई के दिनांक 4 नवंबर 2019 के परिपत्र आरबीआई/2019-20/89 डीओआर.एपीपीटी. बीसी.सं. 23/29.67.001/2019-20 के अनुसार प्रतिकर

In accordance with RBI Circular RBI/2019-20/89 DOR.Appt.BC.No.23/29.67.001/2019-20 dated November 4, 2019 on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers and Control Function staff

क) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आस्थगित परिवर्ती वेतन की कुल राशि ₹ 1.07 करोड़ है।

a) For the FY 2020-21, total amount of deferred variable pay is ₹ 1.07 Crore.

ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए परिवर्ती वेतन के लिए कुल ₹ 1.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

b) For the FY 2021-22, total amount of ₹ 1.66 Crore is provided for variable pay.

- ii. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को ₹ 7.75 करोड़ का पारिश्रमिक प्रदान किया गया।

Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ended March 31, 2023 is ₹ 7.75 crore.

क्र. सं. S. No.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
		वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22 FY 2021-22
1	श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ. Shri Rakesh Sharma, Managing Director & CEO	3.25	0.91
2	श्री सैमुएल जोसफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक. Shri Samuel Joseph Jebaraj, Deputy Managing Director	1.69	0.68
3	श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, उप प्रबंध निदेशक. Shri Suresh Kishanchand Khatanhar, Deputy Managing Director	1.70	0.70

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

		(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
क्र. सं. S. No.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22 FY 2021-22
4	श्री पोथुकुची सीताराम, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (31 मार्च 2023 तक) Shri Pothukuchi Sitaram, Executive Director & Chief Financial Officer (upto March 31, 2023)	0.77	0.38
5	श्री अजय शर्मा, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (31 मई 2021 तक) Shri Ajay Sharma, Executive Director & Chief Financial Officer (upto May 31, 2021)	-	0.10
6	श्री पवन अग्रवाल, मुख्य महा प्रबंधक एवं कंपनी सचिव (15 अप्रैल 2021 तक) Shri Pawan Agrawal, Chief General manager & Company Secretary (upto April 15, 2021)	-	0.02
7	श्रीमती ज्योति नायर, कंपनी सचिव Smt. Jyothi Nair, Company Secretary	0.34	0.31
कुल / Total		7.75	3.10

नोट: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए परिवर्तनीय वेतन का अपफ्रंट घटक ₹ 0.61 करोड़ वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को भुगतान किया गया, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उनके पारिश्रमिक में शामिल होने के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उनके पारिश्रमिक में शामिल नहीं है।
Note: Upfront component of variable pay for FY 2021-22 ₹ 0.61 crore paid to Key Management Personnel during the FY 2022-23, since included in their remuneration for FY 2021-22, is not included in their remuneration for FY 2022-23.

6. पट्टे (एएस-19) / Leases (AS-19)

- क) लीज / किराए आधार पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकृत/रद्द की जा सकती है।
a) The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.
- ख) बैंक द्वारा लिए गए लीज, आपसी सहमति से कैलेंडर माह का लिखित में नोटिस देते हुए लीज अवधि के दौरान भी लीज को समाप्त करने के विकल्प सहित सहमत अवधि के लिए है।
b) The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.
- ग) नवीकरण की शर्तें और वृद्धि खंड वे हैं जो सामान्य रूप से समरूपी करारों में प्रचलित हैं। करारों में कोई अनुचित प्रतिबंध या सभार खंड नहीं है।
c) The terms of renewal and escalation clauses are those normally prevalent in similar agreements. There are no undue restrictions or onerous clauses in the agreements.
- घ) परिचालनगत लीज के लिए भुगतान किए गए लीज किराए को, इससे संबंधित वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में दर्ज किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में दर्ज लीज किराया ₹ 406 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 386 करोड़) है।
d) Lease rent paid for operating leases are recognised in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognised in Profit & Loss account during the FY 2022-23 is ₹ 406 crore (Previous Year: ₹ 386 crore).

7. अ) प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)(एएस-20) (A) Earnings Per Share (EPS) (AS-20)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2023 As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 As at March 31, 2022
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ/ (हानि) (₹ करोड़) Net profit/ (loss) considered for EPS calculation (₹ crore)	3,645	2,439

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2023 As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 As at March 31, 2022
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares outstanding at the end of the financial year	1075,24,02,175	1075,24,02,175
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	1075,24,02,175	1075,24,02,175
जोड़ें : मंजूर किए गए ईसॉप का न्यूनीकृत प्रभाव Add: Dilutive impact of ESOP granted	0	0
न्यूनीकृत ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	1075,24,02,175	1075,24,02,175
ईपीएस (मूल) (₹.) EPS (Basic) (₹)	3.39	2.27
ईपीएस (न्यूनीकृत) (₹.) EPS (Diluted) (₹)	3.39	2.27
प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य ₹.) Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

7. (आ)/(B) लाभांश / Dividend

निदेशक मंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 10/- के प्रत्येक अंकित मूल्य पर 10% अर्थात् ₹ 1/- (पिछले वर्ष शून्य) प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की सिफारिश की है. लेखा मानक (एएस) 4 के अनुसार 'तुलनपत्र की तारीख के बाद घटित आकस्मिकताओं और घटनाक्रमों' के संदर्भ में बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के खाते से ₹ 1075 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के प्रस्तावित लाभांश का विनियोजन नहीं किया है. हालांकि 31 मार्च 2023 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना में पूंजीगत निधियों के निर्धारण में प्रस्तावित लाभांश के प्रभाव की गणना की गई है.

The Board of Directors have recommended a dividend of 10% i.e. ₹ 1/- per equity share on face value of ₹ 10/- each for the year 2022-23 (previous year Nil). In terms of Accounting Standard (AS) 4 "Contingencies and Events occurring after the Balance Sheet date" the Bank has not appropriated proposed dividend aggregating to ₹ 1075 crore (previous year Nil) from the Profit and Loss account for the year ended March 31, 2023. However the effect of the proposed dividend has been reckoned in determining capital funds in the computation of Capital Adequacy Ratio as on March 31, 2023.

8. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22) / Accounting For Taxes On Income (AS-22)

समय अंतराल के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियों एवं आस्थगित कर देयता के घटक नीचे दिए गए हैं:

The components of Deferred Tax Asset and Deferred Tax Liability arising out of timing difference are as follows:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	यथा मार्च 2023 को As at March 2023	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए घट-बढ़ Movement for the year ended March 31, 2023	यथा मार्च 2022 को As at March 2022
आस्थगित कर आस्ति / Deferred Tax Asset			
एनपीए तथा अन्य प्रावधानों से संबंधित अस्वीकृतियां जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत नहीं है Disallowance related to NPA and other provisions not allowed under Income Tax Act, 1961	2,662	(5,954)	8,616

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

	यथा मार्च 2023 को As at March 2023	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए घट-बढ़ Movement for the year ended March 31, 2023	यथा मार्च 2022 को As at March 2022
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी और 35डी के अधीन अस्वीकृति Disallowance u/s 43B and 35D of Income Tax Act, 1961	238	14	224
शामिल नहीं किए गए मूल्यहास Unabsorbed depreciation	106	50	56
कारोबार में हानि / Business Loss	8,799	4,085	4,714
अचल आस्तियों पर मूल्यहास/ Depreciation on fixed assets	24	8	16
कुल (अ) / Total (A)	11,829	(1,797)	13,626
आस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability			
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	308	-	308
कुल (आ) / Total (B)	308	-	308
आस्थगित कर आस्ति / (देयता)/(निवल)(अ)-(आ)/ Deferred tax asset/ (liability) (net) (A) – (B)	11,521	(1,797)	13,318

बैंक आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) के प्रत्यावर्तित होने की आभासी निश्चितता को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय हानि सहित आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) को दर्ज कर रहा है।

Bank is recognizing deferred tax asset (DTA) including that on business loss keeping in view the virtual certainty of its reversal.

कराधान के लिए प्रावधान / Provision of Taxation

विवरण Particulars	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended March 31, 2022
आयकर के लिए प्रावधान - चालू कर / Provision for Income Tax - Current Tax	(205)*	47*

वित्तीय वर्ष 2023 के लिए आयकर हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2004, वित्तीय वर्ष 2005 एवं वित्तीय वर्ष 2013 के लिए किए गए कुल ₹ 205 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान को आयकर रिफंड/ मांग के फलस्वरूप प्रतिलेखित किया गया है।

No provision for Income Tax made for the FY 2023. The excess provision for FY 2004, FY 2005 & FY 2013 aggregating to ₹ 205 crore was written back on account of Income tax refund/ demand.

@ वित्तीय वर्ष 2022 के लिए आयकर हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2001, वित्तीय वर्ष 2002 एवं वित्तीय वर्ष 2013 के लिए किए गए कुल ₹ 181 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान को प्रतिलेखित किया गया और वित्तीय वर्ष 2010-2011 एवं वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए की गई ₹ 228 करोड़ की मांग को आयकर रिफंड/ मांग के कारण समायोजित (निवल प्रभाव ₹ 47 करोड़) किया गया है।

@ No provision for Income Tax made for the FY 2022. The excess provision for FY 2001, FY 2002 & FY 2013 aggregating to ₹ 181 crore was written back and ₹ 228 crore demand for FY 2010-2011 and FY 2018-2019 is adjusted (net impact ₹ 47 crore) on account of Income tax refund/ demand.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

9. परिचालन बंद करना (एएस-24) / Discontinuing Operations (AS-24)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने अपनी किसी भी शाखा का परिचालन बंद नहीं किया है, जिसके परिणाम स्वरूप देयता से मुक्ति मिली हो और आस्तियों की वसूली हुई हो और परिचालन को पूरी तरह से बंद करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है जिससे उपर्युक्त प्रभावित हो।

During the FY 2022-23, the Bank has not discontinued operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realisation of the assets and no decision has been finalised to discontinue an operation in its entirety which will have the above effect.

10. संयुक्त उद्यम (एएस-27) / Joint Ventures (AS-27)

निवेशों में निम्नलिखित संयुक्त उद्यम में बैंक के हित से संबंधित शून्य करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 200 करोड़) शामिल हैं:

Investments include Nil (Previous Year: ₹ 200 crore) representing Bank's interest in the following joint venture:

कंपनी का नाम Name of the Company	निवास का देश Country of Residence	31 मार्च 2023 को धारिता Holding as on March 31, 2023	31 मार्च 2022 को धारिता Holding as on March 31, 2022
एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. [®] Ageas Federal Life Insurance Company Ltd. [®]	भारत India	शून्य Nil	25%

@ - पहले आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी।

@ - earlier known as IDBI Federal Life Insurance Co Ltd.

वर्ष के दौरान बैंक ने एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. में पूरी हिस्सेदारी (25%) ₹ 580 करोड़ में एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल एनवी को बेच दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 380 करोड़ का लाभ हुआ।

During the year, Bank had sold entire stake (25%) in Ageas Federal Life Insurance Company Ltd. to Ageas Insurance International NV for a sale consideration of ₹ 580 crore, resulting in profit of ₹ 380 crore.

एएस-27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में बैंक के हितों से संबंधित सभी आस्तियों, देयताओं, आय, व्ययों, आकस्मिक देयताओं और वचनबद्धताओं की प्रत्येक की कुल राशियों का प्रकटन निम्नानुसार प्रस्तुत है :

As required by AS-27, the aggregate amount of each of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entity are disclosed as under:

विवरण Particulars	31 मार्च 2023 (लेखापरीक्षित) March 31, 2023 (Audited)	31 मार्च 2022 (लेखापरीक्षित) March 31, 2022 (Audited)
देयताएं / Liabilities		
इक्विटी पूंजी / Equity Capital	-	200
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and Surplus	-	57
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	-	146
कुल / Total	-	403
आस्तियां / Assets	-	-
नकदी और बैंक शेष राशियां / Cash and Bank Balances	-	43
निवेश / Investments	-	179
अग्रिम / Advances	-	3
अचल आस्तियां / Fixed Assets	-	35

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2023 (लेखापरीक्षित) March 31, 2023 (Audited)	31 मार्च 2022 (लेखापरीक्षित) March 31, 2022 (Audited)
अन्य आस्तियां/ Other Assets	-	143
कुल / Total	-	403
पूँजी वचनबद्धताएं / Capital Commitments	-	3
अन्य आकस्मिक देयताएं / Other Contingent Liabilities	-	24
आय / Income		
अर्जित ब्याज / Interest Earned	6	12
अन्य आय / Other income	1	16
कुल / Total	7	28
व्यय / Expenditure		
बीमा कारोबार से हानि / Losses from Insurance Business	0	0
परिचालनगत व्यय / Operating expenses	2	2
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions & Contingencies	1	2
कुल / Total	3	4
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) / Profit/(Loss) for the Year	4	24

11. आस्ति ह्रास (एएस-28) / Impairment of Asset (AS-28)

प्रबंधन की राय है कि चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान आस्तियों में कोई ह्रास नहीं हुआ है।

In the opinion of the Management, there is no impairment to the assets during the current year and previous year.

12. अ. आकस्मिक देयताओं का विवरण (एएस-29) @

A. Description of Contingent Liabilities (AS-29)®

क्र. सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है। Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है। बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर उल्लेखनीय रूप से कोई विपरीत असर पड़ेगा। This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
II	आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	यह मद आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता राशियों को दर्शाती है। इसमें उद्यम पूंजी निधियों के लिए अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं। This item represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. This also includes undrawn commitments for Venture Capital Funds.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

क्र. सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of Outstanding forward exchange contracts	<p>बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएँ निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं जो डेरिवेटिव लिखत हैं, की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृहद मूल्य सृजित होता है, जबकि इसका निवल बाजार जोखिम कम होता है.</p> <p>The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.</p>
IV	ग्राहकों की ओर से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	<p>अपने बैंकिंग कार्यकलापों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करता है. गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यानिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा.</p> <p>As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfill its financial or performance obligations.</p>
V	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	<p>यह मद ग्राहक की ऋण अवस्थिति में संवृद्धि को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी और दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करती है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यानिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है.</p> <p>This item represents the documentary credits issued by the Bank in favour of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance banking activities with a view to augment the customers' credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customers' obligations, either directly or in case the customer fails to fulfill their financial or performance obligations.</p>
VI	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	<p>यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक अपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी ये संविदाएं करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृहद मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है.</p> <p>बैंक भारतीय कॉरपोरेट बांड से जुड़े ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की हामीदारी करता है.</p>

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

क्र. सं. आकस्मिक देयता Sr. No. Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
	<p>This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.</p> <p>The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.</p>
<p>VII अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.</p>	<p>यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है.</p> <p>This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.</p>
<p>VIII विवादित, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed taxes, interest tax, penalty and Interest demands</p>	<p>बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विविध कराधान मामलों में पक्षकार है. बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम, 1961 एवं लागू कानूनों के प्रावधानों के आधार पर अपील प्राधिकारियों द्वारा पिछले वर्षों में समान मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर, इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे.</p> <p>The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favorable based on decisions on similar issues in the previous years by the appellate authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961 and applicable laws.</p>
<p>IX अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the Bank is contingently liable</p>	<p>इस मद में निम्नलिखित शामिल हैं: This item represents the following</p> <p>क) सामान्य कारोबार कार्यकलाप के भाग के रूप में बैंक द्वारा स्वयं अपनी ओर से सांविधिक प्राधिकारियों तथा अन्य के पक्ष में जारी की गई गारंटियां. a) guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity.</p>

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

क्र. सं. आकस्मिक देयता Sr. No. Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
	<p>ख) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागस्कता निधि (डीईएएफ) में अंतरित राशि- जमाकर्ता शिक्षण तथा जागस्कता निधि योजना 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने निष्क्रिय खातों खातों की राशि और योजना में विनिर्दिष्ट अनुसार दस वर्षों या अधिक समय के अदावी शेष राशि तथा उसपर प्राप्त ब्याज का अनुवर्ती महीने की अंतिम कार्य दिवस को अंतरित करता है. यदि ग्राहक/ जमाकर्ता(ओं) अपने अदावी राशि/ जमा के लिए मांग करता है, जिसे बैंक ने पहले ही आरबीआई को अंतरित किया है तो डीईए निधि योजना के अनुसार, बैंक ग्राहक/ जमाकर्ता को ब्याज सहित, यदि लागू हो, भुगतान करता है और आरबीआई से ग्राहक/ जमाकर्ता को भुगतान किए गए सममूल्य राशि की वापसी की मांग करता है.</p> <p>b) The amount transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) - In terms of guidelines of Depositor Education and Awareness Fund Scheme 2014, the Bank transfers the proceeds of the inoperative accounts and the balances remaining unclaimed for ten years or more as specified in the scheme and the interest accrued thereon, on the last working day of the subsequent month. In case the customer / depositor(s) raises a demand for their unclaimed amount / deposit which the Bank has already transferred to RBI, as per DEA Fund Scheme, the Bank pays to the customer / depositor, along with interest, if applicable, and lodge a claim for refund from RBI for an equivalent amount paid to the customer / depositor.</p> <p>ग) पूंजी खाते पर निष्पादित की जाने वाले संविदाओं की अनुमानित राशि और प्रतिभूतियों आदि के जारी होने तक प्रतिभूतियों के जारी किए जाने पर, आंशिक ऋण वृद्धि सुविधाओं के लिए प्रदान नहीं किया गया.</p> <p>c) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, undrawn partial credit enhancement facilities, When Issued Securities till issue of securities etc.</p>

आ. दीर्घावधि संविदाएं

B. Long term contracts

बैंक के पास एक प्रक्रिया है जिसमें आवधिक आधार पर डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का उल्लेखनीय पूर्वाभाषी हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसी दीर्घावधि संविदाओं पर उल्लेखनीय पूर्वाभाषी हानि के लिए लेखा बहियों में किसी विधि / लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/ accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

इ. लंबित मुकदमें

C. Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और आयकर प्राधिकारियों के पास लंबित कार्यवाहियां शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और जहां प्रावधान अपेक्षित है वहाँ पर्याप्त प्रावधान किए हैं तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू है वहाँ आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया है.

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

@ मात्रात्मक प्रकटन के लिए अनुसूची-12 आकस्मिक देयताएं देखें.

@ Refer Schedule-12- Contingent Liabilities for quantitative disclosure.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

ई. आकस्मिक देयता के प्रति प्रावधान में घट-बढ़ का संचलन

D. Movement of provision against Contingent Liabilities

		(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22 FY 2021-22
अ) / a)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	115	59
आ) / b)	वर्ष के दौरान जोड़ / (रिवर्सल) / Addition/ (reversal) during the year	63	56
इ) / b)	अंतिम शेष / Closing Balance	178	115

C. अन्य प्रकटन / OTHER DISCLOSURES

- I. वर्ष के दौरान कोई भी इक्विटी शेयर को अधिमान आधार पर आवंटित नहीं किया गया था (पिछले वर्ष शून्य).
During the year no Equity Shares were allotted on preferential basis (Previous year Nil).

II. भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएसएसएफ): / Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) से सहमति प्राप्त करने के पश्चात् बैंक द्वारा 24 मार्च 2023 को ₹ 1500 करोड़ की सीमा तक के एसएसएसएफ प्रतिभूतियों को बट्टे खाते में डाला गया है. यथा 31 मार्च 2023 को शेष एसएसएसएफ ₹ 879 करोड़ राशि के लिए पूर्ण प्रावधान कर दिया गया है.

During the year ended March 31, 2023, Bank has written off SASF securities to the extent of ₹ 1500 crore on March 24, 2023, after obtaining concurrence of Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services (DFS). As on March 31, 2023, the balance SASF stands fully provided with aggregate provision of ₹ 879 crore.

III. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय: / Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure

- क. वर्ष के दौरान बैंक द्वारा व्यय की जाने वाली सकल राशि: ₹ शून्य (पिछले वर्ष: ₹ शून्य)
a. Gross amount required to be spent by the Bank during the year: ₹ Nil (Previous Year: ₹ Nil)
- ख. वर्ष के दौरान व्यय राशि:
b. Amount spent during the year:

		(₹ करोड़) / (₹ Crore)	
विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22 FY 2021-22	
नकद में / In cash	1.44	0.18	
नकद भुगतान किया जाना है / Yet to be paid in cash	0.16	0.12	
कुल / Total	1.60	0.30	

- IV. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसरण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित कुछ प्रकटीकरण करना आवश्यक है. बैंक उक्त अधिनियम के तहत अपने आपूर्तिकर्ताओं से उनके कवरेज के बारे में संबंधित सूचना को संकलित करने की प्रक्रिया में है. प्रबंधन की राय में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय ब्याज, यदि कोई हो, का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होने की उम्मीद है.

Pursuant to the provisions of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, certain disclosures are required to be made relating to micro, small & medium enterprise. The Bank is in the process of compiling relevant information from its suppliers about their coverage under the said Act. In view of the management, the impact of interest, if any, that may be payable in accordance with the provisions of this Act is not expected to be material.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Financial Statements

- V. अ) कोविड-19 वायरस, वैश्विक महामारी ने पिछले दो से तीन वर्षों में विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। कोविड-19 महामारी की नई लहर किस हद तक बैंक के परिचालन और आस्ति को गुणवत्ता को प्रभावित करेगी यह वर्तमान के साथ-साथ भविष्य पर निर्भर करेगा, जो वर्तमान में अनिश्चित है। बैंक का प्रबंधन इस संबंध में बारीकी से निगरानी कर रहा है, जिसमें ग्राहकों की चूक में वृद्धि की संभावना, प्रावधान आवश्यकताओं में वृद्धि और उक्त को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाना शामिल है।
- (a) The COVID-19 virus, a global pandemic affected the world's economy over the last two to three years. The extent to which new wave of COVID-19 pandemic will impact the Bank's operations and asset quality will depend on ongoing as well as future developments, which are uncertain at this stage. The management of the Bank is closely monitoring the developments in this regard, including the likelihood of rise in customer defaults, corresponding increase in provisioning requirements and taking necessary steps to mitigate the same.
- आ) बैंक ने यथा 31 मार्च 2023 को कोविड-19 संबंधी ₹ 116 करोड़ (कोविड-19 मानदंडों के तहत पुनर्गठन के लिए धारित प्रावधानों के अलावा) का प्रावधान कर रखा है। बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अवलोकन में ₹ 747 करोड़ के कोविड-19 संबंधित प्रावधानों को प्रत्यावर्तित किया।
- (b) As at March 31, 2023, the Bank held aggregate COVID-19 related provision of ₹ 116 crore (other than provisions held for restructuring under COVID-19 norms). During the Quarter ended March 31, 2022, the Bank had reversed COVID-19 related provision of ₹ 747 crore in view of extant RBI guidelines.
- इ) संकल्प रूपरेखा 1.0 और संकल्प रूपरेखा 2.0 पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार बैंक ने यथा 31 मार्च 2023 को ₹ 315 करोड़ के कुल विनियामक प्रावधान को जारी रखा है। इसके साथ ही बैंक ने यथा 31 मार्च 2023 को कोविड आरएफ 1, आरएफ 2 और एमएसएमईआर ओटीआर रूपरेखा के अंतर्गत पुनर्गठित खुदरा उधारकर्ताओं के लिए ₹ 1836 करोड़ का आकस्मिकता प्रावधान किया।
- (c) In terms of RBI's circular on Resolution Framework 1.0 and Resolution Framework 2.0, Bank continues to hold regulatory provision aggregating to ₹ 315 crore as on March 31, 2023. In addition, as on March 31, 2023, Bank held contingency provision of ₹ 1836 crore for retail borrowers restructured under COVID RF 1, RF 2 and MSME OTR framework.
- VI. बैंक के पास 26 मई 2022 से ₹ 300 करोड़ की निवल ओवरनाइट खुली स्थिति (एनओपी) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा है। वर्ष के दौरान खुली स्थिति स्वीकृत सीमा के भीतर थी और औसत उपयोग ₹ 127 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 78 करोड़) था। वर्ष के दौरान अधिकतम उपयोग 30 सितंबर 2022 को ₹ 223 करोड़ (पिछले वर्ष 15 अप्रैल 2021 को ₹ 146 करोड़) था।
- The Bank has Board approved limit for Net Overnight Open Position (NOOP) fixed at ₹ 300 crore w.e.f. May 26, 2022. During the year the open position was within the approved limit and the average utilization was ₹ 127 crore (Prev. Year ₹ 78 crore). The maximum utilization during the year was at ₹ 223 crore on September 30, 2022. (Prev. Year ₹ 146 crore on April 15, 2021).
- VII. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान आपसी समझ से लिखित या अन्य प्रकार से बैंक द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, ('बिचौलियों') को कोई भी राशि अग्रिम या ऋण के रूप में नहीं दी गई है या किसी संस्था में निवेश (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से जुटाई गई राशि से) नहीं किया गया है और यह कि बिचौलिये बैंक द्वारा निर्धारित पक्षकार को उधार दे पाएंगे या उनमें बैंक (अंतिम लाभार्थी) की तरफ से निवेश कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त, बैंक को किसी भी पक्षकार (निधियन पक्षकार) से इस समझ के साथ निधि प्राप्त नहीं हुआ है कि बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बैंक ('अंतिम लाभार्थी') की तरफ से निर्धारित या इनकी तरफ से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगे या इनमें निवेश करेंगे या अंतिम लाभार्थी की तरफ से गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार कुछ और प्रदान करेंगे।
- During the year ended March 31, 2023, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall lend or invest in party identified by or on behalf of the Bank (Ultimate Beneficiaries). Further, The Bank has not received any fund from any parties (Funding Party) with the understanding that the Bank shall whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified by or on behalf of the Bank ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- VIII. आईडीबीआई म्यूचुअल फंड योजनाओं को एलआईसी एमएफ को अंतरण के लिए आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि., आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि., एलआईसी म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट लि. और एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लि. ने 29 दिसंबर 2022 को योजना हस्तांतरण करार किया। एयूएम के प्रस्तावित हस्तांतरण के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड की मंजूरी क्रमशः 23 मार्च 2023 और 03 अप्रैल 2023 को प्राप्त हो गई है। हस्तांतरण जून 2023 के दौरान होने की संभावना है। हस्तांतरण लंबित होने के कारण 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- IDBI Asset Management Ltd., IDBI MF Trustee Company Ltd., LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. and LIC Mutual Fund Trustee Private Ltd. entered into Scheme Transfer Agreement on December 29, 2022 for transfer of IDBI mutual fund schemes

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Financial Statements

to LIC MF. Competition Commission of India and Securities Exchange Board of India approval for the proposed transfer of AUM has been received on March 23, 2023 and April 03, 2023 respectively. The transaction is likely to be concluded during June 2023. As the transfer is pending, there is no impact on financial results for the Year ended March 31, 2023.

- IX. पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठक में दिये गए हैं और चालू वर्ष के लिए की गई प्रस्तुति से पुष्टि के लिए तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 30 अगस्त 2021 (20 फरवरी 2023 तक अद्यतन) तथा आवश्यकतानुसार संशोधित वित्तीय परिणाम एवं प्रकटन पर मास्टर निदेश की अपेक्षा के अनुसरण में उन्हें पुनर्समूहित/पुनर्व्यस्थित किया गया है।

Figures of the previous year, are disclosed in brackets and are regrouped/ rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year and also pursuant to the requirement of Master Direction on financial results - Presentation and disclosure issued by Reserve Bank of India dated August 30, 2021 (updated as on February 20, 2023), as amended and wherever considered necessary.

लेखों की अनलसूची '1' से '18' पर हस्ताक्षर

Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश से BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
डीआईएन/DIN: 06846594

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)

उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
डीआईएन/DIN: 03022106

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)

निदेशक
Director
डीआईएन/DIN: 01853823

(स्मिता कुबेर)
(Smita Kuber)

मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)

कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

कृते वर्मा एंड वर्मा

For Varma & Varma

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants

फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी

For G D Apte & Co

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants

फर्म पंजीयन संख्या/FRN-100515W

पी आर प्रसन्न वर्मा

P R Prasanna Varma

साझेदार/Partner

स. सं. 25854/M.No. 25854

सौरभ पेशवे

Saurabh Peshwe

साझेदार/Partner

स. सं. 121546/M.No. 121546

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक : 29 अप्रैल 2023 / Date : April 29, 2023

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2023

विवरण Particulars	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31.03.2023 (Audited)	(₹ '000 में / ₹ in '000) 31.03.2022 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31.03.2022 (Audited)
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
A. Cash flow from Operating Activities		
(1) कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ/(हानि) Net profit/(loss) before tax and extra-ordinary items	5237 97 34	3608 61 70
(2) समायोजन / Adjustments :		
- अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets	1 83 57	(60 74)
- मूल्यहास और पुनर्मूल्यन हानि Depreciation and revaluation loss	494 43 70	486 33 85
- परिपक्वता तक धारित निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन Amortisation of premium on Held to Maturity investments	220 34 60	185 81 16
- ऋणों/निवेशों के लिए प्रावधान/ बट्टे खाते डालना Provisions/ Write off of Loans/ Investments	16 24 27	3310 26 97
- मानक और पुनर्चित आस्तियों के लिए प्रावधान Provisions for Standard and Restructured Assets	1848 97 04	262 51 36
- अन्य प्रावधान / Other Provisions	1633 43 60	372 90 49
- निवेशों के पुनर्मूल्यन पर (लाभ)/हानि (Profit)/ Loss on revaluation of Investments	(50 87 71)	(15 63 42)
- उधार राशियों पर ब्याज (परिचालन गतिविधियों के अलावा) Interest on borrowings (other than operational activities)	850 45 39	1162 56 51
- सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश Dividend received from subsidiary companies/joint ventures	(34 93 16)	(39 01 03)
- व्युत्पन्न और विनिमय लेनदेनों के उचित मूल्य पर (लाभ)/ हानि Gain/loss on fair value of derivatives and exchange transactions	(146 49 13)	(14 04 76)
	10071 39 51	9319 72 09
(3) परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:		
- निवेश / Investments	(18058 84 37)	(4117 28 63)
- अग्रिम / Advances	(24383 62 04)	(10263 03 62)
- अन्य आस्तियाँ /Other Assets	2621 02 54	4988 14 28
- आयकर आस्तियाँ / Income Tax Assets	1108 90 96	3013 79 51
(4) परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:		
- उधार राशियाँ / Borrowings	901 97 49	1571 32 49
- जमा राशियाँ / Deposits	22364 52 97	2281 27 56
- अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	2772 66 46	(1786 11 19)
परिचालन कार्यकलापों (में प्रयुक्त) / से उत्पन्न निवल नकदी Net Cash (used in)/generated from Operating activities	(2601 96 48)	5007 82 49
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
B. Cash Flow from Investing activities		
- अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर) Purchase (net of sale) of fixed assets	(316 23 92)	(185 86 03)
- सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश Dividend received from subsidiary companies/joint ventures	34 93 16	39 01 40
निवेश कार्यकलापों (में प्रयुक्त)/ से जुटाई गई निवल नकदी Net cash (used in) / raised from Investing activities	(281 30 76)	(146 84 63)

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2023

विवरण Particulars	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31.03.2023 (Audited)	(₹ '000 में / ₹ in '000) 31.03.2022 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31.03.2022 (Audited)
इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
C. Cash Flow from Financing activities		
- उधारराशियों पर प्रदत्त ब्याज / Interest paid on borrowings	(943 74 35)	(1240 46 12)
- बॉण्डों का मोचन / Redemption of Bonds	(2609 20 00)	(3134 40 00)
वित्तपोषण कार्यकलापों (में प्रयुक्त) / से जुटाई गई निवल नकदी	(3552 94 35)	(4374 86 12)
Net cash (used in) / raised from Financing activities		
ई. ट्रांसलेशन रिजर्व पर विनिमय के उतार-चढ़ाव का प्रभाव	11 40 09	2 28 16
D. Effect of exchange fluctuation on translation reserve		
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/ (कमी) (अ+आ+इ+ई)	(6424 81 50)	488 39 90
NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS (A+B+C+D)		
प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य / OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	35710 58 82	35222 18 92
अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य	29285 77 32	35710 58 82
CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS		
नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणियाँ / Notes to Cash Flow Statement:		
1. नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में तुलन पत्र की निम्नलिखित मदें शामिल हैं Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items: नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष / Cash & Balances with Reserve Bank of India बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks & money at call and short notice	16639 18 42 12646 58 90	27795 36 50 7915 22 32
कुल / Total	29285 77 32	35710 58 82
2. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर की जाती है Cash Flow from Operating activities is reported by using Indirect method		

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां (अनुसूची 17 और 18)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 and 18)
उपर्युक्त अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
डीआईएन/DIN: 06846594

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
डीआईएन/DIN: 03022106

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
डीआईएन/DIN: 01853823

(स्मिता कुबेर)
(Smita Kuber)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN-100515W

पी आर प्रसन्न वर्मा
P R Prasanna Varma
साझेदार/Partner
स. सं. 25854/M.No. 25854

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार/Partner
स. सं. 121546/M.No. 121546

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 29 अप्रैल 2023 / Date : April 29, 2023

सर्माकित वित्तीय विवरण
Consolidated Financial Statements

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

प्रति,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक'), इसकी सहायक संस्थाओं सहयोगी संस्थाओं, और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था (बैंक और इसकी सहायक संस्थाएं सामूहिक रूप से 'समूह' के रूप में निर्दिष्ट), के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों जिनमें 31 मार्च 2023 के समेकित तुलन पत्र, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ-हानि लेखे, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों की लेखापरीक्षा की है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- हमारे द्वारा लेखापरीक्षित, आईडीबीआई बैंक लि. के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण जिन पर दिनांक 29 अप्रैल 2023 को हमने लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है.
- अन्य लेखा परीक्षकों के द्वारा भारत में निगमित 5 देशी सहायक संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण;
- 1 संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण; और
- 4 सहयोगी संस्थाओं के गैर-लेखापरीक्षित लेखे

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा सहायक संस्थाओं के पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए सहयोगी संस्थाओं व संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार के आधार पर उक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा साथ ही साथ कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के द्वारा बैंकिंग कंपनियों से यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2023 को समूह, इसकी सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के कार्यों की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभ तथा समेकित नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.

अभिमत हेतु आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है. उन मानकों (एसएएस) के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट की वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में वर्णित है. हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुरूप अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है. हम मानते हैं कि हमारे द्वारा लेखापरीक्षित बैंक के संबंध में हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा

To,
The Members of IDBI Bank Limited

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of IDBI Bank Limited ("the Bank") its subsidiaries, associates and jointly controlled entity (the Bank and its subsidiary companies together referred to as "the Group") comprising of the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2023, the consolidated Profit and Loss Account, the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended March 31, 2023 and Notes to the Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information annexed thereto, in which the following are incorporated:

- Audited Financial Statements of IDBI Bank Limited, audited by us, on which we have issued our audit report dated April 29, 2023;
- Audited Financial Statements of 5 domestic subsidiaries incorporated in India, audited by other auditors;
- Management certified financials of 1 Jointly controlled entity; and
- Unaudited accounts of 4 associates.

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on the consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements of the subsidiaries, and the unaudited financial statements and other financial information of associates and Jointly controlled entity as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, as well as the Companies Act, 2013 ("the Act") and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India, in the manner so required for banking companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act, read with rules made thereunder, of the consolidated state of affairs of the Group, its associates and Jointly controlled entity as at March 31, 2023 and its consolidated profit, and consolidated cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the Consolidated Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us in respect of the Bank audited by us and the audit evidence obtained by the other auditors of subsidiaries in terms

साक्ष्य, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में, "अन्य मामलों" में संदर्भित है, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण विषय

हम समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणी 18(14)(V) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो समूह, इसकी सहायक संस्थाओं और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के परिचालन और वित्तीय स्थिति पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बारे में है, जोकि इन्हें कम करने के लिए की गई कार्रवाई और विनियामक उपायों सहित कई अनिश्चित पहलुओं पर निर्भर करेगा।

इस मामले में हमारे अभिमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों का समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। नीचे वर्णित प्रत्येक मामले के लिए, हमारी लेखापरीक्षा में संबोधित किए गए मामले का विवरण उसी संदर्भ में दिया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक का दृष्टिकोण
आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण और मापन	
बैंक ने यथा 31 मार्च 2023 को ₹ 11,520.98 करोड़ की निवल आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण किया है, जिसमें वर्ष के दौरान ₹ 1,797.49 करोड़ का निवल प्रतिवर्तन शामिल है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रयोज्य कर कानूनों और बैंक पर लागू संबंधित विनियमों को समझना शामिल था। हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के एक भाग के रूप में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं पूरी कीं:
आस्थगित कर की मान्यता में इन आस्तियों की वसूली की संभावना के बारे में निर्णय शामिल है, विशेष रूप से क्या भविष्य की अवधि में पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा जो इन आस्तियों की मान्यता का समर्थन करेगा। इन आस्थगित कर आस्तियों को वसूली योग्य या अन्यथा मानने में शामिल निर्णय की डिग्री को देखते हुए, हम इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला मानते हैं।	<ul style="list-style-type: none"> आय पर कर के लिए एएस 22 लेखांकन के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण और मापन के लिए अपनाई गई नीतियों का मूल्यांकन; प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त अन्य मापदंडों और अनुमानों के आधार पर लाभों की उपलब्धता की संभावना का मूल्यांकन किया गया, जिससे बैंक निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा नोट किए अनुसार पूर्वानुमानों के संदर्भ में भविष्य में इस आस्थगित कर आस्ति का उपयोग कर सकेगा। लागू कर दरों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण करने में अपनाई गई पद्धति का मूल्यांकन किया गया तथा अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया गया।

of their reports, referred to in section "Other Matters", is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on consolidated financial statements.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 18(14)(V) to the accompanying Consolidated Financial Statements, regarding the impact of COVID-19 pandemic on the operations and financial position of the Group, its associates & jointly controlled entity, which will depend on various uncertain aspects including actions taken to mitigate the same and other regulatory measures.

Our Opinion is not modified in respect of the above matter.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report. For each matter below, our description of how our audit addressed the matter is provided in that context:

Key Audit Matters	Auditor's Approach
Recognition and Measurement of Deferred Tax Asset	
The Bank has recognised a net deferred tax asset of INR 11,520.98 Crores as on March 31, 2023, after net reversal of INR 1,797.49 Crores during the year.	Our audit procedures involved gaining an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. Our audit procedures included:
The recognition of deferred tax involves judgement regarding the likelihood of realisation of these assets in particular whether there will be sufficient taxable profits in future periods that will support the recognition of these assets. Given the degree of judgement involved in considering these deferred tax assets as recoverable or otherwise, we consider this to be a key audit matter.	<ul style="list-style-type: none"> Evaluation of policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income; Assessed the probability of the availability of profits based on assumptions and other parameters used by the Management against which the Bank will be able to use this deferred tax asset in the future with reference to forecast as noted by the Audit Committee of the Board of Directors. Assessed the method for determining the Deferred Tax Asset with reference to applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy.

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

अग्रिमों के लिए आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा विनियामक मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण

अग्रिम समूह की कुल आस्तियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे, अन्य बातों के साथ-साथ, आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) और प्रावधान मानदंडों और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं, जो अग्रिमों के अर्जक और अनर्जक अग्रिमों (एनपीए) में वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करते हैं।

बैंक इन अग्रिमों को आईआरएसी मानदंडों के आधार पर अपनी लेखा नीति अनुसूची संख्या: 17 के अनुसार वर्गीकृत करता है।

अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में उचित तंत्र की स्थापना शामिल है और बैंक को विनियमों द्वारा निर्धारित गुणात्मक कारकों के रूप में प्रत्येक अनर्जक आस्ति ('एनपीए') के लिए मात्रात्मक और साथ ही दोनों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रावधान की मात्रा को पहचानने और निर्धारित करने के लिए निर्णय की महत्वपूर्ण डिग्री लागू करने की आवश्यकता है।

एनपीए की पहचान और प्रावधान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान निम्नलिखित तात्त्विक अर्थार्थ कथनों को जन्म दे सकते हैं:

- आईआरएसी मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों के निर्धारण की पूर्णता और समय;
- ऋण सहायता, ऋण की अवधि बढ़ने और वर्गीकरण, प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य के आधार पर अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान का मापन;
- एनपीए पर अप्राप्त आय का उचित प्रतिवर्तन

बैंक अपने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेन के लिए जिम्मेदार है। एनपीए

हमारे लेखापरीक्षित दृष्टिकोण के अंतर्गत अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण की रूपरेखा, आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता और समुचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का परीक्षण शामिल है। इसमें विशेष रूप से निम्न बातें शामिल हैं:

- एप्लिकेशन सिस्टम से प्राप्त अपवाद रिपोर्टों के परीक्षण पर विचार करना जहां अग्रिम दर्ज किए गए हैं।
- आरबीआई के वृहद ऋणों पर केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) में बैंक और अन्य बैंकों द्वारा विशेष उल्लेख खातों ("एसएमए") के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों पर तनाव की पहचान करने के लिए विचार करना
- मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाते के विवरण और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना
- बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा, ऋण लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा पर विचार करना
- हमने अभिलिखित राशि की वैधता, ऋण दस्तावेजीकरण की जांच करने के लिए अग्रिमों का परीक्षण किया है। हमने रिजर्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार खातों के विवरण, अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों तथा अग्रिमों के संबंध में आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के अनुपालनों की जांच की है।

पहचाने गए अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने दबावग्रस्त क्षेत्रों और खाता

Income Recognition and Asset Classification of Advances (IRAC) and Provisioning as per regulatory norms

Advances constitute significant portion of the Group's total assets. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPA)

The Bank classifies these Advances based on IRAC norms as per its accounting policy Schedule No 17

The identification of performing and non-performing advances involves establishment of proper mechanism and the Bank is required to apply significant degree of judgement to identify and determine the amount of provision required against each non-performing asset ("NPA") applying both quantitative as well as qualitative factors prescribed by the regulations.

Significant judgements and estimates for NPA identification and provisioning could give rise to material misstatements on:

- Completeness and timing of recognition of non-performing assets in accordance with criteria as per IRAC norms;
- Measurement of the provision for non-performing assets based on loan exposure, ageing and classification of the loan, realizable value of security;
- Appropriate reversal of unrealized income on the NPAs.

The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Core Banking Solution

Our audit approach included testing the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments. In particular:

- Considering testing of the exception reports generated from the application systems where the advances have been recorded.
- Considering the accounts reported by the Bank and other banks as Special Mention Accounts ("SMA") in RBI's central repository of information on large credits (CRILC) to identify stress.
- Reviewing account statements and other related information of the borrowers selected based on quantitative and qualitative risk factors
- Considering Internal Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank.
- We have test checked advances to examine the validity of the recorded amounts, loan documentation, examined the statement of accounts, provision for non-performing assets, and compliance with income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances in terms of applicable RBI guidelines.
- For Non-performing advances identified, we, based on factors

<p>वर्गीकरण और प्रावधान की गणना आईआरएसी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर नामक एक अन्य आईटी प्रणाली के माध्यम से की जाती है. यदि एकल या समग्र रूप में आईआरएसी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाए तो इन अग्रिमों का वहन मूल्य (प्रावधानों को घटाकर) तात्त्विक रूप से अयथार्थ बताया जा सकता है.</p> <p>निहित तात्त्विकता, लेनदेन की प्रकृति, नियामक आवश्यकताओं, मौजूदा कारोबारी माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल अनुमान/निर्णय को ध्यान में रखते हुए, हमने इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है.</p>	<p>तात्त्विकता सहित कारकों के आधार पर, नमूना आधार पर आस्ति वर्गीकरण की तारीखों, अप्राप्त ब्याज की वापसी, उपलब्ध सुरक्षा के मूल्य और आईआरएसी मानदंडों के अनुसार प्रावधान पर परीक्षण किया. हमने प्रमुख इनपुट कारकों पर विचार करने के बाद एनपीए के प्रावधान की पुनर्गणना की और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हमारे मापन परिणामों की तुलना की.</p> <ul style="list-style-type: none"> • इसके अलावा, हमने शाखाओं/ कार्यालयों का दौरा करने और दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों की जांच के साथ-साथ अग्रिमों के लिए प्रतिभूतियों पर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट सहित मूल प्रक्रियाएं भी पूरी की हैं. • अन्य शाखाओं के संबंध में, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में डिजिटल माध्यम से बैंक द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए स्कैन किए गए रिकॉर्ड/ रिपोर्ट/ दस्तावेजों/ प्रमाणपत्रों के आधार पर नमूना अग्रिमों की समीक्षा, सीबीएस के लिए ईमेल और रिमोट एक्सेस और सुरक्षित नेटवर्क पर अन्य प्रासंगिक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर शामिल हैं. 	<p>(CBS). NPA classification and calculation of provision is done through another IT System viz. IRAC Application Software. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed.</p> <p>Considering the materiality involved, nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities, we have determined this as a Key Audit Matter.</p>	<p>including stressed sectors and account materiality, tested on a sample basis the asset classification dates, reversal of unrealized interest, value of available security and provisioning as per IRAC norms. We recomputed the provision for NPA after considering the key input factors and compared our measurement outcome to that prepared by management.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In addition, we have also carried out substantive procedures including visits to branches/ offices and examination of documentation and other records as well as reports of independent valuers on securities to advances. • In respect of other branches, our audit procedures included review of sample advances based on scanned records/ reports/ documents/ certificates made available to us by the Bank through digital medium, emails and remote access to CBS and other relevant application software over secure network of the Bank.
--	---	--	--

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण

<p>बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग और ट्रेजरी समाधानों तथा अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर इतनी ज्यादा निर्भर हैं कि आईटी नियंत्रण में कमी होने पर वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग रिकॉर्डों के तात्त्विक रूप से गलत होने का जोखिम बना रहता है.</p>	<p>वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए बैंक की आईटी प्रणालियों और संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • हमने बैंक की आईटी प्रणाली को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और नमूना जांच की 	<p>Information Technology (IT) Systems and controls over financial reporting</p> <p>The Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on Core Banking and Treasury Solutions and other supporting software and hardware controls such that there exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being materially misstated.</p>	<p>Systems and controls over financial reporting</p> <p>As a part of our audit procedures for review of the Bank's IT systems and related controls for financial reporting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • We have planned designed and carried out the audit procedures and sample checks, taking into consideration the IT systems of the Bank. We obtained an
--	--	---	--

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

<p>बैंक अपनी समग्र वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कई प्रणालियों का उपयोग करता है और प्रतिदिन कई स्थानों पर बड़ी मात्रा में लेनदेन दर्ज किए जा रहे हैं. इसके अलावा, बैंक के सिस्टम और डेटा की अखंडता की रक्षा करने के लिए चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं और हाल की अवधि में साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण जोखिम बन गई है.</p> <p>आईटी पर्यावरण की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में इसके महत्व के कारण, हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में अभिनिर्धारित किया है.</p>	<p>योजना बनाई है, उन्हें डिजाइन किया है और निष्पादित किया है. हमने उनकी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणालियों के एकीकरण सहित बैंक के आईटी वातावरण की समझ प्राप्त की है.</p> <ul style="list-style-type: none"> हमने आईटी सामान्य नियंत्रणों (तार्किक पहुंच, परिवर्तन प्रबंधन और आईटी परिचालन नियंत्रण के पहलुओं) का परीक्षण किया. इसमें सिस्टम तक पहुंच के अनुरोधों की समीक्षा करने व प्राधिकृत करने का परीक्षण भी शामिल था. हमने अनुमोदन और प्राधिकरण के लिए सिस्टम में बदलाव के अनुरोधों का निरीक्षण किया. आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संचालित आईएस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट और आईआरएसी के लिए की गई बाह्य आईटी प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा साथ ही, सनदी लेखाकार की एक स्वतंत्र फर्म द्वारा संचालित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को ध्यान में रखा गया. उपरोक्त के अलावा, हमने कुछ स्वचालित नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया जिन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण माना जाता था. जहां कमियों की पहचान की गई थी, वहाँ हमने क्षतिपूर्ति नियंत्रणों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा अथवा वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं संपन्न की. 	<p>The Bank uses several systems for its overall financial reporting and there is a large volume of transactions being recorded at multiple locations daily. In addition, there are increasing challenges to protect the integrity of the Bank's systems and data since cyber security has become a more significant risk in recent periods.</p> <p>Due to the pervasive nature and complexity of the IT environment as well as its importance in relation to accurate and timely financial reporting, we have identified this area as a Key Audit Matter.</p>	<p>understanding of Bank's IT environment including integration of various systems to evaluate their adequacy.</p> <ul style="list-style-type: none"> We tested IT general controls (logical access, change management and aspects of IT operational controls). This included testing that requests for access to systems were reviewed and authorised. We inspected requests of changes to systems for approval and authorisation. Considering report on IS audit conducted by Internal audit department and External IT System audit report for IRAC as well as the audit report of Internal Financial Control over Financial Reporting conducted by an independent firm of Chartered Accountants. In addition to the above, we tested the design and operating effectiveness of certain automated controls that were considered as key internal controls over financial reporting. Where deficiencies were identified, we sought explanations regarding compensating controls or performed alternate audit procedures.
---	---	--	--

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है. अन्य जानकारी में प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण की सूचना, निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध सहित निदेशकों की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयर धारकों की जानकारी (सामूहिक रूप से 'अन्य जानकारी' के रूप में निर्दिष्ट) शामिल हैं लेकिन इनमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं. उपर्युक्त अनुसार अतिरिक्त जानकारी इस लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम अन्य जानकारी पर किसी तरह का आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं.

Information Other Than Consolidated Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of other information. The Other Information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Director's Report including Annexures to Director's Report, Business Responsibility and Sustainability Report, Corporate Governance and Shareholders information (collectively called as "Other Information") but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditor's report thereon. The Other information as above is expected to be made available to us after the date of this Auditors' report.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the Other Information and we do not express any form of assurance/ conclusion on the other information.

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमें उपलब्ध कराए जाने पर ऊपर निर्दिष्ट अन्य जानकारी का अध्ययन करें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों से अथवा लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त की गई सूचना से तात्त्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्त्विक रूप से गलत प्रतीत होती है। अन्य जानकारी का अध्ययन करने पर यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई तात्त्विक विसंगति है, तो हमारे लिए उस तथ्य को अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को सूचित करना आवश्यक है।

प्रबंधन एवं अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों की समेकित वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल बैंकिंग कंपनियों के लिए आवश्यक रूप में इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह और समेकित रूप से नियंत्रित इकाइयों की वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना; तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेना और पूर्वानुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उसे बनाए रखना, जो सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करने वाली धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाले तथ्यात्मक मिथ्या कथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, भी शामिल हैं, जिनका बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कंपनियों के संबन्धित निदेशक मंडलों को समूह में शामिल किया जाता है। इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों संबंधित इकाइयों के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन की कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो।

समूह में शामिल कंपनियों और साथ ही उनकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के संबंधित निदेशक मण्डल भी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों सहित समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बात का आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई मिथ्या कथन न हो और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

The Bank's Management and Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ('the Act') with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements in the manner required for Banking companies and that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its associate companies and Jointly controlled entity in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, in so far as they apply to the Bank and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the entities included in the Group and of its associates and jointly controlled entity are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group, its associate companies and jointly controlled entity are responsible for assessing the ability of the Group and of its associates and jointly controlled entity to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Management either intends to liquidate the group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group including its associate companies and Jointly controlled entity are also responsible for overseeing the financial reporting process of the Group including its associate companies and Jointly controlled entity.

Auditors' Responsibilities for the audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे ठोस तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है.

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं. हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की पहचान और मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए हों, उन जोखिमों के अनुरूप लेखा प्रक्रियाएं तैयार करना और उन पर कार्रवाई करना तथा हमारी राय को पर्याप्त और संगत आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से बढ़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, कपट, जानबूझकर छोड़ी गई त्रुटियाँ, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, जो उन परिस्थितियों के लिए उचित हों. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या समूह, इसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है तथा क्या इस तरह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर्याप्त है.
- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों एवं प्रबंधन द्वारा उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना.
- प्रबंधन एवं निदेशक मंडल के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य पर अपना निष्कर्ष देना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस बात का पता लगाना कि क्या उन घटनाओं से संबंधित तात्त्विक अनिश्चयता मौजूद है या वैसी परिस्थितियाँ बनी हैं जिसमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की समूह और इसकी सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों की योग्यता पर सार्थक संदेह व्यक्त किया जा सके. यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्त्विक अनिश्चयता विद्यमान है तो हमें हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है तो हमें अपने अभिमत को संशोधित करना होगा. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर आधारित हैं. तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियाँ समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के कार्यशील संस्था के रूप में बने न रहने का कारण बन सकती हैं.
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र समेकित प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि इसकी निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त की जा सके.
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह, इसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं.

level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Group, its associates and Jointly controlled entity has adequate internal financial controls system with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Management.
- Conclude on the appropriateness of Management's and Board of Directors use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's including its associate's companies and Jointly controlled entity's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group including its associate companies and jointly controlled entity to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group, its associates and jointly controlled entity to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं। इस संबंध में हमारी जिम्मेदारियों को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'अन्य मामले' खंड के तहत आगे वर्णित किया गया है।

हम, बैंक और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी अन्य संस्थाओं जिनके हम स्वतंत्र निदेशक हैं, के अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे, उसकी अवधि और लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों तथा लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते हैं।

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को विवरणी भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और साथ ही हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले संबंधों और उन मामलों जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, और जहां भी लागू हो वहां उनसे संबंधित सावधानियों की जानकारी भी देते हैं।

अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो इसलिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय हैं। हम उन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन द्वारा इस मामले के प्रकटन के लिए या तो रोका न जाए या फिर अत्यंत विरल परिस्थितियों में जब हम यह निर्णय लें कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

अन्य मामले

(i) हमने बैंक के समेकित वित्तीय परिणामों में शामिल दुबई स्थित विदेशी शाखा की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसकी वित्तीय जानकारी यथा 31 मार्च, 2023 को 99.68 करोड़ रुपये की कुल आस्ति और इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 105.47 करोड़ रुपये के कुल राजस्व को दर्शाती है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है। इस शाखा की लेखापरीक्षा स्थानीय शाखा लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है, और अब तक इस शाखा के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(ii)

अ. हमने निम्नलिखित के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है :

क) पांच सहयोगी संस्थाओं जिनके वित्तीय विवरण के अनुसार यथा 31 मार्च 2023 को समूह की कुल आस्तियां ₹ 956 करोड़ थीं तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 370 करोड़ और कर पश्चात निवल लाभ ₹ 83 करोड़ और निवल नकदी बहिर्वाह ₹ 74 करोड़ था, जिनकी लेखापरीक्षा उनके संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा

responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion. Our responsibilities in this regard are further described under 'Other Matters' section in this audit report.

We communicate with those charged with governance of the Bank and such other entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

i. We did not audit the financial statements of the foreign branch in Dubai included in the Consolidated Financial Statements of the Bank whose financial statements reflect total assets of INR 99.68 Crores as at March 31, 2023 and total revenue of INR 105.47 Crores for the year ended on that date. This branch has been audited by a local branch auditor whose report has been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this branch, is based solely on the report of such branch auditor.

ii.

A. We did not audit the financial statements of:

a) Five subsidiaries, whose financial statements reflects total assets of INR 956 crores as at March 31, 2023, total revenue of INR 370 crores, total Net Profit after tax of INR 83 crores for the year ended March 31, 2023 and net cash outflow amounting to INR 74 crores, as considered in the consolidated financial statements, which have been audited by their respective independent auditors. These independent Auditor's report on financial statements of these entities have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements,

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

की गई थीं और उनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई थीं तथा हमारी राय महज उक्त लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर ही आधारित है।

ख) एक संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था, जिसके वित्तीय विवरण के अनुसार यथा 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 7 करोड़, कर पश्चात कुल निवल लाभ ₹ 5 करोड़ को दर्शाता है, जो समेकित वित्तीय विवरणों में विचार की गई सीमा तक प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया और अब तक के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय है कि जहां तक यह संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है वह पूरी तरह 30 सितंबर 2022 को समाप्त छमाही अवधि के लिए प्रबंधन प्रमाणित वित्तीय परिणामों पर आधारित है। प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार ये आंतरिक वित्तीय परिणाम उक्त समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। समेकित वित्तीय विवरण कि टिप्पणी 18(10) में उल्लिखित अनुसार बैंक ने 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान अपनी संयुक्त उद्यम संस्था में अपने सम्पूर्ण स्टैक को बेच दिया।

आ) हम समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न 18(10) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कहा गया है कि समेकित वित्तीय विवरणों में उन सभी चार सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण शामिल नहीं हैं जिनके लिए 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण/ लेखे हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। इन चार सहायक संस्थाओं में से एक सहायक - एनएसडीएल (26.10%) के संबंध में 31 दिसंबर 2022 तक के खाते शामिल किए गए हैं तथा 2 अन्य सहायक संस्थाओं यथा नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (25%) और बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड (27.93%) के संबंध में 31 मार्च, 2022 तक के खातों को शामिल किया गया है। पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (21.14%) के मामले में, उक्त कंपनी में निवेश को 1 सप्ते तक बट्टे खाते डाल दिया गया है। प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इन सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण समूह के लिए कोई तात्विक महत्त्व नहीं रखते हैं।

जहां तक किए गए कार्य और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी के संदर्भ में उपर्युक्त मामलों पर हमारे विश्वास का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय, और नीचे के अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में हमारी रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 133 के साथ पठित अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries is based solely on the reports of the other auditors.

b) One jointly controlled entity, whose financial statements reflect total revenues of INR 7 Crores and total net profit after tax of INR 5 Crores for the year ended March 31, 2023 to the extent considered in the consolidated financial statements have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this jointly controlled entity, is based solely on management certified financial results for the six months period ended September 30, 2022. According to the information and explanations given to us by the Management, these interim financial results are not material to the Group. As stated in Note 18 (10) of the consolidated financial statement, the bank had sold its entire stake in their Joint Venture entity during the quarter ended 30th September 2022.

B. We draw attention to Note 18(10) to the accompanying Consolidated Financial statements which states that the Consolidated Financial statements does not include financial statements in respect of all four Associates for which financial statements /accounts for the year ended March 31, 2023 have not been received. Out of four associates, in respect of 1 associate-NSDL (26.10%), accounts have been included up to December 31, 2022 and in respect of 2 associates North eastern Development Finance Corporation Limited (25%) and Biotech Consortium India Limited (27.93%) accounts have been included up to March 31, 2022. In case of Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment corporation Limited (21.14%), the investment in the said company has been written down to INR 1. According to the information and explanations given to us by the Management, the financial statements of these Associates are not material to the Group.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Act and Rules made thereunder.

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सम्पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे तथा उन्हें संतोषजनक पाया है।
- ख) बैंक के लेन-देन जो हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे ध्यान में आए, वे बैंक की अधिकार सीमा के भीतर रहे हैं।
- क) बैंक की वित्तीय लेखा प्रणाली केंद्रीकृत हैं और इसलिए, वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से लेखांकन विवरणियाँ शाखाओं द्वारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। हमने लेखा-परीक्षा केंद्रीय रूप से की है क्योंकि हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी अपेक्षित रिकॉर्ड और डेटा केंद्रीय रूप से उपलब्ध हैं। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने आरबीआई के मौजूदा परिपत्र के अनुपालन में हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए ऐसी शाखाओं में रखे गए अभिलेखों की जांच करने के लिए 36 घरेलू शाखाओं और गिफ्ट सिटी आईबीयू, गांधीनगर शाखा (ओवरसीज) का दौरा किया है, जिसमें बैंक के सकल अग्रिमों का 44.22% निहित है।
3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर अलग-अलग वित्तीय विवरणों और सहायक कंपनियों की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सम्पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;
- ख) हमारी राय में, बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों को रखा गया है, जैसा कि उन बहियों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
- ग) बैंक की दुबई शाखा के लेखों की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित रिपोर्ट हमारे पास प्रेषित की गई है और इस पर उचित रूप से विचार किया गया है;
- घ) इस रिपोर्ट में विचार किए गए समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकन के प्रयोजन से रखी गई लेखा बहियों और अभिलेखों के अनुरूप हैं।
- ङ) हमारी राय में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के उस सीमा तक अनुपालन में हैं जहां तक वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं।
- च) यथा 31 मार्च 2023 को बैंक के निदेशकों से प्राप्त और बैंक के निदेशक मंडल तथा भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, इसके समूह के किसी भी निदेशक को यथा 31 मार्च 2023 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के निबंधनों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
2. As required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:
- a) We have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.
- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice during the course of our audit, have been within the powers of the Bank.
- c) The financial accounting systems of the Bank are centralized and therefore, accounting returns for the purpose of preparing financial statements are not required to be submitted by the branches. Our audit has been carried out centrally as all the necessary records and data required for the purposes of our audit are centrally made available. Further, during the course of our audit, we have visited 36 domestic branches and Gift city IBU, Gandhinagar branch (overseas) which, in aggregate, comprise of 44.22% of the gross advances of the Bank, to examine the records maintained at such branches for the purpose of our audit, in compliance with the extant RBI Circular.
3. As required by section 143(3) of the Act, based on our audit and on the consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements and other financial information of subsidiaries, we report, to the extent applicable that,
- a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit of consolidated financial statements;
- b) in our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of consolidated financial statements have been kept by the Bank so far as appears from our examination of those books and reports of other auditors;
- c) the report on the accounts of the foreign branch at Dubai of the Bank audited by other auditors has been forwarded to us and the same has been appropriately dealt with;
- d) the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account, and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and records maintained for the purpose of consolidation;
- e) in our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act and Rules made thereunder, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;
- f) on the basis of written representation received from the directors of the Bank as on March 31, 2023 and taken on record by the Board of Directors of the Bank and the reports of the statutory auditors of its subsidiary companies incorporated in India, none of the directors of the group are disqualified as on March 31, 2023 from being appointed as director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act 2013;

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

छ) समूह, इसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के वित्तीय विवरणों संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता के संबंध में 'अनुबंध ए' में अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें।

ज) हमारी राय में, एक बैंकिंग कंपनी होने के नाते 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान इसके निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के प्रावधानों के अनुसार किया गया है तथा;

सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, जिनकी हमारे द्वारा लेखा-परीक्षा नहीं की गई थी, सहायक कंपनियों और 1 संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था द्वारा उनके निदेशकों को चालू वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।

इसके अलावा, जैसा कि ऊपर अन्य मामले के पैराग्राफ में संदर्भित है, 4 सहयोगी संस्थाओं और 1 संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के लिए, जिनके वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की गई है, अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में ऐसी संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग के अभाव में अधिनियम की धारा 197(16) के तहत हमारे द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट के संबंध में यथा 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए हम उक्त संस्थाओं के लिए ऐसे अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

झ) यथा संसोधित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सम्पूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा 'अन्य मामले' पैराग्राफ में सहायक संस्थाओं के लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर नोट किए गए विचारों के आधार पर निम्नानुसार अभिकथन है कि:

- i. समेकित वित्तीय विवरण बैंक और इसकी सहायक कंपनियों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन करते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(13) (सी) का संदर्भ लें।
- ii. समेकित वित्तीय विवरणों में डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घवधि संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों, यदि हों, के लिए लागू विधिक या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किए हैं। समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(13)(बी) का संदर्भ लें।
- iii. बैंक और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को अंतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

iv.

क. समूह में घटक से संबन्धित प्रबंधनों, इसकी सहायक संस्थाओं जो कि भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, जिनके वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के "अन्य मामले" के अधीन लेखापरीक्षा की गई है, उन्होंने हमें और सहयोगी संस्थाओं

g) with respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to Financial Statements of the Group, its associates & Jointly controlled entity and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A";

h) In our opinion, the entity being a Banking company, the remuneration to its directors during the year ended March 31, 2023 has been paid/ provided by the Bank in accordance with the provisions of section 35B of the Banking Regulation Act, 1949, and;

Based on the report of the statutory auditors of subsidiaries which were not audited by us, the remuneration paid during the current year by the subsidiary companies and 1 Jointly controlled entity to their directors are in accordance with the provisions of Section 197 of the Act

Further, for the 4 associates and 1 Jointly controlled entity as referred to in other matter paragraph above, whose financial statements/information have not been audited, in absence of reporting by statutory auditors of such entities with respect to compliance of the provisions of section 197 read with Schedule V of the Act during the year ended March 31, 2023, we are unable to comment on such compliance for the said entities as required to be reported by us under section 197(16) of the Act

i) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the auditors of subsidiary companies as noted in the "Other Matters" paragraph:

- i. The consolidated financial statements disclose the impact of pending litigations on its consolidated financial position of bank and its subsidiary companies. Refer note 18(13)(C) to the Consolidated Financial Statements.
- ii. Provision, as required, under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts including derivative contracts has been made in the consolidated financial statements. Refer note 18 (13)(B) to the Consolidated Financial Statements.
- iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the bank and its subsidiary companies.

iv.

a. The respective Managements of the components in the Group, its associates which are companies incorporated in India, whose financial statements have been audited under the Act, subject to "Other Matters" Para in our Audit report have represented to us

के लेखापरीक्षकों को यह अभ्यावेदन किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखा टिप्पणी 18 (14) (VII) में यथा दर्शाए अनुसार, किसी बैंक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित किसी से कोई धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी भी प्रकार के अन्य स्रोत से) नहीं ली गई है, तथा लिखित अथवा अन्यथा रूप से यह माना गया है कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

- ख. भारत में निगमित समूह, इसकी सहायक संस्थाओं से संबन्धित प्रबंधन ने, जिनके वित्तीय विवरणों की हमारी रिपोर्ट के "अन्य मामलों" के अधीन लेखापरीक्षा की गई है, उन्होंने हमसे और ऐसे समूह संस्थाओं के लेखापरीक्षकों से यह अभ्यावेदन किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखा टिप्पणी 18 (14) (VII) में यथा दर्शाए अनुसार, बैंक द्वारा विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टियां") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, तथा लिखित अथवा अन्यथा रूप से यह माना गया है कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।
- ग. "अन्य मामलों" पैरा में उल्लिखित हमारे तथा सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ड) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत दिया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

and the other auditors of subsidiary companies, respectively that, to the best of their knowledge and belief as disclosed in the Schedule 18(14)(VII) to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank or any of such entities in the Group including its associates to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Bank or any of such components of the Group, associates and jointly controlled entity ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries

- b. The respective Managements of the entities in the Group its associates which are incorporated in India, whose financial statements have been audited under the Act, subject to "Other Matters" Para in our Audit report, have represented to us and the other auditors of such Group entities respectively that, to the best of their knowledge and belief as disclosed in the Schedule 18(14)(VII) to the accounts, no funds have been received by the Bank or any of such entities in the Group, associates from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Bank or any of such components of the Group and associates shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- c. Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances performed by us and that performed by the auditors of the subsidiary companies as mentioned in "other matter" para, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

- v. जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 18(7)(b) में वर्णित है, बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक महासभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। लाभांश की राशि लागू अधिनियम की धारा 123 के अनुसार प्रस्तावित है। हमें दी गई जानकारी और सहायक कंपनियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर प्रबंधन द्वारा हमें निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई :
- क. समूह में तीन सहायक कंपनियों ने पिछले वर्ष प्रस्तावित लाभांश का भुगतान किया है जो कंपनी अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।
- ख. समूह में सहायक कंपनियों में से एक ने वर्ष के लिए लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में उनके सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि कंपनी अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।
- ग. किसी भी सहायक कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई अंतरिम लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है।
- घ. इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक समूह की अन्य सहायक कंपनियों ने न तो कोई लाभांश दिया है और न ही कोई लाभांश घोषित किया है।
- ङ. इसके अलावा, जैसा कि ऊपर अन्य मामले के पैराग्राफ में संदर्भित है, 4 सहयोगी संस्थाओं के लिए, जिनके वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखा परीक्षा नहीं की गई है, नियम 11 (एफ) के तहत ऐसी संस्थाओं के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग के अभाव में हम उक्त संस्थाओं के लिए इस तरह के अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- vi. लेखांकन सॉफ्टवेयर के उपयोग से संरक्षित की जा रही लेखा बहियों के लिए कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 3(1) के परंतुक जिसमें लेखापरीक्षा ट्राइल (एडिट लॉग) रिकार्डिंग करने की सुविधा है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से बैंक, सहयोगी संस्था और सहायक संस्थाओं पर लागू है। तदनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11(जी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- v. As stated in Note 18(7)(b) to the consolidated financial statements, the Board of Directors of the Bank have proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The amount of dividend proposed is in accordance with section 123 of the Act, as applicable. As per the information furnished to us and based on the audit reports of subsidiaries furnished to us by management:
- a. Three subsidiaries in the group have paid the dividend proposed in the previous year which is in accordance with Section 123 of the Companies Act.
- b. One of the subsidiary in the group have proposed dividends for the year which is subject to approval of their members at the ensuing Annual General Meeting. The amount of dividend proposed is in accordance with section 123 of the Companies Act, as applicable
- c. No interim dividend has been declared or paid during the year by any subsidiaries.
- d. Other subsidiaries of the group have neither paid nor declared any dividend until the date of this audit report.
- e. Further, for the 4 associates, as referred to in other matter paragraph above, whose financial statements/information have not been audited, in absence of reporting by statutory auditors of such entities under Rule 11(f) we are unable to comment on such compliance for the said entities.
- vi. Proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 for maintaining books of account using accounting software which has a feature of recording audit trail (edit log) facility is applicable to the Bank, subsidiary and Associates with effect from April 1, 2023 and accordingly, reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is not applicable for the financial year ended March 31, 2023.

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

पी आर प्रसन्न वर्मा
P R Prasanna Varma
साझेदार/Partner
स. सं. 25854/M.No. 25854
UDIN: 23025854BGRHXB6847

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 29 अप्रैल 2023 / Date : April 29, 2023

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN-100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार/Partner
स. सं. 121546/M.No. 121546
UDIN: 23121546BGWJZC6859

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध 'ए'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') और इसकी सहयोगी संस्थाओं, सहायक संस्थाओं और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था (बैंक और इसकी सहायक संस्थाएं 'समूह') के रूप में निर्दिष्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

संबंधित कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा 'वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट' ('मार्गदर्शी नोट') में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए संबंधित कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के संबंध में बनाए गए आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग में हमारी सहायक संस्था के लेखापरीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करने की है। हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट ('मार्गदर्शी नोट') तथा लेखापरीक्षा संबंधी मानकों ('मानक') के अनुसार की है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन विनिर्दिष्ट माने जाएंगे और दोनों वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शी नोट से यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें कि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और यह भी कि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसी जोखिमों का आकलन करना जहां तात्त्विक कमी विद्यमान है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं जिनमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्त्विक मिथ्या कथन के जोखिम का आकलन शामिल है।

Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the Consolidated Financial Statements of IDBI Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls with reference to financial statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

We have audited the internal financial controls with reference to consolidated financial statements of IDBI Bank Limited ("the Bank") as at March 31, 2023 in conjunction with our audit of the Consolidated financial statements of the Bank and its subsidiaries, associates and jointly controlled entity (the Bank and its subsidiary companies together referred to as "the Group") for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective company's Management and Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the respective company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("the Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ("the Act").

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls with reference to consolidated financial statements of the Group, its associates based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("the Guidance Note") and the Standards on Auditing ("the SAs"), issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls over financial reporting, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to consolidated financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to consolidated financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to consolidated financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा अन्य मामले पैराग्राफ में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, समूह, इसकी सहायक संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

बैंक की समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है। वित्तीय विवरणों पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो:

- (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित विस्तार, परिशुद्धता के साथ समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को उचित रूप से दर्शाते हैं;
- (2) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यवहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह भी कि बैंक की प्राप्तियाँ और व्यय बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार अनुसार ही किए जा रहे हैं; और
- (3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम और समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं जिनसे समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से नियंत्रणों के अधिव्यापन की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से तात्त्विक अयथार्थ कथन की घटना हो सकती है और उनका पता न लगाया जा सके। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन में आने वाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं।

अभिमत

हमारी राय में, समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के पास समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर स्थापित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर यथा 31 मार्च 2023 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraphs, below are sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on internal financial controls system with reference to Consolidated Financial Statements of the Group, its associates.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements

A Bank's internal financial control with reference to consolidated financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial control with reference to consolidated financial statements includes those policies and procedures that

- 1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Group, its associate companies.
- 2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of consolidated financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the entity are being made only in accordance with authorizations of Management and Directors of the entity; and
- 3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the entity's assets that could have a material effect on the consolidated financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to consolidated financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to consolidated financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to consolidated financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Group, its associate companies has in all material respects, an adequate internal financial controls system with reference to consolidated financial statements and such internal financial controls with reference to consolidated financial statements were operating effectively as at March 31, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Group and its associate companies considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

अन्य मामले

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय विवरणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट का जहां तक निम्न तथ्यों से संबंध है:

- क) भारत में निगमित 4 सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई की रिपोर्ट संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है;
- ख) भारत में निगमित एक सहायक कंपनी, जिसके वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण उसके स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा किया गया है, ने 143 (3) (i) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। हमारी राय प्रभावित नहीं है क्योंकि इन समेकित वित्तीय विवरणों में इस सहायक कंपनी के संबंध में शामिल निवल लाभ / हानि और प्रकटीकरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।
- ग) भारत में निगमित एक संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई जिसकी 30 सितंबर 2022 को समाप्त छमाही की अवधि के लिए वित्तीय परिणाम प्रबंधन द्वारा प्रमाणित है। नोट 18(10) में उल्लिखित अनुसार बैंक ने 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान अपनी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में अपने सम्पूर्ण स्टैक को बेच दिया।
- घ) भारत में निगमित 4 सहायक संस्थाएं, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का लेखा-जोखा नहीं है, हमारी राय प्रभावित नहीं है क्योंकि समेकित वित्तीय विवरणों में इन संस्थाओं के संबंध में शामिल निवल लाभ/हानि और प्रकटीकरण का हिस्सा समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया गया है
Our report is not modified in respect of the above matters.

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

पी आर प्रसन्न वर्मा
P R Prasanna Varma
साझेदार/Partner
(स. सं. 25854)/M.No. 25854
UDIN: 23025854BGRHXB6847

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 29 अप्रैल 2023 / Date : April 29, 2023

Other Matters

Our aforesaid report under section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements insofar as it relates to;

- a. Four subsidiary companies, incorporated in India, is based on the corresponding report of the respective auditors ;
- b. One subsidiary company, incorporated in India, whose financial statements has been audited by it's independent auditor has not furnished a report under 143 (3)(i). Our opinion is not affected as the net profit / loss and disclosures included in respect of this subsidiary in these Consolidated Financial Statements are not material to the Group.
- c. One Jointly controlled entity incorporated in India, whose financial results for the six months period ended 30th September, 2022 are certified by the management. As stated in note 18(10), the bank has sold its entire stake in their jointly controlled entity during the quarter ended 30th September 2022
- d. Four associates, incorporated in India whose financial statements / financial information are unaudited, our opinion is not affected as the share of net profit / loss and disclosures included in respect of these associates in the Consolidated Financial Statements are not material to the Group.

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN-100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार/Partner
(स. सं. 121546)/M.No. 121546
UDIN: 23121546BGWJZC6859

समेकित तुलन-पत्र 31 मार्च 2023 को

Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2023

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
पूंजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	10752 40 22	10752 40 22
रिजर्व और अधिशेष / Reserves and surplus	2	35566 84 18	31819 30 55
अल्पसंख्यक हित / Minority Interest	2A	138 48 33	128 18 55
जमा राशियां / Deposits	3	255322 15 51	232849 58 52
उधार राशियां / Borrowings	4	12637 75 01	14344 98 00
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	17080 07 45	12645 18 97
कुल / TOTAL		331497 70 70	302539 64 81
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	16639 28 10	27795 91 42
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	12712 66 94	8004 55 81
निवेश / Investments	8	100408 67 72	83475 00 41
अग्रिम / Advances	9	162545 84 89	136958 71 70
अचल आस्तियां / Fixed assets	10	9780 40 46	9987 03 51
अन्य आस्तियां / Other assets	11	29410 82 59	36318 41 96
कुल / TOTAL		331497 70 70	302539 64 81
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	176929 12 79	332226 71 26
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		11310 73 40	10706 95 65
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet			

बोर्ड के आदेश से BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
डीआईएन/DIN: 06846594

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
डीआईएन/DIN: 03022106

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
डीआईएन/DIN: 01853823

(स्मिता कुबेर)
(Smita Kuber)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 0045325

कृते जी डी अप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN-100515W

पी आर प्रसन्न वर्मा
P R Prasanna Varma
साझेदार/Partner
स. सं. 25854/M.No. 25854

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार/Partner
स. सं. 121546/M.No. 121546

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 29 अप्रैल 2023 / Date : April 29, 2023

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2023

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022
I आय/ INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest earned	13	20591 52 71	18315 79 16
अन्य आय / Other Income	14	4575 37 68	4919 22 68
कुल / TOTAL		25166 90 39	23235 01 84
II व्यय / EXPENDITURE			
व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	9130 44 57	9121 54 47
परिचालन व्यय / Operating expenses	16	7232 56 52	6503 06 34
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies		5117 05 05	5092 67 21
कुल / TOTAL		21480 06 14	20717 28 02
III लाभ / PROFIT			
सहयोगी संस्थाओं में अर्जन/(हानि) का हिस्सा Share of Earnings/(loss) in Associates		41 12 92	39 33 09
अल्पसंख्यक हित की कटौती से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ/(हानि) Consolidated Net profit/(loss) for the year before deducting Minorities' Interest		3727 97 17	2557 06 91
घटाएं: अल्पसंख्यकों का हित / Less: Minorities' Interest		21 91 24	23 40 21
समूह से वर्ष का समेकित लाभ/(हानि) Consolidated profit/(loss) for the year attributable to the group		3706 05 93	2533 66 70
जोड़ें: समूह से आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि) Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		(43395 79 67)	(45159 42 11)
आगे लाई गई हानियों का शेयर प्रीमियम से समंजन Brought forward losses set off against Share premium		45396 18 36	-
कुल / TOTAL		5706 44 62	(42625 75 41)
IV विनियोजन / APPROPRIATIONS			
सांविधिक रिजर्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		911 27 37	609 81 76
पूंजीगत रिजर्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		18 21 87	157 39 92

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2023

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022
सामान्य रिजर्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		2 64 59	2 82 58
निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) में अंतरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve (IFR)		196 38 58	-
शेष राशि समेकित तुलनपत्र में ले जाई गई Balance carried over to Consolidated balance sheet		4577 92 21	(43395 79 67)
कुल / TOTAL		5706 44 62	(42625 75 41)
प्रति शेयर अर्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) Earnings per Share (₹) (Face Value ₹ 10 per Share)	18 (7a)		
मूल / Basic		3.45	2.36
न्यूनीकृत / Diluted		3.45	2.36
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलनपत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet			

बोर्ड के आदेश से BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
डीआईएन/DIN: 06846594

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
डीआईएन/DIN: 03022106

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
डीआईएन/DIN: 01853823

(स्मिता कुबेर)
(Smita Kuber)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN-100515W

पी आर प्रसन्न वर्मा
P R Prasanna Varma
साझेदार/Partner
स. सं. 25854/M.No. 25854

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार/Partner
स. सं. 121546/M.No. 121546

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 29 अप्रैल 2023 / Date : April 29, 2023

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
₹ 10 प्रत्येक के 2100 00 00 000 (2500 00 00 000) इक्विटी शेयर 2100 00 00 000 (2500 00 00 000) Equity Shares of ₹ 10 each	21000 00 00	25000 00 00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी / Issued, Subscribed & Paid up Capital		
प्रत्येक ₹ 10 के 1075 24 02 175 (1075 24 02 175) पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर 1075 24 02 175 (1075 24 02 175) Equity Shares of ₹10 each fully paid up (अनुसूची 18 नोट 14 (I) देखें) / (Refer Schedule 18 Note 14 (I))	10752 40 22	10752 40 22
कुल / TOTAL	10752 40 22	10752 40 22

अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
I सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	3424 43 06	2814 61 30
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	911 27 37	609 81 76
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	4335 70 43	3424 43 06
II विदेशी मुद्रा रूपांतरण रिज़र्व / Foreign Currency Translation Reserves		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	2 28 16	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	11 40 61	2 28 16
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	13 68 77	2 28 16
III पूंजी रिज़र्व / Capital Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	3168 48 34	3011 08 42
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	18 21 87	157 39 92
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	3186 70 21	3168 48 34
IV समेकन पर पूंजी रिज़र्व / Capital Reserve on Consolidation		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	315 44 19	304 50 70
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	30 07 08	10 93 49
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	345 51 27	315 44 19
V पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	8467 76 35	6281 44 73
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	2409 36 15
सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve	266 78 80	223 04 53
	8200 97 55	8467 76 35
VI शेयर प्रीमियम / Share Premium		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	50719 70 43	50732 28 10
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year#	45396 18 36	12 57 67

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

विवरण / Particulars	(₹ '000 में / ₹ in '000)	
	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
VII राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserve	5323 52 07	50719 70 43
(क) सामान्य रिज़र्व (a) General Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	7000 03 61	6774 16 50
वर्ष के दौरान परिवर्धन (समेकित समायोजन को घटाकर) Additions during the year (Net of Consolidation Adjustments)	2 64 59	2 82 58
पुनर्मूल्यन रिज़र्व में अंतरित Transferred from Revaluation Reserve	266 78 80	223 04 53
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	7269 47 01	7000 03 61
(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व (b) Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	6 35 04	6 35 04
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	6 35 04	6 35 04
(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व (c) Special Reserve created & maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	1566 00 00	1566 00 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	1566 00 00	1566 00 00
(घ) निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व (d) Investment Fluctuation Reserves		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	544 61 04	544 61 04
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	196 38 58	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	740 99 62	544 61 04
VIII लाभ-हानि लेखे में शेष राशि[#] / Balance in Profit and Loss account[#]	4577 92 21	(43395 79 67)
कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	35566 84 18	31819 30 55

टिप्पणी: # 31 मार्च 2021 को आगे लाई गई हानियों को शेयर प्रीमियम से समंजन

Note: # brought forward losses as on March 31, 2021 set off against Share premium

अनुसूची 2 अ - अल्पसंख्यक हित / SCHEDULE 2A - MINORITY INTEREST

विवरण / Particulars	(₹ '000 में / ₹ in '000)	
	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
मूल-सहायक संबंध अस्तित्व में आने की तिथि को अल्पसंख्यक हित Minority interest at the date on which the parent-subsiidiary relationship came into existence	29 84 39	29 84 39
उत्तरवर्ती वृद्धि/(कमी) / Subsequent increase/(decrease)	108 63 94	98 34 16
तुलन पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक हित / Minority interest on the date of balance sheet	138 48 33	128 18 55

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 3 - जमा राशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
अ. / A.		
I. मांग जमा राशियां / Demand Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	11562 67 90	10643 43 49
(ii) अन्य से / From others	37337 42 10	34799 03 52
कुल (i तथा ii) / TOTAL (i and ii)	48900 10 00	45442 47 01
II. बचत बैंक जमा राशियां / Savings Bank Deposits	86498 80 42	86804 34 23
III. सावधि जमा राशियां / Term Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	8241 12 14	7330 99 72
(ii) अन्य से / From others	111682 12 95	93271 77 56
कुल (i तथा ii) / TOTAL (i and ii)	119923 25 09	100602 77 28
कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	255322 15 51	232849 58 52
आ. / B.		
(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशियां / Deposits of branches in India	255319 88 97	232837 18 97
(ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमा राशियां Deposits of branches outside India	2 26 54	12 39 55
कुल (i तथा ii) / TOTAL (i and ii)	255322 15 51	232849 58 52

अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
I. भारत में उधार राशियां / Borrowings in India		
(i) भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India	2400 00 00	2400 00 00
(ii) अन्य बैंक / Other banks	578 20 00	607 10 00
(iii) टियर I (नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत) Tier I (Innovative Perpetual Debt Instrument)	-	-
(iv) अपर टियर II बांड / Upper Tier II bonds	-	-
(v) अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टियर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	302 00 00	1807 00 00
(vi) बासेल III ओम्नी टियर 2 बांड / Basel III Omni Tier 2 Bond	2645 00 00	2645 00 00
(vii) अन्य* / Others*	6153 79 41	6256 80 22
कुल (I) / TOTAL (I)	12078 99 41	13715 90 22
II. भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India	558 75 60	629 07 78
कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	12637 75 01	14344 98 00

उपर्युक्त I तथा II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां - ₹ 3548 79 41 हजार (पिछले वर्ष ₹ 2547 60 01 हजार)

Note: Secured borrowings included in I and II above ₹ 3548 79 41 Thousand (Previous Year ₹ 2547 60 01 Thousand)

* इसमें ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 850 00 00 हजार) के बेमियादी ऋण लिखत शामिल हैं जो सीआरएआर के लिए पात्र नहीं हैं)

* Includes Perpetual Debt Instrument Nil (Previous Year ₹ 850 00 00 Thousand) which does not qualify for CRAR

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
I. देय बिल / Bills Payable	2348 92 67	1673 56 46
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
III. उपचित ब्याज / Interest accrued	506 73 55	397 82 12
IV. अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provision)		
(क) मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान (a) Prudential provisions against standard assets	4977 20 49	3070 94 98
(ख) प्राप्त अग्रिम भुगतान (b) Advance payments received	547 09 99	432 09 02
(ग) लाभांश तथा देय लाभांश कर (c) Dividend and dividend tax payable	-	-
(घ) विविध लेनदार (d) Sundry Creditors	123 56 72	120 79 98
(ङ) देय सेवा कर/टीडीएस/अन्य कर (e) Service tax/TDS/Other taxes payable	183 02 59	126 88 49
(च) विविध जमाराशियां (f) Sundry Deposits	15 29 75	22 28 54
(छ) अन्य प्रावधान (g) Other provisions	5084 47 11	3393 74 94
(ज) विविध (h) Miscellaneous	3293 74 58	3407 04 44
कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	17080 07 45	12645 18 97

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष

SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	2488 75 54	2231 17 04
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
(i) चालू खातों में / in Current Accounts	10970 52 56	11362 74 38
(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	3180 00 00	14202 00 00
कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	16639 28 10	27795 91 42

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
I भारत में / In India		
(i) बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
(क) चालू खातों में (a) in Current Accounts	233 92 35	174 56 40
(ख) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	10725 95 06	6728 26 38
(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice		
(क) बैंकों के पास (a) with banks	986 04 00	-
(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) with other Institutions	-	-
कुल (i तथा ii) / TOTAL (i and ii)	11945 91 41	6902 82 78
II भारत से बाहर / Outside India		
(i) चालू खातों में / in Current Accounts	152 07 44	613 92 22
(ii) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	553 58 75	45 62 71
(iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	61 09 34	442 18 10
कुल (i, ii तथा iii) / Total (i, ii and iii)	766 75 53	1101 73 03
कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	12712 66 94	8004 55 81

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
I भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां* / Government Securities*	86036 39 25	71774 60 56
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
(iii) शेयर / Shares	330 43 84	523 45 82
(iv) डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	6203 44 41	5853 24 09
(v) सहयोगी संस्थाएं/Associates	625 83 35	561 63 35
(vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी, वीसीएफ, सीडी) Others (CPs, Units in MFs, SRs, PTCs, VCFs, CDs)	6992 02 11	4686 72 06
कुल (i से vi) / TOTAL (i to vi)	100188 12 96	83399 65 88
II भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	220 54 76	75 34 53
(ii) सहयोगी संस्थाएं/Associates	-	-
(iii) अन्य निवेश / Other investments	-	-
कुल (i से iii) / TOTAL (i to iii)	220 54 76	75 34 53
कुलयोग (I तथा II) / Grand Total (I and II)	100408 67 72	83475 00 41
III भारत में निवेश / Investments in India		
निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	105351 08 08	89933 44 53
घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यहास / Less: Aggregate provision / depreciation	5162 95 12	6533 78 64
निवल निवेश / Net investments	100188 12 96	83399 65 89
IV भारत से बाहर निवेश / Investments Outside India		
निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	220 54 76	75 57 65
घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यहास / Less: Aggregate provision / depreciation	-	23 13
निवल निवेश / Net investments	220 54 76	75 34 52

* इसमें गैर-एसएलआर एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत ₹ 12438 00 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 12438 00 00 हजार) की भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं।

* Includes Special GOI Securities of ₹ 12438 00 00 Thousand (Previous Year ₹ 12438 00 00 Thousand) classified as Non-SLR-HTM Securities.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
अ / A		
(i) खरीदे और भुनाए/ पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	6327 23 02	3340 70 91
(ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	38185 69 18	35514 47 18
(iii) मीयादी ऋण* / Term loans*	118032 92 69	98103 53 61
कुल (i, ii तथा iii) / TOTAL (i, ii and iii)	162545 84 89	136958 71 70
आ / B		
(i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत** / Secured by tangible assets**	139268 80 66	123576 25 49
(ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित*** Covered by Bank / Government guarantees***	7265 58 52	2600 90 01
(iii) अप्रतिभूत / Unsecured	16011 45 71	10781 56 20
कुल (i, ii तथा iii) / TOTAL (i, ii and iii)	162545 84 89	136958 71 70
इ / C		
I भारत में अग्रिम / Advances in India		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	56344 33 19	57812 67 60
(ii) सरकारी क्षेत्र / Public sector	34 09 86	1885 71 41
(iii) बैंक / Banks	5 35 56	50 44 95
(iv) अन्य / Others	100968 82 80	75277 12 14
कुल (i, ii, iii तथा iv) / TOTAL (i, ii, iii & iv)	157352 61 41	135025 96 10
II भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India		
(i) बैंकों से प्राप्य / Due from banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य / Due from others:		
(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	-	-
(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated loans	-	-
(ग) अन्य (c) Others	5193 23 48	1932 75 60
कुल (i और ii) / TOTAL (i and ii)	5193 23 48	1932 75 60
कुलयोग (इ.I. तथा इ.II.) / GRAND TOTAL (C.I. and C.II.)	162545 84 89	136958 71 70

* ₹ शून्य हजार (पिछले वर्ष : शून्य) के (निवल) अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल हैं।

* Includes Inter Bank Participatory Certificate (Net) Nil (Previous Year: Nil)

** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं

** Includes advances against book debts

*** बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं

*** Includes advances against letter of credit issued by banks.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
I परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी (2) देखें) Premises (Refer Schedule 18 Note (2))		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	8964 90 34	7277 85 20
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	8 86 18	83 16 53
वर्ष के दौरान किया गया पुनर्मूल्यन Revaluation made during the year	-	1736 26 14
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	102 11 48
आज की तारीख तक मूल्यहास / Depreciation to date	286 56 19	9 27 10
कुल/ TOTAL	8687 20 33	8985 89 29
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर व फिक्स्चर सहित) Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)		
प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost)	2432 50 37	2287 68 48
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	242 78 76	224 16 07
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	74 60 10	54 80 95
आज की तारीख तक मूल्यहास / Depreciation to date	1984 88 42	1856 25 88
कुल/ TOTAL	615 80 61	600 77 72
III पट्टाकृत आस्ति/Leased Asset		
प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost)	601 81 79	601 81 79
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
आज की तारीख तक मूल्यहास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing assets	1 76 52	1 76 52
कुल/ TOTAL	-	-
IV चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress	477 39 52	400 36 50
कुलयोग (I से IV) / GRAND TOTAL (I to IV)	9780 40 46	9987 03 51

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
I अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
II उपचित ब्याज / Interest accrued	2832 42 81	2210 72 50
III अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर की कटौती (निवल) Tax paid in advance /tax deducted at source (net)	2556 30 75	3478 18 60
IV लेखन सामग्री और स्टॉप / Stationery and stamps	15 79	13 07
V दावों की तुष्टि में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां (लागत पर)* Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims (at cost)*	736 90 93	791 98 93
VI अन्य / Others		
(क/a) आस्थगित कर आस्ति (निवल) / Deferred Tax Asset (net)	11527 03 00	13324 37 41
(ख/b) आबंटन के लिए लंबित शेयर/बांड / Shares / Bonds Pending allotment	11 51 37	11 70 10
(ग/c) विविध जमाराशियां व अग्रिम / Sundry deposit and advances	646 31 92	637 80 18
(घ/d) प्राप्य दावे / Claims receivable	215 07 08	247 76 48
(ड/e) दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएसएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में व्यय/ संवितरण Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)	-	154 96 19
(च/f) विविध** / Miscellaneous**	10885 08 94	15460 78 50
कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	29410 82 59	36318 41 96

* प्रावधानों को घटाने के बाद बकाया राशि शून्य है (पिछले वर्ष ₹ 44 54 93 हजार)

* Amount outstanding net of provisions is Nil (Previous Year ₹ 44 54 93 Thousand)

** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में जमा ₹ 8353 02 02 हजार (पिछले वर्ष ₹ 14164 24 49 हजार) का निवेश शामिल है

** Includes Investment in Priority sector deposit ₹ 8353 02 02 Thousand (Previous Year ₹ 14164 24 49 Thousand)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022
I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the bank not acknowledged as debts	136 89 88	140 11 55
II आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	74 83	74 83
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	106053 17 96	267875 64 36
IV ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
(क) - भारत में (a) - in India	40163 99 27	34731 87 55
(ख) - भारत से बाहर (b) - outside India	846 73 85	795 98 64
V स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	16021 57 25	13256 07 36
VI अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the bank is contingently liable		
क) ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता a) Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps	7872 09 40	11987 01 72
ख) अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता b) Liability in respect of other Derivative contracts	2808 58 62	372 78 62
ग) विवादित कर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के कारण c) On account of disputed Income tax, Interest tax, penalty and interest demands	2383 67 97	2533 09 71
घ) अन्य / d) Others	641 63 76	533 36 92
कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	176929 12 79	332226 71 26

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022
I अग्रिमो/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances/bills	13336 16 05	11990 11 16
II निवेशों से आय / Income on investments	5958 67 21	4631 38 73
III रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	565 78 61	714 94 22
IV अन्य / Others	730 90 84	979 35 05
कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	20591 52 71	18315 79 16

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022
I कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	2004 37 31	1920 60 89
II निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of investments (net)	816 38 63	1062 88 81
III निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	102 84 52	16 26 23
IV भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(1 86 43)	60 79
V विनिमय लेन-देनों/ डेरिवेटिव पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	615 72 87	730 48 78
VI बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	716 46 89	845 52 71
VII विविध आय / Miscellaneous Income	321 43 89	342 84 47
कुल (I से VII) / TOTAL (I to VII)	4575 37 68	4919 22 68

अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज / SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022
I जमा राशियों पर ब्याज / Interest on deposits	7820 15 96	7750 38 17
II रिजर्व बैंक/ अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज / Interest on RBI / inter bank borrowings	438 09 71	182 87 59
III अन्य / Others	872 18 90	1188 28 71
कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	9130 44 57	9121 54 47

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय / SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022
I कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / Payments to and provisions for employees	3691 39 33	3259 42 60
II किराया, कर और बिजली / Rent, taxes and lighting	507 59 02	475 33 69
III मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	48 18 67	40 83 08
IV विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	42 62 30	26 96 30
V बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास / Depreciation on bank's property	499 20 77	417 26 41
VI निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	3 31 66	2 54 55
VII लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय* / Auditor's fees and expenses*	2 94 72	3 66 10
VIII विधि प्रभार / Law charges	27 36 41	21 00 62
IX डाक खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	119 59 80	90 59 41
X मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	96 76 40	101 56 97
XI बीमा / Insurance	296 81 52	284 49 80
XII अन्य व्यय / Other Expenditure :		
(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	182 20 64	170 97 03
(ख) कार्ड एवं एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	323 74 40	305 50 34
(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	21 93 80	22 05 91
(घ) बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय (d) Expenses for recovery of write off cases	8 68 46	10 58 78
(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	662 84 83	601 98 98
(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	105 18 19	90 07 37
(छ) स्टाफ प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	14 61 55	1 83 24

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022
(ज) यात्रा और वाहन प्रभार (h) Travelling and conveyance charges	39 36 34	27 48 81
(झ) ट्रेजरी व्यय (i) Treasury expenses	6 24 96	4 90 95
(ञ) उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय (j) Fee and other expenses for borrowing	-	-
(ट) अन्य (k) Other	531 92 75	543 95 40
कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)	7232 56 52	6503 06 34

* लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय में खर्च पर जीएसटी राशि का प्रावधान शून्य (पिछले वर्ष ₹ 4237 हजार) शामिल है।

*Auditor's fees and expenses includes GST amount on expense provision of Nil (Previous Year ₹ 42 37 Thousand)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण समेकित लेखा नीतियां

SCHEDULE 17 - CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां अर्थात् समूह के वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए विशिष्ट लेखांकन नीतियां और तरीके निम्नलिखित हैं।

Following are the significant accounting policies i.e., the specific accounting policies and methods of applying these principles in the preparation and presentation of the financial statements of the Group.

1 तैयार करने का आधार: / Basis of Preparation:

वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी दृष्टि से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 सहित कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों (एएस) और कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के प्रावधानों, जहां तक वे बैंकों पर लागू होते हैं, अधिनियम के प्रावधान और भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतः प्रचलित पद्धतियों के अनुरूप हैं। बैंक लेखांकन की उपचय पद्धति तथा परंपरागत लागत पद्धति, जहां अन्यथा उल्लिखित किया गया हो को छोड़कर, का अनुसरण करता है।

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time, SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996, the Companies Act, 2013 and the Accounting Standards (AS) prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with rules thereunder including the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021, in so far as they apply to banks, provisions of the Act and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Bank follows the accrual method of accounting and historical cost convention, except where otherwise stated.

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियां, जहां अन्यथा उल्लिखित किया गया हो को छोड़कर, पिछले वर्ष की तरह ही जारी रखी गयी हैं। The accounting policies adopted in the preparation of financial statements are consistent with those followed in the previous year except as otherwise stated.

2 समेकन तैयार करना: / Preparation of Consolidation:

समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन मानक एएस-21 'समेकित वित्तीय विवरण', एएस-23 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन' और एएस-27 'संयुक्त उद्यमों में हित के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग' में परिभाषित किये अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. (मूल कंपनी - 'बैंक') और इसकी सभी सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के लेखे शामिल हैं।

The consolidated financial statements include the accounts of IDBI Bank Limited (parent company - "the Bank") and all its Subsidiaries/ Associates/Joint Venture as defined in Accounting Standard AS-21 'Consolidated Financial Statements', AS-23 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements' and AS-27 'Financial Reporting of Interests in Joint Ventures'.

समेकन में प्रयुक्त सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किये गये हैं जिस तारीख तक बैंक के तैयार किए गए हैं अर्थात् 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एवं अनुसूची 18(10) में उल्लिखित चार सहयोगियों को छोड़कर जिनके वित्तीय विवरण रिपोर्टिंग तिथि के उपलब्ध नहीं हैं, के आधार पर तैयार किया गया है। इनको नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित किया गया है। समूह महत्वपूर्ण राशियों के लिए असमान लेखा नीतियों को समायोजित करता है।

The financial statements of the subsidiaries/associates/joint venture used in the consolidation are drawn up to the same reporting date as that of the Bank i.e. year ended March 31, 2023 and have been prepared on the basis of except for four associates as mentioned in Schedule 18(10), for which financial statements as on reporting date are not available. These have been consolidated based on latest available financial statements. The group makes adjustments for non-uniform accounting policies for material amounts.

बैंक के वित्तीय विवरणों को निम्न के साथ मिलाया गया है: (क) इसकी सहायक संस्थाओं की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर जोड़कर, (ख) इसके संयुक्त उद्यम की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के आनुपातिक बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर समेकित कर. विलोपन हिस्सेदारी के समतुल्य आनुपातिक आधार पर किया गया है (ग) एएस-23 की इक्विटी प्रक्रिया के अनुसार इसकी सहयोगी संस्थाओं को समेकित कर. अंतः समूह संव्यवहारों और शेष राशियों को समेकन पर समाप्त कर दिया गया है. सहायक संस्थाओं में मूल संस्था के निवेश की लागत तथा सहायक संस्थाओं/सहयोगी संस्थाओं की इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से के अंतर को वित्तीय विवरण-पत्रों में साख/पूजी रिजर्व के रूप में दर्शाया गया है. समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में अल्पसंख्यक हित के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

The financial statements of the Bank have been combined with: (a) its subsidiaries on a line by line basis by adding the book values of like items of assets, liabilities, income & expenses, (b) its joint venture on a line by line basis by consolidating the proportionate book values of like items of assets, liabilities, income and expenses. The elimination has been considered on proportionate basis equivalent to the stake. c) Its associates by consolidating as per Equity method as per AS-23. Intra Group transactions and balances have been eliminated on Consolidation. The difference between cost to the parent of its investment in the subsidiaries and the parent's portion of the equity of the subsidiaries/associates is recognized in the financial statements as goodwill/ Capital Reserve Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

- (क) सहायक संस्था में निवेश की तारीख को अल्पसंख्यकों से संबंधित इक्विटी की राशि; तथा
(a) The amount of equity attributable to the minorities at the date on which investment in a subsidiary is made; and
- (ख) मूल संस्था-सहायक संस्था के संबंधों के अस्तित्व में आने के बाद से इक्विटी में अल्पसंख्यक के हिस्से में घट-बढ़.
(b) The minorities' share of movements in equity since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई संस्थाएं निम्नलिखित हैं :

The entities considered in the consolidated financial statements are:

क्र.सं SN	कंपनी का नाम Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at	
			31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
अ)	वित्तीय सहायक संस्थाएं:			
A)	Financial Subsidiary Companies:			
1)	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Market & Securities Limited	भारत India	100	100
2)	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड IDBI Asset Management Limited	भारत India	66.67	66.67
आ)	गैर-वित्तीय सहायक संस्थाएं:			
B)	Non-Financial Subsidiary Companies:			
1)	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Limited.	भारत India	100	100
2)	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड IDBI MF Trustee Company Limited	भारत India	100	100
3)	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Limited	भारत India	54.70	54.70
इ)	जीवन बीमा संयुक्त उद्यम:			
C)	Life Insurance Joint Venture:			
1)	एजिस फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड Ageas Federal Life Insurance Company Limited	भारत India	0	#25
ई)	सहयोगी संस्थाएं:			
D)	Associate Companies:			
1)	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Limited	भारत India	26.10	26.10
2)	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि. Biotech Consortium India Limited	भारत India	27.93	27.93

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

क्र.सं SN	कंपनी का नाम Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at	
			31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
3)	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. North Eastern Development Finance Corporation Limited	भारत India	25	25
4)	पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कोरपोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल) Pondicherry Industrial Promotion Development And Investment Corporation Limited (PIPDICL)	भारत India	21.14	21.14

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ने दिनांक 21 सितंबर 2022 को संयुक्त उद्यम (एजिस फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड) में अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया है। अतः एजिस फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड (25%) के वित्तीय विवरणों का समेकन 20 सितंबर 2022 तक ही किया गया है।

IDBI Bank Limited have sold its stake in Joint Venture (Ageas Federal Life Insurance Company Limited.) on September 21, 2022. Hence, Financials of Ageas Federal Life Insurance Company Limited (25%) has been consolidated upto September 20, 2022.

3 अनुमानों का उपयोग / Use of Estimates:

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान एवं धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय की राशि और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करें। प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान एवं धारणाएं तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं। तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में किसी भी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है।

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that may affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

4 राजस्व निर्धारण / Revenue Recognition:

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि समूह को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके।

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured.

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में:

A. In case of IDBI Bank Limited:

राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि बैंक को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना हो और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Bank and the revenue can be reliably measured.

- व्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, जबकि अनर्जक आस्तियों के मामले में रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद गणना की जाती है।
Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of the RBI.
- साख पत्र (एलसी)/बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है।
Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.
- शुल्क और कमीशन आय को आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब वसूली का देय और उचित अधिकार स्थापित हो जाता है और इसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। जब कोई महत्वपूर्ण कार्य / मील का पत्थर पूरा हो जाता है तो सिंडिकेशन / अरेंजर शुल्क को आय के रूप में मान्यता दी जाती है।
Fees and commission income is recognized as income when due and reasonable right of recovery is established and can be reliably measured. Syndication / Arranger fee is recognized as income when a significant act / milestone is completed.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

- iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.
- v. सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में, लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश को उपचय आधार पर बुक किया जाता है। गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए लाभांश प्राप्त होने पर बुक किया जाता है।
For listed companies, dividend is booked on accrual basis when the right to receive is established. For unlisted companies dividend is booked as and when received.
- vi. अनर्जक अग्रिमों (एनपीए)/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गये खातों के मामले में वसूली का विनियोजन निम्नलिखित ढंग से किया जाता है:
The appropriation of recoveries in case of Non-Performing Advances (NPA)/ Technically Written-off (TWO) accounts is done in the following manner:
- क. एनसीएलटी/ मध्यस्थता या विधिक कार्यवाही के तहत उधारकर्ताओं के संबंध में, वसूली को एनसीएलटी/मध्यस्थ/न्यायालय के सुसंगत आदेश के अनुसार विभाजित किया जाता है और विशिष्ट मामले या मामलों के समूह के संबंध में सांविधिक/विनियामक निर्देशों, यदि कोई जारी किये गये हों, के अनुसार किया जाता है।
- a. In respect of borrowers under NCLT/Arbitration or Legal Proceedings, the recovery is apportioned in terms of relevant order of NCLT/ Arbitrator/ Court of Law and in accordance with statutory /regulatory directives if any issued in respect of a specific case or group of cases.
- ख. ऐसे मामलों में जहां वसूली ऋण खातों के अंतिम खाताबंदी (गारंटर/अन्य पक्षों, यदि कोई हों, सहित ऋणदाता/ उधारकर्ता संबंध का विच्छेद) की ओर उन्मुख हो [एकमुश्त निपटान/बातचीत के जरिए निपटान/ दबावग्रस्त ऋण एक्सपोजर के अंतरण/आईबीसी के माध्यम से वसूली (समाधान रीति/परिसमापन रीति के तहत) लेकिन वसूली के किसी अन्य तरीके के तहत कोई और विधिक वसूली-प्राधिकार उपलब्ध या प्रस्तावित न हों] को नीचे वर्णित अनुसार विनियोजित किया जाएगा:
- b. In cases where recovery is leading to final closure (severance of lender /borrower relationship including with guarantors /third parties, if any) of loan accounts [by way of One time settlement /Negotiated settlement /transfer of Stressed Loan Exposure/Recovery through IBC (under resolution mode/liquidation mode) but no further legal recourse is available or proposed through any other mode of recovery] shall be appropriated as mentioned below:
- (i) मूलधन / Principal
- (ii) अदत्त व्यय/ पहले से ही किए गए व्यय /भुगतान / Unpaid Expenses/Expenses already incurred /paid.
- (iii) ब्याज / दंडात्मक ब्याज / Interest /penal Interest
- (iv) प्रभार (बकाया शुल्क/बीजी कमीशन) / Charges (Fees/BG commission outstanding).
- ग. ऐसे मामलों में जहां वसूली के परिणामस्वरूप खातों को अंतिम रूप से बंद नहीं किया जाता है, संविदा की शर्तों के अनुसार विनियोजित किया जाएगा। जहां एनपीए में वसूली के विनियोजन के प्रयोजन के लिए बैंक और उधारकर्ता के बीच कोई स्पष्ट समझौता नहीं है, उसे नीचे बताए अनुसार विनियोजित किया जाएगा:
- c. In cases where recovery not resulting in final closure of accounts, it shall be appropriated as per contractual terms. In absence of any clear agreement between bank and borrower for the purpose of appropriation of recoveries in NPAs, the same would be appropriated as mentioned below:
- (i) अदत्त व्यय/ पहले से ही किए गए व्यय /भुगतान / Unpaid Expenses/Expenses already incurred /paid.
- (ii) ब्याज / दंडात्मक ब्याज / Interest /penal Interest
- (iii) प्रभार (बकाया शुल्क/बीजी कमीशन) / Charges (Fees/BG commission outstanding).
- (iv) मूलधन / Principal
- पहले के वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के तहत वसूल की गई राशि और उधारकर्ता की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में अब आवश्यक प्रावधान की जरूरत नहीं है, उन्हें लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में दर्शाया जाता है।
Amounts recovered against debts written off in earlier years and provisions no longer necessary in the context of the current status of the borrower are recognized as income in the Statement of Profit & Loss.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज़ लि. के मामले में:

B. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited:

- i. कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों की एकमुश्त आधार पर खरीद अथवा बिक्री पर प्रदत्त अथवा प्राप्त कुल प्रतिफल को मूलधन प्रतिफल और उपचित ब्याज के रूप में अलग से निर्धारित किया जाता है. ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद पर उपचित ब्याज के रूप में प्रदत्त राशि तथा बिक्री पर प्राप्त राशि की निवल आधार पर गणना की जाती है और उसे ब्याज के जरिए व्यय अथवा आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
Total consideration paid or received on purchase or sale, on outright basis, of coupon-bearing debt securities is identified separately as principal consideration and accrued interest. Amount paid as accrued interest on purchase, and received on sale, of such securities is netted and reckoned as expense or income by way of interest.
- ii. तुलन-पत्र की तारीख को धारित नियत कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों/ सावधि जमाओं पर ब्याज, खंडित अवधि के लिए कूपन दर/जमा दर पर उपचित होता है. अस्थिर दर वाली प्रतिभूतियों पर ब्याज निर्गम की शर्तों के अनुसार निर्धारित दरों पर उपचित होता है.
Interest on fixed coupon debt securities / fixed deposits, held as on the Balance Sheet date, is accrued for the broken period at the coupon rate / deposit rate. Interest on floating rate securities is accrued at rates determined as per the terms of the issue.
- iii. निवेशों की बिक्री पर लाभ का निर्धारण निपटान की तारीख को होता है. यह अर्जन लागत पर बिक्री / मोचन आय का आधिक्य दर्शाता है. लागत का निर्धारण भारत औसत आधार पर किया जाता है. निवेशों की बिक्री पर लाभ की गणना निवेशों की बिक्री पर हुई हानि को समायोजित कर की जाती है.
Profit on Sale of Investments is recognized on the settlement date. It represents the excess of Sale / Redemption proceeds over the acquisition cost. Cost is determined on a weighted average basis. Profit on sale of Investments is netted with loss on sale of Investments.
- iv. कंपनी द्वारा हामीदारी किए गए निर्गमों के संदर्भ में इक्विटी शेयरों के न्यागमन को निवेश माना जाता है. इन निर्गमों पर हामीदारी आय को लाभ-हानि लेख में जमा किया जाता है और इन्हें निवेशों के मूल्य के प्रति समायोजित नहीं किया जाता.
Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten by the company are treated as investments. Underwriting income on these issues are credited to profit and loss account and not netted against the value of investments.
- v. सेकंडरी मार्केट परिचालनों से अर्जित दलाली और कमीशन को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. ऑनलाइन पोर्टल परिचालनों पर दलाली को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. निर्गम की मार्केटिंग और संसाधन संग्रहण के संबंध में दलाली और कमीशन, सूचना की उपलब्धता की सीमा तक उपचित होता है.
Brokerage and commission earned on secondary market operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization are accrued to the extent of availability of information.
- vi. मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के संबंध में ग्राहकों को प्रदान किए गए ऋणों के मामले में ब्याज का निर्धारण ग्राहकों से बकाया राशि और प्रयोज्य दर पर विचार करते हुए समय अनुपात आधार पर विलंबित भुगतान के रूप में किया जाता है.
Interest is recognised on delayed payments from customers on a time proportion basis in relation to the loans relating to the Margin Trading Funding provided to customers taking into account the amount outstanding from customers and the rates applicable.
- vii. डिपॉजिटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन, टर्मिनल शुल्क और अन्य शुल्कों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.
Depository, Portfolio Management, terminal charges and other fees are accounted for on accrual basis.
- viii. निर्गम प्रबंधन, ऋण समूहन तथा वित्तीय सलाहकारी सेवाओं से प्राप्त राजस्व की गणना ग्राहक के साथ किए गए करार की शर्तों के आधार पर की जाती है.
Revenue from issue management, loan syndication and financial advisory services is recognised as per terms of agreement with the client.
- ix. लाभांश का निर्धारण तब किया जाता है जब तुलन-पत्र की तारीख को कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है.
Dividend is recognised when the company's right to receive payment is established by the balance sheet date.
- x. किराये की आय को उपचय आधार पर निर्धारित किया जाता है.
Rent income is recognized on accrual basis.
- xi. राजस्व में सेवा कर/जीएसटी, जहां भी वसूल किया गया है, शामिल नहीं है.
Revenue excludes Service Tax/GST, wherever recovered.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

इ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में:

C. In case of IDBI Asset Management Limited:

i. निवेश प्रबंधन शुल्क: / Investment Management fees :

निवेश प्रबंधन शुल्क का निर्धारण आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर जीएसटी को घटाकर इस प्रकार किया जाता है कि यह यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ('सेबी') (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 ('विनियमन') द्वारा विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न हो।

Investment Management fees are recognized net-off GST on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') as amended

ii. अन्य आय: / Other income:

क. ब्याज आय को अवधि आनुपातिक आधार पर हिसाब में लिया जाता है। ब्याजयुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज कूपन दर पर उपचित होता है। ऐसे निवेशों की खरीद पर, अंतिम ब्याज देय तारीख से खरीद की तारीख तक की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान को खरीद की लागत नहीं माना जाता है बल्कि इसे वसूली योग्य ब्याज माना जाता है। इसी प्रकार बिक्री के समय अंतिम ब्याज देय तारीख से बिक्री की तारीख तक की अवधि के लिए प्राप्त ब्याज को बिक्री मूल्य का भाग नहीं माना जाता है बल्कि इसे वसूला गया ब्याज माना जाता है।

a. Interest income is accounted for on period proportion basis. Interest on interest bearing securities is accrued on the coupon rate. On purchase of such investments, interest paid for the period from the last interest due date up to the date of purchase is not treated as a cost of purchase but is treated as interest recoverable. Similarly, interest received at the time of sale for the period from the last interest due date up to the date of sale is not treated as part of sale value but is treated as interest recovered.

ख. खरीद लागत निकालने के लिए फीफो पद्धति का प्रयोग करते हुए क्रय-विक्रय की तारीख को निवेशों के विक्रय पर लाभ/हानि का निर्धारण लाभ-हानि विवरण में दिखाया जाता है।

b. The profit/loss on the sale of investments is recognized in the statement of Profit and Loss on the trade date using the FIFO method for arriving at purchase cost.

ग. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है।

c. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established.

घ. सेवा शुल्क को सहमत शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर गणना में लिया जाता है

d. Service charges are accounted for on accrual basis as per the agreed terms.

ई. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी लि. के मामले में:

D. In case of IDBI MF Trustee Limited:

i. **ट्रस्टीशिप शुल्क:** ट्रस्टीशिप शुल्क का निर्धारण आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर इस प्रकार किया जाता है कि यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ('सेबी') (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 ('विनियमन') तथा अन्य कोई संशोधन अथवा संबंधित योजनाओं के ऑफर डॉक्यूमेंट में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न होने पाए।

Trusteeship fees: Trusteeship fees is recognized on accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') and any other amendments or offer document of the respective schemes.

ii. **अन्य आय:** निवेशों से आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है। खरीद लागत निकालने के लिए फीफो पद्धति का प्रयोग करते हुए क्रय-विक्रय की तारीख को निवेशों के क्रय-विक्रय पर लाभ/हानि का निर्धारण लाभ-हानि विवरण में किया जाता है।

Other income: Income from Investments is accounted on accrual basis. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established. Profit / loss on the sale of investments is recognized in the statement of Profit and Loss on the trade date using the FIFO method for arriving at purchase cost.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

उ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में:

E. In case of IDBI Intech Limited:

- i. राजस्व मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर विकास और संबंधित सेवाओं तथा सॉफ्टवेयर उत्पादों के लाइसेंस से प्राप्त होता है. कंपनी कॉल सेंटर सेवाओं से भी राजस्व अर्जित करती है.
Revenue is primarily derived from software development and related services and from the licensing of the software products. The Company also generates revenue from call center services.
- ii. सॉफ्टवेयर विकास और संबंधित सेवाओं के लिए ग्राहकों के साथ व्यवस्था या तो एक निश्चित मूल्य पर, या निश्चित समय सीमा या समय और सामग्री के आधार पर होती है.
Arrangement with customers for software development and related services are either on a fixed price, fixed-timeframe or on a time-and-material basis.
- iii. समय और सामग्री संविदाओं पर राजस्व तभी निर्धारित किया जाता है जब संबंधित सेवाओं को निष्पादित कर दिया जाता है.
Revenues on time and material contracts are recognised when the related services are performed.
- iv. निश्चित मूल्य और निश्चित समयबद्ध संविदाओं के मामले में, जहां माप या प्रतिफल की सामूहिकता के बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है, वहाँ इन्हें संविदा के मूल्य और सेवा पूरी होने की पूर्णता पद्धति के प्रतिशत के आधार पर निकाला जाता है. जब माप या अंतिम वसूली के बारे में अनिश्चितता होती है, वहाँ ऐसी अनिश्चितता का समाधान होने तक राजस्व आकलन स्थगित कर दिया जाता है.
In case of fixed price and fixed time framed contracts, where there is no uncertainty as to measurement or collectivity of consideration, are recognized using percentages of completion method of value of the contract and completed service. When there is uncertainty to the measurement or ultimate collectivity, revenue recognition is postpone until such uncertainty is resolved.
- v. सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को माल की प्रॉपर्टी के हस्तांतरण अथवा प्रमुख लक्ष्य की प्राप्ति पर हिसाब में लिया जाता है.
Revenue from sale of software applications and products are recognized on transfer of property of goods or on achievement of milestone.
- vi. वार्षिक तकनीकी सेवाओं (एटीएस) से प्राप्त राजस्व को उस अवधि के अनुपात में मान्यता दी जाती है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं.
Revenue from Annual Technical Services (ATS) are recognized proportionately over the period in which services are rendered.
- vii. ग्राहक प्रशिक्षण, सहायता और सॉफ्टवेयर उत्पादों की बिक्री के कारण उत्पन्न होने वाली अन्य सेवाओं से प्राप्त राजस्व को संबंधित सेवाओं के निष्पादन होने पर मान्यता दी जाती है.
Revenue from client training, support and other services arising due to the sale of software products is recognised as the related services are performed.
- viii. अपूर्ण संविदाओं से अनुमानित नुकसान, यदि कोई हो, का प्रावधान उस अवधि में दर्ज किया जाता है जिसमें वर्तमान अनुमान के आधार पर ऐसे नुकसान संभावित होते हैं.
Provision for estimated losses, if any, from the incomplete contracts are recorded in the period in which such losses become probable based on the current estimate.
- ix. पूर्ण किए गए कार्य के प्रतिशत के संविदा मूल्य में किसी भी संशोधन का प्रभाव उस वर्ष में परिलक्षित होता है जिसमें परिवर्तन ज्ञात होता है. निष्पादित सेवाओं के अग्रिम में प्राप्त या बिल की गई राशि को अनर्जित राजस्व के रूप में दर्ज किया जाता है. अन्य चालू आस्तियों में शामिल बिल न की गई सेवाएं संविदा की शर्तों के अनुसार बिलिंग से पहले की गई सेवाओं के आधार पर मानी जाती हैं. राजस्व को छूट/प्रोत्साहन घटाने के बाद रिपोर्ट किया जाता है.
The impact of any revision in contract value of the percentage of work completed is reflected in the year in which the change becomes known. Amount received or billed in advance of services performed are recorded as unearned revenue. Unbilled services included in other current assets represents amount recognized based on services performed in advance of billing in accordance with contract terms. Revenue is reported net of discount / incentive.
- x. कॉल सेंटर से प्राप्त राजस्व इकाई कीमत वाली संविदाओं, समय आधारित संविदाओं, लागत आधारित संविदाओं और वचनबद्ध सेवाओं से प्राप्त होती है. ऐसे राजस्व को संबंधित सेवाओं की पूर्ति पर हिसाब में लिया जाता है और इसे ग्राहक के साथ हुई संविदा की निर्धारित शर्तों के अनुसार बिल में शामिल किया जाता है.
Revenue from call centre arises from unit priced contracts, time based contracts, cost based projects and engagement services. Such revenue is recognised on completion of the related services and is billed in accordance with the specific terms of the contract with the client.
- xi. ब्याज आय को समय आनुपातिक आधार पर दर्शाया जाता है.
Interest Income is recognised on time proportion basis.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

ऊ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि, के मामले में:

F. In case of IDBI Trusteeship Services Limited:

- कंपनी अपना राजस्व स्वीकृति शुल्कों, सेवा प्रभारों, दस्तावेजीकरण प्रभारों, लॉकर के किराए और बैंक सावधि जमा राशियों तथा म्यूचुअल फंडों में निवेश से आय के रूप में प्राप्त करती है जिनकी गणना उपचय आधार पर की जाती है।
The company derives its revenue from Acceptance Fees, Service Charges, Documentation Charges, Locker Rentals and Income from investments in Bank Fixed Deposit and Mutual Funds, which are accounted for on accrual basis.
- यदि बकाया देय राशियां अगले दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक वसूल नहीं की जाती हैं, तो समनुदेशनों को अनियमित समनुदेशन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार के अनियमित समनुदेशनों की आय प्राप्ति के वर्ष में ही गणना में ली जाती है। ऐसे अनियमित समनुदेशनों के प्रति पिछले वर्ष/वर्षों में बकाया किसी भी राशि को ऐसे निर्धारण वर्ष में अशोध्य ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।
Assignments are to be classified as irregular assignments if any outstanding dues are not recovered till the end of next two financial years. Income in respect of such irregular assignments is accounted for in the year of receipt. Any previous year/s amounts outstanding against such irregular assignments are written off as bad debt in year of such determination.
- जब अंतिम वसूली अनिश्चित हो, तो अन्य ऋणों को अशोध्य व बट्टे खाते डाला गया समझा जाता है।
Other Debts are considered as bad and written off when ultimate realisation is uncertain.
- वर्ष के अंत में एक अशोध्य ऋण प्रावधान की गणना निम्नानुसार तब की जाती है जब यह निश्चित हो जाए कि बकाया राशि की वसूली संदिग्ध है:
A bad debt provision is recognized at the year-end where it is ascertain that the outstanding dues are doubtful of recovery as under:
⇒ >18 माह से अधिक के देनदार: 75%
Debtors over 18 months – 75%
⇒ > जहां वसूली की संभावना नगण्य हो वहाँ मामला-दर-मामला आधार पर अतिरिक्त प्रावधान: 100%
Additional provision on case to case basis where chances of recovery is negligible - 100%
- निवेश पर ब्याज आय को बकाया राशि तथा लागू ब्याज दर को हिसाब में लेते हुए समयानुपातिक आधार पर दर्शाया जाता है। इसे अन्य आय में शामिल किया जाता है।
Interest income on investment recognized on a time proportion basis taking into account amount outstanding and the applicable interest rate. It is included in other income.

5 अग्रिम और प्रावधान: / Advances and Provisions:

- अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं। अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है। विदेशी शाखाओं के संबंध में, ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण तथा एनपीए के प्रावधान स्थानीय नियमों के अनुसार या आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, जो भी अधिक विवेकपूर्ण हो, के अनुसार किए जाते हैं।
Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances. In respect of foreign branches, the classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more prudent.
- जहाँ मूर्त प्रतिभूति (बही ऋण सहित) पर अग्रिमों को विनिर्दिष्ट और सृजित किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जहाँ ऐसे प्रतिभूति विनिर्दिष्ट/सृजित नहीं है, अग्रिमों को 'प्रतिभूति रहित' रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एस्करो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को 'मूर्त आस्तियां' नहीं माना जाता है।
Advances wherein a tangible security (including book debts) is stipulated and created are classified as 'Secured by Tangible Assets'. Where such security is not stipulated/created, advances are classified as 'Unsecured'. Any Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc. are not considered as Tangible.
- बैंक एक पुनर्रचित खाते को एक ऐसा खाता मानता है, जहाँ बैंक, उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक या विधिक कारणों से, उधारकर्ता को ऐसी रियायतें देता है, जिन पर बैंक अन्यथा विचार नहीं करता। पुनर्रचना में आम तौर पर अग्रिम/प्रतिभूतियों की शर्तों में संशोधन शामिल होता है, जिसमें आम तौर पर अन्य के साथ-साथ, चुकौती अवधि / चुकौती राशि / किश्तों की राशि / ब्याज दर में परिवर्तन शामिल होता है (प्रतिस्पर्धी कारणों के अलावा अन्य कारणों से)। पुनर्रचना पैकेज के अनुमोदन और कार्यान्वयन पर ही बैंक द्वारा पुनर्रचित खातों को वर्गीकृत किया जाता है।
The Bank considers a restructured account as one where the Bank, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants to the borrower concessions that the Bank would not otherwise consider. Restructuring would normally involve modification of terms of the advance / securities, which would generally include, among others, alteration of repayment

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

period / repayable amount / the amount of instalments / rate of interest (due to reasons other than competitive reasons). Restructured accounts are classified as such by the Bank only upon approval and implementation of the restructuring package.

- iv. पुनर्संरचित/ पुनःनिर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं, जिसके लिए आवश्यक है कि संबंधित ऋणों/अग्रिमों के प्रावधान के अतिरिक्त, पुनर्रचना से पहले और बाद में ऋणों/अग्रिमों के उचित मूल्य के बीच अंतर प्राप्त कर लिया जाए. उचित मूल्य में कमी का प्रावधान (डीएफवी) और उपरोक्त से उत्पन्न ब्याज हानि, यदि कोई हो, को अग्रिमों से घटा दिया जाता है.
For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loans or advances before and after restructuring is provided for, in addition to provision for the respective loans or advances. The Provision for Diminution in Fair value (DFV) and interest sacrifice, if any, arising out of the above, is reduced from advances.
- v. एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान के अलावा, मानक आस्तियों के लिए भी सामान्य प्रावधान भी किये जाते हैं. ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के तहत परिलक्षित होते हैं और निवल एनपीए निर्धारित करने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाता है.
In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at the Net NPAs.
- vi. बैंक चिन्हित दबावग्रस्त क्षेत्रों की मानक आस्तियों पर विनियामक न्यूनतम प्रावधान से अधिक दरों पर जोखिम मूल्यांकन के आधार पर दबावग्रस्त क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान भी कर रहा है.
Bank is also making additional provisions on stressed sectors based on risk assessment at rates higher than the regulatory minimum provision on standard assets of identified stressed sectors.
- vii. दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे और कोविड-19 संबद्ध दबाव के लिए समाधान ढांचों के बारे में रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार बैंक ने पात्र उधारकर्ताओं के लिए समाधान योजनाएं कार्यान्वित की हैं. आस्ति वर्गीकरण और उनके लिए आवश्यक प्रावधानीकरण रिजर्व बैंक के उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है.
In accordance with the RBI guidelines on the prudential framework for resolution of stressed assets and the resolution frameworks for COVID-19 related stress and its Board approved policy, the Bank has implemented resolution plans for eligible borrowers. The asset classification and necessary provisioning thereon has been carried out in accordance with the said RBI guidelines.
- viii. असहयोगी और इरादतन चूककर्ताओं के रूप में उधारकर्ताओं के वर्गीकरण के संबंध में रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक त्वरित प्रावधान करता है. धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किये गये ऋणों को हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और प्रतिभूति के मूल्य पर विचार किये बिना तत्काल पूर्ण प्रावधान किया जाता है.
In respect of borrowers classified as non-cooperative and wilful defaulters, the Bank makes accelerated provisions as per extant RBI guidelines. Loans reported as fraud are classified as loss assets, and fully provided immediately without considering the value of security

देश संबंधी जोखिम के लिए प्रावधान: / Provision for Country Exposure:

- ix. आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार धारित विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, अलग-अलग देशों के एक्सपोजर के लिए भी प्रावधान किए गए हैं (गृह देश के अलावा). देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्, महत्वहीन, निम्न, मध्यम, उच्च, बहुत उच्च, प्रतिबंधित और ऑफ-क्रेडिट तथा प्रावधान आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. यदि प्रत्येक देश के संबंध में बैंक का कंट्री एक्सपोजर (नेट) कुल फंडेड एसेट्स के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे कंट्री एक्सपोजर पर कोई प्रावधान नहीं किया जाता है. यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के तहत परिलक्षित होता है.
In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorized into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit and provisioning is made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others"

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर: / Unhedged Foreign Currency Exposure:

- x. बैंक त्रैमासिक आधार पर आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएचएफसीई) वाली संस्थाओं के लिए वृद्धिशील पूंजी और प्रावधान रख रहा है. बैंक ने अपने उधारकर्ताओं के लिए विदेशी मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है जो बैंक की ऋण नीति में शामिल है.
The Bank is keeping incremental capital and provisions for entities with un-hedged foreign currency exposure (UHCFE), in line with the RBI guidelines, on quarterly basis. Bank has a laid down process for managing foreign currency induced credit risk for its borrowers which is covered in Bank's Credit Policy.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

अस्थायी प्रावधान और प्रतिचक्र्रीय प्रावधान बफर:

Floating Provision & Countercyclical Provisioning Buffer:

- xi. बैंक के पास अच्छे समय में प्रतिचक्र्रीय प्रावधान बफर के सृजन और उपयोग के साथ-साथ अग्रिमों, निवेश और सामान्य प्रयोजनों के लिए अलग से अस्थायी प्रावधान करने की नीति है। अस्थाई प्रावधानों की मात्रा और सृजित किए जाने वाले प्रतिचक्र्रीय प्रावधान बफर का आकलन वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है। इन प्रावधानों का उपयोग केवल भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से पॉलिसी में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में आकस्मिकताओं के लिए किया जाता है। The Bank has a policy for creation and utilization of Countercyclical Provisioning Buffer in good times as well as for floating provisions separately for advances, investments, and general purposes. The quantum of floating provisions and Countercyclical Provisioning Buffer to be created is assessed at the end of the financial year. These provisions are utilized only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 निवेश: / Investments :

अ. आईडीबीआई बैंक के मामले में:

A. In case of IDBI Bank Limited :

क) वर्गीकरण

a) Classification

निवेश वर्गीकरण एवं मूल्यांकन के बारे में रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

In terms of extant guidelines of the RBI on investment classification and valuation, the entire investment portfolio is categorized as

- परिपक्वता तक धारित / Held To Maturity,
- बिक्री के लिए उपलब्ध तथा / Available For Sale and
- क्रय-विक्रय के लिए धारित / Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवेश को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

Investments under each category are further classified as

- सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities
- अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities
- शेयर / Shares
- डिबेंचर तथा बांड / Debentures and Bonds
- सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम / Subsidiaries/ Joint Ventures
- अन्य (वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, वेंचर कैपिटल फंड, पास थ्रू प्रमाणपत्र) Others (Commercial Paper, Certificate of Deposits, Mutual Fund Units, Security Receipts, Venture capital funds, Pass through Certificate).

ख) वर्गीकरण का आधार

b) Basis of Classification

- बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.
- अल्पकालिक मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाकर क्रय-विक्रय करने के इरादे से अर्जित निवेश को 'क्रय-विक्रय के लिए धारित (एचएफटी)' के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। एचएफटी के तहत वर्गीकृत निवेश 90 दिनों के भीतर बेचे जाएंगे।
Investments acquired with the intention to trade by taking advantage of the short-term price/interest rate movements shall be classified under 'Held for Trading' (HFT). The investments classified under HFT shall be sold within 90 days.
- जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

- घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला-बदली और इनका मूल्यांकन रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
- d) An investment is classified as 'Held To Maturity', 'Available For Sale' or 'Held For Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.
- ङ) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को सामान्यतः 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, किन्तु इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं हैं, जिनकी आवश्यकता आधारित समीक्षा कर आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में अंतरित किया जाता है। सहयोगी कंपनियों में निवेश का वर्गीकरण इसके अधिग्रहण के समय किया जाता है।
- e) Equity Investment in subsidiaries and joint venture are normally classified as 'Held To Maturity' except in case, on need based reviews, they are shifted to 'Available for Sale' category as per RBI guidelines. The classification of investments in associates is done at the time of its acquisition.

ग) मूल्यांकन

c) Valuation

- i. किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में: / In determining the acquisition cost of an investment:
- क) सेकंडरी बाजार से खरीदे गए इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।
- a) Brokerage, commission, stamp duty, and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.
- ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत/ बिक्री में से घटाया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है।
- b) Broken period interest paid/ received is excluded from the cost of acquisition/ sale and treated as interest expense/ income.
- ग) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है।
- c) Cost is determined on the weighted average cost method.
- ii. 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हों, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। ऐसे मामलों में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष बची अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है। निवेशों, जो एचटीएम के अंतर्गत शामिल हैं, के मूल्य में होने वाली किसी कमी (अस्थायी स्वरूप के अलावा) का निर्धारण किया जायेगा और प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जायेगा।
- Investments in 'Held To Maturity' category are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Any diminution (other than temporary) in the value of the investments, which are included under HTM, shall be recognized and provided individually for each investment.
- iii. 'ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेशों के स्क्रिप-वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यहास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है। हालांकि, उन निवेशों के संबंध में जिन्हें 'अनर्जक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है या निवेश जो ऋण के पुनर्संरचना/रूपांतरण से प्राप्त किए गए हैं, अन्य अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यहास/प्रावधान को मूल्यवृद्धि के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाता है।
- Investments in 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored. However, in respect of investments which are classified as 'Non-Performing' or investments which are acquired out of re-structuring/conversion of debt, the depreciation/provision is not set off against the appreciation in respect of other performing securities.
- क) बट्टाकृत लिखत होने के कारण ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है।
- a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost,
- ख) क्रय-विक्रय/ उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध क्रय-विक्रय/ भाव-सूची से लिया जाता है।
- b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

- ग) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / क्रय-विक्रय न की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफआईएमएमडीए/फाइनेशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित कीमत पर किया जाता है. दोनों उद्धृत और गैर-उद्धृत प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए एफबीआईएल दरों पर विचार किया जाता है.
- c) Quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by FIMMDA/ Financial Benchmark India Pvt Ltd (FBIL). For both quoted as well as unquoted securities valuation FBIL rates are considered.
- घ) गैर-उद्धृत इक्विटी शेयर अर्थात्, इक्विटी शेयर जिनके लिए वर्तमान कोटेशन उपलब्ध नहीं हैं या जहां शेयर एक्सचेंजों पर उद्धृत नहीं हैं, का मूल्यांकन ब्रेक-अप मूल्य पर किया जाएगा ('पुनर्मूल्यांकन रिजर्व', यदि कोई हो, पर विचार किए बिना) जिसका पता कंपनी की नवीनतम तुलन-पत्र से लगाया जाना है. जिस तारीख का नवीनतम तुलनपत्र तैयार किया गया है, वह मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से पहले का नहीं होगा. यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुसार शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी 1 रुपया होगा.
- d) The unquoted equity shares i.e., equity shares for which current quotations are not available or where the shares are not quoted on the exchanges, shall be valued at break-up value (without considering 'revaluation reserves', if any) which is to be ascertained from the company's latest balance sheet. The date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months. In case the latest balance sheet is not available, the shares shall be valued at Re.1 per company, as per the relevant RBI master direction.
- ङ) गैर-उद्धृत एमएफ इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक योजना के संबंध में एमएफ द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाएगा. लॉक-इन अवधि या किसी अन्य निधि के मामले में, जहां पुनर्खरीद मूल्य/बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, इकाइयों का मूल्यांकन योजना के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाएगा. यदि एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो लॉक-इन अवधि के अंत तक इनका मूल्यन लागत पर किया जाएगा.
- e) Investment in un-quoted MF units shall be valued on the basis of the latest re-purchase price declared by the MF in respect of each scheme. In case of funds with a lock-in period or any other fund, where repurchase price/ market quote is not available, units shall be valued at Net Asset Value (NAV) of the scheme. If NAV is not available, these shall be valued at cost, till the end of the lock-in period.
- च) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे मूल्य वृद्धि अंतर व वाईटीएम दरों को भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (एफआईएमएमडीए)/ एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों के आधार पर लागू किया जाता है.
- f) Unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)/FBIL.
- छ) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तथा ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तदनुसार ऐसे मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों से नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों के मूल्यांकन के लिए निवल आस्ति मूल्य को हिसाब में लेता है.
- ग) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments subject to floor provision requirements as prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at the end of each reporting period.
- ज) उद्धृत अधिमान्य शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / गैर-ट्रेडेड अधिमान्य शेयरों को परिपक्वता पर उचित प्रतिफल द्वारा मूल्यांकित किया जाता है जो रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अधिक नहीं होगा.
- ह) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per RBI guidelines.
- झ) दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएसएसएफ) में किए गए निवेश को परिपक्वता तक धारित श्रेणी में वर्गीकृत कर लागत पर मूल्यांकित किया जाता है.
- i) Investment in Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF) is categorized as Held to Maturity and valued at cost.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

- ज गैर-उद्धृत वेंचर कैपिटल निधि (वीसीएफ) में निवेश, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, तीन साल की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी के तहत, बैंक के विवेक पर वर्गीकृत किया गया है और इस अवधि के दौरान लागत पर मूल्यांकित किया गया है। इस तरह के निवेशों को संवितरण की तारीख से तीन साल की उक्त अवधि के पूरा होने के बाद एफएएस श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाता है और वीसीएफ द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दिखाए गए एनएवी पर मूल्यांकित किया जाता है। वर्ष में कम से कम एक बार, यूनिटों का मूल्यांकन वीसीएफ के नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर किया जाता है, यदि उपलब्ध हो या आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति वीसीएफ 1 रु पर किया जाता है।
- j) Investments in unquoted Venture Capital Fund (VCF) are categorised, at the discretion of the Bank, under HTM category for an initial period of three years and valued at cost during this period, in accordance with the RBI guidelines. Such investments are transferred to the AFS category after completion of the said period of three years from the date of disbursement and valued at NAV shown by the VCF in its financial statements. At least once a year, the units are valued based on the latest audited financials of the VCF if available or at Re 1 per VCF as per the RBI guidelines.
- ट पीटीसी निवेश वर्तमान में केवल एफएएस श्रेणी में धारित किए गए हैं तथा इनका मूल्यांकन परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) आधार पर केंद्र सरकार की समतुल्य परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों की वाईटीएम दरों पर उचित कीमत-लागत अंतर प्रभावी कर एवं एनबीएफसी बॉन्ड पर लागू कीमत-लागत अंतर के साथ किया जाता है। इस प्रकार के कीमत-लागत अंतर तथा वाईटीएम दरें स्थिर आय मुद्रा बाजार तथा 'निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) संघ' (एफआईएमएमडीए)/ एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित प्रासंगिक दरों के आधार पर लागू की जाती हैं।
- k) PTC investments are presently held only under AFS category and are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity and the spreads applicable are that of NBFC bonds. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)/ FBIL.
- iv. निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है। तथापि, 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और उसके बाद वर्ष/ अवधि की समाप्ति पर लागू करों को घटाकर सांविधिक रिजर्व से पूंजी रिजर्व खाते में अंतरित किया जाता है। बिक्री से हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है। निवेशों को प्रावधान घटाकर दिखाया जाता है।
- Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in 'Held to Maturity' category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes and transfer to statutory reserves to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account. Investments are stated net of provisions

अनर्जक निवेश: / Non-Performing Investments

अनर्जक निवेशों की पहचान की जाती है और रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर मूल्यहास के प्रावधान किए जाते हैं। ऐसे अनर्जक निवेशों पर मूल्यहास/प्रावधान अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यवृद्धि के विरुद्ध समायोजित नहीं किए जाते हैं। अनर्जक निवेश पर ब्याज प्राप्त होने तक लाभ और हानि खाते में दर्शाया नहीं जाता है।

Non-performing investments are identified and depreciation provisions are made thereon based on the RBI guidelines. The depreciation / provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss Account until received.

अधिविक्रय / Short Sale

रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक केन्द्र सरकार की दिनकित प्रतिभूतियों में अधिविक्रय लेनदेन करता है। अधिविक्रय स्थितियों को एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है। बाजार मूल्य को बही में अंकित करने से हुई हानि को लाभ-हानि लेख में प्रभारित किया जाता है और लाभ, यदि कोई हो, को रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में नहीं लिया जाता है।

The Bank undertakes short sale transaction dated Central Government securities in accordance with RBI guidelines. The short positions are categories under HFT category and are marked to market. The mark-to-market loss is charged to profit and loss account and gain, if any, ignore as per RBI guidelines.

घ) रेपो एवं रिवर्स रेपो लेन-देन

d) Repo and reverse repo transactions

रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा ('एलएएफ') व सीमांत आपाती सुविधा ('एमएसएफ') के अंतर्गत रिजर्व बैंक से किए गए लेन-देनों सहित) के रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः ऋण लेने व ऋण देने वाले लेन-देन के रूप में दर्शाए जाते हैं। रेपो लेन-देन पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है। 14 दिनों से अधिक की मूल अवधि के रिवर्स रेपो को अग्रिम के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income. Reverse repo of original tenure more than 14 days have been classified under Advances.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में

B. In case of IDBI Assets Management Limited :

ऐसे निवेश जो तत्काल वसूली योग्य हैं और ऐसे निवेश करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए धारित नहीं किए जाने हैं, उन्हें चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेशों को दीर्घावधि निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चालू निवेशों को लागत या उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है। दीर्घावधि निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है। तथापि, निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़कर, के संबंध में हास के लिए प्रावधान किया जाता है। ऐसे घटाव का निर्धारण प्रत्येक निवेश के लिए किया जाता है। बांड की खरीद के दौरान भुगतान किए गए प्रीमियम को बांड की अवधि के दौरान परिशोधित नहीं किया जाता है और इसे खरीद की लागत के रूप में माना जाता है।

Investments which are readily realizable and are intended to be held for not more than one year from the date, on which such investments are made, are classified as current investments. All other investments are classified as long term investments. Current investments are carried at cost or fair value, whichever is lower. Long-term investments are carried at cost. However, provision for diminution is made to recognize a decline, other than temporary, in the value of the investments, such reduction being determined and made for each investment individually. premium paid during purchase of bonds is not amortized during the tenure of bond and same is considered as cost of purchase.

इ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. के मामले में :

C. In case of IDBI Trusteeship Services Limited :

ऐसे सभी निवेश जो लंबे समय से धारित हैं, उन्हें गैर-चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दीर्घावधि निवेश लागत पर दर्शाए जाते हैं। दीर्घावधि निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप से भिन्न कमी को दर्शाया जाता है।

All investments which are held, since a long period, same are classified as Non-Current Investments. Long term investments are stated at cost. Decline in value of long term investment is recognized, if considered other than temporary.

ई. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. के मामले में :

D. In case of IDBI Capital Market & Securities Limited :

i. निवेशों को गैर-चालू और चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लाभांश तथा ब्याज के रूप में आय अर्जित करने के लिए तथा पूंजीगत मूल्यवृद्धि के प्रयोजनार्थ अर्जित तथा धारित प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय आस्तियों को गैर चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनका मूल्यांकन उनकी अर्जन लागत पर किया जाता है। उनके मूल्य में अस्थायी गिरावट से भिन्न गिरावट, यदि कोई हो, का निर्धारण किया जाता है। चालू निवेश को लागत या बाजार मूल्य में से कमतर पर दिखाया जाता है। मार्केट मेकर के रूप में बाजार निर्माण प्रक्रिया में अर्जित प्रतिभूतियों को धारिता-अवधि पर ध्यान दिये बिना चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

Investments are classified into non-current and current investments. Securities and other financial assets acquired and held for earning income by way of dividend and interest and for the purpose of capital appreciation are classified as non-current investments and are valued at their cost of acquisition. Decline in their value other than temporary, if any, is recognized. Current investments are carried at lower of cost or market value. Securities acquired in the market making process as market maker are classified as Current Investments irrespective of the period of holding.

ii. अल्पावधि धारिता और ट्रेडिंग के उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूतियों को विक्रेय माल समझा जाता है और उसे चालू आस्तियों के रूप में माना जाता है।

Securities acquired with the intention of short-term holding and trading are considered as stock-in-trade and regarded as current assets.

iii. विक्रेय माल श्रेणीवार के रूप में धारित प्रतिभूतियों को लागत या बाजार/ उचित मूल्य में से कमतर पर मूल्यांकित किया जाता है। सिर्फ एकमुश्त लेन-देनों पर विचार करते हुए भारत और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का अनुसरण कर लागत निकाली जाती है। बाजार मूल्य को वास्तविक क्रय-विक्रय के लिए बाजार भावों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और जहां ऐसे भाव उपलब्ध नहीं हैं वहाँ उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है, ऋण प्रतिभूतियों के मामले में, समान परिपक्वता और साख स्थिति की प्रतिभूतियों पर आय-प्राप्ति के संदर्भ में और इक्विटी के मामले में उपलब्ध अंतिम तुलन-पत्र के अनुसार ब्रेक-अप मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक प्रतिभूति को अलग-अलग मूल्यांकित किया जाता है। प्रत्येक प्रतिभूति के लिए मूल्यहास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाता है और मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

Securities held as stock-in-trade category wise are valued at lower of cost or market/fair value. Cost is derived by following the weighted average method considering only outright transactions. Market value is determined based on market quotes for actual trades and where such quotes are not available, fair value is determined, in the case of debt securities, with reference to yields on securities of similar maturity and credit standing, and in the case of equities, with reference to the break-up value as per the last available balance sheet. Each security is valued individually. The depreciation, if any, for each security is provided and the appreciation, if any, is ignored.

- iv. निवेश के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम को लिखत की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।
Premium paid on government securities held as investment is amortized over the tenor of the instrument.

उ. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में : E. In case of IDBI MF Trustee Company Limited :

निवेश / Investments

निवेशों को गैर-चालू और चालू निवेशों में वर्गीकृत किया जाता है। लाभांश और ब्याज के रूप में आय अर्जित करने तथा पूंजी मूल्यवृद्धि के प्रयोजन के लिए अर्जित और धारित प्रतिभूतियां एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां गैर-चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और अधिग्रहण की उनकी लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थायी के अलावा उनके मूल्य में गिरावट, यदि कोई हो, को चिन्हित किया जाता है। चालू निवेश को लागत या बाजार मूल्य से कमतर पर दर्शाया जाता है।

Investments are classified into non-current and current investments. Securities and other financial assets acquired and held for earning income by way of dividend and interest: and for the purpose of capital appreciation are classified as non-current investments and are valued at their cost of acquisition. Decline in their value other than temporary, if any, is recognized. Current investments are carried at lower of cost or market value.

7 डेरिवेटिव लेनदेन: / Derivative Transactions:

‘हेज’ के रूप में नामित लेनदेनों में : In Transactions designated as ‘Hedge’ :

- क) डेरिवेटिव लेन-देन पर भुगतान योग्य/ प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है।
a) Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.
- ख) हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/ हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर दर्शाया जाता है।
b) On premature termination of hedge swaps, any profits/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.
- ग) अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है।
c) Re-designation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.
- घ) हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता। बाजार मूल्य अंकित करने वाले हेज करारों के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है।
d) Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

ट्रेडिंग के रूप में नामित लेन-देनों में : / In Transactions designated as ‘Trading’ :

- क) ‘ट्रेडिंग’ के रूप में नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं क्रॉस चूक स्वैप शामिल हैं। इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है। विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है।
a) Outstanding derivative transactions designated as ‘Trading’, which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.
- ख) एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ) खंड में ट्रेडिंग के लिए नामित डेरिवेटिव लेन-देनों में मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और उनका नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है। इन लेन-देनों से हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माह के अंत की निपटान तारीख को लाभ- हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

- b) Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.
- ग) 'ट्रेडिंग' के रूप में नामित रुपया डेरिवेटिव पर आय को वसूली आधार पर लाभ-हानि लेखे में दिखाया जाता है।
- c) Income on Rupee Derivatives designated as "Trading" is recognised in the Profit and Loss Account on realisation basis.
- घ) डेरिवेटिव संविदाओं के अंतर्गत कोई भी प्राप्यराशि, जो 90 दिन से अधिक अतिदेय रहती है, को लाभ-हानि लेखे के जरिये 'उचंत खाता क्रिस्टलीकृत प्राप्यराशियों', में रिवर्स कर दिया जाता है।
- d) Any receivable under derivative contracts, which remain overdue for more than 90 days, are reversed through Profit and Loss Account to "Suspense Account Crystallised Receivables"

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में: / In case of IDBI Capital Market & Securities Limited :

क. वायदा सौदों एवं विकल्प संविदा में लेनदेन

A. Transactions in Futures and Options :

- i. भावी संविदा करने / विकल्पों की बिक्री के समय देय प्रारंभिक मार्जिन को सावधि जमा, नकद जमा और प्रतिभूतियों के रूप में एक्सचेंजों के पास जमा से समायोजित किया जाता है।
Initial Margin payable at the time of entering into futures contract / sale of options is adjusted against the deposits with the exchanges in the form of fixed deposits, cash deposits and securities.
- ii. भावी संविदा में लेन-देन को संविदा के कल्पित व्यापार मूल्य पर खरीद और बिक्री के रूप में माना जाता है। तुलन पत्र की तिथि को फ्यूचर्स में खुली संविदा को इसके कल्पित मूल्य से घटाया जाता है।
Transactions in Future contracts are accounted as Purchase and Sales at the notional trade value of the contract. The open interest in futures as at the Balance Sheet date is netted by its notional value.
- iii. पिछले दिन के निपटान मूल्य या एक्सचेंज क्लोजिंग मूल्य और बाद के दिन के एक्सचेंज क्लोजिंग मूल्य में एक्सचेंज को किए गए या प्राप्त भुगतान अंतर को मार्क टू मार्केट मार्जिन के रूप में माना जाता है। मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट में बैलेंस, तुलन पत्र की तारीख तक भावी संविदा में खुली संविदा की कीमतों में बदलाव के आधार पर भुगतान या प्राप्त की गई निवल राशि को दर्शाता है। मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट में निवल नामे शेष को राजस्व से प्रभारित किया जाता है जबकि निवल जमा शेष को चालू देयताओं के अंतर्गत दिखाया जाता है।
The difference in the settlement price or exchange closing price of the previous day and exchange closing price of the subsequent day, paid to or received from the exchange is treated as Mark to Market Margin. The balance in the Mark to Market Margin Account represents the net amount paid or received on the basis of movement in the prices of open interest in futures contracts till the balance sheet date. Net debit balance in the Mark to Market Margin Account is charged off to revenue whereas net credit balance is shown under current liabilities.
- iv. विकल्पों की खरीद और बिक्री पर भुगतान या प्राप्त प्रीमियम और विकल्पों के प्रयोग पर भुगतान या प्राप्त अंतर को खरीद या बिक्री के रूप में गिना जाता है। तुलन पत्र की तारीख को बेचे गए विकल्पों में खुली संविदा के मामले में, उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके द्वारा तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित प्रीमियम उन विकल्पों के लिए प्राप्त प्रीमियम से अधिक हो जाता है। तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित प्रीमियम से अधिक प्राप्त प्रीमियम को मान्यता नहीं दी जाती है। इसी तरह, खरीदे गए विकल्पों के मामले में, उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके द्वारा विकल्प के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित प्रीमियम से अधिक हो जाता है और भुगतान किए गए प्रीमियम पर तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित प्रीमियम की अधिकता को उपेक्षित कर दिया जाता है। कई खुली स्थितियों के मामले में, खरीद और बिक्री की स्थिति में शेष राशि को घटाने के बाद प्रावधान किया जाता है या अतिरिक्त प्रीमियम को उपेक्षित कर दिया जाता है।
Premium paid or received on purchase and sale of options and the difference paid or received on exercise of options is accounted as Purchases or Sales. In case of open interest in options sold as on the balance sheet date, provision is made for the amount by which premium prevailing on the Balance Sheet date exceeds the premium received for those options. The excess of premium received over the premium prevailing on the Balance Sheet date is not recognised. Similarly, in case of options bought, provision is made for the amount by which the premium paid for the option exceeds the premium prevailing on the Balance Sheet date and the excess of premium prevailing on the Balance Sheet date over the premium paid is ignored. In case of multiple open positions, provision is made or excess premiums are ignored after netting off the balances in buy as well as sell positions.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

ख. ब्याज दर स्वैप

B. Interest Rate Swaps :

आस्ति और देयताओं में प्राथमिक डीलरशिप संचालन से संबंधित बंद किए गए परिचालनों के ब्याज दर स्वैप की कल्पित मूल राशि को घटाया जाता है। ब्याज दर स्वैप पर लाभ या हानि संविदा की शर्तों के अनुसार नियत तारीखों पर गणना की जाती है।

Assets and Liabilities in respect of notional principal amount of Interest Rate Swaps of the discontinued operations pertaining to Primary Dealership operations are netted. Gain or loss on Interest Rate Swaps is accounted for on due dates as per the terms of the contract.

8 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण प्रमाण पत्र / Priority Sector Lending Certificates :

बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) की बिक्री या खरीद लेनदेन करता है। बैंक आरबीआई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री लेनदेन के मामले में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दायित्वों की पूर्ति बेचता है और खरीद लेनदेन के मामले में बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दायित्व की पूर्ति खरीदता है। जोखिम या ऋण आस्तियों का कोई अंतरण नहीं है। पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को विविध आय के रूप में दर्ज किया जाता है और पीएसएलसी की खरीद के लिए भुगतान किये गये शुल्क को लाभ-हानि खाते में अन्य व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। इन्हें प्रमाणपत्र की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

The Bank enters into transactions for the sale or purchase of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs). In the case of a sale transaction, the Bank sells the fulfilment of priority sector obligation and in the case of a purchase transaction the Bank buys the fulfilment of priority sector obligation through RBI trading platform. There is no transfer of risks or loan assets. The fee received for the sale of PSLCs is recorded as miscellaneous income and the fee paid for purchase of the PSLCs is recorded as other expenditure in Profit and Loss Account. These are amortised over the period of the Certificate.

9 अचल आस्तियां एवं मूल्यहास : / Fixed Assets and Depreciation :

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में:

A. In case of IDBI Bank Limited :

- अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यहास घटाकर लागत पर दिखाया जाता है। परिसर का मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यहास घटाकर पुनर्मूल्यांकित राशि पर दर्शाया जाता है।
Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.
- लीज होल्ड परिसर में सुधार को लीज की शेष प्राथमिक अवधि में प्रभारित किया जाता है।
Improvements to lease hold premises are charged off over the remaining primary period of lease.
- आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं। उपयोग में लाये जाने के बाद आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है।
Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets which have been put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- पुनर्मूल्यन, यदि कोई हो, पर वृद्धि को पुनर्मूल्यन रिजर्व में जमा किया जाता है।
The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.
- अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यहास की गणना लागत अथवा आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन की स्थिति में पुनर्मूल्यांकित राशियों पर सीधी रेखा पद्धति से की जाती है।
Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued.
- पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यहास को तुलन-पत्र में पुनर्मूल्यन रिजर्व से सामान्य रिजर्व में अंतरित किया जाता है।
In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet.
- 5000 रुपए से कम लागत की अलग-अलग अचल आस्तियों को उनके अर्जन के वर्ष में पहले पूंजीकृत किया जाता है और फिर पूर्णतः मूल्यहासित किया जाता है।
Fixed assets individually costing less than ₹ 5,000/- are first capitalized and then fully depreciated in the year of addition.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

- viii. मूर्त आस्तियों पर मूल्यहास का आबंटन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी में बताये अनुसार आस्ति के उपयोगी जीवनकाल में किया जाता है। उपयोगी जीवन और शेष मूल्यों की आवधिक समीक्षा की जाती है। यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल आस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यहास की ऊंची दर लगायी जाती है।
Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management estimate of the useful life of an asset at the time of acquisition of the asset or of remaining useful life on subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on the management's estimate of useful life / remaining useful life.
- ix. वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यहास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अवधि के लिए लगाया जाता है।
Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets are actually held.
- x. अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है: / The useful lives of Fixed assets are as follows:

आस्ति Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में) Useful Life (in Years)
स्वामित्व वाले परिसर / Owned Premises	60
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture and fixtures	10
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी / Electrical installation and machinery	10
मोटर वाहन / Motor vehicles	8
कंप्यूटर / Computers	3
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	8
वी-सैट उपकरण / VSAT equipment	6
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employees	
क) फर्नीचर और फिक्सचर्स a) Furniture and fixtures	10
ख) पर्सनल कंप्यूटर b) Personal Computers	3

- xi. लीज वाली भूमि को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है। लीजहोल्ड सुधारों को उसी आस्ति श्रेणी में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।
Leasehold land is amortized over the period of lease. Leasehold improvements are capitalized in the same asset category and amortized over period of lease.
- xii. ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत किया जाता है और इसे इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यहासित किया जाता है जिसकी अवधि अधिकतम 6 वर्ष होती है।
Computer Software individually costing more than ₹ 2.50 lacs is capitalized and depreciated over its useful life, not exceeding 6 years.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में

B. In case of IDBI Assets Management Limited :

- i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को संचित मूल्यहास और हास हानि, यदि कोई हो, को घटाकर अर्जन/स्थापना लागत पर दर्शाया जाता है। लागत में खरीद मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत और इच्छित उपयोग के लिए आस्ति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष लागत शामिल है। प्रयोग में लाई जा रही आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इन आस्तियों से भावी लाभ/ कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्धि हो। मौजूदा आस्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव और कलपुर्जों के बदलाव की लागत सहित कुल खर्च को जिस अवधि में वे उपगत होते हैं उस अवधि में राजस्व के रूप में प्रभारित किया जाता है।
Property, plant and equipment are stated at cost of acquisition / installation and less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Cost comprises purchase price, borrowing costs if capitalisation criteria are met and directly attributable cost of bringing the asset to its working condition for the intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit/functioning capability from/of such assets. All expenses on existing assets, including repairs and maintenance and cost of replacement of parts are charged as revenue in the period in which they are incurred

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

- ii. मूल्यहास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित रूप में सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) द्वारा किया जाता है। आस्तियों के मूल्यहास की दरें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार आस्तिके उपयोगी जीवनकाल को विचार में लेने के बाद तय की गई हैं। प्रबंधन के अनुमान के अनुसार यदि आस्तियों के अर्जन के समय अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल या इसके बाद की जाने वाली समीक्षा के आधार पर शेष उपयोगी जीवनकाल कम है तो मूल्यहास का निर्धारण उपयोगी जीवनकाल/ शेष जीवनकाल पर प्रबंधन के अनुमान के आधार पर उच्च दर पर किया जाता है। इस नीति के अनुसरण में निम्नलिखित दरों के अनुसार मूल्यहास का प्रावधान किया गया है:

Depreciation is provided on Straight Line Method (SLM) as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013. The rates of depreciation of assets have been arrived at after considering the useful life of the asset as per schedule II of the Companies Act 2013. If the management's estimate of the useful life of a fixed asset, at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/remaining useful life. Pursuant to this policy, depreciation has been provided using the following rates:

विवरण Description	उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में) Useful life (in years)	अवशिष्ट मूल्य को छोड़कर मूल्यहास का प्रतिशत (%) Percentage of depreciation excluding salvage value (%)
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture & Fixtures	10.00	9.50
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	5.00	19.00
कंप्यूटर हार्डवेयर / Computer Hardware	3.00	33.33
संचार उपकरण Communication Equipment	3.00	33.33

- iii. एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से अधिक की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत किया जाता है और 5 वर्ष की अवधि में मूल्यहासित किया जाता है, एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से कम की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को क्रय / अर्जन के वर्ष में पूर्णतः मूल्यहासित किया जाता है।
Computer software individually costing more than ₹ 2.50 lakhs is capitalized and depreciated over a period of 5 years, Computer software individually costing less than ₹ 2.50 lakhs is fully depreciated in the year of purchase/acquisition.
- iv. कंपनी आस्तिके उपयोग में लाये जाने की तारीख से तथा बेची गई किसी आस्तिके लिए उसकी बिक्री तारीख तक आनुपातिक आधार पर मूल्यहास का प्रावधान करती है।
The Company provides pro-rata depreciation from the date the asset is put to use and for any asset sold until the date of sale.
- v. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, सॉफ्टवेयर के अलावा, व्यक्तिगत रूप से ₹ 5,000 या उससे कम लागत को खरीद / अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यहासित किया जाता है।
Property, plant and equipment, other than software, individually costing ₹ 5,000 or less are fully depreciated in the year of purchase / acquisition.
- vi. अमूर्त आस्तियों की पहचान उस वर्ष में की जाती है जब इसे लागत पर उपयोग में लाया जाता है। अमूर्त आस्तियों को संचित परिशोधन एवं क्षतिकारक हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर किया जाता है।
Intangible assets are recognised in the year it is put to use at cost. Intangible assets are carried at cost less accumulated amortisation and impairment loss, if any

इ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में :

C. In case of IDBI Intech Limited :

- i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उनके संचित मूल्यहास/ परिशोधन और हासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर अधिग्रहण की लागत को दर्शाया जाता है। लागत में अभीष्ट उपयोग के लिए कार्यशील परिस्थितियों में लाने हेतु आस्तिके अधिग्रहण में हुए सभी व्यय शामिल होते हैं।
Property, Plant and Equipment's are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation / amortisation and impairment loss, if any. Cost includes all expenses incurred for acquisition of assets to bring them to working conditions for intended use.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

- ii. जो अचल आस्तियां रिपोर्टिंग तिथि को उनके इच्छित उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं, उनकी लागत को पूंजीगत चालू कार्य के रूप में दिखाया गया है।
The cost of the fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date are shown as capital work-in-progress.
- iii. अचल आस्तियों पर मूल्यहास और परिशोधन विशेषज्ञ तकनीकी सलाह / अधिनियम की अनुसूची II की शर्तों के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी-रेखा पद्धति पर किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से ₹ 5,000/- से कम लागत वाली आस्तियों को खरीद के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यहासित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई आस्ति पर मूल्यहास आनुपातिक रूप से प्रभारित किया जाता है।
Depreciation and amortisation on fixed assets is provided on straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as determined by the management based on the expert technical advice/stipulations of schedule II to the Act. Assets individually costing less than ₹ 5,000/- are fully depreciated in the year of addition. Depreciation on assets purchased / disposed of during a period is proportionately charged.
- iv. निर्माण और स्थापना कार्य पूर्ण होने तक तथा आस्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने तक पूंजीगत चालू कार्य पर मूल्यहास दर्ज नहीं किया जाता है।
Depreciation is not recorded on capital work-in-progress until construction and installation are complete and the asset is ready for its intended use.
- v. मूल्यहास या परिशोधन विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में आवधिक रूप से की जाती है।
Depreciation or amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed periodically at each year end.

आस्ति वर्ग Asset class	अनुमानित उपयोगी जीवनकाल Estimated useful life
कंप्यूटर एवं सहायक उपकरण / Computer & accessories	
सर्वर एवं नेटवर्क / Servers & networks	6 वर्ष / 6 years
डेस्कटॉप एवं लैपटॉप / Desktops & laptops	3 वर्ष / 3 years
कार्यालय उपकरण / Office equipment's	
मोबाइल हैंडसेट / Mobile handsets	3 वर्ष / 3 years
अन्य उपकरण / Other equipment's	5 वर्ष / 5 years
शक्ति उपकरण / Power equipment's	10 वर्ष / 10 years
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture & fixtures	10 वर्ष / 10 years
मोटर कार / Motor car	8 वर्ष / 8 years
विद्युत संस्थापनाएँ / Electrical installations	10 वर्ष / 10 years
अमूर्त आस्तियां / Intangible assets	5 वर्ष / 5 years

ई. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. के मामले में: D. In case of IDBI Trusteeship Services Limited:

अचल आस्तियों को अर्जन की मूल लागत तथा उनके अर्जन के संबंध में उपगत संस्थापना प्रभार पर दर्शाया जाता है। लागत में खरीद मूल्य और आस्तियों को उनके अभीष्ट उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने से संबंधित लागत शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार मूल्यहास निर्धारित दर पर अवलिखित मूल्य आधार पर प्रभारित किया जाता है। आस्ति के परिवर्धन पर मूल्यहास का प्रावधान ऐसे परिवर्धन की तारीख से और निपटान की स्थिति में ऐसे निपटानों की तारीख तक किया जाता है। कम लागत वाली अलग-अलग आस्तियों (₹ 5000/- से कम राशि में अर्जित) को उनके अर्जन के वर्ष में मूल्यहासित किया जाता है।

Fixed assets are stated at original cost of acquisition plus installation charges incurred in connection with the acquisition. Cost comprises of purchase price and attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use. The depreciation is charged on Written down Value basis as prescribed in schedule II of the Companies Act 2013. The depreciation on the addition of the asset is provided from the date of such addition and for disposals up to the date of such disposals. Individual low cost assets (acquired for less than ₹ 5,000/-) are depreciated in the year of acquisition.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

उ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक््युरिटीज़ लि. के मामले में

E. In case of IDBI Capital Market & Securities Limited :

- i. संपत्ति की मर्दे, संयंत्र और उपकरण को आरंभ में लागत पर दर्शाया जाता है और तत्पश्चात संचित मूल्यहास तथा संचित हासित हानि को घटाकर लागत पर दिखाया जाता है. संपत्ति की मर्दे, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यहास की गणना कंपनी अधिनियम की अनुसूची II में निर्दिष्ट किए अनुसार उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में उनकी मूल्य हासित राशि पर सीधी रेखा पद्धति के द्वारा निम्नानुसार की जाती है:

Items of property, plant and equipment are initially recognised at cost and subsequently carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Depreciation on items of property, plant and equipment is calculated using the straight-line method to allocate their depreciable amounts over their estimated useful lives as specified in Schedule II to the Companies Act as follows:

आस्ति वर्ग Asset class	अनुमानित उपयोगी जीवनकाल Estimated useful life
भवन / Buildings	60 वर्ष / 60 years
कम्प्यूटर / Computers	3 वर्ष / 3 years
फर्नीचर एवं फिक्सचर / Furniture & Fixtures	10 वर्ष / 10 years
कार्यालय उपकरण / Office Equipment's	5 वर्ष / 5 years
वाहन / Vehicles	5 वर्ष / 5 years

- ii. सभी मूर्त आस्तियों को अधिग्रहण के वर्ष में ₹ 5,000 से कम मूल्य की एकल आस्तियों खरीद वाले वर्ष में ही तथा सक्रिय रूप से उपयोग से निवृत्त आस्तियों को पूर्णतः मूल्यहासित कर दिया जाता है.
All Tangible Assets having individual value of less than ₹ 5,000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.
- iii. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जिनकी एकल लागत ₹ 5,000 अथवा इससे कम हो, को खरीद/अधिग्रहण वर्ष में पूर्णतः मूल्यहासित कर दिया जाता है.
Property, Plant and Equipment, individually costing ₹ 5,000/ or less are fully depreciated in the year of purchase/ acquisition.
- iv. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मूल्यों और अनुमानित जीवनकाल की समीक्षा और समायोजन यथा उपयुक्त रूप से प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है. किसी भी संशोधन के प्रभाव को परिवर्तन होने पर लाभ या हानि में पहचाना जाता है.
The residual values and estimated useful lives of property, plant and equipment are reviewed, and adjusted as appropriate, at each balance sheet date. The effects of any revision are recognised in profit or loss when the changes arise.

ऊ. आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में:

F. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Company Limited :

स्वामित्व वाली आस्ति : / Owned Asset :

स्वयं के उपयोग के लिए रखी गई आस्तियों को उनके संचित मूल्यहास और हासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मूल लागत पर दर्शाया जाता है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में क्रय मूल्य, शुल्क, कर और आस्तियों को उनके अभीष्ट उपयोग के लिए कार्य करने की स्थिति में लाने से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष लागत शामिल है.

Assets held for own uses are stated at original cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Cost of Property, plant and equipment comprises Purchase price, duties, levies and any directly attributable costs of bringing the assets to its working condition of the intended use.

आस्ति हेतु मूल्यहास राशि आस्ति की लागत या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि में से अनुमानित अवशिष्ट मूल्य घटाकर होती है.

Depreciable amount for asset is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its estimated residual value.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, नीचे वर्णित को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुरूप है और मूल्यहास की पद्धति नीचे बताई गई है:

The estimated useful life of Property, plant and equipment which except as stated hereunder is in line with schedule II to the Companies Act 2013 and the method of depreciation is set out here in below:

मोबाइल फोन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 5 साल का उपयोगी जीवनकाल निर्धारित है, जबकि कंपनी द्वारा आंतरिक रूप से प्राप्त तकनीकी सलाह के आधार पर इसे 3 साल की अवधि में मूल्यहासित किया जाता है।

For mobile phone the useful life is prescribed of 5 years under Companies Act, 2013, whereas it is depreciated for a period of 3 years based on the technical advice internally obtained by the company

आस्तियां Assets	उपयोगी जीवनकाल Useful Life	मूल्यहास की पद्धति Method of Depreciation
संयंत्र एवं उपकरण / Plant & Equipment's	15 वर्ष / 15 years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
फर्नीचर एवं फिटिंग्स / Furniture & Fittings	10 वर्ष / 10 years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
विद्युत उपकरण / Electrical Equipment's	10 वर्ष / 10 years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
वाहन / Vehicles	8 वर्ष / 8 years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
कार्यालय उपकरण / Office Equipment's	5 वर्ष / 5 years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
कम्प्यूटर / Computers	3 वर्ष / 3 years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
मोबाइल फोन / Mobile Phones	3 वर्ष / 3 years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method

10 प्रतिभूतीकरण लेनदेन: / Securitization Transactions :

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतीकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं ('एसपीवी') को बिक्री की जाती है, जो इसके बदले में निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं। प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है। बैंक बिक्री के समय होने वाली किसी भी हानि के लिए तत्काल लेखांकन करता है और बिक्री से होने वाले लाभ/प्रीमियम को एसपीवी द्वारा, जिन्हें आस्तियां बेची गयी हैं, जारी की गयी या जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है।

Securitization of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognized when the control over the contractual rights in the securitized assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortized over the life of the securities issued/ to be issued by the SPV to which the assets are sold

11 प्रतिभूतीकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री:

Sale of financial assets to Securitization Companies/Reconstruction Companies:

प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्रतिभूति रसीद (एसआर)/ पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के मोचन मूल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य में से कमतर पर की जाती है।

Sale of financial assets to Securitization Companies (SCs) / Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

पूरी तरह से प्रावधान की गई आस्तियों और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए मामलों में प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की बैंक की निवेश बही में एक रुपये के रूप में गणना की जाती है।

In case of sale of assets which are fully provided and Technically Written off, the Security Receipts (SRs) are reckoned at Rupee one in the investment book of the Bank.

यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी)(अर्थात बही मूल्य में से धारित प्रावधान हटाकर) से कम मूल्य पर किया जाता है तो कमी को उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में डेबिट किया जाता है। बैंक अनर्जक आस्तियों की बिक्री में किसी भी कमी अर्थात् जब बिक्री एनबीवी से कम हो, को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त कर प्रतिचक्रीय प्रावधान का भी उपयोग करता है।

In case the sale value is at a price below the Net Book Value (NBV) (i.e., book value less provision held), the shortfall is debited to the profit and loss account of that year. The Bank also uses, with permission of RBI, countercyclical provision for meeting any shortfall on sale of NPAs i.e. when the sale is at a price below the NBV.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है तो आधिक्य प्रावधान को राशि के प्राप्त होने वाले वर्ष में ही प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है। तथापि, आधिक्य प्रावधान का ऐसा प्रत्यावर्तन आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकद राशि तक सीमित है।

In case, sale value is higher than the NBV, the excess provision is reversed to the profit and loss account in the year in which cash amounts are received. However, such reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

12 विदेशी मुद्रा लेनदेन: / Foreign Currency Transactions:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में:

A. In case of IDBI Bank Limited :

- i. विदेशी मुद्रा लेनदेनों को आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है। मौद्रिक मर्दों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.

- ii. ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं की गई हैं, की शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognized.

- iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं हैं, का अंतिम फेडाई दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है। अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा निर्दिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है। इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है।

Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profits/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.

- iv. वायदा विनिमय संविदाओं के समय से पहले समाप्त होने पर होने वाले लाभ/हानि, साथ ही परिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तिथि पर लाभ और हानि के विवरण में दिखाया जाता है।

Profits/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, are recognized in the statement of profit & loss on the date of termination.

- v. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की अंतिम दरों पर की जाती है।

Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts are calculated at the contracted rates of exchange and those in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

- vi. विदेशी शाखा के परिचालनों को 'गैर-एकीकृत विदेशी परिचालनों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गैर-एकीकृत विदेशी परिचालनों के मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तारीख को फेडाई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया जाता है, आय और व्यय मर्दों का त्रैमासिक औसत दरों पर रूपांतरित किया जाता है और विनिमय अंतरों से उत्पन्न परिणामी लाभ / हानि को विदेशी मुद्रा विनिमय खाते में तब तक संचय किया जाता है जब तक कि एएस-11, विदेशी मुद्रा दरों में रूपांतरण के प्रभाव और आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-एकीकृत विदेशी परिचालनों का निपटान नहीं किया जाता है।

Operations of foreign branch are classified as 'Non-Integral Foreign Operations'. Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the Balance Sheet date, Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates and the resulting profit / loss arising from exchange differences are accumulated in the Foreign Currency Translation Account until disposal of the non-integral foreign operations in accordance with AS-11, *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates and the extant RBI guidelines*.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. के मामले में:

B. In case of IDBI Assets Management Limited :

विदेशी मुद्रा लेनदेनों को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। वर्ष के दौरान निपटान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेनों के कारण होने वाले विनिमय अंतर, यदि कोई हो, को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transactions. Exchange difference, if any, arising out of the foreign exchange transactions settled during the year are recognized in the statement of Profit and Loss.

इ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक््युरिटीज लिमिटेड के मामले में:

C. In case of IDBI Capital Market & Securities Limited :

विदेशी मुद्राओं में लेनदेनों को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग अंतिम विनिमय दर का प्रयोग करते हुए की जाती है, उन पर उत्पन्न होने वालों और विदेशी मुद्रा वसुली भुगतान पर होने वाले विनिमय अंतर को संबद्ध वर्ष में आय या व्यय के रूप में दिखाया जाता है।

Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction. At the year end, monetary items denominated in foreign currency are reported using the closing rate of exchange. Exchange difference arising thereon and on realization / payments of foreign exchange are accounted as income or expenses in the relevant year.

ई. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में:

D. In case of IDBI Intech Limited :

विदेशी मुद्रा में लेनदेनों को लेनदेन के समय प्रभावी विनिमय की मूल दर पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेनदेनों के निपटान से उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में दिखाया किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों को तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग कर पुनः स्थापित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप होने वाले निवल विनिमय अंतर को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

Transactions in foreign currency are recorded at the original rate of exchange in force at the time transactions are effected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Profit and Loss. Monetary items denominated in foreign currency are restated using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting net exchange difference is recognized in the Statement of Profit and Loss.

मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली अस्थिरता को कम करने की दृष्टि से, कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं निष्पादित करती है। वायदा विनिमय संविदाएं और अन्य समान लिखत जो पूर्वानुमानित लेनदेनों के संबंध में नहीं हैं, उन्हें लेखांकन मानक ('एएस') 11, 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' में दिये गये दिशानिर्देशों का उपयोग करते हुए लेखांकित किया गया है। इन वायदा विनिमय संविदाओं और एएस-11 द्वारा कवर किए गए अन्य समान लिखतों के संबंध में संविदा की प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर या तो संविदाओं को रिपोर्टिंग तिथि पर वायदा दर/उचित मूल्य के आधार पर दर्ज किया जाता है, या रिपोर्टिंग तिथि पर स्पॉट विनिमय दर के आधार पर दर्ज किया जाता है।

With a view to minimize the volatility arising from fluctuations in currency rates, the Company enters into foreign exchange forward contracts. Forward exchange contracts and other similar instruments that are not in respect of forecasted transactions are accounted for using the guidance in Accounting Standard ('AS') 11, 'The effects of changes in foreign exchange rates'. For such forward exchange contracts and other similar instruments covered by AS-11, based on the nature and purpose of the contract, either the contracts are recorded based on the forward rate/fair value at the reporting date, or based on the spot exchange rate on the reporting date.

उ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस के मामले में:

E. In case of IDBI Trusteeship Services Limited :

विदेशी मुद्रा में लेनदेनों को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों को लागू कर बहियों में दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं में मूल्यवर्गित सभी मौद्रिक मदों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर पुनः दर्शाया जाता है। निपटान या लेनदेन पर विनिमय अंतर के कारण आय या व्यय को लाभ-हानि लेख में दर्शाया जाता है।

Transactions in foreign currencies are recorded in the books by applying the exchange rates prevailing on the date of the transaction. All monetary items denominated in foreign currency assets and liabilities are restated at the exchange rate prevailing at the year end. Any income or expense on account of the exchange difference either on settlement or on transaction is recognized in the profit & loss account.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

ऊ. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में

F. In case of IDBI MF Trustee Company Limited :

विदेशी मुद्राओं में लेन-देनों को लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर पुनः दर्शाया जाता है। विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले सभी लाभ और हानियों को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

Transactions in foreign currencies are accounted for at the prevailing rates of exchange on the date of transaction. Foreign currency monetary items are restated at the prevailing rates of exchange as at the Balance Sheet date. All gains and losses arising out of fluctuations in exchange rates are accounted for in the Statement of Profit and Loss.

13. कर्मचारी लाभ / Employee Benefits:

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में:

A. In case of IDBI Bank Limited :

(i) पेंशन / Pension

परिभाषित लाभ योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों के समूह को देय पेंशन के संबंध में, बैंक अपने द्वारा स्थापित और न्यासी बोर्ड द्वारा प्रशासित पेंशन फंड ट्रस्ट को वेतन का 10% योगदान देता है। बैंक प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को पेंशन देयता के एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता में कमी के लिए अतिरिक्त राशि का योगदान देता है, जिसकी गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, नौकरी छोड़ने की दर, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके देयता / परिभाषित लाभ निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में उस अवधि के लिए पहचाना जाता है जिसमें वे होते हैं।

In respect of Pension payable to the group of employees who are eligible for Pension under Defined Benefit Scheme, Bank contributes 10% of pay to Pension Fund Trust set up by the Bank and administered by the Board of Trustees. Bank further contributes for an additional amount towards the liability shortfall, based on an independent Actuarial valuation of Pension liability at each Balance Sheet date which is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate. The liability / defined benefit is determined using the Projected Unit Credit Method. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

(ii) नई पेंशन योजना (एनपीएस) / New Pension Scheme (NPS)

नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कवर किए गए कर्मचारियों के संबंध में, बैंक परिभाषित योगदान योजना में कर्मचारियों के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत योगदान देता है, जिसे पेंशन फंड कंपनियों द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाता है। बैंक का इसके योगदान के अलावा कोई दायित्व नहीं है और इस तरह के योगदान को वर्ष में किए गए खर्च के रूप में मान्यता देता है।

In respect of the employees covered under New Pension Scheme (NPS), Bank contributes a certain percentage of the Salary of employees to the defined scheme, a defined contribution plan, which is managed and administered by Pension Fund companies. Bank has no liability other than its contribution and recognizes such contribution as an expense in the year incurred.

(iii) अवकाश नकदीकरण / Leave Encashment

बैंक की एक निश्चित शेष दिनों तक बैंक से बाहर निकलने के बाद सभी कर्मचारियों के लिए सामान्य छुट्टी/विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण की नीति है। बैंक इस तरह के अवकाश नकदीकरण के लिए प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को उस तारीख को अवकाश शेष के लिए एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान करता है। इस तरह की देनदारी की गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, नौकरी छोड़ने की दर, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है।

The Bank has a policy of encashment of Ordinary Leave/ Privileged Leave for all employees after their exit from the Bank upto a certain balance number of days. The Bank provides for such leave encashment based on an independent actuarial valuation at each Balance Sheet date for the leave balances as on that date. Such liability is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate.

(iv) स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना (वीएचएस) / Voluntary Health Scheme (VHS)

बैंक की एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना (वीएचएस) है जो विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों के लिए निर्धारित सीमा (घरेलू और अस्पताल में भर्ती) के अनुसार कर्मचारियों और उनके पति या पत्नी और आश्रित बच्चों (जो लागू हों) की सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह योजना वैकल्पिक थी और सदस्यता के लिए बंद कर दी गई है। इसके अलावा, बैंक तुलन पत्र की तारीख को इस योजना के लिए एक स्वतंत्र

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कमी राशि के लिए अतिरिक्त राशि का योगदान देता है, जिसकी गणना अवधि के लिए फंड के वास्तविक उपयोग और उन लोगों के लिए शेष सीमा के आधार पर की जाती है जिन्होंने योजना में अभिदान किया है।

The Bank has a Voluntary Health Scheme (VHS) which caters to the post-retirement medical needs of the employees and their spouse & dependent children (as applicable) as per the limits (domiciliary and hospitalization) set for various Grades of employees. This scheme was optional and has been closed for subscription. Further, Bank contributes for an additional amount towards the shortfall amount based on an independent actuarial valuation for this scheme as on Balance Sheet date which is calculated based on the actual utilization of the fund for the period and the balance limits for those who have subscribed to the scheme.

(v) उपदान / Gratuity

ग्रेच्युटी के प्रति बैंक का दायित्व है। यह एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जिसमें सभी पात्र कर्मचारियों को इस्तीफा, सेवानिवृत्ति, रोजगार के दौरान मृत्यु या रोजगार की समाप्ति पर शामिल किया गया है। बैंक आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट में योगदान देता है, जिसे ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित किया जाता है। जिन कर्मचारियों ने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है लेकिन 10 साल से कम हो, उन्हें ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए ग्रेच्युटी अधिनियम के नियमों के अलावा बैंक के पास ग्रेच्युटी नियम, 2004 का एक अलग सेट है। ग्रेच्युटी नियम, 2004 उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन्होंने 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है और उनके लिए ग्रेच्युटी की गणना के लिए एक अलग पद्धति है। ऐसे कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की गणना ग्रेच्युटी अधिनियम और ग्रेच्युटी नियम दोनों के अनुसार की जाती है और जो भी कर्मचारी के लिए फायदेमंद हो, उसका भुगतान किया जाता है।

The bank has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering all eligible employees on resignation, retirement, death while in employment or on termination of employment. The Bank makes contributions to IDBI Bank Employees' Gratuity Fund Trust, administered by the Trustees. The employees who have completed 5 years of service but less than 10 years, Gratuity is paid as per Gratuity Act. Bank has a separate set of Gratuity Rules, 2004 apart from the rules as per Gratuity Act for payment of Gratuity. The Gratuity Rules, 2004 are applicable to those employees who have completed 10 years of service period and has a separate methodology for calculation of Gratuity. For such employees gratuity is calculated as per both Gratuity Act and Gratuity Rules and are paid the amount whichever is beneficial to employee.

बैंक त्रैमासिक आधार पर ग्रेच्युटी देयता के स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता की कमी के लिए योगदान देता है, जिसकी गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, नौकरी छोड़ने की दर, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके देयता / परिभाषित लाभ निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में उस अवधि के लिए पहचाना जाता है जिसमें वे होते हैं।

Bank contributes towards the liability shortfall, based on an independent Actuarial Valuation of Gratuity liability on a quarterly basis which is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate. The liability / defined benefit is determined using the Projected Unit Credit Method. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

(vi) भविष्य निधि / Provident Fund

बैंक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत कवर है। कोष पात्र कर्मचारियों के अनिवार्य योगदान, कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान और बैंक से अतिरिक्त योगदान (पीएफ का विकल्प चुनने वालों के लिए) से बना है। अगस्त 2018 से आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि कोष का प्रबंध ट्रस्ट अर्थात् आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है जिसका गठन भारतीय न्यास निधि, 1882 के तहत द्वारा किया जाता है, जिसका गठन भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी के लाभ के लिए किया गया है जो आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान देते हैं और यह ट्रस्ट सभी आवश्यक कार्यकलाप एवं उनसे जुड़े प्रासंगिक कार्य करेगा।

The Bank is covered under the Employee Provident Fund Act, 1925. The corpus is built from the mandatory contribution from eligible employees, additional voluntary contribution from the employees and further contribution from the Bank (for PF optees) Since August 2018 the corpus of IDBI Bank Employee Provident Fund is managed by a trust viz., IDBI Bank Employees Provident Fund Trust formed under the provisions of Indian Trust Act, 1882 for the benefit of employees of IDBI Bank Ltd., who subscribed to IDBI Bank Employees Provident Fund and the said trust shall carry out all such activities necessary and incidental for the attainment thereto.

i. परिभाषित अंशदान योजनाओं में भुगतान उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है जब अंशदान देय होता है।

Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

- ii. परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें वे होते हैं.
For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.
- iii. कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले भुगतान की जाने वाली अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.
The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में:

B. In case of IDBI Capital Market & Securities Limited :

परिभाषित योगदान योजनाएं / Defined contribution plans

कंपनी की भारत में भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति निधि के रूप में रोजगार के बाद के लाभों के लिए परिभाषित योगदान योजनाएं हैं जो भारत सरकार और/या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित हैं. उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में योगदान का शुल्क लिया जाता है जब संबंधित निधियों में योगदान देय होता है.

The Company has defined contribution plans for post-employment benefits in the form of provident fund and superannuation fund in India which are administered through Government of India and/or Life Insurance Corporation of India (LIC). Contributions are charged to the Profit & Loss Account of the year when the contributions to the respective funds are due.

परिभाषित लाभ योजनाएं / Defined benefit plans

i. उपदान: / Gratuity :

कंपनी की भारत में अपने कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी के रूप में रोजगार के बाद के लाभों के लिए परिभाषित लाभ योजनाएं हैं. कंपनी की ग्रेच्युटी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित है. तुलनपत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किये गये बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए देयता का प्रावधान किया जाता है. देयता को मापने के लिए स्वतंत्र बीमांकक द्वारा उपयोग की जाने वाली बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति अनुमानित इकाई ऋण पद्धति है. बीमांकिक लाभ / हानि को तुरंत लाभ और हानि खाते में ले जाया जाता है और आस्थगित नहीं किया जाता है.

The Company has defined benefit plans for post-employment benefits in the form of gratuity for its employees in India. The gratuity scheme of the Company is administered through Life Insurance Corporation of India (LIC). Liability for defined benefit plans is provided on the basis of actuarial valuations, as at the Balance Sheet date, carried out by an independent actuary. The actuarial valuation method used by independent actuary for measuring the liability is the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the profit and loss account and are not deferred.

ii. अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति: / Compensated absences :

कंपनी के कर्मचारी कंपनी की नीति के अनुसार अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति के रूप में अन्य दीर्घकालिक लाभ के भी हकदार हैं. कंपनी की नीति के अनुसार ऊपरी सीमा से अधिक अवकाश शेष के लिए वार्षिक आधार पर कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण दिया जाता है. सेवानिवृत्ति के समय, रोजगार के दौरान मृत्यु या रोजगार की समाप्ति पर अवकाश नकदीकरण कंपनी की नीति के अनुसार एक ऊपरी सीमा के अधीन संचित अवकाश शेष के दिनों की संख्या के लिए देय वेतन के बराबर निहित है. इस तरह के लाभ के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है, जिसका निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किया जाता है. कंपनी की छुट्टी नकदीकरण योजना को जीवन बीमा कंपनी (एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित किया जाता है. देयता को मापने के लिए स्वतंत्र बीमांकक द्वारा उपयोग की जाने वाली बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति अनुमानित इकाई ऋण पद्धति है. बीमांकिक लाभ / हानि को तुरंत लाभ और हानि खाते में ले जाया जाता है और आस्थगित नहीं किया जाता है.

The employees of the Company are also entitled for other long-term benefit in the form of compensated absences as per the policy of the Company. Leave encashment vests to employees on an annual basis for leave balance above the upper limit as per the Company's policy. At the time of retirement, death while in employment or on termination of employment leave encashment vests equivalent to salary payable for number of days of accumulated leave balance subject to an upper limit as per the Company's policy. Liability for such benefit is provided on the basis of actuarial valuations, as at the Balance Sheet date, carried out by an independent actuary. The leave encashment scheme of the company is administered through Life Insurance Company (LIC). The actuarial valuation method used by independent actuary for measuring the liability is the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the profit and loss account and are not deferred.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii. अल्पकालिक कर्मचारी दायित्व: / Short Term Employee Obligations :

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं।

Short-term employee benefits are recognized as an expense in the statement of profit & loss of the year in which the employee rendered the services.

इ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में:

C. In case of IDBI Intech Limited :

क. रोजगार के बाद के लाभ:

a. Post-employment benefits:

कंपनी विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं में भाग लेती है। पेंशन और रोजगार के बाद के अन्य लाभों को परिभाषित योगदान योजनाओं या परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

The Company participates in various employee benefit plans. Pensions and other post-employment benefits are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans.

परिभाषित योगदान योजना के तहत, कंपनी का एकमात्र दायित्व निश्चित राशि का भुगतान करना है तथा यदि फंड में सभी कर्मचारी लाभों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं है तो आगे योगदान का भुगतान करने की कोई बाध्यता नहीं है। संबंधित बीमाकिक और निवेश जोखिम कर्मचारी द्वारा वहन किए जाते हैं। परिभाषित योगदान योजनाओं के व्यय को उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।

Under a defined contribution plan, the Company's only obligation is to pay a fixed amount with no obligation to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employee benefits. The related actuarial and investment risks are borne by the employee. The expenditure for defined contribution plans is recognized as an expense during the period when the employee provides service.

परिभाषित लाभ योजना के तहत, कर्मचारियों को सहमत लाभ प्रदान करना कंपनी का दायित्व है। संबंधित बीमाकिक और निवेश जोखिम कंपनी द्वारा वहन किए जाते हैं। परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य की गणना एक स्वतंत्र बीमाकिक द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है। बीमाकिक लाभ और हानि को उस अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में पूर्ण रूप से दर्शाया जाता है जिसमें वे होते हैं।

Under a defined benefit plan, it is the Company's obligation to provide agreed benefits to the employees. The related actuarial and investment risks are borne by the Company. The present value of the defined benefit obligations is calculated by an independent actuary using the projected unit credit method. Actuarial gains and losses are recognized in full in the Statement of Profit and Loss for the period in which they occur.

पिछली सेवा लागत को तुरंत उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस तक लाभ पहले से ही निहित हैं, और अन्यथा एक सीधी रेखा के आधार पर औसत अवधि में परिशोधन किया जाता है जब तक कि लाभ निहित नहीं हो जाते।

Past service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested, and otherwise is amortized on a straight line basis over the average period until the benefits become vested.

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ देयता परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को दर्शाती है तथा इसे योजना की आस्तियों के उचित मूल्य से घटा कर गैर-मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत से समायोजित किया जाता है। इस गणना के परिणामस्वरूप होने वाली कोई भी आस्ति परिभाषित लाभ देयता के रूप में निर्धारित राशि और उपलब्ध रिफंड के वर्तमान मूल्य और / या योजना में भविष्य के योगदान में कमी, जो भी कम हो, तक सीमित है।

The retirement benefit liability recognized in the balance sheet represents the present value of the defined benefit obligation as adjusted for unrecognized past service cost, as reduced by the fair value of scheme assets. Any asset resulting from this calculation is limited to the lower of the amount determined as the defined benefit liability and the present value of available refunds and /or reduction in future contributions to the scheme.

ख. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:

b. Short term employee benefits :

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले भुगतान की जाने वाली अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस वर्ष के दौरान व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी उन सेवाओं को प्रदान करता है। इन लाभों में अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति जैसे एक वर्ष के भीतर ली जाने वाली छुट्टी और देय बोनस शामिल हैं। अल्पकालिक नकद बोनस या लाभ-साक्षाकरण योजनाओं के तहत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के लिए एक देयता को उस स्थिति में मान्यता दी जाती है, यदि कंपनी का कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के कारण इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान में विधिक या रचनात्मक दायित्व है तथा इस दायित्व का विश्वस्वीयतापूर्वक अनुमान लगाया जा सकता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

The undiscounted amount of short term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized as an expense during the year when the employee renders those services. These benefits include compensated absences such as leave expected to be availed within a year and bonus payable. A liability is recognized for the amount expected to be paid under short-term cash bonus or profit-sharing plans, if the Company has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably.

ग. लाभ योजनाएं:
c. Benefit plans :

कंपनी की निम्नलिखित कर्मचारी लाभ योजनाएं हैं: / The Company has the following employee benefit plans:

(i) भविष्य निधि: / Provident fund :

कर्मचारी भविष्य निधि से लाभ प्राप्त करते हैं, जो एक परिभाषित लाभ योजना है. नियोजता और कर्मचारी प्रत्येक कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर भविष्य निधि योजना में मासिक योगदान करते हैं. अंशदान का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ('ईपीएफओ') को दिया जाता है और शेष अंशदान सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन कोष में किया जाता है.

Employees receive benefits from a provident fund, which is a defined benefit plan. The employer and employees each make monthly contributions to the Provident Fund Plan equal to a specified percentage of the covered employee's salary. A portion of the contribution is made to the Employees' Provident Fund Organisation ('EPFO') and the remainder of the contribution is made to the government administered pension fund.

(ii) ग्रेच्युटी: / Gratuity :

भारतीय कंपनियों के लिए लागू ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, कंपनी अंतिम आहरित वेतन और कंपनी के साथ रोजगार के वर्षों के आधार पर पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान करती है. ग्रेच्युटी फंड का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम ('एलआईसी') द्वारा किया जाता है.

In accordance with the Payment of Gratuity Act, 1972, applicable for Indian companies, the Company provides for a lump sum payment to eligible employees, at retirement or termination of employment based on the last drawn salary and years of employment with the Company. The gratuity fund is managed by Life Insurance Corporation of India ('LIC').

(iii) अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति : / Compensated absences :

कंपनी के कर्मचारी अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति के हकदार हैं. कर्मचारी अप्रयुक्त संचित अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति के एक हिस्से को आगे ले जा सकते हैं और भविष्य की अवधि में इसका उपयोग कर सकते हैं या सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर नकद प्राप्त कर सकते हैं. कंपनी उस अवधि में अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति के लिए एक दायित्व दर्ज करती है जिसमें कर्मचारी इस पात्रता को बढ़ाने वाली सेवाएं प्रदान करता है. कंपनी अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति की अपेक्षित लागत को अतिरिक्त राशि के रूप में मापती है जो कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संचित अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान करने की अपेक्षा करती है. कंपनी अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर संचित अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति को पहचानती है. गैर-संचित अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें अनुपस्थिति होती है. कंपनी एलआईसी द्वारा प्रशासित समूह छुट्टी नकदीकरण योजना (जीएलईएस) में वार्षिक योगदान करती है.

The employees of the Company are entitled to compensated absences. The employees can carry forward a portion of the unutilized accumulating compensated absences and utilize it in future periods or receive cash at retirement or termination of employment. The Company records an obligation for compensated absences in the period in which the employee renders the services that increases this entitlement. The Company measures the expected cost of compensated absences as the additional amount that the Company expects to pay as a result of the unused entitlement that has accumulated at the end of the reporting period. The Company recognizes accumulated compensated absences based on actuarial valuation using the projected unit credit method. Non-accumulating compensated absences are recognized in the period in which the absences occur. The Company makes annual contribution to the Group Leave Encashment Scheme (GLES), administered by LIC.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

ई. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में:

D. In case of IDBI Asset Management Limited:

ग्रेच्युटी: / Gratuity :

ग्रेच्युटी देयता एक परिभाषित लाभ दायित्व है और इसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित और प्रबंधित ग्रेच्युटी फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर भविष्य के ग्रेच्युटी लाभों के लिए देयता का हिसाब रखती है।

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is funded through a Gratuity Fund administered and managed by the Life Insurance Corporation of India. The Company accounts for liability for future gratuity benefits based on the actuarial valuation using Projected Unit Credit Method carried out as at the end of each financial year.

भविष्य निधि: / Provident fund :

कंपनी एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में योगदान करती है। अंशदानों की गणना उपचय आधार पर की जाती है और उन्हें लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

The Company contributes to a recognized provident fund. The contributions are accounted for on an accrual basis and are recognized as an expense in the statement of profit and loss.

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ: / Short term employee benefits :

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में दिखाया जाता है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

Short term employee benefits are recognized as an expense in the statement of profit and loss of the year in which the services are rendered.

अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति: / Compensated absences :

कंपनी कुछ नियमों के अधीन विशेषाधिकार छुट्टी नकदीकरण प्रदान करती है। कर्मचारी भविष्य में नकदीकरण के साथ-साथ छुट्टी लेने के लिए कुछ सीमाओं के अधीन छुट्टी जमा करने के हकदार हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एक स्वतंत्र बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को अप्रयुक्त छुट्टी के दिनों की संख्या के आधार पर देयता का प्रावधान किया जाता है।

The Company provides for Privilege Leave Encashment subject to certain rules. The employees are entitled to accumulate leave subject to certain limits for future encashment as well as avilment. The liability is provided based on the number of days of unutilized leave at each balance sheet date on the basis of an independent actuarial valuation carried out as at the end of each financial year.

उ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड के मामले में:

E. In case of IDBI Trusteeship Service Limited :

रोजगार की शर्तों के अनुसार वर्तमान और पिछली सेवाओं के लिए देय कर्मचारी लाभ, लघु और दीर्घकालिक दोनों देयताओं को "इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)" द्वारा जारी किए लेखा मानक - 15 (संशोधित 2005) "कर्मचारी लाभ" के अनुसार रेकॉर्ड किया जाता है।

Liability for employee benefits, both short and long term, for present and past services which are due as per the terms of employment are recorded in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised 2005) "Employee Benefits" issued by the "Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)".

परिभाषित योगदान योजनाएं / Defined Contribution Schemes

क) भविष्य निधि

a) Provident Fund:

कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और उसके तहत बनाई गई योजनाओं के तहत पंजीकृत है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम के तहत सरकारी प्राधिकारियों को स्थापित निधियों/योजनाओं में कर्मचारियों के न्यूनतम अंशदान के बराबर अंशदान कर रही है। पात्र कर्मचारियों को सरकारी प्राधिकारियों से लाभ मिलता है। वर्ष के लिए देय योगदान लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

The Company is registered under the provisions of Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and schemes framed there under. Accordingly, the Company is contributing, in equal share of minimum contribution as those of employees, to the funds/ schemes established under the Act to Government Authorities. The eligible employees receive benefits from Government Authorities. The contribution due for the year is charged to profit and loss account.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

ख) ग्रेच्युटी
b) Gratuity:

कंपनी वर्ष के अंत में वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर "द ट्रस्टी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी योजना" के रूप में जानी जाने वाली ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान करती है। कंपनी को वार्षिक प्रीमियम योगदान का भुगतान करना आवश्यक है। वर्ष के लिए इस प्रकार भुगतान/देय प्रीमियम को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है।

The Company provides for gratuity, known as "The Trustees IDBI Trusteeship Services Ltd Employee's Group Gratuity Scheme" based on annual actuarial valuation as on year end. The Company is required to pay annual premium contributions. The premium so paid / payable for the year is recognised in profit and loss account.

ग) छुट्टी नकदीकरण
c) Leave Encashment:

वार्षिक छुट्टी नकदीकरण का आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 15 (संशोधित 2005) "कर्मचारी लाभ" के अनुसार वर्ष के अंत में वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

Annual Leave encashment is accounted on based on annual actuarial valuation as on year end as per Accounting Standard - 15 (Revised 2005) "Employee Benefits" issued by the ICAI.

ऊ) आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लि. के मामले में:

F. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Co. Ltd.:

प्रदान की गई सेवाओं के लिए कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति की गणना कर्मचारी लाभ पर लेखा मानक 15 के अनुसार किया जाता है।

Compensation to employees for services rendered is accounted for in accordance with Accounting Standard 15 on Employee Benefits.

14 खंड रिपोर्टिंग: / Segment Reporting:

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में:

A. In case of IDBI Bank Limited:

बैंक तीन खंडों यथा- होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और ट्रेजरी परिचालनों में कार्य करता है। इन खंडों का निर्धारण रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों और खंड रिपोर्टिंग के बारे में एएस-17 के अनुसार किया गया है जो योजनाओं व सेवाओं के स्वरूप व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद किया गया है।

The Bank operates in three segments wholesale banking, retail banking and treasury operations. These segments have been identified in line with extant RBI guidelines and AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों व देयताओं में प्रत्येक खंड हेतु अभिनिर्धारणीय राशि साथ ही प्रबंधन द्वारा अनुमानित किए अनुसार आबंटित राशि शामिल है। जिन आस्तियों व देयताओं को अभिनिर्धारणीय खंडों में आबंटित नहीं किया जा सकता है उन्हें गैर-आबंटित आस्तियों व देयताओं के रूप में समूहित किया जाता है।

Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में:

B. In case of IDBI Asset Management Limited:

कंपनी म्यूचुअल फंड को निवेश प्रबंधन सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में है और संचालन से संपूर्ण राजस्व भारत में प्रदान की गई उपरोक्त सेवा से है। इसलिए कंपनी के पास कोई अन्य रिपोर्ट करने योग्य व्यवसाय या भौगोलिक खंड नहीं है।

The company is in the business of providing Investment management service to the mutual fund, and the entire revenue from operations is from the above service rendered in India. Hence the company has no other reportable business or geographical segment.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

इ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में: C. In case of IDBI Trusteeship Services Limited:

कंपनी मुख्य रूप से ट्रस्टीशिप व्यवसाय का कार्य करती है और इसका व्यवसाय परिचालन भारत में केन्द्रित है। तदनुसार, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-17 खंड रिपोर्टिंग के अनुसार कोई भी अलग व्यवसाय क्षेत्र एवं भौगोलिक क्षेत्र नहीं है।

The company is engaged primarily in the trusteeship business and its business operations are concentrated in India. Accordingly there are no separate business segments and geographical segments as per AS-17- Segment reporting issued by Institute of Chartered accountants of India.

ई. आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में: D. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Co. Limited:

कंपनी मुख्य रूप से एकल क्षेत्र में है अर्थात ट्रस्टीशिप के व्यवसाय में है। कंपनी प्रमुख स्रोत, प्रकृति और रिटर्न, आंतरिक संगठन एवं प्रबंधन संरचना के आधार पर प्राथमिक खंडों की पहचान करती है।

The Company is primarily in a single segment i.e. in the business of Trusteeship. The Company identifies primary segments based on the dominant source, nature and returns, the internal organization and management structure.

15 आय कर: / Income Tax:

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में: A. In case of IDBI Bank Limited :

- i. कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं। / Tax expense comprises of current and deferred tax.

चालू कर आय कर की वह निर्धारित राशि है जो किसी अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है। इसकी गणना आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा आय परिकलन और प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) के अनुसार की जाती है।

Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

- ii. वर्ष के बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हों। समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों को इनकी भविष्य में वसूली की पर्याप्त निश्चितता की सीमा तक हिसाब में लिया जाता है।

Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

- iii. अनवशोषित मूल्यहास/नुकसान के मामले में आस्थगित कर आस्तियों को तभी पहचाना जाता है जब इस बात की आभासी निश्चितता हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्ति को भविष्य के कर योग्य लाभों से वसूल किया जा सकता है।

Deferred tax assets in case of unabsorbed depreciation/ losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

- iv. आस्थगित कर आस्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है और उस राशि को दर्शाने के लिए उचित रूप से समायोजित की जाती है जो यथोचित/वस्तुतः वसूल की जानी है।

Deferred tax assets are reviewed at each Balance Sheet date and appropriately adjusted to reflect the amount that is reasonably / virtually certain to be realized.

- v. जिन विवादित करों का प्रावधान नहीं किया गया है उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। हालांकि, जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना पिछले मूल्यांकन और अन्य प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों के संबंध में राय/विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर दूरस्थ है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

Disputed taxes not provided for are included under Contingent Liabilities. However, when there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote based on opinions/ various judicial decisions in respect of past assessment and other relevant judicial decisions, no provision or disclosure is made.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड आय पर कर के मामले में

B. In case of IDBI Intech Limited Taxes on income :

आयकर की गणना "आय पर करों के लिए लेखांकन" पर लेखा मानक (एएस 22) के अनुसार की जाती है। कर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं। वर्तमान कर को लागू कर दरों का उपयोग करके कर अधिकारियों से भुगतान या वसूल किए जाने वाली अपेक्षित राशि से मापा जाता है। आस्थगित करों को भविष्य के कर परिणाम के लिए मान्यता दी जाती है, जो कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अंतर के कारण होता है, जिसे प्रासंगिक अधिनियमित / मूल रूप से अधिनियमित कर दरों पर मापा जाता है।

Income Taxes are accounted for in accordance with Accounting Standard (AS 22) on "Accounting for Taxes on Income". Tax expense comprises of current tax and deferred tax. Current tax is measured at the amount expected to be paid or recovered from the tax authorities using the applicable tax rates. Deferred taxes are recognised for future tax consequence attributable to timing difference between taxable income and accounting income, measured at relevant enacted / substantively enacted tax rates.

अनवशोषित मूल्यहास और आगे ले जाने वाली हानियों की स्थिति में, आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जो इस बात के पुख्ता सबूतों द्वारा आभासी रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐसी आस्तियों को प्राप्त करने के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी। अन्य स्थितियों में, आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां उचित निश्चितता हो कि इन आस्तियों की वसूली के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

In the event of unabsorbed depreciation and carry forward losses, deferred tax assets are recognised only to the extent that there is virtual certainty supported by convincing evidence that sufficient future taxable income will be available to realise such assets. In other situations, deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available to realise these assets.

न्यूनतम वैकल्पिक कर ('एमएटी') क्रेडिट पात्रता को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "आयकर अधिनियम, 1961 के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में उपलब्ध क्रेडिट के लिए लेखांकन" मार्गदर्शन नोट के अनुसार मान्यता दी गई है। एमएटी क्रेडिट को एक आस्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब और इस हद तक इस बात के पुख्ता सबूत हों कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर से समायोजन करने में सक्षम होगी। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को, कंपनी एमएटी क्रेडिट आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन करती है और जहां आवश्यक हो, उसे समायोजित करती है।

Minimum Alternate Tax ('MAT') credit entitlement is recognized in accordance with the Guidance Note on "Accounting for credit available in respect of Minimum Alternate Tax under the Income Tax Act, 1961" issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). MAT credit is recognised as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Company will be able to adjust against the normal income tax during the specified period. At each balance sheet date, the Company reassesses MAT credit assets and adjusts the same, where required.

भुगतान किए गए अग्रिम कर और वर्तमान आयकर के प्रावधान तुलन पत्र में निवल रूप में तभी प्रस्तुत किए जाते हैं जब ये एक ही कर क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हों तथा जहां इकाई निवल आधार पर आस्ति और देयता का निपटान करने का इरादा रखती है।

Advance taxes paid and provisions for current income taxes are presented net in the balance sheet if arising in the same tax jurisdiction and where the entity intends to settle the asset and liability on a net basis.

इ. आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में:

C. In case of IDBI Asset Management Limited :

कराधान / Taxation

आयकर व्यय में वर्तमान कर (अर्थात आयकर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि), आस्थगित कर शुल्क या क्रेडिट (अवधि के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के कर प्रभाव को दर्शाता है) शामिल हैं।

Income tax expense comprises current tax (i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law), deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period).

चालू कर / Current taxes

चालू आयकर के प्रावधान को भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मान्यता दी गई है और कर भत्ते और छूट के लिए क्रेडिट लेने के बाद कर देयता के आधार पर इसे सालाना बनाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के अंतर्गत कर चुकाने का विकल्प चुना है, अतः आईएएमएल पर एमएटी लागू नहीं है।

Provision for current income-tax is recognized in accordance with the provisions of Indian Income-tax Act, 1961 and is made annually based on the tax liability after taking credit for tax allowances and exemptions. From FY 2021-22 the Company has opted to pay tax U/s 115BAA of the Income Tax Act, 1961, hence MAT is not applicable on IAML.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

आस्थगित कर / Deferred taxes

आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं को समय के अंतर के कारण भविष्य के कर परिणामों के लिए मान्यता दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप आय करों के लिए पेश किए गए लाभ और वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ के बीच अंतर होता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर दरों में बदलाव के प्रभाव को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अधिनियमन तिथि शामिल है। आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां उचित निश्चिंतता हो कि भविष्य में आस्तियों की वसूली की जा सकती है। हालांकि, जहां कराधान कानूनों के तहत अनवशेषित मूल्यहास या अग्रेषित हानि होती है, आस्थगित कर आस्तियों को तभी मान्यता दी जाती है जब ऐसी आस्तियों की वसूली की आभासी निश्चिंतता हो। आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को उनके संबंधित वहन मूल्यों की उपयुक्तता के लिए किया जाता है।

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to timing differences that result between the profits offered for income taxes and the profits as per the financial statements. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. The effect of a change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the period that includes the enactment date. Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in the future. However, where there is unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets. Deferred tax assets are reassessed for the appropriateness of their respective carrying values at each balance sheet date.

ई. आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में: D. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Co. Ltd.:

कराधान / Taxation

आयकर व्यय में वर्तमान कर (अर्थात् आयकर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि), आस्थगित कर शुल्क या क्रेडिट (अवधि के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के प्रभाव को दर्शाता है) शामिल हैं।

Income tax expense comprises current tax (i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law), deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period).

चालू कर / Current taxes

चालू आयकर के प्रावधान को भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मान्यता दी गई है और कर भत्ते और छूट के लिए क्रेडिट लेने के बाद कर देयता के आधार पर इसे सालाना बनाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के अंतर्गत कर चुकाने का विकल्प चुना है, अतः कंपनी पर एमएटी लागू नहीं है।

Provision for current income-tax is recognized in accordance with the provisions of Indian Income-tax Act, 1961 and is made annually based on the tax liability after taking credit for tax allowances and exemptions. From FY 2021-22 the Company has opted to pay tax U/s 115BAA of the Income Tax Act, 1961, hence MAT is not applicable to the company

आस्थगित कर / Deferred taxes

आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं को समय के अंतर के कारण भविष्य के कर परिणामों के लिए मान्यता दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप आय करों के लिए पेश किए गए लाभ और वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ के बीच अंतर होता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर दरों में बदलाव के प्रभाव को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अधिनियमन तिथि शामिल है। आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां उचित निश्चिंतता हो कि भविष्य में आस्तियों की वसूली की जा सकती है। हालांकि, जहां कराधान कानूनों के तहत अनवशेषित मूल्यहास या अग्रेषित हानि होती है, आस्थगित कर आस्तियों को तभी मान्यता दी जाती है जब ऐसी आस्तियों की वसूली की आभासी निश्चिंतता हो। आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को उनके संबंधित वहन मूल्यों की उपयुक्तता के लिए किया जाता है।

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to timing differences that result between the profits offered for income taxes and the profits as per the financial statements. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. The effect of a change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the period that includes the enactment date. Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in the future. However, where there is unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets. Deferred tax assets are reassessed for the appropriateness of their respective carrying values at each balance sheet date.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

उ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में: E. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd:

चालू वर्ष का कर, वर्तमान कर नियमों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और चालू वर्ष की कर योग्य आय के संबंध में देय कर की राशि लाभ एवं हानि लेख में प्रदान की जाती है।

Current year's tax is determined based on current tax laws and the amount of tax payable in respect of taxable income of the current year is provided in profit and loss account.

समय के अंतराल के कारण आस्थगित कर की पहचान की जाती है; कर योग्य आय और लेखा आय के बीच का अंतर होना जो एक अवधि में आरंभ होता है और एक अथवा अधिक परवर्ती अवधि में लौटाने में सक्षम होता है, आस्थगित कर आस्ति को मान्यता दी जाती है और केवल उस सीमा तक आगे ले जाया जाता है जहां एक आभासी निश्चितता होती है कि आस्ति की भविष्य में वसूली की जाएगी। ऐसे मामलों में जहां आभासी निश्चितता कोई ठोस साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है, वहां आस्थगित कर आस्तियों को लेखा बहियों में उपचित नहीं किया जाता है।

Deferred tax is recognised on account of timing difference; being the difference between taxable incomes and accounting income that originate in one period and is capable of reversal of one or more subsequent periods. Deferred tax asset is recognised and carried forward only to the extent that there is a virtual certainty that the asset will be realised in future. In cases where there is no virtual certainty supported by convincing evidence, the deferred tax assets is not accrued in books of Accounts.

ऊ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एवं सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के मामले में: F. In case of IDBI Capital Markets and Securities Limited :

i. चालू कर को आय कर अधिनियम के अनुसार, कर प्राधिकारियों को किए जाने भुगतान / वसूली योग्य अनुमानित राशि द्वारा मापा जाता है।
Current tax is measured at the amount expected to be paid/ recovered from the tax authorities, in accordance with the Income Tax Act.

ii. कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच होने वाले समय अंतर का कर प्रभाव और एक या अधिक परवर्ती अवधियों में लौटाए जाने के योग्य है, आस्थगित कर आस्ति या आस्थगित कर देयता के रूप में दर्ज किया जाता है। आस्थगित कर आस्ति और देयताओं को भावी कर परिणामों के स्रोतजन्य समय अंतरालों के लिए पहचाना जाता है। उन्हें तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित या मूल रूप में अधिनियमित कर दरों और कर विनियमों का उपयोग कर मापा जाता है।

The tax effect of the timing differences that result between taxable income and accounting income and are capable of reversal in one or more subsequent periods are recorded as a deferred tax asset or deferred tax liability. Deferred tax assets and liabilities are recognized for future tax consequences attributable to timing differences. They are measured using the enacted or substantively enacted tax rates and tax regulations as at the balance sheet date.

iii. आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है और आगे ले जाई जाती हैं जहां पर्याप्त निश्चितता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर आस्तियों की वसूली जा सकती है; हालांकि जहां अनवशोषित मूल्यहास है और हानियाँ आगे ले जाई गई हैं, आस्थगित कर आस्ति केवल तभी बनाई जाती हैं यदि वहां आस्ति की वसूली की आभासी निश्चितता है।

Deferred tax assets are recognised and carried forward only to the extent there is reasonable certainty that sufficient taxable income will be available in future, against which the deferred tax assets can be realized; however where there is unabsorbed depreciation and carried forward losses, deferred tax assets is created only if there is virtual certainty of realization of assets.

iv. प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर आस्थगित कर आस्तियों को आगे ले जाने की राशि को उस सीमा तक कम किया जाता है कि यह यथोचित रूप से निश्चित नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की वसूली की जा सकती है।

The carrying amount of deferred tax assets at each balance sheet date is reduced to the extent that it is no longer reasonably certain that sufficient future taxable income will be available against which the deferred tax asset can be realized.

न्यूनतम वैकल्पिक कर

Minimum Alternate Tax:

एक वर्ष में भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) वर्तमान कर के रूप में लाभ और हानि के विवरण प्रभाषित किया जाता है। कंपनी एमएटी क्रेडिट को एक आस्ति के रूप में तभी मान्यता देती है, जब इस बात के पुख्ता सबूत हों कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी, अर्थात् वह अवधि जिसके लिए एमएटी क्रेडिट को आगे ले जाने की अनुमति है, जिस वर्ष कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

के संबंध में उपलब्ध क्रेडिट के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार एमएटी क्रेडिट को एक आस्ति के रूप में मान्यता दी है, उस वर्ष उक्त आस्ति को लाभ-हानि विवरण में जमा करते हुए "एमएटी क्रेडिट पात्रता" के रूप में दिखाया गया है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर "मैट क्रेडिट एंटाइलमेंट" आस्ति की समीक्षा करती है और आस्ति को उस सीमा तक लिखती है, जिस हद तक कंपनी के पास इस बात के पुख्ता सबूत नहीं हैं कि वह पर्याप्त अवधि के दौरान सामान्य कर का भुगतान करेगी।

Minimum Alternate Tax (MAT) paid in a year is charged to the Statement of Profit and Loss as current tax. The company recognizes MAT credit available as an asset only to the extent there is convincing evidence that the company will pay normal income tax during the specified period, i.e., the period for which MAT Credit is allowed to be carried forward. In the year in which the Company recognizes MAT Credit as an asset in accordance with the Guidance Note on Accounting for Credit Available in respect of Minimum Alternate Tax under the Income Tax Act, 1961, the said asset is created by way of credit to the statement of Profit and Loss and shown as "MAT Credit Entitlement." The Company reviews the "MAT Credit Entitlement" asset at each reporting date and writes down the asset to the extent the company does not have convincing evidence that it will pay normal tax during the sufficient period.

16 पट्टे: / Leases:

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में:

A. In case of IDBI Bank Limited:

- पट्टा/ किराये के आधार पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/ रद्द करने योग्य हैं।
The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.
- बैंक द्वारा किया गया पट्टा करार सहमत अवधि के लिए है और पट्टे की अवधि के दौरान भी पट्टे को पारस्परिक सहमति से एक कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर समाप्त करने का विकल्प है।
The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.
- परिचालन पट्टों के लिए भुगतान किए गए पट्टे के किराए की संबंधित वर्ष के लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में गणना की जाती है।
Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates.
- परिचालन पट्टों के संबंध में प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत जैसे विधि लागत, दलाली लागत आदि को लाभ और हानि खाते में तुरंत व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।
Initial direct costs in respect of operating leases such as legal costs, brokerage costs, etc. are recognized as expense immediately in the Profit and Loss Account

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में

B. In case of IDBI Intech Limited:

क. वित्त पट्टा

a. Finance lease

वित्त पट्टे पर ली गई आस्तियों को न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य और उचित मूल्य में से कम पर अचल आस्तियों के रूप में हिसाब में लिया जाता है और समतुल्य राशि के लिए देयता को मान्यता दी जाती है। लीज भुगतानों को वित्त प्रभार और बकाया देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है।

Assets taken on finance lease are accounted for as fixed assets at lower of present value of the minimum lease payments and the fair value and a liability is recognised for an equivalent amount. Lease payments are apportioned between finance charge and reduction in outstanding liability.

ख. परिचालन पट्टा

b. Operating leases

पट्टे पर ली गई आस्तियां जिसके तहत पट्टेदार द्वारा स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को प्रभावी रूप से बरकरार रखा जाता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

Assets taken on lease under which all risks and rewards of ownership are effectively retained by the lessor are classified as operating lease. Lease payments under operating leases are recognised as expenses on straight line basis over the lease term.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

इ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में: C. In case of IDBI Capital Market & Securities Limited:

परिचालन पट्टे / Operating Leases

जिन पट्टों में पट्टेदार प्रभावी रूप से पट्टे की अवधि में स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी ढंग से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे के भुगतान को लीज अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर 'किराया दर और कर' के तहत लाभ और हानि खाते में एक व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased term, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Profit and Loss account under 'Rent Rates and Taxes' on a Straight Line Basis over the lease term.

ई. आईडीबीआई ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड के मामले में: D. In case of IDBI Trusteeship Services Limited:

परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा भुगतान को पट्टा करार की शर्तों के अनुसार लाभ और हानि लेखा विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

Lease payment under an operating lease is recognised as expenses in the statement of Profit and loss account as per terms of lease agreement.

उ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में: E. In case of IDBI Asset Management Limited:

परिचालन पट्टे / Operating Leases

पट्टे पर ली गई आस्तियां जिसके अंतर्गत पट्टेदार द्वारा स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कारों को प्रभावी रूप से बरकरार रखा जाता है, को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत पट्टे के भुगतान/ राजस्व को पट्टों से संबंधित करारों की शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर व्यय/ आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

Lease of assets under which all the risk and rewards of ownership are effectively retained by the lessor are classified as operating leases. Lease payments/ revenue under operating leases are recognized as expense/ income on accrual basis in accordance with the terms of respective lease agreements.

17 प्रति शेयर अर्जन: / Earnings Per Share:

- समूह एएस 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर अर्जन की सूचना देता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।
The Group reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding at the year end.
- प्रति शेयर न्यूनीकृत अर्जन उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाते हैं जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता है। प्रति शेयर न्यूनीकृत अर्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या और बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है।
Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

18 आस्तियों की अनर्जकता: / Impairment of Assets:

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में A. In case of IDBI Bank Limited:

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन ऐसे संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव-राशि वसूली योग्य नहीं है तो अचल आस्तियों की अनर्जकता की समीक्षा की जाती है। धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूली योग्य मूल्य अथवा उपयोग मूल्य की तुलना आस्ति की रखाव राशि से करके किया जाता है। यदि ऐसी आस्तियां अनर्जक मानी गई हों तो निर्धारित होने वाली अनर्जकता को उस आस्ति की दर्ज लागत से उसके चालू अनुमानित वसूली योग्य मूल्य अथवा उपयोग मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use.

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में:

B. In case of IDBI Intech Limited:

प्रबंधन बाहरी और आंतरिक स्रोतों का उपयोग करते हुए समय-समय पर मूल्यांकन करता है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति अनर्जक हो सकती है। अनर्जक हानि को तब मान्यता दी जाती है जहां कभी किसी आस्ति का वहन मूल्य वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है। वसूली योग्य राशि आस्ति के निवल बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक है, जिसका अर्थ है कि भविष्य के नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य आस्ति के निरंतर उपयोग और इसके अंतिम निपटान से उत्पन्न होने की उम्मीद है।

The Management periodically assesses, using external and internal sources whether there is an indication that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised where ever the carrying value of an asset exceeds the recoverable amount. The recoverable amount is the higher of asset's net selling price and value in use, which means the present value of the future cash flows expected to arise from the continuing use of the asset and its eventual disposal.

एक आस्ति की अनर्जक हानि को केवल उस स्थिति में रिवर्स किया जाता है जब यह रिवर्सल अनर्जक हानि की पहचान के बाद घटित घटना से तटस्थ रूप से संबद्ध हो। एक आस्ति की आगे ले जाई जाने वाली राशि को उसकी संशोधित वसूली योग्य राशि तक बढ़ा दिया जाता है, बशर्ते कि यह राशि आगे ले जाने वाली निर्धारित राशि से अधिक न हो (किसी संचित परिशोधन या मूल्यहास को घटाकर) तथा पिछले वर्षों में आस्ति के लिए कोई अनर्जक हानि की पहचान नहीं की गई हो।

An impairment loss for an asset is reversed if, and only if, the reversal can be related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognized. The carrying amount of an asset is increased to its revised recoverable amount, provided that this amount does not exceed the carrying amount that would have been determined (net of any accumulated amortization or depreciation) had no impairment loss been recognised for the asset in prior years.

इ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में:

C. In case of IDBI Capital Market & Securities Limited:

i. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अनर्जकता का कोई संकेत है, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो आस्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है।

The carrying amount of assets, is reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, recoverable amount of the assets is estimated.

ii. जब भी किसी आस्ति या उसकी नकद उत्पादन इकाई की अग्रणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तब अनर्जक हानि की पहचान की जाती है। वसूली योग्य राशि आस्ति के निवल बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक है, जो उनके वर्तमान मूल्यों पर छूट वाले अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सभी अनर्जक हानियों को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है।

An Impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset or its cash generating unit exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the asset's net selling price and value in the use, which is determined, based on the estimated future cash flows discounted to their present values. All impairment losses are recognized in the profit and loss account.

iii. यदि वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन होता है तो अनर्जक हानि को उलट दिया जाता है और इसे लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है।

An impairment loss is reversed if there is a change in the estimates used to determine the recoverable amount and is recognized in the profit and loss account.

ई. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में:

D. In case of IDBI MF Trustee Company Limited:

एक आस्ति को आस्ति की अनर्जकता पर लेखा मानक 28 के अनुसार तब अनर्जक माना जाता है, जब तुलन पत्र की तारीख को अनर्जकता के संकेत होते हैं और आस्ति की वहन राशि या जहां नकदी पैदा करने वाली इकाई जिससे आस्ति संबंधित होती है, उसकी वसूली योग्य राशि (अर्थात आस्ति के निवल बिक्री मूल्य और प्रयुक्त मूल्य में से जो अधिक हो) से अधिक राशि होती है। वहन राशि को वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है और कमी को लाभ और हानि के विवरण में अनर्जक हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

An asset is considered as impaired in accordance with Accounting Standard 28 on Impairment of Assets when at the balance sheet date there are indications of impairment and the carrying amount of asset, or where applicable the cash generating unit to which the asset belongs, exceeds its recoverable amount (i.e. the higher of the asset's net selling price and value in use). The carrying amount is reduced to the recoverable amount and the reduction is recognized as an impairment loss in the Statement of Profit and Loss.

जब यह संकेत मिलता है कि पहले की लेखा अवधि में किसी आस्ति (पुनर्मूल्यांकन आस्ति के अलावा) के लिए मान्यता प्राप्त अनर्जक हानि मौजूद नहीं है या कम हो सकती है, अनर्जक हानि के इस तरह के उल्टमण को लाभ और हानि के विवरण में उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जितनी राशि पहले लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित की गई थी. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामले में ऐसे उल्टमण को मान्यता नहीं दी जाती है.

When there is indication that an impairment loss recognized for an asset (other than a revalued asset) in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognized in the Statement of Profit and Loss, to the extent the amount was previously charged to the Statement of Profit and Loss. In case of revalued assets such reversal is not recognized.

उ. आईडीबीआई आस्ति प्रबंधन लिमिटेड के मामले में:

E. In case of IDBI Asset Management Limited:

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि आस्ति की क्षति हो सकती है. यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी आस्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है. यदि ऐसे आस्ति की वसूली योग्य राशि इसके वहन राशि से कम है तो वहन राशि को इसके वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है. कमी को हानि माना जाता है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है. यदि तुलन पत्र की तारीख को यह संकेत मिलता है कि पूर्व में मूल्यांकित हानि मौजूद नहीं है तो वसूली योग्य राशि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और आस्ति वसूली योग्य राशि पर अवश्या परंपरागत लागत के अधिकतम के अधीन परिलक्षित होती है. हानि के बाद, मूल्यहास आस्ति की शेष उपयोगी जीवनकाल पर संशोधित वहन राशि पर प्रदान किया जाता है.

The Company assesses at each Balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset. If such recoverable amount of the asset is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment loss and is recognized in the profit and loss account. If at the balance sheet date there is an indication that a previously assessed impairment loss no longer exists, the recoverable amount is reassessed and the asset is reflected at the recoverable amount subject to a maximum of depreciable historical cost. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over its remaining useful life.

19 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में:

A. In case of IDBI Bank Limited:

- एएस 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के मामले में, बैंक द्वारा कोई प्रावधान तभी किया जाता है जब पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों सहित संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जिसके लिए दायित्व के बारे में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

- प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता और उनका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.

Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

- किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

- iv. आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण किया जाता है और न ही इनका प्रकटन किया जाता है।
Contingent Assets are neither recognized nor disclosed.
- v. आकस्मिक देयता का प्रकटन तब किया जाता है जब: / A disclosure of contingent liability is made when there is:
- जब संभाव्य दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम न हो।
When there is a possible obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is not remote; or
 - पिछली घटना से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जिसे मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि यह संभाव्य नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है
a present obligation arising from a past event which is not recognized as it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.
 - जब कोई संभाव्य दायित्व या वर्तमान दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।
When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक््युरिटीज लिमिटेड के मामले में:

B. In case of IDBI Capital Market & Securities Limited:

क) प्रावधान

a) Provisions

- i. एक प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है। यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती है।
A provision is recognized when there is a present obligation as a result of past event. It is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which a reliable estimate can be made. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.
- ii. एक आकस्मिक दायित्व के लिए प्रकटीकरण तब किया जाता है जब एक संभावित दायित्व हो या एक ऐसा वर्तमान दायित्व हो जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो या संभवतः न भी हो। जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना कम होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है। आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की जाती है।
A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made. Contingent Assets are not recognized.
- iii. सभी बकाया ऋणों की मामला-दर-मामला समीक्षा करने के बाद अशोध्य और संदिग्ध आस्तियों की पहचान की जाती है। संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान प्रबंधन द्वारा उनकी वसूली-योग्यता के मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं। यदि किसी भी संदिग्ध ऋण से वसूली की संभावना मौजूद नहीं है, तो उसे पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।
Bad and doubtful assets are identified after carrying out a case by case review of all outstanding debts. Provisions are made on doubtful debts on management's evaluation of their realisability. In case the chances of recovery do not exist in any of the doubtful debts, the same is written off fully.

इ. आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में:

C. In case of IDBI Asset Management Limited:

कंपनी उस स्थिति में प्रावधान सृजित करती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होती है और दायित्व की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। एक आकस्मिक दायित्व के लिए प्रकटीकरण तब किया जाता है जब एक संभावित दायित्व या एक वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी। जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

The Company creates a provision when there is a present obligation as a result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. A disclosure for a contingent liability is made

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य से बट्टाकृत नहीं किया जाता है और तुलन पत्र की तारीख को दायित्व को निपटाने के लिए उन्हें आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

Provisions are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date.

प्रत्येक तुलन पत्र पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है। यदि यह संभावना नहीं हो कि दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, तो प्रावधान को उलट दिया जाता है।

Provisions are reviewed at each balance sheet and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that the outflow of resources would be required to settle the obligation, the provision is reversed.

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आकस्मिक आस्तियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और यदि यह निश्चित हो कि एक आर्थिक लाभ उत्पन्न होगा, तो आस्ति और संबंधित आय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिवर्तन हुआ था।

Contingent assets are not recognized in the financial statements. However, contingent assets are assessed continually and if it is virtually certain that an economic benefit will arise, the asset and related income are recognized in the period in which the change occurred.

ई. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में:

D. In case of IDBI Intech Limited

एक प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है यदि पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कंपनी की कोई वर्तमान देयता बनती हो और जो तर्कसंगत रूप से अनुमानित हो तथा इस बात की संभावना हो कि रिपोर्टिंग तारीख तक उक्त दायित्व के निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। जहां विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता वहां आकस्मिक दायित्व के रूप में प्रकटीकरण किया जाता है। आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है किंतु इसे टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है। एक आकस्मिक दायित्व के लिए प्रकटीकरण तब किया जाता है जब एक संभावित दायित्व हो या एक ऐसा वर्तमान दायित्व हो जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो या संभवतः न भी हो। जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना कम होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

A provision is recognised if, as a result of past event, the company has a present legal obligation that is reasonably estimable and it is probable that an outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. Where no reliable estimate can be made, a disclosure is made as contingent liability. Contingent liabilities are not recognised but disclosed in the notes. A disclosure for a contingent liability is also made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. Where there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

उ. आईडीबीआई ट्रस्टशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में:

E. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

माप में अनुमानित पर्याप्त मात्रा वाले प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है किंतु इसे टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है। आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognised when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation. Contingent liabilities are not recognised, but are disclosed in the notes. Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements

ऊ. आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में:

F. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Co. Ltd

कंपनी उस स्थिति में प्रावधान सृजित करती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होती है और दायित्व की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। एक आकस्मिक दायित्व के लिए प्रकटीकरण तब किया जाता है जब एक संभावित दायित्व या एक वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी। जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

The Company creates a provision when there is a present obligation as a result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

प्रत्येक तुलन पत्र पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है। यदि यह संभावना नहीं हो कि दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, तो प्रावधान को उलट दिया जाता है।

Provisions are reviewed at each balance sheet and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that the outflow of resources would be required to settle the obligation, the provision is reversed.

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आकस्मिक आस्तियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और यदि यह निश्चित हो कि एक आर्थिक लाभ उत्पन्न होगा, तो आस्ति और संबंधित आय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिवर्तन हुआ था।

Contingent assets are not recognized in the financial statements. However, contingent assets are assessed continually and if it is virtually certain that an economic benefit will arise, the asset and related income are recognized in the period in which the change occurs.

20 लाभांश का लेखांकन / Accounting for Dividend

लेखांकन मानक (एएस) 4 “तुलनपत्र की तारीख के बाद होने वाली आकस्मिकताएं एवं घटनाएं” के अनुसार, कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2021 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में वर्णितानुसार बैंक प्रस्तावित लाभांश या तुलनपत्र की तारीख के बाद घोषित लाभांश को चालू वर्ष के तुलनपत्र में लाभ-हानि खाते से विनियोजन के जरिये देयता के रूप में नहीं दिखाता है। इसे लेखों पर टिप्पणियों में प्रकटित किया जाता है। इसे शेयरधारकों के अनुमोदन के बाद वास्तविक भुगतान के वर्ष में दिखाया जाता है। तथापि, बैंक पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिए पूंजी निधियों के निर्धारण में प्रस्तावित लाभांश को हिसाब में लेता है।

In terms of Accounting Standard (AS) 4 “Contingencies and Events occurring after the Balance sheet date” as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read together with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021, the Bank does not account for proposed dividend or Dividend declared after balance sheet date as a liability through appropriation from profit and loss account in current year balance sheet. This is disclosed in the notes to accounts. The same is recognized in the year of actual payout post approval of shareholders. However, the Bank reckons proposed dividend in determining capital funds in computing the capital adequacy ratio.

21 अमूर्त आस्तियां / Intangible assets

अ. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में:

A. In case of IDBI MF Trustee Company Limited :

अमूर्त आस्तियों को अधिग्रहण की लागत में संचित परिशोधन और अनर्जक हानियों को घटाने के बाद दिखाया जाता है। अमूर्त आस्ति को उस स्थिति में मान्यता दी जाती है, जहां यह संभावना हो कि आस्ति के कारण भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम को प्रवाहित होंगे और जहां इसकी लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। अमूर्त आस्तियों की परिशोधन योग्य राशि को उसके उपयोगी जीवनकाल के सर्वोत्तम अनुमान पर सीधी रेखा आधार पर आबंटित किया जाता है।

Intangible Assets are stated at cost of acquisition less accumulated amortization and impairment losses, an intangible asset is recognized, where it is probable that the future economic benefits attributable to the asset will flow to the enterprise and where its cost can be reliably measured. The amortizable amount of intangible assets is allocated over the best estimate of its useful life on a straight-line basis

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में:

B. In case of IDBI Capital Market & Securities Limited :

अधिग्रहीत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइसेंस शुरू में उस लागत पर पूंजीकृत किये जाते हैं, जिसमें खरीद मूल्य (किसी भी डिस्काउंट और लूट को घटाकर) तथा आस्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने की अन्य सीधी लागत शामिल होती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कार्यानिष्पान को इसके विनिर्देशों से बेहतर करने, जिसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय को सॉफ्टवेयर की मूल लागत में जोड़ा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रखने से जुड़ी लागतों को खर्च के रूप में तब दिखाया जाता है जब खर्च किया जाता है।

Acquired computer software licenses are initially capitalised at cost, which includes the purchase price (net of any discounts and rebates) and other directly attributable cost of preparing the asset for its intended use. Direct expenditure which enhances or extends the performance of computer software beyond its specifications and which can be reliably measured, is added to the original cost of the software. Costs associated with maintaining the computer software are recognised as an expense when incurred.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

पूँजीकरण के लिए पात्र सॉफ्टवेयर विकास पर व्यय को विकासाधीन अमूर्त आस्ति के रूप में दिखाया जाता है जहां ऐसी आस्तियां अभी तक उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं.

Expenditure on software development eligible for capitalisation are carried as Intangible assets under development where such assets are not yet ready for their intended use.

अमूर्त आस्तियों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है. परिशोधन के लिए प्रयुक्त अमूर्त आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार हैं:

Intangible assets are amortized on a straight line basis over their estimated useful lives. The estimated useful lives of intangible assets used for amortization are:

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर -3 वर्ष / Computer Software -3 years

वेब ट्रेडिंग पोर्टल - 3 वर्ष / Web Trading Portal - 3 years

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कार्ड - 21 वर्ष / Bombay Stock Exchange Card - 21 years

प्रबंधन उपयोग में मूल्य के आधार पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग राइट्स के आर्थिक मूल्य का अनुमान लगाता है.

Management estimates the economic value of Bombay Stock Exchange Trading Rights based on the value in use.

अधिग्रहण के वर्ष में 5000 रुपये से कम के व्यक्तिगत मूल्य वाली सभी अमूर्त आस्तियों और सक्रिय उपयोग से बाहर कर दी गई आस्तियों का पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.

All Intangible Assets having individual value of less than Rs.5000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.

इ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में:

C. In case of IDBI Intech Limited :

सॉफ्टवेयर जैसी अमूर्त आस्तियों, जिस पर कंपनी के पास मालिकाना अधिकार जारी रहता है, को लागत पर पूँजीकृत किया जाता है. अनुसंधान लागत व्यय के रूप में खर्च की जाती है. सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास लागतों को तब तक व्यय के रूप में खर्च किया जाता है जब तक कि परियोजना की तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित हों, कंपनी के पास सॉफ्टवेयर को पूरा करने और उपयोग करने या बेचने का इरादा और क्षमता हो और लागतों को विश्वसनीयता से मापा जा सकता हो. जिन लागतों को पूँजीकृत किया जा सकता है, उनमें सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष मानव-शक्ति और उपरि लागत शामिल हैं जो आस्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं.

The intangible assets like software's, on which propriety rights continue with the company, are capitalized at costs. Research costs are expensed as incurred. Software product development costs are expensed as incurred unless technical and commercial feasibility of the project is demonstrated, future economic benefits are probable, the Company has an intention and ability to complete and use or sell the software, and the costs can be measured reliably. The costs which can be capitalized include the cost of material, direct man-power and overhead costs that are directly attributable to preparing the asset for its intended use.

ई. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के मामले में :

D. In case of IDBI Trusteeship Services Limited :

लेखांकन मानक एएस-26 के अनुसार, अमूर्त आस्तियों को अधिग्रहण की लागत में संचित परिशोधन को घटाने के बाद दिखाया जाता है. अमूर्त आस्तियों का परिशोधन आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाता है.

In accordance with accounting standard AS-26, Intangible assets are stated at cost of acquisition less accumulated amortization. Amortization of Intangible assets is provided on written down value method on the basis of estimated useful life of the asset.

22 उधार लेने की लागत / Borrowing Costs

आ. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में:

A. In case of IDBI MF Trustee Company Limited :

उधार लागतों के बारे में लेखा मानक 16 में परिभाषित के रूप में अर्हक आस्ति के अधिग्रहण या निर्माण के कारण उधार लेने की लागत को आस्ति की लागत के हिस्से के रूप में उस तारीख तक पूँजीकृत किया जाता है जिस तारीख को आस्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है. अन्य उधार लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

Borrowing costs that are attributable to the acquisition or construction of qualifying assets, as defined in Accounting Standard 16 on Borrowing Costs, are capitalized as part of the cost of the asset up to the date when the asset is ready for its intended use. Other borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में:

B. In case of IDBI Intech Limited :

अर्हक आस्तियों के अधिग्रहण या निर्माण से संबंधित उधार की लागतों को ऐसी आस्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्हक आस्ति वह है जो अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है। अन्य सभी उधार लागतें राजस्व के रूप में चार्ज की जाती हैं।

Borrowing costs attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalised as part of the cost of such assets. A qualifying asset is one that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. All other borrowing costs are charged to revenue.

इ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में

C. In case of IDBI Asset Management Limited :

अर्हक आस्तियों के अधिग्रहण या निर्माण के लिए जिम्मेदार उधार लागत, जब ऐसी आस्तियां अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार होती है तब आस्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत की जाती है। अन्य सभी उधार लागतों का व्यय उस अवधि में किया जाता है, जिसमें वे होते हैं।

Borrowing costs attributable to the acquisition or construction of qualifying assets, till the time such assets are ready for intended use are capitalised as part of cost of Assets. All other borrowing cost are expensed in the period they occur.

ई. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में:

D. In case of IDBI Capital Markets and Securities Limited :

उधार लागत में ब्याज शामिल है। ब्याज व्यय बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू ब्याज दर द्वारा समय के आधार पर उपचित होते हैं। ब्याज को सुसंगत अवधि में व्यय के रूप में परिशोधित किया जाता है।

Borrowing cost includes interest. Interest expenses are accrued on a time basis, by a reference to the principal outstanding and at the interest rate applicable. The interest is amortised as an expense over the relevant period.

23 नकद और नकदी समतुल्य / Cash & Cash equivalents

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में:

A. In case of IDBI bank Limited :

नकद और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, आरबीआई के पास शेष, अन्य बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल हैं।

Cash and cash equivalents include cash in hand, balances with RBI, balances with other banks and money at call and short notice.

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में :

B. In case of IDBI Intech Limited:

कंपनी सभी अत्यधिक तरल वित्तीय लिखतों पर विचार करती है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में तत्काल परिवर्तनीय है, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम और समापन तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्व होने वाली जमाराशि जिसे नकदी समतुल्य माना जाता है, के अधीन है। नकद और नकदी समतुल्यों में बैंकों में शेष राशि शामिल है, जो आहरण और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है।

The company considers all highly liquid financial instruments, which are readily convertible in to known amounts of cash that are subject to an insignificant risk of change in value and the deposits maturing within Twelve Months from the closing date are considered to be Cash equivalents. Cash and Cash equivalents consists of balances with banks, which are unrestricted for withdrawal and usage.

इ. आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कं. लि. के मामले में:

C. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Co. Ltd:

नकद में हाथ में नकदी और बैंकों में मांग जमाराशियां शामिल है। नकदी समतुल्य अल्पावधि शेष (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल जमाराशियां जो तत्काल नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तित हो जाती हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन होती हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

Cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short term balances (with an Original Maturity of Three months or less from the date of acquisition), Highly liquid deposits that are readily converted in to known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

ई. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में:

D. In case of IDBI Asset Management Ltd:

नकद और नकदी समतुल्य में नकद और बैंकों में चालू खाता शेष शामिल है. कंपनी तीन महीने या उससे कम की खरीद की तारीख पर शेष परिपक्वता वाले सभी अत्यधिक तरल निवेशों पर विचार करती है और जो नकदी समतुल्य होने के लिए तत्काल नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तित हो जाते हैं.

Cash and Cash equivalents comprises of cash and current account balances with banks. The company considers all highly liquid investments with a remaining maturity at the date of purchase of Three months or less and that are readily converted in to known amounts of cash to be cash equivalents

24 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व / Corporate Social Responsibility

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए किये गये व्यय को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है.

Expenditure towards corporate social responsibility, in accordance with Companies Act, 2013, is recognised in the Profit and Loss Account.

25 दुर्वह संविदा / Onerous contracts

दुर्वह संविदाओं के प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब संविदा से बैंक को प्राप्त होने वाले अपेक्षित लाभ संविदा के तहत भविष्य के दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं. प्रावधान की गणना में संविदा समाप्त करने की अपेक्षित लागत और संविदा को जारी रखने की अपेक्षित निवल लागत में से कमतर पर की जाती है. किसी प्रावधान को निश्चित करने से पहले, बैंक उस संविदा से जुड़ी आस्ति पर किसी अनर्जक हानि का निर्धारण कर लेता है.

Provisions for onerous contracts are recognised when the expected benefits to be derived by the Bank from a contract are lower than the unavoidable costs of meeting the future obligations under the contract. The provision is measured at the present value of the lower of the expected cost of terminating the contract and the expected net cost of continuing with the contract. Before a provision is established, the Bank recognises any impairment loss on the assets associated with that contract.

26 नकदी प्रवाह विवरण: Cash Flow Statement:

अ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड के मामले में:

A. In case of IDBI Capital Market & Securities Limited:

नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह विवरण से संबंधित लेखांकन मानक 3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि द्वारा तैयार किया जाता है और यह कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों द्वारा नकदी प्रवाह को प्रस्तुत करता है.

The Cash Flow Statement is prepared by the indirect method set out in Accounting Standard 3 on Cash Flow Statements and presents the cash flows by operating, investing and financing activities of the Company.

नकदी प्रवाह विवरण में दर्शाये गए नकद और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी और बैंकों में मांग जमाशियां शामिल हैं.

Cash and Cash equivalents presented in the Cash Flow Statement consist of cash on hand and demand deposits with banks.

आ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के मामले में :

B. In case of IDBI Trusteeship Services Limited:

नकदी प्रवाह विवरण (एएस-3) पर लेखांकन मानक में वर्णित "अप्रत्यक्ष पद्धति" के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण तैयार किए जाते हैं. कंपनी के नियमित राजस्व सृजन, वित्तपोषण और निवेश कार्यक्रमों से नकदी प्रवाह अलग-अलग होते हैं.

Cash flow statements are prepared in accordance with "Indirect method" as explained in accounting standard on Cash flow statement (AS-3). The cash flows from regular revenue generating, financing and investing activities of the company are segregated.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

इ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में:

C. In case of IDBI Asset Management Ltd:

अप्रत्यक्ष विधि के प्रयोग द्वारा नकदी प्रवाह दर्ज किए जाते हैं, जिससे गैर नकदी प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव, नकदी प्राप्ति या भुगतान के भूत या भविष्य में परिचालित किसी आस्थगन या उपचय और निवेश या वित्तीय नकद प्रवाहों से जुड़े आय या व्ययों के मद के लिए कर पूर्व निवल कुल लाभ समायोजित किया जाता है। कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह को पृथक किया जाता है।

Cash Flows are reported using indirect method whereby net profits before tax is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments and item of income or expenses associated with investing or financing cash flows. The cash flows from operating, investing and financing activities of the company are segregated.

ई. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड के मामले में:

D. In case of IDBI MF Trustee Company Limited:

अप्रत्यक्ष विधि के प्रयोग द्वारा नकदी प्रवाह दर्ज किया जाता है, जिससे गैर नकदी प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव और नकदी प्राप्ति या भुगतान के भूत या भविष्य के किसी आस्थगन या उपचय के लिए असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि) को समायोजित किया जाता है। कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit/ (loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 18 - समेकित लेखा टिप्पणियां

SCHEDULE 18 - NOTES TO CONSOLIDATED ACCOUNTS

1. अवधि के लिए निवल लाभ अथवा हानि, पूर्वावधि मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)

NET PROFIT OR LOSS FOR THE PERIOD, PRIOR PERIOD ITEMS AND CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES (AS-5)

- 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/ व्यय मदें नहीं थी।
There were no material prior period income/ expenditure items for the year ended March 31, 2023 and March 31, 2022.
- पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
There is no change in significant accounting policies adopted during the year ended March 31, 2023 as compared to those followed in the previous financial year.

2. अचल आस्तियां (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एएस-10)

FIXED ASSETS (PROPERTY, PLANT & EQUIPMENTS AS-10)

- (i) पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने बड़ाकृत नकदी प्रवाह, लागत दृष्टिकोण पद्धति, तुलनीय बिक्री पद्धति जैसी पद्धतियों का उपयोग करते हुए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया था जिसमें पट्टाधृत/ पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और आवासीय/ कार्यालय भवन शामिल हैं। पुनर्मूल्यांकन के कारण संपत्तियों के मूल्य में ₹ 2409 करोड़ की वृद्धि को सीधे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया गया था। इसी प्रकार, पुनर्मूल्यांकन के कारण कुछ संपत्तियों के मूल्य में ₹ 73 करोड़ की कमी को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया था। पुनर्मूल्यांकन से पहले वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों की डब्ल्यूडीवी लागत ₹ 6602 करोड़ थी।
During the previous FY 2021-22, the Bank had re-valued its Premises including leasehold / Freehold Lands & Residential/ Office buildings based on valuations made by independent valuers, using methodologies such as discounted cash flow, cost approach method, comparable sales method. An increase of ₹ 2,409 crore in carrying value of properties, arising on account of revaluation was credited directly to the Revaluation reserve. Similarly, a decrease of ₹ 73 crore in the carrying value of some properties, arising on account of revaluation was charged to profit and loss account. The WDV cost of fixed assets revalued during FY 2021-22 was ₹ 6,602 crore before revaluation.
- (ii) 31 मार्च 2023 को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में शेष राशि ₹ 8,201 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8,468 करोड़) है।
The balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2023 is ₹ 8,201 crore (Previous year ₹ 8,468 crore).
- (iii) वर्ष के दौरान आवासीय /कार्यालय भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री के कारण ₹ 2 करोड़ (पिछले वर्ष: निवल लाभ ₹ 0.61 करोड़) की निवल हानि हुई जिसे अनुसूची 14 - अन्य आय में शामिल किया गया है।
Net loss amounting to ₹ 2 crore (Previous year: Net profit ₹ 0.61 crore) on account of sale of residential/office buildings and other assets during the year is included in Schedule 14 - Other Income.
- (iv) लाभांश के वितरण के लिए पुनर्मूल्यांकन रिजर्व उपलब्ध नहीं है।
Revaluation reserve is not available for distribution of dividends

3. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित) / EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (REVISED)

अ. कर्मचारी लाभ योजना

A. Employee Benefit Schemes

I. निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं / Defined Contribution Schemes

वित्तीय वर्ष 22-23 के लाभ-हानि खाते में भविष्य निधि अंशदान के लिए चिन्हित और शामिल राशि

The amount recognized and included for Contribution to Provident Fund in Profit and Loss Account in FY 22-23

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

संस्था Entity	(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)	
	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22 FY 2021-22
आईडीबीआई बैंक लि / IDBI Bank Ltd	7	15
एजीस फेडरल लाइफ इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड Ageas Federal Life Insurance Company Ltd.	-	1 @
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड / IDBI Asset Management Limited	0.38	0.48
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सेक्युरिटीज लिमिटेड IDBI Capital Market & Securities Limited	1	1
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि / IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.27	0.23
आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड / IDBI Intech Limited	5 @@	5 @@

@ - इसमें सांविधिक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, ग्रुप टर्म बीमा और कर्मचारी श्रम कल्याण निधि शामिल है।

@ - This includes Statutory Provident Fund, Employee State Insurance, Group Term Insurance and Employee Labour Welfare Fund.

@@ - इसमें पीएमआरपीवाई का लाभ शामिल है।

@@ - This includes benefit of PMRPY.

क) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में :

a) In case of IDBI Bank Limited :

31 मार्च 2008 से पूर्व बैंक में सेवा ग्रहण करने वाले कर्मचारियों, पेंशन का विकल्प चुनने वाले को छोड़कर, को भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है। बैंक मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भविष्य निधि योजना में निर्दिष्ट अंशदान करता है। भविष्य निधि योजना का प्रबंधन 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि न्यास (न्यास) के ट्रस्टी बोर्ड' द्वारा किया जाता है। आईडीबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) और आईडीबीआई गिल्ट्स लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संदर्भ में मई 2011 तक भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किए गए और इसके बाद अंशदान ऊपर उल्लिखित निधि में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 7 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 15 करोड़) पीएफएस में अंशदान किया गया है और लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is managed by "The Board of Trustees of IDBI Bank Employees' Provident Fund Trust (Trust)". In respect of employees of IDBI Home Finance Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund. During the FY 2022-23 ₹ 7 crore (Previous FY 2021-22 ₹ 15 crore) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

1 अप्रैल 2008 के बाद बैंक में नियुक्त कर्मचारियों को आईडीबीआई बैंक लि. की नयी पेंशन योजना (आईबीएलएनपीएस) के अंतर्गत कवर किया गया है जिसमें बैंक वेतन और महंगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप में अंशदान करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आईबीएलएनपीएस में ₹ 177 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 174 करोड़) का अंशदान किया गया है और लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by IDBI Bank Ltd. New Pension Scheme (IBLNPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the FY 2022-23, ₹ 177 crore (Previous FY 2021-22 ₹ 174 crore) has been contributed to IBLNPS and charged to Profit and Loss Account.

ख) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के मामले में:

b) In case of IDBI Trusteeship Services Ltd :

स्थानीय विनियमों के अनुसार कंपनी सार्वजनिक रूप से प्रशासित भविष्य निधि में भविष्य निधि अंशदान का भुगतान करती है। एक बार अंशदान का भुगतान कर दिए जाने के बाद कंपनी का कोई भुगतान दायित्व नहीं है। अंशदानों को परिभाषित अंशदान योजनाओं के रूप में माना जाता है और अंशदानों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब वे खर्च किए जाते हैं। प्रोपेड अंशदान को उस सीमा तक आस्ति के रूप में पहचाना जाता है, जहां तक नकद वापसी या भविष्य के भुगतानों में कमी उपलब्ध है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 0.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.23 करोड़) भविष्य निधि में अंशदान के लिए व्यय की पहचान की है।

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

The Company pays provident fund contributions to publicly administered provident funds as per local regulations. The Company has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are accounted for as defined contribution plans and the contributions are recognized as employee benefit expenses when they are incurred. Prepaid contributions are recognized as an asset to the extent that a cash refund or a reduction in the future payments is available. During the year, the company has recognized expense towards contributions to provident fund for ₹ 0.27 Crore (Previous year ₹ 0.23 Crore).

ग) आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में :

c) In case of IDBI Intech Limited :

कर्मचारी और कंपनी दोनों ही वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर राशि भविष्य निधि योजना में मासिक आधार पर अंशदान करते हैं। कंपनी के उन कर्मचारियों के मामले में जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ़ओ) के पास पंजीकृत हैं और जिनके पास यूनिवर्सल खाता संख्या (यूपएन) है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरपीवाई) के दिशानिर्देशों के अधीन नए कर्मचारियों के संबंध में भारत सरकार ने ईपीएफ़ और ईपीएस दोनों में पूर्ण नियोक्ता अंशदान का भुगतान किया है। शेष कर्मचारियों के लिए और सभी कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण अंशदान सरकार द्वारा अभिशासित कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि में किया जाता है। लाभार्थियों को प्रति वर्ष देय ब्याज के बारे में सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने भविष्य निधि में अंशदान के लिए ₹ 5 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5 करोड़) का किया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने पीएमआरपीवाई के प्रति ₹ शून्य (₹ 0.02 करोड़) का लाभ प्राप्त किया।

Both the employees and the Company make monthly contributions to the Provident Fund Plan equal to a specified percentage of the covered employee's salary. In case of Company's employees enrolled with the Employees Provident Fund Organization (EPFO) having Universal Account Number (UAN), the Government of India has paid the full employer's contribution to both EPF and EPS in respect of new employees under the guidelines of Pradhan Mantri Rojgar Yojana (PMRPY). For the remaining employees and the entire contribution in respect of all employees is contributed to the Government administered Employee Provident and Pension Fund. The interest rate payable to the beneficiaries every year is being notified by the Government. During the year, the company has recognized expense towards contributions to provident fund for ₹ 5 Crore (Previous year ₹ 5 Crore). During the year, the Company has availed the benefit of PMRPY for ₹ NIL Crore (Previous year ₹ 0.02 Crore).

घ) आईडीबीआई कैपिटल मार्केट और सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में:

d) In case of IDBI Capital Market & Securities Limited :

कंपनी ने भारत में भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति निधि के रूप में रोजगार के बाद के लाभों के लिए अंशदान योजनाओं को परिभाषित किया है जो भारत सरकार और/या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित हैं। अंशदान उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है जब संबंधित निधियों में अंशदान देय होता है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 1 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1 करोड़) भविष्य निधि में अंशदान के लिए व्यय को मान्यता दी है।

The Company has defined contribution plans for post-employment benefits in the form of provident fund and superannuation fund in India which are administered through Government of India and/or Life Insurance Corporation of India (LIC). Contributions are charged to the Profit & Loss Account of the year when the contributions to the respective funds are due. During the year, the company has recognized expense towards contributions to provident fund for ₹ 1 Crore (Previous year ₹ 1 Crore).

ड. एजीस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में :

e) In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited :

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य (पिछले वर्ष ₹ 1 करोड़) की मान्यता प्राप्त राशि में सांविधिक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, सामूहिक सावधि बीमा एवं कर्मचारी श्रम कल्याण कोष के लिए योगदान शामिल है। जिसे लाभ-हानि खाते में प्रभाषित किया गया है।

The amount recognized of NIL for the year ended March 31, 2023 (Previous year ₹ 1 Crore) includes contribution towards Statutory Provident Fund, Employee State Insurance, Group Term Insurance & Employee Labour Welfare Fund in the Profit and Loss Account.

छ) आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में :

f) In case of IDBI Asset Management Limited :

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 0.38 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.48 करोड़) भविष्य निधि में योगदान के लिए व्यय को मान्यता दी है।

During the year, the company has recognized expense towards contributions to provident fund for ₹ 0.38 Crore (Previous year ₹ 0.48 Crore).

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

II. निर्दिष्ट लाभ योजनाएं / Defined Benefit Schemes

क) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में :

a) In case of IDBI Bank Limited :

- (i) बैंक 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट' में कर्मचारियों के ग्रेच्युटी दायित्व के लिए अंशदान करता है।
The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.
- (ii) बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं जो 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा संचालित है।
Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.
- (iii) इन निर्दिष्ट लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागतों की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट जमा पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है।
The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

ख) आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. के मामले में :

b) In case of IDBI Capital Market & Securities Limited :

कंपनी की एक निर्दिष्ट लाभ ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उसे सेवा-मुक्त होते समय सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (अंतिम आहरित वेतन) की ग्रेच्युटी मिलती है जो कि अधिकतम ₹ 0.20 करोड़ के अधीन है।
The Company has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has completed five years or more of service gets a gratuity on departure at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service subject to a maximum of ₹ 0.20 Crore.

ग) आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में :

c) In case of IDBI Asset Management Limited :

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार भुगतान के लिए ग्रेच्युटी का प्रावधान किया है जो सभी कर्मचारियों को कवर करने वाली एक निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति लाभ योजना है। इसमें संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में उसके नियोजन के वर्षों के आधार पर उसे सेवानिवृत्ति या सेवा समापन पर एकमुश्त राशि दी जाती है।

In accordance with Payment of Gratuity Act, 1972, the Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering all employees. The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirement or termination of employment based on the respective employee's salary and the years of employment with the Company.

ग्रेच्युटी लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियंत्रित तथा प्रबंधित ग्रेच्युटी निधि के जरिए प्रदान किया जाता है। ग्रेच्युटी निधि में वार्षिक अंशदान तथा प्रावधान बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

The gratuity benefit is provided through a Gratuity Fund administrated and managed by the Life Insurance Corporation of India. The annual contributions to the gratuity fund and provision is made on the basis of actuarial valuation.

घ) आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में :

d) In case of IDBI Intech Limited :

कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा प्रशासित कर्मचारी समूह उपदान बीमा योजना में वार्षिक अंशदान करती है जो अर्हताप्राप्त कर्मचारियों के लिए एक निधिक निर्धारित लाभ योजना है। यह योजना पूरे किए गए वर्ष के आधार पर या उसके भाग के रूप में छह माह से अधिक होने पर संबंधित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, रोजगार के दौरान मृत्यु या सेवा की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान करती है। निहित योजना पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी होने पर लागू होती है।

The company makes annual contribution to the Employee's Group Gratuity Assurance Scheme, administered by the Life Insurance Corporation of India (LIC), a funded defined benefit plan for qualifying employees. The scheme provides for lump sum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment based on completed years of service or part thereof in excess of six months. Vesting occurs on completion of five years of continuous service.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

ड) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में :
e) In case of IDBI Trusteeship Services Limited :

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या आस्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना की आस्ति का उचित मूल्य घटाया गया है। अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमाकियों द्वारा परिभाषित लाभ दायित्व की गणना वार्षिक रूप से की जाती है।

The liability or asset recognised in the balance sheet in respect of defined benefit gratuity plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of the plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by actuaries using projected unit credit method.

भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह को घटाकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों का अनुमान लगाया जाता है।

The present value of the defined benefit obligation denominated in INR is determined by discounting the estimated future cash outflows by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds that have terms approximating to the terms of the related obligation.

निवल ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ बाध्यता के निवल शेष तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य पर बट्टा दर लागू करके की जाती है। यह लागत लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल है।

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expenses in the statement of profit and loss.

योजना में संशोधन या कटौती के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन लाभ या हानि में पिछली सेवा लागत के रूप में तुरंत पहचाने जाते हैं।

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognized immediately in profit or loss as past service cost.

ड) एजिस फेडरल लाइफ इन्शुरेंस कंपनी लि. के मामले में :
f) In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited :

कंपनी ने एक ग्रेच्युटी ट्रस्ट स्थापित किया है। कंपनी एजिस फेडरल लाइफ इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड ग्रेच्युटी फंड (जिसे पहले आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड ग्रेच्युटी फंड के नाम से जाना जाता था) के ट्रस्ट द्वारा प्रशासित ग्रेच्युटी निधि में अंशदान करती है। ग्रेच्युटी योजना में पात्र कर्मचारियों को संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में रोजगार के वर्ष के आधार पर सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान है।

The company has incorporated a gratuity trust. The Company makes contribution to a Gratuity Fund administered by trustee of Ageas Federal Life Insurance Company Limited Gratuity Fund (formerly known as IDBI Federal Life Insurance Company Limited Gratuity Fund). The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirements or termination of employment based on the respective employee's salary and the year of employment with the Company.

6 महीने या उससे अधिक की नियमित सेवा प्रदान करने वाले पात्र कर्मचारियों को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार सेवा छोड़ने पर सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए @ 15 दिन के मूल वेतन की दर से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है।

The Gratuity is payable on separation as per the provisions of Payment of Gratuity Act, 1972 @ 15 days basic pay for each completed years of service to eligible employees who have rendered continuous service of 6 months or more.

कर्मचारियों को उपदान लाभ न्यास द्वारा प्रबंधित एक बीमा नीति और निवेश के माध्यम से प्रदान किया जाता है। बीमा पॉलिसी कंपनी द्वारा जारी की जाती है तथा ऐसी पॉलिसी के लिए कंपनी द्वारा प्रदत्त प्रीमियम को व्यय माना गया है। इससे संबंधित देयता (निधिक भाग) जीवन निधि का भाग और तदनुसूची निवेश पॉलिसीधारक का भाग होती है।

Gratuity benefits to employees are provided for through an insurance policy and investments managed by the Trust. The insurance policy is issued by the Company and the premium paid by the Company in respect of such policy has been accounted as an expense. The liability in respect thereof (funded portion) forms part of life fund and corresponding investment as part of policy holder's investments.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

- आ. निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और 31 मार्च 2023 को समूह के वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों की स्थिति प्रस्तुत करती है जो लेखा मानक - 15 (संशोधित) के अनुसार है।
- B. The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognized in the Group's financial statements as at March 31, 2023 which is as per AS-15 (Revised).

विवरण Particulars	पेंशन यथा Pension As at		ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at	
	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)				
क) लाभ दायित्वों में परिवर्तन: a) Change in benefit obligations:				
वर्ष के प्रारम्भ में अनुमानित लाभ दायित्व # Projected benefit obligation beginning of the year #	3,619	970	3,190	952
ब्याज लागत / Interest cost	268	71	222	66
चालू सेवा लागत / Current Service cost	45	36	36	41
सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान हुई पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)## Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit ##	-	-	333	-
प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(215)	(89)	(222)	(67)
जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (gain)/ loss due to change in Demographic assumptions	-	(0.03)	(3)	(2)
वित्तीय अवधारणाओं में बदलाव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	(95)	(19)	(182)	(39)
अनुभव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	171	16	245	23
वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ / दायित्व Projected benefit/obligation, end of the year	3,793	985	3,619	973
ख) योजना आस्तियों में परिवर्तन : b) Change in plan assets:				
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य # Fair value of plan assets, beginning of the year #	3,821	1,035	3,092	1,017

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	पेंशन यथा Pension As at	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at	पेंशन यथा Pension As at	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at
	31 मार्च 2023 March 31, 2023		31 मार्च 2022 March 31, 2022	
योजना आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on plan assets	283	75	216	70
नियोक्ता का अंशदान * Employer's contributions*	54	55	581	4
प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(215)	(89)	(222)	(67)
बीमांकिक लाभ / (हानि) / Actuarial gain / (loss)	(43)	3	154	13
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	3,900	1,079	3,821	1,038
ग) दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान c) Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets				
वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	3,793	985	3,619	973
योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets	3,900	1,079	3,821	1,038
अधिशेष / (कमी) / Surplus/(Deficit)	107	94	201	64
घ) लाभ और हानि खाते में डाले गए व्यय d) Expenses Recognised in Profit & Loss Account				
सेवा लागत / Service cost	45	36	36	41
ब्याज लागत / Interest cost	268	71	222	66
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	(283)	(75)	(216)	(70)
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि Net Actuarial (gain)/ loss	119	(6)	(95)	(31)
सीमा में वृद्धि के कारण अवधि के दौरान स्वीकार की गई पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	-	-	333	-
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की वास्तविक लागत Actual cost to P & L for the year	148	26	281	5

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	पेंशन यथा Pension As at	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at	पेंशन यथा Pension As at	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at
	31 मार्च 2023 March 31, 2023		31 मार्च 2022 March 31, 2022	
ड) आस्तियों की श्रेणी e) Category of Assets				
सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	401	-	292	0.21
कॉरपोरेट बॉण्ड / Corporate Bonds	1,182	-	1,053	-
विशेष जमा योजना / Special Deposits Scheme	-	-	24	3
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां Insurer Managed Funds	2,229	1,079	2,220	1,034
नकद और नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents	11	-	16	-
अन्य / Others	78	-	214	-
कुल / Total	3,900	1,079	3,821	1,037
च) अगले वर्ष में अपेक्षित अंशदान f) Expected contribution in next year	-	1	-	-
छ) लेखांकन में प्रयुक्त मान्यताएँ: g) Assumptions used in accounting:				
बट्टा दर / Discount rate	7.52%	From 7.20 % to 7.51%	7.29%	From 5.40 % to 7.38%
योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर Rate of return on plan assets	7.52%	From 7.20 % to 7.51%	7.29%	From 5.00% to 7.38%
वेतन बढ़ोतरी दर Salary escalation rate	5.75%	From 5% to 10%	5.75%	From 5 % to 10%

एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से संबंधित राशि की सीमा तक समायोजन किया है, जिसका निस्तारण 21 सितंबर, 2022 को किया गया है।

Adjustment is made to the extent of amount pertaining to Ageas Federal Life Insurance Company Limited, which is disposed on September 21, 2022.

* वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ग्रेच्युटी में नियोजता के अंशदान में ₹53 करोड़ शामिल हैं जिनके लिए प्रावधान वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया गया था।

* The employer's contribution for Gratuity for FY2022-23 includes ₹ 53 crore for which provision was made in FY2020-21.

28 दिसंबर 2021 को संपन्न अपनी बैठक में बैंक के बोर्ड द्वारा मंजूर अनुमोदन के अनुसार बैंक ने 11 नवम्बर 2020 के संयुक्त नोट के अनुसार कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन में संशोधन के कारण ₹333 करोड़ की अतिरिक्त देयता का अनुमान लगाया था। रिजर्व बैंक ने 4 अक्टूबर 2021 के परिपत्र संदर्भ आरबीआई/2021-22/105 डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/ 21.04.018/ 2021-22 के अनुसार उपर्युक्त अतिरिक्त देयता को 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष से आरंभ करते हुए 5 (पांच) वर्ष से अनधिक अवधि में परिशोधित करने की बैंक को अनुमति प्रदान की है जो प्रति वर्ष कुल राशि के न्यूनतम 1/5 हिस्से को खर्च दिखने के अधीन है। हालांकि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संपूर्ण अतिरिक्त देयता को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया है और 31 मार्च 2022 को परिवार पेंशन योजना के कारण तुलनपत्र में कोई अपरिशोधित खर्च नहीं है।

In terms of approval granted by Bank's Board vide its meeting dated December 28, 2021, the Bank had estimated additional liability on account of revision in family pension for employees as per Joint Note dated November 11, 2020 at ₹ 333 crore. RBI vide their circular reference RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 04, 2021, has permitted Banks to amortize the said additional liability over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year ending March 31, 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. However, during FY 2021-22 the Bank has provided entire additional liability in profit and loss account and there is no unamortised expenditure in the Balance Sheet on account of Family Pension Scheme as on March 31, 2022.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

विवरण Particulars	पेंशन यथा 31 मार्च 2023 Pension As at March 31, 2023	ग्रेच्युटी यथा 31 मार्च 2023 Gratuity As at March 31, 2023	पेंशन यथा 31 मार्च 2022 Pension As at March 31, 2022	ग्रेच्युटी यथा 31 मार्च 2022 Gratuity As at March 31, 2022
नौकरी छोड़ने की दर Attrition Rate	4 वर्ष और इससे कम सेवा के लिए 3.60% तथा उसके बाद 2.49% 3.60% p.a. for 4 years and below service and 2.49% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा उसके बाद 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा उसके बाद 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा उसके बाद 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter
मृत्यु दर Mortality Rate	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban).	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)

बीमाकिक मूल्यांकन में भावी वेतन आय वृद्धि के आकलन पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

The estimates of future salary income increases considered in the actuarial valuation takes into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors.

सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त प्रतिफल वक्र के आधार पर योजना आस्तियों को बाजार मूल्य पर चिन्हित किया जाता है। इसलिए प्रतिलाभ की अपेक्षित दर को छूट दर के समान रखा गया है।

The Plan assets are marked to market on the basis of the yield curve derived from government securities. Hence, the expected rate of return has been kept the same as the discount rate.

अनुभव समायोजन / Experience Adjustments

i. उपदान योजना / Gratuity Plan

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
निर्दिष्ट लाभ दायित्व Defined benefit obligation	985	973	952	946	800
योजना आस्तियां / Plan assets	1,079	1,038	1,017	893	721
अधिशेष/(घाटा) / Surplus/(deficit)	94	64	65	(53)	(79)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments On plan liabilities [Gain / (Loss)]	(16)	(23)	(14)	(55)	(44)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments On plan assets [Gain / (Loss)]	3	13	(0.18)	4	(0.15)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

ii. पेंशन योजना / Pension Plan

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
निर्दिष्ट लाभ दायित्व Defined benefit obligation	3,793	3,619	3,190	2,993	2,343
योजना आस्तियां / Plan assets	3,900	3,821	3,092	2,698	2,436
अधिशेष/(घाटा) / Surplus/(deficit)	107	201	(98)	(295)	93
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments On plan liabilities [Gain / (Loss)]	171	(245)	15	(351)	(180)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments On plan assets [Gain / (Loss)]	(43)	154	41	14	57

इ. अन्य दीर्घावधि लाभ

C. Other Long Term benefits

1. छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2022
कुल बीमांकिक देयता / Total Actuarial Liability	749	707
धारणाएं / Assumptions		
छूट की दर / Discount Rate	7.20% से 7.51% तक From 7.20% to 7.51%	5.40% से 7.38% तक From 5.40% to 7.38%
वेतन वृद्धि दर / Salary Escalation Rate	5% से 10% तक. From 5% to 10%	5% से 10% तक From 5% to 10%

2. स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना / Voluntary Health Scheme

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2022
कुल बीमांकिक देयता / Total Actuarial Liability	60	60
धारणाएं / Assumptions		
छूट की दर / Discount Rate	7.52%	7.41%

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

3. बैंक के कर्मचारी विकलांगता सहायता के लिए पात्र हैं जो कि विकलांगता की घटना होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है।
Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

4. ग्रेच्युटी के लिए अतिरिक्त प्रावधान
Additional Provision towards Gratuity

संशोधित वेतनमान के कार्यान्वयन के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त देयता को पूरा करने के लिए ग्रेच्युटी हेतु एक अतिरिक्त प्रावधान निम्नानुसार किया गया है:

An additional provision towards gratuity has been made to meet the additional liability which may arise in effect of implementation of revised pay scale as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)		
विवरण Particulars	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष * Year ended March 31, 2023*	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष ** Year ended March 31, 2022**
ग्रेच्युटी / Gratuity	48	48
पेंशन / Pension	190	-
छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment	112	-
कुल / Total	350	48

*नवंबर 2022- अक्टूबर 2027 की अवधि के लिए संशोधित वेतनमान के लिए
* For revised pay scale for the Period November 2022- October 2027

** नवंबर 2017- अक्टूबर 2022 की अवधि के लिए संशोधित वेतनमान के लिए
** For revised pay scale for the Period NOVEMBER 2017- OCTOBER 2022

उपर्युक्त तालिका में ग्रेच्युटी की परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत दिए गए विवरण उपर्युक्त प्रावधानों को प्रभावित नहीं करते हैं।
Details given under Defined benefit scheme of gratuity in table above do not have effect of the above provision.

4. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17) / SEGMENT REPORTING (AS-17)

बैंक मुख्यतः निम्नलिखित तीन कारोबारी खंडों में परिचालन करता है:

The Bank primarily operates in three business segments as under:

i) ट्रेजरी / Treasury	ट्रेजरी परिचालन में सभी निवेश, मुद्रा बाजार परिचालन, डेरिवेटिव सौदे, प्रोपराइटी खाते में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं। Treasury operations include all investments, money market operations, derivative trading, and foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
ii) खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में व्यापक रूप से ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से वैयक्तिक और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार सहित लघु कारोबार पर केंद्रित हैं। खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रेवल/ करेंसी कार्ड, अन्य पक्ष वितरण और लेनदेन बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं। Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet Banking, mobile Banking, credit cards, debit cards, travel/currency cards, third party distribution and transaction Banking services.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii)	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अलावा जमा एवं ऋण कार्यकलाप सहित कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं। इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी/ समूहन सेवाएं, परियोजना मूल्यांकन भी शामिल है। परिणाम, राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों संबंधी नियोजित पूंजी कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग खंड में शामिल की जाती हैं। Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal. Results, revenue and capital employed of international operations are included in Corporate/Wholesale Banking segment.
iv)	अविनिधानित / Unallocated	इसमें प्रावधान को घटाकर अग्रिम प्रदत्त कर, आस्थगित कर और इकाई स्तर पर गणना किये गए प्रावधानों जैसी मदें शामिल हैं। Includes items such as tax paid in advance net of provision, deferred tax and provisions to the extent reckoned at the entity level.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित खंड सूचना Consolidated Segment Information for the year ended March 31, 2023

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
क.	खंड राजस्व		
a.	Segment Revenue		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	6,138	6,448
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	25,092	20,795
	ट्रेजरी / Treasury	9,606	13,090
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	452	443
	अविनिधानित / Unallocated	300	353
	कुल / Total	41,588	41,128
	घटाएं :- अंतर-खंड राजस्व / Less :- Inter-segment revenue	16,421	17,893
	निवल खंड राजस्व / Net Segment Revenue	25,167	23,235
ख.	खंड परिणाम - कर पूर्व लाभ/ (हानि)		
b.	Segment Results -Profit/(loss) before tax		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	3,439	1,870
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	979	827
	ट्रेजरी / Treasury	422	500
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	184	186
	अविनिधानित / Unallocated	300	353
	कर पूर्व लाभ/ (हानि) / Profit/(Loss) before tax	5,324	3,736
	आय कर / Income taxes	1,618	1,203
	निवल लाभ/ (हानि) / Net profit/(Loss)	3,706	2,533
ग.	खंड आस्तियां		
c.	Segment assets		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	46,142	36,227
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	1,29,710	1,10,576
	ट्रेजरी / Treasury	1,40,884	1,38,038
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	679	896
	अविनिधानित आस्तियां / Unallocated assets	14,083	16,803
	कुल आस्तियां / Total assets	3,31,498	3,02,540

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित खंड सूचना

Consolidated Segment Information for the year ended March 31, 2023

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
घ. d.	खंड देयताएं Segment liabilities		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	19,184	10,382
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	2,50,402	2,32,939
	ट्रेजरी / Treasury	15,403	16,306
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	190	341
	अविनिधानीत देयताएं / Unallocated liabilities	-	-
	कुल देयताएं / Total liabilities	2,85,179	2,59,968
ड. e.	पूंजी नियोजन (खंड आस्ति- खंड देयताएं) Capital employed (Segment assets-Segment liabilities)		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	26,958	25,845
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	(1,20,692)	(1,22,364)
	ट्रेजरी / Treasury	1,25,481	1,21,732
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	489	556
	अविनिधानित / Unallocated	14,083	16,803
	कुल / TOTAL	46,319	42,572

- भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार और लागू लेखा मानक (एएस) - 17, 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुपालन में, रिपोर्ट करने योग्य खंडों को ट्रेजरी, कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और अन्य बैंकिंग कार्यों के रूप में पहचाना जाता है। संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और संबंधित आय/ व्यय को ट्रेजरी खंड के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।

As per extant RBI guidelines and in compliance with the applicable Accounting Standard (AS) – 17, 'Segment Reporting', reportable segments are identified as Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and other banking operations. Entire investments portfolio and corresponding income/expenses have been regrouped under the Treasury Segment.
- योजनाओं और सेवाओं के स्वरूप और जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठन संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद इन खंडों की पहचान उक्त लेखा मानक (एएस) के अनुरूप की गई है।

These segments have been identified in line with the said Accounting Standard (AS) after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.
- 'खंड परिणाम' निर्धारित करने में, बैंक द्वारा अपनाई गई निधि अंतरण मूल्य तंत्र का इस्तेमाल किया गया है।

In determining 'Segment Results', the funds transfer price mechanism adopted by the Bank has been used.
- परिणाम, राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के नियोजित पूंजी को कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग खंड में शामिल किया गया है।

Results, Revenue and Capital Employed of International operations are included in Corporate/Wholesale Banking segment.
- आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और आंतरिक व्यापार रिपोर्टिंग प्रणाली के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्राहक प्रोफाइल, योजनाओं और सेवाओं की प्रकृति, विभिन्न जोखिमों और रिटर्न, संगठन संरचना, व्यापार खंडों की पहचान और रिपोर्ट की गई है। 7 अप्रैल 2022 को आरबीआई ने अपने परिपत्र के माध्यम से, डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना पर रिटेल बैंकिंग सेगमेंट के उप-खंड के रूप में डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट की रिपोर्टिंग निर्धारित की है। बैंक के प्रस्तावित डीबीयू ने संचालन शुरू नहीं किया है और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) (जिसमें बैंकों और आरबीआई के प्रतिनिधि शामिल हैं) द्वारा गठित डीबीयू वर्किंग ग्रुप की चर्चाओं के संबंध में, रिटेल के एक अलग उपखंड के रूप में डिजिटल बैंकिंग की रिपोर्टिंग डीबीयू वर्किंग ग्रुप के निर्णय के आधार पर बैंक द्वारा बैंकिंग सेगमेंट को लागू किया जाएगा।

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

Business Segments have been identified and reported taking into account the target customer profile, the nature of products and services, the differing risks and returns, the organisation structure, the internal business reporting system and the guidelines prescribed by the RBI. Vide its circular dated April 7, 2022 on establishment of Digital Banking Units (DBUs), the RBI has prescribed reporting of Digital Banking Segment as a sub-segment of Retail Banking Segment. The proposed DBUs of the Bank have not commenced operations and having regard to the discussions of the DBU Working Group formed by Indian Banks' Association (IBA) (which included representatives of banks and RBI), reporting of Digital Banking as a separate sub-segment of Retail Banking Segment will be implemented by the Bank based on the decision of the DBU Working Group.

- बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, एनपीए ऋणों के असाइनमेंट के प्रति प्राप्त सुरक्षा रसीदों के लिए ट्रेजरी पोर्टफोलियो के तहत ₹ 1426 करोड़ (पिछले वर्ष "शून्य") का प्रावधान किया है। कॉरपोरेट पोर्टफोलियो के तहत समतुल्य राशि के प्रावधान का तदनुसूची उल्लेख है।

During the year ended March 31, 2023, bank has made provision of ₹ 1,426 crores (previous year "NIL") under treasury portfolio for security receipts received against assignment of NPA loans. There is a corresponding reversal of provision of equivalent amount under corporate portfolio.
- बैंक ने 31 मार्च 2023 को आरएफ 1.0, आरएफ 2.0 और एमएसएमई ओटीआर के तहत ₹ 2824 करोड़ के कुल मानक खुदरा पोर्टफोलियो के पुनर्गठन पर 65% पर ₹ 1836 करोड़ का प्रावधान किया है।

The bank has made provision of ₹ 1,836 crore at 65% on the total standard retail portfolio restructured under RF 1.0, RF 2.0 and MSME OTR of ₹ 2,824 crore as on March 31, 2023.
- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली निधि अंतरण कीमत निर्धारण प्रणाली के अनुसार संगणित अंतर-खंड राजस्व शामिल हैं।

The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per Fund Transfer Pricing system followed by the Bank.
- बैंक मुख्य रूप से भारत में परिचालन करता है, अतः बैंक ने यह माना है कि इसके परिचालन मुख्य रूप से देशी खंड में होते हैं और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है।

The Bank primarily operates in India, hence the Bank has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

5. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18) / RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

अ. एएस-18 के अनुसार संबद्ध पक्षकार की सूची

A. List of related party as per AS-18

I. प्रवर्तक : / Promoter:

- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) / Life Insurance Corporation of India (LIC)

II. संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था : / Jointly Controlled Entity:

- एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. / Ageas Federal Life Insurance Co Ltd.

[21 सितंबर, 2022 को बैंक ने एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में पूरी हिस्सेदारी (25%) एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल एनवी को बेच दी थी].

[On September 21, 2022 Bank had sold entire stake (25%) in Ageas Federal Life Insurance Company Ltd. to Ageas Insurance International NV]

III. सहयोगी संस्थाएं: / Associates:

- बायोटेक कॉन्सोर्टियम इंडिया लि. / Biotech Consortium India Ltd.
- नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. / National Securities Depository Ltd
- नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. / North Eastern Development Finance Corporation Ltd
- पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल)
Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd (PIPDICL)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

IV. बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के ब्योरे: / Key management personnel of the Bank:

- श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / Shri Rakesh Sharma, MD & CEO
- श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक / Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD
- श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार, उप प्रबंध निदेशक / Shri Suresh Kishanchand Khatanhar, DMD
- श्री पोथुकुची सीताराम, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी.
Shri Pothukuchi Sitaram, Executive Director & CFO (upto March 31, 2023)
- श्रीमती स्मिता कुबेर, सीएफओ (1 अप्रैल 2023 से) / Smt. Smita Harish Kuber, CFO (from April 01, 2023)
- श्रीमती ज्योति नायर, कंपनी सचिव / Smt. Jyothi Nair, Company Secretary

V. केएमपी के रिश्तेदार और उनकी हितबद्ध संस्थाएं: / Relative of KMP & their Interested entities :

श्रीमती अनिता शर्मा, श्री हर्षवर्धन शर्मा, श्री पार्थ शर्मा, श्री राजेश कुमार लव, श्रीमती आशा गोस्वामी, श्रीमती निधि शर्मा, श्रीमती शैलजा कौशल, डॉ. मुथुलक्ष्मी रामास्वामी, श्री सैम्युअल जॉर्ज स्टीफन जेबराज, श्रीमती मैरी जेबराज, श्री गेब्रियल स्टीफन रम्याकुमार सैम्युअल, इवांगेलिन मैरी किस्बा सैम्युअल, जॉन अलेक्जेंडर जेबराज, शांति लावण्या पॉल, इवांगेलिन सिथिया राजकुमार, श्रीमती विदिशा सुरेश खटनहार, श्री किशिनचंद खटनहार, श्रीमती रजनी खटनहार, श्री लवेश खटनहार, श्री रमेश खटनहार, श्रीमती पूनम करणी, श्रीमती रल्लापल्ली राजश्री, सचिन पोथुकुची, सौम्या पोथुकुची, पी वी शिवराम, पीवी कृष्ण मूर्ति, पी श्रीनिवास, पी हरि प्रसाद, श्री बीजू नायर, श्री कुट्टी कृष्णन नायर, श्रीमती देवी के नायर, अदित्री नायर, प्रीति जावजी, रेथी नायर.

Smt. Anita Sharma, Shri. Harshvardhan Sharma, Shri Parth Sharma, Shri.Rajesh Kumar Lav, Smt. Asha Goswami, Smt. Nidhi Sharma, Smt. Shailja Kaushal, Dr. Muthulakshmi Ramaswamy, Shri Samuel George Stephen Jebaraj, Smt. Mary Jebaraj, Shri Gabriel Stephen Ramyakumar Samuel, Evangeline Mary Kiruba Samuel, John Alexander Jebaraj, Shanthi Lavanya Paul, Evangeline Cynthia Rajkumar, Smt. Vidisha Suresh Khatanhar, Shri Kishinchand Khatanhar, Smt. Rajni Khatanhar, Shri Lavesha Khatanhar, Shri Ramesh Khatanhar, Smt. Poonam Karani, Smt. Rallapalli Rajasree, Sachin Pothukuchi, Saumya Pothukuchi, P V Sivaram, P V Krishna Murthy, P Srinivas, P Hari Prasad, Shri Biju Nair, Shri Kutty Krishnan Nair, Smt. Devi K Nair, Aditri Nair, Preethi Javaji, Rethi Nair

- i. **संस्थाएं जिनमें केएमपी की रुचि है - एसआईआरएफ इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. और सोसल फुटप्रिंट प्रा. लि.**
Entities in which KMPs have Interest - SIRF Investment Pvt. Ltd & Social Footprint Pvt. Ltd.

आ. समूह के संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन का विवरण:

B. Details of Transactions with Related Parties to the Group:

- i. **31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन / शेष राशि:**

Transactions/ balances with related parties during the year ended March 31, 2023:

विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी # Associates#	(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)	
				मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक ^s ® Key Management Personnel ^s ®	कुल Total
31 मार्च 2023 को बकाया उधार Borrowings outstanding as on March 31, 2023	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान बकाया उधार की अधिकतम राशि Maximum amount of borrowings outstanding during the year	1,450	-	-	-	1,450
जमा का स्थानन Placement of deposit	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 को बकाया जमा राशियां Deposits outstanding as on March 31, 2023	5,390	-	89	-	5,479

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी # Associates#	(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)	
				मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक [§] Key Management Personnel [§]	कुल Total
वर्ष के दौरान बकाया जमा राशियों की अधिकतम राशि Maximum amount of Deposits outstanding during the year	9,164	13	314	-	9,491
31 मार्च 2023 को बकाया अन्य देयताएं Other Liabilities outstanding as on March 31, 2023	0.31	-	-	-	0.31
वर्ष के दौरान बकाया अन्य देयताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of other Liabilities outstanding during the year	0.31	0.003	-	-	0.31
31 मार्च 2023 को बकाया निवेश Investments outstanding as on March 31, 2023	-	-	37	-	37
बकाया अधिकतम निवेश Maximum investments outstanding	-	200	37	-	237
31 मार्च 2023 को प्राप्य बकाया Receivable outstanding as on March 31, 2023	7	-	0.001	-	7
वर्ष के दौरान प्राप्य बकाया की अधिकतम राशि Maximum amount of receivable outstanding during the year	7	1	0.001	-	8
जमा पर ब्याज / Interest on deposits	1	0.003	7	-	8
पारिश्रमिक / Remunerations	-	-	-	8	8
से सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यय Expenses for receiving services from	2	-	1	-	3
को प्रदान की गई सेवाओं से आय Income from services rendered to	77	2	0.10	-	79
उधार पर ब्याज व्यय Interest Expense on borrowings	70	-	-	-	70
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधि प्रतिबद्धताएं Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	-	0.28	-	0.28
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधि प्रतिबद्धताओं की अधिकतम बकाया राशि Maximum amount of Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	0.25	0.28	-	0.53

पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में, बैंक को कंपनी से कोई वित्तीय विवरण और लेनदेन विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, अतः उपर्युक्त प्रकटीकरण में जानकारी समेकित नहीं है। बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में निवेश को एक रुपये तक कम कर दिया है।

#In respect of PIPDACL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the company hence information not consolidated in above disclosure. The Bank has written down investment in PIPDACL to Rupee one.

§ एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेन को प्रकट नहीं किया गया है।

§ In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

@ 1) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ एक समग्र पूल के हिस्से के रूप में उपचित किया गया है और मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों के प्रति आवंटित नहीं किया गया है।
Retiral Benefits for key managerial personnel are accrued as a part of an overall pool and are not allocated against key managerial personnel.

2) पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/ मुख्य रूप से जोखिम लेने वाले और नियंत्रण कार्य करने वाले स्टाफ को क्षतिपूर्ति पर दिनांक 4 नवंबर 2019 के आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2019-20/89 डीओआर. एपीपीटी. बीसी.सं.23/29.67.001/2019-20 के अनुसार
In accordance with RBI Circular RBI/2019-20/89 DOR.Appt.BC.No.23/29.67.001/2019-20 dated November 4, 2019 on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers and Control Function staff

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, परिवर्तनीय वेतन (नकद घटक) के लिए कुल ₹ 1.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.66 करोड़) की राशि प्रदान की गई थी।
For the FY 2022-23, total amount of ₹ 1.48 Crore (previous year ₹ 1.66 crore) was provided for variable pay (cash component)

ii. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन/ उनके पास शेष राशि: Transactions/ balances with related parties during the year ended March 31, 2022:

विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी # Associates#	(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)	
				मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक [§] Key Management Personnel [§]	कुल Total
31 मार्च 2022 को बकाया उधार Borrowings Outstanding as on March 31, 2022	1,450	-	-	-	1,450
वर्ष के दौरान बकाया उधार की अधिकतम राशि Maximum amount of borrowings Outstanding during the year	3,000	-	-	-	3,000
जमा का स्थानन / Placement of deposit	-	-	-	-	-
31 मार्च 2022 को बकाया जमाराशियां Deposits Outstanding as on March 31, 2022	4,476	23	138	-	4,637
वर्ष के दौरान बकाया जमाराशियों की अधिकतम राशि Maximum amount of Deposits Outstanding during the year	6,814	27	139	-	6,980
31 मार्च 2022 को बकाया अन्य देयताएं Other Liabilities Outstanding as on March 31, 2022	64	-	-	-	64
वर्ष के दौरान बकाया अन्य देयताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Other Liabilities Outstanding during the year	64	6	-	-	70
31 मार्च 2022 को बकाया निवेश Investments Outstanding as on March 31, 2022	-	200	37	-	237
बकाया अधिकतम निवेश Maximum investments Outstanding	-	200	37	-	237
31 मार्च 2022 को प्राप्य बकाया राशि Receivable Outstanding as on March 31, 2022	6	0.96	0.30	-	7
वर्ष के दौरान प्राप्य बकाया की अधिकतम राशि Maximum amount of receivable Outstanding during the Year	10	0.96	0.30	-	11

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)					
विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी # Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक § Key Management Personnel §	कुल Total
जमा पर ब्याज / Interest on deposits	1	0.22	5		6
पारिश्रमिक / Remunerations	-	-	-	3	3
से सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यय Expenses for receiving services from	19	-	0.96	-	20
को प्रदान की गई सेवाओं से आय Income from services rendered to	75	3	0.03	-	78
उधार पर ब्याज व्यय Interest Expense on borrowings	265	-		-	265
वर्ष के दौरान बकाया गैर-वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	0.25	0.41	-	0.66
वर्ष के दौरान बकाया गैर-वित्त पोषित प्रतिबद्धताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	0.25	0.41	-	0.66

पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में, बैंक को कंपनी से कोई वित्तीय विवरण और लेनदेन विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, अतः उपर्युक्त प्रकटीकरण में जानकारी समेकित नहीं है। बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में निवेश को एक रुपये तक कम कर दिया है।

In respect of PIPDACL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the company hence information not consolidated in above. The Bank has written down investment in PIPDACL to Rupee one.

§ एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेन को प्रकट नहीं किया गया है।

§ In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

@ 1) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ एक समग्र पूल के हिस्से के रूप में अर्जित किए जाते हैं और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को आवंटित नहीं किए जाते हैं।

Retiral Benefits for key managerial personnel are accrued as a part of an overall pool and are not allocated against key managerial personnel.

2) पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/मुख्य रूप से जोखिम लेने वाले और नियंत्रक कार्य करने वाले स्टाफ को क्षतिपूर्ति के बारे में दिनांक 4 नवंबर 2019 के आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2019-20/89 डीओआर.एपीपीटी.बीसी.सं. 23/29.67.001/2019-20 के अनुसार

In accordance with RBI Circular RBI/2019-20/89 DOR.Appt.BC.No.23/29.67.001/2019-20 dated November 4, 2019 on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers and Control Function staff

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, परिवर्तनीय वेतन (नकद घटक) के लिए कुल ₹ 1.66 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी।

For the FY 2021-22, total amount of ₹ 1.66 Crore was provided for variable pay (cash component)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, आस्थगित परिवर्तनीय वेतन की कुल राशि ₹ 1.07 करोड़ थी।

For the FY 2020-21, total amount of deferred variable pay is ₹ 1.07 Crore

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

- iii. **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक ₹ 7.75 करोड़ है।**
Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ended March 31, 2023 is ₹ 7.75 Crore.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्र. सं. Sr No.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22 FY 2021-22
1	श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक और सीईओ Shri Rakesh Sharma, Managing Director & CEO	3.25	0.91
2	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक Shri Samuel Joseph Jebaraj, Deputy Managing Director	1.69	0.68
3	श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, उप प्रबंध निदेशक Shri Suresh Kishanchand Khatanhar, Deputy Managing Director	1.70	0.70
4	श्री पोधुकुची सीताराम, कार्यपालक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी (31 मार्च 2023 तक) Shri Pothukuchi Sitaram, Executive Director & Chief Financial Officer (upto March 31, 2023)	0.77	0.38
5	श्री अजय शर्मा, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (31 मई 2021 तक) Shri Ajay Sharma, Executive Director & Chief Financial Officer (upto May 31, 2021)	-	0.10
6	श्री पवन अग्रवाल, मुख्य महाप्रबंधक और कंपनी सचिव (15 अप्रैल 2021 तक) Shri. Pawan Agrawal, Chief General Manager & Company Secretary (upto April 15, 2021)	-	0.02
7	श्रीमती ज्योति नायर, कंपनी सचिव Smt. Jyothi Nair, Company Secretary	0.34	0.31
कुल / Total		7.75	3.10

नोट: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए परिवर्तनीय वेतन का अपफ्रंट घटक ₹ 0.61 करोड़ वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को भुगतान किया गया, चूंकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उनके पारिश्रमिक में शामिल है इसलिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उनके पारिश्रमिक में शामिल नहीं है।

Note: Upfront component of variable pay for FY 2021-22 ₹ 0.61 crore paid to Key Management Personnel during the FY 2022-23, since included in their remuneration for FY 2021-22, is not included in their remuneration for FY 2022-23.

6. पट्टे (एएस-19) / Leases (AS-19)

- अ. पट्टा/ किराये पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/ रद्द करने योग्य होती हैं।
A. The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.
- आ. बैंक द्वारा किए गए लीज सहमत अवधि के लिए होते हैं जिसमें लीज अवधि के दौरान भी पारस्परिक रूप से सहमत कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर लीज को समाप्त करने का विकल्प होता है।
B. The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases evenduring the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.
- इ. नवीनीकरण और वृद्धि खंड की शर्तें वे हैं जो सामान्य रूप से समान समझौतों में प्रचलित हैं. समझौतों में कोई अनुचित प्रतिबंध या कठिन खंड नहीं हैं।
C. The terms of renewal and escalation clauses are those normally prevalent in similar agreements. There are no undue restrictions or onerous clauses in the agreements.
- ई. परिचालनात्मक पट्टों के लिए भुगतान किए गए पट्टा किराये को उस वर्ष में जिससे यह संबन्धित है, लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लीज किराया ₹ 412 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 392 करोड़) है।
D. Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognised during the FY 2022-23 is ₹ 412 Crore (Previous Year: ₹ 392 Crore)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

- उ. तुलन-पत्र की तारीख को गैर-निरसनीय परिचालनात्मक पट्टों के संबंध में सहायक के लिए भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का सारांश निम्नानुसार है:
E. The future minimum lease payments for subsidiaries in respect of non-cancellable operating leases as at Balance Sheet date are summarized as under:

विवरण Particulars	(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)	
	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
एक वर्ष के बाद नहीं / Not Later than One year	4	0.98
एक वर्ष के बाद लेकिन पांच वर्ष के बाद नहीं Later than one year but not later than five years	10	0.61
5 वर्ष के बाद / Later than 5 Years	8	-

7. क) प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (एएस-20)

a) EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

विवरण Particulars	(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)	
	यथा 31 मार्च 2023 As at March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 As at March 31, 2022
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल समेकित लाभ (हानि) (करोड़ रुपये) Consolidated Net profit/ (loss) considered for EPS calculation (₹ Crore)	3,706	2,534
वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares outstanding at the end of the financial year	1075,24,02,175	1075,24,02,175
मूल ईपीएस के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	1075,24,02,175	1075,24,02,175
जोड़ें: मंजूर ईएसओपी का कम प्रभाव Add: Dilutive impact of ESOP granted	-	-
न्यूनीकृत ईपीएस गणना के लिए हिसाब में लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	1075,24,02,175	1075,24,02,175
ईपीएस (मूल) (₹) / EPS (Basic) (₹)	3.45	2.36
ईपीएस (न्यूनीकृत) (₹) / EPS (Diluted) (₹)	3.45	2.36
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹) / Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

ख) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में - लाभांश:

b) In case of IDBI Bank Limited - Dividend:

निदेशक मंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 10/- अंकित मूल्य पर 10% अर्थात् 1/- रुपया प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की सिफारिश की है (पिछले वर्ष शून्य). लेखा मानक (एएस) 4 के अनुसार "तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाली आकस्मिकताएं और घटनाएं" के संदर्भ में बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते से कुल ₹ 1075 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के प्रस्तावित लाभांश को विनियोजित नहीं किया है. तथापि, 31 मार्च 2023 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना में पूंजीगत निधि के निर्धारण में प्रस्तावित लाभांश के प्रभाव की गणना की गई है.

The Board of Directors have recommended a dividend of 10% i.e. ₹ 1/- per equity share on face value of ₹10/- each for the year 2022-23 (previous year Nil). In terms of Accounting Standard (AS) 4 "Contingencies and Events occurring after the Balance Sheet date" the Bank has not appropriated proposed dividend aggregating to ₹ 1,075 crore (previous year Nil) from the Profit and Loss account for the year ended March 31, 2023. However the effect of the proposed dividend has been reckoned in determining capital funds in the computation of Capital Adequacy Ratio as on March 31, 2023.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

8. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22) / Accounting for Taxes on Income (AS-22)

समय-अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्ति एवं आस्थगित कर देयता के घटक निम्नानुसार हैं:

The component of Deferred Tax Asset & Deferred Tax Liability arising out of timing difference is as follows:

विवरण Particular	यथा 31 मार्च 2023 As at March 31, 2023	वित्तीय वर्ष के दौरान घट-बढ़ 2022-23 Movement during the financial year 2022-23	यथा 31 मार्च 2022 As at March 31, 2022
(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)			
आस्थगित कर आस्ति / Deferred Tax Asset			
अचल आस्तियों पर मूल्यहास Depreciation on fixed assets	24	8	16
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान तथा अन्य प्रावधान के लिए से संबंधित अस्वीकृति की अनुमति नहीं है। Disallowance related to provision for NPA and for other provisions not allowed under Income tax Act, 1961	2,663	(5,954)	8,617
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful advances	4	(0.16)	4
आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अस्वीकृत Disallowance as per the provisions of Income Tax Act, 1961	238	14	224
उपदान / पेंशन / Gratuity/Pension	0.56	0.40	0.16
छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment	0.66	(0.13)	0.79
कारोबार हानि / Business Loss	8,799	4,085	4,714
अनवशोषित मूल्यहास / Unabsorbed depreciation	106	50	56
कुल (अ) / Total (A)	11,835	(1,797)	13,632
आस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability			
अचल आस्तियों पर मूल्यहास Depreciation on fixed assets	0.50	(0.14)	0.64
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष रिजर्व Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961	308	0.29	308
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful advances	-	(0.15)	0.15
छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment	0.12	(0.21)	0.33
कुल (आ) / Total (B)	309	(0.21)	309
आस्थगित कर (देयता)/आस्ति (निवल) (अ) - (आ) Deferred tax (Liability)/ Asset (net) (A) - (B)	11,526	(1,797)	13,323

बैंक आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) को दर्शाता है, जिसमें इसके रिवर्सल होने की वर्चुअल निश्चितता को ध्यान में रखते हुए कारोबार हानि भी शामिल है।

Bank is recognizing deferred tax asset (DTA) including that on business loss keeping in view the virtual certainty of its reversal.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

9. कराधान हेतु प्रावधान / PROVISION FOR TAXATION

विवरण Particulars	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022
आयकर के लिए प्रावधान - वर्तमान कर Provision for Income Tax - Current Tax	(179) [#]	78 [@]

आईडीबीआई बैंक के मामलों में, वित्तीय वर्ष 2023 के लिए आयकर हेतु कोई प्रावधान नहीं है। वित्तीय वर्ष 2004, 2005 एवं 2013 के लिए कुल ₹ 205 करोड़ का आधिक्य प्रावधान आयकर प्रतिदान/मांग के कारण प्रतिलेखित किया गया।

#In case of IDBI Bank Ltd, no provision for Income Tax made for the FY 2023. The excess provision for FY 2004, FY 2005 & FY 2013 aggregating to ₹ 205 crore was written back on account of Income tax refund/ demand.

@ आईडीबीआई बैंक के मामलों में, वित्तीय वर्ष 2022 के लिए आयकर हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2001, वित्तीय वर्ष 2002 एवं वित्तीय वर्ष 2013 के लिए कुल ₹ 181 करोड़ का आधिक्य प्रावधान प्रतिलेखित किया गया और आयकर प्रतिदान/ मांग के कारण वित्तीय वर्ष 2010-2011 और वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए ₹ 228 करोड़ (निवल प्रभाव ₹ 47 करोड़) की मांग को समायोजित किया गया है।

@ In case of IDBI Bank Ltd, no provision for Income Tax made for the FY 2022. The excess provision for FY 2001, FY 2002 & FY 2013 aggregating to ₹ 181 crore was written back and ₹ 228 crore demand for FY 2010-2011 and FY 2018-2019 is adjusted (net impact ₹ 47 crore) on account of Income tax refund/ demand.

10. 31 मार्च 2023 को कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त नियंत्रित संस्था की सारांशीकृत वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है: Summarized financial information of Subsidiary Companies, Associate Companies & Jointly Controlled Entity as per requirement of the Companies Act, 2013 as at March 31, 2023 are as under:

संस्था का नाम Name of the Entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		लाभ या हानि में हिस्सा Share of profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के अनुसार As % of consolidated net assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के अनुसार As % of consolidated profit or loss	राशि Amount
मूल संस्था : आईडीबीआई बैंक लि. Parent : IDBI Bank Ltd.	97.55%	45,318	98.35%	3,645
सहायक संस्थाएं: / Subsidiaries:				
भारतीय : / Indian :				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Market & Securities Ltd.	0.71%	330	0.22%	8
2. आईडीबीआई इंटेक लि. / IDBI Intech Ltd.	0.24%	111	0.36%	13
3. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	0.29%	134	0.34%	13

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

संस्था का नाम Name of the Entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		लाभ या हानि में हिस्सा Share of profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के अनुसार As % of consolidated net assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के अनुसार As % of consolidated profit or loss	राशि Amount
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Co. Ltd.	0.00%	2	0.00%	0.04
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.66%	306	1.31%	48
विदेशी: / Foreign :	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित Minority Interest in all subsidiaries	0.30%	138	0.59%	22
सहयोगी संस्थाएं (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश) # Associates (Investment as per the equity method) #				
भारतीय / Indian				
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड Biotech consortium India Limited	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	0.00%	0.00
2. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. National securities Depository Ltd.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	1.11%	41
3. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	0.00%	0.00
4. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल) Pondichery Industrial Promotion Development & Investment Corporation Ltd.(PIPDCL)	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
विदेशी: / Foreign :	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
संयुक्त उद्यम / Joint Ventures (इक्विटी पद्धति के अनुसार अनुपातिक समेकन/निवेश के अनुसार) (as per proportionate consolidation/investment as per the equity method)				
भारतीय / Indian				

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

संस्था का नाम Name of the Entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		लाभ या हानि में हिस्सा Share of profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के अनुसार As % of consolidated net assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के अनुसार As % of consolidated profit or loss	राशि Amount
	1. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंशुरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	0.12%
विदेशी / Foreign	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
कुल / Total	99.75%	46,340	101.22%	3,751
विलोपन / Elimination	0.25%	118	(1.22%)	(45)
निवल कुल / Net Total	100.00%	46,458	100.00%	3,706

नोट: उपर्युक्त सहायक संस्थाओं की कोई सहायक संस्था नहीं है।

Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary.

तीन सहयोगी संस्थाओं अर्थात् नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (25%), बायोटेक कॉन्सोर्शियम इंडिया लिमिटेड (27.93%) और पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (21.14%) से वित्तीय वर्ष 2023 के वित्तीय विवरणों प्राप्त नहीं हुए हैं जिसके कारण समेकन नहीं किया गया है, एवं 1 सहयोगी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (26.10%) के मामले में वित्तीय विवरण दिसंबर 2022 तक लिया गया है, जिसका समेकित वित्तीय विवरणों पर उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है। पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में, उक्त कंपनी में निवेश को अवलेखित कर एक रुपया कर दिया है।

The Financials of three associates Viz., North Eastern Development Finance Corporation Limited (25%), Biotech Consortium India Limited (27.93%) and Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited (21.14%) are not considered for consolidation on account of non-receipt of Financial Statements for FY 2023 & in case of 1 associate National Securities Depository Limited (26.10%) the financials has been taken up to December 2022, impact of which on the Consolidated Financial Statements is not material. In case of an associate Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited, the investment in the said company has been written down to ₹ 1.

बैंक ने 21 सितम्बर 2022 को एजिस फेडरल लाइफ इंशुरेंस कम्पनी लि. में संपूर्ण हिस्सेदारी (25%) एजिस इंशुरेंस इंटरनेशनल एनवी को बेच दिया था।

On September 21, 2022 Bank had sold entire stake (25%) in Ageas Federal Life Insurance Company Ltd. to Ageas Insurance International NV

11. परिचालन बंद करना (एएस-24) / DISCONTINUING OPERATIONS (AS-24)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने अपनी शाखाओं में से किसी का भी परिचालन बंद नहीं किया है, जिसके कारण देयता घटी है और आस्तियों की प्राप्ति हुई है और किसी भी परिचालन को पूर्ण रूप से बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिसका उपर्युक्त पर प्रभाव पड़ेगा।

During the FY 2022-23, the Bank has not discontinued operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety which will have the above effect.

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में: / In case of IDBI Asset Management Limited:

- 29 दिसंबर, 2022 को आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड (कंपनी) और आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड के अनुमोदन के बाद, कंपनी ने एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (एलआईसी एमएफ एएमसी) के साथ एलआईसी एमएफ एएमसी को संपूर्ण आईडीबीआई म्यूचुअल फंड योजनाओं के अंतरण के लिए स्कीम ट्रांसफर एग्रीमेंट (एसटीए) किया था। कंपनी आईडीबीआई एमएफ की प्रबंधन योजनाओं से प्रबंधन शुल्क अर्जित करती है, जो एएस 17, खंड रिपोर्टिंग के अनुसार कंपनी के लिए एकमात्र खंड है। उपर्युक्त निपटान सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 1996 के प्रावधानों के तहत नियामक आवश्यकताओं में से एक के अनुपालन में है। कंपनी सक्रिय रूप से सेबी की आवश्यक मंजूरी लेने की प्रक्रिया में है और वित्तीय वर्ष 2024 में जल्द ही योजनाओं के अंतरण को पूरा करने की उम्मीद करती है।

On December 29, 2022, subsequent to approval of the Board of IDBI Asset Management Limited (The Company) and IDBI Mutual Fund Trustee Company Ltd, the company had entered in to Scheme Transfer Agreement (STA) with LIC MF Asset Management Ltd (LIC MF AMC) for transfer of entire IDBI Mutual Fund Schemes to LIC MF AMC. The company earns management fee from

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

management schemes of IDBI MF, which is the only segment for the company as per AS 17, Segment Reporting. The disposal is in compliance with one of the Regulatory Requirements under the provisions of SEBI (Mutual Fund) Regulations 1996. The Company is actively in the process of taking necessary approvals of SEBI and hopes to complete the transfer of schemes soon in FY 2024.

ii. AS 24 के अनुसार अन्य विवरण 31 मार्च, 2023 का निम्नानुसार हैं:

The other details as per AS 24 are as at March 31, 2023 are as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्र. सं. Sr. No.	एस 24 प्रकटीकरण आवश्यकताएँ AS 24 Disclosure Requirements	वित्तीय वर्ष 2023 के लिए प्रकटीकरण Disclosure for FY 2023
अ) a)	बंद संचालन (नों) का विवरण A description of the discontinuing operation(s);	आईडीबीआई म्युचुअल फंड योजनाओं का प्रबंधन, जो प्रबंधन शुल्क अर्जित करता है जोकि एएमसी के लिए नियमित आय का एकमात्र स्रोत है. इस घटक में प्रारंभिक पूंजी (31 मार्च 2023 को लागत ₹ 10 करोड़ और बाजार मूल्य ₹ 18 करोड़ थी) के अनुसार आईडीबीआई म्युचुअल फंड योजनाओं में निवेश की गई राशि के अलावा आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (आईएएमएल) के तुलनपत्र पर अस्तित्व और देयताओं से संबद्ध नहीं है, योजना अंतरण के अनुसार, प्रारंभिक पूंजी आईएएमएल द्वारा निकासी के लिए उपलब्ध होगी, इसलिए, निवेश की प्रकृति को गैर-चालू निवेश से चालू निवेश में बदल दिया जाएगा. इसके अलावा, आईडीबीआई म्युचुअल फंड योजना प्रबंधन व्यवसाय का अनुमानित मूल्य है, जिसके लिए आईएएमएल को खरीदार द्वारा भुगतान किया जाएगा, जिसे उचित कर भुगतान के अधीन आईएएमएल की बही में दर्ज किया जाएगा. Management of IDBI Mutual Fund Schemes, which earns management fee which is the only source of regular income for AMC. This component has not associated assets and liabilities on the balance sheet of IDBI Asset Management Ltd (IAML) except amount invested in IDBI Mutual Fund Schemes as Seed Capital (the cost is ₹ 10 Crore and market value of ₹18 Crore as on March 31, 2023). Pursuant to scheme transfer, the Seed Capital shall be available for withdrawal by IAML, hence, the nature of the investments shall be changed from Non-Current Investment to Current Investments. Further, IDBI Mutual Fund scheme management business having notional value, for which IAML shall be paid a consideration by the buyer, which would be accounted for the in books of IAML subject to appropriate tax payment.
आ) b)	कारोबार या भौगोलिक खंड(डों) जिसमें AS 17, खंड रिपोर्टिंग के अनुसार इसकी रिपोर्ट की जाती है the business or geographical segment(s) in which it is reported as per AS 17, Segment Reporting;	म्युचुअल फंड योजना प्रबंधन Mutual Fund Scheme Management
इ) c)	प्रारंभिक प्रकटीकरण घटना की तारीख और प्रकृति; the date and nature of the initial disclosure event;	आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लि. (आईएएमएल) और एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट लि. (एलआईसी एएमसी) के बीच 29 दिसंबर, 2022 को स्कीम अंतरण करार हुआ. The Scheme Transfer Agreement entered on December 29, 2022 between IDBI Asset Management Ltd. (IAML) and LIC MF Asset Management Ltd. (LIC AMC).
ई) d)	वह दिनांक या अवधि जिसमें ज्ञात या निर्धारणयोग्य होने पर समाप्ति पूरी होने की उम्मीद है; the date or period in which the discontinuance is expected to be completed if known or determinable;	आईडीबीआई म्युचुअल फंड योजनाओं का अंतरण शीघ्र (वित्तीय वर्ष 2023-24) में पूरा होने की संभावना है. Transfer of IDBI Mutual Fund Schemes likely to be completed soon in (FY 2023-24).

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्र. सं. Sr. No.	एस 24 प्रकटीकरण आवश्यकताएँ AS 24 Disclosure Requirements	वित्तीय वर्ष 2023 के लिए प्रकटीकरण Disclosure for FY 2023
उ) e)	तुलनपत्र की तारीख के अनुसार, निपटान की जाने वाली कुल आस्तियों और निपटान की वाली कुल देयताओं की वहन राशि; the carrying amounts, as of the balance sheet date, of the total assets to be disposed of and the total liabilities to be settled;	आईडीबीआई म्युचुअल फंड योजनाओं में निवेश की गई राशि के अलावा ऊपर उल्लिखित घटक से संबंधित अंतरित की जा रही, नष्ट किए जाने वाले और अथवा देयता निपटान के घटक के साथ जुड़ी कोई भी भौतिक आस्ति नहीं है. 31 मार्च 2023 को प्रारम्भिक पूंजी लागत ₹ 10 करोड़ और बाजार मूल्य ₹ 18 करोड़. हालांकि योजना के अंतरण के बाद ये निवेश दीर्घकाल के लिए होगा, लेकिन प्रारम्भिक पूंजी आईएमएल द्वारा आहरण और/ या पुनः निवेश के लिए उपलब्ध होगी. इसी प्रकार, एएमसी रेपो क्लियरिंग और एमएफ यूटिलिटी इंडिया प्रा. लि. में रणनीतिक इक्विटी निवेश जो म्युचुअल फंड कारोबार के कारण था, बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा. There is no physical asset, associated with the component being transferred, to be disposed off and or settle liability pertaining to the above mentioned component except amount invested in IDBI Mutual Fund Schemes as Seed Capital (the cost is ₹ 10 crore and market value of ₹ 18 crore as on March 31, 2023). Though, these investments would be kept on long terms basis, pursuant to scheme transfer, the Seed Capital shall be available for withdrawal and or re-investment by IAML. Similarly, Strategic equity investments AMC Repo Clearing and MF Utility India Private Limited, which is due to mutual fund business, shall be available for sale.
iii.	म्युचुअल फंड योजना प्रबंधन व्यवसाय की आस्तियों की वहन राशि ₹ 11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 12 करोड़) और देयताएं ₹ 2 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3 करोड़) विवरण निम्नानुसार हैं: The carrying amount of the assets of the Mutual Fund Scheme management business was ₹ 11 Crore (previous year ₹ 12 Crore) and liabilities of ₹ 2 Crore (previous year ₹ 3 Crore). The details are as under:	

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	परिचालन चालू रखना Continuing operations		परिचालन बंद करना Discontinuing operations		कुल Total	
	वित्तीय वर्ष 2023 FY 2023	वित्तीय वर्ष 2022	वित्तीय वर्ष 2023 FY 2023	वित्तीय वर्ष 2022 FY 2022	वित्तीय वर्ष 2023 FY 2023	वित्तीय वर्ष 2022 FY 2022
आस्तियां / Assets						
आस्थगित कर आस्तियां Deferred Tax Assets	0.15	0.19	0.48	0.57	0.63	0.76
अचल आस्तियां / Fixed Assets	0.37	0.61	-	-	0.37	0.61
गैर-चालू निवेश Non-Current Investments	31	21	10	11	41	32
अन्य गैर-चालू आस्तियां Other Non-Current Assets	0.42	0.37	-	0.18	0.42	0.55
चालू आस्तियां / Current Assets	95	92	0.57	-	95	92
कुल आस्तियां / Total Assets	126	114	11	12	137	126
देयताएं / Liabilities						
पूंजी और आरक्षित Capital and Reserves	134	122	-	-	134	122
गैर चालू देयताएं Non-Current Liabilities	0.21	0.32	-	-	0.21	0.32
चालू देयताएं Current liabilities	0.73	0.86	2	3	3	4
कुल देयताएं Total Liabilities	135	123	2	3	137	126

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

निम्नलिखित विवरण परिचालन जारी रखने और बंद करने के राजस्व और व्यय को दर्शाता है:

The following statement shows the revenue and expenses of continuing and discontinuing operations:

विवरण Particulars	परिचालन चालू रखना Continuing operations		परिचालन बंद करना Discontinuing operations		(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)	
	वित्तीय वर्ष 2023 FY 2023	वित्तीय वर्ष 2022	वित्तीय वर्ष 2023 FY 2023	वित्तीय वर्ष 2022 FY 2022	कुल Total	वित्तीय वर्ष 2022 FY 2022
प्रबंधन शुल्क Management Fee	-	-	29	28	29	28
अन्य आय Other Income	7	5	0.24	0.03	7	5
कुल कारोबार Total Turnover	7	5	29	28	36	33
कर्मचारी लाभ Employee Benefits	3	3	7	8	10	11
वित्तीय प्रभार Financial Charges	-	-	0.26	0.13	0.26	0.13
मूल्यहास Depreciation	0.24	0.67	-	-	0.24	0.67
अन्य परिचालन व्यय Other Operating Expenses	5	5	5	5	10	10
परिचालन व्यय Operating Expenses	8	9	13	14	21	23
पूर्व अवधि व्यय Prior Period Expenses	-	-	(0.08)	(0.09)	(0.08)	(0.09)
असाधारण मदें Exceptional Items	-	-	(0.52)	-	(0.52)	-
हास हानि Impairment Losses	-	-	-	-	-	-
परिचालन गतिविधियों से पूर्व-कर Pre-tax from Operating Activities	(1)	(3)	16	14	15	11
आयकर व्यय Income Tax Expenses	(1)	(0.69)	(0.27)	(2)	(2)	(3)
- वर्तमान वर्ष-वर्तमान कर Current Year-Current tax	(1)	(0.71)	-	-	(1)	(0.71)
- पूर्ववर्ती कर (कम/अधिक) Earlier tax (Short/Excess)	(0.23)	(0.007)	-	-	(0.23)	(0.007)
- मेरे जमा/बट्ट खाते डालना MAT Credit/ Write off	-	-	(0.18)	(0.1)	(0.18)	(0.1)
- आस्थगित कर व्यय Deferred tax expense	(0.04)	0.03	(0.09)	(2)	(0.13)	(2)
करों के परिचालन गतिविधियों से लाभ / (हानि) Profit / (Loss) from Operating activities from Taxes	(3)	(4)	15	12	12	8

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

12. आस्ति में हास (एएस-28) / IMPAIRMENT OF ASSET (AS-28)

प्रबंधन की राय है कि चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान आस्तियों में कोई हास नहीं हुआ है

In the opinion of the Management, there is no impairment to the assets during the current year and previous year.

13. आकस्मिक देयताएं: / CONTINGENT LIABILITY:

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में: / In case of IDBI Bank Limited:

अ. आकस्मिक देयताओं का विवरण (एएस-29)[®]

A. DESCRIPTION OF CONTINGENT LIABILITIES (AS-29)[®]

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्रम सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है। Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालन मामलों में धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है। बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर आर्थिक रूप से कोई अधिक विपरीत असर पड़ेगा। This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
II	आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	यह मद आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता के लिए राशियों को दर्शाती है। इसमें उद्यम पूंजी निधियों के लिए अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं। This item represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. This also includes undrawn commitments for Venture Capital Funds.
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of Outstanding forward exchange contracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएं निष्पादित करता है। यह मद ऐसी ही संविदाओं जो डेरिवेटिव लिखत हैं, की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है। अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है। इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का बृहद् मूल्य सृजित होता है, जबकि इसका निवल बाजार जोखिम कम होता है। The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
IV	ग्राहकों की ओर से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपने बैंकिंग कार्यकलापों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करता है। गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिस्वरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा। As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfill its financial or performance obligations.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्रम सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
V	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	<p>यह मद ग्राहक की ऋण अवस्थिति में संवृद्धि को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी गारंटियों और दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करती है। इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है।</p> <p>This item represents the documentary credits issued by the Bank in favour of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance banking activities with a view to augment the customers' credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customers' obligations, either directly or in case the customer fails to fulfil their financial or performance obligations.</p>
VI	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	<p>यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है। बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है। बैंक अपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी ये संविदाएं करता है। अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है। इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का बृहद् मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है।</p> <p>This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.</p> <p>बैंक भारतीय कॉर्पोरेट बांड से जुड़े ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की हामीदारी करता है। The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds</p>
VII	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	<p>यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है। बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है। अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है। इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है।</p> <p>This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.</p>

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्रम सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
VIII	<p>विवादित कर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed taxes, interest tax, penalty and Interest demands</p>	<p>बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विविध कराधीन मामलों में पक्षकार है। बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम, 1961 एवं लागू कानूनों के प्रावधानों के आधार पर अपील प्राधिकरणों द्वारा पिछले वर्षों में समान मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर, इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे। The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favorable based on decisions on similar issues in the previous years by the appellate authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961 and applicable laws.</p>
IX	<p>अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the Bank is contingently liable</p>	<p>इस मद में निम्नलिखित शामिल हैं: This item represents the following</p> <p>क) सामान्य कारोबार कार्यकलाप के भाग के रूप में बैंक द्वारा स्वयं अपनी ओर से सांविधिक प्राधिकरणों तथा अन्य के पक्ष में जारी की गई गारंटियां a) guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity.</p> <p>ख) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागस्कता निधि (डीईएएफ) में राशि अंतरित की गई- जमाकर्ता शिक्षण एवं जागस्कता निधि (डीईएएफ) योजना 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक इस योजना में निर्दिष्ट अनुसार निष्क्रिय खातों की राशि और दस वर्ष या उससे अधिक समय से दावा न की गई शेष राशि और उस पर अर्जित ब्याज को बाद के महीने के अंतिम कार्य दिवस पर अंतरित करता है। यदि ग्राहक/जमाकर्ता अपनी अदावी राशि / जमा की मांग करते हैं, जिसे बैंक डीईए निधि योजना के अनुसार, पहले ही आरबीआई को अंतरित कर दिया है, बैंक ग्राहक/जमाकर्ता को ब्याज सहित, यदि लागू हो, भुगतान करता है और ग्राहक को भुगतान की गई समतुल्य राशि के लिए आरबीआई से वापसी के लिए दावा करेगा।</p> <p>ब) The amount transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) - In terms of guidelines of Depositor Education and Awareness Fund Scheme 2014, the Bank transfers the proceeds of the inoperative accounts and the balances remaining unclaimed for ten years or more as specified in the scheme and the interest accrued thereon, on the last working day of the subsequent month. In case the customer / depositor(s) raises a demand for their unclaimed amount / deposit which the Bank has already transferred to RBI, as per DEA Fund Scheme, the Bank pays to the customer/ depositor, along with interest, if applicable, and lodge a claim for refund from RBI for an equivalent amount paid to the customer / depositor.</p> <p>ग) पूंजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि और प्रतिभूतियों आदि के जारी होने तक प्रतिभूतियों के जारी किए जाने पर, आंशिक ऋण वृद्धि सुविधाओं के लिए प्रदान नहीं किया गया। c) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, undrawn partial credit enhancement facilities, When Issued Securities till issue of securities etc.</p>

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

आ. दीर्घावधि संविदाएं

B. Long term contracts

बैंक के पास एक प्रक्रिया है जिसमें आवधिक आधार पर डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का उल्लेखनीय पूर्वाभाषी हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है। वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसे दीर्घावधि संविदाओं पर उल्लेखनीय पूर्वाभाषी हानि के लिए लेखा बहियों में किसी विधि/ लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/ accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

इ. लंबित मुकदमों

C. Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और आयकर प्राधिकरणों के पास लंबित कार्यवाहियां शामिल हैं। बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की और जहां प्रावधान अपेक्षित हैं वहां पर्याप्त प्रावधान किए हैं तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू है वहां आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया है।

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

@ मात्रात्मक प्रकटन के लिए अनुसूची-12 आकस्मिक देयताएँ देखें।

@ Refer Schedule-12- Contingent Liabilities for quantitative disclosure.

ई. आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधान में घट-बढ़

D. Movement of provision against Contingent Liabilities

		(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)	
क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
क)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	115	59
ख)	वर्ष के दौरान जोड़/ (प्रत्यावर्तन) / Addition/ (reversal) during the year	63	56
ग)	अंतिम शेष / Closing Balance	178	115

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में :

In case of IDBI Asset Management Limited:

- i) कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए आयकर विभाग ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 26-12-2017 के अपने कर-निर्धारण आदेश के जरिए कुछ व्ययों की अनुमति नहीं दी थी जिससे हानि कम हो गई थी और आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत दंडिक कार्यवाही शुरू की। तथापि कोई मांग नहीं की गई है। कंपनी ने उक्त कर-निर्धारण के विरुद्ध अपील दायर की है। इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। (पिछले वर्ष शून्य)

For the AY 2015-16 the Income Tax Department vide its assessment order under section 143(3) dated 26-12-2017 disallowed certain expenditures thereby reducing the loss and initiated penalty proceedings under section 271(1)(c) of the Income Tax Act. However, no demand has been raised. The Company has filed an appeal against the said assessment. No provision has been made in this regards. (Previous year Nil)

- ii) कर-निर्धारण (परिशोधन) वर्ष 2018-19 के लिए आयकर निर्धारण के संबंध में यद्यपि आदेश आय में शून्य वृद्धि के साथ पारित किया गया है, पर धनवापसी पर अतिरिक्त ब्याज का अनुमान लगाते हुए ₹ 0.25 करोड़ की मांग प्राप्त हुई थी। कंपनी ने आयकर विभाग के पास परिशोधन के लिए आवेदन किया है, क्योंकि धनवापसी पर ब्याज की गणना हेतु विभाग द्वारा गलत तारीख पर विचार किया गया था। इस बीच, विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए टीडीएस धनवापसी के प्रति आदेश राशि को समायोजित किया। आईडीबीआई एएमसी ने 06 अक्टूबर, 2022 को अनुरोध के लिए एक अनुवर्ती पत्र दायर किया है। सुनवाई की सूचना और आदेश का इंतजार है।

In connection with income Tax Assessment for AY 2018-19 (Rectification), though order passed with Zero Addition to the income, demand for ₹ 0.25 Crores received on account of presumption of excess interest on refund. The company has

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

filed rectification with Income Tax Department as wrong date was considered by the department for calculation of Interest of Refund. In the meantime, the Department adjusted the order amount against TDS refund for AY 2021-22. IDBI AMC has filed a follow up letter for the request on October 06, 2022. Notice for hearing & order is awaited.

इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. (पिछले वर्ष शून्य)
No provision has been made in this regards. (Previous Year Nil)

iii) बिक्री कर के उप-आयुक्त (वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम):

DY. Commissioner of Sales Tax. (Goods and Services Tax Act):

जीएसटी संवीक्षा निर्धारण वित्तीय वर्ष 2017-18.
GST Scrutiny Assessment FY 2017-18.

एक आदेश पारित किया गया जिसमें विभाग (2ए बेमेल) द्वारा ₹ 0.36 करोड़ की देयता निर्धारित की गई. इस राशि पर 30 मई, 2022 तक का ब्याज लगाया गया है.

An order has been passed in which a liability of ₹ 0.36 Crore has determined by Department (2A Mismatch). In this Amount, Interest has been charged upto 30th May, 2022.

आईडीबीआई एएमसी ने विवाद के अंतर्गत ₹ 0.36 करोड़ की संपूर्ण देयताओं का भुगतान किया और अगस्त 2022 में बिक्री कर के उप आयुक्त के दिनांक 30 मई, 2022 के आदेश के विरुद्ध माननीय आयुक्त जीएसटी (अपील), मुंबई में अपील दायर की है. उक्त मामला पर अभी सुनवाई होना बाकी है. [चूंकि जमा की गई राशि को लाभ और हानि खाते में मान्यता नहीं दी गई है, आकस्मिक देयता ₹ 0.36 करोड़ की सीमा तक रखी गई है].

IDBI AMC has paid entire liability of ₹ 0.36 Crore under dispute and in August 2022 has filed an appeal HON'BLE Commissioner GST (Appeals), Mumbai against order dated May 30, 2022 of DY. Commissioner of Sales Tax. The matter is yet to come for hearing. [As the amount deposited is not recognized in Profit & Loss account, contingent liability is kept to the extent of ₹ 0.36 Crore]

iv) वस्तु एवं सेवा कर

Goods and Services Tax

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी - एसएसटी-10 नोटिस (जांच के बाद विवरणी में विसंगतियों को सूचित करने के लिए नोटिस). सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के तहत जीएसटी लेखा परीक्षा करने के लिए दिनांक 26 जून, 2022 नोटिस (नोटिस संख्या डीसी-ई-637/540/एलटीयू-04/2018-19/एडीटी-01/2022-23/बी-121).

GST - ASMT-10 Notice for the Financial Year 2019-20 (Notice for intimating discrepancies in the return after scrutiny). Notice dated June 26, 2022 for conducting GST Audit u/s 65 of the CGST Act, 2017 (Notice No. DC-E-637/540/LTU-04/2018-19/ADT-01/2022-23/B-121).

3बी बनाम 2ए के अनुसार आईटीसी में अंतर - ₹ 0.32 करोड़ (अंतर आईडीबीआई बैंक के सीजीएसटी-एसजीएसटी में रिवर्स आईटीसी और आईजीएसटी में दावा किए गए आईटीसी से था)

Difference in ITC as per 3B Vs 2A - ₹ 0.32 Crore (Difference was on account of ITC Reversed in CGST-SGST of IDBI Bank Reversed and ITC Claimed in IGST.)

आईडीबीआई एएमसी ने उचित स्पष्टीकरण के साथ उक्त आदेश के प्रति अपना निवेदन किया है. अभी तक विभाग से कोई अतिरिक्त मांग की प्राप्ति नहीं हुई है. विभाग से आगे की सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है. अतः, इस स्तर पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

IDBI AMC has made its submission against the said order with due explanation. As of now, no further requirement from the Department has been received. Awaiting for further intimation from the Dept. Hence, no provision created at this stage.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. के मामले में: / In case of IDBI Capital Market & Securities Limited:

i) कंपनी की अन्य आकस्मिक देय मदें- / Other items for which the Company is contingently liable-

1. कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे - ₹ 2 करोड़ (पिछली अवधि के दौरान ₹ 0.21 करोड़) है जिसमें 18% की दर से ₹ 0.08 करोड़ (पिछले वर्ष के दौरान ₹ 0.01 करोड़) का ब्याज शामिल है.

Claims against the company not acknowledged as debt - ₹ 2 Crore (Previous period ₹ 0.21 Crore) including interest @ 18% amounting to ₹ 0.08 Crore (Previous year ₹ 0.01 Crore).

क) विवादित आयकर मामले

a) Disputed Income Tax Matters

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

कर-निर्धारण वर्ष Assessment Year	विवादित कर राशि / Disputed Tax Amount	
	यथा 31 मार्च 2023 As on March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 As on March 31, 2022
	2013-14	-
2014-15	0.29	0.25
2018-19	0.57	3
कुल / Total	0.86	14

विवादित आयकर के मामले विभिन्न अपील प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं। कंपनी को इसके विधिक परामर्शदाता द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि कंपनी के विरुद्ध कर की मांग असमर्थनीय है और मांग को मान्य ठहराए जाने की संभावना कम है। तदनुसार इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

Disputed Income Tax matters are pending before various Appellate Authorities. The Company has also been advised by its legal counsel that the tax demand against the company is untenable and likelihood of demand being upheld is low. Accordingly no provision in respect thereof has been made.

कर निर्धारण वर्ष 2006-07 और 2008-09 के संबंध में आयकर विभाग ने अपीलीय कार्यवाही में कंपनी को अनुमत कुछ व्ययों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में अपील की है। तथापि आगे ले जाई गई हानियों/ एमएटी के अंतर्गत स्वीकार्य कर के कारण कंपनी से कोई कर मांग नहीं की गई। कर-निर्धारण वर्ष 2012-13 (वित्तीय वर्ष 2011-12) के संबंध में आयकर विभाग ने आईटीएटी आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील की है। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार यह अपील उच्च न्यायालय में स्वीकारण हेतु विचाराधीन है और कंपनी ने अपने बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

In respect of Assessment Years 2006-07 and 2008-09, the Income Tax Dept. has gone in appeal before High Court pertaining to some of the expenses allowed to the Company in appellate proceedings. However there were no tax demands on the company due to adjustment of carried forward losses/admitted tax under MAT. In respect of Assessment Year 2012-13 (Financial Year 2011-12) Dept. has filed an appeal in High Court against the order of ITAT. This appeal before the High Court is pending for admission as on March 31, 2023 and Company has taken necessary steps to defend its position

ख) **विवादित सेवा कर मामले.**

b) **Disputed Service Tax Matters**

विभाग द्वारा की गई सेवा कर लेखा परीक्षा के दौरान पाए गए निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित वित्तीय वर्षों के लिए सेवा कर विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

Show cause notices have been raised by the Service Tax Dept. for following financial years based on the findings during the Service Tax Audit conducted by the Department.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

वित्तीय वर्ष Financial Year	विवादित सेवा कर राशि Disputed Service Tax Amount	
	यथा 31 मार्च 2023 As on March 31, 2023	यथा 31 मार्च 2022 As on March 31, 2022
	2010-11	0.006
2011-12	2	-
2012-13	1	3
2013-14	2	2
2014-15	2	2
2015-16	2	2
2016-17	0.65	0.66
2017-18	2	0.12
2018-19	4	-
2019-20	3	-
कुल / TOTAL	18	9

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

कंपनी द्वारा सभी कारण बताओ नोटिसों और माँगों का प्रतिवाद किया गया है और ये संबन्धित प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन हैं।

All the show cause notices and demand raised have been contested by the Company and are pending before the respective authorities.

- जुलाई, 2022 के महीने में कंपनी के रिटेल ब्रोकिंग कारोबार में धोखाधड़ी की एक घटना का पता चला। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता के नाम पर शिकायतकर्ता की सहमति के बिना धोखाधड़ी और दस्तावेजों में हेराफेरी कर एक ट्रेडिंग खाता खोला गया। उक्त ट्रेडिंग खाते को आईडीबीआई बैंक के पास शिकायतकर्ता के मौजूदा डीमैट खाते से जोड़ा गया है और उक्त डीमैट खाते के शेयरों को शिकायतकर्ता की सहमति के बिना अवैध रूप से बेच दिया गया। बिक्री की आय को बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बारे में शिकायतकर्ता का दावा है कि वह शिकायतकर्ता से संबंधित नहीं है। (अंतरित राशि का मूल्य ₹ 0.75 करोड़ था)। पुलिस को शिकायत की जा चुकी है और एफआईआर दर्ज होने का इंतजार है।

An incident of fraud was detected in the Retail Broking Business of the Company in the month of July, 2022. The Complainant has alleged that a Trading Account has been opened by the Company in the name of the Complainant without the Complainant's consent using fraudulent and manipulated documents. The said Trading account has been mapped to an existing demat account of the Complainant with IDBI Bank and the shares in the said demat account have been illegally sold without the consent of the Complainant. The proceeds of the sale have been transferred to Bank Accounts which the Complainant claims do not belong to the Complainant. (Value of proceeds transferred was ₹ 0.75 Cr). A complaint has been submitted to the Police and filing of FIR is awaited.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. के मामले में, / In case of IDBI Trusteeship Services Limited:

विवरण / Particulars	(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)	
	2022-23	2021-22
कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे: Claims against the company not acknowledged as debt :	0.065	0.065
i) कर-निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए आयकर मांग (विटेको) [कंपनी ने सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील की है] Income Tax demand for the AY 2007 – 08 (WITECO) (Company is in appeal before the CIT (Appeal))		
ii) प्रतिभूतिकरण लेन-देनों पर विथहोल्डिंग करों के भुगतान में विलंब होने पर विभिन्न प्रतिभूतिकरण न्यासों, जहां आईटीएसएल इसके लिए प्रतिभूतिकरण न्यासी के रूप में कार्यरत है, पर ₹ 2 करोड़ (लगभग) तक की राशि का ब्याज उत्पन्न हो सकता है There may arise interest on delayed payment of withholding taxes on Securitization transactions amounting to ₹ 2 crores (approximately) on various Securitization trusts, where ITSL is acting as Securitization Trustee for the same		

आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में : / In case of IDBI Intech Limited:

- कंपनी ने अपनी आईटी परियोजनाओं के लिए ग्राहकों को ₹ 5 करोड़ की बैंक गारंटी जारी की है। यथा 31 मार्च 2023 को इन गारंटियों के अंतर्गत आकस्मिक देयताएं ₹ 5 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹ 4 करोड़) रहीं।

The Company has provided bank guarantee of ₹ 5 Crore to customers for its IT Projects. as at 31st March 2023, the contingent liabilities under these guarantees amounted to ₹ 5 Crore (previous year ₹ 4 Crore)

- पूर्ववर्ती ओबीएसटी वर्टिकल के एक पूर्व कर्मचारी को ₹ 0.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.04 करोड़) की प्रतिकर राशि अदा करने के जयपुर उच्च न्यायालय के आदेश के प्रति कंपनी ने प्रतिवाद किया है और उच्च पीठ में अपील दायर की है और अनुकूल निर्णय की आशा करती है। कंपनी ने अनुमानित सांविधिक बकायों सहित अनुमानित आधार पर प्रावधान किया है। तथापि, उक्त ओबीएसटी वर्टिकल के दूसरे पूर्व-कर्मचारियों को किसी अन्य मुआवजे का भुगतान करने के परिणाम का पता नहीं लगाया जा सकता है और इसलिए सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है।

The company has contested and has appealed at higher bench against an order passed by the Jaipur High Court for a claim to pay compensation amounting to ₹ 0.04 Crore (previous year ₹ 0.04 Crore) to one of the ex-employees of the erstwhile OBST vertical and expects favorable outcome. The company has made provision on estimated basis including the possible statutory dues. However the outcome to pay any further compensation to other ex-employees of the said OBST vertical cannot be ascertained and hence no separate provision, except the retiring benefits, has been made.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii. आय पर करों के लिए दावे: / Claims for taxes on income:

जहाँ कंपनी अपील की प्रक्रिया में है: / Where the Company is in appeal:

- क) सेवा कर प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि के संबंध कंपनी द्वारा सेवा कर लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त किए गए कुछ सीईएनवीएटी क्रेडिट को अस्वीकार करते हुए ब्याज तथा दंड सहित ₹ 0.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.84 करोड़) की मांग की है. केंद्रीय कर आयुक्त (अपील) ने इस मांग को घटाकर ₹ 0.78 करोड़ कर दिया है. कंपनी ने उक्त आदेशों के खिलाफ सीईएसटीएटी को अपील की है जहां लगाए गए जुर्माने की राशि को अलग करके अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था. हालांकि, कंपनी ने कर विशेषज्ञ द्वारा दी गई सलाह और अपेक्षित अनुकूल परिणाम के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने का फैसला किया है. अतः ऐसी मांग के लिए किसी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है. तथापि कंपनी ने ₹ 0.51 करोड़ सविरोध भुगतान कर दिये हैं जिसे अन्य गैर-चालू आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है.
- a) Service tax authority put a demand of ₹ 0.84 Crore (previous year ₹ 0.84 Crore) including interest and penalty by disallowing certain CENVAT credit availed by the Company during the Service tax audit in respect of period from FY 2012-13 to FY 2017-18. This demand was reduced to ₹ 0.78 Crore by the Commissioner of Central Tax (Appeal). The company has appealed to CESTAT against the Orders where the appeal had been partially allowed by setting aside the penalty amount imposed. However, the Company has decided to appeal before the Hon. High Court for further relief, based on the advised given by the tax expert and expected favorable outcome. Hence no provision against such demand is considered necessary. However the company had paid ₹ 0.51 Crore under protest, which is reflected under other non-current assets.
- ख. वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा ₹ 0.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.26 करोड़) की मांग की गई है जिसका प्रतिवाद किया गया है और बिक्री कर उपायुक्त के समक्ष अपील दायर की गई है. मामले के गुणों के आधार पर कंपनी अनुकूल निर्णय की आशा करती है. अतः ऐसी मांग के लिए किसी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है.
- b) Demand of VAT made by Sales tax authority amounting to ₹ 0.26 Crore (previous year ₹ 0.26 Crore) for the period from FY 2010-11 to FY 2015-16 has been contested and appeal to Deputy Commissioner of Sales tax. Based on merit, the Company expects a favorable outcome on the same. Hence no provision against such demand is considered necessary.

*** मात्रात्मक प्रकटन के लिए अनुसूची 12 आकस्मिक देयताएं देखें.**

***Refer Schedule 12 Contingent Liabilities for quantitative disclosure.**

14. अन्य प्रकटन / OTHER DISCLOSURES

- I. वर्ष के दौरान अधिमन्य आधार पर कोई इक्विटी शेयर आबंटित नहीं किया गया (पिछले वर्ष शून्य).
During the year no Equity Shares were allotted on preferential basis (Previous year NIL)
- II. भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएसएसएफ) / Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) से सहमति प्राप्त करने के बाद, बैंक ने 24 मार्च, 2023 को ₹ 1500 करोड़ तक एसएसएसएफ प्रतिभूतियों को बट्टे खाते में डाल दिया. 31 मार्च, 2023 तक, शेष एसएसएसएफ के लिए कुल प्रावधान ₹ 879 करोड़ सहित पूर्ण प्रावधानित है.
During the year ended March 31, 2023, Bank has written off SASF securities to the extent of ₹ 1,500 crore on March 24, 2023, after obtaining concurrence of Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services (DFS). As on March 31, 2023, the balance SASF stands fully provided with aggregate provision of ₹ 879 crore.
- III. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय: / Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure:
- क. वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली सकल राशि: ₹ 2 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹ 2 करोड़)
a. Gross amount required to be spent during the year: ₹ 2 Crore (Previous Year: ₹ 2 Crore)
- ख. वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:
b. Amount spent during the year:

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

विवरण Particulars	(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)	
	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22 FY 2021-22
नकद / In cash	3	3
नकद भुगतान किया जाना शेष है / Yet to be paid in cash	0.16	0.12
कुल / Total	3	3

- IV. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसरण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में कुछ निश्चित प्रकटीकरण आवश्यक हैं. बैंक उक्त अधिनियम के अधीन कवर की जाने वाली सम्बद्ध जानकारियों को आपूर्तिकर्ताओं से लेकर समेकित करने की प्रक्रिया में है. प्रबंधन के अनुसार, ब्याज का प्रभाव, यदि कोई हो, जो इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार देय हो सकता है, महत्वपूर्ण नहीं है.

Pursuant to the provisions of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, certain disclosures are required to be made relating to micro, small & medium enterprise. The Bank is in the process of compiling relevant information from its suppliers about their coverage under the said Act. In view of the management, the impact of interest, if any, that may be payable in accordance with the provisions of this Act is not expected to be material.

V. कोविड-19 / COVID-19

- (क) कोविड-19 वायरस, एक वैश्विक महामारी ने पिछले दो से तीन वर्षों में विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है. कोविड-19 महामारी की नई लहर किस हद तक बैंक के संचालन और संपत्ति की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी, यह वर्तमान के साथ-साथ भविष्य के घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा, जो इस स्तर पर अनिश्चित हैं. बैंक का प्रबंधन इस संबंध में होने वाले घटनाक्रमों की बारीकी से निगरानी कर रहा है, जिसमें ग्राहकों की चूक में वृद्धि की संभावना, प्रावधानीकरण आवश्यकताओं में तदनु रूप वृद्धि और इसे कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाना शामिल है.

- a) The COVID-19 virus, a global pandemic affected the world's economy over the last two to three years. The extent to which new wave of COVID-19 pandemic will impact the Bank's operations and asset quality will depend on ongoing as well as future developments, which are uncertain at this stage. The management of the Bank is closely monitoring the developments in this regard, including the likelihood of rise in customer defaults, corresponding increase in provisioning requirements and taking necessary steps to mitigate the same.

- (ख) 31 मार्च 2023 को बैंक के पास कोविड-19 से संबन्धित कुल प्रावधान ₹ 116 करोड़ (कोविड-19 मानदंडों के अधीन पुनर्संरचना के लिए धारित प्रावधान को छोड़कर) था. बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंक ने मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 संबंधी ₹ 747 करोड़ के प्रावधान को रिवर्स कर दिया है.

- b) As at March 31, 2023, the Bank held aggregate COVID-19 related provision of ₹ 116 crore (other than provisions held for restructuring under COVID-19 norms). During the Quarter ended March 31, 2022, the Bank had reversed COVID-19 related provision of ₹ 747 crore in view of extant RBI guidelines.

- (ग) आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, समाधान संरचना 1.0 और समाधान संरचना 2.0 पर बैंक ने 31 मार्च, 2023 तक कुल ₹ 315 करोड़ के विनियामक प्रावधान को जारी रखा है. इसके अलावा, 31 मार्च, 2023 तक, बैंक ने कोविड आरएफ 1, आरएफ 2 और एमएसएमईआर ओटीआर संरचना के तहत पुनर्गठित खुदरा उधारकर्ताओं के लिए ₹ 1836 करोड़ का आकस्मिक प्रावधान किया है.

- c) In terms of RBI's circular on Resolution Framework 1.0 and Resolution Framework 2.0, Bank continues to hold regulatory provision aggregating to ₹ 315 crore as on March 31, 2023. In addition, as on March 31, 2023, Bank held contingency provision of ₹ 1,836 crore for retail borrowers restructured under COVID RF 1, RF 2 and MSMER OTR framework.

- VI. बैंक के पास 26 मई 2022 से ₹ 300 करोड़ की निवल ओवरनाइट खुली स्थिति (एनओओपी) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा है. वर्ष के दौरान खुली स्थिति स्वीकृत सीमा के भीतर थी और औसत उपयोग ₹ 127 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 78 करोड़) था. वर्ष के दौरान अधिकतम उपयोग 30 सितंबर 2022 को ₹ 223 करोड़ था. (पिछले वर्ष 15 अप्रैल 2021 को ₹ 146 करोड़).

The Bank has Board approved limit for Net Overnight Open Position (NOOP) fixed at ₹ 300 crore w.e.f. May 26, 2022. During the year the open position was within the approved limit and the average utilization was ₹ 127 crore (Prev. Year ₹ 78 crore). The maximum utilization during the year was at ₹ 223 crore on September 30, 2022. (Prev. Year ₹ 146 crore on April 15, 2021).

- VII. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, आपसी समझ से, लिखित या अन्य प्रकार से, बैंक, सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, विदेशी संस्था सहित ('मध्यवर्तियों') को कोई भी राशि अग्रिम या ऋण नहीं दी गई है या किसी संस्था में निवेश (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से जुटाई गई राशि से) नहीं किया गया है और यह कि मध्यवर्ती बैंक द्वारा निर्धारित पक्षकार को उधार दे पाएंगे या उनमें बैंक (अंतिम लाभार्थी) की तरफ से निवेश कर पाएंगे. इसके अतिरिक्त, बैंक, सहायक, सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था को किसी भी पक्षकार (निधीयन पक्षकार) से इस समझ के साथ निधि प्राप्त नहीं हुआ है कि बैंक, सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

Schedules to the Consolidated Financial Statements

रूप से, बैंक, सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था (‘अंतिम लाभार्थी’) की तरफ से निर्धारित या इनकी तरफ से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देंगे या इनमें निवेश करेंगे या अंतिम लाभार्थी की तरफ से गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार कुछ और प्रदान करेंगे।

During the year ended March 31, 2023, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank, Subsidiaries, Associate and Jointly controlled entity to or in any other persons or entities, including foreign entities (“Intermediaries”) with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall lend or invest in party identified by or on behalf of the Bank (Ultimate Beneficiaries). Further, The Bank, Subsidiaries, Associate and Jointly controlled entity has not received any fund from any parties (Funding Party) with the understanding that the Bank, Subsidiaries, Associate and Jointly controlled entity shall whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified by or on behalf of the Bank, Subsidiaries, Associate and Jointly controlled entity (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

- VIII. पिछले वर्ष के आंकड़े ब्रैकेट में दिए गए हैं तथा इन्हें पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि इनकी संपुष्टि चालू वर्ष के लिए की गई प्रस्तुति के साथ की जा सके और साथ ही इसे 30 अगस्त 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ‘वित्तीय परिणामों पर मास्टर निर्देश - प्रस्तुति और प्रकटन’ (20 फरवरी 2023 को अद्यतित) की अपेक्षाओं के अनुसरण में आवश्यकतानुसार संशोधन किया गया है।

Figures of the previous year, are disclosed in brackets and are regrouped/ rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year and also pursuant to the requirement of Master Direction on financial results - Presentation and disclosure issued by Reserve Bank of India dated August 30, 2021 (updated as on February 20, 2023), as amended and wherever considered necessary.

‘1’ से ‘18’ लेखा अनुसूचियों के लिए हस्ताक्षर
Signatures to Schedules ‘1’ to ‘18’ of Accounts

बोर्ड के आदेश से BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
डीआईएन/DIN: 06846594

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)

उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
डीआईएन/DIN: 03022106

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)

निदेशक
Director
डीआईएन/DIN: 01853823

(स्मिता कुबेर)
(Smita Kuber)

मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)

कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

कृते वर्मा एंड वर्मा

For Varma & Varma

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants

फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी

For G D Apte & Co

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants

फर्म पंजीयन संख्या/FRN-100515W

पी आर प्रसन्न वर्मा

P R Prasanna Varma

साझेदार/Partner

स. सं. 25854/M.No. 25854

सौरभ पेशवे

Saurabh Peshwe

साझेदार/Partner

स. सं. 121546/M.No. 121546

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक : 29 अप्रैल 2023 / Date : April 29, 2023

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2023

	(₹ '000 में / (₹ in '000s))	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2022
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
A. Cash flow from Operating Activities		
(1) कर और असाधारण मदों से पूर्व लाभ / (हानि) Net Profit/ (Loss) before tax and extra-ordinary items	5305 30 17	3720 46 89
(2) गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन Adjustments for non cash items:		
- अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल) (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets (Net)	1 86 43	(60 79)
- मूल्यहास और पुनर्मूल्यन हानि Depreciation and revaluation loss	499 20 77	490 31 94
- परिपक्वता तक धारित निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन Amortisation of premium on Held to Maturity investments	220 34 60	185 80 76
- ऋणों/निवेशों के लिए प्रावधान/ बट्टे खाते डालना Provisions/ Write off of Loans/ Investments	22 71 87	3311 61 08
- मानक और पुनर्रचित आस्तियों के लिए प्रावधान Provisions for Standard and restructured assets	1848 97 04	262 51 36
- अन्य प्रावधान / Other Provisions	1634 68 88	374 96 46
- निवेशों के पुनर्मूल्यन पर (लाभ)/हानि (Profit) / Loss on revaluation of Investments	(102 84 52)	(16 26 23)
- उधार पर ब्याज (परिचालन गतिविधियों के अलावा) Interest on borrowings (other than operational activities)	850 45 04	1162 56 75
- व्युत्पन्न और विनिमय लेनदेनों के उचित मूल्य पर (लाभ)/ हानि (Gain)/ loss on fair value of derivatives and exchange transactions	(146 49 13)	(14 04 76)
	10134 21 15	9477 33 46
(3) परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:		
- निवेश / Investments	(18173 25 40)	(4116 78 20)
- अग्रिम / Advances	(24359 28 94)	(10327 02 55)
- अन्य आस्तियाँ / Other Assets	2697 91 67	5056 60 83
- आयकर आस्तियाँ / Income Tax Asset	1103 01 53	2910 03 67
(4) परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:		
- उधार राशियाँ / Borrowings	901 96 51	1571 32 67
- जमा राशियाँ / Deposits	22472 56 48	2189 40 90
- अन्य देयताएँ एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	2621 92 45	(1693 12 59)
परिचालन कार्यकलापों (में प्रयुक्त) / से उत्पन्न निवल नकदी Net Cash (used in)/ generated from Operating activities	(2600 94 55)	5067 78 19
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
B. Cash Flow from Investing activities		
- अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर) Purchase (net of sale) of fixed assets	(294 45 14)	(194 65 46)
निवेश कार्यकलापों (में प्रयुक्त)/ से जुटाई गई निवल नकदी Net cash (used in) / raised from Investing activities	(294 45 14)	(194 65 46)
इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
C. Cash Flow from Financing activities		
- उधार राशियों पर चुकाया गया ब्याज / Interest paid on borrowings	(943 74 35)	(1240 45 72)
- बॉण्डों का मोचन / Redemption of Bonds	(2609 20 10)	(3134 40 00)
- अल्पसंख्यकों को लाभांश और लाभांश कर का भुगतान Dividend and dividend tax paid to minority	(11 58 46)	(8 19 85)
वित्तपोषण कार्यकलापों (में प्रयुक्त)/ से जुटाई गई निवल नकदी/ Net cash (used in) / raised from Financing activities	(3564 52 91)	(4383 05 57)

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2023

	(₹ '000 में / (₹ in '000s))	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2022
ई. ट्रांसलेसन रिजर्व पर विनिमय के उतार-चढ़ाव का प्रभाव	11 40 41	2 28 15
D. Effect of exchange fluctuation to translation reserve		
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	(6448 52 19)	492 35 31
NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS		
प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य	35800 47 23	35308 11 92
OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS		
अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य	29351 95 04	35800 47 23
CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS		
नकदी प्रवाह विवरण के लिए टिप्पणी / Note to Cash Flow Statement:		
1. नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में निम्नलिखित तुलन पत्र मदें शामिल हैं :		
Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:		
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	16639 28 10	27795 91 42
Cash & Balances with Reserve Bank of India		
बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय राशि	12712 66 94	8004 55 81
Balances with banks & money at call and short notice		
कुल / Total	29351 95 04	35800 47 23
2. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह परोक्ष पद्धति का प्रयोग कर रिपोर्ट किया जाता है		
Cash Flow from Operating activities is reported by using Indirect method		

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां (अनुसूची 17 और 18)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 & 18)

उपर्युक्त अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
डीआईएन/DIN: 06846594

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
डीआईएन/DIN: 03022106

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
डीआईएन/DIN: 01853823

(स्मिता कुबेर)
(Smita Kuber)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

कृते जी डी अप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN-100515W

पी आर प्रसन्न वर्मा
P R Prasanna Varma
साझेदार/Partner
स. सं. 25854/M.No. 25854

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार/Partner
स. सं. 121546/M.No. 121546

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 29 अप्रैल 2023 / Date : April 29, 2023

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

सहायक कंपनियों/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित विवरण STATEMENT CONTAINING SAILENT FEATURES OF THE FINANCIAL STATEMENT OF SUBSIDIARIES/ASSOCIATE COMPANIES/JOINT VENTURES

भाग ‘अ’: सहायक कंपनियां Part ‘A’: Subsidiaries

(₹ '000 में) / (₹ in '000s)

विवरण Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज IDBI Capital Market Services	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd
यदि सहायक संस्था की रिपोर्टिंग अवधि धारक कंपनी से भिन्न है, तो उसकी रिपोर्टिंग अवधि Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period			लागू नहीं Not Applicable		
विदेशी सहायक संस्थाओं के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को मुद्रा तथा विनिमय दर की रिपोर्टिंग Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries.			लागू नहीं Not Applicable		
शेयर पूंजी Share capital	128 10 00	6 03 28	200 00 00	20 00	15 55 15
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष Reserves & surplus	201 99 13	299 67 00	(65 50 99)	1 52 14	95 39 70
कुल आस्तियां Total assets	383 72 09	311 84 65	137 29 96	1 75 15	121 65 26
कुल देयताएं (पूंजी और आरक्षित निधियों के अलावा) Total Liabilities (excluding capital and reserves)	53 62 96	6 14 37	2 80 95	3 01	10 70 41
निवेश Investments	135 64 41	194 22 78	130 88 30	1 66 81	0
कुल कारोबार Turnover	96 63 15	86 52 96	35 58 08	32 47	151 08 56

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण

Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

(₹ '000 में) / (₹ in '000s)

विवरण Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज IDBI Capital Market Services	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd
कराधान से पहले लाभ Profit before taxation	11 85 18	64 91 85	13 81 07	5 16	16 81 80
कराधान के लिए प्रावधान Provision for taxation	3 58 69	16 54 69	1 14 36	1 65	3 55 25
कराधान के बाद लाभ Profit after taxation	8 26 49	48 37 17	12 66 70	3 51	13 26 55
प्रस्तावित लाभांश (कॉरपोरेट लाभांश कर सहित) Proposed Dividend (including corporate dividend tax)	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
शेयरधारिता का % % of shareholding	100%	54.70%	*66.67%	100%	100.00%

* 33.33% की शेष धारिता आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. द्वारा धारित है

* Balance holding of 33.33% is held by IDBI Capital Market & Securities Ltd.

टिप्पणियां / Notes:

- कुल कारोबार से तात्पर्य प्रत्येक संस्था द्वारा उनके वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई कुल आय से है।
Turnover is the total income reported by each of the entities in their financial statements.
- सहायक संस्थाओं के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है: कोई नहीं
Names of subsidiaries which are yet to commence operations: None
- सहायक संस्थाओं के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय किया गया हो: कोई नहीं
Names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year: None

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

भाग “आ”: सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यम Part “B”: Associates and Joint Ventures

(₹ '000 में) / (₹ in '000s)

क्रम सं. Sr. No.	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम Name of Associates/Joint Ventures	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि. Biotech Consortium India Limited	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Limited	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. North Eastern Development Finance Corporation Limited	एजिस फेडरल लाइफ इश्योरेंस कंपनी लि. (पूर्व में आईडीबीआई फेडरल लाइफ इश्योरेंस कंपनी लि. के रूप में ज्ञात) Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd. (Formerly known as IDBI Federal Life Insurance Company Limited)
1.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख Latest audited Balance Sheet Date	यथा 31 मार्च 2022 March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2022 March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2022 March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2023 March 31, 2023
2.	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के धारित शेयर Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end				
	इक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	150 00 04	1044 00 00	2500 00 02	-
	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यम में निवेश राशि Amount of Investment in Associates/Joint Venture	1 50 00	10 44 00	25 00 00	-
	धारिता का % Extend of Holding%	27.93%	26.10%	25.00%	-
3.	पर्याप्त प्रभाव होने के कारणों का विवरण Description of how there is significant influence	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि. में 27.93% की धारिता को लेखांकन मानक-23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in Biotech Consortium India Ltd being 27.93%, considered as an Associate as per AS-23	एनएसडीएल में 26.10% की धारिता को लेखांकन मानक-23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in NSDL being 26.10 %, considered as an Associate as per AS-23	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. में 25% की धारिता को लेखांकन मानक-23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in North Eastern Development Finance Corporation Ltd being 25%, considered as an Associate as per AS-23	लागू नहीं N.A.
4.	सहयोगी कंपनी/ संयुक्त उद्यम के समेकित नहीं होने का कारण Reason why the associate/joint venture is not Consolidated	लागू नहीं/ N.A.	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं/ N.A.	लागू नहीं N.A.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

(₹ '000 में) / (₹ in '000s)

क्रम सं. No.	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम Name of Associates/Joint Ventures	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि. Biotech Consortium India Limited	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Ltd	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. North Eastern Development Finance Corporation Limited	एजिस फेडरल लाइफ इन्शुरेंस कंपनी लि. (पूर्व में आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्शुरेंस कंपनी लि. के रूप में ज्ञात) Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd. (Formerly known as IDBI Federal Life Insurance Company Limited)
5.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता स्रोत जन्य निवल मालियत Networth attributable to Shareholding as per latest audited Balance Sheet	8 20 95	316 23 27	260 26 21	-
6.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि Profit / Loss for the year ended March 31, 2023				
	i. समेकन में शामिल Considered in Consolidation	-	41 12 92	-	4 35 90
	i. समेकन में शामिल नहीं Not Considered in Consolidation	-	-	-	-

टिप्पणियां

Notes:

- उन सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू नहीं हुआ है: कोई नहीं/
Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations: None
- उन सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त अथवा बेचा गया है: एजिस फेडरल लाइफ इन्शुरेंस कंपनी लि.
Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year : Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.
- नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. का समेकन एएस-23 के अनुसार 31 दिसंबर 2022 के गैर-लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित है.
National Securities Depository Ltd has been consolidated in accordance with AS-23 based on unaudited results as at December 31, 2022.
- पोंडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. के वित्तीय विवरणों का समेकन वित्तीय विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण नहीं किया गया है. सहयोगी संस्था में निवेश को बट्टे खाते डालकर एक रुपया कर दिया गया है.
The financials of Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd. have not been consolidated on account of non receipt of financial statements/annual report. The investment in the Associate is written down to rupee one.
- बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि., नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. और पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड की निवल मालियत, वांछित जानकारी की अनुपलब्धता के कारण वित्तीय वर्ष 2022 के अनुसार ली गई है.
The Networth of Biotech Consortium India Limited, National Securities Depository Ltd and North Eastern Development Finance Corporation Limited taken as per FY 2022 due to non availability of the desired information.

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
डीआईएन/DIN: 06846594

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
डीआईएन/DIN: 03022106

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
डीआईएन/DIN: 01853823

(स्मिता कुबेर)
(Smita Kuber)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक : 29 अप्रैल 2023 / Date : April 29, 2023

संयुक्त
पिलर III प्रकटन
*Consolidated
Pillar III Disclosures*

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

भारतीय रिज़र्व बैंक के बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2023 को पिलर III प्रकटन, तिमाही प्रकटनों के साथ बैंक की वेबसाइट पर 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2022-23 (Basel III) लिंक पर अलग से रखे गए हैं.

Pillar III disclosures at March 31, 2023 along with quarterly disclosures, as per Basel III guidelines of RBI have been disclosed separately on the Bank's website under 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2022-23 (Basel III).

आईडीबीआई बैंक ने 700 दिवसीय अमृत महोत्सव डिजाजिट की शुरुआत की



मुंबई। आईडीबीआई बैंक ने एक सीमित अवधि की पेशकश के रूप में सिर्फ 700 दिनों के लिए...

IDBI Bank Q4 net profit rises 64% on strong NII



IDBI Bank launches e-Bank Guarantee (e-BG) facility in partnership with NeSL



Hyderabad, (UNI) IDBI Bank has launched e-Bank Guarantee (e-BG) facility in partnership with NeSL. The facility allows businesses to obtain e-BG through a digital platform, reducing the need for physical documents and speeding up the process.

आईडीबीआई बैंक ने 3,645 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित

मुंबई, 29 अगस्त (एनआईएन)। आईडीबीआई बैंक ने अगस्त 2023 में शुद्ध लाभ अर्जित किया है। बैंक ने 3,645 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जो पिछले तिमाही के 2,438 करोड़ रुपए से 60% बढ़कर 927 करोड़ रुपए पर...

IDBI Bank signs MoU with Vayana Network as its first Fintech partner for e-SCF solutions



Hyderabad, (UNI) IDBI Bank has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Vayana Network as its first Fintech partner for e-SCF solutions. The partnership aims to provide digital supply chain financing solutions to businesses, improving their cash flow and operational efficiency.

आईडीबीआई बैंक ने पटना, बिहार में नए जॉनल ऑफिस का उद्घाटन किया



पटना, 29 अगस्त (एनआईएन)। आईडीबीआई बैंक ने पटना, बिहार में नए जॉनल ऑफिस का उद्घाटन किया। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक ने उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया और बैंक की सेवाओं का विस्तार करने का आश्वासन दिया।

IDBI Bank: Journey from PCA to highest-ever quarterly net profit



मुंबई, 29 अगस्त (एनआईएन)। आईडीबीआई बैंक ने पिछले तिमाही में अपने शुद्ध लाभ को 64% बढ़ाकर 2,438.27 करोड़ रुपए पर पहुंचाया है। बैंक ने पिछले तिमाही में 10,369.29 करोड़ रुपए का शुद्ध आय (NII) अर्जित किया है, जो पिछले तिमाही के 10,369.29 करोड़ रुपए से 64% बढ़कर 927 करोड़ रुपए पर...

IDBI बैंक का दिसंबर तिमाही का शुद्ध लाभ 60% बढ़कर 927 करोड़ रुपए पर



मुंबई, 29 अगस्त (एनआईएन)। आईडीबीआई बैंक का दिसंबर तिमाही का शुद्ध लाभ 60% बढ़कर 927 करोड़ रुपए पर पहुंचा है। बैंक ने पिछले तिमाही में 10,369.29 करोड़ रुपए का शुद्ध आय (NII) अर्जित किया है, जो पिछले तिमाही के 10,369.29 करोड़ रुपए से 64% बढ़कर 927 करोड़ रुपए पर...

IDBI Bank logs Rs 3,645 cr PAT, dividend Re 1 per share



CHENNAI, April 29 (IANS) IDBI Bank on Saturday said that it had closed FY23 with a net profit of about Rs 3,645 crore and the Board of Directors have recommended a dividend of Re 1 per equity share. In a regulatory filing, the IDBI Bank said its Board also...

IDBI Bank celebrates Azadi Ka Amrit Mahostav

Staff Reporter BHLAL, Aug 12 EXECUTIVE and employees of IDBI Bank from Bhlal Region took part in a grand rally, during the 'Azadi Ka Amrit Mahostav' to commemorate and celebrate the 75 years of Independence of India.



Executive and employees of IDBI Bank gathered for celebration.



आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:

आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,

कफ परेड, मुंबई - 400005

टोल फ्री नं.: 1800-209-4324 / 1800-22-1070.

नैर-टोल फ्री नं.: 022-67719100.

सीआईएन - L65190MH2004GOI148838

IDBI Bank Limited

Regd. Office:

IDBI Tower, WTC Complex,

Cuffe Parade, Mumbai - 400005

Toll Free Nos.: 1800-209-4324 / 1800-22-1070.

Non-Toll Free Nos.: 022-67719100.

CIN - L65190MH2004GOI148838

www.idbibank.in

[@idbi_bank](https://twitter.com/idbi_bank)

[/IDBIBank](https://facebook.com/IDBIBank)

[@idbibankofficial](https://instagram.com/idbibankofficial)

[YouTube/idbibank](https://youtube.com/idbibank)

[/idbibank](https://linkedin.com/company/idbibank)



आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई- 400 005
फोन-(022) 66552711/ 3147

ईमेल: idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट: www.idbibank.in

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों की 19वीं वार्षिक महासभा गुरुवार, दिनांक 13 जुलाई 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी:

सामान्य कारोबार

- 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के बैंक के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;
- 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए दस रुपये के अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए एक रुपया लाभांश की घोषणा करना;
- श्री मनोज सहाय (डीआईएन: 08711612), भारत सरकार के नामिती निदेशक की आवर्ती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;
- श्री सुशील कुमार सिंह (डीआईएन: 09584577), भारत सरकार के नामिती निदेशक की आवर्ती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;

विशेष कारोबार

- निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए संबद्ध नियमों के साथ पठित इसकी धारा 160, 196, 203, अनुसूची V तथा अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित अनुच्छेद 116(1) (iii) एवं (vii), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों तथा अन्य कोई लागू कानूनों (जिसमें वर्तमान समय में लागू कोई सांविधिक संशोधन, आशोधन (नों), परिवर्तन (नों) या उसमें पुनः अधिनियमन शामिल हैं), के अनुसार, श्री जयकुमार एस. पिल्लई (डीआईएन 10041362), जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त के लिए दायी होंगे, की 12 जून 2023 से 3 वर्षों की अवधि के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाए तथा एतद्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जिसका अनुमोदन रिजर्व बैंक द्वारा 19 मई 2023 के पत्र तथा नोटिस के इस संकल्प के व्याख्यात्मक विवरण में निर्धारित पारिश्रमिक पर 22 मई 2023 को निदेशक मंडल द्वारा किया गया है।



IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai- 400 005,
Phone-(022) 66552711 / 3147
E-mail: idbiequity@idbi.co.in, Website: www.idbibank.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 19th Annual General Meeting of the Members of IDBI Bank Limited will be held on Thursday, July 13, 2023 at 11:00 a.m. exclusively through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM), to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Bank for the year ended March 31, 2023 and the Reports of the Board of Directors & Auditors thereon and the Audited Consolidated Financial Statements of the Bank and the report of the Auditors thereon for the year ended March 31, 2023;
- To declare dividend of Rupee One per equity share having face value of Rupees Ten each for the Financial Year ended March 31, 2023;
- To re-appoint Shri Manoj Sahay (DIN: 08711612), GOI Nominee Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment;
- To re-appoint Shri Sushil Kumar Singh (DIN: 09584577), GOI Nominee Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment;

SPECIAL BUSINESS

- To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT in terms of Article 116(1)(iii) & (vii) read with Sections 160, 196, 203, Schedule V and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder, Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India, in this regard, from time to time, the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), approval of members be and is hereby accorded to the appointment of Shri Jayakumar S. Pillai (DIN-10041362) as a Director liable to retire by rotation and Deputy Managing Director on the Board of IDBI Bank Limited for a period of 3 years w.e.f. June 12, 2023 as approved by the RBI vide letter dated May 19, 2023 and by Board of Directors on May 22, 2023 on the remuneration as set out in the explanatory statement to this resolution of the Notice."

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम"), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों तथा अन्य प्रासंगिक विधि प्रावधानों (जिसमें वर्तमान में लागू कोई संशोधन(नों), सांविधिक संशोधन(नों), या उसमें पुनः अधिनियमन शामिल हैं) के अनुसरण में बैंक के सदस्य एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित किया गया है तथा इस शब्द में बोर्ड द्वारा इस संकल्प में दी गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के उपयोग के लिए गठित/ गठन की जाने वाली कोई भी समिति (समितियां) शामिल हैं) को बैंक के एक संबद्ध पक्षकार होने के नाते भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ संविदाएं/करार/लेनदेन करने और/या जारी रखने (एकल लेनदेन अथवा लेनदेनों का समूह या लेनदेनों की श्रृंखला अथवा अन्यथा) को पहले की व्यवस्थाओं/ लेनदेनों की निरंतरता (ओं) या नवीनीकरण (णों) या विस्तार (रों) या संशोधन (नों) के माध्यम से या नए और स्वतंत्र लेनदेन (नों) के रूप में अथवा अन्यथा रूप में निम्नानुसार करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं:

- 1) एलआईसी से चातु खाता जमा या सावधि जमा ("जमाराशियां") सहित जमाराशियां (किसी भी रूप में और किसी भी नाम से) और उस पर ब्याज;
- 2) लागू कानूनों और बैंक की संबंधित नीतियों के अंतर्गत यथा अनुमत राशि और शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभूति, अवधि आदि सहित) पर एलआईसी को किसी भी प्रकार का ऋण या अग्रिम, ऋण सुविधाएं अथवा किसी भी प्रकार की निधि-आधारित सुविधाएं तथा/ अथवा गारंटियां, साख पत्र अथवा किसी भी प्रकार की गैर-निधि आधारित सुविधाएं मंजूर करना; तथा
- 3) एलआईसी को बैंक की ऋण प्रतिभूतियां जारी करना, ब्याज का भुगतान और उसकी मोचन राशि
- 4) बीमा उत्पादों और अन्य संबद्ध व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन
- 5) एलआईसी के साथ सहमत प्रतिफल पर अथवा समय-समय पर हुई सहमति के अनुसार तथा/ अथवा बैंक/ इसकी सहायक कंपनियों द्वारा निम्न कार्यों के लिए अन्य लेन-देन और/या व्यवस्थाएं और/या संसाधनों/ सेवाओं का एलआईसी को/से अंतरण: (i) प्रतिभूतियों का क्रय/ विक्रय, शुल्क, प्रभार, राजस्व, कमीशन, प्रीमियम, ब्रोकरेज या कस्टडी/ डिपॉजिटरी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं, बीमा सेवाओं, आस्ति प्रबंधन शुल्क, अनुबंध शुल्क जारी करने व भुगतान करने, साझा सेवाएं, संग्रहण और भुगतान सेवाएं, प्रतिभूतियां जारी करने जैसे कार्यों से अन्य आय प्राप्त करने के लिए तथा/ अथवा (ii) किए गए व्यय, जो बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियों में प्रकट किये गये हैं.

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष के दौरान इस तरह के अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन, चाहे एकल रूप में तथा/ अथवा समग्र रूप में, 1,000 करोड़ रुपये अथवा बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार के 10%, इनमें से जो भी कम हो, अथवा समय-समय पर विधि/ विनियमनों

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Section 188 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and other applicable provisions of the Act read with rules made thereunder and any other relevant provisions of law, (including any amendment(s), statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Members of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the "Board", which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this resolution), for carrying out and /or continuing with contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), with Life Insurance Corporation of India (LIC), being a related party of the Bank, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

- 1) Deposits (in any form and by whatever name called), including Current Account Deposits or Fixed Deposits ("Deposits") from LIC and interest thereon;
- 2) Granting of any loans or advances, credit facilities, or any other form of Fund-based facilities, and/ or guarantees, letters of credit, or any other form of Non-Fund based facilities to LIC, sanctioned up to an amount and on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure etc.) as permissible under applicable laws and the relevant policies of the Bank; and
- 3) Issue of debt securities of the Bank to LIC, payment of interest and redemption amount thereof.
- 4) Fees/commission for distribution of insurance products and other related business
- 5) Other transactions and / or arrangements with and / or transfer of resources / services from/ to LIC, against the consideration agreed upon or as may be agreed from time to time and/ or where the Bank/ its subsidiaries would (i) purchase/ sell securities, receive fees, charges, revenue, commission, premium, brokerage or any other income, such as for custody / depository services, advisory services, insurance services, asset management fees, Issuing and Paying Agreement fees, shared services, collection and payment services, issue of securities and / or (ii) incur expenses, as may be disclosed in the notes forming part of the consolidated financial statements of the Bank

notwithstanding the fact that such contracts/ arrangements/transactions during a Financial Year, whether individually and/or in the aggregate, may exceed ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank as per the last

के अंतर्गत प्रयोज्य अन्य तात्विक सीमा, जिसमें जमा व ब्याज ऐसे लेनदेन मूल्य का प्रमुख हिस्सा हों, से अधिक हो सकते हैं; बशर्ते उक्त अनुबंध/ व्यवस्था/ लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार सिद्धांत आधार पर और बैंक के सामान्य व्यवसाय के तहत हो."

“यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बोर्ड (इस पद के अंतर्गत ऐसी कोई भी समिति शामिल है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा गठित की गई है या इसके बाद गठित की जाती है और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है) द्वारा ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और कोई करार, दस्तावेज तथा लिखावट निष्पादित करने के लिए, जो उनके एकल विवेकाधिकार के अंतर्गत उचित समझे जाएं तथा बैंक के किसी भी निदेशक (कों) तथा/ अथवा अधिकारी(रियों) को अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों के निष्पादन के लिए और इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए सभी या किसी भी अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं.”

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि " संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम"), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों तथा अन्य प्रासंगिक विधि प्रावधानों (जिसमें वर्तमान में लागू कोई संशोधन(नों), सांविधिक संशोधन(नों), या उसमें पुनः अधिनियमन शामिल हैं) के अनुसरण में बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित किया गया है तथा इस शब्द में बोर्ड द्वारा इस संकल्प में दी गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के उपयोग के लिए गठित/ गठन की जाने वाली कोई भी समिति (समितियां) शामिल हैं) को बैंक के एक संबद्ध पक्षकार होने के नाते आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. (आईसीएमएस) के साथ संविदाएं/करार/लेनदेन करने और/या जारी रखने (एकल लेनदेन अथवा लेनदेनों का समूह या लेनदेनों की श्रृंखला अथवा अन्यथा) को पहले की व्यवस्थाओं/ लेनदेनों की निरंतरता (ओं) या नवीनीकरण (णों) या विस्तार (रों) या संशोधन (नों) के माध्यम से या नए और स्वतंत्र लेनदेन (नों) के रूप में अथवा अन्यथा रूप में निम्नानुसार करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं:

क. प्राथमिक बाजार से उच्च रेटिंग वाले जारीकर्ताओं की गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में अभिदान और उन्हें लाभ पर पेशान निधियों, भविष्य निधियों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंडों, एचएनआई तथा अन्य ऐसे निवेशकों को बेचना.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बोर्ड (इस पद के अंतर्गत ऐसी कोई भी समिति शामिल है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा गठित की गई है या इसके बाद गठित की जाती है और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है) द्वारा ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और कोई करार, दस्तावेज तथा लिखावट निष्पादित करने के लिए, जो उनके एकल विवेकाधिकार के अंतर्गत उचित समझे जाएं तथा बैंक के किसी भी निदेशक (कों) तथा/ अथवा अधिकारी(रियों) को अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों के निष्पादन के लिए और इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए सभी या किसी भी अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं.”

audited financial statements of the Bank, whichever is lower, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time wherein Deposits and interest thereon would form a substantial portion of such transaction value; provided however, that the said contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT the members of the Bank do hereby accord approval to the Board (which term shall include any Committee, which the Board of Directors of the Bank may have constituted or may hereafter constitute and delegated with the powers necessary for the purpose), to do all such acts, deeds, matters and things and to execute any agreements, documents and writings as may be required, in its sole discretion deem fit and to delegate all or any of its powers conferred herein to any Director(s) and/or Officer(s) of the Bank for execution of contracts/ arrangements/transactions and to give effect to this Resolution.”

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution**:

“RESOLVED THAT pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), Section 188 of the Companies Act, 2013 (“the Act”) and other applicable provisions of the Act read with rules made thereunder and any other relevant provisions of law, (including any amendment(s), statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Members of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the “Board”, which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this resolution), for carrying out and /or continuing with contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), with IDBI Capital Market & Securities Ltd. (ICMS), being a related party of the Bank, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

a. subscription of Non SLR securities of highly rated issuers from primary market and selling them to investors such as Pension Funds, Provident Funds, Insurance Companies, Mutual Funds, HNIs and other such investors at a profit”

“RESOLVED FURTHER THAT the members of the Bank do hereby accord approval to the Board (which term shall include any Committee, which the Board of Directors of the Bank may have constituted or may hereafter constitute and delegated with the powers necessary for the purpose), to do all such acts, deeds, matters and things and to execute any agreements, documents and writings as may be required, in its sole discretion deem fit and to delegate all or any of its powers conferred herein to any Director(s) and/or Officer(s) of the Bank for execution of contracts / arrangements/transactions and to give effect to this Resolution.”

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

“**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन बनाए गए संबद्ध नियमों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित उसकी धारा 14 के प्रावधानों, बैंकिंग विनियम अधिनियम के प्रावधानों तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों और सेबी द्वारा जारी किए गए परिपत्रों तथा अन्य लागू कानूनों (जिसमें वर्तमान में लागू कोई सांविधिक संशोधन (नों), आशोधन (नों), परिवर्तन (नों) या उसमें पुनः अधिनियमन (नों) शामिल हैं), यदि कोई हो, और आरबीआई के अनुमोदन के अधीन, जो इस संबंध में आवश्यक हो सकता है तथा ऐसे निबंधनों, शर्तों और आशोधनों के अधीन, जो अनुमोदन प्रदान करने में उनके द्वारा निर्धारित किये जा सकते हैं के अनुसरण में, बैंक के सदस्य आईडीबीआई बैंक के संस्था के अंतर्नियमों में परिवर्तन के लिए निम्नानुसार सहमति प्रदान करें और एतद्वारा प्रदान की जाती है।

परिवर्तित अनुच्छेद 114 (ए)

डिबेंचर निदेशक (यदि कोई हो) को छोड़कर निदेशकों की संख्या तीन से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होगी, या ऐसी अन्य संख्या जो समय-समय पर महासभा में कंपनी द्वारा उपर्युक्त सीमा और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाये.	निदेशकों की संख्या
---	--------------------

नवीन अनुच्छेद 116बी

कंपनी के डिबेंचरों या बॉन्डों से संबंधित किसी भी ट्रस्ट दस्तावेजों में निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान किया जा सकता है (इन प्रस्तावों को “डिबेंचर निदेशक” के रूप में जाना जाता है) जो सेबी (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993 के विनियम 15(1)(ई) में प्रदान की गई चूक की स्थितियों के मामले में, उसमें वर्णित ऐसी अवधि के लिए जो उस अवधि से अधिक नहीं होगी, जिसके लिए डिबेंचर/ बॉण्ड्स या उनमें से कोई भी बकाया रहेगा और ऐसे डिबेंचर निदेशक को पद से हटाने और रिक्त पद पर डिबेंचर निदेशक की नियुक्ति, जो इस्तीफा, मृत्यु, हटाने या अन्यथा के कारण रिक्त हुआ हो. डिबेंचर निदेशक आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होने या ऊपर बताई गई स्थिति को छोड़कर कार्यालय से हटाए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे.	डिबेंचर निदेशक
---	----------------

यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक का निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में बैंक के एमडी एवं सीईओ या किसी अन्य अधिकारी (यों) को अपने प्राधिकार सौंपने सहित ऐसे सभी कृत्यों, विलेखों और अन्य कार्यों को करने या किए जाने के कारण जो अपेक्षित हों या आवश्यक या प्रासंगिक माने जायें

8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Special Resolution**:

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 14 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the relevant rules made thereunder and other applicable provisions, if any, provisions of the Banking Regulations Act, and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India, in this regard, from time to time, the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 and circulars issued by SEBI and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), if any, and subject to approval of the RBI as may be required in this regard and subject to/ in accordance with such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting their approval, consent of the Members of the Bank be and is hereby accorded for alteration of Articles of Association of IDBI Bank, as follow:

Altered Article 114 (a)

The number of Directors excluding a Debenture Director (if any) shall not be less than three and more than fifteen, or such other number as may be determined from time to time by the Company in General Meeting in accordance with the aforesaid limit and provisions of the Act.	Number of Directors
---	---------------------

New Article 116B

Any trust documents covering the issue of debentures or bonds of the Company may provide for the appointment of a Director (in these presents referred to as “Debenture Director”), in case of events of default provided in Regulation 15(1)(e) of the SEBI (Debenture Trustees) Regulations, 1993, for such period as is therein provided not exceeding the period for which the debentures/ bonds or any of them shall remain outstanding and for the removal from office of such Debenture Director and on a vacancy being caused whether by resignation, death, removal or otherwise for appointment of a Debenture Director in the vacant place. The Debenture Director shall not be liable to retire by rotation or be removed from office except provided as aforesaid”	Debenture Director
---	--------------------

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to MD & CEO or any other officer(s) of the Bank, as may be required or

और उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए के लिए प्राधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा किया जाता है।

**बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन: 06846594

considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution.”

**By Order of the Board
For IDBI Bank Limited**

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

पंजीकृत कार्यालय:

आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई- 400005.

दिनांक: 15 जून 2023

टिप्पणियां :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक विशेष कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
2. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 05 मई 2022 के परिपत्र सं. 02/2022, दिनांक 13 जनवरी 2021 के परिपत्र सं. 02/2021, दिनांक 08 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 14/2020, दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 17/2020, दिनांक 05 मई 2020 के परिपत्र सं. 20/2020 के साथ पठित दिनांक 28 दिसंबर 2022 के परिपत्र सं. 10/2022 को ध्यान में रखते हुए तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिनांक 13 मई 2022 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62, दिनांक 15 जनवरी 2021 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/एफ/2020/11 और दिनांक 12 मई 2020 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/एफ/2020/79 के साथ पठित 05 जनवरी 2023 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 के अनुसरण में सदस्य आगामी वार्षिक महासभा (एजीएम) में वीसी/ओएवीएम माध्यम से उपस्थित और भाग ले सकते हैं।
3. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 08 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 14/2020 के साथ पठित दिनांक 28 दिसंबर 2022 के परिपत्र सं. 10/2022 के अनुसरण में, इस वार्षिक महासभा में सदस्यों को उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तथापि, निकाय कॉर्पोरेट वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए हकदार हैं और इस प्रकार वे वार्षिक महासभा में भाग लेकर ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं।
4. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता करने की सुविधा 1000 सदस्यों को पहले आए पहले पाएं आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या इससे अधिक की शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति और स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं हैं जिन्हें पहले आए पहले पाएं आधार संबंधी प्रतिबंध के बिना महासभा में भाग लेने की अनुमति है।

Registered Office:

IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005
Dated: June 15, 2023

NOTES:

1. Explanatory Statements in respect of each Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013 are annexed herewith.
2. In terms of Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 read with Circular no. 02/2022 dated May 05, 2022, Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/F/2020/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/F/2020/79 dated May 12, 2020 issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI), members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM.
3. Pursuant to the Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, issued by the MCA, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate there at and cast their votes through e-voting.
4. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता करने वाले सदस्यों की उपस्थिति की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम का निर्धारण करने के प्रयोजन हेतु गणना की जाएगी.
 6. कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा सेबी सूचीबद्धता विनियम (यथा संशोधित) के विनियम 44 और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 05 मई 2022, 13 जनवरी 2021, 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 और 5 मई 2020 के साथ पठित 28 दिसम्बर 2022 के परिपत्र के अनुसरण में बैंक महासभा में संपन्न किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है. बैंक ने इस प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ करार किया है. सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा और साथ ही महासभा के दिन ई-वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.
 7. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 17/2020 के साथ पठित 28 दिसंबर 2022 के परिपत्र सं. 10/2022 अनुपालन में वार्षिक महासभा में बुलाए जाने का नोटिस बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर अपलोड किया गया है. यह महासभा का नोटिस स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com से भी देखी जा सकती है. यह एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करानेवाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है.
 8. अनुच्छेद 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में यथा उपबंधित रूप में वार्षिक महासभा के लिए कोरम सभा में कम से कम तीस सदस्यों (एलआईसी के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के वीसी के जरिए उपस्थित होने पर पूरा होगा.
 9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इकाई: आईडीबीआई बैंक, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं. 31-32, गच्छीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, ईमेल: einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, 'बी' विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेलीफोन नं. (022) 66553147/2711/3062/3336, ईमेल: idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.
 10. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार महासभा के दौरान निरीक्षण के लिए रजिस्टर उपलब्ध रहेंगे जिसके लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली <https://www.evoting.nsdl.com/> पर लॉगिन करना होगा.
 11. यथा संशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार:
 - i) वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.
 - ii) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट दे चुके सदस्य वार्षिक महासभा में भी भाग ले सकते हैं परंतु वे वार्षिक महासभा में दोबारा अपना वोट देने के पात्र नहीं होंगे.
5. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
 6. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations (as amended) and the Circulars issued by the MCA dated December 28, 2022 read with May 05, 2022, January 13, 2021, April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020, the Bank is providing facility of remote e-Voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as e-voting on the date of the AGM will be provided by NSDL.
 7. In line with the MCA Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 read with Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.idbibank.in. The AGM Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.
 8. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the LIC) present in the meeting through VC.
 9. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., KFin Technologies Limited at their address at unit: IDBI Bank, Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad- 500 032 [Tel. No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at 22nd floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005 [Tel. No.(022) 66553147/2711/3062/3336, E-mail: idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.
 10. Registers as per Companies Act, 2013 shall be available for inspection during the AGM upon login at NSDL e-voting system at <https://www.evoting.nsdl.com/>
 11. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended :
 - i) The Items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.
 - ii) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

iii) लॉगइन आईडी का ब्योरा इस नोटिस में नीचे दिया गया है.

iii) Details of login id are given below in this Notice.

12. सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ **शुक्रवार, 07 जुलाई 2023 से गुरुवार, 13 जुलाई 2023 तक (दोनों दिन शामिल)** बंद रहेगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक महासभा सूचना में दी गई कारोबार की मर्दान पर उन शेयरधारकों द्वारा कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान देकर की जा सकती है जिनके नाम बहियों में सदस्य के रूप में हैं या जो यथा **गुरुवार, दिनांक 06 जुलाई 2023** (दिनांक), वह तारीख जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में निर्धारित है, को शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं.

12. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Friday, July 07, 2023 to Thursday, July 13, 2023 (both days inclusive)**. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on **Thursday, July 06, 2023** (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised by remote e-voting.

13. 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश हेतु सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए **‘रिकार्ड तिथि’ गुरुवार 06 जुलाई 2023** है.

13. The **‘Record Date’** for determining entitlement of members to dividend for the Financial Year ended March 31, 2023 is **Thursday, July 06, 2023**.

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **शनिवार, 08 जुलाई 2023 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) शुरू होगी और बुधवार, 12 जुलाई 2023 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)** समाप्त होगी. उक्त समयावधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा. जिन सदस्यों के नाम सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में यथा रिकॉर्ड की तारीख (कट-ऑफ तारीख), अर्थात् **गुरुवार, 06 जुलाई 2023** को दर्ज हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से दे सकते हैं. शेयरधारकों के मताधिकार यथा निर्दिष्ट तारीख, जो **06 जुलाई 2023** है, को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के अनुपात में होंगे.

The remote e-voting period begins on and from **Saturday, July 08, 2023 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, July 12, 2023 at 5.00 p.m (IST)**. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. **Thursday, July 06, 2023**, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Bank as on the cut-off date, being **July 06, 2023**.

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से किस प्रकार मतदान करूँ?

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार शामिल

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

चरण 1 : एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर एक्सेस करना

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

अ) **ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन पद्धति तथा डिमैट पद्धति से प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों द्वारा वर्चुअल बैठक में शामिल होना**

A) **Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode**

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सुविधा के बारे में दिनांक 09 दिसंबर 2020 सेबी के परिपत्र के अनुसार, डिमैट पद्धति से प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरियों और डिपॉजिटरी सहभागियों के पास खोले गए डिमैट खातों के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी गई है. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने डिमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें.





In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.





डिमेंट पद्धति से प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति नीचे दी जा रही है :

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

शेयरधारक का प्रकार	लॉगिन की पद्धति
वैयक्तिक शेयरधारक जो एनएसडीएल के पास डिमेंट रूप में प्रतिभूति रखते हैं	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा आईडीईएएस यूजर व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल से एनएसडीएल की ई-सर्विसेस वेबसाइट : https://eservices.nsd.com पर जाएं. ई-सर्विसेस होम पेज पर “Login” के अंतर्गत “Beneficial Owner” आइकॉन पर क्लिक करें जो “IDeAS” सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. यह आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करने के लिए कहेगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सर्विसेस देख पाएंगे. ई-वोटिंग सर्विसेस के अंतर्गत “Access to e-Voting” पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे. बैंक के नाम या “e-Voting service provider अर्थात् NSDL” पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे. यदि यूजर आईडीईएएस ई-सर्विसेस के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो https://eservices.nsd.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. “Register Online for IDeAS” पोर्टल सिलेक्ट करें या https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जायें. अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर/मोबाइल पर यूआरएल : https://www.evoting.nsd.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोलें. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलते ही Login आइकॉन पर क्लिक करें जो ‘Shareholder/Member’ सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के पास सोलह अंकों का आपका खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप एनएसडीएल की डिपोजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं. बैंक के नाम या e-Voting service provider - NSDL पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे. शेयरधारक/ सदस्य निर्बाध वोटिंग अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल एप “NSDL Speede” सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं.

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	<ol style="list-style-type: none"> Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsd.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under “IDeAS” section , this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on Bank name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsd.com. Select “Register Online for IDeAS” Portal or click at https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsd.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on Bank name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App “NSDL Speede” facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.

	<p style="text-align: center;">NSDL Mobile App is available on</p> <p style="text-align: center;">   </p> <p style="text-align: center;">   </p>
<p>वैयक्तिक शेयरधारक जो सीडीएसएल के पास डिमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. मौजूदा यूजर जिन्होंने सीडीएसएल ईजी/इजीएस्ट सुविधा का चयन किया है, वे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं. बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के ई-वोटिंग पेज पर जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा. ईजी/इजीएस्ट पर लॉगिन करने हेतु उपयोगकर्ता से अनुरोध है कि सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com विजिट करें और लॉगिन तथा इसके बाद New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और अपना मौजूदा ईजी उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें. 2. सफल लॉग-इन के बाद ईजी/इजीएस्ट यूजर पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार वोटिंग जारी है. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे. इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी प्रदान किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें. 3. यदि यूजर ईजी/इजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. लॉगिन और New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें. 4. विकल्प के तौर पर, यूजर www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डिमैट खाता संख्या और पैन नंबर मुहैया करा कर सीधे ई-वोटिंग पेज पर एक्सेस कर सकते हैं. सिस्टम, डिमैट खाते में रिकॉर्ड पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेज कर यूजर का सत्यापन करेगी. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, यूजर ई-वोटिंग का विकल्प देख सकेंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाता सीधे सिस्टम में एक्सेस कर सकेंगे.

	<p style="text-align: center;">NSDL Mobile App is available on</p> <p style="text-align: center;">   </p> <p style="text-align: center;">   </p>
<p>Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Existing users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then use your existing my easi username & password. 2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there are also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.

वैयक्तिक शेयरधारक (जो डिमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखते हैं) जो अपने डिपॉजिटरी सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से अपने डिमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए भी लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद आप ई-वोटिंग संबंधी विकल्प देख पाएंगे. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते ही सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद आप एनएसडीएल/सीडीएसएल के डिपॉजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग फीचर देख सकते हैं. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.
--	---

Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
--	--

महत्वपूर्ण सूचना: जो सदस्य अपना यूजर आईडी/ पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं वे उपर्युक्त वेबसाइट पर **Forgot User ID** और **Forgot Password** विकल्प का उपयोग करें.

डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए एनएसडीएल एवं सीडीएसएल जैसे डिपॉजिटरी के माध्यम से लॉगिन करने में आने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिए हेल्पडेस्क.

लॉगिन स्वरूप	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल में डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्यगण evoting@nsdl.co.in पर अपने अनुरोध भेजकर अथवा टोल फ्री नंबरों 022-4886-7000 एवं 022-2499-7000 को कॉल कर एनएसडीएल की हेल्पडेस्क से संपर्क करें.
सीडीएसएल में डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्यगण helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अपने अनुरोध भेजकर अथवा टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 को कॉल कर सीडीएसएल की हेल्पडेस्क से संपर्क करें.

आ) डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और भौतिक स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग/ वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें ?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जायें. अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें.
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पृष्ठ एक बार खुल जाने पर "Login" आइकॉन पर क्लिक करें जो 'Shareholders/ Member' खंड के अंतर्गत उपलब्ध है.
3. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाया गया सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा.

विकल्प के तौर पर, यदि आप एनएसडीएल ईसेवाओं, अर्थात् आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएस लॉगिन से <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं. अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए एनएसडीएल ईसेवाओं पर लॉग-इन हो जाने पर, e-Voting पर क्लिक कर आप चरण 2, अर्थात् **Cast your vote electronically** की तरफ बढ़ सकते हैं.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use **Forgot User ID** and **Forgot Password** option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 022-4886-7000 and 022-2499-7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

ब) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. **Cast your vote electronically**.

4. आपके यूजर आईडी संबंधी विवरण नीचे दिये गये हैं :

शेयर धारण करने की पद्धति, अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका यूजर आईडी है :
क) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर एनएसडीएल के डीमैट खाते में हैं.	8 अक्षरों-अंकों से युक्त डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी. उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** और ग्राहक आईडी 12***** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12***** होगा.
ख) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर सीडीएसएल डीमैट खाते में हैं.	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12***** है तो आपका यूजर आईडी 12***** होगा.
ग) उन सदस्यों के लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं.	ईवीईएन संख्या और उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो संख्या. उदाहरण के लिए, यदि फोलियो संख्या 001*** है और ईवीईएन संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगा.

5. वैयक्तिक शेयरधारक से इतर शेयरधारक के पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं :

- क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना वर्तमान पासवर्ड लॉगिन के लिए प्रयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं.
- ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको भेजे गए 'प्रारंभिक पासवर्ड' को रिट्रीव करने की आवश्यकता होगी. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' रिट्रीव करने पर, आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्रविष्ट करना होगा और इसके बाद प्रणाली आपको अनिवार्यतः पासवर्ड बदलने के लिए निर्देश देगी.
- ग) आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे रिट्रीव करें ?
- (i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या बैंक के पास पंजीकृत है तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा. अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को खोजें. ईमेल और अटैचमेंट, अर्थात् पीडीएफ फाइल खोलें. पीडीएफ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड, एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो संख्या है. पीडीएफ फाइल में आपके 'यूजर आईडी' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' होंगे.
- (ii) यदि आपका ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो आप नीचे उन शेयरधारकों संबंधी प्रक्रियाओं में उल्लिखित चरणों का पालन करें जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं.

6. यदि आप पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो :

- क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password?" पर क्लिक करें (यदि आपके शेयर एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में हैं).
- ख) www.evoting.nsdl.com पर "Physical User Reset Password?" विकल्प उपलब्ध है (यदि आपके शेयर भौतिक रूप में हैं).

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the bank. For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***.

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

- a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
- c) How to retrieve your 'initial password'?
- (i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
- (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered**

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

- a) Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
- b) **Physical User Reset Password?** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

- ग) यदि उपर्युक्त दो विकल्पों से भी आपको पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, अपना पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं।
- घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करते हुए सहमति के लिए "Agree to Terms and Conditions" पर टिक करें।
8. अब आपको "Login" बटन पर क्लिक करना होगा।
9. "Login" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा।

चरण 2 : एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली से अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से करें और महासभा में शामिल हों :

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान कैसे करना है और महासभा में शामिल कैसे होना है ?

- चरण 1 के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप उन सभी कंपनियों के "EVEN" देख पाएंगे, जिनके आपने शेयर धारित कर रखे हैं तथा जिनका वोटिंग साइकिल और महासभा एक्टिव स्थिति में हैं।
- आप उस बैंक का "EVEN" चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करना चाहते हैं तथा महासभा के दौरान मतदान करना चाहते हैं। वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए आपको "Join General Meeting" के अंतर्गत "VC/OAVM" लिंक को क्लिक करना होगा।
- अब वोटिंग पेज खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
- उपयुक्त विकल्प, अर्थात् Assent या Dissent (सहमत या असहमत) का चयन करते हुए अपना मतदान करें। आप जिन शेयरों के लिए अपना मतदान करना चाहते हैं उनकी संख्या सत्यापित/संशोधित करें तथा "Submit" पर क्लिक करें और साथ ही प्रॉम्प्ट किए जाने पर "Confirm" पर क्लिक करें।
- पुष्टिकरण के बाद, "Vote Cast Successfully" संदेश प्रदर्शित होगा।
- आप पुष्टिकरण पृष्ठ पर Print विकल्प पर क्लिक कर अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
- संकल्प पर अपने मतदान की पुष्टि करने के बाद आप अपने मतदान में संशोधन नहीं कर सकेंगे।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

- संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से इतर) से अपेक्षा है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजें।
- इस बात की पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें। सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए आपको www.evoting.nsdl.com साइट पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" या "Physical Reset Password?" के विकल्प पर जाना होगा।
- किसी भी जानकारी के लिए आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध 'शेयरधारकों के लिए आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' तथा 'शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग मैनुअल' देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 022 4886 7000 और 022 2499 7000 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.co.in पर श्री संजीव यादव, सुश्री पल्लवी म्हात्रे और श्री अमित विशाल को अनुरोध मेल भेज सकते हैं।

- c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
- d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

- After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
- Now, you will have to click on "Login" button.
- After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

- After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
- Select "EVEN" of Bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join General Meeting".
- Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
- Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
- You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
- Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

- Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/ JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
- In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Mr. Sanjeev Yadav, Ms. Pallavi Mhatre and Mr. Amit Vishal at evoting@nsdl.co.in.

इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों के लिए ई-वोटिंग करने हेतु प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत नहीं हैं:

1. यदि शेयर भौतिक स्वरूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (मुखपृष्ठ और पृष्ठ भाग दोनों), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें.
2. यदि शेयर डिमैट स्वरूप में धारित हैं तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकीय डीपीआईडी+सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर लिस्ट अथवा समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें. यदि आप डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आप **चरण 1 (अ)** में बताई पद्धति से लॉगिन करें. **अर्थात् डिमैट पद्धति में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति का उपयोग करें.**
3. विकल्प के तौर पर शेयरधारक/सदस्य ऊपर उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध ई-मेल भेज सकते हैं.
4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में सेबी के दिनांक 9 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार, डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी व डिपॉजिटरी सहभागी के पास खोले गए डिमैट खाते के माध्यम से ई-वोटिंग करने की अनुमति दी गई है. इस ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों को अपने डिमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को सही तरीके से अद्यतन करना होगा.

वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए अनुदेशों के समान है.
2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित रहेंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर मतदान नहीं किए हैं और जो अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे वार्षिक महासभा में ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान करने के लिए पात्र होंगे.
3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान किया है वे वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे. तथापि, वे वार्षिक महासभा में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे.
4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण वही रहेगा जैसा रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लेख किया गया है.

वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. सदस्य **एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के लिए एक्सेस** संबंधी ऊपर बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए एक्सेस कर सकते हैं. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप बैंक के नाम के सामने **“Join Meeting”** मेन्यू के अंतर्गत **“VC/OAVM लिंक”** देखेंगे. आपसे अनुरोध है कि

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of email ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) by email to idbiequity@idbi.co.in
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) to idbiequity@idbi.co.in. If you are an Individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **step 1 (A)** i.e. **Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.**
3. Alternatively shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring User ID and Password by providing above mentioned documents.
4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system**. After successful login, you can see link of “VC/OAVM link” placed under **“Join meeting”** menu against Bank name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under

Join Meeting मेन्ू के अंतर्गत VC/OAVM लिंक पर क्लिक करें. वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी की ईवीईएन प्रदर्शित की जाएगी. कृपया नोट करें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लेख किए अनुसार रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करते हुए इन्हें पुनः प्राप्त (रिट्रीव) कर लें ताकि अंतिम समय में होने वाली भीड़ से बचा जा सके.

2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्यों को लैपटॉप के जरिए बैठक में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है.
3. इसके अलावा, सदस्यों को कैमरे के लिए अनुमति देनी होगी और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी प्रकार की स्क्रावट को टाला जा सके.
4. कृपया नोट करें कि मोबाईल उपकरणों अथवा टैबलेट अथवा मोबाईल हॉटस्पॉट के जरिए जुड़े लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले सहभागियों को उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ सकता है. अतः स्थिर वाई-फ़ाई अथवा लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है ताकि ऊपर उल्लेख की गई समस्याओं को कम किया जा सके.
5. बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक वक्ता के रूप में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं और अपने नाम, डिमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने अनुरोध 08 जुलाई 2023 की सुबह 9.00 बजे से 10 जुलाई 2023 की शाम 5.00 बजे तक (बैंक के ई-मेल पते idbiequity@idbi.co.in) पर भेज सकते हैं. बैंक महासभा के लिए उपलब्ध समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार रखता है.
6. अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक अपने नाम, डिमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्नों को अग्रिम रूप से 08 जुलाई 2023 की सुबह 9.00 बजे से 10 जुलाई 2023 की शाम 5.00 बजे तक (बैंक के ई-मेल पते idbiequity@idbi.co.in) पर भेज सकते हैं. बैंक द्वारा उनके प्रश्नों के समुचित रूप से उत्तर दिए जाएंगे.
7. जिन सदस्यों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकृत कराया है केवल उन्हीं को बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी.
8. महासभा से पहले या इसके दौरान सदस्यगण वीसी/ओएवीएम के संबंध में किसी भी सहायता के लिए एनएसडीएल से 022-4886-7000 एवं 022-2499-7000 पर संपर्क करें अथवा श्री संजीव यादव को sanjeevy@nsdl.co.in पर मेल करें.

ऐसे व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश, जो महासभा सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट (कट-ऑफ) तारीख अर्थात् 09 जून 2023 के बाद और 06 जुलाई 2023 तक (जो शेयरधारकों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख है) बैंक के सदस्य बने हैं.

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 09 जून 2023 (वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) से 06 जुलाई 2023 तक (सदस्यों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) की अवधि के दौरान शेयर अर्जित किए हैं और 06 जुलाई 2023 की उक्त निर्दिष्ट तारीख तक सदस्य बने हुए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसे सदस्य अपनी शेयरधारिता के विवरण अर्थात् नाम, धारित शेयर, फोलियो संख्या या डीपी आईडी/ क्लाइंट आईडी संख्या आदि देते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो www.evoting.nsdl.com “Forgot User Details/ Password” अथवा “Physical User Reset Password?” विकल्प का प्रयोग कर उसे रीसेट कर सकते हैं.

Join Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.

2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further, Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
5. Shareholders who would like to register themselves as a speaker during the meeting may send their request mentioning their name, demat account number/ folio number, email id, mobile number at (Bank's email id idbiequity@idbi.co.in) from 9.00 a.m. on July 08, 2023 till 5.00 p.m. on July 10, 2023. Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for AGM.
6. Shareholders who would like to express their views/have questions may send their questions in advance mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at (Bank's email id. idbiequity@idbi.co.in) from 9.00 a.m. on July 08, 2023 till 5.00 p.m. on July 10, 2023. The same will be replied by the Bank suitably.
7. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
8. Members who need assistance regarding VC/OAVM before or during the AGM, can contact NSDL on 022-4886-7000 and 022-2499-7000 or email to Mr. Sanjeev Yadav at sanjeevy@nsdl.co.in

Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice, i.e., June 09, 2023 and up to July 06, 2023 (being the cut-off date reckoned for voting rights of shareholders)

Persons who have acquired shares during the period from June 09, 2023 (cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice) till July 06, 2023 (cut-off date for reckoning voting rights of members) and are continuing to be Members as on the said cut-off date of July 06, 2023, can exercise their voting right through remote e-voting. Such Members may obtain the login ID and password from NSDL by sending a request to evoting@nsdl.co.in by giving their shareholding details, viz., Name, Shares held, Folio No. or DP ID / Client ID No., etc. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset the same by using “Forgot User Details/Password” or “Physical User Reset Password?” option available on www.evoting.nsdl.com.

कृपया नोट करें कि:

- सदस्यों के मताधिकार 06 जुलाई 2023 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12(2) के अनुसार आरबीआई द्वारा प्रतिबंधित वोटिंग कैप के अधीन होंगे।
- कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी महासभा में भाग ले सकते हैं, किन्तु उन्हें महासभा में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध “[Forgot User Details/ Password?](#)” अथवा “[Physical User Reset Password?](#)” विकल्प पर जाना होगा।
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है जिनमें आप शेयरधारक हैं।
- इस बात की पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें।
- सदस्य कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा गुरुवार 12 जुलाई 2023 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से बंद कर दी जाएगी।
- ऐसे सदस्य, जो 06 जुलाई 2023 अर्थात् इस प्रयोजन के लिए नियत निर्दिष्ट तारीख को बैंक के सदस्य नहीं हैं, वे इस नोटिस को केवल सूचनाार्थ समझें।

इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड (ईआईबीआई बैंक लि.), प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, ईमेल: einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, बी विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 (022-66553147/2711/3062/3336) अथवा एनएसडीएल - टोल फ्री नं. 022-4886-7000 एवं 022-2499-7000 पर संपर्क करें।

14. बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया संचालित करने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी की साझेदार सुश्री अपर्णा गाडगिल अथवा उनके न होने की स्थिति में श्री एस.एन. विश्वनाथन को संवीक्षक नियुक्त किया है।
15. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 15 जुलाई 2023 को या उससे पूर्व बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर घोषित किए जाएंगे। ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) तथा बीएसई लि. को भी सूचित किए जाएंगे।

तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

01. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 की शर्तों के अनुसार, उन सभी सदस्यों से, जिन्होंने को बैंक के पास पंजीकृत/ अद्यतन नहीं करवाया है, अनुरोध है कि वे आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक रूप में महासभा की सूचना और/ या अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त ब्योरे हमें उपलब्ध कराएं।

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of July 06, 2023 subject to Voting Cap restrictions provided by RBI in terms of Section 12(2) of the B.R. Act, 1949.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to “[Forgot User Details/ Password?](#)” or “[Physical User Reset Password?](#)” option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that, the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Wednesday, July 12, 2023 at 5.00 p.m. (IST).
- The persons, who are not Members of the Bank as on July 06, 2023, i.e., Cut-off date fixed for the purpose, shall treat this Notice for information only.

For any further details in this regard, you may contact KFin Technologies Limited (Unit-IDBI Bank Ltd.), RTA of the Bank located at Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032 [Tel. No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 22nd Floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005 (022- 66553147/2711/3062/3336) or NSDL - Toll Free No. 022-4886-7000 and 022-2499-7000.

14. The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil or failing her Mr. S. N. Viswanathan, Partners of M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.
15. The result of e-voting along with Scrutinizer's Report will be announced on or before July 15, 2023 by displaying the same on Bank's Website www.idbibank.in and NSDL's website www.evoting.nsdl.com. The result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. on the same day.

IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION:

01. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members, who have not registered / updated their e-mail id(s) with the Bank are requested, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings and / or other communications from IDBI Bank in electronic form.

02. 20 अप्रैल 2018 के सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/डीओपी1/ सीआईआर/पी/2018/73 के अनुसार, रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति जैसे ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस)/ आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस)/ एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], नेफ्ट आदि के माध्यम से लाभांश के भुगतान में सुविधा प्रदान करने के लिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने संबंधित फोलियो/ डीमैट खाते में अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट करें.
- 03 3 नवंबर 2021 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 और दिनांक 14 दिसंबर 2021 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/ पी/सीआईआर/2021/687 के अनुसार, सेबी ने आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को प्रोसेस करने और पैन, केवाईसी विवरण और भौतिक प्रतिभूति धारकों द्वारा नामांकन प्रस्तुत करने की शर्तों को प्रोसेस करने के लिए सामान्य और सरलीकृत शर्तें निर्धारित की हैं. संबंधित प्रपत्रों (आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, आईएसआर-4, एसएच-13) के साथ उक्त परिपत्रों की प्रतियां आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट <https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx> और बैंक के आरटीए अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिनटेक) की वेबसाइट www.kfintech.com पर उपलब्ध हैं.

सेबी ने 16 मार्च 2023 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 के द्वारा अब यह बताया है कि फोलियो, जिसमें 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद केवाईसी विवरण या नामिती विवरण में से कोई एक उपलब्ध नहीं होगा तो उसे आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा. उक्त परिपत्रों की शर्तों के अनुसार केफिनटेक/ आईडीबीआई बैंक द्वारा फ्रीज किए गए फोलियो यदि 31 दिसंबर 2025 तक फ्रीज रहते हैं तो उन्हें बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/ या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन प्रशासन प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा. तदनुसार, केवाईसी दस्तावेज जमा करना और उपर्युक्त परिपत्र में अधिदेश के अनुसार नामिती विवरण को अपडेट करना आपके हित में है.

वार्षिक महासभा नोटिस की मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

1. नोटिस की मद सं. 5 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण

श्री जयकुमार एस. पिल्लई (डीआईएन- 10041362) को 12 जून 2023 से डीएमडी एवं डबल्यूटीडी और आवर्तन निदेशक के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था.

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने 23 जनवरी 2023 को संपन्न अपनी बैठक में श्री जयकुमार को तीन वर्षों की अवधि के लिए आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए दायी सहित बैंक के डीएमडी के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार किया और बोर्ड को उसके अनुमोदन के लिए सिफारिश की है. एनआरसी की सिफारिश के अनुसरण में बोर्ड ने 23 जनवरी 2023 को संपन्न अपनी बैठक में तीन वर्षों की अवधि के लिए श्री जयकुमार की नियुक्ति के प्रस्ताव की पुष्टि की है और इस संबंध में आरबीआई से उनके अनुमोदन करने हेतु सिफारिश की है. इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने दिनांक 19 मई 2023 के अपने पत्र द्वारा 12 जून 2023 से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि के लिए बैंक के डीएमडी के रूप में श्री जयकुमार की नियुक्ति को अनुमोदित किया है और निदेशक मंडल ने 22 मई 2023 को बैंक के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए 12 जून 2023 से बैंक के डीएमडी के रूप में श्री जयकुमार की नियुक्ति को अनुमोदित किया है.

02. In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/ CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018, in order to facilitate payment of dividend through RBI approved Electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS) /RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS)], NEFT etc., we request you to update your bank account details in your respective folio / demat account.
03. In terms of Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 03, 2021 & SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/687 dated December 14, 2021, SEBI had laid down common and simplified norms for processing investor's service request by RTAs and norms for mandatory furnishing PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. Copies of the said Circulars together with relevant forms (ISR-1, ISR-2, ISR-3, ISR-4, SH-13) are available on the website of IDBI Bank at <https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx> and that of KFin Technologies Limited (KFinTech), viz. RTA of the Bank at www.kfintech.com. SEBI vide SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023 has now stated that the Folios wherein any one of the KYC details or nominee details are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA. In terms of the said circulars, the frozen folios will be referred by KFinTech / IDBI Bank to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if such folios continue to remain frozen as on December 31, 2025. Accordingly, it is in your interest to submit the KYC documents and update nominee details as mandated in the above mentioned circular.

Explanatory Statements in respect of items of the AGM Notice

1. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 5 of the Notice

Shri Jayakumar S. Pillai (DIN-10041362) was appointed as DMD & WTD and rotational director for a period of three years w.e.f. June 12, 2023.

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) at its meeting held on January 23, 2023 considered and recommended the proposal for appointment of Shri Jayakumar as the DMD of the Bank for a period of three years, liable to retire by rotation, to the Board for their approval. Pursuant to the recommendation of the NRC, Board at its meeting held on January 23, 2023 ratified the proposal for appointment of Shri Jayakumar for a period of three years and recommended for submission to the RBI for their approval in this regard. Further, RBI vide their letter dated May 19, 2023 approved the appointment of Shri Jayakumar as DMD for a period of three years w.e.f. June 12, 2023 and the Board of Directors on May 22, 2023 approved the appointment of Shri Jayakumar for a period of three years w.e.f. June 12, 2023, subject to approval of the members of the Bank.

आरबीआई द्वारा अनुमोदित श्री जयकुमार को 1.66 करोड़ रुपये के कुल लक्ष्य पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है-

नियत वेतन (परिलब्धियों सहित)	लक्षित परिवर्ती वेतन	नकदी घटक	नकदी घटक (ईएसओपी के बदले में)
75,41,707 रुपये	90,50,048 रुपये	30,16,682 रुपये (50% अपफ्रंट; शेष 12.5%, 12.5% एवं 25% तीन वर्षों में आस्थगित)	60,33,365 रुपये (चार वर्षों में 15%, 20%, 30% और 35% आस्थगित)

एसएस-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियम के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी इस नोटिस के अनुबंध के रूप में प्रदान की गई है।

श्री जयकुमार का संक्षिप्त प्रोफाइल नीचे दिया गया है:

श्री जयकुमार बीएफएससी, सीएआईआईबी, एमबीए (वित्त) और विदेश व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हैं। उन्होंने आईसीए, लंदन से अभिशासन, जोखिम एवं अनुपालन(जीआरसी) में डिप्लोमा भी किया है। उन्होंने, पीएसबी में वरिष्ठ प्रबंधन के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो(बीबीबी) की ओर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट(बंगलुरु) द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भाग लिया है। उन्हें केनरा बैंक में विभिन्न पदों एवं भौगोलिक क्षेत्रों अर्थात् नई दिल्ली, भोपाल, लंदन, बंगलुरु और मंगलोर में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने प्रारम्भिक 8 वर्षों में कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में कार्य किया है और उन्हें कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अच्छी समझ है। वे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर शाखा प्रमुख रहे हैं तथा उन्हें शाखा बैंकिंग, खुदरा संसाधन जुटाने साथ ही विभिन्न क्षेत्रों जैसे खुदरा, कृषि, एमएसएमई, वसूली आदि को ऋण वितरण का अनुभव है। उन्होंने दो बार सर्कल प्रमुख के रूप में भी है। वे केनरा बैंक के यूके परिचालनों के 4 वर्षों से अधिक समय तक मुख्य कार्यपालक रहे तथा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग का अनुभव हासिल किया। वे प्रधान कार्यालय में बैंक के मध्य कॉर्पोरेट क्रेडिट विंग में विंग प्रमुख रहे जहां उन्होंने बोर्ड, निदेशकों और एमडी एवं सीईओ से विचार-विमर्श करने का अनुभव प्राप्त किया। केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में ऋण समिति के अध्यक्ष तथा महाप्रबंधकों के ऋण अनुमोदन समिति के अध्यक्ष के रूप में, श्री जयकुमार ने आरएएम क्षेत्रों, कॉर्पोरेट ऋण और दबावग्रस्त आस्तियों संभालने का अनुभव प्राप्त किया। आईडीबीआई बैंक में कार्यग्रहण करने से पहले श्री जयकुमार मुंबई के केनरा बैंक में मुख्य महाप्रबंधक एवं सर्कल प्रमुख के रूप में कार्यरत थे।

निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 5 में दिया गया सामान्य संकल्प पारित करने की सिफारिश करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री जयकुमार के अलावा) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं। श्री जयकुमार बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक या बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं हैं।

The total target remuneration of Rs. 1.66 crore payable to Shri Jayakumar as approved by the RBI is detailed below -

Fixed Pay (Incl. perquisites)	Target Variable Pay	Cash Component	Cash Component (in lieu of ESOPs)
₹ 75,41,707	₹ 90,50,048	₹ 30,16,682 (50% upfront; remainder deferred over three years at 12.5%, 12.5% & 25%).	₹ 60,33,365 (deferred over four years at 15%, 20%, 30% & 35%)

The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Shri Jayakumar is provided hereinafter:

Shri Jayakumar is BfSc, CAIIB, MBA in Finance and Post Graduate Diploma in Foreign Trade. He has also done Diploma in Governance, Risk & Compliance (GRC) from ICA, London. He has attended leadership development program for Senior Management in PSBs organized by Indian Institute of Management (Bangalore) on behalf of Bank Board Bureau (BBB). He has experience of over 32 years in Canara Bank in various capacities and geographies, viz., New Delhi, Bhopal, London, Bengaluru and Mangalore. He has worked as Agricultural Extension officer for initial 8 years and has good understanding of Agriculture and Rural Economy. He has headed branches in various scales across different geographies and is experienced in branch banking, mobilization of retail resources as well as credit delivery in sectors like Retail, Agriculture, MSME, Recovery, etc. He has also worked as Circle head in two occasions. He was Chief Executive of Canara Bank's UK operations for over 4 years and gained experience in International banking. He was Wing Head in Bank's mid corporate credit wing in Head Office wherein he gained experience in interacting with Board, Directors and MD & CEO. As chairman of Canara Bank's Credit Committee at HO and Chairman of General Manager's Credit approval committee, Shri Jayakumar has gained experience in RAM sectors, Corporate Credit and handling of stressed assets. Prior to joining IDBI Bank, Shri Jayakumar was working as Chief General Manager and Circle Head in Canara Bank, Mumbai.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.5 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri Jayakumar himself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Jayakumar is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

2. सूचना की मद संख्या 6 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 188 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में संबंधित पक्षों से किए जाने वाले संव्यवहारों के मामले में शेयरधारकों से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट प्राप्त है। तथापि यदि ऐसे संव्यवहार तात्त्विक प्रकृति के हों तो उनके लिए सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 23(4) के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार साधारण संकल्प के जरिए शेयरधारकों का पूर्वानुमोदन अनिवार्य होगा, भले ही ऐसे संव्यवहार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए हों।

1 अप्रैल 2022 से प्रभावी सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 23(1) के परंतुक के साथ पठित विनियम 2(1) के खंड (जेडसी) में किए गए संशोधनों के अनुसार एक ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी कोई सहायक कंपनी तथा दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबद्ध पक्ष के बीच संसाधनों, सेवाओं या बाध्यताओं से जुड़े लेनदेनों को "संबद्ध पक्ष लेनदेन" समझा जाएगा, तथा पृथक रूप से किए गए लेनदेन अथवा वित्तीय वर्ष में हुए पिछले लेनदेनों को मिलाकर हुए लेनदेन की राशि 1000 करोड़ रु अथवा सूचीबद्ध इकाई के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार उस सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10%, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक होने पर उस लेनदेन को "तात्त्विक संबद्ध पक्ष लेनदेन" माना जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने एलआईसी के साथ किए जाने वाले तात्त्विक आरपीटी के लिए 22 जुलाई 2022 को आयोजित 18वीं वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया था, जो 19वीं महासभा तक वैध रहेगा। इसलिए, बैंक को तात्त्विक आरपीटी के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

बैंक कारोबार के सामान्य अनुक्रम में एलआईसी के बैंक के संबंधित पक्ष होने के नाते स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर अपनी व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविदाएँ/व्यवस्थाएँ/संव्यवहार (चाहे वे एकल संव्यवहार के रूप में हों अथवा कई संव्यवहारों के सम्मिलित रूप में हों अथवा संव्यवहारों की श्रृंखला के रूप में हों अथवा अन्य रूप में हों) कार्यान्वित करता है। एलआईसी के साथ प्रस्तावित संव्यवहारों का विवरण निम्नानुसार है:

1) जमाराशियाँ स्वीकार करना

बैंक को आम जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करनी होती हैं जो मांग पर अथवा अन्य रीति से चुकौती-योग्य होती हैं। एलआईसी सभी ग्राहकों के लिए लागू शर्तों के समान शर्तों पर बैंक के साथ चालू खाता परिचालित करता है। एक बार खाता खोले जाने के बाद बैंक विधिक तौर पर ग्राहक के खाते में जमा होने वाली राशियों को नहीं रोक सकता है और यह पूरी तरह से ग्राहक के अपने विवेक पर निर्भर करता है कि वह वह कितनी राशि जमा के रूप में रखना चाहता है। अतः संव्यवहार के मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। संव्यवहार की अवधि एलआईसी द्वारा चुनी गई अवधि पर निर्भर करती है और बैंक द्वारा इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। बैंक द्वारा बैंकिंग प्रभार बैंक की नीतियों तथा आरबीआई के मानदंडों के अनुसार सभी ग्राहकों पर एकसमान दर से प्रभारित किए जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जमा अथवा बैंकिंग प्रभार सामान्य बैंकिंग कार्यकलापों से उत्पन्न होते हैं, संव्यवहार का मूल्य एलआईसी पर निर्भर करता है और बैंक द्वारा इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। जमाओं को स्वीकार करने और बैंकिंग प्रभारों की प्राप्ति सामान्य बैंकिंग व्यवसाय है और ये बैंक के हित में हैं।

2. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 6 of the Notice

As per the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 (the "Act"), transactions with related parties which are on an arm's length basis and in the ordinary course of business, are exempted from the obligation of obtaining prior approval of shareholders. However, such transactions, if material, require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business, as per the requirements of the provisions of Regulation 23(4) of the SEBI Listing Regulations.

As per the amendments to clause (zc) of Regulation 2(1) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, which is effective from April 1, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand will be considered as "related party transactions", and as "material related party transactions", if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of above, the Bank obtained prior approval from shareholders for material RPTs with LIC at the Banks' 18th Annual General Meeting (AGM) held on July 22, 2022 which will be valid till the 19th AGM. Thus the Bank requires to obtain fresh approval from the shareholders for material RPTs.

The Bank in the ordinary course of business engages in contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise) with LIC being a related party of the Bank, on an arms' length basis, to meet its business requirement. Details of the proposed transactions with LIC are as follows:

1) Acceptance of Deposits

The Bank is required to accept deposits from public, repayable on demand or otherwise. LIC operates current account deposits with the Bank on the same terms as applicable to all customers. Once an account is opened, a bank cannot legally stop amounts coming into the customer's account and it is entirely up to the discretion of the customer how much amount it seeks to place into the deposit. Hence, the value of the transaction is not determinable. The tenure of the transaction depends on period opted for by LIC and cannot be ascertained by the Bank. Banking charges are levied by the Bank uniformly on all customers in accordance with Bank's policies and RBI norms. Given that deposits or banking charges arise out of normal banking activities, the value of the transaction depends on LIC and cannot be ascertained by the Bank. Acceptance of deposits and receipt of banking charges are in furtherance of the normal banking business and are in the interest of the Bank.

2) निधिक और गैर-निधिक सुविधाएं

बैंक द्वारा अपने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के हिस्से के रूप में एलआईसी सहित सभी ग्राहकों को समान प्रक्रियाओं के आधार पर निधिक और गैर-निधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सुविधा का प्रकार, शर्तें, अंतिम उपयोग और लेन-देन की अवधि, प्रत्येक मामले में, सामान्य अनुक्रम में बैंक के ग्राहक के रूप में एलआईसी की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। मंजूरी के लिए सुविधाओं पर विचार आरबीआई मानदंडों और बैंक की प्रासंगिक नीतियों के तहत ऐसे नियमों और शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभूति, कार्यकाल, आदि सहित) पर किया जाता है, जो सभी ग्राहकों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। लेनदेन बैंक के सामान्य बैंकिंग लेनदेन का भाग है। मूल्य बैंक की उधार नीतियों और ऋण अनुमोदन प्रक्रिया पर निर्भर है और इसलिए लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह आरबीआई और बैंक की आंतरिक नीतियों द्वारा निर्धारित एकल और समूह उधारकर्ता एक्सपोजर / अंतः-समूह मानदंडों के अनुसार अधिकतम अनुमेय सीमा के अधीन है। सम्बद्ध पक्षों के लिए इन सुविधाओं का मूल्य निर्धारण प्रचलित बाजार दर पर आधारित होता है अथवा बाह्य बैंचमार्क से जुड़ा होता है, जिसे सभी ग्राहकों (संबंधित पक्षों सहित) को समान रूप से ऑफर किया जाता है और यह स्वतंत्र संयवहार पर आधारित होता है। सुविधाओं का कार्यकाल ग्राहकों की आवश्यकता (संबंधित/असंबंधित पक्ष) पर निर्भर करता है जो नियामक दिशानिर्देशों और बैंक की आंतरिक नीतियों के अधीन है तथा जो सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू होता है। लेन-देन बैंक के बैंकिंग व्यवसाय को अग्रसित करने के लिए है और बैंक द्वारा सामान्य अनुक्रम (ऋण मूल्यांकन, मंजूरी और अनुमोदन प्रक्रिया सहित) के अनुसार निर्धारित मानदंडों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं और इसलिए ये बैंक के हित में हैं।

3) ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन

बैंक अपने व्यवसाय के लिए धन जुटाने के लिए आमतौर पर निवेशकों (एलआईसी सहित) द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जैसी ऋण प्रतिभूतियां जारी कर सकता है, जिसके प्रतिफलस्वरूप सभी निवेशकों पर समान रूप से प्रयोज्य कानूनों और प्रस्ताव पत्र के अनुसार इच्छुक निवेशकों को प्रतिभूतियां आर्बिट कर दी जाती हैं तथा ब्याज का भुगतान किया जाता है। प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बैंक द्वारा जारी की जाने वाली ऋण प्रतिभूतियों के लिए एलआईसी की बोली के अधीन है। लेन-देन की अवधि बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार होगी जो लागू कानूनों के अनुपालन में होगी। यह बैंक की व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए है और इसलिए बैंक के हित में है।

4) बीमा योजनाओं और अन्य संबंधित व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन

बैंक ने आईडीबीआई बैंक शाखाओं के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री के लिए एलआईसी के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है। नियामक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईआरडीएआई को उचित अनुमोदन/सूचना दी गई है। बैंक आईआरडीएआई द्वारा अनुमत दरों के अनुसार बीमा योजनाओं के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन अर्जित करता है। एलआईसी के साथ समझौता, अनुबंध की शर्तों और नियामकों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार नवीनीकरण के अधीन है। अर्जित शुल्क का स्तर व्यवसाय की मात्रा, बैंक की रणनीति, नियामक दिशानिर्देश और अन्य बाहरी कारक जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार, लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बैंक अपनी व्यावसायिक रणनीति के एक भाग के रूप में एलआईसी की बीमा योजनाएं ऑफर करता

2) Funded and Non-funded facilities

Funded and Non-funded facilities are provided by the Bank as a part of its normal banking business to all customers on the basis of uniform procedures, including to LIC. Type of facility, terms, end-use and tenure of the transaction, in each case, depends on the requirements of LIC as a customer of the Bank in the ordinary course. The facilities are considered for sanction, on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure, etc.) as may be permitted under applicable RBI norms and relevant policies of the Bank which are uniformly applicable to all the customers. The transaction forms part of the normal banking transactions of the Bank. The value is dependent upon the lending policies and credit approval process of the Bank and hence the value of the transaction cannot be determined. This is also subject to maximum permissible limit as per the single and group borrower exposure/intra-group norms as prescribed by RBI and Bank's internal policies. The pricing of these facilities to related parties is based on prevailing market rate or linked to external benchmark which is uniformly offered to all customers (including related parties) and it is based on arm's length basis. Tenure of facilities is dependent on customers' requirement (related/ unrelated parties) subject to regulatory guidelines and Bank's internal policies which are uniformly applicable to all the customers. The transactions are in furtherance of banking business of the Bank and are undertaken in accordance with laid down norms, policies and procedures as followed by the Bank in ordinary course (including credit appraisal, sanction and approval process) and therefore, in the interest of the Bank.

3) Issuance of debt securities

The Bank may issue debt securities like Non-Convertible Debentures, for raising funds for business of the Bank, on platforms commonly accessed by investors (including LIC), pursuant to which the securities are allotted to interested investors in accordance with the provisions of the applicable laws and offer letter; and payment of interest on such securities uniformly to all investors. The value of transactions proposed cannot be ascertained as it is subject to LIC bidding for the debt securities proposed to be issued by the Bank. The tenure of the transaction will be as per the terms of the securities issued by the Bank that will be in compliance of the applicable laws. This is in furtherance of the business activities of the Bank and therefore, is in the interest of the Bank.

4) Fees/commission for distribution of insurance products and other related business

The Bank has entered into Corporate Agency Agreement with LIC for sale of Life Insurance Policies through IDBI Bank Branches. Due approval/intimation to IRDAI has been done as per the process laid down by the Regulator. The Bank earns fees/commission for distribution of insurance products as per the rates allowed by IRDAI. The agreement with LIC is subject to renewal as per the terms of agreement and norms prescribed by regulators. The level of fees earned is dependent on various factors i.e. business volume, Bank's strategy, regulatory guidelines and other external factors. Thus, value of transactions cannot be determined. The Bank offers insurance products of LIC as a part of its business strategy and earns fees/

है और समझौते की शर्तों के अनुसार शुल्क/ कमीशन अर्जित करता है और इसलिए यह बैंक के हित में है.

5) अन्य लेनदेन

मुद्रा बाजार लेनदेन में अन्य सामान्य बाजार सहभागियों/प्रतिपक्षकारों के समान बाजार आधारित लेनदेन, सरकारी प्रतिभूतियों/कॉर्पोरेट बांडों और मुद्रा बाजार लिखतों की द्वितीयक बाजार में खरीद/बिक्री, बांडों में निवेश, कोई अन्य आय/व्यय अथवा बैंक के कारोबार के सामान्य क्रम में निक्षेपागार सहभागी, कस्टोडियन सेवाओं, निवेश बैंकिंग, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव लेनदेनों आदि के अनुसरण में की गई अन्य गतिविधियां.

बैंक, अपने नियमित कारोबार में, अपने द्वारा ऋण/अग्रिम या निवेश प्रदान करने से संबंधित कोई लेनदेन करने के लिए कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेता है. उपरोक्त लेनदेन में संबंधित पक्ष के सरोकार /हित की प्रकृति वित्तीय है.

उपरोक्त सभी लेनदेन बैंक द्वारा धारित विशिष्ट अनुमोदन/पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और लागू कानूनों के अनुसार होते हैं और इसलिए बैंक के हित में होते हैं.

वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ऊपर बताए गए लेनदेन से बी सूचीबद्धता विनियमों के तहत एलआईसी के लिए "महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेनदेन" की सीमा अर्थात् ₹ 1,000 करोड़ अथवा बैंक के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित कारोबार के 10% (इनमें से जो भी कम हो) से अधिक हो सकते हैं. सभी लेन-देन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक और/या इसके संबंधित पक्षों के व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में दर्ज किए जाएंगे. सदस्यों से मांगा जा रहा अनुमोदन बैंक की अगली वार्षिक आमसभा तक वैध रहेगा.

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और बैंक के निदेशक मंडल ने एलआईसी के साथ बैंक द्वारा प्रस्तावित सम्बद्ध पक्ष लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें संकल्प और व्याख्यात्मक विवरण में कहा गया है और यह भी नोट किया गया है कि एलआईसी के साथ उक्त लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में होगा.

निदेशक मंडल सूचना की मद संख्या 6 में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) की अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबन्धित या हितबद्ध नहीं है.

सदस्य कृपया ध्यान दें कि सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी सम्बद्ध पक्ष संलग्न महासभा सूचना की मद संख्या 6 के सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे, भले ही वे विशेष लेनदेन के लिए संबंधित पक्ष हों अथवा नहीं.

3. सूचना की मद सं. 7 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

वर्तमान में, आईडीबीआई बैंक द्वितीयक बाजार और कुछ प्राथमिक निर्गमों के अभिदान के माध्यम से पीएसयू/ बैंक बॉन्डों में निवेश कर रहा है. हाल की अवधि के दौरान कॉर्पोरेट बॉन्ड के निजी के साथ-साथ सार्वजनिक निर्गम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. द्वितीयक बाजार की मात्रा भी

commission as per the terms of agreement and therefore it is in the interest of the Bank.

5) Other transactions

Market based transactions in the manner similar with other general market participants / counterparties in Money market transactions, Secondary Market Buying / Selling of Govt. Securities / Corporate Bonds and money market instruments, investments in Bonds, any other income/ expense or other activities undertaken in pursuance of depository participant, custodian services, investment banking, foreign exchange and derivative transactions, etc, in the ordinary course of Bank's business.

The Bank, in its regular course of business, does not incur any specific financial indebtedness in order to undertake any transactions relating to granting of loans / advances or investment by the Bank. The nature of concern/interest of the related party in the above transactions is financial.

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Bank and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Bank.

The transactions as mentioned above at any time during the financial year may exceed the threshold of "material related party transactions" under the SEBI Listing Regulations i.e ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank, as per the last audited financial statement of the Bank, whichever is lower, for LIC. All the transactions will be entered on arm's length basis and in the ordinary course of the business of the Bank and/or its related parties. The approval being sought from the Members shall be valid till the next Annual General Meeting of the Bank.

The Audit Committee of the Board and Board of Directors of the Bank has granted approval for the related party transactions proposed to be entered into by the Bank with LIC including as stated in the resolution and explanatory statement and has also noted that the said transactions with LIC would be on an arm's length basis and in the ordinary course of the Bank's business.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.6 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than LIC Nominee Directors) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

The Members may please note that in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 6 of the accompanying AGM Notice, whether the entity is a related party to the particular transaction or not.

3. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 7 of the Notice

At present, IDBI Bank is investing in PSU/Bank bonds through secondary market and subscription to some of the primary issuances. The Private as well as Public issuance of corporate bonds has increased considerably during the recent period. Secondary market volumes too have grown

काफी बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार की गहनता के लिए कुछ सुधार उपाय किए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम हुए हैं। बुनियादी ढांचे और विनियमों ने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में बड़ी भागीदारी को सक्षम बनाया है। इस खंड में प्रमुख निवेशकों के रूप में एफपीआई और म्यूचुअल फंड के प्रवेश ने भी बॉन्ड बाजार को गहराई प्रदान की है।

इस संभावित कारोबार अवसर को ध्यान में रखते हुए, बैंक ऋण पूंजी बाजार (डीसीएम) गतिविधियों को सक्रिय करने पर विचार कर रहा है। डीसीएम डेस्क प्राथमिक बाजार से उच्च श्रेणी के जारीकर्ताओं की गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में अभिदान करने और उन्हें पेंशन फंडों, भविष्य निधियों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंडों, एचएनआई और ऐसे अन्य निवेशकों को लाभ पर बेचने पर विचार करेगा। इस कारोबार में मात्रा बढ़ाने के लिए, बैंक ने अपनी सहायक कंपनी आईसीएमएस के साथ सहक्रिया विकसित करने पर विचार कर रहा है, जो श्रेणी- I व्यापारी बैंकर है और इस खंड में व्यापक अनुभव है। दोनों संस्थाओं के साथ आने से कारोबारी परिणामों को बल मिलेगा।

चूंकि, आईसीएमएस कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए बोली लगाने के लिए अपेक्षित अपफ्रंट राशि का आवंटन करने में सक्षम नहीं है, आईडीबीआई बैंक कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए बोली लगाता है और आवंटन प्राप्त होने पर आईसीएमएस को अंतरित करता है। आईडीबीआई बैंक से प्रतिभूतियां प्राप्त करने के बाद आईसीएमएस इसे अपने ग्राहकों को प्रदान कर सकता है। इस लेन-देन में, बैंक को निवेश में उपयोग की गई निधियों की धारण अवधि के लिए कूपन प्राप्त होता है। आईडीबीआई बैंक के पास एनएसएलआर/एसएलआर बांडों की धारण अवधि लगभग 10 दिन होगी। हालांकि इस तरह के लेन-देन से आय अधिक नहीं होगी, पर इस गतिविधि से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आईसीएमएस के साथ लेनदेन की मात्रा 1000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।

लेन-देन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किये जायेंगे। सदस्यों से मांगा जा रहा अनुमोदन बैंक की अगली वार्षिक महासभा तक वैध रहेगा।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और बैंक के निदेशक मंडल ने आईसीएमएस के साथ बैंक द्वारा प्रस्तावित सम्बद्ध पक्ष लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें संकल्प और व्याख्यात्मक विवरण में कहा गया है और यह भी नोट किया गया है कि आईसीएमएस के साथ उक्त लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में होगा।

निदेशक मंडल सूचना की मद संख्या 7 में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक (पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा) या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

considerably. Over the years, RBI has undertaken several reform measures to deepen Corporate Bond market which has yielded positive results. The infrastructure and regulations too have enabled larger participation in Corporate Bonds. Entry of FPIs and Mutual Funds as major investors in this segment too has provided depth to the Bond market.

Considering this potential business opportunity, the Bank is envisaging activating of Debt Capital Market (DCM) activities. DCM desk will be engaged in subscription of Non SLR securities of highly rated issuers from primary market and selling them to investors such as Pension Funds, Provident Funds, Insurance Companies, Mutual Funds, HNIs and other such investors at a profit. In order to build scale in this business, the Bank envisages developing synergy with its subsidiary, ICMS, which is a Category-I Merchant Banker and has vast experience in this segment. Leveraging on the strength of both the entities would entail in encouraging business results.

As ICMS is not able to allocate large amount of funds upfront required for placing the bids for Corporate Bonds, IDBI Bank bids for the Corporate Bonds and upon receiving allocation passes on the same to ICMS. ICMS in turn after receiving the securities from IDBI Bank may pass on the same to its clients. In this transaction, the Bank receives the coupon for holding period of funds utilized in investment. The holding period of the NSLR/SLR Bonds would be about 10 days with IDBI Bank. Though the income from such transaction may not be high, the volume of transactions with ICMS may exceed ₹ 1000 crore during financial year 2023-24 through this activity.

The transaction will be entered on arm's length basis and in the ordinary course of the business of the Bank. The approval being sought from the Members shall be valid till the next Annual General Meeting of the Bank.

The Audit Committee of the Board and Board of Directors of the Bank has granted approval for the related party transactions proposed to be entered into by the Bank with ICMS including as stated in the resolution and explanatory statement and has also noted that the said transactions with ICMS would be on an arm's length basis and in the ordinary course of the Bank's business.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.7 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Whole-time Directors) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

सदस्य कृपया नोट करें कि सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष महासभा की सूचना के मद सं. 7 पर सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेगा, चाहे इकाई विशेष लेन-देन से संबंधित पार्टी हो या नहीं हो।

4. सूचना की मद सं. 8 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

सेबी ने 2 फरवरी 2023 की अधिसूचना के माध्यम से सेबी (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को जारी और सूचीबद्ध करना) विनियम, 2021 (एनसीएस विनियमों) में संशोधन किया है ताकि उन कंपनियों के लिए, जिन्होंने अपनी ऋण प्रतिभूतियों को 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले सूचीबद्ध किया है, अनिवार्य किया जा सके कि वे अपने संस्था के अंतर्नियमों में संशोधन करें ताकि सेबी (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993 के विनियम 15(1)(ई) में प्रदान की गई निम्नलिखित चूक की स्थिति में डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा नामित निदेशक को नियुक्त करने का प्रावधान हो:

- डिबेंचर धारकों को ब्याज के भुगतान में लगातार दो चूक; अथवा
- डिबेंचर के लिए प्रतिभूति के सृजन में चूक; अथवा
- डिबेंचर के मोचन में चूक

उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक के संस्था के अंतर्नियमों में बदलाव किया जा रहा है ताकि इस सूचना की मद सं. 8 में प्रदान किए गए संकल्प में शामिल अंतर्नियमों को समर्थकारी खंड प्रदान किया जा सके. संस्था के अंतर्नियमों में परिवर्तन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है।

निदेशक मंडल सूचना की मद संख्या 8 में निहित विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उक्त संकल्प को पारित करवाने में, बैंक में अपनी शेर्य धारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन: 06846594

पंजीकृत कार्यालय:

आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई-400005.

दिनांक: 15 जून 2023

The Members may please note that in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 7 of the accompanying AGM Notice, whether the entity is a related party to the particular transaction or not.

4. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 8 of the Notice

SEBI vide notification dated February 2, 2023 has amended the SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 (NCS Regulations) to mandate the companies that have listed their Debt securities to amend their Articles of Association on or before September 30, 2023, so that it contains provision to appoint a Director nominated by the Debenture Trustee in the event of following defaults as provided in Regulation 15(1)(e) of the SEBI (Debenture Trustees) Regulations, 1993:

- two consecutive defaults in payment of interest to the debenture holders; or
- default in creation of security for debentures; or
- default in redemption of debentures.

In order to comply with the provisions of the said circular, the Articles of Association of the Bank is being altered to provide an enabling clause in the Articles as contained in the resolution provided at Item no. 8 of this notice. The alteration in Articles of Association is subject to the approval of the Reserve Bank of India.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as contained at Item No.8 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

Registered Office:

IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005

Dated: June 15, 2023

सूचना का अनुबंध

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 36(3)(ए) और महासभा पर सचिवीय मानक 2 के अनुसार ब्योरा

निदेशक का नाम	श्री जयकुमार एस. पिल्लई
पदनाम	उप प्रबंध निदेशक
जन्म तिथि/आयु	31.05.1965 58 वर्ष
प्रथम नियुक्ति की तारीख	12 जून 2023
योग्यता	बीएफएससी, एमबीए (वित्त), विदेश व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएफटी), अभिशासन, जोखिम एवं अनुपालन(जीआरसी) में डिप्लोमा और सीएआईआईबी.
विशेषज्ञता	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, वित्त, लघु उद्योग, एचआर, जोखिम, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन और कंपनी अभिशासन
अन्य संस्थाओं में निदेशक पद	शून्य
उन सूचीबद्ध कंपनियों के नाम, जिनसे निदेशक ने विगत 3 वर्ष में त्यागपत्र दिया है, यदि कोई हो	शून्य
अन्य संस्थाओं की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	शून्य
निदेशक की श्रेयधारिता	शून्य
निदेशकों का पारस्परिक संबंध	शून्य
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की निबंधन व शर्तें	पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 197, 203 और अनुसूची V में दिये अनुसार है. बैंक की संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार, उप प्रबंध निदेशक ऐसी शक्तियों एवं प्राधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे और ऐसे कार्यों का निष्पादन कर सकेंगे जो उन्हें बोर्ड या एमडी एवं सीईओ द्वारा प्रत्यायोजित किए जायेंगे, जो बैंक के एमडी एवं सीईओ के पर्यवेक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन हैं.
पारिश्रमिक	डीएमडी को देय पारिश्रमिक आरबीआई द्वारा अनुमोदित अनुसार होगा.
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति का औचित्य तथा प्रस्तावित स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका के लिए अपेक्षित कौशल एवं क्षमताएं तथा ढंग जिनमें वे ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं	लागू नहीं
अपने कार्यकाल के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (सम्पन्न/ उपस्थिति)	लागू नहीं

ANNEXURE TO THE NOTICE

Details pursuant to Regulation 36(3)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards-2 on General Meetings

Name of Director	Shri Jayakumar S. Pillai
Designation	Deputy Managing Director
Date of Birth/ Age	31.05.1965 58 years
Date of first appointment	June 12, 2023
Qualification	BFSc, MBA(finance), Post Graduate Diploma in Foreign Trade (PGDFT), Diploma in Governance, Risk & Compliance (GRC) and CAIIB
Expertise	Accountancy, Agriculture & rural Economy, Banking, Economics, Finance, Small Scale Industry, HR, Risk, Business Management, Administration and Corporate Governance
Directorship in other entities	NIL
Names of listed Entities from which the Directors has resigned in last 3 years, if any	NIL
Membership / Chairmanship in Committees of other entities	NIL
Shareholding of Director	NIL
Relationship between directors inter-se	NIL
Terms and Conditions of Appointment/Re-appointment	Terms and conditions for Appointment of WTD are as provided in Section 35B of Banking Regulation Act, 1949, Sections 196, 197, 203 and Schedule V of the Companies Act, 2013. As per the Articles of Association of the Bank, the DMDs shall exercise such powers and authorities and discharge such functions as may be delegated to them by the Board or the MD & CEO, subject to the supervision, direction and control of the MD & CEO of the Bank.
Remuneration	Remuneration payable to DMD would be as approved by the RBI.
Justification for Appointment/ Reappointment and skills & capabilities required for the role and the manner in which the proposed Independent Directors meets such requirements.	Not Applicable
Number of Board meetings attended during their tenure (Held/Attended)	Not Applicable

